

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53 (2) के अनुसार 30 जून 2013 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य के संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत
केन्द्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
2012-13



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. सवि.800/02.16.001/2013-14

22 अगस्त, 2013

31 श्रावण, 1935 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली -110 001

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

- (i) 30 जून 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, जिस पर मैंने, उप गवर्नरों ने और मुख्य महाप्रबंधक ने हस्ताक्षर किए हैं और जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित हैं; और
- (ii) 30 जून 2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केन्द्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय

डी. सुब्बाराव

[डी. सुब्बाराव]

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स: +91 22 2266 1784 ई-मेल: governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax: +91 22 2266 1784 E-mail: governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर

डी. सुब्बाराव

उप गवर्नर

के.सी.चक्रवर्ती

आनंद सिन्हा

एच.आर.खान

ऊर्जित आर.पटेल

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
की धारा 8 (1) (ख) के अंतर्गत नामित निदेशक

अनिल काकोडकर

किरण एस. कर्णिक

एम.वी.राजीव गौड़ा

नचिकेत एम.मोर

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
की धारा 8 (1) (ग) के अंतर्गत नामित निदेशक

वाई.एच.मालेगाम

अज़ीम प्रेमजी

दीपंकर गुप्ता

जी.एम.राव

इला भट्ट

इंदिरा राजारामन

वाई.सी.देवेश्वर

दामोदर आचार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
की धारा 8 (1) (घ) के अंतर्गत नामित निदेशक

अरविंद मायाराम

राजीव टकरू

स्थानीय बोर्डों के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

किरण एस. कर्णिक

के. वेंकटेशन

दत्तराज वी. सालगांवकर

जयंतीलाल बी. पटेल

पूर्वी क्षेत्र

नचिकेत एम.मोर

सुश्री अनिला कुमारी

शरीफ उज्जमां लश्कर

उत्तरी क्षेत्र

अनिल काकोडकर

राम नाथ

कमल किशोर गुप्ता

मिहिर कुमार मोहत्रा

ए. नवीन भंडारी

दक्षिणी क्षेत्र

एम.वी.राजीव गौड़ा

के. सेल्वराज

किरण पांडुरंग

प्रधान अधिकारी

(8 अगस्त 2013 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

जी. गोपालकृष्ण
दीपक मोहंती
एस. करुप्पसामी
आर. गांधी
पी. विजय भास्कर
बी. महापात्र
जी. पद्मनाभन
जसबीर सिंह
दीपाली पन्त जोशी

केन्द्रीय कार्यालय

केन्द्रीय सतर्कता कक्ष

ग्राहक सेवा विभाग

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

संचार विभाग

मुद्रा प्रबंध विभाग

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग

व्यय और बजट नियंत्रण विभाग

बाह्य निवेश और परिचालन विभाग

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग

सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग

वित्तीय बाजार विभाग

वित्तीय स्थिरता इकाई

विदेशी मुद्रा विभाग

मानव संसाधन प्रबंध विभाग

निरीक्षण विभाग

आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग

विधि विभाग

मौद्रिक नीति विभाग

परिसर विभाग

राजभाषा विभाग

जोखिम निगरानी विभाग

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

सचिव विभाग

शहरी बैंक विभाग

काजा सुधाकर, मुख्य सतर्कता अधिकारी
सुप्रिया पटनायक, मुख्य महाप्रबंधक
चन्दन सिन्हा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
जी. जगन्मोहन राव, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
अल्पना आई. किल्लावाला, प्रधान प्रेस संपर्क अधिकारी
बी. पी. विजयेन्द्र, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
बी. एम. मिश्रा, प्रभारी अधिकारी
एस. गणेश, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
एम. सरकार देब, मुख्य महाप्रबंधक
एस. गणेशकुमार, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
ए.एस. रामशास्त्री, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
एन.एस. विश्वनाथन, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
विजय चुग, मुख्य महाप्रबंधक
ए.बी. चक्रवर्ती, प्रभारी अधिकारी
जी. महालिंगम, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
आर.जी. वारियर, मुख्य महाप्रबंधक
आर.एन.कर, मुख्य महाप्रबंधक
यू.एस. पालीवाल, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
एम. सेबास्टियन, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
के. के. वोहरा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
जी.एस. हेगडे, प्रधान विधि परामर्शदाता
एम. डी. पात्रा, प्रधान परामर्शदाता
के. आर. आनंद, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
रमाकांत गुप्ता, महाप्रबंधक
एम.राजेश्वर राव, मुख्य महाप्रबंधक
ए.उद्गाता, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
बाजिल शेख, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक और सचिव
ए.के. बेरा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

महाविद्यालय

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

प्रधानाचार्य

मीना हेमचंद्र
उमा सुब्रमण्यम

कार्यालय

चेन्नै

कोलकाता

मुंबई

नई दिल्ली

क्षेत्रीय निदेशक

जे. सदाकदुल्ला
बी.पी. कानूनगो
जे. बी. भौरिया
दीपक सिंहल

शाखाएं

अहमदाबाद

बेंगलुरु

भोपाल

भुवनेश्वर

चंडीगढ़

गुवाहाटी

हैदराबाद

जयपुर

जम्मू

कानपुर

लखनऊ

नागपुर

पटना

तिरुवनंतपुरम

सुदर्शन सेन
उमा शंकर
पी.आर. रवि मोहन
पी. के. जेना
एम. के. सिंह
प्रद्युम्न कुमार जेना
के. आर. दास
सत्येन डेविड
के. के. सराफ
शेखर भटनागर
अरुण पसरीचा
फूलन कुमार
एम.के.वर्मा
सलीम गंगाधरन

अगरतला

बेलापुर

देहरादून

गंगटोक

कोच्चि

पणजी

रायपुर

रांची

शिलांग

शिमला

श्रीनगर

प्रभारी अधिकारी

ए.के. पांडेय, महाप्रबंधक
अजय मिचयारी, महाप्रबंधक
आर. एल. शर्मा, महाप्रबंधक
ई.ई. कार्थिक, महाप्रबंधक
सी.वी. जॉर्ज, महाप्रबंधक
जर्यकिश, महाप्रबंधक
निर्मल चंद, महाप्रबंधक
सौरभ सिन्हा, महाप्रबंधक
पी. श्याम सुंदर, मुख्य महाप्रबंधक
आई.एस. नेगी, महाप्रबंधक
रमेश चंद, उप महाप्रबंधक

भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और संभावनाएं

I.	मूल्यांकन और संभावनाएं.....	1
	वर्ष 2012-13 का आकलन	3
	वर्ष 2013-14 के लिए संभावनाएं	6
II.	आर्थिक समीक्षा.....	13
	वास्तविक अर्थव्यवस्था	13
	मूल्य स्थिति.....	26
	मुद्रा तथा कर्ज.....	38
	वित्तीय बाजार	43
	सरकारी वित्त	54
	बाह्य क्षेत्र	59
भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन		
III.	मौद्रिक नीति का परिचालन	67
	मौद्रिक नीति परिचालन : संदर्भ तथा औचित्य	67
IV.	ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन	75
	ऋण सुपुर्दगी	75
	वित्तीय समावेशन	79
	वित्तीय साक्षरता प्रयास	82
V.	वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन	84
	सरकारी प्रतिभूति बाजार	84
	विदेशी मुद्रा बाजार.....	86
	डेरिवेटिव बाजार	92
VI.	विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता	93
	वित्तीय स्थिरता का आकलन.....	93
	बैंकिंग क्षेत्र का आकलन	95
	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा लिये गये प्रमुख निर्णय	97
	वाणिज्य बैंक	97
	ग्राहक सेवा	104
	भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड.....	105
	शहरी सहकारी बैंक	105
	ग्रामीण सहकारी संस्थाएं	109
	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	110
	गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनियां.....	110

	पृष्ठ सं.
VII. लोक ऋण प्रबंधन.....	116
केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन	116
राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन	119
VIII. मुद्रा प्रबंधन.....	122
संचलन में बैंक नोट.....	122
संचलन में सिक्के.....	122
मुद्रा परिचालन	123
स्वच्छ नोट नीति	124
जाली बैंक नोट.....	125
सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एवं वितरण पर व्यय.....	126
भावी कार्य-योजना.....	126
IX. भुगतान और निपटान प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी	128
भुगतान प्रणालियों के रुझान	129
नीतिगत पहलें	130
बैंकिंग प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकीय पहलें.....	135
रिज़र्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी.....	138
X. अभिशासन, मानव संसाधन विकास तथा संगठनात्मक प्रबंधन	140
अभिशासन में सुधार के उपाय	140
संप्रेषण संबंधी उपाय	142
मानव संसाधन विकास गतिविधियां.....	145
संगठन प्रबंध संबंधी उपाय.....	148
XI. रिज़र्व बैंक का 2012-13 का लेखा.....	153
तुलन-पत्र.....	155
आय	163
व्यय	165
30 जून 2013 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां	170
अनुबंध I : अप्रैल 2012 से जुलाई 2013 के दौरान गवर्नर और उप गवर्नरों द्वारा दिए गए भाषणों की सूची.....	175
अनुबंध II: जुलाई 2012 से जून 2013 के दौरान विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का भारतीय रिज़र्व बैंक में आगमन और उप गवर्नरों द्वारा दिए गए भाषणों की सूची.....	178

परिशिष्ट सारणियों की सूची

1.	समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक	179
2.	वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रवार संरचना	182
3.	सकल देशी बचत और निवेश	183
4.	पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचत (सकल)	184
5.	कृषि उत्पादन.....	185
6.	खाद्यान्न की खरीद, उठाव और स्टॉक.....	186
7.	औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का रुझान	187
8.	थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़.....	188
9.	आरक्षित मुद्राओं में घट-बढ़	189
10.	मुद्रा स्टॉक में घट-बढ़	190
11.	सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन	191
12.	पूँजी बाजार - प्राथमिक और द्वितीयक बाजार	192
13.	भारत के डेरिवेटिव बाजार में टर्नओवर	193
14.	भारतीय रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर)	194
15.	प्रमुख राजकोषीय संकेतक	195
16.	राज्य सरकारों के बजटीय परिचालन	196
17.	भारत के निर्यात तथा आयात.....	197
18.	भारत का समग्र भुगतान संतुलन	198
19.	भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह : देश-वार तथा उद्योग-वार.....	199
20.	भारत का विदेशी मुद्रा भंडार.....	200
21.	भारत का बाह्य ऋण	201

बॉक्स

II.1	औद्योगिक मंदी: कारण और निवारण.....	19
II.2	भारतीय कोयला क्षेत्र : मुद्दे तथा रणनीतियाँ	23
II.3	मूल्य-निर्धारण क्षमता और मुद्रास्फीति.....	31
II.4	मूल मुद्रास्फीति : वैकल्पिक पद्धतियाँ	32
II.5	निर्माता मूल्य सूचकांक (पीपीआई) : अवधारणा और उसकी माप	33
II.6	मौद्रिक नीति के निर्माण में अग्रदर्शी सर्वेक्षणों की भूमिका	41
II.7	विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपारंपरिक मौद्रिक नीति: वित्तीय बाजारों पर प्रभाव.....	44
II.8	भारत में एक्सचेंज रेट की अस्थिरता और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बीच संबंध	52
II.9	नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट और ऑनशोर आईएनआर मार्केट : अंतर-संबद्धताओं (इंटरलिकेजेज) पर साक्ष्य	53

	पृष्ठ सं.
II.10 राजकोषीय नीति की चक्रीयता: भारतीय अनुभव	55
II.11 सोने के आयात और भारत में स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी से संबद्ध मुद्दों का अध्ययन करने के लिए बनाये गये कार्य दल की सिफारिशें	61
III.1 वास्तविक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति निवेश और वृद्धि की संवेदनशीलता	72
III.2 वित्तीय समावेशन के लिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता संबंधी दिशानिर्देश	74
IV.1 अल्पकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी ढांचा (एसटीसीसीएस) के तीन-टियर की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें	79
IV.2 वित्तीय समावेशन के लिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता संबंधी दिशानिर्देश	81
V.1 देयता प्रबंधन के लिए वापसी-खरीद / स्विच	85
VI.1 भारत : वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का मूल्यांकन	94
VI.2 बैंकों की लाभप्रदता पर अनर्जक आस्तियों का प्रभाव	96
VI.3 बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के अग्रिमों की पुनःसंरचना के संबंध में विवेकसम्मत दिशानिर्देशों की समीक्षा - कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें	100
VI.4 निजी क्षेत्र के नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना	103
VI.5 वित्तीय प्रणाली में निक्षेप बीमा - कुछ टिप्पणियां	111
VI.6 एनबीएफसी-फैक्टर्स	112
VI.7 बैंकिंग क्षेत्र में विधिक गतिविधियां	113
VI.8 वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की प्रमुख सिफारिशें	115
VII.1 मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड जारी करना	118
VIII.1 प्लास्टिक बैंक नोट	123
IX.1 विज्ञान दस्तावेज 2012-15	130
IX.2 एक समान राउटिंग कोड और खाता नंबर की संरचना की जांच के लिए तकनीकी समिति	131
IX.3 भारत में गिरो-आधारित भुगतान प्रणाली को लागू करने की अनुशंसा करने के लिए समिति	134
IX.4 क्लाउड कंप्यूटिंग - रुझान, मुद्दे और चिंताएं	136
X.1 आरबीआईक्यू	146
X.2 शशि राजगोपालन स्मारक पुरस्कार	147
X.3 आचार संहिता और अभिशासन	150
XI.1 तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता प्रस्तुतीकरण के स्वरूप की समीक्षा के लिए तकनीकी समिति	154
चार्ट	
II.1 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संवृद्धि	13
II.2 जीडीपी का व्यय पक्ष	14
II.3 बचत एवं निवेश की दर	15

	पृष्ठ सं.
II.4 परिवारों की वित्तीय बचत	15
II.5 वर्षा में कमी और कृषि उत्पादन.....	16
II.6 भंडारण क्षमता बनाम खाद्यान्न उत्पादन.....	17
II.7 आईआईपी (वर्ष-दर-वर्ष) में वृद्धि	18
II.8 औद्योगिक वृद्धि.....	18
II.9 आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में वृद्धि	20
II.10 सेवा से जुड़े क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद.....	21
II.11 विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता तथा वृद्धि दर में परिवर्तन.....	22
II.12 एनएचआई को प्रदान की गई /द्वारा पूरी की गई परियोजनाएं.....	24
II.13 नई रेलवे लाइनों हेतु प्राप्त किए गए लक्ष्य.....	24
II.14 कुल रोजगार तथा कामगार (मिलियन में).....	25
II.15 प्रति कामगार सकल मूल्य योजन तथा स्थिर कीमतों पर प्रति कामगार पारिश्रमिक	25
II.16 बेरोजगारी दर	26
II.17 मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति: थोक मूल्य सूचकांक.....	27
II.18 मुद्रास्फीति में अस्थिरता एवं परिवर्तन	27
II.19 खाद्य एवं ईंधन के सापेक्षिक मूल्य (डब्ल्यूपीआई)	28
II.20 मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां और उत्पादन अंतराल	28
II.21 खाद्य मुद्रास्फीति के संचालक	29
II.22 वैश्विक एवं घरेलू ईंधन मूल्य.....	30
II.23 खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति.....	31
II.24 वैश्विक पण्य कीमतों की प्रवृत्ति	35
II.25 डब्ल्यूपीआई और नई सीपीआई मुद्रास्फीति	35
II.26 ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी और मुद्रास्फीति.....	37
II.27 चलनिधि स्थितियां.....	39
II.28 ओएमओ के अंतर्गत चलनिधि में वृद्धि (+) / कटौती (-) / भारत सरकार की शेष राशि	39
II.29 मुद्रा आपूर्ति, रिजर्व मुद्रा वृद्धि (व-द-व) एवं मुद्रा गुणक	40
II.30 ऋण एवं जमाराशि की वृद्धि के बीच अंतर.....	40
II.31 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में परिवर्तन.....	43
II.32 बैंक ऑफ जापान द्वारा खरीदी गई आस्तियां और जापानी वित्तीय बाजार.....	45
II.33 कुल अंतरराष्ट्रीय रिजर्व आस्तियां - राशि और प्रतिशत हिस्सा	45
II.34 मुद्रा बाजार दर	46
II.35 सीडी निर्गमन और डब्ल्यूईआईआर	47
II.36 सीपी निर्गमन और डब्ल्यूएडीआर	47
II.37 सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल वक्र	48

II.38	औसत दैनिक मात्रा और 10 वर्षीय सामान्य प्रतिफल	48
II.39	5 वर्षीय कारपोरेट बांड का प्रतिफल.....	48
II.40	प्रतिभूतियों और कारपोरेट बांडों की ट्रेडिंग मात्रा	49
II.41	2012-13 के दौरान एसएमई आईपीओ द्वारा संसाधन जुटाना	49
II.42	आईपीओ द्वारा संसाधन जुटाने वाली एसएमई कंपनियों के वर्ग का ग्राफ	49
II.43	ईक्विटी बाजार में एफआईआई और म्यूचुअल फंडों का निवेश	50
II.44	बीएसई के वर्गवार सूचकांकों का संचलन.....	50
II.45	2012-13 में डेरीवेटिव संवर्ग में टर्नओवर	51
II.46	आवास मूल्य सूचकांक.....	54
II.47	केन्द्र सरकार के घाटे से संबंधित प्रमुख संकेतक.....	57
II.48	विनिवेश	57
II.49	केन्द्र सरकार की प्रमुख अनुषंगी संस्थाएं.....	57
II.50	चुनिन्दा व्ययों की प्रवृत्ति.....	58
II.51	भारत का पण्य व्यापार	59
II.52	सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि एवं आयात वृद्धि	60
II.53	अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों की प्रवृत्ति और पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेन्ट्स के आयात की मात्रा.....	60
II.54	पूंजी प्रवाहों (निवल) के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति.....	63
II.55	भारत और अमरीका के 10 वर्षीय खजाना बिलों पर होने वाली आय का अंतर	64
II.56	विनिमय दर की प्रवृत्ति और चालू खाता घाटा	64
II.57	भारतीय रुपये की मूल्यवृद्धि/मूल्यहास और अमरीकी डालर के मुकाबले उतार-चढ़ाव.....	65
III.1	अनुमानित भारित औसत उधार दरें - वास्तविक तथा सांकेतिक.....	72
VII.1	मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड का निर्गम.....	119

पाठ सारणियां

II.1	रोजगार में परिवर्तन	26
II.2	चुनिन्दा कृषि निविष्टि मूल्यों में वृद्धि	29
II.3	व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं का डब्ल्यूपीआई एवं सीपीआई मुद्रास्फीति का माध्यिका पूर्वानुमान, 5 वर्ष आगे और 10 वर्ष आगे का माध्यिका पूर्वानुमान	37
II.4	बैंक समूह-वार आस्ति गुणवत्ता संकेतक.....	41
II.5	प्राथमिक बाजार के रुझान	50
II.6	शेयर बाजार के मुख्य संकेतक	51
II.7	बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता संकेतक	65
III.1	मुद्रा बाजार दरों एवं बैंकों की जमाराशि/उधार दरों में घटबढ़	70
III.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की रूपात्मक (मॉडल) जमाराशि दरें तथा डब्ल्यूएएलआर (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर).....	71

III.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की क्षेत्र-वार माध्यिका उधार दरें (जिन पर 60 प्रतिशत कारोबार किया गया)	71
IV.1	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण.....	75
IV.2	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की वसूली	76
IV.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किया गया ऋण.....	77
IV.4	वित्तीय समावेशन योजना - आरआरबी सहित सभी बैंकों की प्रगति का सार.....	82
VI.1	चुनिंदा वित्तीय संकेतक.....	96
VI.2	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार विलयन/अधिग्रहण में वर्षवार प्रगति	108
VI.3	शहरी सहकारी बैंकों के विलयन/अधिग्रहण में राज्यवार प्रगति.....	108
VII.1	केन्द्र सरकार की सकल और निवल बाजार उधारियां.....	116
VII.2	केन्द्र सरकार का बाजार ऋण - एक प्रोफाइल.....	116
VII.3	भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम - परिपक्वता स्वरूप.....	117
VII.4	राज्यों की बाजार उधारियाँ	119
VII.5	बकाया राज्य विकास ऋणों और पावर बांडों की अवशिष्ट परिपक्वता प्रोफाइल.....	119
VII.6	अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग और राज्य सरकार का निवेश (औसत मासिक बकाया).....	120
VII.7	राज्यों ने कितने दिनों के लिए विशेष/सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग किया	120
VII.8	राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा मध्यवर्ती खजाना बिलों और नीलामी खजाना बिलों में निवेश.....	121
VIII.1	संचलन में बैंक नोट.....	123
VIII.2	संचलन में सिक्के	123
VIII.3	दिसंबर 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार करेंसी चेस्ट और छोटा सिक्का डिपो.....	124
VIII.4	बैंक नोटों की मांग एवं प्रेस द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को की गई आपूर्ति (अप्रैल-मार्च).....	124
VIII.5	सिक्कों की मांग एवं टकसालों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को की गई आपूर्ति (अप्रैल-मार्च).....	124
VIII.6	गंदे बैंक नोटों का निपटान एवं रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों को की गई बैंक नोटों की आपूर्ति	125
VIII.7	पता लगाए गए जाली नोट (अप्रैल-मार्च)	125
VIII.8	बैंकिंग प्रणाली द्वारा पता लगाए गए जाली नोट - मूल्यवर्ग-वार (अप्रैल-मार्च).....	126
IX.1	भुगतान प्रणाली के संकेतक - कुल वार्षिक कारोबार.....	128
X.1	रिजर्व बैंक प्रशिक्षण संस्थाएं - आयोजित कार्यक्रम	146
X.2	भारत और विदेश में स्थित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या.....	147
X.3	श्रेणी-वार वास्तविक स्टाफ संख्या (30 जून 2013 की स्थिति)	148
X.4	रिजर्व बैंक की कार्यालय-वार स्टाफ संख्या (30 जून 2013 की स्थिति).....	149
XI.1	सोने की धारिता.....	155
XI.2	जमाराशियां :अन्य.....	157

	पृष्ठ सं.
XI.3 अन्य देयताओं के विवरण.....	158
XI.4 आकस्मिक आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) में शेष राशियां	159
XI.5 मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा समकरण खाते (ईईए) और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में शेष राशियां.....	160
XI.6 विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण.....	161
XI.7 बैंकिंग विभाग का निवेश	161
XI.8 सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं.....	162
XI.9 अन्य आस्तियों का विवरण.....	163
XI.10 सकल आय.....	163
XI.11 विदेशी स्रोतों से अर्जन.....	164
XI.12 देशी स्रोतों से अर्जन.....	164
XI.13 व्यय	165
XI.14 एजेन्सी प्रभार	166
XI.15 सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां.....	167
XI.16 आकस्मिकता और आस्ति विकास आरक्षित निधि	173
XI.17(अ) विदेशी मुद्रा भंडार (रुपये में)	173
XI.17(आ): विदेशी मुद्रा भंडार (अमरीकी डॉलर में).....	173
XI.18 अधिवर्षिता देयताओं का बीमांकित मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए की गई पूर्वधारणा	174

संक्षेपाक्षर - सूची

एसीपी	-	वार्षिक ऋण योजना	बीएसई	-	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
एसीपी (अध्याय VI)	-	अथॉरिटी डि कंट्रोल प्रूडेंशियल	सीएबी	-	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
एडीएफ	-	स्वचालित डेटा प्रवाह	सीएडी	-	चालू खाता घाटा
एडीआर	-	अमरीकी निक्षेपागार रसीद	कैफरल	-	उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केन्द्र
एडीडब्ल्यूडीआरएस	-	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना	सीबीएलओ	-	संपाश्वर्कृत ऋण लेने और ऋण देने संबंधी बाध्यता
एईज	-	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	सीबीएस	-	कोर बैंकिंग समाधान
एएफए	-	अधिप्रमाणन का अतिरिक्त कारक	सीसीबी	-	केंद्रीय सहकारी बैंक
एआईएफआई	-	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	सीसीआई	-	निवेश संबंधी कैबिनेट समिति
एएसए	-	वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण	सीसीआईएल	-	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
एएसबीए	-	निरुद्ध राशि के द्वारा समर्थित आवेदन पत्र	सीसीपी	-	चेक संग्रहण नीतियां
एजीएल	-	कुल अंतराल सीमा	सीडी	-	जमा प्रमाण-पत्र
एआईआरबी	-	उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित	सीडीएस	-	ऋण चूक स्वैप
एएमए	-	उन्नत माप दृष्टिकोण	सीडीएस	-	विकास अध्ययन केन्द्र
एएमसी	-	आस्ति प्रबंधन कंपनी	सीईआरसी	-	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग
एएमएल	-	धनशोधन निवारण	सीईआरएसएआई	-	भारतीय प्रतिभूतीकरण, आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का केंद्रीय पंजीयन कार्यालय
एएनबीसी	-	समायोजित निवल बैंक ऋण	सीईओ	-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एपीएमसी	-	कृषि उत्पाद विपणन समिति	सीएफएसए	-	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन पर बनी समिति
एआरसीएच	-	आटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटरोस्केडास्टिसिटी	सीएफटी	-	आंतकवाद के वित्त पोषण को रोकना
एआरएमएस	-	लेखा-परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति	सीएफएम	-	कार्बन फुटप्रिंट मैपिंग
एटीबीज	-	नीलामी खजाना बिल	सीआईसी	-	केन्द्रीय सूचना आयोग
एटीएम	-	स्वचालित टेलर मशीन	सीआईसी	-	मूल निवेश कंपनियां
बीसी	-	बिजनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंट	सीआईएसओ	-	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
बीसीबीएस	-	बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति	सीआईटी	-	मार्गस्थ नगदी
बीसीएम	-	मुद्रा प्रबंधन बैंक	सीएनपी	-	बिना कार्ड
बीसीपीज	-	बासेल मूल सिद्धांत	सीएनएक्स	-	क्रिसिल एनएसई सूचकांक
बीसीएसबीआई	-	भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड	सीओआर	-	पंजीकरण प्रमाण-पत्र
बीई	-	बजट अनुमान	सीपी	-	वाणिज्यिक पत्र
बीएफएस	-	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड	सीपी (अध्याय IX)	-	कार्ड प्रयुक्त
बीआईसी	-	बायेशियन इंफोरमेशन क्रायटेरिया	सीपीजीआरएएमएस	-	केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
बीकेसी	-	बांद्रा-कुर्ला संकुल	सीपीआई	-	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
बीआईए	-	मूल संकेतक दृष्टिकोण	सीपीएसएस	-	भुगतान और निपटान प्रणाली समिति
बीओ	-	बैंकिंग लोकपाल	सीआरएआर	-	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
बीओजे	-	बैंक ऑफ जापान	क्रॉम्स	-	क्लीयरकार्प रिपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम
बीओपी	-	भुगतान संतुलन			
बीपीएम 6	-	भुगतान संतुलन नियम-पुस्तक 6			
बीपीओ	-	व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग			
बीएसबीडीए	-	मूल बचत बैंक जमा खाता			

संक्षेपाक्षर - सूची

सीआरआर	- आरक्षित नकदी निधि अनुपात	ईएल	- प्रत्याशित हानि
सीएसडी	- ग्राहक सेवा विभाग	ईओआई	- हित व्यक्त करना
सीएसएफ	- समेकित ऋण-शोधन निधि	ईओयू	- निर्यातोन्मुख इकाई
सीएसओ	- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय	ईपीसी	- अभियांत्रिकी, सरकारी खरीद और निर्माण
सीटीएस	- चेक ट्रेकेशन प्रणाली	ईपीजेड	- निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
सीवीए	- ऋण मूल्यांकन समायोजन	ईआरएम	- उद्यम-वार जोखिम प्रबंधन
सीडब्ल्यूसी	- केन्द्रीय भंडार गृह निगम	ईटीसी	- इलैक्ट्रॉनिक चुंगी संग्रहण
डीएआरपीजी	- प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग	ईटीएफ	- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड
डीबीटी	- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	ईडब्ल्यूजी	- पूर्व चेतावनी समूह
डीसीसी	- जिला परामर्शदात्री समिति	ईयू	- यूरोपीय संघ
डीसीसीबी	- जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	एफएंडओ	- फ्यूचर्स और ऑप्शंस
डीसीसीओ	- वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारंभ की तिथि	एफएओ	- खाद्य और कृषि संगठन
डीएफसी	- डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर	एफएएसबी	- वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड
डीजीसीए	- नागरिक उड्डयन महानिदेशक	एफसीसीबी	- विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
डीआईसीजीसी	- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	एफसीएनआर(बी)	- विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी)
डीआईएफ	- जमा बीमा कोष	एफसी-XIII	- तेरहवां वित्त आयोग
डीएलआरसी	- जिला स्तरीय समीक्षा समिति	एफसीज	- वित्तीय संगुट
डीएमआईसी	- दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर	एफसीआई	- भारतीय खाद्य निगम
डीओटीएस	- व्यापार सांख्यिकी की दिशा	एफडीआई	- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
डीपी	- डायनैमिक प्रावधान	एफईडी	- विदेशी मुद्रा विभाग
डीआर	- डिजास्टर रिकवरी	एफईएमए (फेमा)	- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
डीआरजी	- विकास अनुसंधान समूह	फईटीईआरएस	- विदेशी मुद्रा लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली
डीटीए	- देशी शुल्क क्षेत्र	एफआईएसी	- विदेशी समावेशन परामर्शदात्री समिति
डीटीसी	- प्रत्यक्ष कर कोड	एफआईआई	- विदेशी संस्थागत निवेशक
डीटीएल	- मांग और मीयादी देयताएं	एफआईएमएमडीए	- निश्चित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ
डीवीपी	- सुपुर्दगी बनाम भुगतान	एफआईपी	- वित्तीय समावेशन योजना
ईबीटी	- इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर	एफआईआरबी	- संस्था आंतरिक रेटिंग आधारित
ईसीबी	- यूरोपीय केन्द्रीय बैंक	एफएलसी	- वित्तीय साक्षरता केन्द्र
ईसीबीज	- बाह्य वाणिज्यिक उधार	एफएमसीजी	- तीव्र गतिशील उपभोक्ता वस्तुएं
ईसीसीएस	- द्रुतगामी चेक समाशोधन प्रणाली	एफआरए	- वायदा दर करार
ईसीएम	- भूल सुधार मॉडल	एफएसए	- ईंधन आपूर्ति करार
ईसीएस	- इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	एफएसएपी	- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
ईईएफसी	- विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा	एफएसबी	- वित्तीय स्थिरता बोर्ड
ईजीएआरसीएच	- एकपोनेशियल जनरलाइज्ड ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटरोस्केडॉस्टिसिटी	एफएसडीसी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
ईकेपी	- उद्यम ज्ञान पोर्टल	एफएसआई	- वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक
ईएमडीईज	- उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं		

संक्षेपाक्षर - सूची

एफएसएलआरसी	- वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग	आईआईबीएम	- भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान
एफएसआर	- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	आईआईएम	- भारतीय प्रबंध संस्थान
जी20	- 20 का समूह	आईआईपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
जीएएआर (गार)	- सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम	आईएमए	- आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण
जीएआरसीएच	- जनरलाइज्ड ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटरोस्केडस्टिसिटी	आईएमएफ	- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
जीडीसीएफ	- सकल घरेलू पूंजी निर्माण	आईएनआर	- भारतीय रुपया
जीआरएफ	- गांरटी मोचन निधि	इंड एस	- भारतीय लेखांकन मानक
जीडीपी	- सकल घरेलू उत्पाद	आईओएससीओ	- अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
जीडीआर	- वैश्विक निक्षेपागार रसीद	आईपी	- इंटरनेट प्रोटोकॉल
जीडीएस	- स्वर्ण जमा योजना	आईपीए	- जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट
जीएफसीई	- सरकारी अंतिम खपत व्यय	आईपीओ	- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
जीएफसीएफ	- सकल नियत पूंजी निर्माण	आईआरएसी	- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण
जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा	आईआरबी	- आंतरिक रेटिंग आधारित
जीएचजी	- ग्रीन हाउस गैस	इरडा	- बीमा नियामक विकास प्राधिकरण
जीओआई	- भारत सरकार	आईआरएफ	- इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम
जीएसडीपी	- सकल राज्य घरेलू उत्पाद	आईआरएफ	- ब्याज दर फ्यूचर्स
जी-सेक	- सरकारी प्रतिभूतियां	आईआरएफ	- अंतर नियामक फोरम
जीएसटी	- माल और सेवा कर	आईआरएस	- ब्याज दर स्वैप
जीवीए	- सकल मूल्य योजित	आईएस	- सूचना प्रणाली
एचसीएल	- हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	आईएसएसीए	- सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा और नियंत्रण संघ
एचएलएफसी	- उच्च स्तरीय संचालन समिति	आईएसओ	- अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन
एचपी	- हार्डिक प्रेसकॉट	आईएसओसी	- सूचना सुरक्षा परिचालन केंद्र
एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित	आईटी	- सूचना प्रौद्योगिकी
आईएएसबी	- अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड	आईटीबीज	- मध्यवर्ती खजाना बिल
आईबीएएन	- अंतरराष्ट्रीय बैंक खाता संख्या	आईटीईज	- अंतर- समूह लेनदेन और एक्सपोजर
आईबीपीएस	- भारत बिल भुगतान प्रणाली	आईटीपी	- भारत-अमुको प्रशिक्षण कार्यक्रम
आईसीसीएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	आईटीएससी	- सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति
आईसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	आईवीआरएस	- इंटरएक्टिव वायस रिस्पॉन्स सिस्टम
आईडीआरबीटी	- बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान	जेवी / डब्ल्यूओएस	- संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
आईएफसी	- भारतीय वित्तीय कोड	केएज	- प्रमुख विशेषताएं
आईएफआरएस	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक	केसीसी	- किसान क्रेडिट कार्ड
आईएफएससी	- भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड	केवाईसी	- अपने ग्राहक को जानिए
आईजीआईडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान	एलएबी	- स्थानीय क्षेत्र बैंक
आईआईबी	- मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड	एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा
		एलबीएस	- अग्रणी बैंक योजना
		एलसीआर	- चलनिधि कवरेज अनुपात

संक्षेपाक्षर - सूची

एलजीडी	- हानिदत्त चूक	एनजीओ	- गैर-सरकारी संगठन
एलआईसी	- भारतीय जीवन बीमा निगम	एनजी-आरटीजीएस	- अगली पीढ़ी आरटीजीएस
एलपीए	- दीर्घावधि औसत	एनएचएआई	- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एलपीजी	- लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस	एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक
एलआरएम	- चलनिधि जोखिम प्रबंधन	एनआईबीएम	- राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान
एलएसएपी	- व्यापक स्तरीय आस्ति खरीद	एनआईएम	- निवल ब्याज मार्जिन
एलटीवी	- मूल्य की तुलना में कर्ज	एनआईएमजेड	- राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र
एमए एंड एसटी	- प्रबंध लेखा परीक्षा और प्रणाली निगरानी	एनएमडीसी	- राष्ट्रीय खनिज विकास परिषद
एमसीए	- कंपनी कार्य मंत्रालय	एनएमपी	- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति
एमसीएक्स-एसएक्स-	- एमसीएक्स-एसएक्स समाशोधन निगम	एनओसी	- अनापत्ति प्रमाणपत्र
सीसीएल	लिमिटेड	एनओएफ	- निवल स्वाधिकृत निधि
एमडीआर	- व्यापारी छूट दर	एनओएफएचसी	- निष्क्रिय वित्तीय होल्डिंग कंपनी
एमएफ	म्यूच्युअल फंड	एनओओपी	- निवल एक दिवसीय ओपन पोर्जिशन
मिबॉर	- मुंबई अंतर-बैंक प्रस्ताव दर	एनओओपीएल (नूप्ल)	- निवल एक दिवसीय ओपन पोर्जिशन लिमिटेड
एमआईसीआर	- माइकर	एनपीए	- अनर्जक आस्तियां
एमओयू	- समझौता ज्ञापन	एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एमएमओयू	- बहु पक्षीय समझौता ज्ञापन	एनपीवी	- निवल वर्तमान मूल्य
एमएससीआई	- मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल	एनआर(ई)आरए	- अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता
एमएसई	- अति लघु और लघु उद्यम	एनआरई	- अनिवासी बाह्य
एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा	एनआरईजीए	- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमएसएमई	- अति लघु, लघु और मझोले उद्यम	एनआरआई	- अनिवासी भारतीय
एमटीएसएस	- धन अंतरण सेवा योजना	एनआरओ	- अनिवासी सामान्य
नाबार्ड	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	एनएससीसीएल	- राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड
एनएसीएच	- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह	एनएसई	- राष्ट्रीय शेयर बाजार
नाल्को	- राष्ट्रीय अलुमीनियम कंपनी लिमिटेड	एनएसएफई	- वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति
एनबीसीसी	- नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कापोरेशन लिमिटेड	एनएसएम	- नोट छंटाई मशीन
एनबीएफसी	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - इन्फ्रास्ट्रक्चर	एनएसएसओ	- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
-आईएफसी	वित्त कंपनियों	एनटीपीसी	- राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
एनबीएफसी	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों	ओबीसी	- अन्य पिछड़ा वर्ग
-एमएफआई	- माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं	ओबीई	- तुलनपत्रेतर एक्सपोजर
एनबीएफसीज़	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों	ओडी	- ओवरड्राफ्ट
एनसीडी	- अपरिवर्तनीय डिबेंचर	ओईए	- आर्थिक सलाहकार कार्यालय
एनसीएफई	- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र	ओईसीडी	- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
एनडीएफ	- गैर-सुपुर्दगी योग्य फॉरवर्ड	ओआईएल	- आयल इंडिया लिमिटेड
एनडीएस-ओएम	- एनडीएस-ऑर्डर मैचिंग प्रणाली		
एनईसीएस	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा		
एनईईआर	- सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर		
एनईएफटी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण		

संक्षेपाक्षर - सूची

ओआईएस	- एक दिवसीय सूचकांक स्वैप	आरबीआईक्यू	- आरबीआई अंतर-विद्यालय क्विज
ओएमसी	- तेल वितरण कंपनियों	आरबीआईडब्ल्यूपीएस	- आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज
ओएमओ	- खुला बाजार परिचालन	आरबीएस	- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
ओपीईसी	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन	आरबीएससी	- रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय
ओएफआरएस	- ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली	आरसीएफ	- राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड
ओटीसी	- ओवर दि काउंटर	आरडी	- राजस्व घाटा
ओवीएल	- तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड	आरई	- संशोधित अनुमान
पीएसीएस	- प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	आरईसीएस	- क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
पीएएन	- स्थायी खाता संख्या (पैन)	आरईईआर	- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
पीबी	- बुकिंग का मूल्य	आरएफपी	- प्रस्ताव के लिए अनुरोध
पीडीओ-एनडीएस	- लोक ऋण कार्यालय-तयशुदा लेन-देन प्रणाली	आरआईडीएफ	- ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि
पीडी	- प्राथमिक व्यापारी	आरएमए	- रॉयल मॉनिटरी अथॉरिटी
पीई	- मूल्य अर्जन	आरओए	- आस्तियों पर प्रतिलाभ
पीएफसीई	- निजी अंतिम खपत व्यय	आरओई	- इक्विटी पर प्रतिलाभ
पीएफएमआईज	- वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर सिद्धांत	आरआरबी	- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
पीपीआरडीए	- पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण	आरटीजीएस	- तत्काल सकल निपटान प्रणाली
पीआईओ	- भारतीय मूल के व्यक्ति	आरटीआई	- सूचना का अधिकार
पीएलएफ	- प्लॉट लोड फैक्टर	एस एंड पी	- स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स
पीएमएलए	- धनशोधन निवारण अधिनियम	एसएएआरसी (सार्क)	- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
पीएमओ	- प्रधान मंत्री कार्यालय	एसएआईएल (सेल)	- भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड
पीओएल	- पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट	एसबीसी	- स्वार्ज बाएशियन क्राइटेरियन
पीओएस	- बिक्री स्थान	एसबीएस	- श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग प्रणाली
पीपीआई	- उत्पादक मूल्य सूचकांक	एससीबी	- अनुसूचित वाणिज्य बैंक
पीपीआई	- पूर्वदत्त भुगतान लिखत	एसडीएल	- राज्य विकास ऋण
पीपीपी	- सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी	एसईएसीईएन	- दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक
पीएसबी	- सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	एसईबीआई (सेबी)	- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
पीएसएस	- पेरीमीटर सिक्क्यूरिटी सोल्युशन	एसईजेड	- विशेष आर्थिक क्षेत्र
पीएसय	- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	एसएचजी	- स्वयं सहायता समूह
क्यूई	- आर्थिक सहायता	एसआईडीबीआई (सिडबी)	- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
क्यूएआरसी	- पात्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट समीक्षा समिति	एसआईएफआई	- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं
क्यूआईपी	- पात्र संस्थागत प्लेसमेंट	एसएलबीसी	- राज्य स्तरीय बैंकर समिति
क्यूआरबी	- गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड	एसएलआर	- सांविधिक चलनिधि अनुपात
आर एंड डी	- अनुसंधान और विकास	एसएमई	- लघु और मझोले उद्यम
आरबीआई	- भारतीय रिजर्व बैंक	एसएमएम	- मानकीकृत मापन प्रणाली
आरबीआईए	- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा	एसओएफटीईएक्स (सॉफ्टेक्स)	- सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा
		एसपी	- विशिष्ट प्रावधान
		एसटीसीबी	- राज्य सहकारी बैंक
		एसटीसीसीएस	- अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा

संक्षेपाक्षर - सूची

एसटीसीआरसी	- अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण	वीए-पीटी	- वलनरेबिलिटी एसेसमेंट-पेनेट्रेशन टेस्टिंग
एसटीपीआई	- भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	वीएआर	- वेक्टर आटो रिग्रेसन
एसडब्ल्यूसी	- राज्य भंडार गृह निगम	वीएआर	- मूल्य जोखिम
एसडब्ल्यूआईएफटी (स्विफ्ट)	- विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार समिति	वीसी	- वीडिओ कॉन्फरेंसिंग
टी-बिल	- खजाना बिल	वीईसीएम	- वेक्टर त्रुटि शुद्धि मॉडल
टीईआरआई	- ऊर्जा और संसाधन संस्थान	डब्ल्यूएडीआर	- भारत औसत छूट दर
टीएफवाईपी	- बारहवीं पंचवर्षीय योजना	डब्ल्यूआईआईआर	- भारत औसत प्रभावी ब्याज दर
टीएसए	- मानकीकृत दृष्टिकोण	डब्ल्यूडीआरए	- भंडारगृह विकास और नियामक प्राधिकरण
यूआई	- संयुक्त अरब अमीरात	डब्ल्यूईएफ	- विश्व आर्थिक मंच
यूसीबीज	- शहरी सहकारी बैंक	डब्ल्यूएलएज	- व्हाइट लेबल एटीएम
यूसीआईसी	- विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड	डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
यूआईडी	- विशिष्ट पहचान संख्या	डब्ल्यूपीआई	- थोक मूल्य सूचकांक
यूएनसीटीएडी	- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन	एक्सबीआरएल	- एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
यूएस	- संयुक्त राष्ट्र	वाईटीएम	- परिपक्वता प्रतिफल
यूवीआई	- इकाई मूल्य सूचकांक	जेडटीसी	- आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र

**यह रिपोर्ट इंटरनेट URL : www.rbi.org.in
पर भी देखी जा सकती है**

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

वर्ष 2012-13 के दौरान समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों में गिरावट आयी जिनके चलने वर्ष 2013-14 में अब तक कई चुनौतियां उभरकर सामने आयी हैं। ढांचागत कठिनाइयों और कमजोर बाह्य मांग के कारण वर्ष 2012-13 में वृद्धि में और कमी आयी। इसके अलावा, चालू खाता घाटा बढ़ने, वर्ष के प्रारंभिक भाग में उच्च राजकोषीय घाटे तथा आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था की कमजोरियां उभरकर सामने आयीं। इन घटनाक्रमों पर विचार करके रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक सुगमता के नपे-तुले उपाय किये जिससे पिछले दो वर्षों से मौद्रिक कठोरिकरण का संप्रेषण पूरा हो सका। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के परवर्ती भाग में हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आयी जिसमें ऋणात्मक उत्पादन अंतराल ने भी आंशिक योगदान दिया। वर्ष की दूसरी छमाही में समूहित प्रयासों से राजकोषीय घाटे में पर्याप्त सुधार लाने में मदद मिली। तथापि आर्थिक सहायता में संभावित कमी लाये जाने के अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के संकेतों के बाद, वैश्विक ब्याज दर चक्र में विपरीतता आते रहने के साथ समष्टि-आर्थिक जोखिम पर्याप्त बढ़ते जा रहे हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं वाले देश, विशेषतः वे जो चालू खाता घाटा झेल रहे हैं, पूंजी के बहिर्वाह के कारण दबाव में आ चुके हैं। विदेशी मुद्रा बाजार की अनिश्चितता दूर करने और चालू खाता घाटे को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने कई कदम उठाये हैं। तथापि वैश्विक जोखिमों और घरेलू ढांचागत कठिनाइयों ने वर्ष 2013-14 में अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावनाओं पर पानी फेर दिया है तथा चालू खाता घाटा कम करने और राजकोषीय सुदृढीकरण के मार्ग पर बने रहने के मामले में तात्कालिक चुनौतियां पैदा कर दी हैं। ऐसे परिवेश में, सतत वृद्धि बनाये रखने के लिए, समष्टि-वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।

I.1 वर्ष 2012-13 में वृद्धि दर कम होकर दस वर्षों के सबसे निचले स्तर 5.0 प्रतिशत पर आ गयी। सेवाक्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में मंदी और अधिक व्यापक हो गयी। बाह्य आघात के कारण वर्ष 2008-09 में वृद्धि के 6.7 प्रतिशत के निचले स्तर पर रहने के बावजूद, वर्ष 2005-06 से 2010-11 के दौरान यह औसतन 8.8 प्रतिशत रही। मुख्यतः ढांचागत कठिनाइयों और अभिशासन संबंधी समस्याओं के चलते बाद में मंदी और बढ़ गयी, यद्यपि उच्च मुद्रास्फीति, मौद्रिक कठोरिकरण तथा वैश्विक कारकों ने भी इसमें योगदान किया।

I.2 औद्योगिक कार्यनिष्पादन की दृष्टि से, खनन संबंधी उत्पादन में लगातार दूसरे वर्ष कमी आयी क्योंकि अस्पष्ट विनियामक परिवेश के बीच अल्पावधि में आपूर्ति संबंधी अपर्याप्त पूरक उपायों तथा

अवैध खनन पर कड़ाई से रोक लगाने के साथ, ढांचागत व्यवधान उभरकर सामने आये। कोयला और लौह अयस्क के खनन पर विशेष प्रभाव पड़ा तथा उसके परिणामस्वरूप कोयले की कमी के प्रभाव से बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति में व्यवधान पड़ा जिससे उसके वर्तमान उत्पादन और निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विनिर्माण संबंधी उत्पादन प्रायः रुक सा गया तथा वर्ष 2012-13 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि अत्यंत कम 1.0 प्रतिशत हो गयी क्योंकि ढांचागत कठिनाइयों तथा अभिशासन संबंधी समस्याओं ने उत्पादन की गतिविधि को अवरुद्ध कर दिया। बाह्य और घरेलू मांग-दोनों की वृद्धि में चक्रीय कारणों से कमी आयी। विश्व व्यापार में वृद्धि में कमी आने के कारण निर्यात मांग कम रही। घरेलू मांग में कमी आने का आंशिक कारण उच्च मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए किए गए मौद्रिक कठोरिकरण के प्रभाव का जनवरी 2010 से अक्टूबर

* भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, लेकिन कई चरों से संबंधित आंकड़े वित्त वर्ष अर्थात् अप्रैल-मार्च के आधार पर उपलब्ध हैं। अतः ऐसे आंकड़ों का विश्लेषण वित्त वर्ष के आधार पर किया गया है। संबंधित आंकड़े उपलब्ध होने पर, उन्हें मार्च 2013 के बाद के लिए भी अद्यतन किया गया है। विश्लेषण के प्रयोजन से तथा नीतियों का उपयुक्त परिदृश्य उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों तथा भावी अवधि के संदर्भ भी दिये गए हैं।

2011 के दौरान विलंब से आना था। स्थान और समय की दृष्टि से मानसून में कमी आने का प्रभाव खरीफ के उत्पादन पर पड़ा और परिणामतः कृषि वृद्धि दर भी सामान्य वृद्धि की प्रवृत्ति दर से नीचे आ गयी। दो वर्षों की औद्योगिक मंदी तथा मांग में आई कमी के कारण सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में भी मंदी आई।

I.3 वृद्धि के संभावित क्षमता से कम रहने के कारण पैदा हुए ऋणात्मक उत्पादन अंतराल तथा अतीत में किये गये मौद्रिक कठोरीकरण के कारण, वर्ष के अंतिम भाग में हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में कमी आयी। हेडलाइन मुद्रास्फीति ने, जो वर्ष 2009-10 की दूसरी छमाही में तेजी से बढ़कर दो अंकों में पहुँच गयी थी, रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीतिरोधी मौद्रिक नीति रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। चूंकि वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान मुद्रास्फीति औसतन दो अंकों के आसपास रही, इसलिए रिजर्व बैंक इसी रुख पर कायम रहा। जनवरी 2010 और अक्टूबर 2011 के बीच प्रभावी नीति दर में 5.25 आधार अंकों की संचयी वृद्धि करके (3.25 प्रतिशत के रिवर्स रिपो रेट से 8.5 प्रतिशत रिपो रेट तक) और 5.00 प्रतिशत के आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 100 आधार अंक बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत करके मौद्रिक नीति को और कठोर बनाया गया। मौद्रिक कठोरीकरण को एक लंबे समय के बीच जारी रखा गया क्योंकि संकट के बाद उपलब्ध कराये गये आर्थिक पैकेज के परिणामस्वरूप कम हो चुकी नीति दरों को बढ़ाया जाना था। उस दौरान मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं उच्च स्तर पर बनी रहीं।

I.4 यद्यपि वर्ष 2011-12 की पहली छमाही में वृद्धि में कमी आने लगी थी, तथापि मुद्रास्फीति दो अंकों के आस-पास बनी रही जिससे रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को कठोर बनाये जाने के लिए प्रेरित हुआ। लेकिन मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों में वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में कमी आने का संकेत मिलने के बाद, रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2011 में मध्य तिमाही समीक्षा में मौद्रिक कठोरीकरण का काम रोक दिया। यह संकेत मिलने के बाद कि मुद्रास्फीति में अनुमानों के अनुसार कमी आ रही है तथा मांगपक्ष संबंधी दबाव कम हो रहे हैं, रिजर्व बैंक ने वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 125 आधार अंकों की भारी कमी करके तथा बैंकिंग प्रणाली को अधिक चलनिधि सुलभ कराकर मौद्रिक सुलभता का आधार तैयार किया। इसके बाद नीति दर में 100 आधार अंकों की कटौती की गयी, वर्ष 2012-13 के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात में संचयी आधार पर 75 आधार अंकों की भारी कमी की

गई, सांविधिक चलनिधि अनुपात में 100 आधार अंकों की कटौती की गई तथा खुला बाजार परिचालनों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को 1.5 ट्रिलियन रुपये की चलनिधि उपलब्ध करायी गई। व्यापक राजकोषीय और चालू खाता घाटे के रूप में दोहरे घाटे से समष्टि-आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिमों के बढ़ने और मुद्रास्फीति के बने रहने से, मुख्यतः ढांचागत व्यवधानों और अभिशासन संबंधी समस्याओं के कारण, वृद्धि में गिरावट आने के बावजूद, रिजर्व बैंक अधिक वृद्धि समर्थक रुख नहीं अपना सका। अपेक्षित राजकोषीय सुधार वर्ष में बाद में आया लेकिन तब तक चालू खाता घाटे संबंधी चिंताएं बढ़ चुकी थीं और सबसे बड़े समष्टि-आर्थिक जोखिम के रूप में उभरकर सामने आ चुकी थीं।

I.5 रिजर्व बैंक ने वृद्धि समर्थक मौद्रिक नीति रुझान को जारी रखते हुए मई 2013 के प्रारंभ में रिपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी करके उसे 7.25 प्रतिशत पर ला दिया। तथापि, बाद में 22 मई 2013 को फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष द्वारा आर्थिक सहायता में कमी लाये जाने के संबंध में वक्तव्य दिये जाने के बाद वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों में भारी बदलाव आया। इसके कारण पूरे विश्व में बांडों की भारी बिक्री बढ़ी जिसके परिणामस्वरूप भारत सहित अन्य उभरते बाजारों से पूंजी का भारी बहिर्वाह हुआ और पूरे विश्व में उभरते बाजार वाले देशों की मुद्राओं पर पर्याप्त दबाव पड़ा। वैश्विक और घरेलू समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों तथा चालू खाता घाटा संबंधी जोखिमों का ध्यान रखते हुए, रिजर्व बैंक ने 17 जून 2013 की मध्य तिमाही समीक्षा में कोई नये कदम नहीं उठाये। फेडरल रिजर्व के इस संकेत के बाद कि वर्ष 2014 के मध्य तक वह आर्थिक सहायता पूरी तरह बंद कर देगा, वित्तीय बाजारों पर दबाव तेज हो गया तथा परिणामतः पोर्टफोलियो निवेश संबंधी प्रवाह रुक गये और उनमें प्रतिकूलता की स्थिति पैदा हो गयी। पूंजी का बहिर्वाह जारी रहने के कारण वर्ष 2013-14 के दौरान चालू खाता घाटे के वित्तीयन के संबंध में चिंताएं पैदा हुईं। इन कठिनाइयों के बीच 22 मई से 15 जुलाई के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का 7.5 प्रतिशत मूल्यहास हुआ और विदेशी मुद्रा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। 27 मई से 29 अगस्त 2013 के बीच लगभग 14.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बड़ा विदेशी संस्थागत निवेशक बहिर्वाह हुआ जिसके कारण विनिमय दर पर तेज अधोगामी दबाव पड़ा।

I.6 उत्तर स्वरूप, विदेशी मुद्रा बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने 15 जुलाई 2013 को चलनिधि के

कठोरीकरण के उपायों की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने 23 जुलाई 2013 और 8 अगस्त 2013 को भी इस संबंध में अतिरिक्त उपायों की घोषणा की। इन उपायों के अंतर्गत सीमान्त स्थायी सुविधा दर और बैंक दर में 200 आधार अंकों की वृद्धि करके उन्हें 10.25 प्रतिशत किया जाना, खुला बाजार विक्री में 120 बिलियन रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की घोषणा करना, प्रत्येक अलग-अलग बैंक के लिए, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत उधार लेने के मामले में संबंधित बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निश्चित करना तथा न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के रखरखाव की सीमा, पाक्षिक आधार पर, 70 प्रतिशत की दैनिक औसत अपेक्षा से बढ़ाकर 99 प्रतिशत किया जाना शामिल थे। इसके अलावा पहले के उपायों की समीक्षा करने के बाद रिजर्व बैंक ने 8 अगस्त 2013 को भारत सरकार के नकदी प्रबंधन बिलों की नीलामी की भी घोषणा की। तदनुसार बाद वाले सप्ताह में 220 बिलियन रुपये के नकदी प्रबंधन बिलों की नीलामी की गई।

I.7 घरेलू चलनिधि को प्रतिबंधित किये जाने की रणनीति के परिणामस्वरूप रुपये की कीमत में तुरंत स्थिरता आ गयी लेकिन मुद्रा और ऋण बाजारों में ब्याज दरें बढ़ गयीं। 15 जुलाई से 29 जुलाई के बीच रुपये की कीमत 1.3 प्रतिशत बढ़ी। इस पृष्ठभूमि में रिजर्व बैंक ने 30 जुलाई 2013 को घोषित पहली तिमाही समीक्षा में नीति दरों और आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं के बारे में किसी नये कदम की घोषणा नहीं की। रिजर्व बैंक ने अपने पुरोगामी मार्गदर्शन में संकेत दिया कि विदेशी मुद्रा बाजार में जैसे-जैसे स्थिरता आती जायेगी, सावधानी बरतते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि के कठोरीकरण के लिए किये गये उपायों को वापस ले लिया जायेगा ताकि मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति पर बारीकी से नज़र रखते हुए, वृद्धि के लिए भी सहायक बन सके। नीति की घोषणा के बाद की समीक्षा में पाया गया कि रुपये पर नये दबाव बढ़ने लगे तथा जुलाई के अंत तक दो दिनों के भीतर इसकी कीमत 3.0 प्रतिशत घट गयी।

I.8 अगस्त में रुपये की कीमत में उतार-चढ़ाव जारी रहने, जुलाई और अगस्त 2013 के आरंभ में चलनिधि की परिस्थितियों को आसान बनाये जाने तथा चलनिधि की स्थितियों के पुरोगामी आकलन के बीच सरकार और रिजर्व बैंक ने नकदी प्रबंधन बिलों की नीलामी करने का निर्णय लिया।

I.9 विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव में तेज़ी आने के बाद रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार में स्थिरता कायम करने के लिए गैर-परंपरागत उपायों का सहारा लिया ताकि समष्टि-वित्तीय परिस्थितियां धारणीय वृद्धि के लिए सहायक बनी रहें। इस परिप्रेक्ष्य में, रिजर्व बैंक के उपायों को, पूंजी के अंतर्वाह के लिए अनुकूल परिवेश निर्मित करने हेतु नीतियां बनाने तथा सोने के आयात को हतोत्साहित करने के उपायों के समेकित पैकेज के अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। तथापि आंतरिक और बाह्य संतुलन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, बचत और निवेश में वृद्धि करते हुए, चालू खाता घाटे में कमी लाने और वृद्धि की गति तेज़ करने के लिए, ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए पूरक उपाय भी करने होंगे।

वर्ष 2012-13 का आकलन

I.10 वर्ष 2012-13 में मंद वृद्धि, लगातार बनी रही मुद्रास्फीति, बड़े राजकोषीय और चालू खाता अंतराल तथा आस्ति गुणवत्ता में गिरावट देखने में आई। इस प्रकार, मौद्रिक नीति के सामने बहुत कठिन विकल्प थे। लगातार दूसरे वर्ष वृद्धि में और अधिक गिरावट आने और उसके प्रवृत्ति से नीचे रहने के कारण, सामान्यतः नीतिगत प्रतिक्रिया एक लचीली मौद्रिक नीति की होती। रिजर्व बैंक ने निस्संदेह मौद्रिक नीति को सहज बनाया लेकिन उसने एक सोची-समझी नीति के तहत ही ऐसा किया। उद्योग क्षेत्र और वित्तीय बाजारों ने मौद्रिक नीति में और अधिक उदारता की मांग की। इसके साथ-साथ, इस बात को लेकर भी चिंता थी कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति लोगों को प्रभावित कर रही थी और रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक कुशलता को क्षति पहुंचा रही थी और चालू खाता घाटा, निवेश तथा दीर्घावधि वृद्धि पर उसके प्रतिकूल प्रभावों के चलते घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत में कमी आ रही थी। रिजर्व बैंक ने निस्संदेह समूची जानकारी और सभी विकल्पों पर भलीभांति विचार किया और, जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ता गया, उसने समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए मौद्रिक नीति तैयार की।

I.11 2012-13 की गतिविधियों का आकलन करते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि (i) 2012-13 में वृद्धि में और अधिक कमी क्यों हुई, (ii) 2011-12 के अंत में कुछ कम होने के बाद, मुद्रास्फीति अपनी वृद्धि-तटस्थ सीमा से अधिक क्यों बनी रही, (iii) दूसरी छमाही में राजकोषीय कटौती से पहले 2012-13 की पहली

छमाही में राजकोषीय घाटा और क्यों बढ़ गया और (iv) चालू खाता घाटा क्यों बढ़ा तथा बाह्य क्षेत्र की कमजोरियों ने किस प्रकार अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला।

आर्थिक मंदी के कारण

I.12 वृद्धि संबंधी मंदियां अक्सर चक्रीय कारणों या संरचनात्मक आघातों से जुड़ी होती हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में वास्तविक कारोबारी चक्र आघात कहा जाता है। चक्रीय कारण अस्थायी स्वरूप के होते हैं, जबकि संरचनात्मक आघात बने रहते हैं क्योंकि अपनी प्रकृति के कारण वे तब तक बने रहते हैं जब तक कि नए, स्थायी आघात वृद्धि को उत्पादन के भिन्न स्तर पर किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। चक्रीय आघात वृद्धि में बढ़ोतरी या कमी करते हैं या भारी उछाल या भारी गिरावट के स्वरूप के होते हैं। स्थायी आघात सामान्यतया उत्पादकता परिवर्तन, जनसंख्या संबंधी परिवर्तनों, युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं, संरचनात्मक घाटों जैसे वास्तविक कारोबारी चक्र के कारकों तथा अन्य संरचनात्मक कारकों से जुड़े होते हैं।

I.13 पिछले दो वर्षों में, हालांकि मंदी का कुछ भाग चक्रीय कारणों से हुआ है, लेकिन संरचनात्मक बाधाओं ने मंदी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई (बॉक्स II.1)। अभिशासन संबंधी कारणों से खनन गतिविधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विनिर्माण गतिविधि में कमी का प्रमुख कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के सामने उपस्थित संरचनात्मक मुद्दों के कारण निवेश का कम होना था। इसके अलावा, वैश्विक कारकों ने भी वर्तमान वृद्धि में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक वृद्धि 2012 में कम होकर 3.1 प्रतिशत रह गई, जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2009 में शुरू हुई गिरावट के बाद से न्यूनतम है। इसी प्रकार, वैश्विक व्यापार पिछले वर्ष के 6.0 प्रतिशत की तुलना में और उससे पूर्ववर्ती वर्ष के 12.5 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम होकर 2.5 प्रतिशत रह गया। परिणामस्वरूप, बाह्य मांग में कमी आई और अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान कठिन हो गया।

I.14 वृद्धि में कमी, बहुत अधिक सीमा तक, निवेश में आई कमी का परिणाम है। वर्ष 2012-13 में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए निवेश संबंधी परिवेश कमजोर रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान नियोजित उन नई परियोजनाओं की कुल लागत, जिनके लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने वित्तीय सहायता मंजूर की थी या जिनके लिए निधि की व्यवस्था बाह्य वाणिज्यिक उधारों/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों/घरेलू बाजार में पूंजी बाजार निर्गमों के माध्यम से की गई थी, 2,634 बिलियन रुपये थी जबकि वर्ष 2011-12 में ऐसी परियोजनाओं की लागत

2,509 बिलियन रुपये थी। इसके अलावा, पहले मंजूर की गई कई परियोजनाएं हाल के वर्षों में निरस्त कर दी गई थीं। वर्ष 2012-13 में निवेश संबंधी योजना में विद्युत और धातु तथा धातु उत्पाद उद्योगों की परियोजनाओं की लागत सबसे अधिक थी।

I.15 प्रस्ताव के स्तर पर अनुध्यात ऐसी परियोजनाओं पर होने वाले व्यय के समयानुसार चरणबद्ध विवरणों के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक पूंजी व्यय वर्ष 2011-12 की तुलना में कम था तथा अब तक उपलब्ध संकेत यह बताते हैं कि वर्ष 2013-14 में इसमें और कमी आएगी।

I.16 मंदी में गैर-मौद्रिक कारकों की प्रमुख भूमिका और लगातार उच्च मुद्रास्फीति के बने रहने के कारण अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के काम में मौद्रिक नीति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सामान्यतया यह स्वीकार किया जाता है कि यथोचित रूप से मूल्य स्थिरता देकर मौद्रिक नीति वृद्धि पर अच्छा प्रभाव डाल सकती है। लचर मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर स्थायी प्रभाव डाल सकती है, और बदले में, वास्तविक तथा संभावित वृद्धि को कम कर सकती है। दूसरी ओर, वृद्धि पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव इस अर्थ में सीमित होता है कि यह उत्पादन के स्तर को प्रतिक्रिये की तरिके से प्रभावित कर सकती है। यदि संभावना से कम उत्पादन में चक्रीय कमी आती है तो मौद्रिक नीति को सहज बनाकर समग्र मांग में वृद्धि लाने का प्रयास किया जा सकता है। यदि अर्थव्यवस्था ओवरहीट हो जाती है और संभावित आउटपुट से उच्च स्तर पर काम करती है, तो मुद्रास्फीति में कमी लाने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त करना और उसे उसकी क्षमता के स्तर पर लाना महत्वपूर्ण हो जाता है। वृद्धि में दीर्घकालिक परिवर्तन मुख्यतया प्रौद्योगिकी, उत्पादकता-आघात और ऐसी राजकोषीय नीतियों के कारण होते हैं जो बचत और निवेश को प्रभावित करती हैं। मौद्रिक नीति का वृद्धि की अपेक्षा मुद्रास्फीति पर अधिक ध्यान इसलिए भी होता है क्योंकि मुद्रास्फीति के वितरणात्मक परिणाम होते हैं और उसकी कल्याण से जुड़ी लागतें होती हैं जिनसे निर्धन वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इन बातों ने रिजर्व बैंक की नीतियों में वृद्धि-मुद्रास्फीति के बीच के संतुलन को प्रभावित किया हालांकि वृद्धि में कमी देखने में आई।

मुद्रास्फीति का लगातार बने रहना

I.17 हेडलाइन मुद्रास्फीति वर्ष 2012-13 में, उसके पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में कम स्तर पर रही। औसत आधार पर, हेडलाइन

मुद्रास्फीति कम होकर 7.4 प्रतिशत हो गई जबकि 2011-12 में वह 8.9 प्रतिशत तथा उससे एक वर्ष पहले 9.6 प्रतिशत थी। हेडलाइन मुद्रास्फीति 2011-12 की चौथी तिमाही में कम होने के बाद उसी स्तर पर बनी रही। यह मुख्यतया पूरे वर्ष में उच्च खाद्य और इंधन मुद्रास्फीति की सूचक है। इसलिए वैश्विक पण्य मूल्यों और मांग संबंधी दबावों में कमी के कारण 2012-13 की पहली छमाही में हालांकि खाद्येतर विनिर्माण मुद्रास्फीति और कम हो गई, लेकिन समग्र थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लगातार बनी रही। इस वर्ष में ऋणात्मक उत्पादन अंतराल से मुद्रास्फीति को सहज करने में सहायता मिली, लेकिन आपूर्ति संबंधी बाधाओं का भी सामना करना पड़ा।

I.18 खाद्यान्न मुद्रास्फीति का कारण था - फरवरी-अप्रैल 2012 के दौरान सब्जियों के मूल्य में असामान्य वृद्धि, वर्ष में बाद में मानसून में विलंब के कारण अनाज के मूल्यों में वृद्धि और न्यूनतम समर्थन मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि। इंधन मुद्रास्फीति में मुख्यतया वर्ष के दौरान प्रशासित दरों का प्रभाव दिखाई दिया जिसके चलते दबी हुई मुद्रास्फीति उभरकर सामने आई। वृद्धि में उल्लेखनीय कमी और न्यून वैश्विक पण्य मूल्यों के साथ पिछली मौद्रिक सख्ती ने 2012-13 की दूसरी छमाही में विनिर्मित खाद्येतर उत्पाद मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट और 2013-14 पहली तिमाही में और अधिक गिरावट में योगदान दिया। परिणामस्वरूप, खाद्य और इंधन मुद्रास्फीति के दबाव के बावजूद, मार्च 2013 में 5.7 तक तीव्र गिरावट और 2013-14 की पहली तिमाही में 5 प्रतिशत से नीचे आने से पहले हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2012-13 के पहले 11 महीने में 7-8 प्रतिशत के बीच रही। विनिर्मित खाद्येतर उत्पाद मुद्रास्फीति 2013-14 में और कम हो गई है और जुलाई 2013 में यह 2.4 प्रतिशत थी।

राजकोषीय असंतुलन और उसका विपर्यय : दो छमाहियों की कहानी

I.19 राजकोषीय गतिविधियों को 2012-13 के दौरान दो भागों में बांटा गया। 2012-13 की पहली छमाही में राजकोषीय गिरावट इस स्तर तक पहुंच गयी कि उससे समष्टि-स्थिरता बुरी तरह प्रभावित हो सकती थी। लेकिन 2012-13 की दूसरी छमाही में उसी प्रकार की भारी राजकोषीय कटौती देखने में आयी, हालांकि सब्सिडी के बजट अनुमान से बहुत अधिक हो जाने के कारण, योजना राजस्व व्यय और योजना तथा गैर-योजना पूंजी व्यय पर समायोजन का

बहुत अधिक भार पड़ा। ऐसे समय जबकि अर्थव्यवस्था में निजी निवेश कम था, सरकार के पूंजी व्यय में कमी होना अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश और वृद्धि के लिए खराब संकेत था। दूसरी छमाही के दौरान किए गए राजकोषीय बदलाव की महत्ता का निर्णय देश के सम्मुख दोहरे खाटे के जोखिमों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

I.20 वर्ष की दूसरी छमाही में किए गए राजकोषीय सुधार से, केंद्र सरकार की सकल राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ क्योंकि यह घाटा वर्ष 2011-12 के सकल घरेलू उत्पाद के 5.7 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.7 प्रतिशत 4.9 प्रतिशत हो गया। इस प्रक्रिया में, वर्ष 2012-13 में वास्तविक राजकोषीय घाटा केंद्रीय बजट में अनुमानित स्थिति की तुलना में बहुत कम हो गया।

I.21 वर्ष 2012-13 में सकल राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण मुख्यतया कर में और करेतर राजस्व में कमी लाकर किया गया। कुल व्यय बजट अनुमान की तुलना में कम था जिसका मुख्य कारण था निम्नतर योजना व्यय (बजट अनुमान का 79.5 प्रतिशत)। कुल व्यय में पूंजी व्यय का अंश कम हो गया। वस्तुतः 2011-12 की तुलना में 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद में पूंजी परिव्यय का अनुपात कम था। हालांकि हेडलाइन घाटे को कम करने की आवश्यकता के कारण संघटनात्मक परिवर्तन करना आवश्यक रहा होगा, लेकिन इससे राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता के संबंध में चिंता जरूर पैदा होती है। मध्यावधि में, राजस्व व्यय को कम करने, कर राजस्व को बढ़ाने और सब्सिडी को कम करने पर प्रयास केंद्रित किए जाने चाहिए ताकि स्थायी वित्तीय समेकन किया जा सके।

वर्ष 2012-13 में बाह्य क्षेत्र में पैदा हुई दुर्बलता

I.22 चालू खाता घाटे के, पिछले वर्ष के सकल देशी उत्पाद के 4.2 प्रतिशत के उच्च स्तर के स्थान पर, सकल देशी उत्पाद के 4.8 प्रतिशत के ऐतिहासिक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाने के कारण वर्ष 2012-13 में बाह्य क्षेत्र की दुर्बलताएं उभरकर सामने आ गईं। मोटे तौर पर अत्यधिक मात्रा में तेल एवं सोने का आयात किए जाने और निर्यात की गति धीमी होने के कारण चालू खाता घाटा बढ़ गया।

I.23 सोने के आयात पर अंकुश लगाने के लिए मार्च 2012 में सोने पर लगाए जाने वाले 2 प्रतिशत के आयात शुल्क को दुगुना करके 4 प्रतिशत कर दिया गया तथा इसके बाद जनवरी 2013 और जून 2013 में इसे क्रमशः 6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, अगस्त 2013 में सोने, प्लैटिनम, रिफाइंड

गोल्ड बार और सिलवर बार पर दो-दो प्रतिशत सीमाशुल्क बढ़ा दिया गया जिससे सोने पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, रिजर्व बैंक विभिन्न विनियामक कदम उठाकर सोने के आयात को नियंत्रित कर रहा है। मार्च 2012 में रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निदेश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि सोने के आभूषणों की जमानत पर दिए जाने वाले ऋण, किसी भी दशा में, सोने के मूल्य के 60 प्रतिशत से अधिक न हों। रिजर्व बैंक ने मई 2012 में बैंकों से कहा कि वे ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक एक्सपोजर की उच्चतम सीमा में कटौती करें जिसके सोने के ऋण की मात्रा उसकी अपनी वित्तीय आस्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक हो। नवंबर 2012 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे कार्यशील पूंजी वित्त को छोड़कर सोने की किसी भी प्रकार की खरीद के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तपोषण करना बंद कर दें।

I.24 रिजर्व बैंक ने 2013 में सोने के सिक्कों की जमानत पर दिए जाने वाले अग्रिमों की सुविधा पर प्रति ग्राहक अधिकतम 50 ग्राम की उच्चतम सीमा का प्रतिबंध लगा दिया। जून 2013 में उसने ऐसी सभी विनिर्दिष्ट एजेंसियों/ प्रीमियर/ स्टार ट्रेडिंग हाउसों पर भी यह प्रतिबंध लगाया जिन्हें सोने का आयात करने की अनुमति प्राप्त है। साथ ही, उसने यह शर्त लगाई कि सोने के आयात हेतु 100 प्रतिशत नकदी मार्जिन के आधार पर ही साख-पत्र जारी किया जाए तथा ऐसा निर्गम भुगतान पर देय प्रलेख के आधार पर हो। जुलाई 2013 में उसने सरकार के साथ परामर्श करके सोने की आयात योजना में संशोधन किया जिसके अनुसार विनिर्दिष्ट बैंकों / एजेंसियों द्वारा आयातित सोने की कुल मात्रा का 20 प्रतिशत हिस्सा कस्टम बांडेड वेयरहाउसों में रखा जाना चाहिए और नए आयात केवल उस स्थिति में किये जा सकेंगे जब कस्टम बांडेड वेयरहाउसों में शेष रहने वाले सोने के कम-से-कम 75 प्रतिशत के हिस्से का निर्यात किया जा चुका हो। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने परेषण आधार पर आयातित सोने, साख-पत्र संबंधी प्रतिबंधों आदि से संबंधित पूर्ववर्ती अनुदेशों को वापस ले लिया। इन अनुदेशों को अगस्त 2013 में और स्पष्ट / संशोधित किया गया तथा सिक्कों और मेडल के रूप में सोने के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा, घरेलू इस्तेमाल के लिए सोने के निर्मोचन हेतु पहले पूर्ण भुगतान कर दिया जाना अनिवार्य बना दिया गया।

I.25 इस बीच, राजकोषीय सब्सिडी को कम करने और तेल की मांग पर अंकुश लगाने के लिए मूल्य संबंधी प्रभावों को साकार

करने तथा चालू खाता घाटे को कम करने में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से सरकार ने डीजल के मूल्य में बढ़ोतरी की तथा सितंबर 2012 में सब्सिडी-प्राप्त एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पर उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी। इसके बाद जनवरी 2013 में उसने मासिक समायोजन की अनुमति देकर डीजल के मूल्य को आंशिक रूप से अविनियमित कर दिया। उम्मीद है कि इन उपायों से तेल की मांग कुछ हद तक कम होगी। तथापि, तेल एवं गैस के मूल्य अब भी पूरी तरह बाजार द्वारा निर्धारित नहीं हो पाए हैं और स्वतंत्र मूल्य निर्धारण पद्धति के अभाव में, मांग में होने वाली कमी व्यापार घाटे में वांछित स्तर तक कमी लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

I.26 विदेशी मुद्रा बहिर्वाह में कमी लाने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने 14 अगस्त 2013 को कुछ उपाय किए। इनके अंतर्गत (i) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत बाह्य प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 400 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत किया जाना (सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों, तेल क्षेत्र में ओएनजीसी विदेश लि. और बाह्य गैर-निगमित संस्थाओं तथा निगमित संस्थाओं में ऑयल इंडिया को छोड़कर), (ii) उदारीकृत परेषण योजना के अंतर्गत निवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले परेषणों की सीमा प्रति वित्तीय वर्ष 2,00,000 अमरीकी डॉलर से घटाकर 75,000 अमरीकी डॉलर किया जाना, और (iii) भारत से बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए उदारीकृत परेषण योजना के उपयोग पर प्रतिबंध। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत, संशोधित सीमा से अधिक की वास्तविक आवश्यकताओं पर विचार करना जारी रखेगा। इसके अलावा, अनिवासी भारतीय प्रवाहों में वृद्धि के लिए (I) वृद्धिशील विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) तथा अनिवासी बाह्य जमाराशियों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी गणना से 26 जुलाई 2013 की आधार तिथि से छूट प्रदान कर दी गई; इन जमाराशियों को, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों के लक्ष्य की गणना के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण से अलग कर दिया गया; और (II) अनिवासी बाह्य जमाराशियों को, यह शर्त हटाकर ब्याज दरों से नियंत्रण-मुक्त कर दिया गया कि उनपर, समरूप रुपया जमाराशियों पर देय ब्याज से अधिक ब्याज नहीं दिया जा सकता।

I.27 पिछले दो वर्ष के दौरान वृद्धि की गति मंद हुई लेकिन बाह्य क्षेत्र की वहनीयता से संबंधित चिंता भी उभरकर सामने आई। 2012-13 के दौरान भारत का बाह्य कर्ज 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 390 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। उसका

अंतरराष्ट्रीय निवल निवेश 57 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम होकर (-) 307 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार अल्पावधिक बाह्य कर्ज का हिस्सा कुल बाह्य कर्ज का 44.2 प्रतिशत और विदेशी मुद्रा रिजर्व का 59 प्रतिशत रहा। इस प्रकार, बाह्य क्षेत्र की वहनीयता भविष्य में चुनौती भरा कार्य होगा।

वर्ष 2013-14 का संभावित परिदृश्य

I.28 वर्ष 2013-14 की शुरुआत हलचल भरे परिवर्तनों के साथ हुई। यूएस और जापान में वृद्धि की गति तेज होने के आरंभिक लक्षणों को भांपते हुए फ्रेड ने यह संकेत दिया कि वह अनुमान से पहले ही मौद्रिक प्रोत्साहन योजनाओं को बंद कर देगा जिसके चलते वित्तीय स्थितियां और कठिन हो गईं। बांड प्रतिफल सभी वक्रों पर और विभिन्न देशों में बढ़ा जिससे अन्य आस्तियों के मूल्य में बदलाव आया। उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं का तेजी से मूल्यहास हुआ। ऐसा मूल्यहास न केवल चालू खाता घाटे वाली अर्थव्यवस्थाओं में हुआ, अपितु कुछ चालू खाता अधिशेष वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी हुआ। परिणामस्वरूप उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से यूएस बाजारों की ओर पोर्टफोलियो का अंतरण हुआ जिससे इक्विटी मूल्यों में कमी आई। वैश्विक जिंस मूल्यों में फरवरी-अप्रैल 2013 के दौरान नरमी का रुख रहा लेकिन उनमें अस्थायी रूप से बढ़ोतरी हुई। मध्य पूर्व देशों की राजनीतिक अशांति के कारण भी तेल के वैश्विक मूल्यों में बढ़ोतरी हुई।

I.29 इन वैश्विक प्रभावों ने अन्य उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भांति भारत को भी प्रभावित किया। 22 मई को फ्रेड के अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी के बाद, 15 जुलाई 2013 तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत के नकदी बाजारों में से अपने बांड पोर्टफोलियो में से निवल आधार पर 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि और अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में से 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि निकाल ली। इस परिणामी निवल बहिर्वाह से रुपये पर बहुत दबाव पड़ा। विनिमय दर की अत्यधिक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने रुपये में स्थिरता लाने हेतु 15 जुलाई 2013 को कई उपाय घोषित किए जिन्हें बाद में 23 जुलाई 2013 को संशोधित किया गया (कृपया पैरा I.5 देखें)।

I.30 अत्यधिक चालू खाता घाटा, राजकोषीय लक्ष्यों से संबद्ध जोखिमों, उपभोक्ता मूल्य संबंधी उच्च मुद्रास्फीति, विनिमय दर

मूल्यहास से मुद्रास्फीति बढ़ने के जोखिम, मंद होती जा रही वृद्धि और परिसंपत्ति की घटती गुणवत्ता आदि की परिस्थिति में वर्ष 2013-14 के लिए उभरता समष्टि-आर्थिक परिदृश्य चुनौती भरा हो सकता है। अतः स्थिरता बनाए रखने के तात्कालिक उद्देश्य को हासिल करने के लिए, वृद्धि में कमी न आने देते हुए, समष्टि-आर्थिक एवं मौद्रिक नीति को सावधानीपूर्वक और सुविचारित रूप से तैयार करना जरूरी है।

2013-14 के लिए वृद्धि संबंधी संभावना

I.31 रिकवरी संभव है और यह 2013-14 में बाद में आकार ले सकती है, लेकिन इसका पूर्वानुमान बेहतर अभिशासन, आपूर्ति की रुकावटों को दूर करने और स्थिरता बनाए रखने के आधार पर किया गया है। नए जोखिमों के बावजूद, आधार के रूप में 2013-14 की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की संभावना, भारत सरकार द्वारा किए गए वृद्धि समर्थक उपायों और अभी तक अच्छे रहे दक्षिण-पूर्व मानसून के बाद 2012-13 से बेहतर है। 3 मई 2013 को घोषित 2013-14 के वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में 2013-14 की आधार जीडीपी वृद्धि को 5.7 प्रतिशत रखा गया है जो सामान्य मानसून, घरेलू निवेश के पुनरुज्जीवन और वैश्विक वृद्धि की शर्त के अधीन है। अब इन दशाओं में से प्रथम के लिए जोखिम कम हो गया है, बाद वालों के लिए जोखिम बढ़ गया है। औद्योगिक गतिविधि में कमजोरी आई है और वैश्विक वृद्धि में धीमापन आया है। इन तथ्यों पर विचार करते हुए, जुलाई 2013 के अंत में मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा में वृद्धि संबंधी अनुमान को 5.7 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

I.32 दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अब तक सामान्य और स्थानिक रूप से सुवितरित वर्षा कृषि क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है और इससे औद्योगिक माल और सेवाओं के लिए ग्रामीण मांग को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के 85 प्रतिशत हिस्से में 13 अगस्त 2013 तक अत्यधिक अथवा सामान्य वर्षा हुई, शेष 15 प्रतिशत के अंतर्गत आने वाले हरियाणा और पूर्व तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के हिस्सों में कम वर्षा हुई। रिजर्व बैंक के खाद्यान्न उत्पादन भारित सूचकांक से संकेत मिलता है कि वर्तमान मौसम में 13 अगस्त 2013 तक वर्षा सामान्य से 10 प्रतिशत अधिक थी।

I.33 पर्याप्त वर्षा के परिणामस्वरूप जलाशयों के पानी के भंडारण स्तर में सुधार हुआ। 85 बड़े जलाशयों में जल स्तर 8 अगस्त 2013 तक पिछले वर्ष के स्तर से 66 प्रतिशत अधिक

तथा पिछले 10 वर्षों के भंडारण के औसत से 55 प्रतिशत अधिक था। इससे खरीफ और रबी फसलों तथा पनबिजली उत्पादन को भी लाभ होगा। फसल की संभावनाएं भी उत्साहवर्धक हैं क्योंकि खरीफ की फसलों के अंतर्गत 9 अगस्त 2013 तक बुवाई का क्षेत्र पिछले वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक और अब तक की बुवाई के सामान्य क्षेत्र से 7 प्रतिशत अधिक था। फसलों की उत्साहवर्धक संभावनाएं ग्रामीण मांग की शुभ संकेत हैं। लेकिन वर्तमान मंदी ने शहरी क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को, ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों से ज्यादा प्रभावित किया है। अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था, संतोषजनक मानसून का सहारा मिलने पर कुछ बफर प्रदान कर सकती है।

I.34 औद्योगिक वृद्धि दो वर्षों से लगभग स्थिर बनी हुई है तथा ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यह ठहराव 2013-14 तक चलेगा। कॉर्पोरेट क्षेत्र का कार्यानिष्पादन, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में गतिविधियों में गिरावट आने के परिणामस्वरूप घटता जा रहा है। वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही के लिए 12 अगस्त 2013 तक उपलब्ध गैर-सरकारी और गैर-वित्तीय सूचीकृत 1,149 कंपनियों के नमूनों के परिणामों से संकेत मिलता है कि उनकी बिक्री में और कमी आई थी। कच्चे माल की खपत पर हुए खर्च में भी कमी आई थी तथा समग्र स्तर पर लाभ में बहुत कम वृद्धि हुई थी। परिचालन लाभ मार्जिन (ईबीआईटीडीए तथा बिक्री के बीच का अनुपात) पिछली तिमाही के स्तर पर ही बना रहा लेकिन बिक्री की तुलना में उच्चतर ब्याज अनुपात के कारण निवल लाभ मार्जिन कम हो गया। फिर भी, वर्ष के दौरान बाद में हुई कुछ वृद्धि से निम्नगामी चक्र में ठहराव आ सका क्योंकि बेहतर ग्रामीण मांग और बेहतर परियोजना निष्पादन से गतिविधियों को समर्थन मिल रहा है। यदि ग्रामीण खपत-मांग में बढ़ोतरी होती है तो तैयार माल की इन्वेंटरी के कम होने से इसके उत्पादन विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। यदि निर्माण गतिविधियों में भी सुधार होता है तो इससे औद्योगिक क्षेत्र में और मांग बढ़ेगी क्योंकि सड़क, शहरी आवास परियोजनाओं में निवेश और मेगा परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी आई है।

I.35 मांग को पुनरुज्जीवित करने के लिए, वर्तमान उच्च उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को कम करना बहुत जरूरी है। निजी अंतिम खपत व्यय की बढ़ती वृद्धि दर को रोकना आवश्यक है। संघीय बजट 2013-14 के सकारात्मक विन्यास और समष्टि-आर्थिक गिरावट को रोकने तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उपायों का निवेश पर कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, अलबत्ता कुछ अंतराल के बाद। निवेश की प्रमुख नीतिगत अड़चनों (जैसे भूमि अधिग्रहण,

पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र और कच्चे माल की कमी, विशेष रूप से कोयला) को धीरे-धीरे दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों के प्रभाव को जमीनी स्तर पर अमल में लाना होगा। इसमें निवेश पर बनी कैबिनेट समिति द्वारा जनवरी 2013 से की गई कार्रवाइयां शामिल हैं जिनका उद्देश्य रुकी हुई मेगा निवेश परियोजनाओं तेजी लाना है। स्पष्टतः, परियोजना अनुमोदन और वास्तविक निवेश के बीच लगभग छह से आठ माह का तैयारी का समय लगता है जिसका तात्पर्य यह है कि इसके परिणाम 2013 के अंत में दिखेंगे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह बढ़ाने के लिए हाल के उपाय भी घरेलू निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

I.36 इस कठिन आर्थिक दौर में समूहित कार्रवाई से रिकवरी हासिल की जा सकती है। अर्थव्यवस्था वर्तमान में धीमी गति से एक खराब दौर से गुजर रही है। रणनीतिक तौर पर, यह आवश्यक है कि संरचनात्मक अड़चनों को दूर करने के लिए पूरक नीतियां बनाकर पहले उन कमियों को दूर किया जाए।

2013-14 के लिए मुद्रास्फीति संभावना

I.37 यद्यपि हेडलाइन मुद्रास्फीति 2013-14 की पहली तिमाही में कम होकर औसतन 4.7 प्रतिशत पर आ गई, लेकिन मुद्रास्फीति के मोर्चे पर जोखिम अभी भी काफी अधिक हैं। पहला, यह बात जुलाई 2013 में मुद्रास्फीति के अचानक बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो जाने से स्पष्ट है। मुद्रास्फीति के धीरे-धीरे बढ़ते दबाव खाद्यान्न तथा इंधन के बढ़ते मूल्यों से स्पष्ट हैं, तथा इंधन के मूल्यों में वृद्धि का प्रमुख कारण विनिमय दर में मूल्यहास है। दूसरा, जबकि थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दो अंकों के करीब बनी हुई है। तीसरा, यद्यपि मुद्रास्फीति जनवरी 2013 के ऊँचे स्तर से नीचे आई है, फिर भी मई 2013 में इसमें पुनः बढ़ोत्तरी हुई है। जबकि इस वर्ष सामान्य न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है और अच्छे मानसून से उम्मीद बनी है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगी, यदि 2013-14 की दूसरी छमाही में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति जारी रहती है तो सामान्यीकृत मुद्रास्फीति का जोखिम अधिक बढ़ा हो सकता है। इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि खाद्य प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाए और ऐसे संरचनात्मक कारकों को दूर करने के लिए नीतिगत कार्रवाई की जाए जो कृषि आपूर्ति प्रतिसाद को बाधित करते हैं। चौथा, 2013-14 के पहले चार महीनों में रुपये की विनिमय दर में लगभग 11 प्रतिशत की गिरावट का पास-थू अपूर्ण है और इसका ऊर्ध्वगामी दबाव पड़ेगा

क्योंकि यह घरेलू कीमतों में अभी भी संचरित हो रहा है। हाल के वर्षों में विनिमय दर के पास-थ्रू में कमी आई है। रुपये में काफी अधिक गिरावट को देखते हुए, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है।

I.38 कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति संभावना पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर लग रही है। जुलाई 2013 में 2.4 प्रतिशत की गैर-खाद्यान्न विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति उचित सीमा में रही। घरेलू मांग-आपूर्ति संतुलन, वस्तुओं की वैश्विक मूल्य संभावना और सामान्य मानसून के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए, 3 मई 2013 को मौद्रिक नीति के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने 2013-14 के दौरान थोक मूल्य मुद्रास्फीति के लगभग 5.5 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत रहने का अनुमान लगाया है। मुद्रास्फीति के अनुमानित मार्ग में नीति-पूर्व कार्रवाइयों के कारण वर्ष की पहली छमाही में कुछ गिरावट का संकेत मिला है, यद्यपि दूसरी छमाही के दौरान मुद्रास्फीति में कुछ वृद्धि हो सकती है जो व्यापक तौर पर आधार प्रभाव को दर्शाती है। तब से हेडलाइन मुद्रास्फीति अनुमानित मार्ग पर रही है। जैसा कि वार्षिक नीति के समय सूचित किया गया था, रिजर्व बैंक अपने पास उपलब्ध सभी लिखतों का प्रयोग करते हुए, मुद्रास्फीति को मार्च 2014 तक 5.0 प्रतिशत के स्तर पर रखने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य हेडलाइन थोक मूल्य मुद्रास्फीति को अल्पकाल में लगभग इसी स्तर पर और मध्यमकाल में 3.0 प्रतिशत पर रखना है।

I.39 मांग-आपूर्ति संतुलन के मामले में, आपूर्ति पहले के अनुमानों की तुलना में थोड़ी कमजोर हो सकती है। मांग में गिरावट जारी है, लेकिन अच्छे मानसून के कारण अच्छी फसल की संभावना को देखते हुए ग्रामीण मांग सुदृढ़ रहेगी। वैश्विक वस्तुओं के मूल्य की संभावना व्यापक तौर पर नरम रहेगी, लेकिन रुपये के मूल्य में गिरावट और जुलाई 2013 के दौरान वैश्विक कच्चे तेल के मूल्य बढ़ने के कारण देश में मूल्य वृद्धि के जोखिम बढ़ गये हैं। इसलिए 2013-14 की दूसरी छमाही में कुछ मूल्य दबाव बन सकते हैं। तथापि, सामान्य मानसून ने एक बड़े जोखिम से बचाया है, यद्यपि 2013-14 की पहली तिमाही में खाद्य मूल्यों में पुनः तीव्र वृद्धि से यह अर्थ निकलता है कि अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है जिससे सापेक्षिक मूल्य परिवर्तन मूल्यों के सामान्य स्तर को प्रभावित न करें।

घाटे के दोहरे जोखिमों के नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता है

I.40 2013-14 के बजट अनुमान और 2014-15 तथा 2015-16 के रोलिंग लक्ष्य राजकोषीय समेकन की गति को जारी

रखने का संकेत करते हैं, यद्यपि राजस्व और राजकोषीय घाटे में केलकर समिति द्वारा परिकल्पित मार्ग से थोड़ा विचलन जारी रहेगा।

I.41 2013-14 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत के सकल राजकोषीय घाटे में विनिवेश आगमों, कर राजस्व, दूरसंचार प्राप्तियों के अधिक संग्रहण और सब्सिडी पर व्यय में कटौती के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से कमी लाए जाने की आशा है। लेकिन चूंकि बजट राजस्व प्रधान राजकोषीय समेकन पर ज्यादा निर्भर करता है, इसलिए इसकी सफलता निवेश और वृद्धि के वातावरण के पुनरुज्जीवन पर निर्भर है। सकल कर राजस्व का बजट अनुमान 6.1 - 6.7 प्रतिशत की अनुमानित सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर आधारित है। तथापि वृद्धि के कम रहने की संभावना के कारण, 2013-14 के दौरान बजट में अनुमानित 1.4 प्रतिशत के भारी कर-उछाल के बावजूद बजट में चिंतित 10.9 प्रतिशत का कर-सकल घरेलू अनुपात हासिल कर सकना कठिन है। प्रमुख कर राजस्व में गिरावट के कारण वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में सकल कर राजस्व वृद्धि एक वर्ष पहले की तुलना में कम थी। सरकारी राजस्व की अन्य प्रमुख मदों में से, 2013-14 में विनिवेश प्राप्तियों का अनुमान रु.400 बिलियन लगाया गया है। गैर-सरकारी कंपनियों की अवशिष्ट शेयरधारिता में से, विनिवेश से रु.140 बिलियन की एक अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना है। वित्तीय बाजार में उभरती दशाओं को देखते हुए, अनुमानित विनिवेश आगमों को बढ़ाना एक चुनौती होगी। इस पृष्ठभूमि में, रणनीतिगत योजना आवश्यक है। नकदी में धनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बड़े-बड़े लाभांशों और इन उपक्रमों में आगे स्टैक की बिक्री की संभावना को पूरी तरह से तलाशने की आवश्यकता है, इन उपक्रमों में निवेशकों की रुचि होने और परिणामस्वरूप बेहतर मूल्य वसूले जाने की संभावना है।

I.42 व्यय पक्ष में, पूंजी और योजना व्यय - दोनों में 2013-14 में तीव्र वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। व्यय की प्राथमिकता का पुनः निर्धारण करके, पूंजी व्यय को अधिक महत्त्व दिए जाने से सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में पूंजी परिव्यय अनुपात के 2012-13 (संशोधित अनुमान) में 28.1 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 38.5 प्रतिशत होने का संकेत मिलता है। यद्यपि 2013-14 में अधिक योजना व्यय अनुमानित है, फिर भी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान (अर्थात् 2012-13 और 2013-14) केन्द्रीय योजना

परिव्यय को बढ़ाया गया बजट सपोर्ट बारहवीं योजना की पूरी पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित कुल बजट सपोर्ट का केवल 27.2 प्रतिशत है।

1.43 योजनेतर व्यय के मामले में एक सकारात्मक लक्षण 2013-14 में जीडीपी के 2 प्रतिशत के बराबर सब्सिडी व्यय को कम करने की परिकल्पना है। तथापि, डीजल के मूल्यों में चरणबद्ध विनियंत्रण इंधन सब्सिडी को नियंत्रण में रखने में मदद करेगा लेकिन विनिमय दर में अस्थिरता 2013-14 में इंधन और उर्वरक सब्सिडी पर उर्ध्वगामी दबाव डालेगी। विनिमय दर हास और कच्चे तेल के वैश्विक मूल्य में वृद्धि के कारण तेल कंपनियों की कम वसूली तेजी से बढ़ी है, साथ में मूल्यों का विलंबित समायोजन तथा इस क्षेत्र में प्रचलित प्रशासित मूल्य प्रक्रिया का भी योगदान है। खाद्यान्न सब्सिडी पर राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अध्यादेश के पड़ने वाले प्रभावों को वर्ष 2013-14 में नियंत्रण में रखा जा सकता है लेकिन आगामी वर्षों में इससे राजकोषीय दबाव बढ़ेगा। मुख्य चिंता यह है कि जब इससे संबंधित अधिनियम का कार्यान्वयन शुरू ही किया जाएगा, तभी वर्ष 2013-14 में ही खाद्यान्न सब्सिडी को बजट में निश्चित राशि के भीतर नियंत्रित रख पाना कठिन होगा। आगामी कुछ वर्षों में बढ़ती हुई सब्सिडी के प्रभाव से निवेश के अवसर, कृषि क्षेत्र के निवेशों सहित, सीमित हो सकते हैं।

1.44 राज्य सरकारों के वित्त के संबंध में, यद्यपि कई राज्यों ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अंतर्गत हाल के वर्षों में अपने-अपने घाटे और ऋण को सीमित किया है, फिर भी वित्तीय पुनर्गठन योजना में शामिल होने वाले राज्यों के वित्त पर, इस योजना के अंतर्गत राज्य बिजली संचितरण कंपनियों द्वारा बांडों / विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम से जुड़े अतिरिक्त ऋण और ब्याज के बोझ के कारण दबाव पड़ेगा। यदि इन सेवाओं को वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम बनाना है तो यह आवश्यक है कि राज्य बिजली संचितरण कंपनियों द्वारा, वित्त पुनर्गठन योजना की अनिवार्य शर्तों और अनुशासित सुझावों को सच्चे अर्थ में लागू किया जाए। जहां तक राज्य वित्तों के वित्तीय निहितार्थों की मात्रा की बात है, राज्य वित्त की स्थिरता के लिए अधोगामी जोखिमों को देखते हुए, राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है कि ऋण पुनर्गठन एक स्थायी विशेषता न बन जाए।

1.45 उच्चतर व्यापार घाटे के कारण वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में यद्यपि चालू खाता घाटा बढ़ने की संभावना है, तथापि उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष के पहले

दो महीनों में तेज वृद्धि के बाद व्यापार घाटा जून और जुलाई 2013 के महीनों में काफी कम हो गया। आगे चलकर, सोने का आयात कम करने के लिए किए गए व्यापार नीति संबंधी उपायों और इंधन उत्पादों का खपत कम करने के लिए किए गए मूल्य संबंधी समायोजनों के कारण चालू खाता घाटे में सुधार आने की संभावना है। इसके अलावा गैर-आवश्यक आयातों में कमी लाने तथा व्यापार शेष में सुधार लाने की फिर भी गुंजाइश रहेगी। चालू खाता घाटा, वर्ष 2012-13 के ऐतिहासिक उच्च स्तर से, वर्ष 2013-14 में कम रहने की संभावना है।

1.46 इसके बावजूद, चालू खाता घाटा धारणीय स्तर से बहुत अधिक बना रह सकता है। यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के आस-पास अनुमानित है जो मध्यावधि सुधारों के महत्त्व को रेखांकित करता है जिसका लक्ष्य निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना, परिहार्य आयातों को हतोत्साहित करना और अपेक्षाकृत अधिक स्थिर पूंजी अंतर्वाह में वृद्धि करना है।

वित्तीय तीव्रता से आस्ति गुणवत्ता जोखिम बढ़ सकता है अतः वित्तीय स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है

1.47 इस वर्ष और अगले वर्ष बैंकों की गिरती हुई आस्ति गुणवत्ता के साथ बढ़ रहे वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों को नियंत्रण में रखने हेतु अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। यद्यपि कारपोरेट क्षेत्र के लिए औसत लीवरेज अनुपात वहनीय सीमा के अंदर है तथापि, कुछ क्षेत्रों में, विशेषरूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर में, जहां कंपनियों को पहले से ही अधिक निवल ऋण-इक्विटी अनुपात के कारण नई इक्विटी जुटाने में कठिनाई आ रही है, दबाव बन रहा है। यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के मुद्दों को शीघ्र नहीं सुलझाया गया तो इसका बैंक आस्तियों की गुणवत्ता पर दोहरा प्रभाव पड़ेगा।

1.48 मुद्रा, इक्विटी, बांड और पण्य बाजारों में प्रमुख आस्ति मूल्यों के संबंध में मौजूदा अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए बाह्य वित्तीय प्रीमियम बढ़ रहा है जो और अधिक ऊपर जा सकता है और वित्तपोषण की सुलभता को प्रभावित कर सकता है। इनका प्रभाव और अधिक व्यापक हो सकता है क्योंकि संपार्श्विक मूल्यांकनों में परिवर्तन किसी कंपनी की उधार लेने की क्षमता को और अधिक अशक्त बना सकते हैं। एक अन्योन्याश्रित विश्व में पारंपरिक ब्याज दर संबंधी प्रभाव, किसी कंपनी विशेष के तुलन-पत्र के प्रभावों के अन्यत्र संप्रेषित होने के कारण, अन्यत्र भी प्रसरित हो सकते हैं। अतः कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे जोखिमों से बचाव के लिए

उपलब्ध सभी साधनों का हर संभव उपयोग करते हुए इन जोखिमों से रक्षा करने के लिए समुचित रणनीतियां अपनाएं।

1.49 वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप, जब अधिकतर उन्नत और उभरती हुई अथर्वव्यवस्थाओं में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी, तब भारतीय बैंकों, विशेषरूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बहियों में, खराब ऋण काफी सीमित प्रतीत हो रहे थे। संकट के तत्काल बाद भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अग्रिमों की तुलना में सकल गैर-निष्पादक आस्तियों के अनुपात में मामूली वृद्धि हुई थी, परंतु उसके बाद इसमें गिरावट आई और 2008-11 के दौरान यह 2.5 प्रतिशत की दर के आसपास सपाट बनी रही। इसके बाद, आर्थिक मंदी और अर्थव्यवस्था में मौजूद ढांचागत बाधाओं के बीच क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों के उभरने से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट आई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अग्रिमों की तुलना में सकल गैर-निष्पादक आस्तियों के अनुपात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई, मार्च 2013 में 3.42 प्रतिशत तक गिरने के पूर्व यह अनुपात मार्च 2011 के 2.36 प्रतिशत से बढ़कर जून 2013 में 3.92 प्रतिशत हो गया। इस बढ़ोतरी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विषम हिस्सेदारी है, जबकि इन कठिन परिस्थितियों में भी निजी क्षेत्र के नए बैंक अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों के अनुपात को कम कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान, पुनर्गठित अग्रिमों की राशि बहुत अधिक थी। समूची प्रणाली को देखें तो सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्गठित मानक आस्तियां दोगुने से अधिक हो गई हैं जो दिसंबर 2010 के 2.6 प्रतिशत से बढ़कर जून 2013 में 6.1 प्रतिशत हो गई। गिरावट अनुपात, जो नई गैर-निष्पादक आस्तियों की गणना करता है, मार्च 2011 के 2.11 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2012 में 3.1 प्रतिशत हो गया, परंतु बाद में यह गिरकर मार्च 2013 में 2.8 प्रतिशत हो गया।

1.50 समष्टि दबाव परीक्षण यह संकेत देता है कि अत्यधिक दबाव की स्थितियों में मार्च 2014 तक सकल गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात बढ़कर 4.4 प्रतिशत तक हो सकता है, परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रणाली-स्तरीय सीआरएआर मार्च 2014 तक घटकर 12.2 प्रतिशत रह सकता है जो 9 प्रतिशत की विनियामक अपेक्षा से फिर भी ऊपर रहेगा।

1.51 आर्थिक मंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति गुणवत्ता मुद्दे के संबंध में कई उपाय किए थे। वाणिज्यिक स्थावर

संपदा जोखिमों पर मानक आस्ति प्रावधानीकरण को बढ़ा दिया गया था और बैंकों के लिए प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात लागू किया गया था। संकट के बाद महापात्र समिति की सिफारिशों के अनुसरण में रिजर्व बैंक से यह अपेक्षा की गई कि वह सामान्य अंतर-राष्ट्रीय विवेकपूर्ण उपायों की तरह ही ऋणों और अग्रिमों (इन्फ्रास्ट्रक्चर और गैर-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारंभ होने की तारीख में होने वाले परिवर्तन संबंधी मामलों को छोड़कर) के पुनर्गठन पर आस्ति श्रेणीकरण संबंधी विनियामक परिहार को समाप्त कर दे। तथापि, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भी इसने एक अधिक संतुलित तरीका अपनाया और मौजूदा घरेलू और वैश्विक समष्टि-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दो वर्ष की समायोजन अवधि की अनुमति प्रदान की। इसके अलावा, मानक पुनर्गठित आस्तियों के संबंध में प्रावधान करने संबंधी अपेक्षाओं को तीन वर्ष की अवधि में क्रमिक रूप से विस्तारित कर दिया। संशोधित पुनर्गठित दिशानिर्देशों ने सभी मामलों में प्रवर्तक के अंशदान और व्यक्तिगत गारंटियों को भी बढ़ा दिया। आशा है कि इससे पुनर्गठन से जुड़े नैतिक जोखिमों की समस्या भी कम होगी।

1.52 आस्ति गुणवत्ता में कमी के अतिरिक्त भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक मध्यावधि/दीर्घावधि चुनौती भी है जो बेहतर जोखिम आकलन और प्रबंधन के लिए बासेल-III ढांचे में सुचारु अंतरण से जुड़ी हुई है। भारत उन प्रारंभिक देशों में से एक है जिन्होंने बासेल-III पूंजी विनियमों के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2013 से क्रमिक रूप में लागू हैं और इन्हें मार्च 2018 के अंत तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर दिया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के साथ इसके बढ़ते तालमेल, बाजार और सेवा प्रदाता - दोनों ही रूपों में और वैश्विक संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता के चलते भारत को कड़ी पूंजीगत अपेक्षाओं को अपनाने की आवश्यकता हो रही है। रिजर्व बैंक ने जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में न्यूनतम 9 प्रतिशत का पूंजी अनुपात निर्धारित किया है जो बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति द्वारा बासेल II के तहत निर्धारित की गई न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से भी अधिक है।

1.53 यह एक तथ्य है कि 13.5 प्रतिशत के समग्र सीआरएआर (जून 2013 के अंत तक) के साथ भारतीय बैंक पूंजी-समृद्ध प्रतीत होते हैं परंतु बासेल-III कार्यान्वित करने की चुनौती को कम करके नहीं आंका जा सकता है। सर्वप्रथम, बासेल-III भारतीय बैंकों के लिए पूंजी अपेक्षाओं को काफी बढ़ा देगा। आगे आने वाले वर्षों में

वृद्धि का वित्तपोषण करने के लिए ऋण आवश्यकताएं बढ़ेंगी और तदनुसार, बैंकिंग क्षेत्र की पूंजी आवश्यकताएं भी अधिक होंगी। दूसरे, यदि सरकार द्वारा प्रमुख अंशधारिता बनाए रखी जानी है तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अधिक मौजूदगी के कारण बासेल-III के राजकोषीय बोझ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

1.54 मोटे तौर पर उपलब्ध अनुमान संकेत करते हैं कि मार्च 2018 के अंत तक बासेल-III के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए आंतरिक उपचयों के अलावा सामान्य इक्विटी हेतु 1.4-1.5 ट्रिलियन रुपये की आवश्यकता होगी जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए गैर-इक्विटी पूंजी के रूप में आवश्यक 2.65-2.75 ट्रिलियन रुपये के अतिरिक्त होगी।

1.55 बैंकों की पूंजी बढ़ाए जाने से बैंक, वृद्धि में सहायता करने के लिए उधार देने के अपने सबसे प्रमुख कारोबार को बेहतर तरीके से संपादित कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र के सामने, ऋण देने की मात्रा में वृद्धि करके और साथ ही आस्तियों की गुणवत्ता में हो रही गिरावट को विपरीत दिशा देकर अर्थव्यवस्था में सुधार को समर्थन प्रदान करने हेतु निकट भविष्य में चुनौती भरा काम है। उनके लिए, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों को अधिक ऋण उपलब्ध कराकर तथा कम आय वाले परिवारों को अनेक वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, वित्तीय सुविधाओं से वंचित वर्ग के वित्तपोषण के मार्ग की बाधाओं को दूर करना भी जरूरी है। वित्तीय सेवाओं की पहुँच में विस्तार करने के अलावा, अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और वृद्धि में सुधार लाने के लिए अधिक वित्तीय सुदृढ़ता प्राप्त करना भी आवश्यक है।

भावी दिशा

1.56 भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय एक कठिन दौर से गुजर रही है। तथापि, ये समस्याएं केवल भारत-विशिष्ट नहीं हैं। उभरती हुई कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं में भी वृद्धि धीमी हुई है। इस समय महत्वपूर्ण यह है कि गिरावट के रुझान को रोकते हुए और समष्टि-आर्थिक स्थितियों को स्थिर बनाए रखते हुए भारत की

वृद्धि प्रत्याशा को बचाए रखा जाए। इसके लिए ढांचागत बाधाओं को दूर करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि उत्पादन और निवेश गतिविधियों को अधिक गति प्रदान की जा सके। ऐसा करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक वृद्धि और वित्तीय बाजार की परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले संक्रमणों को मंदी के लिए आंशिक रूप से ही उत्तरदायी कहा जा सकता है। वर्तमान मंदी में तीव्रता ढांचागत घटकों के कारण बढ़ी है जो पूर्णतः मांग प्रबंधन नीतियों द्वारा सुकर समायोजन करने में बाधा के रूप में सामने आ रहे हैं। चूंकि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा अपने उच्चतम शिखर पर हैं अतः समष्टि-आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित रखना अत्यंत अनिवार्य हो गया है। इस प्रकार रुकी हुई निवेश परियोजनाओं की बाधाओं को हटाने पर ध्यान देकर, प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर, प्रौद्योगिकी प्रोत्साहनों द्वारा उत्पादकता वृद्धि में सहयोग देकर, और अधिक प्रबंधकीय कौशल अपनाकर तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करके अर्थव्यवस्था की बहाली में तेजी लायी जा सकती है।

1.57 भारतीय अर्थव्यवस्था में कई अंतर्निहित खूबियां हैं जिनमें इसके प्राकृतिक संसाधन और जनसांख्यिकीय लाभ शामिल हैं। प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर नियमन, जल स्रोतों का बेहतर दोहन, कौशल निर्माण में और अधिक निवेश, भूमि रिकार्डों का डिजिटलाइजेशन, भूमि समेकन, क्षेत्रीय कृषि बाजारों का बेहतर एकीकरण, श्रम बाजारों को और अधिक मुक्त करना तथा अधिक प्रतिस्पर्धी घरेलू बाजारों जैसे साधारण संस्थागत सुधार भारत की क्षमता और वास्तविक वृद्धि में सुधार ला सकते हैं। इस प्रकार समष्टि-आर्थिक स्थिरता की दिशा में किए गए प्रयास और ढांचागत सुधार- दोनो मिलकर रिकवरी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।

1.58 रिपोर्ट के शेष भाग में, इस रिपोर्ट के भाग-I के शेष भाग में आर्थिक समीक्षा के बारे में और भाग-II में रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालनों के बारे में प्रकाश डाला गया है।

वर्ष 2012-13 में संवृद्धि की दर धीमी रही, मुद्रास्फिति का दबाव मंडराता रहा और उसी के साथ दोहरे घाटे का जोखिम बना रहा। नीतिगत प्रयासों की वजह से वर्ष के बाद वाले हिस्से में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखा जा सका और मुद्रास्फिति की दर कम हुई। किंतु, मैक्रो स्तर पर वित्तीय स्थिरता को कायम रखते हुए संवृद्धि की दर को पुनः बहाल करना हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इस संदर्भ में, संवृद्धि के प्रति संरचनागत बाधाओं को दूर करना, गवर्नेंस को बेहतर बनाना, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का हल ढूंढना तथा बाहरी असंतुलन को दुरुस्त करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

II . 1 वास्तविक अर्थव्यवस्था

संवृद्धि दर आगे भी धीमी बनी रही - पुनरुत्थान संरचनागत मुद्दों को सुलझाने के प्रयासों पर निर्भर



II.1.1 भारत के वास्तविक सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) की संवृद्धि दर वर्ष 2012-13 में लगातार दूसरे वर्ष भी कम रही और गिरकर 5.0 प्रतिशत पर आ गई जो पिछले 10 वर्षों में सबसे न्यूनतम थी (अनुबंध सारणी 1)। पिछले दो वर्षों से संवृद्धि दर कम बनी रहने के लिए कई कारक जिम्मेदार रहे हैं। ये कारक हैं संरचनागत अड़चनें, तीन वर्षों से मुद्रास्फिति की ऊंची दर तथा वैश्विक एवं घरेलू अर्थव्यवस्थाओं दोनों में चक्रीय मंदी। फलस्वरूप, वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों की गतिविधियों में गिरावट हुई है, जिसमें से औद्योगिक क्षेत्र को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है (अनुबंध सारणी 2 तथा चार्ट II.1ए)। जहां कमजोर मानसून के कारण वर्ष 2012-13 में लगातार दूसरे वर्ष भी कृषि क्षेत्र की गति धीमी रही, वहीं वर्ष 2009-10 के वैश्विक संकट से उबरने के बाद लगातार तीसरे वर्ष

की औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की संवृद्धि दर में गिरावट आ गई। जो भी हो, भारत की संवृद्धि सेवा-क्षेत्र-उन्मुख बनी रही और वर्ष के दौरान इसका जीडीपी- संवृद्धि में सर्वाधिक योगदान (90.0 प्रतिशत) था (चार्ट II.1बी)।

II.1.2 खनन में गिरावट, बाहरी और घरेलू मांग कम होने के कारण विनिर्माण गतिविधियों में मंदी तथा कोयले की कमी के कारण विद्युत-उत्पादन में गिरावट ने संयुक्त रूप से औद्योगिक गतिविधियों को बाधित कर दिया। घरेलू नीतिगत अनिश्चितता, गवर्नेंस की चिंता तथा पूर्व में किए गए कठोर मौद्रिक उपायों ने औद्योगिक एवं सेवा-क्षेत्र की संवृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

II.1.3 बुनियादी क्षेत्र में उत्पन्न बहुमुखी समस्याओं ने क्षेत्र की जिंदादिली को ध्वस्त कर दिया और निवेश वातावरण को प्रभावित किया। कोयले की आपूर्ति में कमी, मंद क्षमता-वृद्धि तथा विलंब से एवं रुक-रुक कर मानसून आने से 'विद्युत, गैस तथा जल-आपूर्ति' की गति धीमी हो गई। कानूनी, विनियामक

चार्ट II.1 : वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संवृद्धि



और पर्यावरण संबंधी मुद्दों ने भी खनन क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। दूसरी ओर, वर्ष 2012-13 के दौरान सेवा-क्षेत्र की मंदी के कारण, 'सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाओं' को छोड़कर अन्य सभी उप-क्षेत्रों में मंदी का रुख देखा गया।

लगातार दूसरे वर्ष भी उपभोग और निवेश की क्षीण मांग

II.1.4 वर्ष 2012-13 के दौरान उपभोक्ता (निजी और सरकारी दोनों स्तर पर) और स्थिर निवेश की दर में कमी होने के कारण बाजार मूल्यों पर जीडीपी की संवृद्धि दर लगभग आधी हो गई (चार्ट II.2)। निजी उपभोक्ता व्यय, जो बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी का लगभग 60 प्रतिशत हुआ करती थी उपभोक्ता मूल्यों में, अत्यधिक स्फीति होने के कारण लगातार दूसरे वर्ष भी गिरावट बनी रही। आपूर्ति संबंधी बाधाओं और कमजोर मांग ने स्थिर निवेश की संवृद्धि को लगातार दूसरे वर्ष भी नीचे धकेल दिया।

प्रमुख चिंता का विषय है बचत और निवेश दर में गिरावट

II.1.5 ऊंची मुद्रास्फिति की स्थिति के बीच, वास्तविक कमाई (रिटर्न) बहुत कम अथवा नकारात्मक होने के कारण गिरती हुई बचत दर की समस्या और अमध्यस्थता ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए मैक्रो-आर्थिक असंतुलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। घरेलू बचत दर जो पिछले वर्ष 34.0 प्रतिशत थी उसमें वर्ष 2011-12 में तीव्र गिरावट हुई और वह घटकर 30.8 प्रतिशत हो गई (अनुबंध सारणी 3 और चार्ट II.3)। समस्त तीनों क्षेत्रों की बचत-दर में गिरावट हुई है, जिनमें से सरकारी क्षेत्र में सबसे

अधिक गिरावट हुई है। घरेलू क्षेत्र की बचत दर में वर्ष 2009-10 में सर्वाधिक ऊंची दर तक पहुंचने के बाद लगातार दूसरे वर्ष 2011-12 भी गिरावट बनी रही। घरेलू बचत के अंतर्गत, जहां वित्तीय बचत दर में गिरावट हुई है, वहीं भौतिक बचत दर वर्ष 2011-12 में बढ़ी है, क्योंकि गृहस्थों ने ऊंची महंगाई की हालत में भौतिक परिसंपत्ति में बचत को तरजीह दी है।



II.1.6 वर्ष 2011-12 में निवेश दर (जीडीसीएफ) में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में गिरावट आई, बावजूद इसके कि पिछले वर्ष गृहस्थों की निवेश दर की तुलना में इस वर्ष निवेश दर में सुधार हुआ था। वर्ष 2011-12 के दौरान मूल्यवान वस्तुओं अर्थात् कीमती वस्तुओं जैसे- स्वर्ण और कीमती पत्थरों में निवेश काफी अधिक था जो जीडीपी का 2.4 प्रतिशत था। इससे काफी हद तक यह पता चलता है कि हाल के समय में गृहस्थों ने मूल्यवान वस्तुओं, खासतौर से स्वर्ण को तरजीह दी है जो जमा राशियों और वित्तीय लिखतों जैसी छोटी बचतों पर वास्तविक ब्याज दर तुलनात्मक रूप से कम रहने एवं स्टॉक बाजार की अनिश्चित स्थिति के कारण थी।

II.1.7 बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की जरूरतों के साथ, संवृद्धि दर के लिए एक बुनियादी आवश्यकता यह है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर में, विशेष रूप से निर्माण और मशीनरी और उपकरण में वृद्धि की जाए।


2012-13 में गृहस्थों की वित्तीय बचत दर में मामूली वृद्धि हुई है

II.1.8 प्रारंभिक आकलन यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2012-13 में गृहस्थों की वित्तीय बचत दर में मामूली वृद्धि हुई जो पिछले

चार्ट II.2 : जीडीपी का व्यय पक्ष



चार्ट II.3: बचत एवं निवेश की दर



वर्ष के संशोधित अनुमान जीडीपी के 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गई है, हालांकि यह वर्ष 2010-11 की जीडीपी के 10.3 प्रतिशत की दर से कम थी (अनुबंध सारणी 4 और चार्ट II.4)।


II.1.9 बैंक में जमा तथा म्युचुअल फंड के अंतर्गत बचत दर में ऊंची वृद्धि होने से वर्ष 2012-13 के दौरान गृहस्थों की वित्तीय बचत में मामूली वृद्धि हुई थी, हालांकि जीवन बीमा निधि की स्थिति मंद थी और छोटी बचत से पैसा निकाला जाना जारी था। इतना ही नहीं, मूल्यवान वस्तुओं, विशेष रूप से सोने में किया गया निवेश वर्ष 2011-12 के 2.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में जीडीपी का 2.0 प्रतिशत हो गया। यह स्थिति गृहस्थों

की वर्ष 2012-13 की वित्तीय बचत को सहारा प्रदान कर सकती थी, यहां तक कि गृहस्थों की भौतिक बचत में वृद्धि कर सकती है। वहीं गृहस्थों की वित्तीय देयता बढ़ गई, जो वैयक्तिक ऋण तथा फुटकर ऋण के बढ़ जाने के कारण थी, इस स्थिति ने कुल मिलाकर गृहस्थों की वित्तीय बचत को ध्वस्त कर दिया, किंतु वर्ष 2012-13 में गृहस्थों की वित्तीय भौतिक बचत बेहतर दिखाई दे सकती है।

कमजोर दक्षिण- पश्चिम मानसून ने कृषि-उत्पादन को प्रभावित किया

II.1.10 दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो देश में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, वर्ष 2012 में दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 8 प्रतिशत कम थी जबकि वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्व मानसून एलपीए से 21 प्रतिशत कम थी। दक्षिण-पश्चिम मानसून के देर से आने, तथा असमान तरीके से यहां-वहां विशेष रूप से खरीफ फसल की बुवाई अर्थात् जून और जुलाई के महीने में असमान रहने से खरीफ के उत्पादन को काफी हद तक तबाह कर दिया। कमजोर उत्तर-पूर्व मानसून का रबी की फसल पर अपेक्षाकृत रूप से हल्का प्रभाव पड़ा। किंतु, खरीफ की अधिकांश फसलों का उत्पादन कम हो गया जबकि रबी की फसलों जैसे दाल, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन में पिछले रबी के मौसम के उत्पादन की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई। रबी की फसल में वर्ष 2012-13 में दालों का रिकार्ड उत्पादन हुआ, यद्यपि गेहूं का उत्पादन जो रबी का प्रमुख अनाज माना जाता है, वर्ष 2012-13 में गिरावट हुई क्योंकि इसकी बुवाई कम क्षेत्रों में हुई। चतुर्थ पूर्व अनुमान के अनुसार वर्ष 2012-13 में खाद्यान्न 255.4 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष से 1.5 प्रतिशत कम

चार्ट II.4 : परिवारों की वित्तीय बचत



था (अनुबंध सारणी 5)। लेकिन 31 जुलाई 2013 की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्यान्न भंडार सहज स्तर पर है (69.65 मिलियन टन (अनुबंध सारणी 6)।

II.1.11 हालांकि, हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र की समुत्थान शक्ति बढ़ी है किंतु वर्ष 2012-13 में कृषि क्षेत्र के निष्पादन ने यह दिखा दिया है कि मानसून की अनिश्चितता अभी भी इसके उत्पादन को प्रभावित करती है। कुल फसल-क्षेत्र का केवल 45.0 (2009-10) प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत है, जबकि देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 16 प्रतिशत क्षेत्र अधिकांशतः सूखा, अर्ध-सूखा तथा अल्प आर्द्र है अर्थात् सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कुल फसल-क्षेत्र का लगभग 56 प्रतिशत कृषि क्षेत्र ऐसा है जो वर्षा पर आधारित है जिसमें 77 प्रतिशत दालें, 66 प्रतिशत तिलहन और 45 प्रतिशत अनाज वर्षा होने की हालत में ही पैदा किए जाते हैं। फलस्वरूप, यदि वर्षा कम होती है तो फसल का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है (चार्ट II.5)

II.1.12 हालांकि कृषि उत्पादन अभी भी मानसून की लहर के अधीन है, किंतु पहले के दशकों की तुलना में अब सूखा सहने की क्षमता बढ़ गई है। ऐसा, कुछ तो बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सिंचाई के कारण हो सका है और कुछ खालिस खेती के कार्य से हटकर ग्रामीण आर्थिक कार्यकलाप में विविधता लाने से हुआ है। पशुपालन, वानिकी और कुंदा/बोटा कार्य तथा मत्स्य-पालन कृषि अर्थ-व्यवस्था के खास उप-क्षेत्र हैं। पशुपालन कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में एक-चौथाई से अधिक हिस्सा है और इसमें कृषि क्षेत्र के 9 प्रतिशत मजदूर कार्य करते हैं। वानिकी और कुंदा/बोटा

कार्य का कुल जीडीपी में लगभग 1.5 प्रतिशत तथा कृषि जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि मत्स्य-पालन का जीडीपी में हिस्सा 0.8 प्रतिशत तथा कृषि जीडीपी में हिस्सा 5.5 प्रतिशत है।



आपूर्ति की तारतम्यता तथा विपणन की अक्षमताएं, खाद्य की उपलब्धता को प्रभावित कर रही हैं

II.1.13 कृषि की गतिविधियों में विविधता को ध्यान में रखते हुए, तथा खाद्य के मूल्यों पर बढ़ते दबाव के मद्देनजर, इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि आपूर्ति की तारतम्यता और विपणन की अक्षमताओं को दूर किया जाए। अनाजों और बागबानी उपज का अधिकांश हिस्सा प्रति वर्ष कटाई के बाद अपर्याप्त सुविधाओं के कारण बर्बाद हो जाता है। दुग्ध-उत्पादन और अन्य पशुपालन एवं मत्स्य-उत्पाद का भी भारी नुकसान होता है। इन हानियों को तथा मध्यस्थ लागतों को, इन्पुट आपूर्तियों और उत्पाद के विपणन दोनों के लिए ही किसान के द्वारा पर ही बाजार बनाकर कम किया जा सकता है।

II.1.14 बढ़ती हुई मांग और अनाज आधारित भोजन से प्रोटीन-आधारित उत्पाद की ओर उपभोग के बढ़ते रुझान से यह जरूरी हो गया है कि इन उत्पादों के लिए शीत-भंडार की सुविधा मुहैया कराई जाए। साथ ही, अनाजों के भंडारण की अपर्याप्त सुविधाएं निरंतर एक चुनौती बनी हुई है।

II.1.15 भंडारण गृह विकास विनियमन पर 12वीं योजना अवधि (2012-17) के कार्यदल की रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है कि भारत में सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्र में भंडारण की कुल क्षमता 109 मिलियन टन थी तथा बारहवीं योजना अवधि के


चार्ट II.5 : वर्षा में कमी और कृषि उत्पादन



दौरान प्रमुख फसलों के भंडारण के लिए अतिरिक्त 35 मिलियन टन की भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाना अपेक्षित है।

II.1.16 रिजर्व बैंक के हाल के अध्ययन से पता चलता है कि अभी तक विभिन्न राज्यों में आबादी तथा अनाज के उत्पादन¹ की मात्रा की तुलना में भंडारण गृहों का वितरण तथा भंडारण क्षमता असमान है। केरल में भंडारण क्षमता सबसे अधिक है (प्रति एक लाख टन अनाज उत्पादन पर 10.2 मिलियन टन की क्षमता), किंतु अनाज-उत्पादन के मामले में यह 28 राज्यों में 21वें स्थान पर है और पूरे भारत के उत्पादन में इसका हिस्सा केवल 0.3 प्रतिशत है। भंडारण गृह की उपलब्धता में त्रिपुरा सूची में सबसे ऊपर है हालांकि कुल मिलाकर इसकी आबादी कम है (प्रति एक लाख आबादी पर 3.2 भंडारण गृह)। भारत में अत्यधिक आबादी वाले तथा प्रमुख अनाज पैदा करने वाले राज्यों में भंडारण गृहों की उपलब्धता बहुत ही कम है (लगभग 10 लाख जनसंख्या के लिए एक भंडारण गृह)। राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन के लिए भंडारण क्षमता का प्रतिशत काफी कम है, विशेष रूप से ऊंचे दर्जे के अनाजों को पैदा करने वाले राज्यों में (चार्ट II.6)। एक राज्य की तुलना में दूसरे राज्य में भंडारणगृह की उपलब्धता में जो असमानता है वह काफी हद तक इस वजह से है कि राज्य भंडारणगृह निगमों (एसडब्लूसी) की उपलब्धता भिन्न-भिन्न है, जबकि केंद्रीय भंडारणगृह निगम (सीडब्लूसी) और एफसीआई की उपलब्धता समस्त राज्यों में समान रूप से है।

II.1.17 भंडारणगृह को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार, नाबार्ड और रिजर्व बैंक ने इसके वित्तपोषण को बढ़ाना देने के लिए कदम उठाए हैं। आरआईडीएफ XVIII (2012-13) के 200 बिलियन रूपए में से 50 बिलियन रूपए भंडारणगृह के निर्माण के लिए रखे गए हैं। यूनियन बजट 2013-14 में भंडारणगृह की आधारभूत संरचना के निर्माण के वित्तपोषण के लिए 50 बिलियन रूपए की एक पृथक निधि का प्रस्ताव किया गया है।



औद्योगिक संवृद्धि में तेजी से कमी हुई है


II.1.18 औद्योगिक विकास पिछले दो वर्षों से कई-एक कारकों की वजह से लगभग थम सा गया था (अनुबंध सारणी 7)। वर्तमान औद्योगिक मंदी का दौर जुलाई 2011 में शुरू हुआ और साथ ही इस अवधि में मंहगाई भी चरम पर थी। इस मंदी का कुछ हिस्सा वैश्विक कारणों तथा कमजोर बाहरी मांग के कारण था जिसने गतिविधि के स्तर को प्रभावित किया, खासतौर से विनिर्माण क्षेत्र को। बुनियादी ढांचा, इन्पुट की बाधाएं तथा मांग मामूली होने के कारण औद्योगिक संवृद्धि और भी कमजोर पड़ गई। 2013-14 की पहली तिमाही में आईआईपी और भी कम हो गया (चार्ट II.7)।

II.1.19 औद्योगिक संवृद्धि की समग्र मंदी इसके समस्त उप-क्षेत्रों में देखी गई। वर्ष के दौरान खनन क्षेत्र, विनियामक बाधाओं और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के कारण कम उत्पादन का शिकार रहा। इसकी वजह से महत्वपूर्ण औद्योगिक इन्पुट जैसे कोयला, कच्चा लोहा और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित रही। विद्युत की कमी भी औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि को रोकने का प्रमुख कारक थी। वर्ष

¹ 2011 की जनगणना

² आंकड़े 2008-09 से संबंधित हैं।

चार्ट II.7 : आईआईपी (वर्ष-दर-वर्ष) में वृद्धि



2012-13 में थर्मल और हाइड्रल विद्युत उत्पादन, कोयले की कम आपूर्ति, वर्तमान क्षमता के कम उपयोग और कमजोर मानसून के कारण भी घट गया।

II.1.20 विनिर्माण क्षेत्र का निष्पादन, वैश्विक मंदी तथा घरेलू बुनियादी ढांचे की अड़चनों के कारण तथा ऊर्जा की किल्लत और कच्चे माल की अल्प आपूर्ति से बुरी तरह प्रभावित हुआ। वर्ष 2012-13 में विनिर्माण क्षेत्र में मात्र 1.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों में, पूंजीगत माल बनाने वाले उद्योग जैसे-मशीनरी और उपकरण, विद्युत मशीनरी कंप्यूटिंग मशीनरी



तथा मोटर वाहन उद्योग वर्ष के दौरान अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित हुए।

II.1.21 औद्योगिक क्षेत्र के क्षीण निष्पादन की मूल वजह निवेश गतिविधियों में तीव्र गिरावट रही है। यही कारण है कि वर्ष 2012-13 के दौरान पूंजीगत माल के उत्पादन में 6.0 प्रतिशत की गिरावट हुई। निवेश की धीमी गति के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। बढ़ती हुई लागत और घटती हुई मांग ने कार्पोरेट के लाभ को कम कर दिया, जिसके फलस्वरूप फर्म के निवेश संबंधी निर्णय पर असर पड़ा। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त होने में विलंब भी निवेश की धीमी गति का कारण था। केंद्रीय क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की ऐसी कई परियोजनाएं जिनकी लागत 150 करोड़ रूपए से अधिक थी, उपर्युक्त कारणों के साथ-साथ वित्तीय अड़चनों एवं संविदागत मुद्दों के कारण विलंबित रहीं।

II.1.22 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के उपयोग-आधारित वर्गीकरण से भी यह ज्ञात होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मंदी रही है। उपभोक्ता क्षेत्र का ढीला रहना यह दर्शाता है कि उपभोक्ता की मांग कमजोर थी। बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं की कम वृद्धि, मुख्य रूप से खनन क्षेत्र में संकुचन आने तथा विद्युत एवं बेसिक धातुओं के खराब उत्पादन के कारण हुई। किंतु, सहायक-सामग्री उत्पादन खण्ड में मामूली सुधार पाया गया है (चार्ट II.8)

II.1.23 इससे आगे बढ़कर देखें तो ज्ञात होता है कि औद्योगिक विकास काफी हद तक कई कारकों को मिलाकर निर्धारित होगा अर्थात् वैश्विक आर्थिक स्थिति, घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति के कम

चार्ट II.8: औद्योगिक वृद्धि



होने और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सुधार होने पर होगा।
(बॉक्स II.1)

औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख उद्योगों तथा निर्यातों का पुनरुत्थान आवश्यक है

II.1.24 प्रमुख उद्योगों जो कि औद्योगिक क्षेत्र को निर्णायक इन्पुट्स प्रदान करते हैं, बड़े आपूर्ति गत्यावरोधों का सामना किया है जिसके फलस्वरूप वर्ष 2012-13 के दौरान (चार्ट II.9) आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की वृद्धि में तेज गिरावट आई।

बॉक्स II.1

औद्योगिक मंदी: कारण और निवारण

हाल के वर्षों में औद्योगिक विकास में तेजी से गिरावट कई कारणों से हुई है जैसे- वैश्विक मंदी, बुनियादी सुविधाओं की कमी, पर्यावरण संबंधी अनापत्ति देने में विलंब, परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण में विलंब, प्रमुख इन्पुट की उपलब्धता में बाधाएं जैसे-विद्युत, कोयला तथा कच्चा लोहा, ऊंची ब्याज दर और मुद्रा-स्फीति।

आमतौर पर, भारत के संबंध में अनुभवजन्य अध्ययन से ज्ञात होता है कि औद्योगिक विकास की व्याख्या के लिए कई एक कारक हैं जैसे- मांग और आपूर्ति तथा मैक्रो-आर्थिक वित्तीय एवं व्यापार संबंधी कारक। इसपर पूर्व में किए गए कुछ कार्य में यह पाया गया था कि उदारीकरण-पूर्व और उदारीकरण-बाद, विनिर्माण उद्योग के उत्पादन में वृद्धि मुख्यतया घरेलू मांग में हुई बढोतरी तथा निर्यात विस्तार से होती थी।

1973 से 2003 तक उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, गुप्ता एवं अन्य (2008) ने पाया कि बुनियादी सुविधाओं या बाह्य वित्त, तथा श्रम प्रधान उद्योगों पर निर्भर उद्योग सुधारों का अधिकतम लाभ नहीं उठा पाए। उनके अनुसार बुनियादी सुविधाओं और वित्त के अपर्याप्त प्रावधान ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि में बाधा डाली है।

गुप्ता (2011) ने 15 भारतीय राज्यों के 22 उद्योगों के लिए 1992-2002 की अवधि के असंतुलित पैनेल का प्रयोग करते हुए यह पाया है कि हालांकि वित्तीय गहनता ने कार्यशील पूंजी की बाध्यताओं को सहज बना दिया है किंतु इससे उन उद्योगों को सीधे फायदा नहीं मिल पाया है या निवेश की बाध्यताओं को आसान नहीं किया है जो बाहर से वित्त प्राप्त करने पर निर्भर थे। रुड (2012) ने भारतीय राज्यों के 1965-1984 की अवधि के पैनेल हेतु इन्स्ट्रुमेंटल चर पद्धति का प्रयोग करते हुए पाया है कि विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन पर विद्युतीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

वर्तमान विश्लेषण ने औद्योगिक विकास में हुई गिरावट जैसा कि इस समय माना गया है के बारे में निरंतर बनी हुई चिंता के संदर्भ में औद्योगिक विकास के निर्धारक तत्वों पर प्रकाश डालने वाले मुद्दों के साथ-साथ संरचनागत बाधाओं, वैश्विक मंदी, ऊंची मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर पर दुबारा नजर डाली है।

इस अध्ययन में औद्योगिक विकास के दीर्घ एवं अल्प कालीन दोनों निर्धारकों का विश्लेषण किया गया है। बाह्य पर नियंत्रण रखते हुए, आईआईपी का असामायिक मासिक डाटा आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक, वैश्विक आईआईपी,

वास्तविक मांग दर, 36 देशों के व्यापार संबंधी भारित वास्तविक प्रभावी विनियम दर तथा जनवरी 2006 से फरवरी 2013 की अवधि के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का उपयोग जोहानसेन की सह-समाकलन पद्धति¹ के आधार पर दीर्घकालीन साम्य संबंध का पता लगाने के लिए किया गया है। एआईसी और एसबीसी पर आधारित लैंग चयन मानदंड से यह नतीजा निकलता है कि वीईसीएम के आकलन के लिए केवल एक लैंग पर्याप्त था। अनुभवजन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि दीर्घकाल में प्रमुख उत्पादन में एक प्रतिशत की वृद्धि आईआईपी में 1.96 प्रतिशत की वृद्धि लाती है, जबकि वैश्विक आईआईपी उत्पादन में उतनी ही वृद्धि से घरेलू आईआईपी 0.61 प्रतिशत बढ़ जाता है। दूसरी ओर, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में एक प्रतिशत की वृद्धि से दीर्घकाल में आईआईपी 1.10 प्रतिशत घट जाता है। दीर्घकालीन वास्तविक ब्याज दर और वास्तविक विनियम दर की लोच क्रमशः 0.03 और 0.13 है और दोनों नकारात्मक हैं, जिसका आईआईपी पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है। अतः, इससे स्पष्ट है कि घरेलू कारक अर्थात् प्रमुख औद्योगिक उत्पादन तथा मुद्रास्फीति दीर्घकाल में औद्योगिक संवृद्धि के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि वैश्विक औद्योगिक संवृद्धि भी महत्वपूर्ण है। त्रुटि निवारक मॉडल (ईसीएम-एरर करेक्शन मॉडल), में दीर्घकाल में त्रुटि शर्त सहित, सह-समाकलन पथ निम्नानुसार है :

$$\Delta \log IIP = -0.20 + 0.59 \Delta \log Core - 0.15 EC_{t-1} \\ (-3.57^*) (3.75^*) (-3.61^*) \\ R^2 = 0.31; SEE = 0.02; DW = 2.18$$

* : सांख्यिकीय रूप से 1% पर महत्वपूर्ण

जिसमें

Δ लॉग आईआईपी = जनरल आईआईपी के लॉग में M-O-M प्रतिशत परिवर्तन

Δ लॉग कोर = आठ प्रमुख उद्योगों के लॉग सूचकांक में M-O-M प्रतिशत परिवर्तन

EC = त्रुटि निवारक शब्द दीर्घकालीन सशर्त सह-समाकलन पथ

(जारी....)

¹ प्रमुख सूचकांक आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का कम्पोजिट उत्पादन है जो अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष पर आधारित है। प्रमुख उद्योग ये हैं : कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। अनुभवजन्य विश्लेषण के लिए आंकड़े सांख्यिकीय और कार्यक्रम मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सीपीबी विश्व व्यापार मानिटर तथा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए हैं। स्टैंडर्ड जोहानसेन के वीईसीएम का अभिकलन I(1) चर का उपयोग करके किया गया है।

ईसीएम (त्रुटि निवारक मॉडल) के अनुमानों से पता चलता है कि अल्पकालिक आईआईपी संवृद्धि काफी हद तक प्रमुख उद्योगों के निष्पादन पर निर्भर है। विशेष रूप से, प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 1.0 प्रतिशतता बिंदु की वृद्धि से आईआईपी में लगभग 0.59 प्रतिशतता बिंदु की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति, वास्तविक ब्याज दर तथा वास्तविक विनिमय दर का अल्पकाल में आईआईपी की वृद्धि पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ईसीएम में 'वित्तीय एक्सेस' नाम से एक और चर शामिल किया गया है जो उत्पादन में वृद्धि की तुलना में ऋण की मात्रा की उपलब्धता का पता लगाता है तथा आईआईपी मासिक वृद्धि दर और वास्तविक खाद्येतर ऋण के बीच स्थिर अंतराल का प्रतिनिधित्व भी करता है। हालांकि, यह चर भी अल्पकाल में सांख्यिकीय दृष्टि से गैर-महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। जैसाकि आदर्श प्रथा रही है, ईसीएम की रिपोर्टिंग करते समय 1% स्तर से कम महत्व के समस्त चरों को हटा दिया गया है ताकि अपव्यय से बचा जा सके।

अल्पकालिक ईसीएम का पालन प्रतिमाह 0.15 आधार अंक की दर से असाम्यता की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए किया गया है। इस प्रकार से, नीतिगत नजरिये से, समग्र औद्योगिक विकास में आमूल परिवर्तन प्रमुख उद्योगों के निष्पादन में सुधार हासिल करते हुए प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ

एन.गुप्ता, 2011. *भारत की औद्योगिक प्रगति पर वित्तीय विकास के अंतर दशाति प्रभाव*, एएसएआरसी वर्कपेपर 2011/12

पी. गुप्ता, आर हसन तथा यू कुमार, 2008 भारतीय विनिर्माण में क्या बाधाएँ हैं? ईआरडी वर्किंग पेपर सं.119, एशियाई विकास बैंक

जे.बी.रुड, 2012. *विद्युत प्रबंध तथा औद्योगिक विकास : भारत से प्राप्त प्रमाण*, विकास अर्थशास्त्र जर्नल 97(2),352-367


प्राकृतिक गैस तथा उर्वरकों के आउटपुट में आई कमी तथा स्टील तथा विद्युत के उत्पादन में गिरावट के कारण प्रमुख उद्योगों की वृद्धि समग्र रूप से घट गई।

II.1.25 भारत में कोयले का उत्पादन मांग से कम रहा है। ऐसा कोयले के खंड आबंटन से संबंधित मुद्दों, तथा विनियामक तथा पर्यावरणीय कारकों के कारण हुआ है। वर्ष 2012-13 के दौरान, 138 मिलियन टन कोयला आयात किया गया जिसमें से 62.5 मिलियन टन ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग किया गया। कोयले की कमी ने तापीय ऊर्जा प्लांटों का प्लांट लोड फैक्टर (PLF) पिछले वर्ष में 73.5 प्रतिशत से वर्ष 2012-13 के दौरान 69.9 प्रतिशत

तक घटा दिया। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट ने तापीय ऊर्जा कमी ने गैस पर आधारित प्लांटों के निष्पादन को प्रभावित किया है। कुछ राज्यों में लौह अयस्क खनन के रोके जाने से स्टील प्लांटों हेतु लौह अयस्क की उपलब्धता कम हो गई। जब तक इन आपूर्ति बाधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, प्रमुख उद्योगों की धीमी प्रगति जारी रहेगी जिसके द्वारा समग्र औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

II.1.26 सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधार उपायों से उम्मीद है कि इससे आपूर्ति बाधाएँ कम होंगी, नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उद्योग को फिर से प्रगति की पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। निवेशों पर मंत्रीमंडल समिति (सीसीआई) का गठन बड़े प्रोजेक्टों के निवेश को शीघ्र निपटाने के लिए अभिप्रेत है। सीसीआई ने पहले ही रु. 1609 बिलियन रुपये के 157 परियोजना से निवेशों को हरी झंडी दे दी है। वर्ष 2013-14 के यूनियन बजट में प्लांट व मशीनरी में रुपए 1 बिलियन से अधिक के निवेश हेतु मूल्यहास के अतिरिक्त 15 प्रतिशत की निवेश की मंजूरी से भी निवेश का माहौल सुधरने की उम्मीद है। बुनियादी क्षेत्र बांडों में निवेश के लिए उल्लेखनीय कर प्रोत्साहनों ने इन बांडों को लोकप्रिय साधन बना दिया है और बुनियादी क्षेत्र फर्मों के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करने में सहायता की है। 2011 में राष्ट्रीय उत्पादन नीति (एनएमपी) के फलस्वरूप, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआइसी) के साथ आठ राष्ट्रीय निवेश तथा उत्पादन क्षेत्रों (NIMZs) की घोषणा की गई तथा डीएमआइसी के बाहर चार और एनआइएमजेड को भी सैद्धांतिक अनुमोदन

चार्ट II.9 : आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में वृद्धि



प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) के कार्यान्वयन को पूरा करने हेतु लिए गए उपायों से निवेश गतिविधि को काफी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।


एक अधिक प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक क्षेत्र हेतु नीति में दीर्घाविधि आदर्श परिवर्तन की आवश्यकता है

II.1.27 हालांकि उपर्युक्त शुरुआती उपायों से यह अपेक्षा की जाती है कि औद्योगिक आउटपुट संभलेगा, समग्र औद्योगिक नीति में आदर्श परिवर्तन की आवश्यकता है, न केवल विकास को आगे बढ़ाने हेतु, बल्कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु भी। सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तथा विशाल बनाने की आवश्यकता होगी ताकि उच्च विकास पथ पर क्रमिक वापसी हो सके। इसके भाग के रूप में, भारत में श्रम बाजारों की अड़चनों को दूर करने पर फोकस की आवश्यकता है जो संगठित विनिर्माण में विकास को प्रभावित कर रही है। राष्ट्रीय तथा उप-राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर व्याप्त श्रम कानूनों को सशक्त बनाने तथा तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि एक अधिक व्यापक विधान तैयार किया जा सके। इससे पारदर्शक तथा आसानी से विनियमन होने वाला कानूनी ढांचा प्राप्त होगा जो उत्पादकों को पर्याप्त लचीलापन देते हुए कार्मिकों को तर्कसंगत सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

II.1.28 औद्योगिक सुधार न केवल विकास सुधार सकते हैं बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर सकते हैं। बढ़ती युवा जनसंख्या का जनसांख्यिकी लाभ अर्जित करने हेतु यह आवश्यक है। विनिर्माण क्षेत्र ने वर्तमान में 2011-12 के दौरान देश में कुल कार्मिकों के केवल 12.6 प्रतिशत को ही रोजगार प्रदान किया है।

II.1.29 प्रमुख आधारभूत संरचना क्षेत्र में संगठनीय बाधाओं के अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में धीमा विकास प्रौद्योगिकी ज्ञान की कमी, अनुसंधान तथा विकास हेतु समर्थन भरे माहौल की कमी तथा संस्थागत उपायों जैसे कि कौशल विकास, विनियमन तथा मानकीकरण की कमी के कारण भी रहा है। इसी रूप में, भौतिक आधारभूत संरचना, विशेष रूप से ऊर्जा तथा यातायात की दशा सुधारने के अलावा, व्यवसाय माहौल सुधारने की, तथा विनिर्माण

चार्ट II.10 : सेवा क्षेत्र जीडीपी में वृद्धि



क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को उन्नत करने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

सेवा क्षेत्र का विकास नरम रहा

II.1.30 सेवा से जुड़े क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक विकास में काफी योगदान देते हैं, हालांकि, इसमें वर्ष 2012-13 के दौरान 6.5 प्रतिशत पर 11 वर्षों में न्यूनतम विकास दर्ज हुआ है (चार्ट II.10)। उप-क्षेत्रों के बीच, 'वर्ष के दौरान वित्तपोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा तथा व्यवसाय सेवाएँ' तथा 'व्यापार, होटल, रेस्तरां, यातायात तथा दूरसंचार' का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन था जो कि घरेलू तथा वैश्विक दोनों में ही कमजोर व्यावसायिक मतों को दर्शा रहे हैं। व्यापार गतिविधि के साथ जुड़ी सेवाओं में गिरावट सुस्त घरेलू औद्योगिक परिदृश्य को दर्शाती है। व्यवसाय सेवाओं का निर्यात-प्रदर्शन कमजोर वैश्विक मांग स्थितियों द्वारा प्रभावित हुआ था।

II.1.31 सेवा से जुड़े क्षेत्र के प्रमुख संकेतकों जैसे- आटोमोबाइल बिक्री, कार्गो आवागमन तथा विदेशी पर्यटन आगमन में मंद वृद्धि इस क्षेत्र में आगे गिरावट का संकेत देती है। रिजर्व बैंक का सेवा क्षेत्र समेकित संकेतक, अप्रैल-मई 2013 में नीचे गिर गया। हालांकि, मल्टीब्रांड रिटेल, विमानन, सेल्यूलर सेवा और अन्य

क्षेत्रों में एफडीआई की मंजूरी देने हेतु हाल ही के सुधार-उपायों से इस क्षेत्र को मध्यम व लंबी समयवधि में प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। वैश्विक आर्थिक स्थितियों में कोई भी सुधार सेवा-क्षेत्र की विकास संभावनाओं पर अनुकूल प्रभाव डालेगा।


विकास का पुनरुत्थान करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के गत्यावरोधों पर ध्यान देने की आवश्यकता है

II.1.32 पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारत का आधारभूत संरचना क्षेत्र कई समस्याओं का सामना करता रहा है, जबकि विकास का पुनरुत्थान करने हेतु इन पर तुरंत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले कारक हैं- विनियामक अनुमोदन/भूमि अधिग्रहण/परियोजना स्थल सौंपने में विलंब, सशक्त पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीतियों की कमी, लचर प्रोजेक्ट योजना तथा निगरानी, परियोजनाएं शुरू होने से पहले प्रारम्भिक कठिनाइयाँ, भूवैज्ञानिक अकस्मात विपदाएँ तथा संविदा संबंधी विवाद।

II.1.33 दिनांक 1 जून 2013 को 569 केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं (रुपए 1.5 बिलियन और उससे ऊपर की राशि के) में से, लगभग आधी (277) परियोजनाओं हेतु कार्यान्वयन में विलंब की सूचना दी गई थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 18.8 प्रतिशत की ज्यादा लागत बढ़ गई। इसकी जब पिछले वर्ष की उसी अवधि के साथ तुलना की जाती है तो यह लंबित परियोजनाओं की संख्या में मामूली बढ़त दर्शाता है। हालांकि, बढ़ी हुई लागत इन क्षेत्रों जैसे कि रेलवे (135 प्रतिशत) जल संसाधन (119 प्रतिशत) तथा पेट्रो रसायन (63 प्रतिशत) में ज्यादा रही है, मार्ग यातायात तथा राजमार्ग (90 परियोजना), ऊर्जा (51 परियोजना) तथा रेलवे (35 परियोजना) में निर्धारित समय से अधिक समय लगा है। इस विलंब को कम करने के उपायों में परियोजनाओं का कड़ा मूल्यांकन, लिए गए अधिक समय तथा लागत बढ़ने हेतु जवाबदेही तय करने के लिए मंत्रालयों में स्थायी समितियों का गठन, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा आधारभूत संरचना परियोजनाओं की नियमित समीक्षा तथा गत्यावरोधों को दूर करने तथा बड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु मुख्य सचिवों के अधीन राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों का गठन शामिल है।

II.1.34 बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में तीव्रता लाने के लिए, सीसीआई के अतिरिक्त, पीएमओ ने एक परियोजना निगरानी

चार्ट II.11 : क्षमता में वृद्धिशील वृद्धि तथा विद्युत उत्पादन की वृद्धि दर



समूह की स्थापना की है जो रुकी हुई बड़ी परियोजनाओं का ध्यान रखेगा। इस बात की तात्कालिक आवश्यकता है कि ये समितियां/समूह एक-दूसरे के साथ समन्वय से कार्य करें ताकि रुकी हुई विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र अनुमति मिल जाए।

II.1.35 वर्तमान में, ऊर्जा क्षेत्र संकट में प्रतीत होता है जबकि, समाधान पहुँच से दूर है। प्राकृतिक गैस तथा कोयले की उपलब्धता में बाधाओं के कारण ऊर्जा की मांग तथा आपूर्ति के बीच काफी अंतर बना रहा है। हालांकि, इन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में लगातार बढ़त रही है, लेकिन विद्युत उत्पादन की वृद्धि दर उत्साहवर्धक नहीं रही है (चार्ट II.11)। सरकार द्वारा ली गई पहल के बावजूद, कोयला क्षेत्र कुछ वर्षों से अनगिनत समस्याओं का सामना करता रहा है (बॉक्स II.2)। वितरण कंपनियों (डिस्कोम्स) की खराब वित्तीय स्थिति भी एक बड़ा मुद्दा है जिसका ऊर्जा क्षेत्र में समाधान किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का हाल ही में लिया गया निर्णय प्रशंसनीय है जिसके द्वारा कुछ निजी ऊर्जा क्षेत्र उत्पादकों को दर सूची बढ़ाने की मंजूरी मिली। समग्र रूप से, यह आवश्यक है कि ऊर्जा क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करने हेतु बहु-आयामी नीति अपनाई जाए।

II.1.36 सड़क मार्ग क्षेत्र में, मंदी के बाद सरकार द्वारा किए संगठित प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

बॉक्स II.2

भारतीय कोयला क्षेत्र : मुद्दे तथा रणनीतियाँ

ऐसी संभावना है कि भारत में कोयले की कमी मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों के कारण मध्यावधि में बढ़े हुए स्तर पर रहेगी। प्रथम, वर्तमान कोयला उत्पादन स्तर कोयले की मांग से कम है। वर्ष 2012-13 के दौरान देश में कच्चे कोयले का कुल उत्पादन 558 मिलियन टन (एम टी) था। बारहवीं योजना दस्तावेज़ के अनुसार, 2016-17 तक यह अंतर 185 मिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान है। समग्र मांग तथा कोयले की घरेलू उपलब्धता के बीच फासला कम करने हेतु, वर्ष 2012-13 के दौरान 138 मिलियन टन कोयला आयात किया गया। कई कोयला आधारित तापीय प्लांट ईंधन की कमी तथा प्रेषण रूकावटों के कारण स्थापित क्षमता से काफी पीछे चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू प्राकृतिक गैस आपूर्तियों तथा महंगे आयात की कम मांग से समस्या और जटिल हो गई है। द्वितीय, भूमि अधिग्रहण समस्याओं से जुड़ी विनियामक रूकावटों तथा पर्यावरण तथा वन संबंधी अनापत्तियों से कोयला खनन प्रोजेक्टों में अत्यधिक विलंब होता है। तृतीय, हालांकि निजी क्षेत्र द्वारा बंधक खनन हेतु कोयला खंड आबंटन 1992 में शुरू किया गया, लेकिन 195 आबंटित कोयला खंडों में से बहुत से ने उत्पादन शुरू नहीं किया है। इनमें से बहुत से आबंटन अब रद्द किए जा रहे हैं। इसके अलावा रेल आधारभूत संरचना पर रूकावटों से कोयला उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इन सभी के कारण, बंधक खनिक उनको आबंटित खंडों से कोयले उत्पादन की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं।

आयातों पर हमारे आश्रय को कम करने के उद्देश्य से तथा घरेलू उत्पादन बढ़ाने हेतु, सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के साथ एक पीपीपी नीति रूपरेखा तैयार करने हेतु एक समिति का गठन करना, कोयला खंडों के विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण रेल लाइनों के त्वरित कार्यान्वयन के चल रहे प्रोजेक्ट व योजनाओं की आवधिक समीक्षा तथा रेक्स की बेहतर आपूर्ति शामिल है। पर्यावरण व वन मंत्रालय के साथ कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित बैठकें की जाती हैं ताकि पर्यावरण तथा वन संबंधी अनापत्तियों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। निवेश पर मंत्रीमंडल समिति, सरकार द्वारा गठित की गई है ताकि आधारभूत संरचना क्षेत्र में प्रोजेक्टों की अनापत्ति हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। समिति ने 1 मई 2013 तक 14 प्रोजेक्टों हेतु पर्यावरण अनापत्ति एवं सीआइएल की 4 परियोजनाओं हेतु चरण-1 वन-अनापत्ति प्रदान की है। भूमि अधिग्रहण तथा प्रोजेक्ट से प्रभावित

व्यक्तियों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने हेतु संबन्धित राज्य सरकार के साथ एमओसी (MOC) द्वारा बैठकें की जाती हैं।


ऊर्जा क्षेत्र में ज्यादा क्षमता बढ़ाने से कोयले की मांग पर दबाव पड़ा है, विशेष रूप से स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों (IPPs) से। IPPs तथा राज्य ऊर्जा कंपनियों के साथ अप्रैल 2012 के किए गए ईंधन आपूर्ति करारनामे (FSAs) पर कोयला आपूर्ति की समस्या दूर करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। FSA में आपूर्ति में कमी होने की दशा में आपूर्ति कर्ता कोयला कंपनी द्वारा दंड के भुगतान की भी व्यवस्था है। हालांकि, मांग की तुलना में कोयले आपूर्ति की दीर्घकालिक कमी होने पर, इन FSAs से सीमित राहत ही मिल सकती है। देश कोयले की मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त आयात पर आश्रित हुआ है। आयातित कोयला काफी महंगा है हालांकि हाल ही में वैश्विक मूल्यों में गिरावट हुई है।

घरेलू तथा आयातित कोयले के बीच मूल्य योजन (price pooling) के विकल्प पर विचार किया गया किन्तु इसमें कानूनी मुद्दों के कारण कुछेक को फायदा और कुछेक को नुकसान होने की संभावना है। इस रूप में, सीमांत लागत मूल्य निर्धारण तथा आयात पैरिटी पर कोयला मूल्य अपनाने का विकल्प बाहर आएगा, हालांकि इसमें मुद्रास्फीति मुद्दे हैं चूंकि इसमें ऊर्जा दर सूची में विनियम से वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। आर्थिक मामलों पर मंत्रीमंडल समिति ने जून 2013 में ऊर्जा उत्पादकों को कोयले की आपूर्ति हेतु एक प्रणाली का अनुमोदन किया। यह निर्णय लिया गया कि CIL तापीय ऊर्जा प्लांटों के साथ 78 GW की कुल क्षमता हेतु FSA पर हस्ताक्षर करेगा जिसके द्वारा CIL अगले दो वर्षों के लिए घरेलू उत्पादन हेतु आश्वासित कोयला मात्रा (ACQ) के 65 प्रतिशत की आपूर्ति करेगा, जो बाद में 12वीं योजना के अंतिम वर्षों तक 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। इसमें सीआइएल द्वारा कोयले का आयात करने अथवा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों के अनुसार बढ़ी हुई ऊर्जा-दर के रूप में अंतरण-प्रभाव के माध्यम से इच्छुक थर्मल पावर प्लांटों (TPPs) द्वारा सीधे कोयला आयात करने की भी व्यवस्था है। जून 2013 में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने कोयला क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने की भी घोषणा की है जो कोयला संबंधी संसाधनों के बेहतर विनियमन और संरक्षण में बहुत सहायता करेगा।

(एनएचएआई) द्वारा सड़क मार्ग परियोजनाएं प्रदान करने की संख्या वर्ष 2008-09 में 639 किमी. से वर्ष 2011-12 में 6,491 किमी. तक बढ़ गई। हालांकि, वर्ष 2012-13 में, सड़क मार्ग परियोजनाओं के प्रदान करने की संख्या में 1933 किमी. तक की (चार्ट II.12) अत्यधिक गिरावट आई थी। आशा से कम उपलब्धि मुख्य रूप से पर्यावरणीय अनापत्ति संबंधी मांगों को पूरा न कर पाने के कारण थी। सड़क मार्ग क्षेत्र में कार्यरत फर्मों की बढ़ते लीवरेज ने अड़चनें और बढ़ा दीं। इन दो कारकों ने उनके

वित्तपोषण को भी प्रभावित किया है। गिरावट के बावजूद, पहले के प्रदान किए राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण पर सरकार के संगठित फोकस के फलस्वरूप वर्ष 2012-13 में लगभग 2800 किमी. के राजमार्ग का निर्माण पूरा किया गया। हालांकि, वर्ष 2012-13 में नई परियोजनाओं के प्रदान करने में गिरावट से मध्यावधि में राजमार्गों के निर्माण पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में परियोजना समय की देरी से प्रभावित हुई है, इसके विभिन्न कारण हैं जैसे- भूमि


चाट II .12 : एनएचएआई को प्रदान की गई /द्वारा पूरी की गई परियोजनाएं



अ: अनंतिम।

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार

चाट II.13 : नई रेलवे लाइनों हेतु प्राप्त किए गए लक्ष्य



* : लक्ष्य की प्राप्ति के आंकड़े जनवरी 2013 तक के हैं

अधिग्रहण में विलंब, कंपनियों का स्थान परिवर्तन, पर्यावरणीय तथा वन अनापत्तियाँ प्राप्त करना, रेलवे अनुमोदन तथा कई मामलों में ठेकेदारों का खराब कार्यप्रदर्शन।

II.1.37 हाल ही में सरकार द्वारा इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कई सुधार उपाय किए गए हैं, अर्थात् इंजीनियरिंग को अपनाना, सड़क निर्माण के लिए ईपीसी मोड अपनाना, सड़क मार्ग प्रोजेक्टों हेतु पर्यावरणीय तथा वन अनापत्ति को अलग-अलग करना और ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत से सीधे फैलावो (लीनियर स्ट्रेच) को मुक्त रखना। इन उपायों के साथ, सरकार ने वर्ष 2013-14 में 7,300 किमी. की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मंजूरी का लक्ष्य रखा है।

II.1.38 रेलवे परियोजना के संसाधनों की सीमित उपलब्धता, चालू परियोजनाओं को तत्काल आगे बढ़ाना, भूमि अधिग्रहण तथा वन अनापत्ति की जरूरतों को पूरा करने में विलंब, कानून और व्यवस्था की समस्याओं तथा संविदा की विफलताओं के कारण अक्षम हो गए हैं जिसके फलस्वरूप 2012-13 में उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे रही (चाट II.13)। भारतीय रेलवे की संरक्षा समीक्षा पर काकोडकर समिति (2012) तथा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु सैम पित्रोदा समिति (2012) ने इस क्षेत्र के विस्तार तथा वृद्धि हेतु पीपीपी मॉडलों के महत्व को रेखांकित किया है। भारतीय रेलवे ने कई क्षेत्रों में 12वीं

पंचवर्षीय योजना में रेलवे में पीपीपी निवेश की पहचान की है जिसमें एलीवेटेड रेल कॉरीडोर, हाई स्पीड कॉरीडोर, स्टेशनों का पुनर्विकास, लोजिस्टिक पार्क, निजी रेल भाड़ा टर्मिनल, डेडिकेटेड मालभाड़ा कॉरीडोर (डीएफसी) इत्यादि शामिल हैं। डीएफसी प्रोजेक्टों की शुरुआत होने से औद्योगिक विकास तथा रोजगार सृजन हेतु अवसर पैदा होने की उम्मीद है। पहला प्रमुख सिविल ठेका जोकि लगभग 343 किमी. की दूरी का है, को हाल ही में प्रदान किया गया तथा प्राधिकरण लगभग 650 किमी. हेतु दूसरा ठेका प्रदान करने के प्रारम्भिक चरण में है। यह अनुमान है कि वर्ष 2013-14 के अंत तक 1500 किमी. से ज्यादा का दायरा पूरा करने हेतु ठेके प्रदान किए जाएंगे। इन डीएफसी हेतु भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो गया है।

II.1.39 बंदरगाह क्षेत्र में निजी निवेश महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ा है। हाल ही में, संसाधनों की बढ़ती मांग तथा प्रबंधकीय कार्यक्षमता के प्रति सरोकार तथा उपभोक्ता की प्रतिक्रिया के कारण भारतीय बंदरगाहों में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी आई है। 2012-13 में, इस क्षेत्र में लगभग रु. 67 बिलियन की 32 परियोजनाओं के अनुमानित निवेश को प्रदान किया गया, जो कि 2011-12 से काफी अधिक है। अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित समिति से अपेक्षा है कि निजी निवेश हेतु नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए


प्रणालीगत प्रयास किए जाएंगे। पीपीपी परियोजनाओं के प्रदान करने में विलंबों को दूर करने हेतु हेतु सीसीआई ने हाल ही में सड़कमार्ग क्षेत्र में एनएचडीपी परियोजनाओं के समानान्तर पीपीपी प्रणाली में बंदरगाह परियोजनाओं हेतु पोत परिवहन मंत्रालय को अधिक वित्तीय शक्तियाँ सौंपने हेतु एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है। 5 बिलियन (रुपए 3 बिलियन से बढ़ाकर) तक की पीपीपी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु नौवहन मंत्रालय को अधिक वित्तीय शक्तियाँ/दिये जाने से निवेश अनुमोदनों के बढ़ने तथा बंदरगाह क्षमता में तेजी से विकास होने की उम्मीद है।

सन 2000 के दशक में संगठित विनिर्माण में रोजगार बढ़ने में वृद्धि

II.1.40 उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, 2000 के दशक के दौरान, संगठित औद्योगिक क्षेत्र में 4.7 मिलियन रोजगार पैदा किए गए जिसमें से 75 प्रतिशत से अधिक तो दशक के उत्तरार्द्ध में पैदा किए गए (चार्ट II.14)। यह पिछले दो दशकों की तुलना में संगठित रोजगार में वृद्धि में तेजी को दर्शाता है।


II.1.41 रोजगार लोच, जो आउटपुट की वृद्धि में प्रतिशतता परिवर्तन के लिए रोजगार वृद्धि में परिवर्तन दिखलाता है, को एएसआई के आंकड़ों के अनुसार संगठित औद्योगिक क्षेत्र के लिए 0.2 पर युक्तिसंगत पाया गया। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भी, भारतीय संगठित औद्योगिक क्षेत्र में सकारात्मक रोजगार

चार्ट II.14 : कुल रोजगार तथा कामगार (मिलियन में)



स्रोत: एएसआई, एमओएसपीआई, भारत सरकार

चार्ट II.15 : प्रति कामगार सकल मूल्य योजन तथा स्थिर कीमतों पर प्रति कामगार पारिश्रमिक



लोच देखी गई हालांकि यह मामूली ही थी। यद्यपि, दशक के दौरान रोजगार सृजन करने में उद्योगों में सर्वत्र भिन्नता थी।

II.1.42 संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के अनुरूप, विशेषकर 2000 के दशक के उत्तरार्द्ध में पारिश्रमिक ऊंची दर पर पहुँच गये थे। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान पारिश्रमिक वृद्धि श्रम उत्पादकता वृद्धि से आगे बढ़ गई, संभवतया इससे मुद्रास्फीति दबाव बढ़ गया (चार्ट II.15)।

2012-13 में रोजगार सृजन धीमा रहा

II.1.43 चुने हुए निर्यात-उन्मुख उद्योगों हेतु श्रम ब्यूरो द्वारा संचालित आवधिक त्वरित रोजगार सर्वेक्षणों के अनुसार, रोजगार सृजन जो कि 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान सुदृढ़ रहा, 2011-12 की अंतिम तिमाही से नरम पड़ गया। 2012-13 में यह प्रवृत्ति जारी रही, जिसके फलस्वरूप 2012-13 में पिछले वर्ष की तुलना में संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन अत्यधिक नीचे आ गया (सारणी II.1)। केवल टेक्सटाइल और चमड़े को छोड़कर, पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में नरमी दिखाई पड़ी। उद्योगों में आईटी/बीपीओ क्षेत्र ने रोजगार वृद्धि में सबसे अधिक कमी दिखाई।

II.1.44 वर्ष 2011-12 हेतु रोजगार तथा बेरोजगारी पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (68वां चरण) का नवीनतम चरण दर्शाता

सारणी II.1: रोजगार में परिवर्तन


(मिलियन में)

उद्योग	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
कपड़ा	0.06	0.10	0.09	0.14
चमड़ा	0.01	0.03	-0.02	0.01
धातु	0.09	0.09	0.08	0.04
ऑटोमोबाइल	0.08	0.11	0.03	0.02
रत्न एवं आभूषण	0.07	0.00	0.03	0.02
यातायात	-0.01	0.00	0.04	0.00
आईटी-बीपीओ	0.69	0.67	0.58	0.12
हैंडलूम-पवरलूम	0.07	-0.01	0.00	0.00
समग्र	1.07	0.98	0.83	0.35

स्रोत: श्रम ब्यूरो।

है कि बेरोजगारी दर जो सामान्य (मुख्य तथा अनुषंगी) स्टेटस (यूपीएसएस) के संबंध में 2009-10 में गिर गई थी, 2009-10 में 2.0 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 2.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.16)। वर्तमान दैनिक स्थिति (सीडीएस) के अनुसार, बेरोजगारी दर ने 2009-10 में 6.6 प्रतिशत से 2011-12 में 5.6 प्रतिशत तक अपनी गिरावट जारी रखी, जोकि बेरोजगार-व्यक्ति-दिनों में गिरावट दर्शाता है। श्रमिक दल सहभागिता दर

चार्ट II.16: बेरोजगारी दर



स्रोत: एनएसएसओ, एमओएसपीआई

विशेष रूप से स्त्रियों के मामले में पिछले चरणों की तुलना में 2011-12 में घट गई।

2011-12 में गरीबी अनुपात में कमी हुई है

II.1.45 एनएसएसओ द्वारा संचालित हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के 68वें चरण के आधार पर योजना आयोग के अनुसार, गरीबी के अनुपात में अत्यधिक कमी हुई है जो वर्ष 2004-05 के 37.2 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2011-12 में 21.9 प्रतिशत हो गया है। इन सात वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में 137 मिलियन की कमी हुई है जो वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन थी और वर्ष 2011-12 में 270 मिलियन हो गई³। जहां ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का अनुपात 2004-05 के 41.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 25.7 प्रतिशत हो गया, वहीं शहरी क्षेत्र में गरीबी का अनुपात 25.7 प्रतिशत से घटकर 13.7 प्रतिशत हो गया। वस्तुतः, हाल के सात वर्षों की अवधि में गरीबी के अनुपात में कमी की दर (2.2 प्रतिशतता बिंदु प्रति वर्ष) पिछले 11 वर्ष की अवधि अर्थात् 1993-94 से 2004-05 की अवधि की दर (प्रति वर्ष 0.74 प्रतिशत) औसतन बहुत अधिक थी। रंगराजन समिति द्वारा वर्तमान पद्धति की समीक्षा पूरी होने के बाद यह अनुमान बदल सकते हैं, लेकिन योजना आयोग की यह अपेक्षा है कि गरीबी में कमी की यह व्यापक दर बनाए रखी जानी चाहिए।


II.2 मूल्य की स्थिति

2012-13 के अंत में हेडलाइन मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम हुई

II.2.1 तीन वर्षों (2010-13) में लगातार उच्च रही हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) मार्च 2013 में 5.7 प्रतिशत तक गिरी। 2013-14 की पहली तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति गिरावट दर्ज करते हुए औसतन 4.7 प्रतिशत तक पहुँची और जुलाई 2013 में वह 5.8 प्रतिशत तक बढ़ गई। इस तरह, 2012-13 के दौरान अधिकांश समय वह आरंभिक स्तर के ऊपर ही रही और ऐसी स्थिति संवृद्धि के लिए हानिकारक होती है। 2012-13 की प्रथम छमाही के

³ 2011-12 के लिए तेंदुलकर पद्धति कर उपयोग करते हुए राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹816 प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह पर होने का अनुमान है।

चार्ट II.17: मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति: शोक मूल्य सूचकांक



दौरान, यह औसतन 7.7 प्रतिशत रही एवं सितंबर 2012 में 8.1 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच गई। मार्च 2013 में 5.7 प्रतिशत तक गिरने से पहले मुद्रास्फीति अक्टूबर से लगातार पाँच माह तक करीब 7.3 प्रतिशत रही (चार्ट II.17)।

II.2.2 सतत मुद्रास्फीति के समग्र कारणों में ईंधन उत्पादों के नियंत्रित मूल्यों में संशोधन, देरी से एवं अनियमित आए मानसून के कारण खाद्य मूल्यों में निरंतर दबाव एवं वैश्विक पण्य मूल्यों का अंतरण प्रभाव तथा विनियमन दर में परिवर्तन शामिल थे। वैश्विक पण्य मूल्यों और खाद्य मुद्रास्फीति में आई गिरावट की वजह से मार्च 2013 में मुद्रास्फीति में कमी हुई। खाद्येतर



विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति अगस्त 2012 में 5.8 प्रतिशत रही, जबकि जून 2013 और जुलाई 2013 में वह 2.0 और 2.4 प्रतिशत हुई। इस क्षेत्र की मुद्रास्फीति में जो कमी आई वह संवृद्धि में आई नरमी और मुद्रास्फीति को रोकने एवं अंकुश लगाने की प्रत्याशा के उद्देश्य से पिछली मौद्रिक नीति के अंतर्गत की गई कार्रवाइयों के साथ-साथ फर्मों की कमजोर मूल्य-निर्धारण क्षमता की वजह से थी।

II.2.3 हेडलाइन मुद्रास्फीति में कम स्तरीय अस्थिरता देखने को मिली। इससे उसके रुख का पता चलता है (चार्ट II.18ए)। प्रमुख गुणों में मुद्रास्फीति की परिवर्तनीयता में क्रमिक रूप से कमी हुई जो यह दर्शाता है कि हाल ही में मुद्रास्फीति में आई गिरावट व्यापक हो गई थी। (चार्ट II.18बी)।

बदलते सापेक्षिक मूल्यों ने मुद्रास्फीति को गहराया

II.2.4 प्रमुख आपूर्ति चालित वस्तुओं जैसे- खाद्य एवं ईंधन के सापेक्षिक मूल्य की प्रवृत्ति को देखकर भी मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि पण्य-मूल्य में वृद्धि आपूर्ति संबंधी आघातों के कारण है जो अस्थायी हो तो मुद्रास्फीति पर प्रभाव कुछ समय के लिए होता है एवं मौद्रिक नीति इस प्रकार के एकाध आघातों को नजर अंदाज सकती है। लेकिन आपूर्ति संबंधी आघात निरंतर हो तो मुद्रास्फीति पर प्रभाव ज्यादा समय तक रहता है एवं उसे नियंत्रित करना तब तक कठिन होता है जब तक सापेक्षिक मूल्यों में परिवर्तन वांछित आपूर्ति प्रतिक्रिया या संसाधन का पुनर्विनियोजन को प्रदर्शित नहीं करता। अतः, प्रचलित सापेक्षिक मूल्य मौद्रिक नीति की प्रभावोत्पादकता को सीमित कर सकता है, क्योंकि वे संपूर्ण मुद्रास्फीति के आपूर्ति संबंधी कारकों के निरंतर योगदान की ओर संकेत करते हैं।


चार्ट II.18: मुद्रास्फीति में अस्थिरता एवं परिवर्तन



टिप्पणी: अस्थिरता को वर्ष के दौरान मासिक मुद्रास्फीति (व-द-व) में परिवर्तन के गुणांक के रूप में परिभाषित किया है।

सापेक्षिक मूल्य परिवर्तनशीलता (आरपीवी) के सूचकांक को समग्र मुद्रास्फीति में से पण्य मुद्रास्फीति में परिवर्तन की भारित राशि के रूप में मापा जाता है: $RPV_t = \sqrt{\sum_{i=1}^n w_{it} (\pi_{it} - \pi_t)^2}$ (जिसमें π_t समय में पण्य उप-समूह i में मुद्रास्फीति है; π_t समय में मुद्रास्फीति की औसत दर है और w_{it} मूल्य सूचकांक में पण्य उप-समूह i का भार है।)

चार्ट II.19: खाद्य एवं ईंधन के सापेक्षिक मूल्य (डब्ल्यूपीआई)



टिप्पणी: खाद्य/ईंधन समूह के सूचकांक को विनिर्मित अखाद्य उत्पादों के सूचकांक से विभाजित कर खाद्य और ईंधन के सापेक्षिक मूल्य को निकाला जाता है।

II.2.5 खाद्य पदार्थों एवं ईंधन के सापेक्षिक मूल्यों की हाल की प्रवृत्तियाँ संकेत करती हैं कि खाद्य पदार्थों के सापेक्षिक मूल्य 2008 के प्रारम्भ तक स्थिर रहे तथा उसके बाद उसकी प्रवृत्ति अत्यधिक वृद्धि की ओर रही (चार्ट II.19क)। मुद्रास्फीति की निरंतरता और खाद्य एवं खाद्येतर पदार्थों में मुद्रास्फीति के बीच की भिन्नता में भी इसका योगदान रहा। ईंधन के सापेक्षिक मूल्यों में निरंतर बढ़ने की प्रवृत्ति रही, विशेषतः हाल ही की अवधि में। (चार्ट II.19ख)। जहां खाद्य पदार्थों के सापेक्षिक मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ खाद्य मुद्रास्फीति को सतत बनाए रखने में घरेलू मांग एवं आपूर्ति कारकों दोनों की भूमिका को प्रदर्शित करती हैं, वहीं कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में वृद्धि एवं नियंत्रित मूल्यों के क्रमिक समायोजन के अनुरूप ईंधन के सापेक्षिक मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति रही।


संवृद्धि में आई कमी भी मुद्रास्फीति को कम करने में सहायक रही

II.2.6 समस्त आर्थिक गतिविधियों की प्रवृत्ति के साथ देखा गया मुद्रास्फीति का दायरा संकेत करता है कि मुद्रास्फीति में हाल ही में आई गिरावट का कारण संभावना से कम वृद्धि दर की वजह से है जैसा कि एक वर्ष से अधिक समय तक नकारात्मक ऋणात्मक उत्पादन अंतर से ज्ञात होता है (चार्ट II.20)। 2012-13 के दौरान मौद्रिक नीति का रुझान नपे-तुले ढंग से नरमी की ओर रहने को भी इस प्रमुख गतिविधि में हिसाब में लिया गया है, क्योंकि ऋणात्मक उत्पादन अंतर के बने रहने से मांग संबंधी दबाव कम हुआ जिसके चलते मौद्रिक नीति को वृद्धि का समर्थन करने की गुंजाइश मिली।


खाद्य मुद्रास्फीति उच्च रही लेकिन उसके संचालक परिवर्तित हो गए

II.2.7 समग्र मुद्रास्फीति में नरमी के बावजूद, 2012-13 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति लगातार चिंता का विषय बनी रही क्योंकि गत वर्ष में औसतन खाद्य मुद्रास्फीति 7.3 प्रतिशत से 9.9 प्रतिशत तक बढ़ गयी थी (अनुबंध सारणी 8)। वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति के संचालक भी पर्याप्त रूप से परिवर्तित हो गए। वर्ष के प्रारंभिक महीनों के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति प्रोटीन आधारित वस्तुओं के अलावा सब्जियों एवं खाद्य तेलों के कारण बनी रही। बाद में देरी से आए प्रतिकूल दक्षिण-पश्चिम मानसून ने खाद्य पदार्थों की कीमतों को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसने

चार्ट II.20: मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियाँ और उत्पादन अंतराल



चार्ट II.21: खाद्य मुद्रास्फीति के संचालक



अनाजों एवं दालों में मुद्रास्फीति के दहाई अंक प्रदर्शित किए, जोकि एक प्रमुख दबाव का कारक रहा (चार्ट II.21)। बृहत स्टाक की उपलब्धता जोकि बफर नियमों के अधिक होने के बावजूद अनाज की कीमतों में मुद्रास्फीति सतत बनी रही। वर्षात में मुख्य रूप से दूध की कीमतों में कमी आने के कारण प्रोटीन आधारित खाद्य मुद्रास्फीति में कुछ ज्यादा नरमी दिखी। दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेलों और चीनी के कारण वर्षात में विनिर्मित खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति में भी नरमी बनी रही। परंतु ग्रेन मिल उत्पादों की मुद्रास्फीति अनाज की कीमतों की प्रवृत्तियों के अनुरूप रही तथा बाद के महीनों में बढ़ गई।

II.2.8 खाद्य मुद्रास्फीति का निरंतर उच्च स्तर, आपूर्ति और संरचनात्मक कारकों को प्रदर्शित करता है। बढ़ती आय के साथ बढ़ी हुई मांग और आहार संबंधी पैटर्न में प्रोटीनयुक्त उत्पादों का झुकाव मुद्रास्फीति के बने रहने की स्थिति का अंशतः व्याख्या करता है। एनएसएसओ के घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण के परिणाम संकेत करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, समग्र खाद्य मुद्रास्फीति में प्रोटीन युक्त उत्पादों का भाग 2004-05 में 27.1 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 32.5 प्रतिशत पर पहुँच गया। शहरी क्षेत्रों में, उसी अवधि के दौरान यह 29.9 से बढ़कर 33.0 पर पहुँच गया।

II.2.9 आपूर्ति पक्ष में, हाल के वर्षों में निवेश लागत में पर्याप्त बढ़ोतरी रही तथा कृषि मजदूरी में भी पर्याप्त वृद्धि हुई

(सारणी II.2)। इससे अधिकांश फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी वृद्धि हुई क्योंकि इसमें लागत-योग्य दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसने मुद्रास्फीति को और बढ़ा दिया। हाल के वर्षों में, कृषि उत्पादन लागत में वृद्धि के प्रमुख कारक मजदूरी में वृद्धि रही है। मूल्यों में वृद्धि की तुलना में मजदूरी में वृद्धि ज्यादा हुई है जिसने वास्तविक मजदूरी को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, आय में वृद्धि के कारण वास्तविक खपत व्यय, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्याप्त रूप से बढ़ चुका है। घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ के 68वें चरण के सर्वेक्षण (2011-12) के परिणाम संकेत करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 2004-05 से 2009-10 के 1.4 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 से 2011-12 के दौरान 8.4 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई। उसी प्रकार इस अवधि में शहरी वास्तविक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय वृद्धि 2.7 प्रतिशत से 6.2 प्रतिशत तक रही।

वर्ष के दौरान दबी हुई मुद्रास्फीति को मुक्त कर दिए जाने से ईंधन संबंधी मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई

II.2.10 कच्चे तेल की कीमतों में (भारतीय बास्केट) 2011-12 में 111.9 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरेल के मुकाबले 2012-13 के दौरान 108.0 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरेल की कुछ कमी आई। इससे नियंत्रण मुक्त मूल्य वाले खनिज तेल उत्पादों की मुद्रास्फीति में कुछ नरमी आई। फिर भी नियंत्रित मूल्यों में संशोधन के बावजूद हाल ही में बढ़े तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से यह अत्यधिक कम रहा, जिससे कम-वसूली की राशि बढ़ गई। कम-वसूली के असहनीय वित्तीय बोझ से निपटने के लिए,

सारणी II.2: चुनिन्दा कृषि निविष्टि मूल्यों में वृद्धि


(वार्षिक औसत, प्रतिशत)

	2004-05 से 2007-08	2008-09 से 2012-13
1	2	3
खाद्य पदार्थ	7.3	11.4
उर्वरक एवं कीटनाशक	1.7	7.8
चारा	1.3	19.5
गोला (कैटल फीड)	12.2	10.2
उच्च गति का डीजल	4.5	8.0
विद्युत (कृषि)	2.3	8.7
ट्रैक्टर	3.6	5.4
मजदूरी (औसत)	6.2	17.3

स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय

सितंबर 2012 में डीजल के मूल्यों में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद, 17 जनवरी 2013 को डीजल के अधिकांश उपभोक्ताओं को गैर-आर्थिक सहायता वाले मूल्यों पर बेचने हेतु तेल बाजार की कंपनी (ओएमसी) को अनुमति दे दी गई और डीजल के खुदरे मूल्य को भिन्नकालिक तरीके से बढ़ाया गया। वित्तीय वर्ष में सरकार ने प्रति उपभोक्ता आर्थिक सहायता वाले एलपीजी सिलिंडरों (14.2 कि.ग्रा. के) की संख्या छह तक सीमित करने का निर्णय लिया जिसे बाद में नौ कर दिया गया। इन उपायों के बावजूद, लगभग पूरे वर्ष में तेल के मूल्यों में नरमी, स्थायी विनिमय दरों के बावजूद, तेल बाजार की कंपनियों की कुल रिपोर्ट की गई कम-वसूली बहुत ज्यादा अर्थात् 1.61 ट्रिलियन रुपए रही। नियंत्रित ईंधन मूल्यों में संशोधन ने बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को कुछ कम किया तथा ईंधन के नियंत्रित एवं अनियंत्रित मूल्यों के अंतर को कम किया (चार्ट II.22)। जहां डीजल के मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी से अल्पावधि में मूल्य के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है वहीं कीमतों के समायोजित हो जाने के कारण राजकोषीय बोझ में कमी आने से मध्यावधि में मूल्य स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

II.2.11 डीजल मूल्यों के क्रमशः संशोधन तथा कच्चे तेल के वैश्विक मूल्यों में कमी के कारण अप्रैल-मई मार्च 2013 के दौरान कम-वसूली की राशि में काफी गिरावट आई। जून 2013



से विनिमय दर में आई गिरावट तथा कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी होने के चलते मुक्त रूप से मूल्य निर्धारित वस्तुओं तथा नियंत्रित मूल्य वाली वस्तुओं की कम वसूली में बढ़ोतरी हुई।

II.2.12 हाल के वर्षों में कोयले की बढ़ती मांग पूरी करने में कोयले का देशी उत्पादन कम पड़ने के कारण इसके आयात पर निर्भरता बढ़ गई (बाक्स II.2 देखें)। कोयले के अंतरराष्ट्रीय मूल्य देशी मूल्यों की तुलना में काफी अधिक बने रहे, हालांकि वैश्विक मूल्यों में गिरावट के कारण इस अंतर में कमी आई। सरकार ने ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के दायित्वों को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को कोयले का आयात करके उसे लागत प्लस आधार पर थर्मल पॉवर प्लांटों को आपूर्ति करने की अनुमति दी है। इससे बिजली उत्पादन की निविष्टि लागत बढ़ सकती है जिससे बिजली के मूल्यों पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा, सीआईएल ने मई 2013 के अंतिम सप्ताह में कोयले के मूल्यों में वृद्धि की है जिससे आगे दबाव में वृद्धि हो सकती है।

II.2.13 कई राज्यों ने बढ़े हुए पावर टैरिफ पहले से ही लागू कर दिया है, जिससे मई 2013 में विद्युत मूल्य सूचकांक में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (डिस्कम्स) को बेहतर करने हेतु राज्य विद्युत बोर्ड की ऋण पुनर्संरचना से वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, जिसके फलस्वरूप उनकी सहनक्षमता में सुधार आएगा। यद्यपि, ऋण पुनर्संरचना उसे वित्तीय सक्षम बनाने हेतु मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि पर निर्भर है, इसलिए आगे उपभोक्ता टैरिफों पर भी दबाव हो सकता है। चूंकि बिजली का 57 प्रतिशत कोयला- आधारित थर्मल-पावर-प्लांट से पैदा होती है, इसलिए बिजली मूल्य कोयले के मूल्य पर काफी निर्भर रहते हैं।


व्यापक मुद्रास्फीति दबावों में अत्यधिक नरमी आई

II.2.14 खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति, जिसे व्यापक मुद्रास्फीति दबावों के रूप में देखा जाता है, में वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान अत्यधिक कमी रही तथा मार्च 2013 में 3.6 प्रतिशत तक पहुँच गई। यह जून 2013 में 2.0 प्रतिशत तक कम हो गई और बाद में जुलाई 2013 में इसमें 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस समूह में मुद्रास्फीति में कमी रहने का कारण धातुओं, वस्त्रों और रासायनिक वस्तुओं के योगदान में कमी आना

था, जिनके मूल्य में वैश्विक मूल्यों में कमी के फलस्वरूप नरमी बनी रही (चार्ट-II.23)। इस भाग में मुद्रास्फीति में नरमी फर्मों की मूल्यनिर्धारण क्षमता में कमी की ओर भी संकेत करती है, क्योंकि वृद्धि में अत्यधिक कमी मांग में कमी लाई। मूल्य-निर्धारण क्षमता का अनुभवजन्य आंकलन एवं भारत में मुद्रास्फीति पर उसका प्रभाव संकेत करते हैं कि मूल्य-निर्धारण क्षमता, मध्यवर्ती सामग्रियों की मुद्रास्फीति को अत्यधिक रूप से प्रभावित करती है। (बॉक्स II.3)।

II. 2.15 मौद्रिक नीति के समाने सबसे बड़ी चुनौती उपयुक्त मूल्य सूचकांक की पहचान करना है, ताकि वह मूल्य-स्थिरता के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे लक्ष्य कर सके। समग्र मुद्रास्फीति में अनेक मदें शामिल होती हैं जो अत्यधिक अस्थिर होती हैं तथा अल्पकालीन आपूर्ति की गड़बड़ी से संचालित हो जाती हैं, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि अल्पकालीन

चार्ट II.23: खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति



बॉक्स II.3

मूल्य-निर्धारण क्षमता और मुद्रास्फीति

सूक्ष्म स्तर पर मूल्य-निर्धारण क्षमता का तात्पर्य है किसी पण्य वस्तु की मांग को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किए बिना उसके मूल्य में किस प्रकार बढ़ोतरी की जा सकती है। इस प्रकार, मांग के निश्चित स्तर स्तर पर मूल्य निर्धारण क्षमता के माध्यम से यह परिकल्पित किया जा सकता है कि किसी कारोबार में निविष्टि-लागतों की बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर तैयार वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी करते हुए किस सीमा तक लादा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में किसी एकल फर्म या फर्म समूह के लाभ मार्जिन को मूल्यनिर्धारण क्षमता के एक परोक्षी मापन के रूप में माना जा सकता है। अनुभवजन्य आकलनों से यह पता चलता है कि फर्म किस हद तक प्रतिस्पर्धी फर्मों पर मूल्य की बढ़ोतरी और विनियम दर के उतार-चढ़ावों या अन्य कारकों की वजह से लागत में होने वाली बढ़ोतरी का प्रभाव अंतरित कर पाती हैं, यह मुद्रास्फीति के स्तर पर निर्भर करता है (टैलर, 2000)। कम तथा सुस्थिर मुद्रास्फीति की स्थिति से कीमत में परिवर्तन की संभावना कम होती है तथा इससे परिणामी प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रकार मूल्यनिर्धारण क्षमता के घटते परिदृश्य में यह आशा की जाती है कि बढ़ोतरी का असर कम होने पर मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति मूल्यनिर्धारण क्षमता के अनुरूप होगी।

मूल्यनिर्धारण क्षमता में होने वाले उतार-चढ़ाव से उत्पादन प्रभावित हो सकता है। विस्तार वाले दौर में निविष्टि लागत में कमी होने तथा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी होने अथवा दोनों ही कारणों से या विपरीत स्थिति में लाभ मार्जिनों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, बाजार का ढांचा मूल्यनिर्धारण के व्यवहार को प्रभावित करता है। किंतु इस अनुसंधान से यह पता नहीं चलता है कि क्या उच्च बाजार संकेंद्रण से हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चतर मूल्य निर्धारण की क्षमता बढ़ जाती है और उससे मुद्रास्फीति असहज स्तर तक पहुंच जाती है (अस्प्लुंड और नोके, 2006)। मानक आर्थिक सिद्धांत के अनुसार विस्तार वाले दौर में जब फर्मों श्रमिकों, पूंजी तथा अन्य निविष्टियों का

बड़े पैमाने पर उपयोग करती हैं तो उत्पादन लागत के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है तथा फर्मों को बढ़ती मांग की स्थितियों के चलते उच्चतर उत्पाद मूल्य के रूप में कीमतों में हुई बढ़ोतरी को अंतरित करने की अधिक गुंजाइश होती है। इसके विपरीत, जब गहनता का स्तर अपेक्षाकृत कम रहता है, तो उत्पादन लागतों में धीमी गति से वृद्धि होती है (अथवा उसमें गिरावट भी आती है) और फर्मों को कीमत बढ़ाने की गुंजाइश कम रहती है। यह दर्शाता है कि बाजार की शक्ति एवं आर्थिक कार्यकलापों का स्तर मूल्यनिर्धारण की क्षमता को प्रभावित करता है और इसका संबंध मुद्रास्फीति तथा उत्पादन से है।

भारत में 2009 से परिचालन लाभ मार्जिन अर्थात् 'ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा विनियोजन पूर्व अर्जन' (ईबीआईटीडीए) में कमी आई है। सूचीबद्ध 995 गैर-खाद्य विनिर्माता कंपनियों के आंकड़े दर्शाते हैं कि ईबीआईटीडीए मार्जिन 2009 की पहली तिमाही के 17.4 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से 2011-12 की तीसरी तिमाही में घटकर 11.1 प्रतिशत हो गया। मूल्यनिर्धारण की क्षमता, जिसकी माप ईबीआईटीडीए से की जाती है, में आई गिरावट व्यापक स्तर पर परिलक्षित होती है, हालांकि इसकी तीव्रता सभी उद्योगों में समान नहीं होती है। इस अवधि में मौद्रिक नीति संकुचनकारी रही और इसने ब्याज दरों में कई बार बढ़ोतरी की। तथापि, गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों की थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति ने तदनुसार गिरावट की प्रवृत्ति नहीं दर्शाई एवं हाल की अवधि तक यह असहज स्तर पर बनी रही। दूसरी ओर 2010-11 की तीसरी तिमाही से विनिर्माण उद्योगों की वृद्धि दर में गिरावट आनी शुरू हो गई।

मूल्यनिर्धारण की क्षमता (ईबीआईटीडीए मार्जिन द्वारा मापित), मुद्रास्फीति तथा विनिर्मित उत्पादन (आईआईपी में वृद्धि द्वारा मापित) के बीच के संबंधों

(जारी...)

का स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (एसवीएआर) पद्धति का उपयोग करके, बाजार की शक्तियों (हेर्फिन्डल - हिर्शमैन सूचकांक द्वारा मापित, जिसकी गणना फर्मों की बिक्री के हिस्से के वर्ग के जोड़ के रूप में की जाती है) के असर को नियंत्रित करके तथा आर्थिक कार्यकलापों के स्तर (जिसकी माप भारत के लिए ओईसीडी कंपोसिट लीडिंग इंडिकेटर से की जाती है) का उपयोग करके अर्थमिक्तिक ढांचे में अध्ययन किया गया।

अनुभवजन्य परिणाम दर्शाते हैं कि मूल्यनिर्धारण क्षमता का, एमएफएमपी समूह की कंपनियों पर समग्र स्तर पर सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण, धनात्मक तथा विलंबित असर पड़ता है। मुद्रास्फीति पर मूल्यनिर्धारण की घटती क्षमता का असर भी धनात्मक पाया गया, किंतु यह अपेक्षाकृत कमजोर है। मूल्यनिर्धारण

क्षमता में गिरावट आने का असर उत्पादन में गिरावट के रूप में पहले दिखाई पड़ता है और उसके बाद मुद्रास्फीति पर। परंतु उपयोग-आधारित समूहों के अंतर्गत मुद्रास्फीति और उत्पादन वृद्धि पर मूल्यनिर्धारण क्षमता का असर केवल मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए उल्लेखनीय और धनात्मक होता है।

संदर्भ

टैलर, जे.बी.(2000), 'लो इन्फ्लेशन, पास-थ्रू, एंड द प्राइसिंग पावर आफ फार्मर्स', यूरोपियन इकॉनॉमिक रिव्यू, 44(7), 1389-1408

अस्प्लुंड, एम और वी. नोके, (2006), 'फर्म टर्नओवर इन इंपेफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट्स', रिव्यू ऑफ इकॉनॉमिक स्टडीज, 73, 295-327

अस्थिरता में मूल्यों की अंतर्निहित प्रवृत्ति क्या है। आमतौर पर, कई केंद्रीय बैंकों द्वारा मूल मुद्रास्फीति (जो ऐसी अस्थिर मर्दों को शामिल नहीं करती है) की माप का इस्तेमाल अंतर्निहित मूल्य प्रवृत्ति जानने के लिए किया जाता है। भारत के मामले में, हाल के

अनुभव यह बताते हैं कि मूल मुद्रास्फीति की माप भी सामान्यतया उतना ही अस्थिर पाई गई जितनी कि हेडलाइन मुद्रास्फीति, और इसीलिए किसी भी विशेष माप का सर्वोत्तम उपयोग संदर्भ-विशेष के अनुसार ही किया जा सकता है (बॉक्स II.4)।

बॉक्स II.4

मूल मुद्रास्फीति : वैकल्पिक पद्धतियां

आमतौर पर, मूल-मुद्रास्फीति की माप जिस पर विभिन्न मौद्रिक उपकरणों का उपयोग करके प्रभावी निगरानी एवं नियंत्रण रखा जा सकता है, की पहचान नीतिगत उद्देश्यों से की जाती है। मुद्रास्फीति के बने रहने वाले घटकों को 'मूल-मुद्रास्फीति' कहा जाता है, जिनमें दीर्घकालिक विशेषताएं होती हैं और भावी मुद्रास्फीति के बारे में भविष्यवाणी करने की शक्ति रखते हैं। मिशकिन (2007) ने लिखा है 'मूल माप प्रायः हेडलाइन सूचकांकों की तुलना में और बेहतर तरीके से मुद्रास्फीति में होने वाले स्थायी परिवर्तनों के बारे में प्रारंभिक अंदाजा बता देती है।' 'ये मुद्रास्फीति के उन घटकों को भी माप लेती हैं जिनका निर्धारण मांग की स्थितियों द्वारा होता है (मोहंती, एट, एल 2000)।

हालांकि शब्द 'मूल मुद्रास्फीति' का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, किंतु अनुसंधानकर्ताओं में इसकी परिभाषा के बारे में आम सहमति नहीं है। साहित्य से ज्ञात होता है कि मूल-मुद्रास्फीति में आदर्श विशेषता इस प्रकार की होनी चाहिए- ए) मुद्रास्फीति की दीर्घकालिक प्रवृत्ति का अच्छा सूचक, बी) अनुभवजन्य कार्यों के लिए मुद्रास्फीति का एक अच्छा मापक, और सी) मौद्रिक नीति के लिए एक संभाव्य लक्ष्य। मूल मुद्रास्फीति की गणना के लिए विभिन्न पद्धतियां सुझाई गई हैं। कुछ तरीके वस्तुओं के स्वरूप पर आधारित हैं तो कुछ मूल्य की अस्थिरता पर आधारित हैं। ये तरीके इस प्रकार हैं:

निष्कासन-आधारित मूल मुद्रास्फीति

मूल मुद्रास्फीति की गणना का एक आसान तरीका यह है कि उसमें खाद्य और ऊर्जा संबंधी वस्तुओं को शामिल न किया जाए, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति कम होने से उनके मूल्य में अत्यंत उतार-चढ़ाव होता है। इस प्रकार के उपाय आसानी से समय पर समझे जा सकते हैं। किंतु, हटाए जाने वाले घटकों का चयन मनमाना है और ऐसा करने से शामिल किए गए घटकों के भीतर जो

तुलनात्मक मूल्य-आघात पहुंचता है, यह उसे दूर करने में सफल नहीं है। यह भी हो सकता है कि जिन घटकों को हटा दिया गया है वे उन घटकों की तुलना में कम अस्थिर हों जिन्हें शामिल किया गया है और उनमें से कुछेक मुद्रास्फीति पर दीर्घकाल में प्रभाव डालने वाले हो सकते हैं। भारत जैसे देश में, जहां भोजन और ईंधन, उपभोक्ता-टोकरी का अहम हिस्सा होते हैं, इस प्रकार के निष्कासन-आधारित उपाय एक ऐसी मूल मुद्रास्फीति की ओर ले जाएंगे जो जीवन-यापन की लागत में परिवर्तनों को सही-सही दर्शाने वाली नहीं होगी।

मध्यमान (मीडियन)-आधारित मूल मुद्रास्फीति

मीडियन-आधारित मूल मुद्रास्फीति की स्थिति अधिक बेहतर है क्योंकि इसके लिए पहले से वस्तुओं के चयन या अचयन की जरूरत नहीं होती है। यह किसी एक वस्तु पर पड़ने वाले भारी आघात के प्रति संवेदनशील भी नहीं है, अतः सांख्यिकीय दृष्टि से इसका उपयोग और भी दमदार है। यदि मूल्यों की कठोरता और लागतों की सूची को सामने रखकर इसके बारे में आर्थिक बहस की जाए तो भी इसका उपयोग तर्कसंगत होगा। लेकिन मीडियन ऐसे घटकों को हटा देता है जिनकी वजह से अपेक्षाकृत भारी मूल्य-परिवर्तन होते हैं और जब इसका उपयोग मूल-मुद्रास्फीति के उपाय के रूप में किया जाएगा तो इन मूल्य-परिवर्तनों की कमी महसूस की जाएगी जो मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के संबंध में उपयोगी जानकारी मुहैया कराते हैं।

व्यवस्थित औसत (मीन)-आधारित मुद्रास्फीति

व्यवस्थित मीन-आधारित मुद्रास्फीति के उपायों का मध्यमान-धारित उपायों के साथ निकट का संबंध है, जो क्रमानुसार भारत कंपोनेंट मुद्रास्फीति दर का औसत होता है और जिसमें से ऊपरी एवं निचले हिस्से को हटा दिया जाता

(जारी...)

है। व्यवस्थित मीन उपायों में अधिक से अधिक अस्थिर मदों को हटा देने की क्षमता है और यह स्थायी बनी रहने वाली मुद्रास्फीति की स्थिति उपलब्ध कराता है। किंतु, व्यवस्थित उपायों में भी वही समस्याएं हैं जो मध्यमान उपायों में हैं।


ऐतिहासिक मानक-विचलन आधारित मूल मुद्रास्फीति

यह एक अन्य तरीका है जौ मूल मुद्रास्फीति की माप, चालू अस्थिर घटकों को हटाने के बजाय ऐतिहासिक परिवर्तनशीलता के अनुसार पुनः-भारित के माध्यम से कराता है।

मूल मुद्रास्फीति की आदर्श माप का पता लगाना बहुत आसान नहीं है और भारत में अनुभवजन्य अनुसंधान यह बताते हैं कि मूल मुद्रास्फीति की माप के विभिन्न मापदंड अलग-अलग परिणाम प्रस्तुत करते हैं (चार्ट 1)। अतः, मूल मुद्रास्फीति की माप का चयन, सैद्धांतिक रूप से, आंकड़ा-आधारित, परिस्थिति के अनुरूप चयनित, उपयुक्त मानदंड के आधार पर होना चाहिए। (दास एटअल.2009)

संदर्भ

दास, ए.जे. जॉन, और एस. सिंह (2009), भारत में मूल मुद्रास्फीति की माप, इंडियन इकॉनॉमिक रिव्यू, 247-273



मिशकिन, एफ (2007) “मौद्रिक नीति के संचालन में हेडलाइन बनाम मूल मुद्रास्फीति,” बिजनेस सायकल, इंटरनेशनल ट्रांसमिशन एंड मैक्रो इकॉनॉमिक पालिसीज कान्फ्रेंस, एचईसी मन्ट्रील, कनाडा में भाषण

मोहंती, डी., डी.पी. रथ एंड एम. रामैय्या (2000), भारत के लिए मूल मुद्रास्फीति हेतु माप, इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 273-282

सिल्वर, एम. (2006), कोर इन्फ्लेशन मेशर्स एंड स्टैटिस्टिकल इश्यूज इन चूसिंग एमांग देम, आईएमएफ वर्किंग पेपर, डब्ल्यू/06/97

II.2.16 राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की उपलब्धता की दृष्टि से मूल्य-सांख्यिकी की उपलब्धता काफी बेहतर हो गई है, जिससे मौद्रिक नीति के लिए वांछित टोस जानकारी के आधार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के लक्ष्य के रूप में सीपीआई-मुद्रास्फीति का

उपयोग करते हैं, जबकि कुछ केंद्रीय बैंक अन्य मूल्य सूचकांकों पर भी निगरानी रखते हैं, जैसे - उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) तथा जीडीपी अपस्फीतक। निर्माता मूल्य सूचकांक (इनपुट और आउटपुट दोनों) का विकास मूल्य विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय आधार को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा (बॉक्स-II.5)

बॉक्स-II.5

निर्माता मूल्य सूचकांक (पीपीआई) : अवधारणा और उसकी माप

निर्माता मूल्य सूचकांक (पीपीआई) को, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन-स्थान छोड़ने अथवा उनके उत्पादन-प्रक्रिया में प्रवेश करने पर उनके मूल्य में होने वाले औसत परिवर्तन को मापने के लिए बनाया गया है। अन्य शब्दों में, यह निर्माताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय-विक्रय में उनके मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की दर को मापता है। इस प्रकार से दो प्रकार के पीपीआई हैं : एक उत्पादन (आउटपुट) पीपीआई है जो निर्माता का स्थान छोड़ते ही उत्पाद की बिक्री पर उसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन की दर को मापता है तथा दूसरा इनपुट पीपीआई है जो निर्माता द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय किए जाने पर इनपुट मूल्य में होने वाले परिवर्तन की दर को मापता है। सामान्यतः पीपीआई को प्रसंस्करण चरण (एसओपी) मूल्य सूचकांकों के एक भाग के रूप में माना जा सकता है (आईएमएफ, 2004)।

पीपीआई निम्नलिखित कारकों की वजह से सीपीआई से भिन्न है: (1) वस्तुओं और सेवाओं के सेट के संयोजन और (2) सम्मिलित वस्तुओं और सेवाओं के लिए वसूले गए मूल्यों के प्रकार के कारण। जहां पीपीआई में निर्माता के वे

समस्त उत्पाद शामिल हैं जिन्हें बाजार में लाया गया है, जबकि सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं के ऐसे सेट शामिल हैं जिन्हें गृहस्थों द्वारा उपभोग के लिए खरीदा गया है। पीपीआई में शामिल मदों के लिए वसूला गया मूल्य वह आमद (राजस्व) है जो उसके निर्माता को प्राप्त हुई है, जिसमें बिक्री की, उत्पाद शुल्क तथा परिवहन लागतें शामिल नहीं हैं। पीपीआई में शामिल मदों के लिए वसूला गया मूल्य वह व्यय राशि है जो उपभोक्ता ने उसे खरीदने के लिए दी है, जिसमें कर तथा परिवहन लागतें शामिल हैं। पीपीआई, थोक मूल्य सूचकांक से भी भिन्न है, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक घरेलू स्तर पर उपभोग किए गए उत्पादों के संबंध में अंतिम मांग से एक चरण पहले उनके मूल्य में परिवर्तनों की माप करता है, अर्थात् थोक बिक्री स्तर पर, जबकि पीपीआई घरेलू स्तर पर निर्मित समस्त उत्पादों के संबंध में घरेलू उपभोग एवं निर्यात दोनों स्तरों पर उनके मूल्य में परिवर्तनों की माप करता है। इसके अलावा, थोक मूल्य सूचकांक क्रेता के मूल्यों पर लेनदेन की माप करता है, जिसमें सुपुर्दगी प्रभार, परिवहन लागत तथा उत्पादों पर कर शामिल होते हैं।

(जारी...)

एक एसओपी सूचकांक होने के कारण पीपीआई, विभिन्न मापों के बीच संबंध के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह विश्लेषकों को पूरी अर्थव्यवस्था में मूल्य की बढ़ती पर नज़र रखने की अनुमति देते हुए मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के अल्पकालिक संकेतों के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, पीपीआई राष्ट्रीय लेखा को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह उत्पादन की मात्रा की गणना के लिए उत्पादन के सामान्य मूल्य के लिए और पूंजीगत व्यय तथा इन्वेंट्री डाटा की अपस्फीति के लिए उपयुक्त अपस्फीतिकारक हो सकता है। इसके अलावा, समग्र पीपीआई एवं विशिष्ट उत्पादों के पीपीआई का उपयोग प्रायः दीर्घकालिक क्रय और बिक्री संविदाओं के इनपुट मूल्यों के समायोजन के लिए किया जाता है। निर्यात और आयात मूल्य, जो घरेलू पीपीआई के महत्वपूर्ण विस्तार हैं, का उपयोग अपस्फीति की स्थिति में बाह्य व्यापार की मात्रा को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

अभी तक भारत में पीपीआई नहीं है। किंतु, भारत का थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता और निर्माता की मूल्य-दरों की आंशिक उपज है। कर और वितरण लागत के कारण विक्रेता तथा क्रेता के मूल्यों में सैद्धांतिक भिन्नता होने के अलावा, भारत के मामले में ये कीमतें कई वस्तुओं पर सरकारी सब्सिडी दिए जाने से और भी भिन्न हो सकती है। इस कारण से, यह वांछित है कि पीपीआई किया जाए जो घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के बिक्री मूल्यों में किसी समय में होने वाले औसत परिवर्तन को माप सके (सुब्बाराव, 2012)। हालांकि भारत में पीपीआई के अभिकलन के लिए कई मुद्दों को हल करने की जरूरत होगी। प्रमुख मुद्दा, मूल्य-निर्धारण पद्धति अपनाने का है, जो वस्तुओं की पहचान तथा विनिर्देशन तथा पुनः मूल्य-निर्धारण हेतु उनकी उपलब्धता पर आधारित होगी। उत्पाद का निर्धारण करने में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बरतनी होगी कि वे उन समस्त विशेषताओं के अनुसार पूरी तरह परिभाषित किए गए हों जो उनके लेनदेन के मूल्यों को प्रभावित करते हैं (कोल्ली, 2007)। पीपीआई के लिए भारत डायग्राम तैयार करना किसी अन्य मूल्य सूचकांकों से थिक कठिन है। पीपीआई के लिए भार (उपभोग हेतु) उपभोक्ता-व्यय सर्वेक्षण से लिए जाते हैं, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के भार विभिन्न समूह/उप-समूह/मदों के सकल उत्पादन मूल्य पर आधारित होते हैं। पीपीआई के मामले में, यह आवश्यक है कि निवल क्षेत्रगत भार तैयार करने

के लिए राष्ट्रीय लेखा-डाटा पर आधारित विस्तृत इनपुट-आउटपुट सारणी तैयार की जाए।

भारत में, जहां पीपीआई को तैयार करने का मुद्दा अभी अवधारणा स्तर पर ही है, वहीं इसके संकलन के संबंध में बहुत अधिक कार्य किया जाना है। विशेष रूप से, एक उपयुक्त मूल्य-संकलन प्रणाली को लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, विनिर्मित उत्पादों के लिए जो थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) है वह पीपीआई के एक प्रकार के उत्पाद से समानता रखता है, इसलिए नये सिरे से डाटा एकत्र करने की नई प्रणाली विकसित करने के बजाय वर्तमान प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए उसे पीपीआई आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सकता है। यह भी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण में अनेक बेसिक वस्तुओं के प्रथम-स्तर लेनदेन मूल्य एकत्र किए जाते हैं। इन प्रणालियों का परीक्षण तथा इनकी वर्तमान मूल्य संकलन पद्धति के साथ एकीकरण करने की आवश्यकता है। अतः, अनेक कार्यालयों जैसे- आर्थिक परामर्शदाता का कार्यालय (ओईए), केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ), एनएसएसओ तथा श्रमिक ब्यूरो की समस्त मूल्य संकलन पद्धतियों पर समग्र रूप से दृष्टि डालने की जरूरत है जो पीपीआई की मूल्य संकलन पद्धति को युक्तपरक बनाने में सहायक होंगी (चक्रवर्ती, एटअल 2013)।

संदर्भ

चक्रवर्ती, ए.बी., एन. बनर्जी एंड ए.दास (2013), निर्माता मूल्य सूचकांक-मुद्दे और परिप्रेक्ष्य। आय और संपदा पर अनुसंधान के लिए इंडियन एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत, कोलकाता, 15-16 मार्च।

आईएमएफ (2004), प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मैनुअल : थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

कोल्ली, आर. (2007), नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स एंड सर्विस प्राइस इंडेक्स, द जर्नल आफ इन्कम एंड वेल्थ, 29(1), 39-46



डी. सुब्बाराव (2012), भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों में सांख्यिकी और सांख्यिकीय विश्लेषण। भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में 17 जुलाई, 2012 को छठे वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन पर संबोधन।

वर्ष 2012-13 में वैश्विक पण्य मूल्यों में कमी आई

II.2.17 2012-13 की पहली तिमाही में विश्व में वस्तुओं की कीमतों में काफी नरमी रही क्योंकि यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण की चिंताएं बढ़ गई थीं जहां मांग-स्थिति का भार बढ़ गया था किंतु 2012-13 की दूसरी तिमाही में कुछ सुधार दिखाई दिया (चार्ट II.24)। धीमे सुधार एवं भौगोलिक-राजनीतिक तनाव के कम होने से वर्ष के दौरान वैश्विक पण्य कीमतों में सामान्यतः कमी आई। किंतु, जिस हद तक कमी आनी चाहिए थी वह लगभग शून्य तक की मामूली ब्याज-दर की सहज मौद्रिक नीति तथा चलनिधि की उपलब्धता की मात्रा के सहज प्रभाव के चलते नहीं आई। अनेक

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रास्फीति की दर सहन-स्तर से कम थी जिसकी वजह से केंद्रीय बैंकों ने आर्थिक सुधार को सहारा देने के प्रयोजन से अनुकूलित मौद्रिक नीति अपनाया जारी रखा। वर्ष 2012-13 में तेल की कीमतों में कमी आई क्योंकि उनकी आपूर्ति की हालत में सुधार हो गया था तथा मध्य-पूर्व में भौगोलिक-राजनीतिक तनाव शांत हो गया था, हालांकि ओपेक द्वारा तेल का कम उत्पादन किए जाने और उभरते बाजारों से मांग कुछ बढ़ जाने के कारण यह पाया गया कि तेल की कीमतों पर उनके थोड़ा बढ़ने का दबाव था। धातुओं की कीमतें लगातार कम होने के संकेत रहे हैं क्योंकि उन्नत एवं उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं

चार्ट II.24: वैश्विक पण्य कीमतों की प्रवृत्ति



में इनकी मांग में अत्यधिक कमी आ गई थी, विशेष रूप से चीन में। वर्ष 2012-13 की दूसरी छमाही से, आपूर्ति की स्थिति बेहतर हो जाने से एफएओ का खाद्यान्न मूल्य सूचकांक काफी हद तक स्थिर रहा, हालांकि ईंधन और उर्वरक के इनपुट मूल्यों के दबाव के कारण इसका संतुलन थोड़ा-सा बाधित हुआ।

II.2.18 विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, वर्ष 2013-14 में अब तक वस्तुओं के मूल्य, कच्चे तेल को छोड़कर, आमतौर पर नरम रहे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि अधिकांश वस्तुओं की आपूर्ति की संभावना बेहतर थी तथा धीमे विकास के कारण मांग थोड़ी कमजोर थी। मध्य पूर्व देशों की राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिका से मांग बढ़ने की प्रत्याशा के चलते जून-जुलाई 2013 के दौरान कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई। विश्व में वस्तुओं के मूल्य, आपूर्ति संबंधी बाधा के प्रति संवेदनशील बने रहे।


थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के बीच काफी भिन्नता बनी रही

II.2.19 थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति काफी हद तक नरम पड़ने के बावजूद ऊंची थी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-संयुक्त : ग्रामीण+शहरी) पर आधारित मुद्रास्फीति अधिक बनी रही जिससे वर्ष 2012-13 में दोनों के बीच अंतर काफी बढ़ गया (चार्ट II.25)। सीपीआई में खाद्य मदों को दिया गया भार, थोक मूल्य सूचकांक के भार से कहीं अधिक है, इसलिए खाद्य संबंधी मुद्रास्फीति का सीपीआई पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, आवास में मुद्रास्फीति, जो सीपीआई में शामिल होती है किंतु थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं होती, जनवरी, 2013 से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक रही

है। परिवहन लागतों में वृद्धि का प्रभाव डब्ल्यूपीआई से ज्यादा सीपीआई पर पड़ने की आशंका है। साथ ही, फुटकर मार्जिन की जो प्रवृत्ति चल रही है वह तथा थोक एवं फुटकर स्तर के बीच की कड़ी में कर-परिवर्तन उपभोक्ता मूल्य की मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकते हैं।

II.2.20 स्वरूप के अनुसार सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में कई अंतर हैं जैसे - उद्देश्य और उपयोग, पण्य/सेवा कवरेज, भारांक डायग्राम, वह चरण जिसमें मूल्य के कोटेशन प्राप्त किए जाते हैं, संबद्ध बाजार (अर्थात् थोक बाजार और फुटकर बाजार) और आधार-वर्ष। तथापि, चूंकि उपभोग किसी भी चीज का अंतिम

चार्ट II.25: डब्ल्यूपीआई और नई सीपीआई मुद्रास्फीति



उपयोग है, थोक बाजार में मूल्य में होने वाले परिवर्तन, जो डब्ल्यूपीआई के रूप में होते हैं, वही मूल्य-परिवर्तन फुटकर बाजार (सीपीआई) के मूल्य-परिवर्तन में परिलक्षित होने की अपेक्षा की जाती है। इस अर्थ में, इन दोनों के बीच किसी न किसी तरह के समरूप होने अर्थात् कुछ आगे-पीछे रहने के संबंध की उम्मीद की जाती है। अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि लंबे समय के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू और डब्ल्यूपीआई के बीच भिन्नता एक स्थिर श्रृंखला है (अर्थात् इनमें विचलन औसत (मीन) के आसपास होता है) जिसमें शून्य औसत (मीन) का आशय यह होता है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच के अंतर में ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी निरपेक्ष उतार-चढ़ाव नहीं है।

उपभोक्ता मूल्य की मुद्रास्फीति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भिन्न होती है

II.2.21 सीपीआई-ग्रामीण और सीपीआई-शहरी मुद्रास्फीति काफी हद तक समान रूप से चलती है, किंतु वर्ष 2012-13 के दौरान वस्तु-समूह के स्तर पर मुद्रास्फीति में काफी अंतर बना रहा। शहरी क्षेत्रों में ईंधन और बिजली समूह की मुद्रास्फीति ऊंची थी। वर्ष 2012-13 की पहली छमाही के दौरान शहरी क्षेत्रों में वस्त्र, बेडिंग और फुटवेयर संबंधी मुद्रास्फीति अधिक थी, किंतु वर्ष की दूसरी छमाही में यह स्थिति उलट गई। हालांकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समस्त स्तर पर खाद्य संबंधी मुद्रास्फीति लगभग समान थी, लेकिन खाद्य वस्तुओं के समूह के अंतर्गत मुद्रास्फीति की स्थिति में अत्यधिक भिन्नता थी। शहरी क्षेत्रों में अनाज, दाल, अंडा, मछली और मांस तथा तैयार भोजन से संबंधित मुद्रास्फीति अधिक थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 'दूध एवं दूध के उत्पाद', 'मसाला', चीनी और खाद्य तेल की मुद्रास्फीति अधिक दर्ज की गई। विविध वस्तु समूहों में मुद्रास्फीति, जो विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं के लिए है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव दिखाई देता है। आपूर्ति-श्रृंखला की अक्षमता तथा मध्यस्थता की समस्या इन भिन्नताओं का प्रमुख कारण हो सकती है, जिनका पुनः परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

II.2.22 भारतीय रिजर्व बैंक अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में पाक्षिक आधार पर अपने मूल्य निगरानी सर्वेक्षण के माध्यम से चुनिंदा खाद्य सामग्री के थोक एवं फुटकर मूल्यों की प्रवृत्ति पर भी निगरानी रखता है। इससे थोक एवं फुटकर बाजार में मूल्यों के कम-ज्यादा होने के बारे में तत्काल जानकारी मिल जाती है।


चुनिंदा पण्यों में अनाज, दाल, सब्जी, फल, मसाले, मछली, मांस, गैर-नशीले पेय पदार्थ तथा खाद्य तेल शामिल हैं। सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि थोक एवं फुटकर मूल्य आम तौर पर एक ही दिशा में चलते हैं, हालांकि बीच-बीच में उनमें कुछ भिन्नता हो जाती है। मार्क-अप विश्लेषण से पता चलता है कि नाशवान पण्यों की तुलना में टिकाऊ पण्यों में मार्क-अप कम था।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता - भंडारण और अन्य

II.2.23 ऊंची और बनी रहने वाली खाद्य-मुद्रास्फीति के अलावा, मूल्यों में अंतर-क्षेत्रीय भिन्नताएं भी विद्यमान हैं। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है जिनमें आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमता तथा राज्यगत नीतियां जैसे-कर एवं माल की आपूर्ति/आवाजाही पर प्रतिबंध शामिल हैं। कृषि-उत्पादनकर्ता और उनके उत्पादों के मूल्य-निर्धारण की स्पर्धा, उनके कुशल भंडारण एवं प्रसंस्करण क्षमता के साथ-साथ बाजारगत प्रभावी संस्थाओं पर निर्भर करती है। जो भी हो, भारत में फसल कटने के बाद कृषि उत्पादों का उपयुक्त भंडारण और उन्हें आसानी से बाजार तक ले जाने की व्यवस्था का आधारभूत ढांचा बहुत ही कमजोर है। भारत विश्व में फलों एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, किंतु भंडारण और परिवहन में अनेक फसलों का 30-40 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद हो जाता है। इस बात की भी पर्याप्त गुंजाइश है कि सूचना प्रणाली को बेहतर बनाया जाए जिससे किसानों को कई प्रकार के विकल्प की जानकारी मिल सके तथा उन्हें कुशल बाजार चैनल प्राप्त हो सके। व्यष्टि स्तर पर, छोटे किसानों को मूल्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है ताकि वे संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ सकें। कुशल बाजार ढांचा, बेहतर भंडारण क्षमता और उत्पादक से ग्राहकों तक तेज गति की परिवहन सुविधा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च मुद्रास्फीति द्वारा संचालित वास्तविक मजदूरी वृद्धि में कमी आई

II.2.24 हाल के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में अत्यधिक वृद्धि मुद्रास्फीति के पथ को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक बन गई है। वर्ष 2012-13 में, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में सांकेतिक वृद्धि में थोड़ी कमी दिखाई दी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक मजदूरी वृद्धि में अत्यधिक नरमी पैदा हुई (चार्ट II.26)।



II.2.25 उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी (2010-11 तक) से पता चलता है कि संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सांकेतिक मजदूरी वृद्धि दर दो अंकों में थी। धीमी संवृद्धि के दौर में बढ़ती मजदूरी और ऊंची मुद्रास्फीति यह दर्शाती है कि मजदूरी में वृद्धि, उत्पादकता वृद्धि के साथ मेल नहीं खाती है जो संभाव्य मजदूरी-मूल्य चक्र की ओर ले जाती है।

मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं थोड़े सुधार के साथ ऊंची बनी हुई हैं

II.2.26 भावी मौद्रिक नीति को इसके एजेंट की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को हिसाब में लेना होगा क्योंकि ये भविष्य की मुद्रास्फीति के प्रमुख निर्धारक हैं (बॉक्स III.2 देखें)। हाल के वर्षों में, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं की स्थिति का मूल्यांकन, हाउसहोल्ड मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण तथा पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण दोनों के माध्यम से कर रहा है। हाउसहोल्ड संबंधी सर्वेक्षण से पता चलता है कि अगले तीन महीने की हाउसहोल्ड की औसत (मीन) मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं सितंबर 2008 से आगे की डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति से अधिक हैं। यह उल्लेखनीय है कि हाउसहोल्ड मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं डब्ल्यूपीआई के टर्निंग प्वाइंट्स (पूर्व में दर्ज) के मार्ग पर चल रही हैं और काफी निकट पहुंच गई हैं। हाउसहोल्ड की समग्र मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में खाद्य-मुद्रास्फीति प्रमुख रही है। पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण से ज्ञात होता है

कि दीर्घकालिक डब्ल्यूपीआई प्रत्याशाएं वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही को छोड़कर हमेशा ही मध्यावधि प्रत्याशाओं से कम रही हैं (सारणी II.3)।

वर्ष 2013-14 में मुद्रास्फीति कम रहेगी, किंतु जोखिम बना रहेगा

II.2.27 हालांकि 2013-14 की पहली तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति घटकर औसतन 4.7 प्रतिशत के औसत तक आ गई, परंतु खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के दबावों एवं विनिमय दर के मूल्यहास के असर, विशेषकर ईंधन उत्पादों के मूल्यों में, के चलते जुलाई 2013 में मुद्रास्फीति बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गई। अब तक मानसून की प्रगति संतोषजनक रही है इसलिए खाद्य-मुद्रास्फीति पर दबाव आगामी महीनों में अस्थायी रहने की उम्मीद है। लेकिन, ग्रामीण मजदूरी में लगातार वृद्धि तथा हाल के समय में फीडबैक प्रभाव से हुई खाद्य-मुद्रास्फीति, उपभोक्ता मूल्य-मुद्रास्फीति को कठोर बना सकती है। उच्च उपभोक्ता-मूल्य मुद्रास्फीति में कई प्रकार के प्रतिकूल मैक्रो-आर्थिक डायनामिक्स होते हैं, इसलिए यह चिंता का विषय है। मध्यावधि संदर्भ में, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम से आपूर्ति बढ़ाना तथा अक्षमताओं

सारणी II.3: व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं का डब्ल्यूपीआई एवं सीपीआई मुद्रास्फीति का माध्यिका पूर्वानुमान, 5 वर्ष आगे और 10 वर्ष आगे का माध्यिका पूर्वानुमान

तिमाही	तिमाही का वास्तविक आंकड़ा		आगामी 5 और 10 वर्षों में मुद्रास्फीति				
			आगामी 5 वर्ष		आगामी 10 वर्ष		
	डब्ल्यू-पीआई	सीपीआई-आईडब्ल्यू	डब्ल्यू-पीआई	सीपीआई-आईडब्ल्यू	डब्ल्यू-पीआई	सीपीआई-आईडब्ल्यू	
2010-11	ति1	10.5	13.7	6.0	7.0	5.0	6.5
	ति2	9.3	10.3	6.0	7.0	5.5	6.5
	ति3	8.9	9.2	6.0	7.0	5.3	6.5
	ति4	9.6	9.0	6.4	7.0	5.4	6.3
2011-12	ति1	9.6	8.9	6.3	7.0	5.7	6.5
	ति2	9.7	9.2	6.0	7.0	6.0	6.2
	ति3	9.0	8.4	6.0	7.0	5.9	6.5
	ति4	7.5	7.2	6.1	7.0	5.8	6.3
2012-13	ति1	7.5	10.1	6.2	7.3	6.0	6.8
	ति2	7.9	9.8	6.5	7.3	6.0	6.5
	ति3	7.3	10.1	6.5	7.8	6.0	6.5
	ति4	6.7	11.7	6.3	7.3	6.0	6.8
2013-14	ति1	4.7	10.7	6.2	7.5	5.9	6.5

को दूर करके आपूर्ति-शृंखला को सुदृढ़ बनाना और बेहतर लॉजिस्टिक्स मुहैया कराना, स्थिर खाद्य-मूल्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। खाद्येतर विनिर्मित-उत्पाद मुद्रास्फीति नकारात्मक उत्पाद अंतराल के अनुरूप रही, हालांकि पूर्व की मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों का प्रभाव कुछ विलंब से हुआ। हाल की मामूली वृद्धि के बावजूद यह संतोषजनक स्तर पर रही। तथापि, रुपये के मूल्यहास के विलंबित असर से मामूली जोखिम पैदा होने की संभावना है।

II.2.28 पण्य मूल्यों के वर्तमान चक्र को देखते हुए, कच्चे तेल को छोड़कर विश्व में मुद्रास्फीति का जोखिम नियंत्रित रहा। रुपये के मूल्यहास का परिणामी प्रभाव तेल से भिन्न वस्तुओं के वैश्विक मूल्यों में आई गिरावट के अनुकूल असर को कम कर देगा। घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि मांग के दबाव के कारण मुद्रास्फीति के प्रति जोखिम हलका बना रहा। इस प्रकार, मुद्रास्फीति कि दिशा वर्ष के दौरान नियंत्रित मूल्यों के कार्यान्वयन तथा विश्व में पण्यों के मूल्यों एवं विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव द्वारा निर्धारित होगी। आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए और उत्पादकता में सुधार लाने एवं स्पर्धा उत्पन्न करने हेतु नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता है ताकि विकास की गति बढ़े और मुद्रास्फीति कम एवं स्थिर बनी रहे।

II.3 मुद्रा और ऋण

रिजर्व बैंक ने समष्टिआर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए कई उपाय किए

II.3.1 2012-13 के दौरान की मौद्रिक और चलनिधि की स्थिति को तीन प्रमुख चरणों में बाँटा जा सकता है। यद्यपि पहले चरण में, जून 2012 तक, चलनिधि के घाटे में क्रमशः कमी आई, फिर भी वह रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर के ऊपर रहा। 2012-13 की पहली तिमाही के दौरान जमाराशि की वृद्धि दर तथा ऋण की वृद्धि दर के बीच अंतर के बढ़ने के बावजूद 2011-12 की चौथी तिमाही के भारी दबाव की तुलना में चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ जो मुख्यतः खुला बाजार परिचालन के अंतर्गत खरीद, सरकार की शेष राशि में कमी आने तथा सीआरआर में कटौती के विलंबित प्रभाव के कारण था। निर्यात क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा


निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा को बैंक के पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने के चलते भी बैंकों को अतिरिक्त चलनिधि समर्थन प्राप्त हुआ और इसने चलनिधि के दबाव को कम करने में मदद की।

II.3.2 रिजर्व बैंक के पास स्थित सरकार की नकद जमाराशि के काफी कम होने, परिचालन में स्थित मुद्रा में कमी आने तथा रिजर्व बैंक द्वारा किये गये नीतिगत उपायों के असर के चलते चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ और जुलाई 2012 तक घाटा एससीबी के एनडीटीएल के (±)1 प्रतिशत के रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर के अंदर रहा और यहीं से दूसरे चरण की शुरुआत होती है। 11 अगस्त 2012 से सांविधिक चलनिधि अनुपात में की गई 100 आधार अंकों की कटौती ने भी चलनिधि की स्थिति को सुधारने में मदद की। कर के अग्रिम भुगतान के कारण बाद की अवधि में चलनिधि पर दबाव बढ़ने, ऋण की मांग में मौसमी वृद्धि तथा त्योहारों के मौसम में मुद्रा की बढ़ती मांग से चलनिधि पर अस्थायी दबाव का अनुमान करते हुए रिजर्व बैंक ने सितंबर 2012 में सीआरआर में 25 आधार अंकों की कटौती की जिससे बैंकिंग प्रणाली को 170 बिलियन रुपये की प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध हुई। संतोषजनक चलनिधि का दौर अक्टूबर 2012 के मध्य तक जारी रहा।

II.3.3 तीसरे चरण की शुरुआत अक्टूबर 2012 के मध्य में तब हुई जब रिजर्व बैंक द्वारा नरम रुख अपनाए जाने के बावजूद सरकार की जमाराशि के निरंतर ऊंचे स्तर, ऋण तथा जमाराशि की वृद्धि दरों में बढ़ते अंतर तथा मुद्रा की भारी मांग ने अंतर-बैंक चलनिधि के घाटे को रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर रखा। चलनिधि के दबाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने नवंबर 2012 में सीआरआर में कटौती की और पाँच माह से भी अधिक अंतराल के बाद 4 दिसंबर 2012 को पुनः एकमुश्त खुला बाजार परिचालन किया। अक्टूबर 2012 के मध्य से चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत औसत दैनिक चलनिधि अंतर्वेशन की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई और चलनिधि का दबाव मार्च 2013 के अंत तक बना रहा (चार्ट II.27)।

II.3.4 2012-13 की चौथी तिमाही के दौरान रिजर्व बैंक ने चलनिधि के दबाव को ठीक करने के लिए 9 फरवरी 2013 से शुरू होने वाले पखवाड़े से सक्रियता से सीआरआर में 25 आधार अंकों की कटौती की। इसके अतिरिक्त, तिमाही के दौरान रिजर्व बैंक ने चार खुला बाजार परिचालन खरीद नीलामियों का संचालन किया

चार्ट II.27: चलनिधि स्थितियां



जिसके चलते 2012-13 में इस उपकरण के जरिए चलनिधि के अंतर्वेशन की कुल राशि 1.5 ट्रिलियन रुपये हो गई। बैंकों के वर्ष 2012-13 की वार्षिक लेखाबंदी के दौरान बैंकिंग लेनदेनों की भारी मात्रा का अनुमान करते हुए रिजर्व बैंक ने मार्च 2013 के अंत में अतिरिक्त चलनिधि परिचालन किए जिनसे बैंकिंग परिचालनों को सुगमतापूर्वक संचालित करने में मदद मिली।

II.3.5 चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अब तक, मुख्यतः सरकार की नकद शेषराशि में कमी आने एवं जमा राशि तथा कर्ज की वृद्धि दरों के बीच अंतर के कम होने के चलते चलनिधि की स्थिति में, विशेष रूप से जून 2013 से सामान्यतः सुधार हुआ। चलनिधि के दबाव को ठीक करने के लिए रिजर्व बैंक ने दो खुला बाजार परिचालन खरीद नीलामियों एवं एक खुला बाजार परिचालन बिक्री नीलामी का संचालन किया जिसके चलते चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक लगभग 139.3 बिलियन रुपये की चलनिधि का अंतःक्षेपण हुआ।


II.3.6 हाल की अवधि में घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में विनिमय दर में हुए बड़े स्तर के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने जुलाई 2013 के मध्य से कई नीतिगत उपायों की घोषणा की। यद्यपि इन उपायों का उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार के उतार-चढ़ावों को रोकना है, लेकिन ये मुख्यतः बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि

की उपलब्धता को अपेक्षाकृत कम करके एवं उसकी लागत को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा की मांग को कम करने के जरिए कार्य करते हैं। आकस्मिक उपाय के रूप में, रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंडों की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने में बैंकों की मदद करने के लिए 17 जुलाई 2013 को 10.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर 250 बिलियन रुपये की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिवसीय एक विशेष रिपो सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। यह सुविधा आगे सूचना दिए जाने तक चालू रहेगी। इस सुविधा के अंतर्गत नीलामी में अब तक कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है।

सीआरआर के लिए समायोजित रिजर्व मुद्रा में स्थिर वृद्धि हुई

II.3.7 बड़े स्तर के प्राथमिक चलनिधि अंतःक्षेपण से सामान्यतः रिजर्व मुद्रा में विस्तार होता है। परंतु 2012-13 के दौरान बड़े स्तर के चलनिधि अंतःक्षेपणों के बावजूद रिजर्व मुद्रा की वृद्धि दर में गिरावट आयी। दो प्रमुख कारणों से रिजर्व मुद्रा की वृद्धि दर कम हुई। पहला, वर्ष के दौरान जहाँ खुला बाजार परिचालन खरीदों में वृद्धि हुई, वहीं रिजर्व बैंक के पास स्थित सरकार की नकद शेषराशि में तदनु रूप निरंतर वृद्धि हुई जिसने केंद्र को दिये गये कर्ज में हुई वृद्धि को निष्प्रभावी कर दिया एवं इसने कुछ हद तक रिजर्व मुद्रा के विस्तार को रोक दिया (चार्ट II.28)। 2012-13 के दौरान केंद्र सरकार को दिये गये निवल ऋण में 560 बिलियन रुपये की वृद्धि हुई जबकि 2011-12 के दौरान लगभग 1,400 बिलियन रुपये की वृद्धि हुई थी।

चार्ट II.28: ओएमओ के अंतर्गत चलनिधि में वृद्धि (+) / कटौती (-) / भारत सरकार की शेष राशि



II.3.8 दूसरा, 2012-13 के दौरान सीआरआर में 75 आधार अंकों की कटौती की गई जिसके चतले भी रिजर्व मुद्रा के विस्तार की दर में कमी आई। सीआरआर में परिवर्तन के प्रथम दौर के असर के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान रिजर्व मुद्रा में 9.5 प्रतिशत की स्थिर गति से वृद्धि हुई। संचलन में स्थित मुद्रा, जो कि रिजर्व मुद्रा का सबसे बड़ा घटक है, की वृद्धि दर में कमी आई; रिजर्व बैंक के पास स्थित बैंकों की जमाराशि की वृद्धि दर में गिरावट आयी जो मुख्यतः वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर में की गई कटौती की वजह से थी (चार्ट II.29, परिशिष्ट सारणी 9)।


व्यापक मुद्रा की वृद्धि निर्देशात्मक दायरे में रही, परंतु ऋण का कम उठाव चिंता का विषय बना हुआ है

II.3.9 रिजर्व-जमाराशि अनुपात को कम करके, सीआरआर में की गई कटौती सामान्यतः मुद्रा गुणक के मूल्य को बढ़ाती है क्योंकि बैंक अतिरिक्त राशि का उपयोग ऋण के सृजन के लिए करते हैं जिससे व्यापक मुद्रा में विस्तार होता है। 2012-13 के दौरान व्यापक मुद्रा की वृद्धि दर 13.8 प्रतिशत रही जो रिजर्व बैंक के निर्देशात्मक दायरे से अधिक थी। ऋण में वृद्धि की दर में 2012-13 के दौरान काफी कमी आई जो मुख्यतः घरेलू वृद्धि दर में आई गिरावट एवं समष्टि-आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण मांग में कमी आने की वजह से थी। ऋण की मांग में आई कमी ने कुछ हद तक


गुणक में वृद्धि को कम किया जो सामान्यतः सीआरआर में कटौती के बाद एम₃ में वृद्धि दर को तेज करता है। घटक के पक्ष में 2012-13 में सकल जमाराशि की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में मामूली-सी अधिक थी। 2012-13 के अधिकांश समय में ऋण के कमजोर उठाव के बावजूद ऋण की वृद्धि दर जमाराशि की वृद्धि दर से अधिक थी। परंतु, कर्ज की वृद्धि दर एवं जमाराशि की वृद्धि दर के अंतर में वित्तीय वर्ष के अंत के बाद कमी आई (चार्ट II.30, परिशिष्ट सारणी 10)।

II.3.10 चुनिंदा बैंकों (जिनके पास सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये कुल खाद्येतर ऋण का 95 प्रतिशत हिस्सा है) से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर ऋण के क्षेत्रवार उपयोग से ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में आयी गिरावट 2012-13 के दौरान खाद्येतर ऋण में गिरावट के रूप में परिलक्षित हुई। यह गिरावट निजी ऋणों को छोड़कर सभी प्रमुख क्षेत्रों में व्याप्त थी (परिशिष्ट सारणी 11)। बैंकों द्वारा उद्योग क्षेत्र को दिये गये ऋण की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर में काफी कमी आई जो मार्च 2012 के 20.3 प्रतिशत से घटकर मार्च 2013 में 14.9 प्रतिशत हो गयी। उद्योग को दिये गये कर्ज की वृद्धि दर में गिरावट चमड़ा, रसायन, काष्ठ उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, ग्लास तथा वाहनों को छोड़कर, सभी प्रमुख उप-क्षेत्रों में देखी गयी।

चार्ट II.29: मुद्रा आपूर्ति, रिजर्व मुद्रा में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) तथा मुद्रा गुणक



चार्ट II.30: ऋण तथा जमाराशि वृद्धि दर के बीच अंतर



सारणी II.4: बैंक समूह-वार आस्ति गुणवत्ता संकेतक

	मार्च के अंत में	सभी बैंक	विदेशी बैंक	निजी क्षेत्र के नये बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक
1	2	3	4	5	6	7
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%)	2012	2.94	2.68	2.18	1.80	3.17
	2013	3.42	2.97	1.91	1.91	3.84
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	2012	1.24	0.61	0.44	0.59	1.47
	2013	1.68	1.00	0.44	0.74	2.02
सकल अग्रिमों की तुलना में पुनर्गठित मानक आस्तियां (%)	2012	4.69	0.10	1.06	3.54	5.74
	2013	5.83	0.16	1.20	4.00	7.21
सीआरएआर	2012	14.24	16.75	16.66	14.12	13.23
	2013	13.84	17.49	17.52	13.72	12.38
स्लिपेज अनुपात %	2012	2.55	2.31	1.17	1.12	2.95
	2013	2.79	1.60	1.24	1.45	3.24

स्रोत: नवीनतम अद्यतित ऑफ-साइट विवरणियां, घरेलू परिचालन। स्लिपेज अनुपात, विशेष विश्लेषण के लिए बैंकों से संग्रहित आंकड़ों के आधार पर है।

आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट आना एवं परिणामी जोखिम विमुखता प्रमुख चिंता बनी हुई है

II.3.11 मांग में गिरावट के अलावा पिछले वर्ष की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र में ऋण की वृद्धि दर में कमी आने का प्रमुख कारण उनकी आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आना है। बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता के संकेतकों में 2011-12 के दौरान काफी गिरावट आयी थी जिनमें 2012-13 के दौरान और गिरावट आयी। आँकड़ों के अनुसार, यद्यपि 2012-13 के दौरान सभी बैंक समूहों की आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आयी, फिर भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों, जो बैंक ऋणों का प्रमुख हिस्सा उपलब्ध कराते हैं, की आस्तियों की गुणवत्ता में अधिक गिरावट आयी (सारणी II.4)। वृद्धि दर की गिरावट की पृष्ठभूमि में बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में आई गिरावट ने जोखिम विमुखता, जिसने मांग पक्षीय कारकों को सहयोग पहुँचाया, में वृद्धि की और सभी बैंक समूहों की ऋण वृद्धि की दर को घटाने में

इसकी भूमिका रही है (अध्याय VI देखें)।

II.3.12 वृद्धि दर में आयी गिरावट को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 2012-13 में नीति ब्याज दरों एवं एसएलआर - प्रत्येक में 100-100 आधार अंकों की तथा सीआरएआर में 75 आधार अंकों की कटौती की। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) के अंग के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों की सीधी खरीद के जरिए स्थायी प्रकार की चलनिधि का अंतःक्षेपण किया। वर्ष 2013-14 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्रमशः गिरावट आने की पृष्ठभूमि में वृद्धि को समर्थन देने के लिए जनवरी 2012 से किये गये उपायों को आगे बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक ने हेडलाइन मुद्रास्फीति में आई गिरावट एवं मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, जैसा कि रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है, में आई संतुलित गिरावट से उत्पन्न अवसर का उपयोग करते हुए मई 2013 में नीति दरों में और 25 आधार अंकों की कटौती की (बॉक्स II.6)।

बॉक्स II.6

मौद्रिक नीति के निर्माण में अग्रदर्शी सर्वेक्षणों की भूमिका

पिछले कुछ वर्षों के दौरान रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के निर्माण में सहायता के लिए कई सांख्यिकीय सर्वेक्षणों की शुरुआत की है। मौद्रिक नीति के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले सर्वेक्षण हैं: (i) औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण, (ii) आदेश बही, इन्वेंटरी, क्षमता का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण, (iii) उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, (iv) प्रोफेशनल पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण तथा (v) परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण। सर्वेक्षणों के परिणामों की जानकारी प्रत्येक तिमाही में रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है।

मौद्रिक नीति के लिए इन सर्वेक्षणों का महत्त्व मुख्यतः इसलिए है कि ये अग्रदर्शी जानकारी देते हैं। मौद्रिक नीति का प्रमुख लक्ष्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मौद्रिक नीति का सकल मांग तथा मुद्रास्फीति पर असर होने में समय लगता है, इसलिए मौद्रिक उपाय प्रायः अग्रदर्शी होते हैं। जैसा कि कीन्स ने काफी पहले (1923 में) कहा था, “यदि हम सुधारात्मक कार्रवाई किए बिना कीमतों में वास्तव में बदलाव होने तक रुकते हैं तो बहुत देर हो चुकी होगी”। यह बात मौद्रिक नीति के संचालन में अग्रदर्शी जानकारी की जरूरत को प्रमाणित

(जारी...)

करती है। अतः रिजर्व बैंक अग्रदर्शी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्यतः तीन प्रकार के सर्वेक्षण कराता है, ये हैं क) ग्राहकों/ परिवारों का सर्वेक्षण, ख) कारोबार संभावना सर्वेक्षण, तथा ग) आर्थिक पूर्वानुमान सर्वेक्षण।

चूँकि परिवार/ ग्राहक बाजार अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण चालक हैं, इसलिए नीतिनिर्माताओं को उनके व्यवहार एवं अपेक्षाओं की जानकारी होना जरूरी है। रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और ग्राहकों के विश्वास के बारे में परिवारों की धारणा संबंधी जानकारी संग्रह करता है। इनसे मुद्रास्फीति के संभावित पथ तथा अन्य महत्वपूर्ण समष्टि-आर्थिक चरों के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे ग्राहकों के विश्वास का पता लगाने में मदद मिलती है तथा ये विशिष्ट नीति तथा परिचालनात्मक मुद्दों की जानकारी देते हैं। मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण विभिन्न समयावधियों के संदर्भ में भविष्य की मुद्रास्फीति के बारे में परिवारों की प्रत्याशाओं की जानकारी देता है, इसलिए यह मौद्रिक नीति के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण सामान्य आर्थिक परिस्थितियों एवं व्यक्ति विशेष की वित्तीय स्थिति, बेरोजगारी, आय तथा खर्चों के संबंध में उनकी प्रत्याशाओं के आधार पर वर्तमान एवं संभावित विश्वास की माप करता है और इस प्रकार परिवारों के समग्र विश्वास की स्थिति का अनुमान करने में मदद करता है और यह विश्वास वास्तविक कार्यकलापों को भी प्रभावित करता है।

कारोबार सर्वेक्षण बाजार के असंतुलन की प्रकृति और निजी कॉरपोरेट क्षेत्र में प्रत्याशा के बनने की स्थिति की जानकारी देते हैं। यह जानकारी अद्यतन मात्रात्मक तथा गुणात्मक संकेत देती है और इसका उपयोग आर्थिक कार्यकलापों की अग्रदर्शी स्थिति जानने के लिए किया जा सकता है।

औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण के माध्यम से गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है जो वर्तमान कारोबारी स्थिति की निगरानी एवं अल्प-कालिक घटनाक्रमों के पूर्वानुमान में काम आती है। इस सर्वेक्षण में कंपनी प्रबंधकों से कारोबार की वर्तमान स्थिति एवं निकट भविष्य के संबंध में उनकी योजना और प्रत्याशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यद्यपि उत्तरदाताओं को उत्पादन के स्तर, बिक्री, निवेश अथवा रोजगार के बारे में सटीक जानकारी देना जरूरी नहीं है, फिर भी इस जानकारी का उपयोग समुच्चयों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है, और इस प्रकार ये कारोबारी चक्रों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी हैं।

आर्थिक घटकों के खपत तथा निवेश संबंधी निर्णयों तथा केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के संचालन में समष्टि-आर्थिक चरों में बदलाव की संभावना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि प्रत्याशाएँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए इनका निर्धारण अन्यो के साथ-साथ अर्थशास्त्रियों तथा निवेशकों से सर्वेक्षण के जरिए

किया जा सकता है (गिस्मोन्डी, 2009)। प्रोफेशनल पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण आर्थिक घटकों की वृद्धि, मुद्रास्फीति, राजकोषीय क्षेत्र, वित्तीय बाजार तथा बाह्य क्षेत्र संकेतकों के बारे में वार्षिक तथा तिमाही अंतरालों पर चुनिंदा पूर्वानुमानकर्ताओं की आर्थिक एजेंटों के बारे में धारणा की जानकारी देता है।

रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये सर्वेक्षण त्वरित तथा उपयोगी जानकारी देते हैं, परंतु ऐसे सर्वेक्षणों के परिणाम केवल निर्देशात्मक होते हैं। सर्वेक्षण का परिणाम उन उत्तरदाताओं के उत्तरों पर आधारित होता है जो स्वेच्छा से इसमें भाग लेते हैं और किसी दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता के बिना वे अपने विचार प्रकट करते हैं, इसलिए ये विचार आर्थिक लेन-देन करने के संबंध में युक्तिसंगत कार्रवाई का शायद पूर्णतः प्रतिफलन न हों। ये सर्वेक्षण छोटे सैम्पलों पर आधारित हो सकते हैं क्योंकि इसमें देशभर में फैले आर्थिक एजेंटों में से बहुत ही छोटा हिस्सा शामिल होता है। अतः सर्वेक्षण के आंकड़े आंकड़ों के अंतराल को पूरा करते हैं और ये संबंधित समष्टि-आर्थिक समुच्चयों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त, आर्थिक पक्षों का स्वाभाविक रूप से असमान वितरण, विशेष रूप से आर्थिक मंदी जैसी दबाव वाली स्थितियों में, सर्वेक्षण परिणामों को समेकित करने में बाधक होता है। रिजर्व बैंक ने इन मुद्दों की नियमित आधार पर जांच करने के लिए सर्वेक्षण संबंधी तकनीकी परामर्शदात्री समिति का गठन किया है।

यह स्पष्ट है कि आर्थिक एजेंटों की भविष्य की आर्थिक संभावना के बारे में धारणा मौद्रिक नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण तत्व होती है। परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि ये धारणाएँ कैसे बनती हैं- क्या ये पूर्णतः पिछले अनुभव के आधार पर बनती हैं या सभी जानकारियों के बारे में विचार करने के बाद अग्रदर्शी तरीके से बनती हैं, या दोनों ही स्थितियों का मिला-जुला रूप होती हैं (मोहन्ती, 2012)। रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये विभिन्न सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि प्रत्याशाएँ सीखने के साथ-साथ बनती हैं लेकिन उनका अनुकूलन भी होता रहता है। अतः ऐसे आचरण को देखते हुए इस बात की जरूरत है कि रिजर्व बैंक समग्र तथा ब्यौरेवार - दोनों स्तरों पर इन उपायों की विस्तृत निगरानी करता रहे ताकि अंतर्निहित आर्थिक संभावना का आकलन किया जा सके।

संदर्भ:

गिस्मोन्डी, एफ (2009), मार्केट एक्सपेक्टेडेंस सर्वे (आरईएम), सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना, आईएफसी बुलेटिन सं.30,221-223

कीन्स, जे.एम.(1923)। ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफार्म, मैकमिलन।

मोहन्ती, डी. (2012), मुद्रास्फीति प्रत्याशा का महत्त्व, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, LXVI(12), 2295-2305

II.3.13 अप्रैल 2013 से चलनिधि की स्थिति में काफी सुधार हुआ तथा व्यापक मुद्रा वृद्धि दर मोटे तौर पर निर्देशात्मक दायरे में रही। आर्थिक कार्यकलापों में आई गिरावट एवं आस्तियों की गुणवत्ता में कमी आने से ऋण की वृद्धि दर में गिरावट आयी। मई के अंतिम भाग से यूएस फेड की कुछ टिप्पणियों के बाद अमेरिका में आर्थिक सहायता पैकेज में कमी किये जाने की संभावना ने उभरती बाजार

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से निवेश के बहिर्वाह की आशंका पैदा की। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को देखते हुए रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार में स्थिरता लाने हेतु उपाय किया। इन उपायों में ये शामिल हैं : (i) सीमांत स्थायी सुविधा दर / बैंक दर में वृद्धि; (ii) चलनिधि समायोजन सुविधा रिपो के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति पर रोक लगाना; (iii) खुला बाजार परिचालन बिक्री; (iv) अनुसूचित

वाणिज्य बैंकों द्वारा सीआरआर अपेक्षा का न्यूनतम दैनिक 99 प्रतिशत बनाए रखना; (v) प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) द्वारा एलएएफ व्यवस्था तक पहुँच को उनकी अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत तक सीमित करना; (vi) सोने के आयात पर रोक लगाना; (vii) नकदी प्रबंधन बिल की निलामी (अध्याय III देखें)। ये उपाय चालू खाता घाटे को वहनीय स्तर तक लाने हेतु नीतिगत उपाय करने के लिए एक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किये गये। चलनिधि की उपलब्धता को सख्त करने वाले उपायों को विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता स्थापित होने पर नपेतुले ढंग से हटा लिए जाने का इरादा है ताकि मौद्रिक नीति का ध्यान मुद्रास्फीति पर सतत निगरानी रखते हुए वृद्धि दर को आगे बढ़ाने की ओर हो सके।

II.4 वित्तीय बाजार


दीली मौद्रिक नीति से वापसी के परिणामस्वरूप वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता लौटी

II.4.1 वैश्विक वित्तीय बाजारों में जो अस्थिरता 2012 की दूसरी छमाही और 2013 की पहली तिमाही में घटी थी, वह मई 2013 में वापस लौट आई है। इस अस्थिरता का बड़ा कारण बना फेड अध्यक्ष का 22 मई 2013 का वक्तव्य जिसमें वर्तमान में 85 बिलियन अमेरिकी \$ प्रति माह की दर से की जा रही बॉण्ड खरीद को क्रमिक रूप से समाप्त करने का संकेत था। जून एफओएमसी मीटिंग के बाद फेड ने 2013 के उत्तरार्ध से बॉण्ड खरीद में कमी लाते हुए 2014 के मध्य तक इसे समाप्त कर देने की योजना के संकेत दिए। एफओएमसी सदस्यों के इस आशय के अनुमान के बावजूद कि टारगेट फेडरल फंड्स रेट में पहली वृद्धि 2015 के


पहले होने की संभावना नहीं, फेड के वक्तव्यों से उभरते बाजारों में बॉण्डों की भारी बिकवाली शुरू हो गई जिससे प्रतिफलों में वृद्धि प्रारंभ हो गई। इससे स्वर्ण की कीमतों में तीव्र गिरावट तो आई ही, जून एफएमओसी मीटिंग के बाद वैश्विक इक्विटीज भी नीचे गई। दोनों बार उभरते बाजारों की मुद्राओं का तीव्र मूल्यहास हुआ। फलतः वैश्विक पोर्टफोलियो के पुनः आबंटन की संभावना के चलते उभरते बाजार वित्तीय रूप से ज्यादा नाजुक हो गए हैं। बाद में जुलाई में फेड के वक्तव्य के बाद बाजारों की बेचैनी कुछ हद तक कम हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार, भविष्य में होने वाली प्रत्येक घोषणा के साथ और अस्थिरता की संभावना के प्रति वित्तीय बाजार के सहभागियों को तैयार रहने की आवश्यकता है।

II.4.2 इसके पहले, परेशानी वाले इलाकों में महत्वपूर्ण नीतिगत कार्रवाइयों के चलते बड़े पैमाने पर वित्तीय संकटों के गंभीर जोखिम कुछ कम हुए और 2012-13 की दूसरी छमाही (एच2) में वित्तीय बाजारों में स्थितियां बेहतर हुईं। 26 जुलाई 2012 को ईसीबी अध्यक्ष के इस वक्तव्य के बाद कि वे अपने प्राधिकार के अंतर्गत ईसीबी यूरो को बचाए रखने के लिए “जो भी हो सकता है”, करने को तैयार हैं, वित्तीय बाजारों में तनाव काफी कम हुआ विशेषतः 2012 की तीसरी तिमाही में। विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक सुलभता की बड़ी कार्रवाइयों जैसे ईसीबी द्वारा “स्टरीलाइज्ड” खुला मौद्रिक लेन-देन और अमेरिकी फेड द्वारा “ओपेन एंडेड” मात्रात्मक सुलभता (क्यू-3) तथा साथ ही यूरोपियन यूनियन के उपायों, जैसे 8 अक्टूबर 2012 को प्रारंभ की गई यूरोपीय स्थिरता प्रक्रिया से बाजार का मिजाज सुधरा।

चार्ट II.31: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में परिवर्तन



स्रोत: ब्लूमबर्ग



वैश्विक चलनिधि की अधिकता से जोखिमपूर्ण एसेट्स में उछाल

II.4.3 अपारंपरिक मौद्रिक नीतियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति अप्रत्याशित जोखिम की अवधारणाओं में कमी आने से अधिक जोखिम वाले एसेट्स जैसे कॉरपोरेट बॉण्डों और इक्विटीज की ओर रुझान बढ़ा (चार्ट II.31b)। सरकारी बांडों जैसी सुरक्षित आस्तियों के प्रतिफलों में ऐतिहासिक कमी आई, जिसने प्रतिफलों की तलाश में निवेशकों को भावी निवेशों हेतु अन्यत्र जाने के लिए मजबूर कर दिया (बॉक्स II.7)।

II.4.4 अप्रैल 2013 की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएसएफआर) के अनुसार गंभीर आसन्न स्थिरता जोखिमों के काफ़ी कम हो जाने के कारण सरकारों, बैंकों और कॉरपोरेट

ऋण के लिए यूरो क्षेत्र में फंडिंग स्थितियां बेहतर हुई हैं। अप्रत्याशित जोखिम की अवधारणा में कमी आने के बाद, यूरो क्षेत्र के प्रभावित देशों में सरकारी प्रतिभूतियों की यील्ड और सीडीएस स्प्रेड्स घट गए। 2012-13 के दौरान इक्विटी बाजारों का प्रदर्शन अच्छा रहा क्योंकि केंद्रीय बैंकों की नीतियों से निजी निवेशक पोर्टफोलियो बड़ी मात्रा में पुनः संतुलित होकर अपेक्षतया अधिक जोखिम वाले एसेट्स की ओर जा रहे हैं। बेहतर वेतन रिपोर्ट, कंपनियों की प्रति शेयर बेहतर धनात्मक आय और सकारात्मक रुझान के बीच अमेरिकी फेड के ओपेन-एंडेड एसेट खरीद कार्यक्रम से अमेरिकी स्टॉक मार्केट सर्वकालिक ऊँचाइयों पर पहुँच गये।

बॉक्स II.7

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपारंपरिक मौद्रिक नीति: वित्तीय बाजारों पर प्रभाव

संकट से निबटने के लिए विकसित विश्व में केंद्रीय बैंकों ने अपारंपरिक नीतिगत उपाय किए हैं। इन अपारंपरिक उपायों का मूल उद्देश्य विकास को बहाल करना और रोजगार का सृजन करना रहा है। कई अध्ययनों में इन उपायों और उनके संभावित परिणामों के प्रभाव की जाँच की गई है।

गैगनॉन व अन्य (2011) द्वारा किए गए एकदम पहले के अध्ययनों में से एक में यह पाया गया है कि दिसंबर 2008 और मार्च 2010 में फेड द्वारा बड़े पैमाने पर एसेट खरीद (एलएसएपी) का प्रतिभूतियों, ट्रेजरी व कॉरपोरेट बॉण्ड्स की दीर्घावधि ब्याज दरों पर सांख्यिकीय दृष्टि से बड़ा असर पड़ा। बाद के अध्ययनों (डीट अमिको एंड किंग, 2010) ने देखा कि यूएस एलएसएपी का भी अंतरराष्ट्रीय दीर्घावधि ब्याज दरों पर बहुत प्रभाव पड़ा। 1960 के दशक में ऑपरेशन ट्विस्ट पर स्वैन्सन (2011) की इवेंट स्टडी में यह पाया गया कि गुणात्मक रूप से यह वर्तमान क्यूई2 के जैसा था और इसने पाया कि 5-30 वर्षों की परिपक्वताओं वाले ट्रेजरी रेट्स पर 10-17 आधार अंकों का प्रभाव पड़ा।

यूके के मामले में, यह पाया गया है कि बैंक ऑफ इंगलैंड द्वारा एसेट खरीद के पहले चरण का प्रभाव श्रेष्ठ प्रतिभूतियों (जिल्ट) के प्रतिफल पर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था। आकलन के मुताबिक प्रारंभिक मात्रात्मक सुलभता की घोषणाओं से जिल्ट प्रतिफल 35-60 आधार अंक घट गए। अन्य आकलनों के अनुसार, मध्यम से दीर्घावधि जिल्ट यील्ड्स 100 आधार अंक घट गए; ऐसी ही गिरावट कॉरपोरेट बॉण्ड यील्ड्स में भी दर्ज की गई।

यद्यपि आकलनों के आकार में अंतर है, ज्यादातर अध्ययन इस निष्कर्ष के आस-पास पहुँचते हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा एसेट खरीद का आर्थिक रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है, कम से कम सरकारी बॉण्ड यील्ड्स पर। तथापि, एसेट की खरीद को एसेट के मूल्य से जोड़ने वाली कड़ी और यील्ड्स में लगातार जारी कमी पर सीमित मतैक्य है। कुछ लेखकों ने रिस्क प्रीमिया की भूमिका

पर जोर दिया है, जबकि दूसरों का निष्कर्ष यह है कि सिगनल देने वाला चैनल ज्यादा अहम रहा।

अधिकांश व्यावहारिक अध्ययनों के अनुसार, अपारंपरिक मौद्रिक नीति कुछ प्रभावी रही है क्योंकि एसेट की खरीद से यील्ड्स और दीर्घावधि ब्याज दर घटीं। इस बात का वित्तीय बाजारों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तथापि विकास पर इसके प्रभाव को अभी भी विश्वसनीय रूप से स्थापित किया जाना शेष है। प्रभाव के आकार व अवधि तथा मार्ग पर मतैक्य काफ़ी कम है। बीआईएस की हालिया वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए तमाम मौद्रिक निभावों (एकोमोडेशन) के बावजूद, आर्थिक वृद्धि सुस्त रही है। इसके अलावा, कम ब्याज दरों के दूसरे प्रभाव भी हैं, जैसे तेजी से बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्थाओं व कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ओर भी पूँजी का प्रवाह होने लगता है जिससे संबंधित देश में स्थिरता के लिए किए जा रहे प्रयासों को धक्का लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लागत-लाभ का हिसाब ऐसे बिंदु पर पहुँच रहा है जहाँ लगता है कि यह उतने पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ऐसी नीतियों से अब और लाभ होगा।


संदर्भ

गैगनॉन, जे., एम. रास्किन, जे रेमाक एंड बी. सैक (2011), “द फाइनेंशियल मार्केट्स इफेक्ट्स ऑफ फेडरल रिजर्व लार्ज-स्केल एसेट पर्चेजेज”, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग* 7 (10), 3-43.


‘डीटएमिको, एस., एंड टी.बी. किंग (2010), “फ्लो एंड स्टॉक इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्केल ट्रेजरी पर्चेजेज”, *फाइनेंस एंड इकनॉमिक्स डिस्कसन सिरीज* 52 एफआरबी: वाशिंगटन डीसी.

स्वैन्सन, ई.टी. (2011), ‘लेट्स ट्विस्ट अगेन: ए हाइ फ्रिक्वेंसी इवेंट-स्टडी एनालिसिस ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट एंड इट्स इंप्लीकेशन्स फॉर क्यूई2’, *ब्रूकिंग्स पेपर्स ऑन इकनॉमिक एक्टिविटी (स्प्रिंग)* 151-207।

चार्ट II.32 बैंक ऑफ जापान द्वारा खरीदी गई आस्तियां और जापानी वित्तीय बाजार



स्रोत: ब्लूमबर्ग



II.4.5 जापान में वृहत्तर आकार का एसेट खरीद कार्यक्रम चल रहा है। जनवरी 2013 में बैंक ऑफ जापान ने (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-मुद्रास्फीति) 2 प्रतिशत की मूल्य स्थिरता का लक्ष्य पाने का निर्णय लिया। मात्रात्मक मौद्रिक सुलभता लाने के लिए, बीओजे ने अप्रैल 2013 में मनी मार्केट ऑपरेशन के मुख्य ऑपरेटिंग टारगेट में बदलाव लाते हुए असंपार्श्विकृत एक दिवसीय कॉल रेट की जगह पर मौद्रिक आधार (अर्थात्, मात्रा) को रखने तथा मनी मार्केट ऑपरेशन्स करने का फैसला किया है तथा मौद्रिक आधार को दो वर्षों में दुगुना करने का लक्ष्य रखा है।

II.4.6 आक्रामक मौद्रिक सुलभता के बाद अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले येन के मूल्य में काफी गिरावट आई जिसमें इस समाचार की भूमिका भी रही कि एक लंबे समय के बाद पहली बार जापानी निवेशक विदेशी एसेट्स के निवल क्रेता हो गए हैं (चार्ट II.32)।


उभरते बाजारों के विदेशी मुद्रा भंडार में हुई वृद्धि से यह उम्मीद कि इससे ढीली मौद्रिक नीति से वापसी के प्रभावों से निबटने के लिए अतिरिक्त बफर मिलेगा

II.4.7 विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा बैलेंस शीट विस्तार का आकार ही ऐसा है कि इससे वैश्विक चलनिधि में विशाल वृद्धि हुई है जिससे कभी-कभी उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं की ओर जाने वाली पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है। इसे देखते हुए उभरते बाजार वाले कुछ देशों ने हल्के-फुल्के पूंजी नियंत्रण उपाय लागू किए हैं या अपने नीतिगत दरों में भी कटौती की है। तथापि, सुरक्षित पनाहगार वाली अमेरिकी डॉलर की स्थिति के कारण कभी-कभी

क्यूई का निवल परिणाम उल्टा हो सकता है क्योंकि डॉलर एसेट्स की ओर निवेशक सुरक्षा कारणों से भागते हैं। सुरक्षा की दिशा में जब यह उड़ान घटित होती है, तब अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि से उभरते बाजारों की मुद्राओं पर अधोमुखी दबाव पड़ सकता है।

II.4.8 अस्थिर पूंजी प्रवाहों के बावजूद, समग्र तौर पर, हाल के वर्षों में उभरते बाजार विदेशी मुद्रा के निवल क्रेता हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय रिजर्व एसेट्स संबंधी आँकड़ों के अनुसार 09 अगस्त 2013 की स्थिति के अनुसार में इसमें 6.9 प्रतिशत की (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय रिजर्व एसेट्स के स्टॉक में चीन का हिस्सा 31.3 प्रतिशत (3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) का रहा (चार्ट II.33)।

चार्ट II.33: कुल अंतरराष्ट्रीय रिजर्व आस्तियां - राशि और प्रतिशत हिस्सा




स्रोत: ब्लूमबर्ग

ढीली ढौद्रिक नीति से वापसी के बारे में फेड की टिप्पणियों के चलते वैश्विक बाजारों में आर बिकवाली के दौर का भारतीय बाजारों में असर

II.4.9 22 ढई 2013 और इसके बाद 19 जून 2013 के फेड के वक्तव्य के अगले दिन भारतीय ढुद्रा बाजारों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। सेनसेक्स और निफ्टी में पिछले दिन की समाप्ति की तुलना में क्रढशः 2.7 और 2.9 अंको की गिरावट दर्ज की गई। दूसरे एशियाई ईक्विटी बाजारों में जैसे चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, और फिलीपींस में भी गिरावट आई। अढेरिकी ढौद्रिक नीति में संभावित परिवर्तन से ढुद्रा भी दबाव में आई और एक दिन में रुपये में लगभग 1.6 प्रतिशत का ढूल्यहास हुआ। 22 ढई से प्रारंभ होते हुए 14 अगस्त की अवधि तक रुपए में 9.7 प्रतिशत का सांकेतिक ढूल्यहास हुआ। ढॉण्ड ढार्केट में, 10-वर्षीय यूएस ढॉण्ड और भारत सरकार के ढॉण्ड का अंतर ढई 2013 की शुरुआत के 600 आधार अंकों से घटकर लगभग 500 आधार अंकों (15 जुलाई 2013 को) पर आ गया है।

ढुद्रा बाजार वर्ग में घटनाक्रम

II.4.10 202-13 में ढुद्रा बाजार व्यवस्थित रहे तथा ढुद्रा बाजार दरें (कॉल, सीबीएलओ और ढार्केट रिपो रेट) रिवर्स रिपो और एढएसएफ रेट द्वारा सेट किए गए एलएफ दायरे के भीतर रहीं और कॉल रेट रिपो रेट के आस-पास रही (चार्ट II.34)। वर्ष के



दौरान कॉल ढनी रेट में सामान्यतया गिरावट का रुझान रहा और 2012-13 की पहली तिढाही के दौरान औसत कॉल ढनी दर 8.40 प्रतिशत से कम होकर वर्ष की चौथी तिढाही में 7.91 प्रतिशत हो गई।

II.4.11 2013-14 की पहली तिढाही के दौरान, कॉल ढनी रेट अधिकांशतः नीतिगत रिपो रेट के आस-पास ही रही। एक्सचेंज रेट अस्थिरता रोकने के लिए रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई में उठाए गए कदढों का ढुद्रा बाजार पर असर हुआ। कॉल रेट, जो 15 जुलाई 2013 को रिजर्व बैंक के नीतिगत उपाय के पहले 7.21 प्रतिशत पर थी, शुरू-शुरू में बढ़कर 8.53 हुई, परंतु बाद में घट गई। 23 जुलाई और 08 अगस्त 2013 को घोषित अतिरिक्त उपायों के बाद कॉल रेट बढ़कर 13 अगस्त 2013 को 10.21 प्रतिशत पर पहुंच गई।


II.4.12 संपार्श्विकृत वर्ग (अर्थात्, सीबीएलओ और ढार्केट रिपो) में भी दरें बढ़ीं और सीबीएलओ रेट 15 जुलाई 2013 के 7.18 प्रतिशत से बढ़कर 13 अगस्त 2013 को 10.23 प्रतिशत हो गया। संपार्श्विकृत वर्गों में बैंक प्रढुख उधारकर्ता बने रहे। 2012-13 में सीबीएलओ वर्ग में उधार देने वाला प्रढुख सढूह रहा ढ्यूचुअल फंड का और ढार्केट रिपो वर्ग में बैंक प्रढुख सढूह थे। संपार्श्विकृत वर्ग, एकदिवसीय ढनी ढार्केट का बड़ा हिस्सा बना रहा तथा वर्ष 2012-13 के दौरान इसका हिस्सा 80 प्रतिशत और 2013-14 की पहली तिढाही के दौरान 84 प्रतिशत रहा।

II.4.13 2012-13 के दौरान जढा प्रढाणपत्रों (सीडीज) का औसत ढाक्षिक निर्गढन घटकर ₹333 बिलियन रह गया (चार्ट II.35)। ढार्च 2013 के अंत में सीडीज की बकाया राशि ₹3,896 बिलियन थी। 2013-14 की पहली तिढाही में जढा प्रढाणपत्रों का औसत ढाक्षिक निर्गढन ढामूली रूप से बढ़कर ₹340 बिलियन पर पहुंचा। 12 जुलाई 2013 की स्थित के अनुसार सीडीज की बकाया राशि में कढी आई और यह ₹3,645 बिलियन थी।

II.4.14 नीतिगत दरों में कढी के साथ, कुल जढा प्रढाणपत्रों के निर्गढन से संबंधित ढारित औसत ढाभावी ढ्याज दर ढार्च 2012 के अंत के 11.1 प्रतिशत से घटकर ढार्च 2013 के अंत में 9.24 प्रतिशत और 12 जुलाई 2013 तक और घटकर 7.96 प्रतिशत हो गई।


II.4.15 2012-13 के दौरान वाणिज्यिक ढत्रों का औसत ढाक्षिक निर्गढन 31 प्रतिशत बढ़कर ₹319 बिलियन और 2013-14 की

चार्ट II.35: सीडी निर्गमन और डब्ल्यूईआईआर



पहली तिमाही में ₹338 बिलियन रहा। परिणामतः वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि जो मार्च 2013 के अंत में ₹1093 बिलियन थी जुलाई 2013 के अंत में बढ़कर ₹1496 बिलियन हो गई (चार्ट II.36)। वाणिज्यिक पत्रों की भारत औसत छूट दर मार्च 2012 के अंत के 12.9 प्रतिशत से घटकर मार्च 2013 के अंत में 9.77 प्रतिशत और 31 जुलाई 2013 तक और घटकर 9.03 प्रतिशत हो गई।

चार्ट II.36: सीपी निर्गमन और डब्ल्यूएडीआर



भावी समष्टि-आर्थिक प्रत्याशाओं के समावेश से प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) सपाट हुआ


II.4.16 2012-13 में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल (जी-सेक् यील्ड्स) सामान्यतः नरम रहे। पॉलिसी रेट में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण अप्रैल से मध्य-जून 2012 के दौरान प्रतिफल जहाँ कम हुए वहीं उसके बाद से मध्य-दिसंबर 2012 तक दायरे (रेंज बाउंड) में रहे। बाद में नीतिगत दर (पॉलिसी रेट) में कमी की प्रत्याशा, प्राथमिक निर्गमनों (प्राइमरी इश्यूएसेज) में कमी और राजकोषीय घाटा कम करने की घोषणा के कारण मध्य-जनवरी 2013 तक यील्ड्स तेजी से गिरे। इसके बाद, मार्च 2013 के अंत में वृद्धि होने के पूर्व प्रतिफल दायरे में रहे।

II.4.17 अप्रैल-मई 2013 के दौरान, मार्च व अप्रैल 2013 के सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आँकड़ों व अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में कमी से संकेत ग्रहण करते हुए और सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआईआई ब्याज आय पर विथहोल्डिंग टैक्स को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के निर्णय पर जी-सेक् प्रतिफल नरम पड़े। तथापि, मई के अंत की ओर यील्ड में बढ़ोतरी शुरू हुई जिसे मई 2013 में फेड के अध्यक्ष के रेस्पॉन्स के बाद वैश्विक बॉण्ड में बिकवाली के दौर और उसके बाद जून 2013 में आए भावी मार्गदर्शन के परिणाम के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। बॉण्ड की वैश्विक बिकवाली के क्रम में, एफआईआईजे ने भी भारतीय सरकारी बॉण्डों से पैसा बाहर खींच लिया और इसने यील्ड्स के बढ़ने में मदद की। परिणामतः, 10-वर्षीय सामान्य प्रतिफल 24 मई 2013 के 7.12 से बढ़कर 28 जून 2013 को 7.45 प्रतिशत हो गए। जुलाई के मध्य से रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के फलस्वरूप सामान्य प्रतिफल 15 जुलाई 2013 के 7.60 प्रतिशत की तुलना में 13 अगस्त 2013 को और बढ़कर 8.42 प्रतिशत हो गए (चार्ट II.37)।

II.4.18 सरकारी प्रतिभूति बाजार में दैनिक औसत मात्रा जो 2011-12 में ₹130 बिलियन थी, 2012-03 में बढ़कर ₹243 बिलियन हो गई और इसके बाद 2013-14 की पहली तिमाही में और बढ़कर ₹570 बिलियन हो गई। सामान्यतः यह मात्रा 10-वर्षीय यील्ड की गति के विपरीत रही (चार्ट II.38)।

II.4.19 दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से केंद्र सरकार की कुल बाजार उधारियां 2012-13 में ₹5,580 बिलियन (₹4,674


चार्ट II.37: सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल वक्र



स्रोत: एफआईएमएडीए

बिलियन की निवल उधारियां) थीं। पिछले वर्ष की तुलना में ये संख्याएं क्रमशः 09 प्रतिशत और 07 प्रतिशत लगभग अधिक रहीं। 2013-14 के दौरान (05 अगस्त 2013 तक) केंद्र सरकार की कुल बाजार उधारियां ₹2,400 बिलियन (₹2,272 बिलियन की निवल उधारियां) रहीं। दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता 14.49 वर्ष की थी, जबकि बोली-कवर अनुपात 1.41-6.09 के दायरे में रहा।

चार्ट II.38: औसत दैनिक मात्रा और 10 वर्षीय सामान्य प्रतिफल




कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट में मात्रात्मक वृद्धि देखी गई

II.4.20 वित्तीय वर्ष 2012-13 में, कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट में ट्रेडेड वैल्यू ने 24.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और यह ₹7,386 बिलियन तक पहुंच गया। वर्ष के दौरान ट्रेड की संख्या भी 28.8 प्रतिशत बढ़कर 66,383 हो गई। बेंचमार्क 5-वर्षीय एएए-रेट किए गए कॉर्पोरेट बॉण्ड और 5-वर्षीय भारत सरकार प्रतिभूतियों के बीच प्रतिफल अंतराल में भी कमी आई (चार्ट II.39)। तथापि, केंद्रीय सरकारी प्रतिभूति बाजार की तुलना में 2011-12 में कॉर्पोरेट बॉण्डों की ट्रेडिंग वैल्यू उतनी ही सरकारी प्रतिभूतियों का लगभग पांचवा हिस्सा रही; 2012-13 में तो यह और कम रही (चार्ट II.40)। 2013-14 में (जून के अंत तक), सरकारी प्रतिभूतियों में ₹36,324 बिलियन की ट्रेडिंग कॉर्पोरेट बॉण्डों (₹3,200 बिलियन) की ट्रेडिंग के 10-गुना से भी अधिक रही।

घरेलू प्राथमिक बाजार में संसाधन उगाही फीकी रही


II.4.21 भारत में, 2012-13 के दौरान घरेलू प्राथमिक बाजार में संसाधन उगाही मामूली रूप से बढ़कर ₹65 बिलियन रही जो 33 इक्विटी ईश्यूज के माध्यम से आई जबकि गत वर्ष 34 ईश्यूज के माध्यम से ₹59 बिलियन उगाहे गए थे। आईपीओ ईश्यूज के जरिये उगाही गई राशि 2007-08 में उगाही गई ₹426 बिलियन के शिखर से काफी कम है। प्राथमिक इक्विटी बाजार

चार्ट II.39: 5 वर्षीय कारपोरेट बांड का प्रतिफल



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट II.40: केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और कारपोरेट बांडों की ट्रेडिंग मात्रा




स्रोत: सीसीआईएल और सेबी

सुस्त रहा जिसका मुख्य कारण कई प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) में ऋणात्मक लाभ और सेकेंडरी मार्केट के माहौल के भी कुछ विशेष उत्साहजनक नहीं होने के चलते निवेशकों में जोखिम की प्रवृत्ति का कम होना रहा (परिशिष्ट सारणी-12)।

II.4.22 वैश्विक बाजारों से संकेत ग्रहण करते हुए, भारत ने भी लघु और मझोले उद्योग के लिए इक्विटी फाइनेंसिंग का रास्ता तैयार किया। 13 मार्च 2012 को बीएसई एमएसई एक्सचेंज लॉन्च किया गया और इसके बाद एनएसई इमर्ज ताकि एसएमई को इक्विटी पूँजी उगाहने का मौका मिल सके। 2012-13 में ₹2.4 बिलियन - जो कि आईपीओ के जरिये उगाही गई कुल राशि का 3.7 प्रतिशत है -24 एसएमई आईपीओ के जरिये जुटाया गया (चार्ट II.41)। आईपीओ के जरिये संसाधन जुटाने वाले एसएमई, वित्तीय सेवाओं, रियल्टी, कृषि, वस्त्र, इंजीनियरिंग क्षेत्रों के हैं। (चार्ट II.42)।

II.4.23 पब्लिक ईश्यू और एडीआर/जीडीआर के माध्यम से ऋण बाजार में संसाधन उगाहने के प्रयास का कोई खास परिणाम नहीं हुआ, जबकि म्यूचुअल फंडों में स्थिति अच्छी रही और 2012-13 में इसमें प्राइवेट सेक्टर के म्यूचुअल फंड अग्रणी रहे (सारणी II.5)। कंपनी ऋण बाजार में वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा 2,489 निर्गमनों के माध्यम से ₹3.6 ट्रिलियन उगाहे गए जो कि 38 प्रतिशत अधिक है। 2011-12 में

चार्ट II.41: 2012-13 के दौरान एसएमई आईपीओ द्वारा संसाधन जुटाना




स्रोत: सेबी

फ्रीके प्रदर्शन के बाद, 2012-13 में अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीद के जरिये 45 ईश्यूज से, ₹160 बिलियन जुटाए गए।

विनिवेश कार्यक्रम के माध्यम से संसाधन जुटाने की फिर से शुरुआत

II.4.24 2012-13 में केंद्र सरकार ने लगभग ₹240 बिलियन की उगाही से अपने विनिवेश कार्यक्रम की शुरुआत की, जब की पिछले वर्ष ₹139 बिलियन की उगाही की थी (सारणी II.1)। वर्ष

चार्ट II.42: आईपीओ द्वारा संसाधन जुटाने वाली एसएमई कंपनियों की प्रवृत्ति



स्रोत: सेबी

सारणी II.5: प्राथमिक बाजार के रुझान

(₹ बिलियन)

वर्ग	2011-12 (अप्रैल- मार्च)	2012-13 (अप्रैल- मार्च)	2012-13 (अप्रैल- मार्च)	2013-14 (अप्रैल- मार्च)
1	2	3	4	5
ए. पब्लिक ईश्यू (i) + (ii)	461	219	5	11
i) पब्लिक ईश्यू (इक्विटी)	105	65	5	9
जिसमें से: आईपीओज	59	65	4	9
एफपीओज	46	0	0	0
ii) पब्लिक ईश्यू (ऋण)	356	154	0	1
बी. राइट्स ईश्यू	24	89	1	4
कुल इक्विटी ईश्यू (i+बी)	129	155	5	14
सी. यूरो ईश्यू	27	10	2	1
एडीआर/जीडीआर				
डी. म्यूचुअल फंड की उगाही (निवल)	-220	765	1340	455*
1. निजी क्षेत्र	-154	638	1050	258*
2. सार्वजनिक क्षेत्र	-66	127	290	198*
ई. कंपनी ऋण बाजार में प्राइवेट प्लेसमेंट	2,613	3,615	738	1108
एफ. न्यूआईपी	22	160	5	43
जी. विनिवेश	139	240	ऊ.न.	13#

* : अप्रैल-जुलाई # : 13 अगस्त 2013 तक


स्रोत: सेबी और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय।

2013-14 के लिए बजटित राशि ₹400 बिलियन है जबकि अब तक ₹13 बिलियन उगाहे जा सके हैं।

इक्विटी बाजारों में वृद्धि का रुझान बना रहा

II.4.25 2012-13 में भारतीय इक्विटी मूल्यों ने अपना वृद्धि-रुझान बनाए रखा। मार्च 2013 के अंत में, बीएसई सेंसेक्स तथा एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी ने वर्ष-दर-वर्ष क्रमशः 8.2 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। मजबूत एफआईआई प्रवाहों, ईंधन की नियंत्रित कीमतों में सुधार के उपाय, केंद्र सरकार द्वारा खुदरा व विमानन क्षेत्रों और बुनियादी संरचना के क्षेत्र में भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की घोषणा से निवेशकों का मनोबल बढ़ा (चार्ट II.43)। 2012-13 में बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी जनवरी 2013 में क्रमशः 20,000 और 6,000 के पार गए। 2013-14 में अब तक (14 अगस्त 2013 तक) बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी ने क्रमशः 2.8 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है।


चार्ट II.43: इक्विटी बाजार में एफआईआई और म्यूचुअल फंडों का निवेश



टिप्पणी: सेन्सेक्स के आंकड़े 8 अगस्त 2013 तक एफआईआई और म्यूचुअल फंड के आंकड़े 7 अगस्त 2013 तक
स्रोत: सेबी और बीएसई

II.4.26 स्टॉक मार्केट के निष्पादन का विश्लेषण बताता है कि 2012-13 के दौरान बेंचमार्क सूचकांक अर्थात् सेंसेक्स ने व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट II.44)। एफएमसीजी और स्वास्थ्य क्षेत्र के सूचकांकों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा और धातुओं व बिजली का सबसे खराब। बेहतर कंपनी आय और अनिश्चित समष्टि-आर्थिक माहौल के फलस्वरूप एफएमसीजी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में वृद्धि हुई।

चार्ट II.44: बीएसई के क्षेत्रवार सूचकांकों का संचलन



सारणी II.6: स्टॉक मार्केट के प्रमुख संकेतक

संकेतक	बीएसई सूचकांक			एनएसई निफ्टी		
	2011-12	2012-13	2013-14 (14 अगस्त तक)	2011-12	2012-13	2013-14 (14 अगस्त तक)
1	2	3	4	5	6	7
सेसेक्स/निफ्टी						
i. समाप्त अवधि	17404.2	18835.8	19367.6	5295.6	5682.6	5742.3
ii. औसत	17422.9	18202.1	19398.7	5242.7	5520.3	5850.6
परिवर्तन का गुणांक (%)	6.2	6.4	2.9	6.3	6.4	3.1
पीई अनुपात@	17.8	16.9	17.5*	18.7	17.6	17.0*
पीबी रेशियो@	3.5	2.9	3.0*	3.0	3.0	2.8*
सकल टर्न ओवर (₹ बिलियन)	6,675	5,488	415#	28,109	27,083	2434 #
बाजार पूँजीकरण (₹ बिलियन)	62,149	63,879	60959 #	60,965	62,390	60988 #

@: समाप्त अवधि; *: 14 अगस्त 2013 को; #: जुलाई-2013 के अंत में
 स्रोत: बीएसई और एनएसई।

इक्विटी मार्केट में टर्नओवर

II.4.27 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, इक्विटी मार्केट के नकद वर्ग में ₹32,571 बिलियन का टर्न-ओवर रहा जो कि 6.4 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है जबकि बीएसई का बाजार पूँजीकरण 2.8 प्रतिशत बढ़कर ₹63,879 बिलियन हो गया। बीएसई के कीमत-अर्जन-अनुपात में गिरावट आई (सारणी II.6)।

डेरिवेटिव वर्ग में उछाल देखा गया



II.4.28 इक्विटी डेरिवेटिव वर्ग में टर्नओवर, मूल्य के अनुसार, 2011-12 के ₹321.6 ट्रिलियन से 20.3 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹387.0 ट्रिलियन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्याओं के लिहाज से 2012-13 में टर्नओवर 12.7 प्रतिशत बढ़ कर 1.4

बिलियन हो गया। पुनश्च, डेरिवेटिव्स में इंडेक्स ऑपशन्स वर्ग ने गत वर्ष के 72.6 प्रतिशत से अपनी स्थिति मजबूत करते हुए अपना हिस्सा 77 प्रतिशत कर लिया (चार्ट II.45)। दूसरी तरफ, इसी अवधि में फ्यूचर्स का हिस्सा 24.4 प्रतिशत से घटकर 17.8 रह गया (परिशिष्ट सारणी 13)।

अस्थिर विनिमय दर-देशी और वैश्विक चिंताओं का प्रतिबिंब

II.4.29 2012-13 में रुपए की गति अस्थिर रही। वर्ष की शुरुआत में, बढ़ते चालू खाता और राजकोषीय घाटों के बीच रूपये का मूल्य तेजी से गिरा। वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते इस पर और दबाव पड़ा। इसे देखते हुए, रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए ताकि पूँजी-प्रवाहों में सहायता हो।

चार्ट II.45: 2012-13 में डेरिवेटिव संवर्ग में टर्नओवर



स्रोत: सेबी

II.4.30 पिछले वर्ष के दौरान विनिमय दर की अस्थिरता को देखते हुए, जैसा कि पिछले एक वर्ष में रहा है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग

के साथ इसकी अंतर-संबद्धताओं की परीक्षा करने के लिए एक विश्लेषण किया गया (बॉक्स II.8)।

बॉक्स II.8

भारत में एक्सचेंज रेट की अस्थिरता और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बीच संबंध

यूएसडी-आईएनआर में फ्यूचर्स ट्रेडिंग 29 अगस्त 2008 को शुरू हुई। तब से, भारत में एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स वर्ग की मात्रा लगातार बढ़ी है। रुपए में औसत लेन-देन की मात्रा सितंबर 2008 के ₹2.6 बिलियन से बढ़कर जून 2013 में ₹234.4 बिलियन हो गई। ऐसा देखने को मिला है कि इस अवधि में एक्सचेंज रेट में भी अस्थिरता बढ़ी।

एक्सचेंज रेट अस्थिरता पर करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के प्रभाव की जांच करने के लिए, चैटरट व अन्य (1996) के अनुसरण में 29 अगस्त 2008 (भारत में करेंसी फ्यूचर्स की शुरुआत के दिन) से डेली स्पॉट एक्सचेंज रेट रिटर्न्स डेटा “इस मामले में अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया(यूएसडी-आईएनआर)” में सशर्त अस्थिरता (कंडिशनल वोलैटिलिटी) मॉडल को फिट करके एक्सचेंज रेट अस्थिरता की जांच की गई। अस्थिरता को जीएआरसीएच (1,1) मॉडल से अनुमानित अंतर (एस्टिमेटेड वैरिएंस) के रूप में लिया जाता है।

फ्यूचर्स मार्केट में, अटकल की हद का आकलन करने के लिए व्यापार मात्रा के दैनिक स्तर और करेंसी फ्यूचर्स के लिए खुले ब्याज को लिया गया। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट को हमने सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले अंतराल में समाप्ति दिन (एक्सपायरेशन डे) के पहले वाले ट्रेडिंग डे तक देखा और उसके बाद अगले कॉन्ट्रैक्ट पर नजर रखनी शुरू की। सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) की डेली एक्टिविटी रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त की गई। हमने यह देखा कि करेंसी डेरिवेटिव्स वर्ग में यूएसडी-आईएनआर करेंसी फ्यूचर्स सर्वाधिक ट्रेड किए गए कॉन्ट्रैक्स थे। अटकलिया व्यापार गतिविधि (स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटी) का एक नमूना (प्रॉक्सी) प्राप्त करने के लिए हमने मात्रा (वॉल्यूम) में सर्वाधिक ट्रेड किए गए करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के दैनिक खुला ब्याज से भाग दिया (चैटरट व अन्य, 1996; रॉक्स व अन्य, 2009)।

एक्सचेंज रेट अस्थिरता और करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में व्यापार गतिविधि (ट्रेडिंग एक्टिविटी) के बीच संबंध की जांच करने के लिए एक्सचेंज रेट अस्थिरता और अटकल (स्पेक्यूलेशन) पर एक वीएआर मॉडल आकलित किया गया। ग्रैंगर कारण-कार्य संबंध (कॉजैलिटी) के परीक्षणों में यह देखने को मिला कि अटकल

(स्पेक्यूलेशन) और एक्सचेंज रेट अस्थिरता के बीच कारण-कार्य संबंध है। तथापि ग्रैंगर कॉजैलिटी एक्सचेंज रेट अस्थिरता से अटकल (स्पेक्यूलेशन) की ओर जाने वाला ग्रैंगर कारण-कार्य संबंध महत्वपूर्ण नहीं था। आकलित वीएआर से प्राप्त इम्पल्स रेस्पॉन्स फन्क्शन (चार्ट I और II) दर्शाता है कि अटकल (स्पेक्यूलेशन) के प्रति एक्सचेंज रेट अस्थिरता का, उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार, रेस्पॉन्स पहले सात वर्षों तक पॉजिटिव और शून्य से काफी अलग रहा तथा उसके बाद यह समाप्त हो गया। जबकि एक्सचेंज रेट अस्थिरता के प्रति अटकल (स्पेक्यूलेशन) का रेस्पॉन्स खास नहीं था।

करेंसी फ्यूचर्स लागू करते समय, रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अत्यधिक अटकल (स्पेक्यूलेशन) को नियंत्रित करने के लिए पोजीशनस, मूल्यों, और मात्राओं पर तत्काल (रियल टाइम) निगाह रखने की विभिन्न रक्षात्मक प्रणालियां लागू की थीं। हाल में रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा करेंसी फ्यूचर्स/एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑपसन्स मार्केट्स में स्वपूजी (प्रोप्राइटी) ट्रेडिंग को बैन कर दिया। ऐसी ट्रेडिंग की अनुमति केवल क्लेअरिंग्स की तरफ से है। सेबी ने मार्जिन अपेक्षाओं को बढ़ाकर और करेंसी डेरिवेटिव्स पर ओपेन पोजीशनस में कटौती करके करेंसी डेरिवेटिव्स हेतु एक्सपोजर मानकों को भी सख्त कर दिया। रिजर्व बैंक सतर्क है और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विभिन्न वर्गों के सुव्यवस्थित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।



संदर्भ

चैटरट, ए., रामचंद्र, एस एंड सॉन्ना, एफ (1996), “द रोल ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड एक्सचेंज रेट वोलैटिलिटी”, *जर्नल ऑफ फ्यूचर्स मार्केट्स*, 16(5), 561-584।

रोबल्स, मिगुएल, टोरेरो, एम. एंड वॉन ब्राउन, जे. (2009) “व्हेन स्पेक्यूलेशन मैटर्स.” *आइएफपीआरआई ईश्यू ब्रिफ 57*: इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट।

शर्मा, एस. (2011), “एन इम्पिरिकल एनैलिसिस ऑफ दरिलेशनशिप बिटविन करेंसी फ्यूचर्स एंड एक्सचेंज रेट वोलैटिलिटी इन इंडिया”, आरबीआई *वर्किंग पेपर 1*, आरबीआई: मुंबई।

इम्पल्स रेस्पॉन्स से प्राप्त वीएआर आकलन



II.4.31 रुपये का मूल्य कई बार नॉन-डेलीवरेबल फॉरवर्ड्स में ट्रेडिंग से प्रभावित होता है- विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लिखत जो अपरिवर्तनीय मुद्राओं पर आधारित हैं जैसे रुपया और इस पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में ट्रेड किए जाते हैं। खास बात यह है कि ऑफशोर होने के कारण, एनडीएफ मार्केट स्थानीय प्राधिकारियों के विनियामकीय दायरे से बाहर होता है। मामले की परीक्षा करने के लिए एक अनुभव-आधारित अध्ययन किया गया (बॉक्स II.9)।

आवास मूल्य और बढ़े

II.4.32 रीयल इस्टेट की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर नजर रखने के लिए रिजर्व बैंक नौ प्रमुख शहरों (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर और कानपुर) के सूचकांक और एक समग्र अखिल-भारतीय सूचकांक (आधार क्यू4: 2008-09=100) तैयार करता आ रहा है। ये सूचकांक संबंधित राज्य सरकारों के पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त सम्पत्ति

बॉक्स II. 9

नॉन-डेलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट और ऑनशोर आईएनआर मार्केट : अंतर-संबद्धताओं (इंटरलिंगेजेज़) पर साक्ष्य


नॉन-डेलीवरेबल फॉरवर्ड्स (एनडीएफ) ओवर-द-काउंटर ट्रेड किया जाने वाला एक विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लिखत (फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट) है जो उन मुद्राओं (करेंसिज़) में ऑपरेट किया जाता है जो पूरी तरह परिवर्तनीय (फ्रीली कन्वर्टिबल) नहीं हैं। एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज रेट जोखिम से, उद्गम देश में, बचाव (हेजिंग) में मदद करते हैं, चाहे कैसी भी बाधा हो। यद्यपि, एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट एक नियमित वायदा विदेशी मुद्रा (फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज) बाजार की तरह है, इसमें मुद्राओं की परिपक्वता पर, उन्हें भौतिक रूप में डिलिवर करने की जरूरत नहीं होती और इसे सामान्यतः एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में विदेशी मुद्रा में सेटल किया जाता है। खास बात यह है कि अपतटीय (ऑफशोर) होने के कारण, एनडीएफ मार्केट स्थानीय प्राधिकारियों के विनियामकीय दायरे से बाहर होता है।

भारतीय संदर्भ में, देशी (ऑनशोर) वित्तीय संस्थाओं को एनडीएफ मार्केट में लेन-देन की अनुमति नहीं है। फिर भी, चूंकि, देशी बैंकिंग इकाइयों को अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के लिए विनिर्दिष्ट ओपेन पोजिशन और गैप लिमिट्स की अनुमति है, घरेलू इकाइयों के लिए इस बात का मौका है कि एनडीएफ मार्केट में हिस्सा लेकर, अंतरपणन (आरबिट्राज) का फ़ायदा उठा लें। इसके अलावा, विदेशी बैंक और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति वाली कॉरपोरेट इकाइयां एनडीएफ मार्केट में हिस्सा ले सकती हैं।

यह देखते हुए कि ऑफशोर एनडीएफ और ऑन-शोर मार्केट के बीच होने वाली सूचनाओं के प्रवाह से दोनों बाजारों में उतार-चढ़ाव पर असर पड़ सकता है, इसको लेकर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के मामले में कुछ अध्ययन किए गए हैं। जैसे, कोरीयाई वोन के मामले में, पार्क (2001) ने यह देखा कि हालिया अवधि में, ऑन-शोर मार्केट मुख्यतः अपतटीय (ऑफ-शोर) मार्केट द्वारा चालित प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार कैडरजट, ययात और लुबिस, एलेक्जेंडर (2012) ने 2008-11 की अवधि में इंडोनेशियाई रुपिया के स्पॉट मार्केट में एनडीएफ मार्केट से अस्थिरता का बड़ा प्रभाव देखा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में गुरु (2009) का भी तर्क है कि रुपये के एनडीएफ मार्केट के प्रभावों का घरेलू मुद्रा बाजारों पर पहले से अधिक असर पड़ रहा है। बेहेरा (2011) द्वारा किए गए हाल के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि एनडीएफ मार्केट के झटकों और अस्थिरता से ऑन-शोर मार्केट्स प्रभावित होते हैं।

भारतीय रुपया (आईएनआर) बाजार के ऑफ-शोर और ऑन-शोर वर्ग के बीच सूचना संचरण के अध्ययन की एक कोशिश की गई। एनडीएफ और ऑन-

शोर मार्केट में भारतीय रुपया-यूएसडॉलर (आईएनआर-यूएस\$) रेट संबंधी रोज दिन के अंत के आँकड़े (डेली क्लोजिंग डेटा) टॉमसन रायटर्स डेटास्ट्रीम



डेटाबेस से प्राप्त किए गए हैं। आईएनआर में ट्रेड के आधार पर अवधि को चार उप-अवधियों में बाँटा गया है, जैसा कि चार्ट 1 में दिखाया गया है।

ऑन-शोर और एनडीएफ बाजारों के बीच संचरण की दिशा के परीक्षण के लिए, वेक्टर एरर करेक्शन और वर्धित(ऑगमेंटेड) जीएआरसीएच मॉडल आँकलित किए गए। पार्क (2001) के अनुसार, जीएआरसीएच मॉडल का विनिर्देशन इस प्रकार होगा :

$$\mu_{i,t} = a_i + b_1\mu_{j,t-1} + b_2\varepsilon_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

$$h_{i,t}^2 = \alpha_{0i} + \alpha_{1i}\varepsilon_{i,t-1}^2 + \beta_{1i}h_{i,t-1}^2 + \gamma_{1i}\varepsilon_{j,t-1}^2$$

जहाँ $\mu_{j,t-1}$ प्रतिरूप बाजार में पिछली अवधि का लाभ (रिटर्न) है और $\varepsilon_{j,t-1}^2$ एमए (1)- जीएआरसीएच (1,1) मॉडल के $\mu_{j,t-1}$ पर लागू करने से प्राप्त स्क्वायर्ड रेजिड्यूअल है। अतः गुणांक, b_1 और γ_1 लाभ और अस्थिरता के परिणामों के माध्यम से एक करेसी बाजार से दूसरे में होने वाले प्रभावों के संभावित अस्तित्व का द्योतक है।

विश्लेषण यह बताता है कि भारतीय रुपये (आईएनआर) के स्पॉट और एनडीएफ बाजारों में दीर्घावधि संबंध है। वीईसी मॉडल यह बताता है कि रुपये की मूल्यवृद्धि (उप-अवधि 1 और 3) के दौरान, एनडीएफ मार्केट और आईएनआर स्पॉट मार्केट में दुतरफा संबंध देखने को मिलते हैं क्योंकि दोनों एरर करेक्शन टर्म्स सांख्यिकीय दृष्टि से अहम हैं। तथापि, मूल्यहास (उप-अवधि 2 और 4) की अवधि के दौरान

(जारी...)

संबंध एनडीएफ से ऑन-शोर मार्केट की ओर एक-तरफा हो जाता है। इन नतीजों की पुष्टि जीएआरसीएच मॉडलों के माध्यम से अध्ययन किए गए दो बाजारों के बीच परिणामों की गतिकी (डयनामिक्स) से भी होती है। यह प्रतीत होगा कि मूल्यहास की अवधि के दौरान, एनडीएफ मार्केट में उत्पन्न होने वाले झटकों (शॉक्स) में अधिक सूचना हो सकती है जो माध्य मान और अस्थिरता के प्रभावों के जरिये बाजार के ऑन-शोर वर्गों में प्रतिबिंबित होता है।


सारणी 1: रुपया एक्सचेंज रेट में रुझान के विभिन्न चरण

अवधि 1:	6 जून 2006 से जनवरी 2008	मूल्यवृद्धि	वैश्विक वित्तीय संकट के पहले
अवधि 2:	जनवरी 2008 से मार्च 2009	मूल्यहास	वैश्विक वित्तीय संकट
अवधि 3:	मार्च 2009 से अगस्त 2011	मूल्यवृद्धि	वैश्विक संकट से सुधार (रिकवरी)
अवधि 4:	अगस्त 2011 से 3 अप्रैल 2013	मूल्यहास	अमेरिकी रेटिंग डाउनग्रेड के बाद

के लेन-देन के आधिकारिक आँकड़ों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

II.4.33 इस आधार पर, आवास मूल्य अखिल-भारतीय स्तर पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2011-12 की चौथी तिमाही की तुलना में 2012-13 की चौथी तिमाही में लगभग 20 प्रतिशत बढ़े (चार्ट II.46)। आवास मूल्यों में सर्वाधिक वृद्धि कोलकाता (60 प्रतिशत से अधिक) में हुई और न्यूनतम मुंबई (10.6 प्रतिशत) में रही। अखिल भारतीय स्तर पर पिछले चार वर्षों के दौरान आवास मूल्य के सूचकांक में औसत 21 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट II.46: आवास मूल्य सूचकांक



टिप्पणी: *चेन्नई का सूचकांक आवासीय और वाणिज्यिक दोनों संपात्यों पर आधारित है। अखिल भारतीय सूचकांक शहरी सूचकांकों का भारित औसत है; भार का आधार आबादी अनुपात है।

संदर्भ:

कैडरजट, ययात एंड लुबिस, एलेक्जेंडर (2012), "ऑफशोर एंड ऑनशोर आईडीआर मार्केट : "एविडेंस ऑन स्पिलओवर", बुलेटिन ऑफ मनीटरी इकनॉमिक्स एंड बैंकिंग, अप्रैल 2012 ।

गुरू, ए (2009), "नॉन-डेलिवरेबल फॉरवर्ड्स मार्केट फॉर इंडियन रुपी: एन इम्पिरिकल स्टडी", इंडियन जर्नल ऑफ इकनॉमिक्स एंड बिजनेस, वॉल्यूम 8, नं. 2, पेज. 245-260।

बेहरा, एच.के. (2011), "ऑनशोर एंड ऑफशोर मार्केट फॉर इंडियन रुपी: रिसेंट एविडेंस ऑन वोलैटिलिटी एंड शॉक स्पिलओवर", *मैक्रोइकनॉमिक्स एंड फाइनेंस इन इमर्जिंग मार्केट इकनॉमीज़*, वॉल्यूम. 4, नं. 1, मार्च 2011, 43-55।

पार्क, जे. (2001), "इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटविन नॉन-डेलिवरेबल फॉरवर्ड्स (एनडीएफ)/एंड स्पॉट मार्केट्स : एविडेंस फ्रॉम कोरीयन करेंसी", *पेसिफिक बेसिन फाइनेंस जर्नल*, वॉल्यूम 9(4), पेज 363-377।

II.5 सरकारी वित्त

चूँकि सरकार ने 2012-13 में सकल राजकोषीय लक्ष्य में संशोधन किया था, इसलिए वृद्धि में गिरावट के बावजूद राजकोषीय जोखिम में कमी हुई।

II.5.1 आर्थिक वृद्धि में गिरावट के बावजूद, 2012-13 (आरई) में केन्द्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) जीडीपी का 5.2 प्रतिशत रहा जो कि बजट अनुमान 5.1 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था किन्तु संशोधित लक्ष्य 5.3 प्रतिशत से कम था (परिशिष्ट सरणी 15)। 2012-13 के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी अनंतिम लेखा में संशोधित अनुमानों की तुलना में अधिक कर-रहित राजस्व के साथ-साथ कम व्यय होने के कारण जीएफडी कम अर्थात जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहा था। अधिक ब्याज आय और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से प्राप्त आय के कारण संशोधित अनुमान की तुलना में कर-रहित राजस्व अधिक प्राप्त हुआ। जीडीपी की तुलना में राजस्व घाटा (आरडी) भी संशोधित अनुमान 3.9 प्रतिशत से कम अर्थात 3.6 प्रतिशत (अनंतिम लेखे) रहा किन्तु 3.4 प्रतिशत के बजट अनुमान से थोड़ा अधिक रहा।

II.5.2 राजस्व में आयी कमी को ध्यान में रखते हुए सकल राजकोषीय घाटे की कमी को अधिकांशतः योजनागत व्यय और पूंजीगत व्यय में कमी करके पूरा किया गया। अनंतिम लेखे के अनुसार, सकल कर राजस्व बजट-अनुमान की तुलना में कम रहा

क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर और संपत्ति कर के तहत राजस्व कम प्राप्त हुआ था। किन्तु आयकर और सेवा कर के अंतर्गत प्राप्त राशि में सुधार देखा गया। 2012-13 में विनिवेश आय वर्ष के लिए बजट-अनुमान की तुलना में 41 बिलियन रुपये कम रही।

2013-14 के लिए प्रमुख घाटा संकेतक केलकर समिति के अनुसार हैं किन्तु इनमें स्लीपेज का जोखिम बना हुआ है

II.5.3 विस्तारकारी राजकोषीय नीति की पैरवी आमतौर पर वृद्धि बढ़ाने के लिए प्रतिचक्रिय उपाय के रूप में की जाती है (बाक्स II.10)। तथापि, दीर्घावधि में अधिक व्यय बने रहने के कारण

उच्चतर राजकोषीय घाटे से समष्टि-आर्थिक असंतुलन पैदा हो सकता है और यह संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। लगातार बढ़ते राजकोषीय घाटे को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने राजकोषीय सुदृढीकरण योजना समिति की सिफारिशों के आधार पर 2012-13 की दूसरी छमाही में राजकोषीय संशोधन उपाय लागू किए (अध्यक्ष: डॉ. विजय एल. केलकर)।

II.5.4 राजकोषीय सुदृढीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता 2013-14 में बनी हुई है और जीफडी-जीडीपी अनुपात के संबंध में अनुमान है कि 2013-14 (बीई) में यह घट कर 4.8 प्रतिशत रह जाएगा और 2016-17 तक 3.0 प्रतिशत रह जाएगा

बाक्स II.10

राजकोषीय नीति की चक्रीयता: भारतीय अनुभव

राजकोषीय नीति की चक्रीयता उस दिशा को दिखलाती है जिसमें उत्पादन के संबंध में सरकार के राजस्व और व्यय जाते हैं। राजकोषीय नीति को अनुचक्रिय कहा जाता है यदि इसका रुख बेहतर आर्थिक स्थिति के दौरान विस्तारकारी हो और आर्थिक मंदी के समय संकुचनकारी हो। केनेसियन दृष्टिकोण के अनुसार, सरकारी व्यय को स्थिर रखने वाली शक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए और प्रतिचक्रिय दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि आदर्शतः, कारोबार चक्र में गिरावट के दौरान, राजकोषीय नीति को करों में कमी और व्यय में बढ़ोतरी करनी चाहिए, ताकि समग्र मांग को बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ, कारोबार चक्र की बेहतर स्थिति के दौरान इस व्यय को कम करना चाहिए और बचतों को बढ़ाना चाहिए।

सामान्यतः अनुभवजन्य अध्ययन में राजकोषीय नीति के विभिन्न घटकों में और भिन्न अर्थव्यवस्थाओं एवं अर्थव्यवस्थाओं के समूहों के बीच दोनों की राजकोषीय नीति की चक्रीयता में भिन्नता पाई गई है। मौजूदा साहित्य में इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि विकसित देशों की राजकोषीय नीति प्रतिचक्रिय है, जबकि कम विकसित देशों के मामले में बहुत अधिक अनुचक्रियता पाई गई है।

अनुभवजन्य साहित्य में, इस बात पर सर्वसम्मति नहीं है कि राजकोषीय चक्रीयता की माप कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि अनुसंधानकर्ताओं ने इसकी माप के लिए भिन्न-भिन्न तरीकों का प्रयोग किया है। राजकोषीय चक्रीयता की माप का सबसे आसान और सरल तरीका उत्पादन के चक्रीय घटकों और संबंधित राजकोषीय चर के लिए महत्वपूर्ण घटकों के बीच कोरिलेशन निकालना है जो कि आमतौर पर हाडरिक प्रेस्कॉट (एचपी) फिल्टर प्रणाली का प्रयोग करके निकाला जाता है। यह पाया गया है कि चक्रीयता के एचपी आधारित उपाय भ्रामक हो सकते हैं विशेष रूप से जब नमूनों की अस्थिरता का स्तर अलग-अलग होता है। इसलिए, अनेक अनुसंधानकर्ताओं ने रेग्रेसन आधारित उपायों को तरजीह दी है।

भारत में केन्द्र और सामान्य सरकारी (केन्द्र और राज्यों को मिलाकर) व्यय के भिन्न-भिन्न घटकों की चक्रीयता की जांच करने के लिए संबद्ध राजकोषीय

चर और उत्पादन के बीच सह-गतिविधियों का प्राक्कलन अकितोबी एट अल (2004) द्वारा प्रयोग की गई दो-स्तरीय प्रणाली को अपनाकर किया गया जो अस्थायी सह-गतिविधियों और स्थिर-स्थिति अथवा दीर्घावधि सह-गतिविधियों के बीच अंतर करता है। सभी प्रकार के चर अस्थिर और आर्डर 1 के एकीकृत के रूप में पाए गए हैं। सह-एकीकरण संबंध होने के कारण, निम्नलिखित रेखीय समीकरण राजकोषीय और मौद्रिक चरों के बीच दीर्घकालिक और अल्पकालिक संबंध के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

दीर्घकालिक संबंध :

$$\text{Log } G = \alpha + \delta \text{ log } Y \text{---(1)}$$

जहां वस्तुतः G का तात्पर्य राजकोषीय चर से है और Y का तात्पर्य उत्पादन से है। α एक स्थिर पारिभाषिक शब्द है। δ उत्पादन के संबंध में राजकोषीय चर की दीर्घावधि स्थिर लोच है।

त्रुटि-संशोधन मॉडल का प्रयोग करके अल्पावधि संबंध:

$$D(\text{log } G_t) = \mu + \beta D(\text{log } Y_t) + \gamma [\text{log } G_{t-1} - \delta \text{ log } Y_{t-1}] + \varepsilon_t \text{--- (2)}$$

जहां $\beta D(\text{log } Y_t)$ को सरकारी व्यय के संबंध में उत्पादन के अल्पकालिक प्रभाव के रूप में और β को उत्पादन के संबंध में संबद्ध राजकोषीय चर की अल्पकालिक लोच के रूप में माना जा सकता है। धनात्मक β का तात्पर्य अनुचक्रियता से है और ऋणात्मक β का तात्पर्य राजकोषीय चर की प्रति-चक्रियता से है। त्रुटि-संशोधन पारिभाषिक शब्द, $\gamma [\text{log } G_{t-1} - \delta \text{ log } Y_{t-1}]$ दीर्घकालिक संतुलन से विचलन की पहचान करता है, जहां γ ऐसी दर है जिस पर सरकारी व्यय पूर्व असंतुलन को समायोजित करता है।

यदि γ नगण्य है तो राजकोषीय चर और उत्पादन के बीच स्थिर-स्थिति (दीर्घकालिक) का संबंध नहीं होता है। इसलिए, इस स्थिति में त्रुटि संशोधन पारिभाषिक शब्द को नहीं लिया गया और अल्पकालिक संबंध का प्राक्कलन निम्नलिखित समीकरण के जरिए किया गया :

(जारी....)

$$D(\log G_t) = \mu + \beta D(\log Y_t) + \varepsilon_t \text{---- (3)}$$

सभी राजकोषीय चरों को जीडीपी अपस्फीतिकारक का प्रयोग करके रियल टर्म में बदल दिया गया। पहली अवस्था में, 1970-71 से 2011-12 की अवधि के लिए समीकरण (1) का प्राक्कलन प्रत्येक राजकोषीय चर के लिए आडिनरी लीस्ट स्क्वायर (ओएलएस) का प्रयोग करके किया गया। दूसरी अवस्था में, ओएलएस प्राक्कलन का अवशिष्ट त्रुटि संशोधन पारिभाषिक शब्द के रूप में समीकरण (2) में शामिल किया गया और समीकरण का प्राक्कलन फ्रस्ट आर्डर ओटोरेग्रेसिव त्रुटि पारिभाषित शब्द के लिए संशोधन करके किया गया। ऐसे मामले जहां γ नगण्य पाया गया, वहां समीकरण 3 का प्राक्कलन संबद्ध राजकोषीय चर की अल्पकालिक लोच प्राप्त करने के लिए किया गया। प्राक्कलन परिणाम नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं:

केन्द्र सरकार के व्यय संबंधी घटकों में पूंजीगत परिव्यय अल्पावधि में अनुचक्रियता की सबसे अधिक डिग्री को दर्शाता है। इसका अभिप्राय यह है कि

सारणी: सरकारी व्यय की दीर्घकालिक और अल्पकालिक लोच

चर	लोच			
	केन्द्र सरकार		राज्य सरकार	
	अल्प-कालिक	दीर्घ-कालिक	अल्प-कालिक	दीर्घ-कालिक
1	2	3	4	5
प्राथमिक राजस्व व्यय	0.66	1.11*	0.24	1.05*
पूंजीगत परिव्यय	2.66*	0.81*	2.02*	@

ज्ञापन मद्दे: समग्र मांग घटक		
	अल्प-कालिक	दीर्घ-कालिक
सरकारी खपत	0.40*	0.33
सरकारी निवेश	0.88**	0.86*

टिप्पणी: 1. *और** क्रमशः 1 प्रतिशत और 5 प्रतिशत होने पर महत्वपूर्ण होते हैं।
2. प्राथमिक राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय शामिल है।
3. सामान्य सरकारी व्यय की विश्लेषण अवधि 1980-81 से 2011-12 तक की है।
4. @ : सामान्य सरकार के पूंजीगत परिव्यय के मामले में उत्पादन के साथ स्थिर-स्थिति संबंध नहीं पाया गया।

सरकार पूंजीगत व्यय में मंदी और बढ़ोतरी के दौरान समानुपातिक उत्पादन की तुलना में क्रमशः अधिक कटौती और विस्तार करती है। इसके विपरीत, प्राथमिक राजस्व व्यय पूर्ण रूप से अल्पावधि में लोचहीन होता है जो संवृद्धि के विस्तारकारी और संकुचनकारी चरण के दौरान इन व्ययों को समायोजित करने की अंतर्निहित कठोरता को दर्शाता है। तथापि, दीर्घावधि में प्राथमिक राजस्व व्यय उत्पादन परिवर्तन के लिए अल्पावधि की तुलना में अधिक अनुक्रियाशील होता है। सरकारी खपत, जिसमें प्रमुख रूप से मजदूरी, वेतन और पेन्शन शामिल है, विस्तारण/मंदी के दौरान उत्पादन के संबंध में कम समानुपातिक बढ़ोतरी/कमी के साथ अधिकांशतः राजस्व व्यय के अनुसार व्यवहार करती है। सरकारी निवेश जिसमें मुख्यतः विनिर्माण, मशीनरी और पूंजीगत उपकरण संबंधी इसके व्यय शामिल हैं, में सरकारी खपत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अनुचक्रियता देखी गई है। सरकारी व्यय के सामान्य चरों और उत्पादन के बीच का संबंध आमतौर पर केन्द्र सरकार के समान है।

ये परिणाम आमतौर पर इस संबंध में साहित्य में उपलब्ध प्रणाम से मिलते-जुलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारत में राजकोषीय नीति दीर्घावधि में अनुचक्रिय रही है। तथापि, यह अनुचक्रियता हाल के समय में कम हो सकती है विशेष रूप से, क्योंकि केन्द्र सरकार ने वैश्विक वित्तीय संकट के चलते आई 2008 की गिरावट के दौरान महत्वपूर्ण प्रतिचक्रिय उपाय किए हैं (भा.रि.बै., 2013 और मुखर्जी, 2013)

संदर्भ:

अकितोबी, बी., क्लेमेन्ट्स, बी. गुप्ता, एस. और इन्कौस्टे, जी. (2004), "विकासशील देशों में सरकारी व्ययों का चक्रिय और दीर्घकालिक व्यवहार", आईएमएफ वार्किंग पेपर सं. डब्ल्यूपी/04/202

मुखर्जी, ए. (2013), "भारत में राजकोषीय नीति की चक्रियता" 4-6 अप्रैल, 2013 के दौरान राजकोषीय नीति और समष्टि आर्थिक असंतुलन विषय पर बैंक द इटैलिया द्वारा पेरुगिया में आयोजित कार्यशाला में प्रस्तुत शोध-पत्र।


भारतीय रिजर्व बैंक (2013), मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2009-12: राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय

(चार्ट II.47)। तथापि, 2013-14 के लिए बजट-निर्धारित आरडी-जीडीपी अनुपात और जीएफडी-जीडीपी अनुपात केलकर समिति द्वारा सुझाए गए रोडमैप से अधिक है। 2013-14 के लिए बजट-निर्धारित घाटे का परिणाम अर्थव्यवस्था की संवृद्धि-निष्पादन पर अधिकांशतः निर्भर करेगा क्योंकि बजट में राजस्व-चलित राजकोषीय सुदृढीकरण का प्रस्ताव है। व्यय में कमी का स्कोप अधिक ब्याज भुगतान, वेतन और पेन्शन के चलते सीमित है। ऐसा व्यय प्रतिबद्ध प्रकार का होता है। 2013-14 में राजस्व

व्यय-जीडीपी अनुपात 12.6 प्रतिशत रहा जो कि केलकर समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुपात (11.7 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है।

II.5.5 केन्द्रीय बजट 2013-14 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश के जरिए 558 बिलियन रुपये मिलने का अनुमान है (चार्ट II.48)। तथापि, पूर्व में हुए अनुभव और वर्तमान समष्टि-आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्ष के लिए विनिवेश लक्ष्य को पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा।

चार्ट II.47: केन्द्र सरकार के घाटे से संबंधित प्रमुख संकेतक




बजट 2013-14 में चालू से लेकर पूंजीगत व्ययों में पुनः संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है।

II.5.6 केन्द्रीय बजट 2013-14 की एक प्रमुख विशेषता योजनागत और पूंजीगत व्यय में तेजी से हुई बढ़ोतरी है। 2013-14 (बीई) में, योजनागत व्यय और पूंजीगत व्यय 2012-13 (आरई) की तुलना में क्रमशः 29.4 प्रतिशत और 36.6 प्रतिशत


बढ़ने का अनुमान है। जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय योजनागत परिव्यय तेजी से बढ़ने की संभावना है उनमें ग्रामीण विकास (20.2 प्रतिशत), यातायात (33.1 प्रतिशत), सामान्य आर्थिक सेवाएं (50.4 प्रतिशत) और सामाजिक सेवाएं (27.6 प्रतिशत) शामिल हैं। दूसरी तरफ, गैर-योजनागत व्यय में काफी गिरावट के चलते जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गैर-योजनागत व्यय 0.2 प्रतिशत की कमी के साथ 9.8 प्रतिशत रहने की संभावना है। गैर-योजनागत राजस्व व्यय के अंतर्गत पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी होने के कारण सब्सिडी व्यय कम होकर जीडीपी का 2.0 रहने की संभावना है (चार्ट II.49)। तथापि, हाल ही में रुपये में आयी गिरावट और तेल बेचने वाली कंपनियों (ओएमसी) की अन्डररिकवरी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बजट लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे सब्सिडी में सुधार करने की आवश्यकता है।

II.5.7 गैर-योजनागत व्यय में कमी के चलते योजनागत व्यय में समानुपातिक बढ़ोतरी हुई जिसके चलते 2013-14 (बीई) में कुल राजस्व व्यय अपरिवर्तित अर्थात् जीडीपी का 12.6 प्रतिशत रहा (चार्ट II.50)। व्यय संरचना में बदलाव उच्च पूंजीगत परिव्यय-जीएफडी अनुपात को दर्शाता है जो कि 2013-14 में बढ़कर 1.8 प्रतिशत होने की संभावना है जबकि 2012-13 (आरई) में यह 1.5 प्रतिशत रहा था।


चार्ट II.48: विनिवेश



चार्ट II.49: केन्द्र सरकार की प्रमुख अनुषंगी संस्थाएं



चार्ट II.50: चुनिन्दा व्ययों की प्रवृत्ति



2013-14 में आगे बढ़ने हेतु कर सुधार प्रक्रिया

II.5.8 राजस्व आय-जीडीपी अनुपात 0.6 प्रतिशत बढ़कर 9.3 प्रतिशत होने की संभावना है जो अधिकांशतः उच्च कर राजस्व के जरिए प्राप्त किया जाएगा। जीडीपी के रूप में निगम कर, आय कर और सेवा कर से प्राप्त होने वाला राजस्व अधिक होने के कारण सकल कर राजस्व 0.5 प्रतिशत बढ़कर 10.9 प्रतिशत होने की संभावना है। जहाँ, 2013-14 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निगम कर और व्यक्तिगत आयकर दोनों से प्राप्त राजस्व में 0.1 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, वहीं सेवा कर- जीडीपी अनुपात में 0.3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कर राजस्व में वृद्धि न्यूनतम कर सुधार उपाय करके प्राप्त की जा सकती है। कर नीतियों और कर नियमों को लागू करने की समीक्षा करने हेतु बजट में कर प्रबंधन सुधार आयोग बनाने की घोषणा की गई है ताकि कर प्रणाली की क्षमता को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। विशेषज्ञता समिति की रिपोर्ट पर आधारित सामान्य परिवर्जन-रोधी नियम (जीएएआर) के संशोधित प्रावधान 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी होंगे।

राज्य वित्त राजकोषीय सुदृढीकरण की ओर

II.5.9 पिछले वर्ष की तुलना में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद समेकित जीएफडी-जीडीपी अनुपात तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के भीतर बने रहने के साथ-साथ 2012-13 (आरई) में भी राज्य स्तर पर राजकोषीय सुदृढीकरण के लिए उपाय किए गए। समेकित स्तर¹ पर राज्यों ने राजस्व खाते में अधिशेष राशि डालना जारी रखा जो कि बजट में निर्धारित राशि से थोड़ा कम रही। संवृद्धि में गिरावट के बावजूद, राजस्व आय-जीडीपी अनुपात में केन्द्र से प्राप्त चालू अंतरण में कमी को पूरा करने के लिए जरूरी राशि की तुलना में स्वयं के राजस्व में बढ़ोतरी के चलते बजट अनुमान की तुलना में 2012-13 (आरई) में थोड़ा सुधार हुआ है।

2013-14 के लिए राजस्व खाते में सुधार की संभावना

II.5.10 2013-14 के लिए राज्य सरकारों की समेकित स्थिति से जीएफडी-जीडीपी अनुपात में कमी के साथ-साथ राजस्व अधिशेष-जीडीपी अनुपात में हुई बढ़ोतरी के बारे में पता चलता है। 2013-14 (बीई) के दौरान राजस्व खाते का अधिशेष राजस्व व्यय में कमी के चलते बढ़ने की संभावना है; राजस्व आय-जीडीपी अनुपात भी 2012-13 (आरई) की तुलना में थोड़ा-सा अधिक रहने की संभावना है। राज्यों की व्यय संरचना से पता चलता है कि जहां, 2013-14 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय में कमी आने की संभावना है, वहीं प्रतिबद्धता व्यय-जीडीपी अनुपात (जिसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेन्शन शामिल हैं) अपरिवर्तित रहने के बावजूद गैर-विकास व्यय-जीडीपी अनुपात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूंजीगत परिव्यय-जीडीपी अनुपात 2012-13 (आरई) की तुलना में 2013-14 में अधिक रहने का अनुमान है जो व्यय की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाता (परिशिष्ट सारणी 16) है।

संयुक्त राजस्व घाटे में कमी होने के कारण संयुक्त राजकोषीय घाटे में सुधार हुआ

II.5.11 केन्द्र और राज्यों के संयुक्त वित्त में पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 (आरई) में सुधार हुआ। केन्द्र और राज्यों

¹ 2013-14 के लिए 26 राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित

का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा 2011-12 के 7.7 प्रतिशत से घटकर 2012-13 (आरई) में जीडीपी का 7.5 प्रतिशत रह गया। 2012-13 के दौरान संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा पूरी तरह से राजस्व घाटे में 0.4 प्रतिशत अंक की कमी अर्थात् 3.7 प्रतिशत होने के कारण था। 2012-13 के दौरान केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे में कमी के चलते संयुक्त राजकोषीय घाटा कम हुआ फिर भी जीडीपी के अनुपात के रूप में राज्यों का राजकोषीय घाटा 0.4 प्रतिशत अंक बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो गया।


II.5.12 2013-14 में संयुक्त राजकोषीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है जो केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के स्तर पर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया के प्रति की गई प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। राजस्व घाटा कम होकर जीडीपी का 2.9 प्रतिशत रहने की संभावना के चलते 2013-14 (बीई) में संयुक्त राजकोषीय घाटा कम अर्थात् जीडीपी का 6.9 प्रतिशत रहा। यद्यपि हाल के वर्षों में संयुक्त वित्त में सुधार हुआ है फिर भी जीडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा 2007-08 के स्तर से अभी भी अधिक बना हुआ है।

II.6 बाह्य क्षेत्र

जून और जुलाई 2013 में व्यापार घाटे में कमी आने के बावजूद चालू खाता घाटा नहीं है धारणीय स्थिति में

II.6.1 बाह्य क्षेत्र में वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में शुरू हुई गिरावट 2012-13 की पूरी अवधि में बनी रही। यद्यपि वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में चालू खाता घाटे में सुधार हुआ था लेकिन वह धारणीय स्तर में नहीं है। व्यापारिक माल के निर्यात में, विशेषतः वर्ष 2012-13 की पहली छमाही में, कमी आई जिसका मुख्य कारण था वैश्विक मांग की गति का धीमा होना। वर्ष 2012-13 में व्यापारिक माल के आयात में थोड़ी वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 की दूसरी छमाही के दौरान सोने के आयात में वृद्धि के कारण आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई। आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी आने के परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 190.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जबकि यह घाटा वर्ष 2011-12 में 183.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट II.51, परिशिष्ट सारणी 17)।

II.6.2 व्यापारिक माल के अपेक्षाकृत बड़े व्यापार घाटे के साथ सेवाओं के निर्यात में पर्याप्त मंदी और अपेक्षाकृत अधिक आय



भुगतानों के परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 में चालू खाता घाटा और बढ़ गया। हाल में विदेशी मुद्रा रिजर्व से कम ब्याज/ डिस्काउंट अर्जन तथा बढ़ते विदेशी ऋणों, जिसके अंतर्गत एनआरआई जमा राशियां, ईसीबी और अल्पावधि व्यापार क्रेडिट शामिल हैं, पर अदा किए जाने वाले ब्याज में बढ़ोतरी होने की वजह से निवल निवेश आय में गिरावट आई। चालू खाता घाटा-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही में बढ़कर अब तक के अधिकतम 6.5 प्रतिशत पर पहुंच गया और बाद में चौथी तिमाही में वह 3.6 प्रतिशत हो गया। इसके साथ ही संचयी चालू खाता घाटा वर्ष 2012-13 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत हो गया जो वर्ष 2011-12 में 4.2 प्रतिशत था। चालू खाता घाटे का उच्च स्तर, जो वर्तमान वृद्धि के परिवेश में स्पष्टतः धारणीय नहीं है, वर्ष 2012-13 के दौरान समष्टि-आर्थिक जोखिम के प्रमुख कारक के रूप में उभरा।


II.6.3 वर्ष 2013-14 के पहले दो महीने (अप्रैल-मई 2013) में व्यापार घाटा बढ़ता रहा और यह मई 2013 में 7 महीने के उच्च स्तर पर 20.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तथापि यह जून और जुलाई 2013 में कम होकर क्रमशः 12.2 बिलियन और 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया। व्यापार घाटे में हुई कमी का प्रमुख कारण था सोने के आयात की मात्रा में हुई कमी (जून और जुलाई में)। साथ ही, जुलाई 2013 में निर्यात वृद्धि धनात्मक स्तर पर पहुंच गई।

चालू खाता घाटा कम करने के लिए ढांचागत व्यवधानों को दूर करने की आवश्यकता


II.6.4 घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद चालू खाता घाटे का बढ़ना यह द्योतित करता है कि चालू खाता घाटे की स्थिति के खराब होने का कारण केवल वैश्विक चक्रीय मंदी नहीं है बल्कि इसमें ढांचागत कारकों की भी भूमिका है। भारत का चालू खाता घाटा वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही से ही सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक के स्तर पर बना हुआ है (परिशिष्ट सारणी 18)। बढ़ते चालू खाता घाटे के कारक यह संकेत देते प्रतीत होते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में अनेक ढांचागत कमजोरियां हैं जो कुछ आयातों की सुदृढ़ मांग के कारण हमारे निरंतर व्यापार घाटे के रूप में द्योतित हो रही हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है सोने तथा पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेन्ट्स के आयात, जो वर्ष 2012-13 में क्रमशः 53.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 169.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास थे, जो भारत के वाणिज्यिक माल के आयात के लगभग 45 प्रतिशत और व्यापार घाटे के लगभग 117 प्रतिशत के आसपास हैं। 2012-13 में गैर-तेल, गैर-स्वर्ण आयातों में कमी आई, भले ही यह कमी तेल और सोने के आयात की निरंतर मांग के कारण पैदा हुई समस्याओं की पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं कर पाई (चार्ट II.52)।

II.6.5 हाल के वर्षों में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के रुझानों के बावजूद भारत द्वारा पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेन्ट्स के

चार्ट II.52: सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि एवं आयात वृद्धि



चार्ट II.53: अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों की प्रवृत्ति और पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेन्ट्स के आयात की मात्रा



आयातों में तेजी से वृद्धि हुई (चार्ट II.53)। तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों का अपूर्ण पास-थ्रू रहने के कारण संभवतः ऐसा हुआ होगा जिसके चलते ऊर्जा की खपत में वृद्धि हुई। सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के चलते सोने के आयात में अक्टूबर 2012 तक अल्पकालिक गिरावट आई। लेकिन बाद के महीनों में (मार्च 2013 को छोड़कर) सोने के आयात में भारी वृद्धि होने, परंतु इस क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले निर्यातों में तदनुरूप वृद्धि न होने से चालू खाता घाटे के आकार के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। अंततः यद्यपि, अनुकूल वैश्विक वृद्धि और मांग की स्थितियों की अवधि में भारत के निर्यात में बेहतरी आई, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान निर्यात की वृद्धि की गति में कमी आना प्रतिस्पर्धा में कमी का आंशिक सूचक है जो चिंता का विषय है।

II.6.6 इन समस्याओं के समाधान के लिए, सरकार ने 2012-13 में कई नीतिगत उपाय किये। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था डीजल की कीमतों पर से आंशिक नियंत्रण हटाना जिसके चलते इसकी खपत में धीरे-धीरे कमी आ सकती है। बाह्य क्षेत्र की स्थिरता के लिए सोने के आयात से पड़ने वाले प्रभावों को स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक ने सोने के आयात से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल गठित किया जिसने वर्तमान नियमों में संशोधन किए जाने की सिफारिश की (बाक्स II.11)।

बॉक्स II.11

सोने के आयात और भारत में स्वर्ण ऋण देनेवाली एनबीएफसी से संबद्ध मुद्दों का अध्ययन करने के लिए बनाये गये कार्यकारी दल की सिफारिशें

पिछले कुछ वर्षों में सोने की अधिक कीमतों के बावजूद सोने के आयातों में लगातार वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटे में भारी वृद्धि हुई है और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता के लिए जोखिम पैदा हुए हैं। इसके साथ ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के लिए दिये जाने वाले ऋण संबंधी कारोबार में तेजी से वृद्धि हुई है तथा ऐसी कंपनियों द्वारा बैंकों से लिये जाने वाले ऋणों में भी भारी वृद्धि हुई है जिससे घरेलू वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा हुए हैं। इन समष्टि-आर्थिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में सोने के आयात और सोने के लिए ऋण देने वाली भारत स्थित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2012 में एक कार्यदल गठित किया गया (अध्यक्ष: श्री के.यू.बी.राव)। इस समिति के विचारणीय विषयों में, समिति से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वह सोने के आयात से बाह्य क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करे, स्वर्ण ऋण से संबंधित वर्तमान विनियामक मानदंडों की समीक्षा करे तथा यदि आवश्यक हो तो उनमें संशोधन के लिए सिफारिशें दे।

उक्त कार्यदल की अंतिम रिपोर्ट रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गयी थी। विशेषज्ञों, हितधारियों और सामान्य जनता से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों को शामिल करने के बाद उक्त कार्यदल ने 6 फरवरी 2013 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्यदल ने अपनी सिफारिशें दो शीर्षकों में व्यवस्थित की हैं, नामतः (क) सोने के आयात से चालू खाता घाटे पर पड़ने वाले प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में, सोने के आयात की मांग में कमी लाने के लिए स्थूल सिफारिशें, और (ख) स्वर्ण ऋण का कारोबार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जुड़े संस्थागत और विवेक-सम्मत मुद्दे इत्यादि। सोने के आयात में कमी लाने, उसकी आपूर्ति का प्रबंधन करने तथा सोने के मुद्रीकरण में वृद्धि के लिए इस कार्यदल ने अनेक उपाय प्रस्तावित किए। सोने की मांग में कमी लाने के उपायों के अंतर्गत इस समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ राजकोषीय उपाय भी सुझाये जिनकी सहायता से स्वर्ण आधारित नवोन्मेषी वित्तीय उत्पाद तथा मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड शुरू किये जा सकें और स्वर्ण बुलियन की खरीद के लिए बैंक-वित्त के प्रयोग में कमी लाई जा सके। इस कार्यदल ने बुलियन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापित करने का भी सुझाव दिया जो स्वर्ण बुलियन से संबंधित काम करने के अलावा सोने के अप्रयुक्त स्टॉक को इकट्ठा करने का भी काम करेगा।

स्वर्ण ऋण का कारोबार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के लिए इसके प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए इस समूह ने सुझाव दिया कि इन कंपनियों से नियमित और आवधिक रूप से संबंधित वित्तीय आंकड़े मंगाकर, उनका विश्लेषण करके इन कंपनियों की भलीभाँति मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। इस कार्यदल ने यह भी कहा कि स्वर्ण ऋण का कारोबार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋणों की भारी मात्रा चिंता का विषय है और स्वर्ण ऋण का कारोबार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा गैर-निगमित निकायों के बीच हो रहे लेनदेन पर नज़र रखने की भी जरूरत है। इस कार्यदल द्वारा सुझाये गये कुछ उपाय पहले ही कार्यान्वित किये जा चुके हैं तथा कुछ उपाय कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति :

- सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा गया है कि वे प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनितों और गोल्ड म्यूचुअल फंडों की यूनितों सहित, किसी भी रूप में, सोने की खरीद के लिए वित्त उपलब्ध न कराएँ।
- स्वर्ण की मांग को कम करने के लिए कनसाइनमेंट आदि आधार पर स्वर्ण के आयात संबंधी वर्तमान अनुदेशों को हटा लिया गया और किसी भी योजना के अंतर्गत स्वर्ण के आयात के लिए 20/80 का सिद्धांत निर्धारित किया गया।

इसका यह अर्थ होगा कि नामित बैंकों/ एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि स्वर्ण (किसी भी रूप में/ किसी भी शुद्धता के) के आयात के प्रत्येक खेप का कम से कम पांचवां हिस्सा निर्यात के लिए अलग से उपलब्ध कराना होगा और इसे कस्टम बॉन्डेड वेअरहाउस में रखना होगा। नामित संस्थाओं को नया आयात करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब कस्टम बॉन्डेड वेअरहाउस में शेष उपलब्ध स्वर्ण का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्से का निर्यात किया जाता हो। इसके अलावा वे स्वर्ण, किसी भी रूप में आभूषण कारोबार से जुड़ी संस्थाओं/ ऐसे बुलियन डीलरों को जो आभूषण निर्माताओं को स्वर्ण आपूर्ति करते हों, को ही उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं/ इकाइयों तथा निर्यातोन्मुख इकाइयों, प्रीमियर और स्टार ट्रेडिंग हाउसों को निर्यात के प्रयोजन के लिए स्वर्ण आयात करने की अनन्य अनुमति दी जाती है।

- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य और केंद्रीय मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सलाह दी गई है कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले विशेष रूप से ढाले गये सोने के सिक्कों की जमानत पर ऋण मंजूर करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सोने के सिक्कों का वजन प्रति ग्राहक 50 ग्राम से अधिक न हो तथा सोने के गहनों, और सोने के सिक्कों (जिनका वजन 50 ग्राम तक ही हो) की जमानत पर किसी ग्राहक को दिये जानेवाले ऋण की मात्रा बैंक के निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर हो।
- सरकार ने सोने और प्लैटिनम के आयात पर लगाया जाने वाला शुल्क, दो चरणों में, 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।
- आयकर अधिनियम, 1961 (01 जून 2013 से लागू) की धारा 206सी के संशोधन के चलते 10 ग्राम या उससे कम भार के सिक्के/ वस्तुओं की बिक्री करना बुलियन बिक्री माना जाएगा। इस प्रकार की नकद बिक्री यदि ₹2 लाख से अधिक हो तो उस पर कर के रूप में स्रोत पर 1 प्रतिशत राशि ले ली जाएगी।
- जून 2013 में संस्थागत निवेशकों (रिटेल निवेशकों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत सहित) के लिए मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्डों का पहला निर्गम किया गया।
- सेबी ने म्यूचुअल फंडों/ आस्ति प्रबंधन कंपनियों से कहा है कि स्वर्ण समर्थित वित्तीय लिखतों के बारे में निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए वे अलग से निधि निश्चित कर दें।
- स्वर्ण ईटीएफ को भी उनके प्रबंधनाधीन कुल परिसंपत्ति का 20 प्रतिशत हिस्सा बैंकों की स्वर्ण जमा योजनाओं (जीडीएस) में निवेश करने की अनुमति दी गई है।
- रिजर्व बैंक ने स्वर्ण ऋण का कारोबार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को संशोधित उचित व्यवहार कोड जारी किया है और उनसे कहा है कि वे उसे अपने निदेशक-मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लागू करें।
- स्वर्ण जमा योजना में संशोधन किया गया और संशोधित दिशानिर्देश 14 फरवरी 2013 को जारी किये गये। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए जरूरी है कि वे योजना का ब्यौरा, योजना लागू करने वाली शाखाओं के नाम तथा इस योजना के अंतर्गत एकत्र किये गये सोने की रिपोर्ट हर महीने निर्धारित प्रपत्र में रिजर्व बैंकों को भेजें।

उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि ये उपाय देश में किए जाने वाले स्वर्ण के आयात की मात्रा को कुछ हद तक कम करने में कारगर साबित हुए हैं।

II.6.7 रिजर्व बैंक और सरकार ने अनेक नीतिगत कदम उठाए जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) सोने पर सीमा शुल्क बढ़ाना, (ii) सभी निर्दिष्ट बैंकों/ एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश दिया गया कि आयातित सोने (गोल्ड कॉइन/गोल्ड डॉर के आयात सहित किसी भी प्रकार का/शुद्धता वाला सोना शामिल है) के प्रत्येक लॉट का कम-से-कम पांचवां हिस्सा निर्यात के प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराया जाता है तथा (iii) बचत संबंधी अन्य लिखतों में निवेश करने हेतु प्रेरित करने के लिए मुद्रास्फीति से संबद्ध बांडों का निर्गम, शामिल थे। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा के गैर-परांपरागत स्रोतों को विकसित करने के अलावा तेल, गैस और कोयले की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए व्यापक नीतिगत कदम उठाये जाने की जरूरत है। धीरे-धीरे निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धा सृजित करने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। इन उपायों से चालू खाता घाटा कम करके उसे धारणीय स्तर पर ले आने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े ढांचागत मुद्दों का समाधान करने की भी जरूरत है। उदाहरण के लिए, विश्व में भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक होने के बावजूद इसे वर्ष 2012-13 के दौरान 135 मिलियन टन कोयले का आयात करने की जरूरत पड़ी जो पिछले वर्ष के 49 प्रतिशत कोयला आयात से 29 प्रतिशत अधिक है। हाल के वर्षों में कोयले की घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच का अंतराल बढ़ा है (बाक्स II.3 देखें)। इसी प्रकार, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के साथ-साथ घरेलू ढांचागत कठिनाइयों के कारण लौह अयस्क निर्यात 2009-10 के 6.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2012-13 में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसलिए, चालू खाता घाटे के नजरिये से इन क्षेत्रों से जुड़े खास मुद्दों का समाधान किया जाना आवश्यक है।

निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रयासों की आवश्यकता

II.6.8 वैश्विक मांग स्थितियों का भारतीय निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस कठिन परिवेश में, लचीला बने रहने और विश्व व्यापार में अधिक टिकाऊ हिस्सा हासिल करने के लिए निर्यातों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना जरूरी है। अन्य उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों (जैसे चीन, कोरिया, मैक्सिको और टर्की) ने निर्यात के मामले में भारत की तुलना में बहुत कम अनुचक्रीयता दिखाई है। वस्तुतः चीन का व्यापार अधिशेष 2012 (वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर) में बढ़ा था, जिसमें 2013 की पहली तिमाही में उसमें मामूली गिरावट आई। अतः यह सुनिश्चित करने के प्रयास जरूरी हैं कि भारत के निर्यात वैश्विक चक्रीय अस्थिरता को झेल सकें। चूंकि भारत उच्च श्रेणी की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विनिर्मित मालों के निर्यात के मामले में पिछड़ा हुआ है, अतः इस स्थिति में सुधार हेतु अनुसंधान एवं विकास

संबंधी व्यय को बढ़ावा देने तथा निर्यात के संदर्भ में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के सामने आने वाली बाधाओं को कम करने की दिशा में नीतिगत महत्त्व दिया जाना जरूरी है।

पूंजी प्रवाहों में उतार-चढ़ाव बने रहने के कारण, चालू खाता घाटे का वित्तीय बड़ी नीतिगत चुनौती होगी

II.6.9 यद्यपि चालू खाता घाटा वर्ष 2012-13 में बढ़कर अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया, फिर भी इसका वित्तीय पूर्णतः निवल पूंजी अंतर्प्रवाहों के माध्यम से किया गया और वर्ष 2012-13 में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल वृद्धि हुई। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किये गये निवेशों के कारण हमारे देश में आने वाला धन, वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति के बने रहने के बावजूद वित्तीय का महत्त्वपूर्ण स्रोत बना रहा। विदेशी संस्थागत निवेश के माध्यम से देश में आने वाला धन, वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में निवल बहिर्वाह के बाद आगामी तीन तिमाहियों में सकारात्मक हो गया, भले ही बीच-बीच में कुछ समय के लिए बहिर्वाह की स्थिति पैदा हुई। दिसंबर 2012 और फरवरी 2013 के दौरान, प्रचुर वैश्विक चलनिधि और घरेलू नीतिगत उपायों के समर्थन के कारण विदेशी संस्थागत निवेश के माध्यम से देश में आने वाले धन में भारी वृद्धि हुई। सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किये जाने वाले निवेशों की सीमा (प्रत्येक में) पांच बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा दी गई जिससे देशी ऋणों में निवेश की कुल सीमा (इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉरपोरेट ऋण सहित) 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गयी। 12 जून 2013 को सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश की सीमा (केवल दीर्घावधिक निवेशकों के लिए) 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और बढ़ा दी गई। इससे सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट ऋण में विदेशी संस्थागत निवेशकों, पात्र विदेशी निवेशकों और दीर्घावधिक निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवेशों की वर्तमान सीमा बढ़कर क्रमशः 30 बिलियन और 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

II.6.10 वर्ष 2013-14 में अब तक मई 2013 के तीसरे सप्ताह तक निवल विदेशी संस्थागत निवेश प्रवाह सकारात्मक बने रहे लेकिन बाद में, अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा वर्ष के अंत तक, दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि कम कर दिये जाने की आशंका से नकारात्मक हो गये। मुद्रा के मूल्यहास और आय के अंतर में होने वाली कमी के कारण, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश किया गया धन विशेषतः ऋण बाजार से, वापस ले लिया जाना चालू खाता घाटा वित्तीय के लिए शुभ संकेत नहीं है।

II.6.11 वर्ष 2012-13 की पहली और दूसरी तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्रमिक भारी वृद्धि दिखाई देने के बाद वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत में किया जाने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कम हो गया। लेकिन सरकार द्वारा सुधार के लिए कदम उठाए गए कदमों के चलते घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार आने की उम्मीदों के कारण चौथी तिमाही में इसमें वृद्धि होने लगी (परिशिष्ट सारणी 19)।


II.6.12 वर्ष 2012-13 की पहली दो तिमाहियों में बाह्य वाणिज्यिक उधारों की मात्रा कम रही क्योंकि इस अवधि में किए गए संवितरण पिछले वर्ष की समरूप अवधि की तुलना में बहुत कम हो गये थे। तथापि, दूसरी छमाही में निवल अंतर्वाह में वृद्धि हुई क्योंकि तीसरी और चौथी तिमाही में संवितरण में पर्याप्त वृद्धि हुई। अनिवासी भारतीय जमाओं पर ब्याज दरों के विनियंत्रण का प्रभाव कम होता प्रतीत हो रहा है। अनिवासी भारतीय जमाओं के अंतर्गत होने वाले अंतर्वाह सकारात्मक रहे हैं लेकिन ये बाद की अवधि में, पहली तिमाही के 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गये। अल्पकालिक व्यापार ऋण की स्थिति पूरे वर्ष भर सुदृढ़ बनी रही।

II.6.13 यद्यपि वर्ष 2012-13 में पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटे के वित्तीयन के लिए पर्याप्त थे, तथापि हाल के महीनों में ये प्रवाह अस्थिर तथा अनुमान से परे हो गये थे जो मुख्यतः वैश्विक समष्टि-आर्थिक परिवेश के संकेतक थे। चालू खाता घाटे का वर्तमान स्तर धारणीय स्तर से बहुत अधिक है जो अनुमानतः सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के आसपास है तथा इसमें अपेक्षाकृत धीमी गति से वृद्धि हो रही है (रिजर्व बैंक की वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट, पैरा II.6.2, पृष्ठ 66)। आगे चलकर चालू खाता घाटे का उच्च स्तर तथा पूंजी प्रवाहों की संभावित विपरीत स्थिति की पृष्ठभूमि में इसका वित्तीयन बड़ी समष्टि-आर्थिक चुनौती बनकर सामने आया है।

स्थिर पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने की जरूरत

II.6.14 सितंबर 2012 से वैश्विक चलनिधि की स्थिति में सुधार होने तथा आरंभ किये गये विभिन्न घरेलू नीतिगत उपायों के चलते अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। इसके चलते बाद के महीनों में पूंजी प्रवाहों में वृद्धि हुई। घरेलू नीतिगत सुधारों के अंतर्गत खुदरा, बीमा और पेंशन क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानदंडों का उदारीकरण, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए योजना का बनाया जाना, ऋण प्रतिभूतियों (कॉरपोरेट और सरकार - दोनों) में विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा का बढ़ाया जाना, जीएएआर के कार्यान्वयन का दो वर्ष के लिए स्थगन, डीजल की कीमतों पर से धीरे-धीरे नियंत्रण हटाया जाना, विदेशी निवेशकों के लिए ‘‘अपने ग्राहक को जानिए’’ पंजीकरण नियमों का सरलीकरण तथा विभिन्न प्रकार

चार्ट II.54: पूंजी प्रवाहों (निवल) के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति



के कॉरपोरेट बांडों पर अलग-अलग सीमाएं हटाया जाना शामिल है। इसके अलावा, ब्याज दरों पर से नियंत्रण हटाये जाने के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गयी राशियों में वृद्धि हुई, जिसका पता अनिवासी बाह्य जमाओं में हुए अपेक्षाकृत अधिक अंतर्वाह से चलता है (चार्ट II.54)।

II.6.15 ये नीतिगत कदम इक्विटी प्रवाहों में वृद्धि के लिए शुभ संकेत साबित हुए जिससे चालू खाता घाटे के वित्तीयन में सुविधा हुई। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेश से जुड़े इक्विटी प्रवाह, वर्ष 2011-12 के 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से तेजी से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 23.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गये। कुल पूंजी प्रवाहों में गैर-स्थिर प्रवाहों का अनुपात, जिसके अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेश और अल्पावधिक ऋण शामिल है, वर्ष 2012-13 में कुल पूंजी प्रवाहों के आधे से अधिक रहा, जबकि वर्ष 2011-12 में यह एक-तिहाई था। यह बढ़ते चालू खाता घाटे को पूरा करने के लिए अल्पावधिक प्रवाहों पर निर्भरता बने रहने का द्योतक है जिससे, प्रतिकूल वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के परिदृश्य में हमारी अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ सकता है।


बड़े चालू खाता घाटे और अस्थिर पूंजी प्रवाहों की पृष्ठभूमि में रुपये पर पड़ता दबाव

II.6.16 बड़े चालू खाता घाटे की दशा में समय-समय पर वित्तीयन के दबाव उभरकर सामने आते रहे तथा पूंजी प्रवाहों में कमी या आयातकों द्वारा डॉलर की भारी मांग के दौर भी सामने आते रहे। कमजोर


पोर्टफोलियो प्रवाहों, घरेलू नीतियों में अनिश्चितता तथा यूरो क्षेत्र के भविष्य के बारे में आशंकाओं के कारण वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 7.2 प्रतिशत कम हो गई (पिछली तिमाही के औसत की तुलना में)। जुलाई और अगस्त 2012 के बीच, घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियों (दोनों कारणों से) से रुपया कमजोर बना रहा। तथापि, अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा तीसरे आर्थिक पैकेज की घोषणा तथा सुधार के विभिन्न राष्ट्र स्तरीय नीतिगत कदम उठाये जाने के बाद पूंजी अंतर्वाह में भारी वृद्धि के बाद, सितंबर 2012 से डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में सुधार के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे। लेकिन यह मूल्यवृद्धि अल्पकालिक थी क्योंकि मुख्यतः तेल आयात करने वाली फर्मों द्वारा डॉलर की मांग, बढ़ते चालू खाता घाटे से संबंधित चिंताओं और घरेलू वृद्धि की अनिश्चितताओं के कारण, अक्टूबर 2012 में रुपये की कीमत में गिरावट आनी शुरू हो गयी। नवंबर 2012 से अप्रैल 2013 तक, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 53.3 रुपये से 55.7 रुपये के रेंज में घटती बढ़ती रही।

II.6.17 अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षणों में प्रबलता बढ़ने तथा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के इस संकेत के बाद कि यह बांडों के क्रय में कमी ला सकता है, रुपये पर नए सिरे से दबाव पैदा हो गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बांडों के क्रय में कमी लाये जाने के परिणामस्वरूप अमेरिकी ट्रेजरी आय में वृद्धि हुई और बाद में ब्याज दर अंतरालों में कमी आई, जिसके चलते घरेलू बांड बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशक बाहर जाने लगे (चार्ट II.55)। 21 मई 2013 की तुलना में

चार्ट II.55: भारत और अमेरिका के 10 वर्षीय खजाना बिलों पर होने वाली आय का अंतर




चार्ट II.56: विनिमय दर की प्रवृत्ति और चालू खाता घाटा (प्रतिशत)



13 अगस्त 2013 की स्थिति के अनुसार रुपये की कीमत में 10.4 प्रतिशत की गिरावट आई। 8 अगस्त 2013 को डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत 61.54 के निम्नतम स्तर पर पहुँच गई। मुद्रा की कीमत में यह गिरावट भारत तक सीमित नहीं है; उभरते बाजार वाले देशों की मुद्राओं में भी इसी तरह की प्रवृत्ति दिखाई दी। इसके अंतर्गत यूरो जैसी प्रमुख मुद्राएं भी शामिल हैं जिनकी कीमत में, इस अवधि में, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट आयी। चालू खाता अधिशेष की स्थिति वाली उभरती बाजार और घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं की कीमत में भी डॉलर के मुकाबले गिरावट आयी (चार्ट II.56)। चालू खाता घाटे के उच्च स्तर और इसके वित्तीयन से जुड़ी चिंताओं के बने रहने तथा विदेशी संस्थागत निवेशों से संबंधित प्रवाहों में कमजोरी ने रुपये को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। विदेशी मुद्रा से जुड़ी आय को देश में ले आने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को सलाह दी कि वे वस्तुओं / सॉफ्टवेयर / सेवाओं का कुल मूल्य वसूल करके निर्यात की तारीख से बारह महीने के भीतर देश में ले आएँ।

II.6.18 छह और छत्तीस मुद्राओं पर आधारित वास्तविक प्रभावी विनियम दरों में भी, पिछले वर्ष की तुलना में (औसत आधार पर) वर्ष 2012-13 में क्रमशः 5.8 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ जो निर्दिष्ट मुद्रा में रुपये की कीमत की प्रवृत्ति का आंशिक सूचक है (चार्ट II.57, परिशिष्ट सारणी 14)।

चार्ट II.60: भारतीय रुपये की मूल्यवृद्धि / मूल्यहास और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उतार-चढ़ाव



विदेशी मुद्रा बाजार में भारी अस्थिरता और उच्च चालू खाता घाटे के बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार अधिकांशतः स्थिर बना रहा

II.6.19 वर्ष 2012-13 के दौरान, उच्च चालू खाता घाटे तथा विदेशी संस्थागत निवेश संबंधी प्रवाहों में अस्थिरता की प्रवृत्ति के कारण विदेशी मुद्रा की अपेक्षाकृत अधिक मांग की पृष्ठभूमि

में, विदेशी मुद्रा बाजार अस्तव्यस्त बना रहा तथा उसमें उतार-चढ़ाव होते रहे। रुपया विभिन्न चरणों से होकर गुजरा तथा बढ़ते व्यापार घाटे, घरेलू नीतिगत अनिश्चितताओं और यूरो क्षेत्र से संबंधित आशंकाओं से जुड़ी चिंताओं के कारण उसमें कुछ महीनों में भारी अस्थिरता दिखाई दी। विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्था कायम करने और कुछ स्थिरता लाने के लिए रिजर्व बैंक ने मुख्यतः जुलाई और अगस्त 2012 में हस्तक्षेप किया। तथापि उच्च चालू खाता घाटे और घरेलू वृद्धि की अनिश्चितताओं से जुड़ी चिंताएं पैदा होने के कारण अक्टूबर-नवंबर 2012 में रुपये में पुनः काफी अस्थिरता दिखाई दी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भले ही संकटपूर्व की अवधि से कम है, लेकिन लगभग सात महीने के आयात के वित्तीयन के लिए पर्याप्त है (परिशिष्ट सारणी 20)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के संबंध में हाल की अपनी एक रिपोर्ट (फरवरी 2013) में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एकीकृत मुद्रा भंडार संबंधी उपायों के आधार पर और देश-विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, यह अनुमान जताया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है।

संकटग्रस्तता के मानकों में और गिरावट आयी

II.6.20 भारत के बाह्य क्षेत्र की संकटग्रस्तता का आकलन करने के प्रमुख मानकों में वर्ष 2012-13 के दौरान गिरावट आती रही (सारणी II.7)।

सारणी II.7: बाह्य क्षेत्र संकटग्रस्तता सूचकांक

(प्रतिशत)

संकेतक	मार्च 2011 का अंत	मार्च 2012 का अंत	मार्च 2013 का अंत
1	2	3	4
1. सकल घरेलू उत्पाद में कुल ऋण का अनुपात *	17.5	19.7	21.2
2. कुल ऋण में अल्पावधि ऋण का अनुपात (मूल परिपक्वता)	21.2	22.6	24.8
3. कुल ऋण में अल्पावधि ऋण का अनुपात (अवशिष्ट परिपक्वता)#	42.2	42.6	44.2
4. कुल ऋण में रियायती ऋण का अनुपात	15.5	13.9	11.7
5. कुल ऋण में आरक्षित निधि का अनुपात	99.7	85.2	74.9
6. आरक्षित निधि की तुलना में अल्पावधि ऋण का अनुपात	21.3	26.6	33.1
7. आरक्षित निधि की तुलना में अल्पावधि ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) # का अनुपात	42.3	50.1	59.0
8. आयात के लिए आरक्षित निधि का कवर (महीनों में)	9.5	7.1	7.0
9. ऋण चुकौती अनुपात (चालू प्राप्तियों की तुलना में ऋण चुकौती संबंधी भुगतान)	4.4	6.0	5.9
10. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	-207.0	-249.5	-307.3
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति/सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात	-11.9	-14.0	-16.7

#: भारिबैं का आकलन.

II.6.21 बाह्य ऋणों में वृद्धि होते रहने और उनकी परिपक्वता अवधि में कमी आते रहने के कारण ऋणों की चुकौती संबंधी जरूरतें चालू खाता घाटे के लिए चिंता पैदा कर सकती हैं (परिशिष्ट सारणी 21)। वस्तुतः आय भुगतानों में, जो मुख्यतः ऋण की चुकौती के कारण किये जाने वाले भुगतानों के सूचक हैं, हाल की तिमाहियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बढ़ते चालू खाता घाटे का संकेत देते हुए, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति मार्च 2012 के अंत के (-) 14.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2013 के अंत में (-) 16.7 प्रतिशत हो गयी। इसलिए बाह्य संकटग्रस्तता के संकेतक यह इंगित करते हैं कि चालू खाता घाटे में कमी लाये जाने और चालू खाता घाटे के वित्तीयन के लिए ऋण को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से होने वाले अंतर्वाहों को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।

II.6.22 वर्ष 2012-13 के दौरान चालू खाता घाटा उच्च स्तर पर तथा धारणीय स्तर से अधिक स्तर पर बना रहा। वर्तमान संकेतक यह बताते हैं कि वर्ष 2013-14 में चालू खाता घाटा कुछ कम हो सकता है लेकिन वह धारणीय स्तर से ऊपर बना रहेगा। इस संदर्भ में बाह्य संकटग्रस्तता कम करने के लिए अल्पकालिक ऋण संबंधी आवश्यकताओं को नियंत्रित करने, तेल और सोने के आयातों को कम करने तथा कोयला और लौह अयस्क जैसे क्षेत्रों में ढांचागत व्यवधानों को दूर किये जाने की जरूरत है। मध्यम अवधि में उच्च चालू खाता घाटे के मुद्दे का समाधान करना निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन अल्प अवधि में स्थायी आधार पर चालू खाता घाटे के वित्तीयन के लिए स्थिर पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

भाग दो: भारतीय रिज़र्व बैंक की
कार्यप्रणाली और परिचालन

III

मौद्रिक नीति का परिचालन

मौद्रिक नीति को वर्ष 2012-13 के दौरान फिर से उभरे मुद्रास्फीति दबावों से जुड़े जोखिमों एवं प्रतिकूल असर डालने वाली मुद्रास्फीति प्रत्याशा के प्रति सजग रहते हुए वृद्धि संबंधी जोखिम के समाधान के लिए भी कार्रवाई करते रहना पड़ा। ढांचागत तथा अस्थायी कारकों के मिले-जुले असर के चलते वर्ष के दौरान चलनिधि की कमी संतोषजनक स्तर से अधिक रहने से रिज़र्व बैंक को खुला बाजार परिचालन एवं सीआरआर तथा एसएलआर में कटौती के जरिए स्थायी प्रकार की प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से चलनिधि का प्रबंधन करना पड़ा ताकि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष की शुरुआत में ही नीति दरों में कमी करने तथा वर्ष के दौरान सक्रियता से चलनिधि का प्रबंधन करने के बाद मुद्रास्फीति के कम होने के चलते, रिज़र्व बैंक ने वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के उभरते अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2013 से नीति दरों में नपे-तुले तरीके से और कटौती की। रिज़र्व बैंक ने 2013-14 के दौरान मौद्रिक नीति में मई की शुरुआत में नरम रुख अपनाया, परंतु विनिमय दर में हुए उतर-चढ़ाव से उत्पन्न समष्टि-वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए बाद में चलनिधि को कम करने के उपाय किये।

III.1 वर्ष 2012-13 के दौरान वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी आने, मुद्रास्फीतिजन्य दबाव के बने रहने एवं अर्थव्यवस्था में समष्टि आर्थिक तथा बढ़ती वित्तीय संवेदनशीलताओं के चलते मौद्रिक नीति के रुझान में नपेतुले तरीके से नरमी लाकर वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के उभरते अंतर-संबंधों में संतुलन बनाये रखने का प्रयास किया गया। यद्यपि वृद्धि दर में गिरावट की चिंताओं के बीच अप्रैल में वर्ष की शुरुआत में ही दरों में कटौती की गयी, परंतु मुद्रास्फीतिजन्य दबाव के बने रहने एवं उसके व्यापक होने के चलते रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति में नरमी का रुख जारी नहीं रख सका। वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान अस्थायी तथा ढांचागत कारकों के चलते चलनिधि की स्थिति के सख्त होने के चलते आरक्षित नकदी निधि अनुपात, सांविधिक चलनिधि अनुपात में कटौती के साथ-साथ खुला बाजार परिचालनों के जरिये चलनिधि उपलब्ध कराकर चलनिधि का सक्रियता से प्रबंधन करना पड़ा। वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही तक मुद्रास्फीति के दबाव में नरमी आने के लक्षण दिखाई देने से मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई की गुंजाइश पैदा हुई और कार्रवाई का रुझान वृद्धि संबंधी जोखिमों को दूर करने की ओर हो गया।

मौद्रिक नीति का परिचालन: संदर्भ तथा औचित्य

III.2 वित्तीय वर्ष की शुरुआत में मौद्रिक नीति को समष्टि-अर्थव्यवस्था की ऐसी समस्या से निपटना पड़ा जहाँ वृद्धि दर संकट-पूर्व की अवधि की प्रवृत्ति से नीचे चली गई थी एवं मुद्रास्फीति, घटती प्रवृत्ति के बावजूद, रिज़र्व बैंक के अपेक्षित स्तर से अधिक थी। वृद्धि संबंधी संवेगों को समर्थन देने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 17 अप्रैल 2012 को प्रमुख नीति (रिपो) दर को 50 आधार अंक कम करके 8 प्रतिशत किया गया। चलनिधि का अधिक कुशन उपलब्ध कराने के लिए सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की उधार लेने की सीमा उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दी गयी।

III.3 जून 2012 तक काफी हद तक यह स्पष्ट हो गया कि मुद्रास्फीति की दर असहज स्तर पर एवं व्यापक बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त, वृद्धिदर में गिरावट जारी रहने पर भी इस बात के काफी प्रमाण थे कि संकट के बाद की वृद्धि दर की प्रवृत्ति में गिरावट आई है एवं वास्तविक तथा प्रवृत्ति वृद्धि दर के बीच अंतर अपेक्षाकृत कम रह गया है। ऐसे परिदृश्य में मांग में शीघ्रता से वृद्धि होने की

स्थिति में मुद्रास्फीतिकारी दबाव के फिर से उभरने का भारी जोखिम था। इसके अतिरिक्त, बढ़ते राजकोषीय एवं चालू खाता घाटे से जुड़े जोखिमों के चलते समष्टि-आर्थिक स्थिरता संबंधी चिंताओं ने नीतिगत विश्लेषणों में प्रमुख स्थान ले लिया। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए कि आपूर्ति पक्षीय अंतरों से जुड़ी समस्या एवं दोहरे घाटों से उत्पन्न जोखिमों का पहले समाधान किये बिना नीति दरों में कमी किये जाने से वृद्धि दर के बढ़ने के बजाय मुद्रास्फीतिकारी संवेगों को बल मिलेगा, रिजर्व बैंक ने जून से दिसंबर 2012 तक नीति दर में की जा रही कमी को रोक दिया।

III.4 मौद्रिक नीति के संकेतों के संप्रेषण में चलनिधि की स्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2012-13 की अधिकांश अवधि के दौरान चलनिधि को संतोषजनक दायरे में रखना मौद्रिक नीति का प्रमुख लक्ष्य बना रहा। अगस्त 2012 में ऋण तथा चलनिधि की स्थितियों को सहज बनाने के लिए एसएलआर में 100 अंकों की कटौती की गई तथा सितंबर 2012 से फरवरी 2013 के दौरान चलनिधि की स्थिति अत्यंत सख्त रहने के कारण सीआरआर में संचयी रूप में 75 आधार अंकों की कटौती की गई। इसके अतिरिक्त, 2012-13 के दौरान तत्काल खुला बाजार परिचालन के जरिए 1.5 ट्रिलियन रुपये का चलनिधि समर्थन दिया गया।

III.5 2012-13 की तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति में गिरावट आई और चौथी तिमाही में इसमें और कमी आने का संकेत था। इसके अतिरिक्त, कारपोरेटों की मूल्य निर्धारण की कमजोर स्थिति, कुछ क्षेत्रों की अतिरिक्त क्षमता एवं पण्यों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कम होने के लक्षण कुछ ऐसे संकेत थे जो यह दर्शाते थे कि मुद्रास्फीतिकारी दबाव अपने अधिकतम स्तर तक पहुँच चुका है। इंधनों के नियंत्रित मूल्यों को युक्तिसंगत बनाए जाने एवं राजकोषीय समेकन की दिशा में फिर से दिखाई गई प्रतिबद्धता जैसे राजकोषीय उपायों ने वृद्धि संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए मौद्रिक नीति की गुंजाइश को और बढ़ा दिया। अतः जनवरी और मार्च 2013 - प्रत्येक में प्रमुख रिपो दर में 25-25 आधार अंकों की कटौती की गई। मार्च में रिजर्व बैंक ने भी नोट किया कि मुद्रास्फीति में गिरावट की दर कम रहने तथा 2013-14 में इसके निश्चित दायरे में रहने की संभावना एवं बढ़ते चालू खाता घाटे से जोखिम उत्पन्न होने के चलते और अधिक मौद्रिक नरमी की गुंजाइश बहुत सीमित थी।

III.6 2013-14 का मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 में वृद्धि दर में आई तेज गिरावट की पृष्ठभूमि में 3 मई 2013 को प्रस्तुत

किया गया। यह वृद्धि दर अनुमान से काफी कम थी एवं 2013-14 के दौरान इसमें धीमी गति से सुधार आने की संभावना है। मार्च 2013 तक हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति काफी कम होकर रिजर्व बैंक के सहनीय 5.0 प्रतिशत के स्तर के आसपास आ गई, यद्यपि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापित खुदरा मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही। वृद्धि दर के प्रति बढ़ते जोखिमों को ध्यान में रखते हुए एवं मुद्रास्फीतिकारी दबावों के क्रमशः नरम पड़ने को देखते हुए प्रमुख नीति दर को 25 आधार अंक कम करके 7.25 प्रतिशत किया गया। परंतु अल्पावधि में मुद्रास्फीति के बढ़ने के भारी जोखिम एवं चालू खाते के घाटे एवं उसके वित्तपोषण से उत्पन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने नोट किया कि आगे चलकर वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के आपसी अंतर-संबंधों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित जोखिम की स्थिति आगे और मौद्रिक नरमी के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ती है।

III.7 यूएस फेड की टिप्पणी के बाद आर्थिक सहूलियत के कम होने की आशंका ने मई के अंतिम भाग से पोर्टफोलियो निवेश, विशेष रूप से ऋण खंड से बहिर्वाह को प्रेरित किया। विनिमय बाजार में हो रहे उतार-चढ़ावों को रोकने एवं एक ही दिशा में चल रही प्रत्याशा को उलटने के लिए कई उपाय किये गये। पहला, आयात संबंधी मांग को कम करने के लिए 4 जून को परेषण आधार पर स्वर्ण के आयात को सीमित किया गया और 5 जून को सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गयी। दूसरा, उसके बाद 8 जुलाई को और उपाय किये गये जिनमें बैंकों को करेंसी फ्यूचर्स / ऑप्शन्स बाजारों में केवल अपने ग्राहकों की ओर से ट्रेड करने की अनुमति दिया जाना, एक्सपोजर संबंधी मानदंडों को कठोर बनाया जाना एवं सट्टेबाजी के कार्यकलापों को रोकने के लिए करेंसी डेरिवेटिव्स में मार्जिन को बढ़ाया जाना शामिल हैं।

III.8 15 जुलाई को रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता स्थापित करने के लिए अतिरिक्त उपाय किये। इनमें सीमांत स्थायी सुविधा दर में 200 आधार अंकों की बढ़ोतरी करके 10.25 प्रतिशत किया जाना, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो के जरिए ली जाने वाली राशि को 750 बिलियन रुपए तक सीमित किया जाना तथा 18 जुलाई 2013 को 25 बिलियन रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खुला बाजार बिक्री करना शामिल हैं। म्यूच्युअल फंडों पर चुकौती के दबाव का अनुमान करके रिजर्व बैंक ने एक आकस्मिक उपाय के रूप में म्यूच्युअल फंडों को चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए 250 बिलियन रुपए की घोषित राशि के लिए एक विशेष रिपो की व्यवस्था की।

III.9 22 जुलाई को रिजर्व बैंक ने स्वर्ण के आयात को युक्तिसंगत बनाते हुए सभी नामित बैंकों/ संस्थाओं को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आयात किए गए स्वर्ण का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा केवल निर्यात के लिए उपलब्ध कराया जाए। किसी भी योजना के अंतर्गत स्वर्ण के किसी भी आयात को 20/80 के फार्मूले का पालन करना होगा। इसके परिणामस्वरूप, परेषण आधार पर स्वर्ण के आयात पर रोक लगाने वाले पहले के अनुदेश वापस ले लिये गये।

III.10 23 जुलाई को रिजर्व बैंक ने रिपो के जरिए चलनिधि समायोजन सुविधा तक पहुंच को प्रत्येक बैंक के स्तर पर नियंत्रित करते हुए उसे बैंक के अपने एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत तक सीमित करके चलनिधि की उपलब्धता को कठोर बनाने के उपायों में संशोधन किया। ये उपाय 24 जुलाई 2013 से लागू हुए। आरक्षित नकदी निधि अनुपात, जो बैंकों को पाक्षिक औसत के आधार पर, न्यूनतम 70 प्रतिशत दैनिक अपेक्षा के अधीन बनाये रखना होता है, में संशोधन किया गया जिसके अनुसार अपेक्षा का दैनिक न्यूनतम 99 प्रतिशत का अनुपात बनाये रखना होगा।

III.11 बाह्य क्षेत्र की गतिविधियों से अर्थव्यवस्था को होने वाले जोखिम से समय पर निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत एवं वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के उभरते अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 30 जुलाई 2013 की पहली तिमाही समीक्षा में मूल नीति दरों को अपरिवर्तित रखा। आर्थिक कार्यक्रमों में जारी गिरावट के चलते, विशेष रूप से उद्योग तथा सेवा के क्षेत्र में, रिजर्व बैंक को वर्ष 2013-14 के लिए वृद्धि दर के पूर्वानुमान को 5.7 प्रतिशत से कम करके 5.5 प्रतिशत करना पड़ा। मौद्रिक नीति के रुझान के बारे में वक्तव्य में यह कहा गया कि रिजर्व बैंक की मंशा चलनिधि की स्थिति को सख्त बनाने वाले उपायों को नपे-तुले तरीके से समाप्त करके, बशर्ते विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता के लक्षण दिखाई दें, तथा मुद्रास्फीति पर सतत निगरानी रखते हुए वृद्धि को सहारा देने के लिए समर्थनकारी मौद्रिक नीति की ओर लौटने की है।

III.12 वक्तव्य में इस बात को दोहराया गया है कि बैंक का लक्ष्य मार्च 2014 तक मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत तथा मध्यावधि में 3.0 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखना है।

III.13 8 अगस्त को रिजर्व बैंक ने प्रत्येक सप्ताह में एक बार 220 बिलियन रुपये की अधिसूचित राशि के भारत सरकार के नगद प्रबंध बिलों की नीलामी करने के निर्णय की घोषणा करके विदेशी मुद्रा बाजार

में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के उपाय प्रारंभ किये।

चलनिधि का प्रबंधन

III.14 2012-13 की पूरी अवधि में चलनिधि की स्थिति घाटे के मोड़ में रही। 2012-13 की पहली छमाही के दौरान चलनिधि की स्थितियां क्रमशः सहज हुईं तथा नवंबर 2012 के मध्य से यह दबाव में आ गईं। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत औसत दैनिक निवल उधार, जो 2011-12 की चौथी तिमाही में औसत निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 2.2 प्रतिशत था, 2012-13 की पहली तिमाही में तेजी से घटकर 1.3 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में और घटकर 0.7 प्रतिशत हो गया, परंतु तीसरी तिमाही में यह बढ़कर 1.4 प्रतिशत तथा बाद में चौथी तिमाही में 1.5 प्रतिशत हो गया। चलनिधि की स्थिति के घाटे में रहने के मुख्य कारणों में सरकार की शेष राशि में निरंतर वृद्धि होना, मुद्रा की भारी मांग, जमाराशि तथा ऋण की वृद्धि दर में बढ़ता अंतर और बैंकिंग प्रणाली से अग्रिम कर के रूप में बहिर्वाह थे। चलनिधि की सख्त स्थिति को सहज बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने आवश्यकतानुसार पूर्वोपायी नीतिगत उपाय किए, जैसे सीआरआर तथा एसएलआर को कम करना, खुला बाजार परिचालन के अंतर्गत खरीद करना, अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा की सीमा को बढ़ाना तथा विशेष निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा शुरू करना।

III.15 रिजर्व बैंक के पास स्थित सरकार की शेष राशि में काफी कमी आने तथा जमाराशि और ऋण की वृद्धि दर के अंतर में कमी आने के चलते 2013-14 की पहली तिमाही में चलनिधि की स्थिति में क्रमशः सुधार हुआ। रिजर्व बैंक ने 2013-14 की पहली तिमाही के दौरान दो खुला बाजार परिचालन खरीद नीलामियों का आयोजन करके बैंकिंग प्रणाली में 165 बिलियन रुपये की प्राथमिक चलनिधि उपलब्ध करायी। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत औसत निवल उधार के घटकर 0.7 ट्रिलियन रुपये से भी कम रह जाने से जून 2013 में चलनिधि की स्थिति काफी सहज हो गई।

III.16 परंतु मई के मध्य से विदेशी मुद्रा बाजार में दबाव बढ़ने लगा। विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने 15 जुलाई 2013 तथा बाद में 23 जुलाई 2013 को चलनिधि की स्थिति को सख्त बनाने वाले कई उपाय किये। इन उपायों के परिणामस्वरूप एवं सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लिये जाने के चलते चलनिधि समायोजन सुविधा का घाटा जुलाई 2013 में

काफी घटकर 0.6 ट्रिलियन रुपये से भी कम रह गया। इन उपायों के एक भाग के रूप में रिजर्व बैंक ने 18 जुलाई 2013 को 25 बिलियन रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खुले बाजार में बेचीं।

मौद्रिक नीति का संप्रेषण

मांग मुद्रा दरें तथा बैंकों की जमाराशि / उधार दरें

III.17 2012-13 के दौरान रिजर्व बैंक ने रिपो दर में 100 आधार अंकों की, एसएलआर में 100 आधार अंकों की तथा सीआरआर में 75 आधार अंकों की कटौती की। 3 मई 2013 को रिपो दर में और 25 आधार अंकों की कटौती की गई। इन नीतिगत उपायों का असर पूरे वित्तीय बाजार खंडों में सभी परिपक्वताओं में संप्रेषित हुआ। जैसी कि आशा थी, छोटी अवधियों की परिपक्वता में संप्रेषण की गति तेज थी परंतु ऋण बाजार में संप्रेषण की गति धीमी थी और यह धीमी गति ऋणयोग्य निधियों के बाजार में संरचनात्मक खामियों की उपस्थिति को दर्शाती है (सारणी III.1)। साथ ही, पिछले अनुभव के अनुरूप वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों में मौद्रिक नीति के कड़ाई वाले दौर की तुलना में नरमी वाले दौर में संप्रेषण की गति कम थी, लेकिन सरकारी प्रतिभूति बाजार इसका अपवाद था। इस संबंध में सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन की दिशा में की

गई पहलों ने सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त आपूर्ति की बाजार की आशंका को कम किया और इसने 2012-13 की दूसरी छमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल पर अनुकूल असर डाला।

III.18 रिजर्व बैंक ने जहाँ 2012-13 के दौरान मौद्रिक स्थिति को सहज बनाने का प्रयास जारी रखा वहीं बैंकों ने भी पहली छमाही में अपनी जमाराशि की दरों में कमी की। परंतु चौथी तिमाही में संप्रेषण कमजोर रहा क्योंकि सभी परिपक्वताओं में जमाराशि दरों में वृद्धि करने वाले बैंकों की संख्या, दरों में कमी करने वाले बैंकों की तुलना में अधिक थी। राजकोषीय समेकन की दिशा में सरकार की पहलों के चलते 2012-13 की दूसरी छमाही में चलनिधि की स्थिति काफी सख्त हुई। इसके चलते चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत एक दिवसीय चलनिधि घाटा रिजर्व बैंक के अपेक्षित स्तर से अधिक हो गया। बैंकों ने विशेष रूप से अल्पावधि परिपक्वता वाली जमाराशि दरों को बढ़ाकर जमाराशि संग्रह करने के प्रयास तेज किए। वास्तविक जमाराशि दरें, जो मार्च 2012 से लगातार ऋणात्मक बनी हुई थीं, चौथी तिमाही के दौरान मामूली रूप से धनात्मक हुईं जो मुद्रास्फीति में आई गिरावट को दर्शाती हैं। आगे चलकर परिवारों की बचत पोर्टफोलियो में मीयादी जमाराशि के पक्ष में अधिक अनुकूल जोखिम-प्रतिलाभ अनुपात के चलते बैंकों द्वारा जमाराशि संग्रहण की स्थिति में सुधार हो सकता है।

सारणी III.1: मुद्रा बाजार दरों एवं बैंकों की जमाराशि/उधार दरों में घटबढ़

(प्रतिशत)

मदें	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	जून-12	सितं-12	दिसं-12	मार्च-13	जून-13	उतार-चढ़ाव (प्रतिशत अंक)	
									कड़ाई वाला दौर	नरमी वाला दौर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. नीति दर (रिपो दर)	5.00	6.75	8.50	8.00	8.00	8.00	7.50	7.25	3.75	-1.25
II. काल दर	3.51	7.15	9.17	8.14	7.92	8.05	7.90	7.24	5.66	-1.93
III. सीबीएलओ दर	3.15	6.46	8.44	7.89	7.83	8.00	7.68	7.10	5.29	-1.34
IV. बाजार रिपो दर	3.32	6.56	8.69	8.03	7.89	8.09	7.82	7.17	5.37	-1.52
V. 3-माह सीपी दर	6.10	10.56	11.61	9.73	8.73	9.03	9.61	8.50	5.51	-3.11
VI. 3-माह सीडी दर	5.48	9.92	11.06	9.24	8.38	8.49	9.14	8.11	5.58	-2.95
VII. 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बांड प्रतिफल	8.61	9.22	9.47	9.39	9.36	9.08	8.96	8.55	0.86	-0.92
VIII. 10-वर्षीय कॉर्पोरेट बांड प्रतिफल	6.61	9.64	9.77	9.65	9.30	8.92	9.01	8.66	3.16	-1.11
IX. 5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	7.54	7.88	8.46	8.22	8.19	8.10	7.94	7.52	0.92	-0.94
X. 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल	7.92	7.98	8.36	8.19	8.18	8.15	7.91	7.34	0.44	-1.02
XI. रूपात्मक (मॉडेल) जमाराशि दर	5.00	6.65	7.42	7.40	7.29	7.33	7.31	7.26	2.42	-0.16
XII. रूपात्मक (मॉडेल) आधार दर	8.00*	9.50	10.75	10.50	10.50	10.50	10.25	10.25	2.75	-0.50

*: आंकड़े जुलाई 2010 के हैं क्योंकि आधार दर तब से लागू की गई थी।

टिप्पणी: नीति दर, जमाराशि तथा आधार दरें माह के अंत की हैं जबकि मुद्रा तथा बांड बाजार दरें मासिक औसत हैं। सारणी में दर्शाया गया कड़ाई वाला दौर 19 मार्च 2010 से 16 अप्रैल 2012 तक और नरमी वाला दौर 17 अप्रैल 2012 से आगे का है।

स्रोत: सीपी, सीडी और बांड बाजार दरों का स्रोत ब्लूमबर्ग है तथा अन्य दरों का स्रोत रिजर्व बैंक है।

III.19 जहाँ तक उधार देने की दरों की बात है, संप्रेषण की गति जमाराशि दरों की तुलना में कुछ तेज थी। बैंकों की रूपात्मक आधार दर में चौथी तिमाही में 25 आधार अंकों की कमी आई जबकि पहली तिमाही में इतनी ही कमी आई थी। बैंकों की भारत औसत उधार दर में भी जमाराशि दरों की तुलना में तेज गति से गिरावट आई जो आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आने की वजह से ऋण की मांग में आई कमी की सूचक है (सारणी III.2)।

III.20 3 मई 2013 को रिपो दर में 25 आधार अंकों की कमी होने और चलनिधि की स्थिति सहज होने के बाद 2013-14 की पहली तिमाही के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की रूपात्मक (मॉडल) सावधि जमा दर में 5 आधार अंकों की मामूली गिरावट आई। पहली तिमाही में मॉडल आधार दर 10.25 प्रतिशत की दर पर अपरिवर्तित रही किंतु पहली तिमाही के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित बकाया रुपया ऋणों की भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में 6 आधार अंकों की कमी के साथ 12.07 प्रतिशत रही (सारणी III.2)।

क्षेत्र-वार उधार दरें

III.21 2012-13 के दौरान उधार दरों में मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई का संप्रेषण सभी क्षेत्रों में एकसमान नहीं था। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में उधार दरों में 1 से 63 आधार अंकों के दायरे में गिरावट आई, शिक्षा ऋण (63 आधार अंक) और आवास ऋण (62 आधार अंक) में गिरावट की दर सबसे अधिक रही। वाहन, एसएमई तथा क्रेडिट कार्ड जैसे अन्य क्षेत्रों की उधार दरों में मामूली गिरावट देखी गई (सारणी III.3)। 2013-14 की पहली तिमाही के दौरान ऋण

सारणी III. 2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की रूपात्मक (मॉडल) जमाराशि दरें तथा डब्ल्यूएलआर (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

समाप्त माह	रिपो दर	रूपात्मक (मॉडल) जमाराशि दर	डब्ल्यूएलआर
1	2	3	4
मार्च-12	8.50	7.42	12.60
जून-12	8.00	7.40	12.35
सितं-12	8.00	7.29	12.26
दिसं-12	8.00	7.33	12.14
मार्च-13	7.50	7.31	12.13
जून-13	7.25	7.26	12.07

डब्ल्यूएलआर: भारत औसत उधार दर

सारणी III.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की क्षेत्र-वार माध्यिका उधार दरें

(जिन पर 60 प्रतिशत कारोबार किया गया)

(प्रतिशत)

समाप्त माह	आवास	वाहन	कृषि	एसएमई	क्रेडिट कार्ड	शिक्षा
1	2	3	4	5	6	7
मार्च-12	11.87	12.75	11.74	13.00	27.09	13.63
जून-12	11.63	12.78	11.38	12.88	28.39	13.30
सितं-12	11.63	12.75	11.63	12.84	26.42	13.23
दिसं-12	11.43	12.68	11.43	12.99	27.89	13.10
मार्च-13	11.25	12.71	11.63	12.99	27.07	13.00
अप्रै-13 (अ)	10.93	12.85	11.67	12.95	26.67	13.12
घट-बढ़ (मार्च-12 की तुलना में मार्च-13)	-0.62	-0.04	-0.11	-0.01	-0.02	-0.63

अ: अर्न्तितम

दरों में क्रेडिट कार्डों के संबंध में 40 आधार अंकों, आवास ऋण के संबंध में 32 आधार अंकों और लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में 4 आधार अंकों की कमी आई जबकि इसी अवधि में वाहन ऋण, कृषि ऋण तथा शिक्षा ऋण से संबंधित दरों में वृद्धि हुई।

मौद्रिक नीति के संप्रेषण में असमानता

III.22 एक उदारीकृत वित्तीय प्रणाली, जहाँ बैंकों को अपनी जमाराशि और उधार दरें तय करने की छूट हो, मौद्रिक प्राधिकारी के लिए चुनौती पैदा करती है। यह चुनौती अपने नीतिगत संकेतों का संप्रेषण प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने की है। यह चुनौती क्रेडिट चैनल को बाधित करने वाले अस्थायी कारकों के अतिरिक्त ढांचागत बाधाओं को दूर करने के रूप में हो सकती है। संप्रेषण को बाधित करने वाले कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ बकाया जमाराशि पर ब्याज लागत, सरकारी उधार का आकार, एनपीए का स्तर तथा मुद्रास्फीति शामिल हैं। लघु बचतों पर नियंत्रित ब्याज दरें, यद्यपि ये सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल से जुड़ी हुई हैं, वार्षिक आधार पर बदली जाती हैं, इसलिए ये बैंकों को सुविधानुसार दरें तय करने में बाधक बनती हैं।

III.23 2012-13 के दौरान मौद्रिक नीति के संप्रेषण की गति, विशेष रूप से चौथी तिमाही में काफी धीमी हो गई जो चलनिधि की स्थिति सख्त होने की पृष्ठभूमि में नीतिगत चक्रों के सख्ती एवं नरमी वाले दौर में बैंकों की कार्रवाई एकसमान न रहने की बात को अंशतः दर्शाती है (सारणी III.1)। सामान्यतः बढ़ते ब्याज दर चक्र के दौर में बैंक अपनी उधार दरें शीघ्रता से बढ़ा देते हैं जबकि


घटते ब्याज दर के दौर में वे निवल ब्याज मार्जिन को बचाने के लिए शीघ्रता से जमाराशि दरों में बढ़ोतरी करते हैं। ऐसा विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि नियत ब्याज दर वाली बैंक जमाराशियों की तुलना में ऋण की ब्याज दरें शीघ्रता से बदली जाती हैं क्योंकि इनका निर्धारण अधिकांशतः लचीले ढंग से किया जाता है। तथापि, चलनिधि की सख्त स्थिति एवं ढांचागत कठोरताओं के चलते वित्तीय बाजार के अन्य खंडों की तुलना में जमाराशि तथा उधार की दरें अपेक्षित रूप में कम नहीं हुईं।

III.24 आपूर्ति पक्ष में, बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय बचतों की तुलना में जमाकर्ताओं द्वारा, उच्चतर प्रतिलाभ के लिए, स्वर्ण को वरीयता दिया जाना जमाराशि और उधार दरों में संप्रेषण चैनल के बाधित होने का एक कारण हो सकता है।

भारत में वास्तविक ब्याज दर

III.25 मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीतिरोधी रुझान को दर्शाते हुए 2011 तथा 2012 में, अंतरण संबंधी सामान्य अंतराल के बाद, भारत औसत सांकेतिक उधार दरों में वृद्धि हुई। वास्तविक उधार दरें (जिसे या तो दो वर्षीय चल औसत या एक तिमाही अंतराल वाली मुद्रास्फीति का उपयोग करके तय किया जाता है) वर्ष 2003-08 के वृद्धि वाले दौर में प्रचलित वास्तविक दरों से कम थीं (चार्ट III.1)। ब्याज दर की इस प्रवृत्ति ने वास्तविक ब्याज दर, निवेश तथा आर्थिक वृद्धि के बीच कारण-कार्य संबंधों को सामने ला दिया है। भारत के

चार्ट III.1: अनुमानित भारत औसत उधार दरें - वास्तविक तथा सांकेतिक



संदर्भ में किए गए आनुभविक अनुमान दर्शाते हैं कि वास्तविक उधार दरों (अथवा कारपोरेटों के लिए वित्त की लागत) में 100 आधार अंकों की कमी करके निवेश में लगभग 50 आधार अंकों की और गैर-कृषि जीडीपी वृद्धि दर में लगभग 20 आधार अंकों की बढ़ोतरी की जा सकती है (बॉक्स III.1)। 2012-13 की दूसरी छमाही से ब्याज दरों में कमी आने के चलते यथार्थ वास्तविक ब्याज दरें बढ़ने लगी हैं। यदि 2013-14 में मुद्रास्फीति लगभग 5.5 प्रतिशत के

बॉक्स III.1

वास्तविक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति निवेश और वृद्धि की संवेदनशीलता

वास्तविक ब्याज दर एक अदृश्य चर है और फर्म के स्तर के निवेश संबंधी निर्णय सामान्यतः सांकेतिक चरों का ध्यान रखते हुए किये जाते हैं, जैसे नई निवेश परियोजना के सांकेतिक नकदी प्रवाह का आकलन तथा प्रतिफल की आंतरिक दर (आईआरआर) के सापेक्ष सांकेतिक बाधा दर। बाधा दर वह बड़ा दर है जो बड़ा नकदी प्रवाह और परियोजना के प्रारंभिक निवेश मूल्य की तुलना करती है, अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह वह बड़ा दर है जहाँ परियोजना का निवल वर्तमान मूल्य (एनएवी) शून्य हो जाता है। यदि फर्म ब्याज दर पर, जो प्रतिफल की आंतरिक दर (आईआरआर) से कम बना रहना सुनिश्चित करें, उधार ले पाती है, तो ही परियोजना का एनएवी धनात्मक होगा और परियोजना कार्यान्वित करने लायक होगी। नकदी प्रवाह में कल्पित मुद्रास्फीति प्रत्याशा एवं बाधा दर के आधार पर एक ऐसी वास्तविक ब्याज दर अवश्य होगी जिसकी पहचान शायद स्पष्ट रूप से न की जा सके। परंतु समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पर निवेश तथा वृद्धि जैसे वास्तविक चर के बारे में मान्यता है कि ये वास्तविक ब्याज दर से प्रभावित होते हैं। नीतिगत ब्याज दर जैसे सांकेतिक चर अल्पावधि में वास्तविक ब्याज दर को प्रभावित कर सकते हैं तथा कभी-कभी फिशर प्रभाव के लागू न होने की स्थिति में यह असर बना रहता

है। फिशर प्रभाव के अनुसार, सांकेतिक ब्याज दर में परिवर्तन केवल संशोधित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को दर्शाता है एवं यदि सांकेतिक दरों का सामंजस्य मुद्रास्फीति की बदलती स्थिति के अनुसार प्रत्येक मामले में नहीं होता है तो वास्तविक ब्याज दरों में अंतर हो सकता है। इस प्रकार, नीतिगत विश्लेषण के प्रयोजन से दो महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं: (क) क्या ब्याज दरें उच्च वृद्धि की अवस्था में रही दरों की अपेक्षा कम हैं और क्या आर्थिक गतिविधियों की मंदी के दौर में बाधा दर में अंतर्निहित सांकेतिक दर प्रतिफल की आंतरिक दर से कम है (आईआरआर) (ख) मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की बदलती स्थिति के अनुसार जिस प्रकार कार्य करती है क्या वह समय परिवर्ती वास्तविक ब्याज दरों का प्रमुख कारक है।

ऐसी स्थिति में संबंधित आनुभविक मुद्दा यह है कि यदि वास्तविक ब्याज दर को मौद्रिक नीति से प्रभावित किया जा सकता है, तो वास्तविक ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति निवेश और वृद्धि दर कितनी संवेदनशील हो सकती है। ओएलएस अनुमान दर्शाता है कि वास्तविक उधार दर (डब्ल्यूएएलआर-

(जारी...)

1ति-अंतराल) में 100 आधार अंकों की कमी से गैर-कृषि जीडीपी वृद्धि दर(एनएजी) में अल्पावधि में लगभग 9 आधार अंकों की तथा दीर्घावधि में लगभग 20 आधार अंकों की वृद्धि हो सकती है (सारणी 1)। मुद्रास्फीति की 6 प्रतिशत (आईएनएफएलटीआर) की अधिकतम सीमा से अधिक का गुणांक प्रमुख नीतिगत प्रभाव डाल सकता है, अर्थात् वास्तविक ब्याज दर को कम करने के लिए उच्च मुद्रास्फीति को सहन करने का कोई भी मौद्रिक नीतिगत रुझान वृद्धि दर को प्रेरित करने में असफल हो सकता है क्योंकि वृद्धि दर पर कम वास्तविक ब्याज दर का सकारात्मक प्रभाव उच्च मुद्रास्फीति से वृद्धि दर पड़ने वाले प्रतिकूल असर से अधिक होगा।

ओएलएस परिणाम दर्शाता है कि वास्तविक उधार दर में 100 आधार अंकों की गिरावट से जीडीपी की तुलना में निवेश के अनुपात (आईजीडीपी) में अल्पावधि में 9 आधार अंकों की तथा दीर्घावधि में 51 आधार अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है (सारणी 2)।

भारत के संदर्भ में आनुभविक अनुमान इस संभावना को दर्शाते हैं कि वास्तविक ब्याज दरों को कम करके वृद्धि तथा निवेश को बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक ब्याज दर में कमी मौद्रिक नीति के अत्यधिक नरम रुख (मुद्रास्फीति के बने रहने से शायद ऐसा करना संभव न हो), अथवा अप्रैल 2012 से अब तक रिपो दर में की गई कटौती के उधार दरों में शीघ्र संप्रेषण,

सारणी 1: गैर-कृषि जीडीपी वृद्धि का ओएलएस अनुमान (एनएजी)

	गुणांक	टी-स्टैटिस्टिक्स
1	2	3
सी	3.77	2.14*
एनएजी(-1)	0.54	3.27*
डब्ल्यूएलपी	0.18	4.40*
डब्ल्यूएलआर-1क्यूएलजी(-1)	-0.09	-2.35*
आईएनएफएलटीआर(-1)	-0.12	-2.26*
डी(एलएफसीजीडीपी-एसए(-4))	0.09	3.80*
डी2009क्यू3	2.45	18.50*
आर ²	0.61	
डर्बिन एम	0.30	
रिगेशन की मानक त्रुटि	0.93	
प्रेक्षणों की संख्या	40	

टिप्पणी: टी-स्टैटिस्टिक्स नेवे-वेस्ट/बार्टलेट विंडो तथा 3 लेग्स से संशोधित एचएसी मानक त्रुटि पर आधारित है।

*: 5% के स्तर पर महत्वपूर्ण।

सारणी 2: निवेश दर का ओएलएस अनुमान (निर्भरशील चर: आईजीडीपी)

	गुणांक	टी-स्टैटिस्टिक्स
1	2	3
सी	4.40	4.97*
जीडीपीजी (-1)	0.15	2.85*
डब्ल्यूएलआर-1क्यूएलजी (-1)	-0.09	-3.46*
आईएनएफएलटीआर	-0.04	-1.88**
आईजीडीपी (-1)	0.83	25.93*
डीसीआरआईएसआईएस	-1.95	-7.18*
Δएलएफसीजीडीपी (-4)	0.09	4.33*
आर ²	0.94	
डीडब्ल्यू	-0.87	
रिगेशन की मानक त्रुटि	0.73	
प्रेक्षणों की संख्या	40	

टिप्पणी: टी-स्टैटिस्टिक्स नेवे-वेस्ट/बार्टलेट विंडो तथा 3 लेग्स से संशोधित एचएसी मानक त्रुटि पर आधारित है।

*, **: क्रमशः 5% तथा 10% के स्तर पर महत्वपूर्ण।

अथवा उच्चतर मुद्रास्फीति सहनीयता (अर्थात् वास्तविक दरों को कम करने के लिए उच्चतर मुद्रास्फीति को बने रहने देकर) से आ सकती है। इन तीनों में से पहली तथा अंतिम संभावनाओं से, जो वस्तुतः एक जैसी है, वास्तविक ब्याज दरों में कमी आने के बावजूद वृद्धि दर में सुधार न होने का जोखिम है। अतः कम तथा स्थिर मुद्रास्फीति का वातावरण, उच्चतर मुद्रास्फीति की सहनीयता के जरिए प्राप्त की गई कम वास्तविक ब्याज दर की तुलना में, वृद्धि के लिए अधिक अनुकूल है।

संदर्भ:

मोहंती, डी., चक्रवर्ती ए.बी. तथा गंगाधरन एस. (2012)। “मेजर्स ऑफ नॉमिनल एंड रियल इफेक्टिव लेंडिंग रेट्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया”, आरबीआई वर्किंग पेपर (डीईपीआर): 7/2012, मई।

आरबीआई (2013) “रियल इंटररेस्ट रेट इम्पैक्ट ऑन इनवेस्टमेंट एंड ग्रोथ - ह्याट दि एम्पिरिकल एविडेन्स फॉर इंडिया सजेस्ट? ” (आगामी)।

तोकुओका, कीची (2012), “डज दि बिजनेस एनवायरनमेंट एफेक्ट कारपोरेट इनवेस्टमेंट इन इंडिया? ”, आईएमएफ वर्किंग पेपर, डब्ल्यूपी/12/17।

दायरे में रहती है तो अप्रैल 2012 से रिपो दर में की गई 125 आधार अंकों की कटौती का सुदृढ़ संप्रेषण होने पर ही वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए वास्तविक उधार दरें कम हो सकती हैं।

मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ

III.26 मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ अथवा भविष्य की मुद्रास्फीति के बारे में धारणाएँ आर्थिक घटकों के वर्तमान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यदि मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ स्थिर न हों अथवा भविष्य के मूल्य

स्तर के बारे में बढ़ती अनिश्चितता हो तो लोग आम तौर पर खर्च करने से हिचकते हैं और कारपोरेट निवेश करने से बच सकते हैं। ऐसी स्थिति दीर्घावधि में आर्थिक वृद्धि के लिए हानिकारक है। मौद्रिक नीति का यह एक मूल सिद्धांत है कि कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा स्थिर मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ निवेश के अनुकूल माहौल एवं ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाती हैं, जो मध्यावधि में उच्चतर स्तर पर वृद्धि दर को बनाए रखने का मूल आधार है। अतः मौद्रिक नीति की दृष्टि से मुद्रास्फीति की प्रत्याशा को मापना महत्वपूर्ण हो जाता है (बॉक्स II.2)।

बॉक्स III.2 मुद्रास्फीति प्रत्याशा का मापन

मुद्रास्फीति प्रत्याशा की माप करना कठिन कार्य है क्योंकि इनको समय पर नहीं देखा जा सकता। इसलिए अधिकांश केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को जानने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाते हैं जिनमें सर्वेक्षण आधारित पद्धतियों से लेकर वित्तीय बाजार आधारित संकेतक तक शामिल हैं।

मुद्रास्फीति प्रत्याशा की बाजार आधारित माप के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जा रही पद्धतियों में ब्रेक-ईवेन प्रत्याशा आधारित मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड, जिसे 'लिंग्स' भी कहा जाता है, की पद्धति है। मूल सिद्धांत यह है कि ये बांड मुद्रास्फीति से निवेशकों को बचाते हैं। पारंपरिक बांड, जो एक नियत मूलधन पर ब्याज का भुगतान करते हैं, के विपरीत मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड उस कूपन तथा/अथवा मूलधन पर ब्याज देते हैं जो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होता है। समान परिपक्वता वाले मुद्रास्फीति सूचकांकित बांडों तथा पारंपरिक बांडों के प्रतिफल का अंतर मुद्रास्फीति प्रत्याशा का द्योतक है।

भारत में पांच वर्ष की परिपक्वता वाले पूंजी सूचकांकित बांड दिसंबर 1997 में जारी किये गये थे। परंतु ये बांड भुगतान के समय मूलधन की चुकौती को मुद्रास्फीति से सूचकांकित करके मुद्रास्फीति से केवल मूलधन की रक्षा करते थे। चूंकि ब्याज का भुगतान मुद्रास्फीति से रक्षित नहीं था, इसलिए इसके प्रति लोगों का आग्रह कम रहा तथा आगे ऐसे बांड जारी नहीं किये गये।

रिजर्व बैंक ने जून 2013 में मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड फिर से जारी किए। ये बांड थोक मूल्य मुद्रास्फीति से मूलधन तथा ब्याज, दोनों की रक्षा करते हैं। मूलधन को निर्गम की तारीख के मूल्य सूचकांक की तुलना में निपटारे की तारीख के मूल्य सूचकांक के अनुपात से समायोजित करके मुद्रास्फीति के असर से मूलधन की रक्षा की जाती है। चूंकि वास्तविक कूपन का भुगतान मुद्रास्फीति समायोजित मूलधन पर किया जाएगा, अतः प्राप्त ब्याज की राशि भी मुद्रास्फीति के असर से बच जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह बांड चुकौती के समय पूंजी की रक्षा भी करेगा क्योंकि निवेशक को मुद्रास्फीति समायोजित

मूलधन या अंकित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाएगा। निर्गमों की पहली श्रृंखला दस वर्षों की परिपक्वता वाले बांडों की होगी। निवेशकों को पारंपरिक सरकारी प्रतिभूतियों के सांकेतिक प्रतिफल के विपरीत वास्तविक प्रतिफल के लिए बोली लगानी होगी। किये गये दो निर्गमों के आधार पर मोटे तौर पर किये गये हिसाब के अनुसार 10 वर्ष की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ 5.5 प्रतिशत के आसपास हैं। आगे जब विभिन्न परिपक्वता वाले और निर्गम आएंगे तब ये बांड अधिक बेंचमार्क उपलब्ध कराएंगे।

अन्य उपाय यह है कि परिवारों, कारपोरेटों तथा प्रोफेशनल पूर्वानुमानकर्ताओं की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं की सर्वेक्षण आधारित माप प्राप्त की जाए। भारत में सर्वेक्षण आधारित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं की माप का सार नीचे दिया गया है। इन सभी सर्वेक्षणों की आवधिकता तिमाही है और इनसे मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा के लिए जानकारी मिलती है।

हाल में सर्वेक्षण आधारित पद्धतियां भारत में मौद्रिक नीति के परिचालन को दिशा देने में उपयोगी साबित हुई हैं। इन सर्वेक्षणों को निरंतर आधार पर बेहतर बनाया जा रहा है ताकि मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं की माप के रूप में इनकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सके और मौद्रिक नीति के निर्माण में इनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड परीक्षण के दौर में हैं और इन्हें यथासमय मुद्रास्फीति प्रत्याशा की माप के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरना चाहिए।

संदर्भ:

- मोहंती, डी. (2012) "मुद्रास्फीति प्रत्याशा का महत्त्व", 9 नवंबर को मुंबई में दिया गया भाषण।
बैंक ऑफ इंग्लैंड (2012) "ऑन मार्केट-बेस्ड मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेडनेस", क्वार्टली बुलेटिन, स्रिंग।
यूरोपियन सेंट्रल बैंक (2011) "इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेडनेस इन द यूरो एरिया : ए रिव्यू ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स", मंथली बुलेटिन, फरवरी।

भारत में मुद्रास्फीति प्रत्याशा की सर्वेक्षण आधारित माप

सर्वेक्षण का नाम	कब शुरू की गयी	कवरेज	वह अवधि, जिसकी प्रत्याशा का मूल्यांकन किया जाता है
1	2	3	4
औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण	1998	प्रत्येक दौर में 2,000 विनिर्माण कंपनियों से संपर्क किया जाता है (उत्तर की दर लगभग 70 प्रतिशत है)	3 माह आगे
परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण	2005	12 शहरों के 4,000 शहरी परिवार (हाल में बढ़ाकर 16 विभिन्न शहरों के 5,000 परिवार किया गया है)	3 माह आगे तथा 1 वर्ष आगे
प्रोफेशनल पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण	2007	लगभग 30 प्रोफेशनल पूर्वानुमानकर्ता	अगली 4 तिमाहियों के लिए तिमाही; अगले 5 वर्ष तथा अगले 10 वर्ष
उपभोक्त विश्वास सर्वेक्षण	2010	6 महानगरों के 5,400 परिवार	1 वर्ष आगे

समग्र मूल्यांकन

III.27 वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अब तक मौद्रिक नीति का उद्देश्य, मुद्रास्फीति प्रत्याशा को स्थिर रखने के मूल लक्ष्य से नजर हटाए बिना, मुद्रास्फीति के प्रबंधन एवं वृद्धि संबंधी जोखिमों से निपटने के उपायों के बीच संतुलन स्थापित करना रहा है। मध्यावधि में उच्च एवं वहनीय वृद्धि पथ को बनाए रखने के लिए कम तथा स्थिर मुद्रास्फीति जरूरी है। मौद्रिक नीति ने दोहरे घाटे

से उत्पन्न समष्टि-आर्थिक जोखिमों पर भी सतर्क दृष्टि रखते हुए उपलब्ध गुंजाइश का उपयोग दर में की जाने वाली कटौती पहले ही करने एवं नरमी वाले चक्र में नपे-तुले ढंग से उसे समायोजित करने के लिए किया। वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के बीच संतुलन के अनुरूप नीतिगत कार्रवाइयों का प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012-13 में विभिन्न उपकरणों के माध्यम से चलनिधि का प्रबंधन सक्रियता से किया गया।

IV

ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अब तक वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं की परिधि के अंतर्गत लाना है। सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के लिए रिजर्व बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें बैंकों को उनकी वित्तीय समावेशन योजना बनाने के संबंध में सलाह देना और वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति (एफआईएसी) गठित करना शामिल है। समिति (अध्यक्ष: डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) बैंकों को व्यवहार्य और सुस्थिर बैंकिंग सेवा मॉडल विकसित करने में मदद करती है जिसका लक्ष्य सुग्राह्य एवं सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। वित्तीय रूप से अनभिज्ञ लोगों की ग्रहणशीलता को बढ़ाने के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के सहयोग से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऋण वितरण के लिए विभिन्न चैनल स्थापित करने से वंचित लोगों को संस्थागत ऋण के एक्सेस में आसानी हो सकती है और इस प्रकार विकास की प्रक्रिया के दायरे में गरीब लोगों को लाने में मदद मिल सकती है।

IV.1 रिजर्व बैंक ने ऋण वितरण प्रक्रिया एवं वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के दिशानिर्देशों में परिवर्तन करने तथा वंचित ग्रामीण एवं शहरी लोगों को संस्थागत वित्त के दायरे में लाने की कोशिश करने का कदम उठाया है। अब यह एक सुस्थापित तथ्य है कि सस्ती लागत पर औपचारिक वित्त के बिना समावेशी वृद्धि संभव नहीं है। रिजर्व बैंक ने रोजगार निर्माण की क्षमता रखने वाले उत्पादक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए 1970 के दशक से चले आ रहे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के दिशानिर्देशों में संशोधन करने के साथ-साथ कई उपाय किए हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने के अलावा, रिजर्व बैंक ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से ऋण प्रदान करने की योजना अपनाई है जो इस प्रकार है: स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) एवं माइक्रो-वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को शामिल करना, बिजनेस करिस्पॉन्डेन्स (बीसी) मॉडल के दायरे को बढ़ाना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सरल करना तथा व्यापक आउटरीच एवं निम्नतर अंतरण लागत हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सोल्यूशन अपनाया जाना।

IV.2 इस अध्याय में ऋण वितरण के दो पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, नामतः (i) ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन की प्रगति और (ii) इन क्षेत्रों में रिजर्व बैंक की नीति संबंधी पहल। ऋण वितरण की चर्चा तीन शीर्षकों में की गई है: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, लीड बैंक स्कीम और ग्रामीण सहकारी ऋण बैंक।

ऋण वितरण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

IV.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई), शिक्षा और आवास क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2013 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत देशी बैंकों के लिए गत वर्ष के 31 मार्च को यथास्थिति समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (ओबीई) के ऋण समतुल्य का, जो भी अधिक हो, 40 प्रतिशत और विदेशी बैंकों के लिए 32 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार देशी बैंक (सरकारी एवं निजी दोनों) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लक्ष्य से नीचे रहे (सारणी IV.1)। इस अवधि में,

सारणी IV.1: प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण

(राशि ₹ बिलियन में)

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2012	11,299.93 (37.4)	2,864.19 (39.4)	805.59 (40.9)
2013*	12,822.12 (36.2)	3,274.06 (37.5)	848.54 (35.1)

* 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित समूहों में एएनबीसी या ओबीई के ऋण समतुल्य, जो भी अधिक हो, का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. वर्ष 2013 का डेटा अर्न्ततम है।

सरकारी क्षेत्र के 26 बैंकों में से 16, निजी क्षेत्र के 20 बैंकों में से 10 और 41 विदेशी बैंकों में से 2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के कुल लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके।

IV.4 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहे अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, देशी और विदेशी दोनों, को भारत सरकार द्वारा घोषित कोष की हद तक कमी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ स्थापित ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (आरआईडीएफ) में और लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एवं राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ स्थापित अन्य कोष में जमा करना होगा।

IV.5 2013-14 के दौरान, ₹200 बिलियन की राशि युक्त आरआईडीएफ XIX को नाबार्ड के साथ स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान ₹100 बिलियन की राशि युक्त एमएसएमई (पुनर्वित्त) कोष को सिडबी के साथ, ₹50 बिलियन की राशि युक्त मालगोदाम आधारभूत संरचना कोष, ₹300 बिलियन की राशि युक्त अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) (पुनर्वित्त) और ₹200 बिलियन की राशि युक्त अल्पावधि आरआरबी ऋण पुनर्वित्त कोष को नाबार्ड के साथ तथा ₹60 बिलियन की राशि युक्त ग्रामीण आवास कोष को एनएचबी के साथ स्थापित किया गया। एक और कोष नामतः ₹20 बिलियन की राशि युक्त शहरी आवास कोष को एनएचबी के साथ इस वर्ष स्थापित किया गया।

कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह

IV.6 सरकार द्वारा 2012-13 में कृषि ऋण हेतु ₹5,750 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य की तुलना में सहकारी बैंक एवं आरआरबी सहित बैंकों द्वारा ₹6,073.75 बिलियन¹ ऋण वितरित किए गए जो मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार लक्ष्य का 105.6 प्रतिशत था। सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में सभी एजेंसियों के लिए ₹7,000 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की वसूली

IV.7 गत तीन वर्षों (जून 2012 तक) का डेटा 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली में मामूली गिरावट की ओर संकेत करता है (IV.2)।

सारणी IV.2: प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की वसूली

(₹ बिलियन में)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली	अतिरिक्त	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2010	1,244	922	322	74.09
2011*	1,822	1,383	439	75.90
2012**	1,918	1,429	489	74.51

* 2011 के आंकड़े संशोधन/अद्यतन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।

** अनंतिम डेटा।

किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम

IV.8 *किसान* क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्कीम की समीक्षा करने के लिए गठित कार्य दल (अध्यक्ष: श्री टी.एम. भसीन) की संस्तुति के आधार पर सरकार ने सभी बैंकों को सभी किसानों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का कहा है। 2012-13 (दिसंबर 2012 तक) में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा केसीसी के रूप में 1.2 मिलियन स्मार्ट कार्ड जारी किए गए।

ब्याज अनुदान योजना

IV.9 2006-07 से चालू ब्याज अनुदान योजना वर्तमान में ₹3 लाख तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के लिए 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान करती है। वे किसान जो समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष हो जाएगी। 2012-13 तक केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों पर लागू इस योजना को वर्ष 2013-14 के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू किया गया है।

कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008

IV.10 भारत सरकार ने कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 लागू की थी। योजना की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर एवं भारत सरकार के कहने पर बैंकों को संपूर्ण जांच करने और सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी गई थी।

¹ अनंतिम

सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों को ऋण का प्रवाह

IV.11 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को प्रदान किए गए ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 में 29.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.3)।

IV.12 बीमार अवस्था वाली इकाई की पहचान करने और बीमारी की प्रारंभिक अवस्था का पता लगाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए तथा किसी इकाई को अव्यवहार्य घोषित करने से पहले बैंकों द्वारा अपनाई जाने योग्य प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एमएसई क्षेत्र में बीमार अवस्था में पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु 1 नवंबर 2012 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।

IV.13 2013-14 की मौद्रिक नीति में की गई घोषणा के अनुसार, बैंकों को 9 मई 2013 को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा गया था:

- इस क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण की वृद्धि की निगरानी की वर्तमान प्रणाली को मजबूत किया जाए एवं प्रत्येक विनियामक स्तर (शाखा, क्षेत्र, मंडल, प्रधान कार्यालय) पर प्रणाली-संचालित व्यापक कार्यनिष्पादन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) शुरू की जाए जिसका नियमित आधार पर गंभीरता के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए;
- बैंकों में एमएसई के ऋण आवेदनों की ई-ट्रैकिंग की प्रणाली शुरू की जाए एवं शाखा-वार, क्षेत्र-वार, मंडल-वार एवं राज्य-वार स्थिति बताते हुए इस आवेदन के निपटान की प्रक्रिया की निगरानी की जाए। बैंकों द्वारा तत्संबंधी स्थिति अपनी वेबसाइट पर दर्शाई जानी चाहिए; एवं

सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किया गया ऋण

मार्च माह के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण		एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
	खातों की संख्या (मिलियन में)	बकाया राशि (₹ बिलियन में)	
1	2	3	4
2012	9.86 (6.0)	5,276.85 (10.3)	16.5
2013*	11.23 (13.9)	6,847.97 (29.8)	14.7

* : 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार।

टिप्पणी: 1. 2013 का डेटा अंतिम है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन, प्रतिशत में दर्शाते हैं।

- बीमार एमएसई इकाइयों का पुनरुद्धार समय पर हो, इसकी जांच की जाए। बीमार एमएसई इकाइयों के पुनरुद्धार में हुई प्रगति के संबंध में जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए।

लीड बैंक स्कीम

2,000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग केन्द्र स्थापित करने की रूपरेखा

IV.14 2,000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित सभी गांवों में बैंकिंग केन्द्र खोलने की रूपरेखा के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद, 2,000 से कम आबादी वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक परिवार/ व्यक्ति का बैंक खाता खुलवाना है। 2,000 से कम आबादी वाले लगभग 4,90,000 बैंक रहित गांवों को खोज लिया गया है एवं इन गांवों को समयबद्ध रूप से शामिल करने हेतु विभिन्न बैंकों को आबंटित कर दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि गांवों को सम्मिलित करने की योजना आगामी तीन वर्षों में पूरी कर दी जाएगी।

IV.15 वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण सेवाएं नव आईसीटी आधारित बीसी केन्द्रों के जरिए उपलब्ध कराई जाए। इसलिए आधारभूत शाखाओं एवं बीसी स्थानों के बीच एक मध्यवर्ती निम्न-लागत वाले दरो-दीवार ढांचे की जरूरत है। यह बीसी केन्द्रों को समय पर सहयोग प्रदान करेगा, बीसी के परिचालन का ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा और इन्हें विश्वसनीयता प्रदान करेगा तथा बीसी सेवाओं के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाएगा। अतः, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंक रहित गांवों में अधिक-से-अधिक शाखाएं खोलने की योजना बनाएं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

IV.16 रिजर्व बैंक ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को शुरू करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)- संयोजक बैंक से कहा गया है कि वे आधार समर्थित भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए प्राधिकारियों से संपर्क करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे आधार समर्थित भुगतान के क्रियान्वयन की स्थिति को वित्तीय समावेशन/ इलेक्ट्रॉनिक सुविधा अंतरण (ईबीटी) के कार्यान्वयन के हिस्से के

रूप में एसएलबीसी की बैठकों में चर्चा हेतु कार्यसूची के मद में नियमित रूप से शामिल करें। डीबीटी को अपने प्रथम चरण में 1 जनवरी 2013 से 43 जिलों में लागू किया गया एवं 1 जुलाई 2013 से 78 जिलों में लागू किया जाएगा। धीरे-धीरे देश के सभी जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। हाल में लागू किया गया डीबीटी, जो आधार के जरिए हिताधिकारी की पहचान की पुष्टि करता है, लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करने, कम से कम रिसाव सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर लाभ का समयबद्ध वितरण करने के माध्यम से सामाजिक कल्याण लाभ के वितरण की सुविधा प्रदान करेगा। डीबीटी को सामाजिक बदलाव का एक साधन बनाना सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को चाहिए कि वे सावधानीपूर्वक योजना बनाएं और आधार कार्य तैयार करें। डीबीटी को लागू करने की पहली शर्त है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही आईसीटी आधारित बीसी मॉडल के जरिए लाभार्थियों के दरवाजे पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी गांवों में या तो दरो-दीवार शाखा या शाखाहीन विधि से बैंकिंग केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है।

IV.17 आधार आधारित डीबीटी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 28 जून 2013 को मैसूर में आयोजित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) संगोष्ठी के बाद बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि:

- सभी डीबीटी जिलों में खाता खोलने तथा आधार संख्या को इन खातों के साथ जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएं।
- आधार संख्या को लाभार्थियों के बैंक खातों के साथ जोड़ने में हुई प्रगति की ध्यानपूर्वक निगरानी की जाए।
- आधार संख्या को बैंक खातों के साथ जोड़ने के संबंध में लाभार्थी के अनुरोध की पावती देने की प्रणाली बनाई जाए एवं आधार संख्या को जोड़े जाने की पुष्टि भी भेजी जाए।
- राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ जिला स्तर पर डीबीटी कार्यान्वयन समन्वय समिति बनाई जाए और आधार संख्या को बैंक खातों के साथ जोड़े जाने की समीक्षा की जाए।
- जिला और गांव-वार कार्यरत बीसी के नाम एवं अन्य विवरण/ बैंक द्वारा की गई अन्य व्यवस्था, एसएलबीसी वेबसाइट पर दर्शाई जाए।

- आधार संख्या को बैंक खातों के साथ जोड़ने के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक बैंक में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए तथा प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाए।

राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) - वार्षिक ऋण योजना

IV.18 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों का संशोधन 2012 में किया गया और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली संबंधी टिप्पणी को मासिक तथा त्रैमासिक विवरणी हेतु दिसंबर 2012 से और वार्षिक विवरणी हेतु मार्च 2013 से प्रभावी बनाया गया। वार्षिक ऋण योजना को प्राथमिकता क्षेत्र के व्यापक वर्गीकरण के साथ मिलाने के लिए और चूंकि एसीपी संबंधी डेटा राज्यों एवं जिलों में ऋण के प्रवाह की समीक्षा करने की महत्त्वपूर्ण वस्तु है, एसीपी की विवरणियों में संशोधन किया गया है। वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों सहित उनके उप-क्षेत्रों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, शिक्षा, आवास और अन्य एवं गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मझौले उद्योग, बड़े उद्योग, शिक्षा, आवास तथा अन्य को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। तदनुसार, एसीपी लक्ष्य की विवरणी एलबीएस-एमआईएस-I होगी, संवितरण एवं बकाया की विवरणी एलबीएस-एमआईएस-II होगी और एसीपी की उपलब्धि के साथ-साथ इसका लक्ष्य एलबीएस-एमआईएस-III होगा। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी डीसीसी एवं एसएलबीसी बैठकों में, ऊपर कहे गए अनुसार प्रगति की समीक्षा करें।

जिलों के लिए लीड बैंक का उत्तरदायित्व

IV.19 मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार देश के 644 जिलों में लीड बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया जबकि मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार 630 जिलों को लीड बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया था। छत्तीसगढ़ में बनाए गए नौ नए जिलों में लीड बैंक का उत्तरदायित्व भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा गया। भारतीय स्टेट बैंक को अरुणाचल प्रदेश के एक नए जिले का लीड बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया जबकि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को त्रिपुरा के चार नए जिलों का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

IV.20 वर्तमान में लीड बैंक योजना (एलबीएस) महानगरीय क्षेत्रों के जिलों के अलावा देश के सभी जिलों पर लागू है। 2013-14 के लिए घोषित मौद्रिक नीति में बताया गया है कि वित्तीय वंचन की चुनौती महानगरीय क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से फैली हुई है, खासकर सुविधाहीन एवं निम्न-आय समूहों में। शहरी गरीब के वंचित समूह

को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने तथा सरकार एवं बैंकों के बीच समन्वय हेतु संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए महानगरीय क्षेत्रों के सभी जिलों को एलबीएस के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, महानगरीय क्षेत्रों में 16 जिलों को लीड बैंक का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस प्रकार पूरे देश को लीड बैंक योजना के दायरे में लाया गया है तथा इस योजना के तहत कुल 659 जिलों को शामिल किया गया है।

डीसीसी/डीएलआरसी बैठकों की सूची

IV.21 जिला परामर्शी समिति (डीसीसी)/ जिला-स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों की समीक्षा में पाया गया कि सदस्यों को बैठक के संबंध में विलंब से सूचना प्राप्त होने/ सूचना न प्राप्त होने, अन्य कार्यक्रम का भी उसी समय पर होना इत्यादि कारणवश कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लीड बैंकों को जनवरी 2013 को सूचित किया गया कि वे एसएलबीसी, जो वर्ष की शुरुआत में अपनी त्रैमासिक बैठकों की सूची तैयार करती है, के नियमों के अनुसार बैठक के अध्यक्ष, लोक प्रतिनिधि (डीएलआरसी के मामले में) एवं रिजर्व बैंक के लीड जिला अधिकारी के साथ परामर्श करके समरूप सूची तैयार करें।

ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

अल्पकालिक ऋण सहकारी ढांचा को सरल बनाना

IV.22 तीन-टाइर अल्पकालिक ऋण सहकारी ढांचा (एसटीसीसीएस) के पुनःपूँजीकरण के बाद 41 जिला केंद्रीय

सहकारी बैंक (डीसीसीबी), जिन्हें मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार अत्यधिक वित्तीय घाटा सहना पड़ा, लाइसेंस संबंधी मानदंड को पूरा करने में असमर्थ रहे। ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए संरचनात्मक बाधाओं की जांच करने तथा ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचा को सशक्त करने हेतु अल्पकालिक ऋण सहकारी ढांचा (एसटीसीसीएस) की समीक्षा करने के लिए एक कार्य दल का प्रस्ताव रखा गया। तदनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई 2012 (बॉक्स IV.1) में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई।

वित्तीय समावेशन

बैंकों की तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना

IV.23 जनवरी 2010 में, रिजर्व बैंक द्वारा सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया कि वे बोर्ड-अनुमोदित अप्रैल 2010 से शुरु होने वाली तीन-वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) प्रस्तुत करें। उन्हें सूचित किया गया कि वे अपने बिजनेस की कार्यनीति और तुलनात्मक लाभ के अनुकूल एफआईपी बनाएं और इसे अपनी कॉरपोरेट योजना का अभिन्न अंग बनाएं। इन योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: खोली गई ग्रामीण दरो-दीवार शाखाओं के लिए स्व-निर्धारित लक्ष्य; काम में लगाए गए बीसी; शाखाओं/बीसी/अन्य विधियों से 2,000 से अधिक एवं कम आबादी वाले बैंक रहित गांवों को शामिल करना; खोले गए नो-फ्रिल खाते, जिसमें बीसी-आईसीटी के जरिए खोले गए खाते भी शामिल हैं; जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) एवं

बॉक्स IV.1

अल्पकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी ढांचा (एसटीसीसीएस) के तीन-टाइर की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

2012-13 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, ऋण की लागत कम करने एवं विभिन्न विकल्पों की जांच करने के साथ ही वर्तमान तीन-टाइर संरचना के बदले में दो-टाइर एसटीसीसीएस की स्थापना को व्यवहार्य बनाने के लिए अल्पकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी ढांचा (एसटीसीसीएस) की समीक्षा करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. प्रकाश बक्शी) गठित की गई थी। समिति ने 15 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i) एसटीसीसीएस द्वारा, जिसका गठन प्रमुख रूप से कृषि ऋण का प्रावधान करने के लिए किया गया था, अनिवार्य रूप से कृषि ऋण का कम-से-कम 15 प्रतिशत अपने परिचालन क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए, जिसे बाद में धीरे-धीरे बढ़ाते हुए 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) को अपने ऋण पोर्टफोलियो का कम-से-कम 70 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में निवेश करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई राज्य सहकारी बैंक

या केंद्रीय सहकारी बैंक लगातार खराब प्रदर्शन करता है और कृषि ऋण का 15 प्रतिशत से कम परिचालन क्षेत्र में निवेश करता है, तो उस बैंक को शहरी सहकारी बैंक के रूप में घोषित कर दिया जाएगा तथा मान लिया जाएगा।

ii) चूंकि पीएसीएस के सदस्यों की जमाराशियों को डीआईसीजीसी में शामिल नहीं किया गया है और यह बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा भी नहीं है इसलिए पीएसीएस, एटीएम एवं पीओएस मशीनों में ट्रैजैक्शन/ काम करने योग्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने की स्थिति में नहीं है, अतः सीसीबी को पीएसीएस को अपने बिजनेस कॉरिसपांडेंट (बीसी) के रूप में उपयोग करते हुए इन सेवाओं को सीधे प्रदान करना चाहिए। इसलिए, पीएसीएस के सभी जमाकर्ता एवं उधारकर्ता सीसीबी के सामान्य श्रेयरधारक सदस्य बन जाएंगे जिसमें सभी ठसक्रियड सदस्यों को मताधिकार होगा।

(जारी...)

- iii) केंद्रीय सहकारी बैंक अपनी सीआरएआर एवं एसएलआर आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए अपनी जमाशायियों को राज्य सहकारी बैंकों के पास मीयादी जमाओं के रूप में रखते हैं। तथापि, राज्य सहकारी बैंक द्वारा उसी केंद्रीय सहकारी बैंक को बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान किया जाता है और साथ ही ऋणों में निवेश किया जाता है जो आम तौर पर बड़ी अनर्जक अस्ति (एनपीए) बन जाती है। इसलिए, इन निवेशों को सुरक्षित रखने के उपाय किए जाने चाहिए। संभाव्य उपाय के तौर पर राज्य सहकारी बैंक एवं सीसीबी को खाद्य सहायता संघ ऋण का एक बड़ा हिस्सा दिया जाना चाहिए।
- iv) देश के 370 केंद्रीय सहकारी बैंकों में से, 238 का सीआरएआर पहले से ही 7 प्रतिशत या उससे अधिक है और उनमें से दो तिहाई केंद्रीय सहकारी बैंक अतिरिक्त पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने एवं 2014-15 तक कम-से-कम 7 प्रतिशत और 2016-17 तक 9 प्रतिशत का सीआरएआर बरकरार रखने में सक्षम हैं। 209 केंद्रीय सहकारी बैंकों को 2016-17 तक 9 प्रतिशत का सीआरएआर हासिल करने के लिए लगभग रु. 6500 करोड़ जुटाने होंगे। समिति ने बड़ी हुई सीआरएआर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी निर्माण हेतु विभिन्न विकल्पों का सुझाव दिया है।
- v) कतिपय राज्य सहकारी बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास 4 प्रतिशत सीआरएआर के लाइसेंस संबंधी रियायती मानदंड को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त पूंजी नहीं है। 4 प्रतिशत सीआरएआर हासिल करने के लिए या तो आंतरिक रूप से या किसी दूसरे बाह्य स्रोत के जरिए अपेक्षित पूंजी जुटाने के लिए इन बैंकों के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2013 निर्धारित की गई है और ऐसा न किए जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य विनियामक कार्रवाई की जाएगी।
- vi) लगभग 58 बैंक अपेक्षित पूंजी आम तौर पर नहीं जुटा पाएंगे या उनके बिजनेस का आकार इतना छोटा है कि वे लंबे समय में टिक नहीं पाएंगे और उन्हें अन्य केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ समेकित कर दिया जाएगा।

- प्रत्येक राज्य में एक कार्यदल का गठन, संबंधित हितधारकों के साथ वार्तालाप कर संभाव्य समेकन पर कार्य करने एवं कार्य योजना बनाने के लिए, किया जाएगा।
- vii) अधिकांश केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों को अपनी आंतरिक प्रणाली, मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी अभिग्रहण को बेहतर करने के लिए ठोस कदम भी उठाने होंगे। समिति ने राज्य सहकारी बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के गवर्नेन्स एवं प्रबंधन में सुधार करने के लिए वैद्यनाथन लक्ष्य बल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विभिन्न उपायों का सुझाव भी दिया है।
- viii) रिजर्व बैंक अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र को शामिल करने के लिए किसी भी केंद्रीय सहकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस में संशोधन करेगा जिससे पीएसीएस केंद्रीय सहकारी बैंकों के बीसी के रूप में काम कर सकेगा।
- ix) सभी राज्य सहकारी बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए सीबीएस को पूर्ण रूप से लागू करने एवं आरटीजीएस, एनईएफटी, एटीएम तथा पीओएस डिवाइज आधारित सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 30 सितंबर 2013 होगी।
- x) राज्य सहकारी बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों को पूर्ण रूप से वित्तीय समावेशन एवं ईबीटी अभियान में शामिल किया जाएगा। सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों की जमाशायियों के 7 प्रतिशत का सीआरएआर लक्ष्य हासिल करने वाले एवं सीबीएस पर काम करने वाले राज्य सहकारी बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों में निवेश भी किया जा सकता है।
- xi) केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों को बैंकिंग लोकपाल या रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड के साथ मिलकर विकसित की गई समरूप प्रणाली के दायरे में लाया जाएगा।
- xii) राज्य सहकारी बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों का सीबीएस एवं अन्य आईसीटी प्लेटफॉर्म में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में संस्तुति देने के लिए एक कार्यदल बनाया जाएगा।

जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी); तथा वित्तीय रूप से वंचित समूहों के लिए अन्य उत्पाद। बैंकों को कहा गया है कि वे बोर्ड-अनुमोदित एफआईपी को अपनी बिजनेस संबंधी योजनाओं में सम्मिलित करें एवं अपने स्टॉफ के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय समावेशन के मानदंड को पैरामीटर के रूप में शामिल करें। रिजर्व बैंक द्वारा मासिक आधार पर मात्रात्मक रिपोर्टिंग फार्मेट के जरिए इन योजनाओं के कार्यनिष्पादन की ध्यानपूर्वक निगरानी की गई थी। एफआईपी के गुणात्मक पहलू की निगरानी बैंकों द्वारा प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत की गई गुणात्मक रिपोर्ट के जरिए की गई। हाल में रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन हेतु खोले जाने वाले बुनियादी बचत बैंक जमा खातों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं (बॉक्स IV.2)।

IV.24 बैंकों द्वारा तीन-वर्षीय एफआईपी (अप्रैल 2010 से मार्च 2013) के अंतर्गत महत्वपूर्ण पैरामीटरों के संबंध में की गई प्रगति की झांकी नीचे दी गई है:

- i) गांवों में बैंकिंग केंद्रों की संख्या मार्च 2010 के 67,694 केंद्रों से बढ़कर लगभग 2,68,000 हो गई।
- ii) 3 वर्ष की इस अवधि में लगभग 7400 ग्रामीण शाखाएं खोली गईं जबकि पिछले दो दशकों में लगभग 1300 ग्रामीण शाखाएं कम खोली गईं।
- iii) लगभग 109 मिलियन बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) और खोले गए जिससे बीएसबीडीए की कुल संख्या बढ़कर 182 मिलियन हो गई। आईसीटी आधारित खातों के हिस्से में काफी वृद्धि हुई। कुल बीएसबीडीए की तुलना में आईसीटी खातों का प्रतिशत मार्च 10 के 25 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 13 में 45 प्रतिशत हो गया।
- iv) इस अवधि में लगभग 9.48 मिलियन कृषि क्षेत्र परिवारों के जुड़ जाने से मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार 33.8 मिलियन परिवारों को लघु उद्यमी ऋण प्रदान किया गया।

बॉक्स IV.2

वित्तीय समावेशन के लिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता संबंधी दिशानिर्देश

बैंकों को अपने सभी ग्राहकों को बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) जारी करने का निदेश दिया गया है जिसके जरिए निम्नलिखित निम्नतम आम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:

- i) यह खाता सभी को सामान्य बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएगा।
- ii) इस खाते में कोई निम्नतम शेष रखने की जरूरत नहीं होगी।
- iii) इस खाते के साथ एटीएम कार्ड या एटीएम-सह-डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- iv) इस खाते के जरिए बैंक की शाखाओं के साथ-साथ एटीएम में रुपया जमा करने एवं निकालने; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनल या केंद्र/राज्य सरकार के एजेंसियों एवं विभागों द्वारा आहरित चेक को जमा/संग्रह करने के माध्यम से धन प्राप्त करने/जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी एवं;
- v) महीने में खाते में जमा करने की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं होगी लेकिन खाता धारकों को महीने में एटीएम के साथ-साथ शाखा से अधिकतम चार बार आहरण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त सुविधाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही निष्क्रिय बीएसबीडीए के गैर-परिचालन/ सक्रियन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बैंक, निर्धारित बुनियादी निम्नतम सेवा से परे अतिरिक्त मूल्य-वर्धित सेवाओं की कीमत निर्धारित करने का ढांचा सहित अन्य आवश्यकताओं को किफायती एवं पारदर्शी आधार पर विकसित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसे बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाना चाहिए।

बीएसबीडीए, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक खाता खोलने के संबंध में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) विषय में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगा। यदि खाता सरल केवाईसी मानदंडों के आधार पर खोला गया है तो उसे 'लघु खाता' के रूप में मान लिया जाएगा और वह इस प्रकार के खातों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

यदि किसी ग्राहक का बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता है तो उसे इस खाते को बीएसबीडीए खोलने की तारीख से 30 दिन के अंदर बंद करना होगा।

वर्तमान 'नो-फ्रिल' खाते को बीएसबीडीए में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

- v) इस अवधि में लगभग 2.24 मिलियन गैर-कृषि क्षेत्र परिवारों के जुड़ जाने से मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार 3.6 मिलियन परिवारों को लघु उद्यमी ऋण प्रदान किया गया।

IV.25 तीन वर्ष की अवधि में बीसी के जरिए आईसीटी आधारित खातों में 490 मिलियन से अधिक अंतरण किए गए। आईसीटी आधारित बीसी केंद्रों के जरिए किए जा रहे अंतरणों की संख्या भले ही बढ़ रही है लेकिन इनकी संख्या अभी भी कम है, जबकि बैंकिंग केंद्रों और खातों की संख्याओं में बहुगुणा वृद्धि हुई है। इन खातों के उपयोग की निगरानी पर अब और अधिक ध्यान है, जिसमें बीएसबीडीए की संख्या एवं अंतरण की राशि और साथ ही आईसीटी आधारित बीसी केंद्रों के जरिए संवितरित ऋण की निगरानी की जा रही है।

वित्तीय समावेशन योजना 2013-16

IV.26 बैंकों की 2010-2013 अवधि की प्रथम तीन-वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना समाप्त हो चुकी है (सारणी IV.4)। यद्यपि बैंकिंग सेवाओं को फैलाने एवं बुनियादी बैंक खाते खोलने में पर्याप्त प्रगति हुई है लेकिन आईसीटी आधारित बीसी केंद्रों के जरिए किए गए अंतरणों की संख्या अभी भी बहुत कम है। वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं का एक्सेस सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए

बैंकों को कहा गया है कि वे 2013-16 की अवधि हेतु तीन-वर्षीय एफआईपी बनाएं। बैंकों को अब कहा गया है कि वे अपनी एफआईपी का विसमूहन शाखा स्तर पर करें। वित्तीय समावेशन के प्रयासों में सभी हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का विसमूहन किया जा रहा है।

उच्च-स्तरीय वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति

IV.27 वित्तीय समावेशन एजेंडा की उच्च प्राथमिकता को देखते हुए सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन की ओर बढ़ना रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ-साथ नीतिगत प्राथमिकता रही है। बृहद वित्तीय समावेशन के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने उप गवर्नर की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) का गठन किया। एफआईएसी के सदस्यों में रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के कतिपय निदेशक, एनजीओ से लिए गए विशेषज्ञ एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। सदस्यों की विद्वता एवं अनुभव का लाभ: व्यवहार्य एवं सुस्थिर बैंकिंग सेवा वितरण मॉडल विकसित करने, जो सुग्राह्य एवं किफायती दर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराए; अभी तक बैंकिंग नेटवर्क से न जुड़े ग्रामीण एवं शहरी ग्राहकों के लिए उत्पाद एवं प्रक्रियाओं का निर्माण करने;

सारणी IV.4: वित्तीय समावेशन योजना - आरआरबी सहित सभी बैंकों की प्रगति का सार
(31 मार्च 2013 को स्थिति)

विवरण	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	मार्च 2012 को समाप्त वर्ष	मार्च 2013 को समाप्त वर्ष	अप्रैल 2010-मार्च 2013 के दौरान प्रगति
1	2	3	4	5	6
गांवों में बैंकिंग केन्द्र - शाखाएं	33,378	34,811	37,471	40,837	7,459
गांवों में बैंकिंग केन्द्र - बीसी	34,174	80,802	1,41,136	2,21,341	1,87,167
गांवों में बैंकिंग केन्द्र - अन्य विधि	142	595	3,146	6,276	6,134
गांवों में बैंकिंग केन्द्र - कुल	67,694	1,16,208	1,81,753	2,68,454	2,00,760
बीसी के जरिए कवर किए गए शहरी इलाके	447	3,771	5,891	27,143	26,696
शाखाओं के जरिए खोले गए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	60.19	73.13	81.20	100.80	40.61
शाखाओं के जरिए खोले गए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (राशि ₹ बिलियन में)	44.33	57.89	109.87	164.69	120.36
बीसी के जरिए खोले गए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	13.27	31.63	57.30	81.27	68.00
बीसी के जरिए खोले गए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (राशि ₹ बिलियन में)	10.69	18.23	10.54	18.22	7.53
कुल बीएसबीडीए (मिलियन में)	73.45	104.76	138.50	182.06	108.61
कुल बीएसबीडीए (राशि ₹ बिलियन में)	55.02	76.12	120.41	182.92	127.90
बुनियादी बचत बैंक जमा खातों में ली गई ओडी सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.18	0.61	2.71	3.95	3.77
बुनियादी बचत बैंक जमा खातों में ली गई ओडी सुविधा (राशि ₹ बिलियन में)	0.10	0.26	1.08	1.55	1.45
केसीसी - (संख्या मिलियन में)	24.31	27.11	30.24	33.79	9.48
केसीसी - (राशि ₹ बिलियन में)	1,240.07	1,600.05	2,068.39	2,622.98	1,382.91
जीसीसी - (संख्या मिलियन में)	1.39	1.70	2.11	3.63	2.24
जीसीसी - (राशि ₹ बिलियन में)	35.11	35.07	41.84	76.34	41.23
आईसीटी खाता - बीसी - अंतरण - संख्या मिलियन में	26.52	84.16	155.87	250.46	490.49
आईसीटी खाता - बीसी - अंतरण - राशि ₹ बिलियन में	6.92	58.00	97.09	233.88	388.97

एवं वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता का साथ-साथ चलना सुनिश्चित करने हेतु समुचित विनियामक ढांचा तैयार करने में, उठाया जाएगा।

वित्तीय साक्षरता की गतिविधियां

वित्तीय साक्षरता की पहल

IV.28 वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय सामर्थ्य का निर्माण करना वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण घटक है। इसका मतलब है कि ऐसी वित्तीय शिक्षा दी जाए जिसकी बदौलत व्यक्ति अपनी आर्स्ति का निर्माण एवं उसे कई सालों तक सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं की पहचान और उसका उपयोग कर सके। इसे लोगों की जानकारी, ज्ञान को बेहतर करना चाहिए और उनमें अधिक विश्वास लाना चाहिए तथा उन्हें उनके वित्तीय मामलों के संबंध में अत्यधिक जिम्मेदारी लेने योग्य बनाना चाहिए एवं वित्तीय सेवा हेतु बाजार में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाने योग्य बनाना चाहिए।

वित्तीय साक्षरता केंद्र

IV.29 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोलने संबंधी दिशानिर्देशों में 6 जून 2012 को किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार 718 एफएलसी खोले गए हैं। हमारे केंद्र पर आए लोगों को आंतरिक शिक्षा देने एवं जगरूकता शिविर/चौपाल, गोष्ठियों, संगोष्ठियों एवं लेक्चर जैसे बाहरी क्रियाकलापों के माध्यम से अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की एक वर्ष की अवधि में कुल मिलाकर 2.2 मिलियन लोगों को शिक्षित किया गया।

IV.30 रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय समावेशन हेतु योजनाबद्ध, संरचित एवं समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है। रिजर्व बैंक द्वारा सभी एफएलसी एवं अधिसूचित वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को प्रत्येक माह कम-से-कम एक बाह्य वित्तीय समावेशन शिविर लगाने को कहा गया है। वित्तीय रूप से वंचित समूह को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने के लिए रिजर्व बैंक ने साक्षरता शिविर

लगाने हेतु एक मॉडल आर्किटेक्चर तैयार किया है जिसमें परिचालन संबंधी तौर-तरीका शामिल है जिसके परिणामस्वरूप वंचित लोगों को प्रभावशाली वित्तीय एक्सेस का लाभ होता है। इन शिविरों के दौरान लक्ष्य दर्शकों तक संदेश को पहुँचाने में स्थिरता लाने के लिए रिजर्व बैंक ने व्यापक वित्तीय साक्षरता सामग्री तैयार की है जिसमें वित्तीय साक्षरता गाइड², वित्तीय दैनिकी³ एवं 16 भिन्न पोस्टर⁴ शामिल हैं।

वित्तीय शिक्षा की राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई)

IV.31 एफएसडीसी के तकनीकी समूह के तत्वावधान में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई) बनाई गई। रणनीति में वित्तीय सेवाओं के एक्सेस के संबंध में जगरुकता बढ़ाने एवं लोगों को शिक्षित करने के तरीकों; विभिन्न प्रकार के उत्पादों एवं उनकी सुविधाओं की उपलब्धता; नजरिए को बदलना जिससे ज्ञान जिम्मेदारी भरे वित्तीय व्यवहार में परिणत हो सके; और वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर रहे ग्राहकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी कराने का उल्लेख किया गया है।

IV.32 एनएसएफई को पांच वर्ष की समयावधि के अंदर कार्यान्वित कर दिया जाएगा और इसका उद्देश्य पहले 500 मिलियन वयस्कों के साथ संपर्क स्थापित करने के साथ-साथ उन्हें प्रमुख बचतों, सुरक्षा तथा निवेश आधारित उत्पादों के बारे में जानकारी देना होगा ताकि वे विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बन सकें। यह देश में उपलब्ध ग्राहक रक्षा एवं शिकायत निवारण व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। इन उपायों को एनजीओ और सिविल

सोसाइटी सहित विभिन्न हितधारकों के जरिए जन संपर्क के उपलब्ध सभी चैनलों का उपयोग करते हुए लागू किया जाएगा। एनएसएफई में वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने के पहले कदम के रूप में देश में वित्तीय शिक्षा की जरूरत को लेकर समग्र आकलन उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय शिक्षा के विषय में राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने की परिकल्पना की गई है।

IV.33 एनएसएफई के तहत वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों के प्रयासों को समन्वित करने हेतु संस्थागत प्रणाली के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। एनसीएफई द्वारा वित्तीय शिक्षा के संबंध में देश के लिए एक आम वेबसाइट लागू किया जाएगा।

IV.34 कुल मिलाकर वित्तीय समावेशन एजेंडा को गति प्रदान करने के लिए अत्यधिक प्रयास किए जा रहे हैं और अनेक उपाय किए गए हैं। तथापि सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन का काम बहुत बड़ा है। इस दिशा में प्रयासों को तीव्र करने की जरूरत है। साथ ही बैंकों को वंचित आबादी की मांग को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य वित्तीय समावेशन उत्पाद का वितरण करने में अधिक गहन दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत है। बैंकिंग प्रणाली के लिए वृद्धि के लिए वित्त उपलब्ध कराना मात्र पर्याप्त नहीं है। वे बहुसंख्यक लोग जो ऋण बाजार के दायरे के बाहर हैं उन्हें वित्त का एक्सेस कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण तत्त्व है। इसलिए, रिजर्व बैंक ने वित्तीय एक्सेस को बेहतर करने के अपने प्रयास को मजबूत किया है, विशेषकर लघु कारोबार एवं परिवार के व्यक्ति विशेष हेतु।

² वित्तीय साक्षरता गाइड में धन प्रबंधन, बचत के महत्त्व, बैंकों में बचत राशि जमा करने का लाभ, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं एवं बैंकों से ऋण लेने के लाभ के बारे में मूलभूत धारणाओं की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। यह गाइड वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन में शामिल प्रशिक्षकों के लिए सुलभ संदर्भ मानी जा सकती है।

³ वित्तीय दैनिकी को इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि लक्षित समूह अपनी आय एवं खर्च का अभिलेख रख सके जिससे वे अपने खर्च के संबंध में वित्तीय योजना और समझ को बेहतर कर सकेंगे।

⁴ 16 भिन्न पोस्टरों में धन प्रबंधन, बचत, ऋण एवं आधारभूत बैंकिंग उत्पाद संबंधी संदेश पहुँचाने हेतु शिविरों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के लिए सरल, आकर्षक नारा एवं दृष्य दिया गया है।

रिजर्व बैंक ने, निवेशक आधार में विविधता लाने का प्रयास करते हुए, सरकारी प्रतिभूति बाजार को चलनिधि प्रदान करने की अपनी कोशिश जारी रखी। कॉर्पोरेट बांड बाजार के विकास के लिए भी उपाय किये गये जिससे व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहन मिले तथा रिपो बाजार में चलनिधि बढ़ सके। विदेशी मुद्रा बाजार के उतार-चढ़ाव ने रिजर्व बैंक को अस्थिरता को रोकने और स्थिर विदेशी अंतर्वाहों को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय करने के लिए प्रेरित किया।

V.1 तेजी से उभरती वैश्विक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए, रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार का विकास सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। भलीभाँति विकसित वित्तीय बाजार न केवल मौद्रिक नीति के संप्रेषण में अहम भूमिका निभाने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, बल्कि उनसे बाजार की शक्तियों द्वारा कीमत-निर्धारण भी सुकर हो जाता है। प्रणालीगत जोखिमों का नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए बाजार की कार्य प्रणाली को अबाध गति से जारी रखने के लिए, रिजर्व बैंक ने वृद्धि और विकास को पोषित करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभानी जारी रखी।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

V.2 वित्तीय बाजार, विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति बाजार और कॉर्पोरेट बांड बाजार के कार्यकलापों को बढ़ाने और नियमित करने के उपाय किये गये। सरकारी प्रतिभूति बाजार और संबंधित ब्याज दर डेरिवेटिव क्षेत्र में चलनिधि को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से एक तालमेलपूर्ण प्रयास किया गया है। इसी प्रकार, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं और वित्तीय बाजार के समग्र विकास के लिए भी, भारत सरकार और नियामकों की कार्यसूची में कॉर्पोरेट बांड बाजार का विकास उच्च स्थान पर है। भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार के विकास में सहायता के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। वित्तीय बाजार को विकसित करने के कुछ महत्त्वपूर्ण उपायों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, शामिल हैं (i) सरकारी प्रतिभूति बाजार में चलनिधि बढ़ाने पर बने कार्य समूह की कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन, (ii) प्राथमिक व्यापारियों के लिए टियर III पूंजी को समाप्त करना, (iii) वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और रिपो दिशानिर्देशों की समीक्षा, (iv) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति देना, (v) स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश मानदंडों को शिथिल

करना, (vi) कॉर्पोरेट बांडों में लेन-देन करने के लिए सेबी - अनुमोदित शेयर बाजारों की सदस्यता हेतु स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति, (vii) ऋण चूक स्वैप दिशानिर्देशों की समीक्षा, और (viii) आईआरएस संविदाओं का मानकीकरण।

सरकारी प्रतिभूतियों और ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में चलनिधि बढ़ाने के लिए कार्य समूह की रिपोर्ट

V.3 2011-12 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार बाजार विशेषज्ञों, रिजर्व बैंक के अधिकारियों और अन्य हितधारियों को मिलाकर एक कार्य समूह बनाया गया (अध्यक्ष : श्री आर.गांधी)। इसकी प्रमुख सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित को कार्यान्वित किया गया है:

- नीलामी बोली के समय को 120 मिनट (पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 12:30 तक) से घटाकर 90 मिनट (पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 12:00 तक) करना;
- समान मूल्य और बहु मूल्य फार्मेंट - दोनों के मिश्रण के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करना;
- खजाना बिलों की प्राथमिक नीलामी के निपटान चक्र का T+2 से T+1 आधार में परिवर्तन करना;
- कुछ राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋण का पुनर्निर्गम करना;
- सरकारी प्रतिभूतियों (तत्काल और रिपो) में ओटीसी लेनदेन की द्वितीयक बाजार रिपोर्टिंग का पीडीओ-एनडीएस से क्रमशः एनडीएस-ओएम और क्रोम्स (क्लियरकार्प रिपो आर्डर मैचिंग प्रणाली) में अंतरण;
- आईआरएस (ब्याज दर स्वैप) बाजार में ओआईएस (एक दिवसीय सूचकांक स्वैप) मिबोर (मुंबई अंतर- बैंक प्रस्ताव दर) बेंचमार्क का मानकीकरण करना;

- 2013-14 के बजट में 500 बिलियन रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद/स्विचिंग की घोषणा करना; (बॉक्स V.1)
- सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई की निवेश सीमा में 30 बिलियन अमरीकी डालर तक क्रमिक उर्ध्वगामी संशोधन करना;
- मुद्रास्फीति सूचकांकित बांडों की शुरुआत करना;
- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) पोर्टफोलियो में प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम 50 आधार अंक तक क्रमिक रूप से कमी करना, इसकी शुरुआत जून 2013 को समाप्त तिमाही से की जाए, जब तक कि यह मांग और मीयादी देयताओं के 23 प्रतिशत के स्तर तक न पहुँच जाए।

मुद्रा बाजार

वाणिज्यिक-पत्र के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश

V.4 वाणिज्यिक-पत्र के वर्तमान दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। इसमें शामिल किए गए प्रमुख परिवर्तन नीचे दिए गए हैं।

- विदेशी संस्थागत निवेशकों को निदेश दिया गया है कि वे भारतीय बाजार में निवेश के लिए लागू विभिन्न प्रावधानों का

अनुपालन करें।

- वाणिज्यिक पत्रों में क्रय / विक्रय विकल्पों की अनुमति नहीं है।
- पात्र सहभागी, वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम के लिए किसी एक सेबी-पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करें।
- न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग ए3 (निवेश ग्रेड) होगी।
- वाणिज्यिक पत्र में ओटीसी लेनदेनों का निपटान एनएससीसीएल (राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड)/आईसीसीएल (भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड)/ एमसीएक्स-एसएक्स - सीसीएल (एमसीएक्स-एसएक्स समाशोधन निगम लिमिटेड) के माध्यम से किया जाएगा।
- वाणिज्यिक पत्र में ओटीसी लेनदेनों के लिए निपटान चक्र या तो T+0 अथवा T+1 आधार पर होगा।
- जारीकर्ताओं द्वारा वाणिज्यिक पत्रों की वापसी-खरीद द्वितीयक बाजार के माध्यम से की जाएगी और चालू बाजार मूल्य पर होगी।
- जारीकर्ता और अदाकर्ता एजेंट (आईपीए) वाणिज्यिक पत्रों की वापसी-खरीद के मामले रिजर्व बैंक को सूचित करेंगे।

बॉक्स V.1:

देयता प्रबंधन के लिए वापसी-खरीद / स्विच

कई देशों में ऋण प्रबंधकों द्वारा प्रभावी देयता प्रबंधन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद / स्विच का प्रयोग किया जाता है। देयता प्रबंधन के अलावा, वापसी-खरीद / स्विच परिचालन, ऋण प्रबंधन रणनीति को लचीलापन प्रदान करते हैं, इसको सरकारी प्रतिभूतियों के सक्रिय और निष्क्रिय समेकन के लिए समर्थ बनाते हैं, और बिना ऊपरी सीमा की बाध्यता के वार्षिक परिपक्वता बकेट से सरकारी प्रतिभूतियां जारी करते हैं। सक्रिय समेकन तब होता है जब बकाया छोटी राशि वाली गैर-तरल प्रतिभूतियों की एक या अधिक तरल प्रतिभूतियों में अदला-बदली की जाती है, जबकि निष्क्रिय समेकन प्रतिभूतियों का पुनर्निर्गमन करके होता है। स्विच, अपेक्षाकृत कम ऊपरी सीमा की बाध्यता के साथ जारी की जाने वाली ऑन दी रन प्रतिभूतियों को समर्थ बनाकर, निष्क्रिय समेकन में मदद करता है क्योंकि ऐसी प्रतिभूतियों का शोधन उनकी बकाया राशि के एक भाग की प्रतिभूतियों को विभिन्न परिपक्वता वाली दूसरी प्रतिभूतियों के साथ अदला-बदली करके किया जा सकता है।

नकदी-विहीन वापसी-खरीद का एक दूसरा तरीका है-एसे लेनदेनों को अंतर्वर्ष (अथवा अंतर-वर्ष में भी) में करना, अर्थात् ऐसी बकाया सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद करना जो उसी वर्ष शोधन के लिए देय हैं। यदि वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद को समान राशि के अतिरिक्त बाजार

उधार द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है तो ऐसे लेनदेनों में निवल नकदी का बहिर्गमन होगा। निवल नकदी के बहिर्गमन में वापसी-खरीद तभी संभव होगी जब या तो सरकार के पास राजकोषीय आधिक्य हों अथवा ऐसे लेनदेन के लिए नकदी शेष बनाए गए हों। दूसरी तरफ, सरकारी प्रतिभूतियों का स्विच अपने स्वरूप में हमेशा नकदी-विहीन होता है क्योंकि विशिष्ट परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूति को समकालीन दूसरी परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति में स्वैप किया जाता है।

रिजर्व बैंक अप्रैल 1999 से मौजूदा प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम/पुनः खोलने के माध्यम से निष्क्रिय समेकन की एक नीति का अनुगमन कर रहा है जिससे आय वक्र में प्रतिभूतियों को बेंचमार्क किया जा सके और प्रतिभूतियों की प्रतिमोच्यता तथा चलनिधि में सुधार किया जा सके। 2003 में, एक ऋण वापसी-खरीद योजना उन बैंकों के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई जिन्हें चलनिधि की आवश्यकता थी।

2013-14 के संघीय बजट में 500 बिलियन रुपये तक की एक राशि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद/स्विच की घोषणा की गई है। प्रस्तावित वापसी-खरीद / स्विच का उद्देश्य मुख्य रूप से 2014-15 से 2018-19 तक के परिपक्वता बकेट से शोधन के दबाव को कम करना है।

रिपो दिशा निर्देशों की समीक्षा

V.5 कॉर्पोरेट बांड बाजार में रिपो को और विकसित करने के उद्देश्य से, अब एक वर्ष से कम के मूल परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर कॉर्पोरेट बांड में रिपो की अनुमति दी गई है। एएए/एए+/एए दर वाले कॉर्पोरेट बांडों के लिए, कॉर्पोरेट ऋण रिपो में न्यूनतम मार्जिन अपेक्षा को भी मौजूदा 10%/12%/15% से घटाकर 7.5%/8.5%/10% कर दिया गया है।

कॉर्पोरेट बांड बाजार

कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा - अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति देना

V.6 व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहन देने और कॉर्पोरेट बांड बाजार में रिपो में चलनिधि को बढ़ाने की दृष्टि से, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अक्टूबर 2012 से रिपो बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई है बशर्ते वे भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हों।

कॉर्पोरेट बांडों में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश मानदंडों में शिथिलता

V.7 कॉर्पोरेट बांड बाजार में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका को बढ़ाने की दृष्टि से, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: (i) प्राथमिक व्यापारियों को, मांग/सूचना मुद्रा बाजार उधारों के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च की समाप्ति पर निवल स्वाधिकृत निधियों के 225 प्रतिशत की समग्र अनुमत औसत पाक्षिक सीमा के अंतर्गत, कॉर्पोरेट बांडों में निवेश के लिए निवल स्वाधिकृत निधि के 50 प्रतिशत की एक उप सीमा की अनुमति दी जाए; (ii) प्राथमिक व्यापारियों को, निवेश करने वाले प्राथमिक व्यापारी की कुल पूंजी निधियों के 10 प्रतिशत की सीमा तक, अन्य प्राथमिक व्यापारियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी टीयर II बांडों में निवेश की अनुमति दी जाए; (iii) प्राथमिक व्यापारियों को, अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियों के माध्यम से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च की समाप्ति पर निवल स्वाधिकृत निधि के 150 प्रतिशत की सीमा तक उधार की अनुमति दी जाए।

कॉर्पोरेट बांडों में लेन-देन के लिए सेबी अनुमोदित शेयर बाजार में सदस्यताथ स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों को अनुमति।

V.8 भारत में ऋण बाजार को और विकसित करने की दृष्टि से, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों

को, कॉर्पोरेट बांडों में स्वामित्व लेन-देन करने के प्रयोजन से, सेबी अनुमोदित शेयर बाजार का सीमित सदस्य होने की अनुमति दी गई है।

विदेशी मुद्रा बाजार

V.9 विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने इस अस्थिरता को रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उदारीकरण प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखने के साथ-साथ, कार्यप्रणाली को तर्कसंगत तथा सरल बनाने और विदेशी अंतर्वाहों को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत उपाय किए गए।

विदेशी निवेश

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

V.10 विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामक ढांचे को और उदार बनाने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए।

V.11 उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को (i) जिनका 75 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश है, और (ii) जिनका 50 मिलियन अमरीकी डालर का न्यूनतम पूंजीकरण है, कार्यशील अनुषंगी संस्थाओं की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के और बिना अतिरिक्त पूंजी लाए, विशिष्ट एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए उप अनुषंगी संस्थाएं बनाने की अनुमति दी गई। एक बार जब न्यूनतम पूंजीकरण की अपेक्षा पूरी हो जाए तो यह विनियमन, बिना अतिरिक्त निधियां लाए, उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी उप अनुषंगी संस्थाएं बनाने के लिए सक्षम बनाएगा जिनका विदेशी निवेश 100 प्रतिशत से कम लेकिन 75 प्रतिशत से अधिक है।

V.12 एफडीआई नीति को और उदार बनाने के लिए, सरकारी मार्ग के अंतर्गत सिंगल-बांड रिटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई, मल्टी-ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत एफडीआई और पावर एक्सचेंजों में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, विदेशी हवाई कंपनियों को सरकारी मार्ग के अंतर्गत भारतीय कंपनियों में निवेश करने तथा अपनी चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं परिचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

V.13 उन मामलों में, जहां अनिवासी (अनिवासी भारतीयों सहित) मेमोरेडम ऑफ एशोसिएशन के लिए आवेदन के द्वारा कॉर्पोरेट अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन में, किसी

भारतीय कॉर्पोरेट में निवेश करते हैं, तो यह निवेश अंकित मूल्य पर किया जाए बशर्ते कि एफडीआई योजना के अंतर्गत उनकी निवेश करने की पात्रता हो। मूल्यन मानदंडों को शिथिल करने से कानून की अपेक्षानुसार एक कॉर्पोरेट स्थापित करने में आसानी होगी।

V.14 किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पाकिस्तान का नागरिक है, अथवा पाकिस्तान में गैर-निगमित किसी कॉर्पोरेट को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कॉर्पोरेट के शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते ऐसे एफडीआई को प्राप्त करने वाली भारतीय कॉर्पोरेट रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र/क्रियाकलाप तथा विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र/क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है अथवा संलग्न नहीं होगी।

विदेशी फोर्टफोलियो निवेश

V.15 सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट ऋण में एफआईआई और लंबी अवधि वाले निवेशकों के निवेश की मौजूदा ऋण सीमा दो वर्गों में विलयित कर दिया गया है, अर्थात् (i) सरकारी ऋण सीमा (25 बिलियन अमरीकी डालर की सरकारी प्रतिभूतियां) और (ii) कॉर्पोरेट ऋण सीमा (51 बिलियन अमरीकी डालर की कॉर्पोरेट प्रतिभूतियां)। न्यूनतम अवरुद्ध अवधि और अवशिष्ट परिपक्वता संबंधी अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है। सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश की सीमा को 5 बिलियन बढ़ाकर 30 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है। सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश के लिए 5 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ी हुई सीमा केवल बीमा / धर्मादा निधि, विदेशी केंद्रीय बैंकों के लिए उपलब्ध होगी।

V.16 विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति दी गई है कि वे नकदी खंड में संपार्श्विक के रूप में कॉर्पोरेट बांडों में अपने निवेश का उपयोग करें तथा फ्यूचर्स और ऑप्शंस खंड में संपार्श्विक के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों तथा कॉर्पोरेट बांडों का उपयोग करें। इस प्रकार, विदेशी संस्थागत निवेशक, नकदी और फ्यूचर्स तथा ऑप्शंस खंड में सरकारी प्रतिभूतियों/कॉर्पोरेट बांडों, नकदी तथा एएए रेटिंग वाली विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को ऑफर करने के पात्र हैं।

V.17 विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति दी गई है कि वे शर्तों के अधीन, किसी खास तिथि को भारत में इक्विटी में संपूर्ण

निवेश और/ अथवा ऋण के बाजार मूल्य पर, अपने करेंसी जोखिम को हेज करने के लिए किसी श्रेणी I प्राथमिक व्यापारी से संपर्क कर सकते हैं। अपने किसी उप खाताधारी के मुद्रा जोखिम को हेज करने के इच्छुक एफआईआई को इस प्रयोजन के लिए उप खाताधारी से मैनडेट प्राप्त करना होगा। प्राधिकृत व्यापारियों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित उप खाता में रखी गई प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य की तुलना में संविदा की पात्रता के साथ इसका सत्यापन करें। इसके अलावा, यदि कोई एफआईआई इच्छा करता है कि वह अपने पास धारित उन प्रतिभूतियों के किसी हिस्से से संबंधित एक्सपोजर के लिए विदेशी मुद्रा हेज संविदा करे, जिन पर उसने पीएन / ओडीआई जारी किया है, तो उसे इस प्रयोजन के लिए पीएन / ओडीआई धारक से एक मैनडेट प्राप्त करना होगा।

V.18 यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय निक्षेपागार रसीद (आईडीआर) के लिए सीमित द्विमार्गीय प्रतिमोच्यता की अनुमति दी जाए, यह एडीआर / जीडीआर के लिए उपलब्ध सीमित द्विमार्गीय प्रतिमोच्यता सुविधा के समान है।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत व्यक्तियों को उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा के लिए बनी समिति की रिपोर्ट

V.19 2011-12 के वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा के अनुसरण में और फेमा के वर्तमान नियामक ढांचे के अंतर्गत निवासी / अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों जैसे व्यक्तियों के वास्तविक विदेशी मुद्रा लेन-देनों को आसान बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, रिजर्व बैंक ने एक समिति बनायी (अध्यक्ष: श्रीमती के.जे. उदेशी)। समिति में बाह्य विशेषज्ञ, चुनिंदा प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के प्रतिनिधि, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ और भारतीय बैंक संघ शामिल हैं।

V.20 समिति ने 31 सिफारिशों कीं और रिजर्व बैंक ने उनमें से 20 को कार्यान्वित किया है; आठ सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है तथा शेष को सरकार के साथ विचार-विमर्श करके लागू किया जा रहा है।

V.21 बैंक, सामान्य मार्जिन अपेक्षाओं के अधीन, अब बिना किसी उच्चतम सीमा के, जमाकर्ताओं अथवा तृतीय पक्षकारों की एनआर(ई) आरए और एफसीएनआर(बी) की जमाराशियों पर निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं (भारत में रुपया उधार तथा भारत / भारत के बाहर विदेशी मुद्रा उधार) प्रदान कर सकते हैं।

बांग्लादेशी राष्ट्रीयता के व्यक्तियों द्वारा एनआरओ खाता खोला जाना

V.22 प्राधिकृत बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे कतिपय शर्तों के अधीन, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना, बांग्लादेशी राष्ट्रीयता के व्यक्तियों के लिए एनआरओ खाते खोलें।

प्राधिकृत व्यापारियों की पोज़ीशन सीमा संबंधी दिशानिर्देशों को तर्कसंगत बनाना

नूपल और एजीएल के बारे में दिशानिर्देश

V.23 नए दिशानिर्देशों के अनुसार, निवल एक दिवसीय ओपेन पोज़ीशन सीमा (नूपल) बैंक के बोर्ड द्वारा निश्चित की जाए और तत्काल रिज़र्व बैंक को सूचित की जाए। लेकिन, ऐसी सीमा बैंक की कुल पूंजी (टीयर I और टीयर II पूंजी) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

V.24 इसके अतिरिक्त, वर्तमान में, यह निर्णय लिया गया है कि मुद्राओं में से एक रुपये के मामले में, प्राधिकृत व्यापारियों की ओपेन पोज़ीशन सीमा पर लगे प्रतिबंधों (एक दिवसीय और अंतर्दिवसीय ओपेन पोज़ीशन - दोनों पर) को हटा लिया जाए।

V.25 तथापि, निम्नलिखित अनुदेश प्रभावी रहेंगे। शेयर बाजार की पोज़ीशन (फ्यूचर्स और ऑप्शंस - दोनों) को ओटीसी बाजार में ली गई पोज़ीशन से निवलीकृत / समंजित नहीं किया जा सकता है तथा इसके विपरीत स्थिति में इसके प्रतिकूल स्थिति होगी। शेयर बाजार में ली गई पोज़ीशन को केवल शेयर बाजार में ही परिसमाप्त / समाप्त किया जाएगा।

V.26 फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लेनदेन के लिए शेयर बाजार में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के ट्रेडिंग सदस्य के लिए पोज़ीशन सीमा 100 मिलियन अमरीकी डालर अथवा बकाया खुले ब्याज का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, होगी। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को अब सलाह दी गई है कि वे करेंसी फ्यूचर्स / एक्सचेंज ट्रेडिड ऑप्शंस बाजार में कोई स्वामित्व ट्रेडिंग न करें। करेंसी फ्यूचर्स बाजार में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा किए गए लेनदेन अनिवार्य रूप से उनके ग्राहकों की तरफ से होने चाहिए।

विदेश (ऑफसोर) में एक्सपोजर

V.27 विदेश में कार्यरत बैंकों के लिए, विदेश में एक्सपोजर की गणना स्टैण्डएलोन आधार की जानी चाहिए और इसे देश (ऑनसोर) में उसके एक्सपोजर के साथ निवलीकृत नहीं किया जाना

चाहिए। सकल सीमा (देश और विदेश में) को निवल एक-दिवसीय ओपेन पोज़ीशन (नूप) का नाम दिया जाएगा और यह पूंजी प्रभार के अधीन होगी। ओपेन पोज़ीशन की गणना के लिए विदेशी शाखाओं के संचित अधिशेष की गणना किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

सकल अंतराल सीमा (एजीएल)

V.28 नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सकल अंतराल सीमा को संबंधित बैंकों के बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाए और तत्काल रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाए। लेकिन, ऐसी सीमा बैंक की कुल पूंजी (टीयर I और टीयर II पूंजी) के 6 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

V.29 उन प्राधिकृत व्यापारियों को, जिन्होंने विदेशी मुद्रा अंतराल जोखिम के सकलीकरण के लिए अवधि-वार पीवी01 सीमा और मूल्य जोखिम जैसे बड़े-बड़े उपाय किये हैं, सकल अंतराल सीमा के स्थान पर उनकी पूंजी, जोखिम वहन क्षमता, आदि पर आधारित अपनी-अपनी पीवी 01 और जोखिम मूल्य सीमा निर्धारित करने की अनुमति दी गयी है और इसकी सूचना रिज़र्व बैंक को दी जाएगी। इस सीमा की कार्यविधि और गणना को एक आंतरिक नीति के रूप में स्पष्ट रूप से प्रलेखीकृत किया जाना चाहिए और इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

V.30 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की जमानत पर, देश में लिये गये विदेशी मुद्रा ऋणों से होने वाले विनिमय दर जोखिमों से हेजिंग के लिए, लागत - कटौती ढांचा अपनाने की अनुमति दी गयी है।

V.31 चालू और पूंजी खाता लेन-देनों को हेज करने के लिए निवासियों द्वारा बुक की गई ऐसी वायदा संविदाओं, जिनमें रुपया मुद्राओं में से एक है, के निरस्तीकरण और पुनः बुक करने की सुविधा की अनुमति नहीं है।

V.32 तथापि, यदि एक वर्ष से अधिक अवधि के पूंजी खाता लेन-देनों को हेज करने के लिए निवासियों द्वारा बुक की गई वायदा संविदा को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ निरस्त किया जाता है, तो उन्हें दूसरे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ निम्नलिखित दशाओं के अधीन पुनः बुक किया जा सकता है:

- प्रस्ताव पर प्रतियोगी दरों के कारण स्विच आवश्यक है, उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ बैंकिंग संबंध समाप्त करना जिसके साथ संविदा मूल रूप से बुक की गयी थी;
- संविदा की परिपक्वता तिथि पर निरस्तीकरण और पुनः बुकिंग एक साथ की जाती है; और

iii) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि मूल संविदा निरस्त कर दी गयी है, उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक पर है जिसने संविदा की पुनः बुकिंग की है।

V.33 समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि निवासियों द्वारा किये गये सभी लेनदेनों को हेज करने के लिए, संविदाओं के रोलओवर के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ स्वच की शिथिलता प्रदान की जाए।

मुद्रा अंतरण सेवा योजना - संशोधित दिशानिर्देश

V.34 रिजर्व बैंक द्वारा हाल में, आवश्यक केवाईसी / एएमएल/सीएफटी मानदंडों के साथ जारी किए गए मुद्रा अंतरण सेवा योजना संबंधी संशोधित दिशानिर्देश भारतीय एजेंटों को मुद्रा अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत कार्य करने में मदद करेंगे। इससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि सुनिश्चित होगी तथा प्रेषण की लागत और समय, दोनों में कमी आएगी।

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता

V.35 ईईएफसी खाता धारकों को इस शर्त के अधीन अपने विदेशी मुद्रा अर्जनों का 100 प्रतिशत अपने पास रखने की अनुमति दी गयी है कि एक कैलेंडर माह के दौरान उनके खाते में उपचय के कुल जोड़ को अगले कैलेंडर माह के अंतिम दिन या पहले रूप में कनवर्ट किया जाए, अनुमोदित प्रयोजनों और वायदा प्रतिबद्धताओं के शेषों के उपयोग के समायोजन के पश्चात ऐसा किया जाए।

निर्यातकों के लिए सेवाओं / सुविधाओं पर तकनीकी समिति

V.36 निर्यात क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए, विशेष रूप से वर्तमान परिदृश्य में, रिजर्व बैंक ने निर्यातकों के लिए सेवाओं / सुविधाओं पर एक तकनीकी समिति गठित की है (अध्यक्ष: श्री जी. पद्मनाभन)। समिति को संदर्भित विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं - निर्यात के लिए बैंक वित्त से संबंधित वर्तमान नीतियों / कार्यप्रणाली की समीक्षा करना और कार्यशील पूंजी, पूंजी व्यय के लिए सामायिक, पर्याप्त तथा बाधा रहित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने और क्षेत्र की अन्य अपेक्षाओं, विशेष रूप से एसएमई इकाइयों के लिए उपाय सुझाना। इसके अलावा, दस्तावेजीकरण, लेनदेन लागत / संक्रमण अवधि से संबंधित मामलों सहित वर्तमान कार्यप्रणाली को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए उपाय करना, खास तौर पर विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित निर्यात इकाइयों की विशिष्ट आवश्यकताओं की जांच करना भी समिति को संदर्भित विषयों का हिस्सा है।

V.37 समिति ने अप्रैल 2013 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुशंसाएं कीं - (i) निर्यातकों को निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए स्वर्ण कार्ड योजना की समीक्षा करना; (ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के अंतर्गत निर्यात वित्त का समावेशन करना, जैसा उचित हो; (iii) निर्यातकों को निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए पूल आधार पर विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना; (iv) नॉन रिपोर्ट्स आधार पर फैक्ट्रिंग की अनुमति देना; (v) देशी प्रशुल्क क्षेत्र / विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों का वित्त पोषण करना; (vi) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण सीमा को मूल्यवर्गित करना; और (vii) हेजिंग प्रक्रिया को सरल बनाना।

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति

V.38 जिन कंपनियों की जांच चल रही हो, उनके मामले में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी सभी कंपनियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जांचों / न्याय-निर्णयनों / अपीलों के विचाराधीन रहने के बावजूद और ऐसी जांचों / न्याय-निर्णयनों / अपीलों के परिणाम पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, चालू मानदंडों के अनुसार स्वचालित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, उन आवेदनों के मामले में जहां पर उधार लेने वाले कॉर्पोरेट ने विचाराधीन जांच / न्याय-निर्णयन / अपील के बारे में सूचित किया है, प्राधिकृत व्यापारी ऐसे प्रस्ताव अनुमोदित करते समय अनुमोदन-पत्र की एक प्रतिलिपि पृष्ठांकित करते हुए संबंधित एजेंसियों को सूचना दें। इसी प्रकार की कार्यप्रणाली रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय अपनायी जाएगी।

V.39 इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति दी गयी है कि वे अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत, घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिये गये बकाया रुपया ऋणों को चुकाने के लिए तथा / अथवा नये रुपया पूंजी व्यय के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं। ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधारों की समग्र सीमा 10 बिलियन अमरीकी डॉलर है। उधार लिये जाने वाले बाह्य वाणिज्यिक उधारों की अधिकतम सीमा, निकटतम पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जुटाए गये औसत विदेशी मुद्रा अर्जनों का 75 प्रतिशत अथवा निकटतम पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक में जुटाए गये उच्चतम विदेशी मुद्रा अर्जनों का 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, है। अधिकतम बाह्य वाणिज्यिक उधार, जो इस योजना के अंतर्गत, कुल मिलाकर, किसी कॉर्पोरेट अथवा समूह द्वारा लिया जा सकते हैं, की सीमा 3 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

V.40 निगमन की तिथि से कम-से-कम एक वर्ष पूरा करने वाली विशेष प्रयोजन संस्थाओं को भी उक्त योजना की सीमा में लाया गया। उधार लिए जा सकने वाले ईसीबी की अधिकतम अनुमेय सीमा को, पिछले वित्त वर्ष के दौरान जुटाए गए वार्षिक निर्यात अर्जनों का 50 प्रतिशत रखा गया है।

V.41 इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों को, कतिपय शर्तों के अधीन, पूँजीगत माल आयात करने के लिए अधिकतम पांच वर्ष तक का व्यापार ऋण लेने की अनुमति दी गई है।

V.42 स्वचालित मार्ग के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों को, दीर्घावधिक ईसीबी के साथ पूँजीगत माल आयात करने के लिए पूरक वित्त के पुनर्विच्ययन (यदि यह क्रेता/आपूर्तकर्ता का ऋण है) की अनुमति दी गई है।

V.43 यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं के रूप में, चाहे यह कोई भी भौगोलिक स्थान हो, भारतीय कंपनियों को होटल क्षेत्र में शामिल किया जाए (जिनकी कुल परियोजना लागत 250 करोड़ रुपये अथवा अधिक है)। प्राधिकृत व्यापारी रिजर्व बैंक को ईसीबी आवेदन भेजते समय परियोजना लागत की पुष्टि करें।

V.44 यह निर्णय लिया गया है कि स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एनबीएफसी- इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों के लिए, बकाया ईसीबी के साथ, ईसीबी सीमा को उनकी स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर उनकी स्वाधिकृत निधियों के 75 प्रतिशत तक कर दिया जाए। अपनी स्वाधिकृत निधियों के 75 प्रतिशत से अधिक की इच्छुक एनबीएफसी-इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों को रिजर्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी और इसलिए इन्हें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत माना जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि करेंसी जोखिम की हेजिंग अपेक्षा को उनके एक्सपोजर के 100 प्रतिशत से घटाकर उनके एक्सपोजर के 75 प्रतिशत तक कर दिया जाए।

V.45 माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत उद्दिष्ट उपयोगों के लिए, एक वित्त वर्ष के दौरान 10 मिलियन डॉलर अथवा उसके बराबर ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई है। माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं / गैर सरकारी संगठनों के ईसीबी को पूरी तरह हेज किया जाएगा। गिरावट के समय निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यापारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उधारकर्ता का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पूरी तरह हेज किया गया है।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) के लिए योजना

V.46 विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की वापसी-खरीद की कार्यप्रणाली को सरल बनाया गया है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की वापसी-खरीद को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत संवर्धित मूल्य पर 5 प्रतिशत की न्यूनतम छूट पर अनुमति दी गयी है। एफसीसीबी की वापसी-खरीद/पूर्व भुगतान, जो 31 मार्च 2013 को समाप्त हुई, 31 दिसंबर 2013 तक जारी रहेगी और इसके पश्चात् यह समाप्त हो जाएगी। यह उन मौजूदा उपायों के अलावा है जो स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के शोधन और अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के पुनर्गठन के लिए नये ईसीबी / विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की अनुमति देते हैं।

कम लागत के किफायती आवास

V.47 कम लागत की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत, अनुमत अंतिम प्रयोग के रूप में, बाह्य वाणिज्यिक उधारों की अनुमति दी गयी है। ऐसा बाह्य वाणिज्यिक उधार कम लागत की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए विख्यात डेवलपर्स / बिल्डरों (न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव) द्वारा, 3 बिलियन रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि वाली आवास वित्त कंपनियों द्वारा, और कम लागत की किफायती आवास इकाइयों के संभावित मालिकों के वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लिया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए इस प्रकार के बाह्य वाणिज्यिक उधार में प्रत्येक के लिए एक बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा निर्धारित की गयी है।

2जी स्पेक्ट्रम के लिए पूरक वित्त / दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार सुविधा

V.48 आगामी 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन के सफल बोलीकर्ता स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए सरकार को प्रारंभिक भुगतान करने हेतु पूरक वित्त का उपभोग कर सकते हैं और उसको दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ये दोनों स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आएंगे। जिन सफल बोलीकर्ताओं ने 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए देश में उधारदाताओं से लिये गये रुपया ऋण में प्रारंभिक भुगतान किया है, वे दीर्घावधि बाह्य वाणिज्यिक उधार लेकर स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, ऐसे रुपया ऋण के पुनर्विच्ययन के पात्र होंगे। 2जी नीलामी के सफल बोलीकर्ताओं को अपने अंतिम मूल कॉर्पोरेट से, इस शर्त के अधीन, बिना किसी अधिकतम ईसीबी देयता-ईक्विटी अनुपात के, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, ईसीबी का

उपभोग करने की अनुमति होगी कि उधारदाता, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उधारकर्ता कॉर्पोरेट में 25 प्रतिशत की न्यूनतम चुकता इक्विटी रखे।

भारत के लिए धन उगाहने और प्रत्यावर्तन करने की अवधि

V.49 माल अथवा सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य की राशि को भारत के लिए उगाहने और उसका प्रत्यावर्तन करने की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 12 महीने तक निर्यात तिथि से 31 मार्च 2013 तक किया गया था। इस मामले की समीक्षा की गयी है और सरकार के साथ विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि धन उगाहने की अवधि को, तत्काल प्रभाव से, निर्यात की तिथि से 12 महीने से घटाकर 9 महीने कर दिया जाए जो 30 सितंबर 2013 तक वैध होगी।

V.50 भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र / निर्यात संवर्धन क्षेत्र / 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई / देशी प्रशुल्क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे सॉफ्टवेयर निर्यातक, जिनका वार्षिक कारोबार कम-से-कम 10 बिलियन रुपये है या जो अखिल भारतीय आधार पर वर्ष भर में कम से कम 600 सॉफ्टवेक्स फॉर्म भरते हैं, 1 जनवरी 2013 से संशोधित फॉर्मेट में विवरण प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

निर्दिष्ट बैंकों / एजेंसियों द्वारा स्वर्ण का आयात

V.51 स्वर्ण के संबंध में बने कार्यदल ने (अध्यक्ष: श्री के.यू.बी. राव) स्वर्ण आयात विनियमों को शेष आयात के विनियमों के अनुरूप बनाने की सिफारिश की। निर्दिष्ट बैंकों द्वारा आयातित थोक सोना परेषण आधार पर होता है, जिसके लिए निर्दिष्ट बैंकों को इस स्टॉक के लिए निधि नहीं प्रदान करनी पड़ती है। घरेलू उपयोग के लिए सोने की मांग को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि स्वर्ण आभूषण के निर्यातकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करते हुए बैंकों द्वारा परेषण आधार पर, सोने के आयात को सीमित किया जाए। तदनुसार, सरकारने पर देय प्रलेख के आधार पर सोने के आयात को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी वर्गों के अंतर्गत सोने के आयात के लिए निर्दिष्ट बैंकों / एजेंसियों द्वारा खोले जाने वाले सभी साख-पत्र केवल 100 प्रतिशत नकद मार्जिन आधार पर होंगे। इसके पश्चात 8 जुलाई को कुछ और उपाय किये गये जिनके द्वारा बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया कि वे करेंसी फ्यूचर्स / ऑप्शन बाजार में केवल अपने ग्राहकों की तरफ से ही लेनदेन करें। इसके पश्चात, 22 जुलाई को रिजर्व बैंक ने निर्दिष्ट बैंकों / निर्दिष्ट एजेंसियों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालकर सोने के

आयात को तर्कसंगत बनाया कि सोने के आयात के प्रत्येक समूह का कम-से-कम पांचवा हिस्सा निर्यात के प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराया जाए।

उगाहे न गए निर्यात बिलों को ‘‘बट्टे खाते डालना’’

V.52 पूर्व में, निर्यातकों को बट्टे खाते डालने के सीमित अधिकार दिये गये थे, और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के बैंकों को अनुमति दी गयी थी कि वे, *अन्य बातों के साथ-साथ*, इस शर्त के अधीन निर्यातकों द्वारा किये गये ‘‘बट्टे खाते डालने’’ के अनुरोधों को स्वीकार करें कि निर्यातकों को उनके द्वारा लिए गए संबंधित पोतलदानों के निर्यात प्रोत्साहनों को आनुपातिक रूप से वापस करना होगा। कार्यप्रणाली को सरल और उदार बनाने के लिए तथा निर्यातकों और प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए अनुदेशों की समीक्षा की गयी है और न उगाहे गए निर्यात बिलों को, कतिपय शर्तों के अधीन ‘‘बट्टे खाते डालने’’ की सीमाओं को नीचे लिखे तरीके से उदार बनाया गया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

V.53 भारतीय पक्षकारों द्वारा पाकिस्तान में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए 7 सितंबर 2012 से अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गयी है।

V.54 पहले, *नवरत्न* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और आइल इंडिया लिमिटेड को तेल क्षेत्र की विदेशी अनिगमित कंपनियों में (तेल और प्राकृतिक गैस आदि की खोज और खुदाई के लिए) निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसे अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत बिना किसी सीमा के सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। समीक्षा करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि इस सुविधा को *नवरत्न* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और आइल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल क्षेत्र के गैर-निगमित संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के विदेशी निवेशों की सीमा तक (तेल और प्राकृतिक गैस आदि की खोज और खुदाई के लिए) बढ़ाया जाए और इसे स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

V.55 यह पाया गया गया है कि पात्र भारतीय पक्षकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्वचालित मार्ग का उपयोग ऐसे ढांचे बनाने के लिए कर रहे हैं जो करेंसी, प्रतिभूति और पण्यों की ट्रेडिंग में मदद करते हैं। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने पाया कि ऐसे ढांचों ने भारतीय रुपए से संबद्ध वित्तीय उत्पादों को ऑफर करना शुरू

कर दिया है (अर्थात गैर-सुपुर्दगी योग्य ट्रेड जिसमें विदेशी मुद्रा, रुपया विनिमय दर, भारतीय बाजार से संबद्ध शेयर सूचकांक, आदि शामिल है)।

V.56 यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी किसी विदेशी कंपनी को, जिसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इक्विटी सहभागिता है, ऐसे उत्पादों को रिजर्व बैंक के विशेष अनुमोदन के बिना ऑफर नहीं करना चाहिए क्योंकि वर्तमान में रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है और ऐसे उत्पादों का देश के विदेशी मुद्रा प्रबंधन पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे उत्पाद के निर्गम को सुकर बनाने की किसी भी कोशिश को फेमा का उल्लंघन माना जाएगा और फेमा, 1999 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

डेरिवेटिव बाजार

ऋण चूक स्वैप दिशानिर्देशों की समीक्षा

V.57 ऋण चूक स्वैप में सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए, वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है। कुछ उपाय किए गए हैं: (i) सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बांडों के अतिरिक्त, गैर-सूचीबद्ध लेकिन रेटेड कॉर्पोरेट बांडों में, साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को छोड़कर अन्य निर्गमों में भी, ऋण चूक स्वैप की अनुमति दी गयी है; (ii) प्रयोक्ताओं को अनुमति दी गयी है कि वे आपसी सहमति से अथवा फिममडा मूल्य पर मूल सुरक्षा विक्रेता के साथ अपनी ऋण चूक स्वैप क्रय पोजीशन को अनवाइंड करें। यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो फिममडा मूल्य पर मूल सुरक्षा विक्रेता के साथ अनवाइंड करना होगा; और (iii) वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर जैसी एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों तथा संदर्भ / सुपुर्दगी योग्य दायित्वों के रूप में एक वर्ष से कम मूल परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों पर ऋण चूक स्वैप की अनुमति दी गई है।

ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) संविदाओं का मानकीकरण

V.58 भविष्य में लेनदेन में सुधार के लिए और आईआरएस संविदाओं के केन्द्रीकृत समाशोधन और निपटान को आसान बनाने के लिए, आईआरएस संविदाओं को मानकीकृत किया गया है। न्यूनतम आनुमानिक मूल राशि, अवधि, लेनदेन के घंटों, निपटान गणनाओं, आदि में आईआरएस संविदाओं का मानकीकरण प्राप्त कर लिया गया है। शुरू में, रुपया मुंबई अंतर-बैंक प्रस्ताव दर (मिबोर)- एक दिवसीय सूचकांक स्वैप संविदाओं, जो सर्वाधिक तरल हैं, के लिए मानकीकरण अनिवार्य बनाया गया है। ग्राहक लेनदेनों को छोड़कर सभी आईआरएस संविदाओं के लिए मानकीकरण अपेक्षा आवश्यक है।

रिजर्व बैंक विकास और विनियमन के एजेडे को साथ-साथ रखकर कार्य कर रहा है

V.59 रिजर्व बैंक वित्तीय बाजार के विकास और उसके विनियमन, दोनों को आगे बढ़ाने के लिए एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अपना रहा है। इस दृष्टिकोण के एक अंग के रूप में, बाजार की शक्तियों द्वारा कीमत-निर्धारण की बेहतर परिस्थितियों के लिए और वित्तीय बाजार की गहनता तथा व्यापकता, दोनों को बढ़ाने के लिए संरचनागत जड़ताओं को दूर किया जा रहा है। बाजार खंडों के बीच अंतर-संबद्धताओं को विकसित करने और मजबूत करने, प्रतियोगिता को बढ़ावा देने, उत्पादों और बाजार व्यवहारों में नवोन्मेष के माध्यम से मेन्यू विकल्प को बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं। बाजार क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित करने के लिए नियामक, वैधानिक, संस्थागत और प्रौद्योगिकीय इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। विभिन्न बाजारों और स्थानों में स्पिलओवर की बढ़ती कृत्रिमता और संभावना के कारण, बाजार संबंधी विनियमनों को मजबूत करना महत्वपूर्ण हो गया है जिससे वित्तीय अस्थिरता के तुलन-पत्रात्मक प्रभावों को सीमित किया जा सके।

VI

विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

वित्तीय प्रणाली का केंद्रित विनियमन और पर्यवेक्षण वित्तीय स्थिरता का प्रमुख घटक है। इसे ध्यान में लेते हुए रिजर्व बैंक ने सक्रिय विनियमन और पर्यवेक्षण पर काफी ध्यान दिया है। वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र इस समय अच्छी तरह से पूंजीकृत बना हुआ है हालांकि लाभप्रदता में कमी और बकाया ऋण में वृद्धि बासेल III की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए भविष्य में पूंजी की आवश्यकता ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। इस क्षेत्र के समग्र कार्य में सुधार लाने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी प्रयास किए गए। बैंकों को अभिशासित करने वाले विधिक ढांचे को भी आधुनिक बाजार प्रथाओं के अनुरूप संशोधित किया गया। एनबीएफसी की बढ़ती जटिलता को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान एक नई श्रेणी बनाई गई। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार समिति ने वित्तीय क्षेत्र को अभिशासित करने वाली विधिक और विनियामकीय संरचना पर अनेक सिफारिशों की हैं। इनकी सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी।

VI.1 बैंकों और बैंकेतर संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में कमजोरी को 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का प्रमुख कारण माना गया था। विनियामकों द्वारा क्रेडिट रेटिंग संस्थाओं पर अत्यधिक निर्भरता सहित बाजार अनुशासन पर अधिक निर्भर रहने से विनियमन का प्रभाव हल्का हो गया था। कुछ वित्तीय प्रथाओं को विनियामक परिधि से बाहर लाने के लिए वित्तीय नवोन्मेष किए गए। इन कार्यों के चरम स्तर पर काफी जोखिम तैयार हो गया जिससे अंत में वित्तीय स्थिति ढह गई। इन सबकों को ध्यान में लेते हुए विनियामकों ने अधिक सक्रिय होते हुए ऐसी विनियामकीय प्रणाली बनाई जो कि संभावना में समष्टि विवेकसम्मत, स्वरूप में भविष्य को देखने वाली और दृष्टिकोण में विश्लेषणात्मक है।

VI.2 भारत में रिजर्व बैंक ने विवेकसम्मत विनियमन के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जो कि वैश्विक वित्तीय संकट के पहले से ही लागू था। संकट के दौरान सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक अपनी विनियामकीय रणनीति को अनुरूप बना रहा है ताकि एक स्थिर वित्तीय वातावरण का पोषण सुनिश्चित हो सके जिसमें उत्पादक क्षेत्रों की ऋण की आवश्यकताएं बाधा रहित तरीके से पूरी हो जाएं।

वित्तीय स्थिरता का आकलन

भारत में वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिम का वर्तमान आकलन

VI.3 भारतीय अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से देशी संवेदनशीलता के कारण वैश्विक गतिविधियों से काफी जोखिम बना रहा हालांकि नीतिगत कार्रवाई करने से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अनुवर्ती घटनाओं का जोखिम मूर्त रूप में आने की संभावना कम हो गई है। अनिश्चित वैश्विक वृद्धि के वातावरण के बीच पुरानी अपारंपरिक मौद्रिक नीतियों और ऐसी नीतियों से बाहर निकलने की कल्पना से नए जोखिम उभरे हैं। वित्तीय स्थिरता को विशेष रूप से बाह्य संवेदनशीलता और सीएडी के निधीयन के लिए अस्थिर पूंजी प्रवाहों पर निर्भरता से अधिक जोखिम है। अद्यतन प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2013) के परिणामों के अनुसार देशी समष्टिआर्थिक जोखिम और वैश्विक जोखिम सबसे महत्वपूर्ण कारक थे जो कि भारतीय वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर रहे थे।

VI.4 बैंकिंग क्षेत्र का समग्र जोखिम 2012-13 के दौरान बढ़ गया जिसका कारण कम चलनिधि की स्थिति, आस्ति गुणवत्ता में गिरावट और लाभप्रदता में गिरावट था। किंतु मार्च 2013 की तिमाही में आस्ति गुणवत्ता और सुदृढ़ता में कुछ सुधार हुआ और बैंकों में अधिक निर्भरता में कमी आई। समष्टि तनाव जांच

से पता चलता है कि वाणिज्य बैंकों की ऋण गुणवत्ता चिंताजनक है। किंतु बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की अनुकूल स्थिति ने अधिकतर बैंकों को आघात सहनीय बनाया है जैसा कि विभिन्न तनाव जांचों से पता चलता है।

एफएसडीसी उप-समिति के कार्य

VI.5 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति एफएसडीसी के मार्गदर्शन में प्रणालीगत स्थिरता और भारतीय वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा और कार्रवाई का समन्वय करती है। इस समिति ने अन्य बातों के साथ ही धन प्रबंधन सेवाओं और सामूहिक निवेश योजनाओं में विनियामकीय कमियों को पहचानने, वित्तीय उत्पादों के वितरण में हित संघर्ष के समाधान में सफलता पाई है। इसके अलावा यह उप समिति जी20/एफएसबी संकटोत्तर सुधारों के कार्यान्वयन

की जानकारी लेती है। यह समिति 2011 से वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) को अनुमोदित करती आ रही है और तबसे, रिपोर्ट में सदस्यों के सामूहिक विचार प्रदर्शित किये जाते हैं।

VI.6 आईएमएफ बोर्ड के सितंबर 2010 के निर्णय के आधार पर, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र वाले सदस्यों के लिए वित्तीय स्थिरता आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) के अंतर्गत भारत सहित प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण 25 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, आईएमएफ-विश्व बैंक के संयुक्त दल ने 2011 में भारत के संबंध में एफएसएपी का आयोजन किया। बाद में, आईएमएफ में भारत के संबंध में वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता का आकलन, एफएसएपी की अंतिम रिपोर्ट, जनवरी 2013 में जारी की (बाक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1

भारत : वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का मूल्यांकन

मूल्यांकन रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया है कि भारत में विधिक, विनियामकीय और पर्यवेक्षण ढांचे में लगातार सुधार करते हुए स्थिर वित्तीय प्रणाली को विकसित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बैंकों, बीमा और प्रतिभूति बाजारों की विनियमन और पर्यवेक्षी प्रणाली सुविकसित है और व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। रिपोर्ट में भारतीय वित्तीय प्रणाली की संवेदनशीलता को संभाली जा सकने योग्य बतलाया गया है।

तथापि, मूल्यांकन में कुछ कमजोरियों का पता चला है। रिपोर्ट में उल्लिखित प्रमुख मुद्दे, प्राधिकारियों की प्रतिक्रिया और इस संबंध में हुई प्रगति को नीचे रेखांकित किया गया है :

विनियामकों की स्वायत्तता : रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अपने विनियामकीय और पर्यवेक्षी कार्य करने के लिए विनियामकों की स्वायत्तता के लिए औपचारिक सांविधिक आधार मजबूत बनाए जाएं। विद्यमान स्थिति यह है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के विनियामक ऐसे सांविधिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं जिसमें विनियामक संस्थाओं को स्वायत्तता और स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्य को पारदर्शिता के साथ करने के लिए नीति निर्माण में सरकार की भूमिका को संतुलित करने का लक्ष्य होता है। पेंशन विनियामक को भी सांविधिक आधार प्रदान करने के प्रयास भी जारी हैं।

विनियामकों के बीच सूचना को साझा करना और समन्वय : घरेलू विनियामकीय प्राधिकारियों के बीच सूचना को साझा करने और समन्वय के संबंध में विभिन्न स्तरों पर बहुत से उपाय किए गए हैं। विनियमन और समन्वय को प्रभावी बनाने के विषय पर काम करने वाली शीर्ष संस्था वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की एक उप समिति जो रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में कार्य करती है, अपेक्षित समन्वय के दूसरे स्तर पर काम करने वाली संस्था है।

वित्तीय संगठन के समेकित पर्यवेक्षण और निगरानी के क्षेत्र में और अच्छा समन्वय स्थापित करने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति के तत्वाधान में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने मार्च 2013 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अन्य क्षेत्राधिकारों से साथ सूचना साझा करना : इसके महत्व को स्वीकार करते हुए विभिन्न क्षेत्राधिकारों, जहां भारतीय बैंक कार्यरत हैं, के साथ रिजर्व बैंक ने सूचना साझा करने की प्रणाली के लिए 16 प्राधिकारों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा अन्य 28 क्षेत्राधिकारों को इसमें शामिल करने के संबंध में पत्राचार जारी है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों की कुल विदेशी आस्तियों के लगभग 60 प्रतिशत हिस्से को कवर करने वाले पांच देशों की भारतीय बैंकों की शाखाओं का निरीक्षण किया है। भारतीय बैंकों की कुल विदेशी आस्तियों के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से को कवर करने वाले अन्य छह प्राधिकारों का निरीक्षण जारी है। रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज प्रारंभ किये हैं।

इसी प्रकार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचना साझा करने से संबंधित मामलों पर अन्य विनियामक भी ध्यान दे रहे हैं।

सामूहिक उधारकर्ता की सीमाएं : अंतरराष्ट्रीय चलन के अधिक अनुरूप बनाने के लिए रिपोर्ट में बड़ी और संबंधित पार्टियों के केंद्रण की परिभाषा कड़ी करने तथा धीरे-धीरे एक्सपोजर की सीमा को घटाने की सिफारिश की है। तथापि, प्राधिकारियों का मत यह है कि इससे प्रमुख कंपनी समूहों बैंकों से मिलने वाले वित्त की उपलब्धता बहुत सीमित हो जाएगी और वृद्धि प्रभावित होगी।

बैंक के बोर्ड में नामिती : बैंक के बोर्ड में नामिती निदेशक के होने के कारण (जारी....)

नैतिकता के खतरे का मुद्दा उत्पन्न हुआ और इसके कारण उनकी भूमिका के बारे में अधिक स्पष्टता का विचार आया। यह प्रणाली हालांकि भारत में बहुत उपयोगी रही है और बैंकों की ओर से विनियमों का अधिक प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित हुआ है। फिर भी, विधि के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए भारत सरकार के साथ इस मामले में चर्चा की जा रही है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) : मूल्यांकन में सांविधिक चलनिधि अनुपात को चलनिधि की उभरती हुई अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप धीरे-धीरे कम करने की सिफारिश की गई है। इससे पूंजी बाजारों, प्रणालीगत चलनिधि प्रबंधन और मौद्रिक अंतरण को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। इस संबंध में प्राधिकारियों का मत यह है कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनिवार्य बनाने के अलावा सांविधिक चलनिधि अनुपात ने चलनिधि, मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की जरूरतों को भी पूरा करने में सहायक रही है। सांविधिक चलनिधि अनुपात अपेक्षा का उच्च स्तर समय के साथ कम हो गया है। सरकार द्वारा बाजार से उधार बाजार-निर्धारित ब्याज दरों पर लिया जा रहा है और सांविधिक चलनिधि अनुपात धारिता के कारण मौद्रिक नीति का संचार बाधित नहीं होता है। सरकारी बांडों की धारिता के कारण चलनिधि की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से वित्तीय तनाव की परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिल सकती है।

प्रतिभूति बाजार का विनियमन : मूल्यांकन में आईओएससीओ में दिए गए मानकों से उच्च मानकों को अपनाने के बाद भारत में प्रतिभूति बाजार विनियमन के संबंध में विशेष सिफारिशों की गई हैं। इस संबंध में सेबी ने पारस्परिक निधि विनियमन में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अगस्त 2013 में सेबी ने धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथा संबंधी विनियमन को अपनी परिधि में लेने और वर्तमान प्रथाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

लेखा-परीक्षण और लेखा-परीक्षण के मानक : मूल्यांकन में प्रतिभूति बाजार के लेखा-परीक्षण और लेखा-परीक्षण के बेहतर मानकों को सुनिश्चित करने की

उन्नत प्रक्रिया के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। विद्यमान प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हाल ही में बहुत से कदम उठाए गए हैं। लेखा-परीक्षकों की गुणवत्ता की समीक्षा करने के लिए सरकार ने गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (क्यूआरबी) की स्थापना की है जबकि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने अर्हताप्राप्त लेखा-परीक्षण रिपोर्ट समीक्षा समिति (क्यूएआरसी) का गठन किया है। लोक सभा द्वारा पारित किए गए कंपनी बिल 2012 में लेखा-परीक्षकों के कार्यों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र अर्द्ध-न्यायिक ऐजेंसी - राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकारी के गठन का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय प्रतिपक्ष समिति (सीसीपी) की स्वतंत्र जोखिम समिति : इस सिफारिश के संबंध में अप्रैल 2012 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि केंद्रीय प्रतिपक्ष समिति जोखिम समिति का गठन करेगी जिसमें स्वतंत्र सदस्य शामिल होंगे जो संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय प्रतिपक्ष बोर्ड के साथ ही सीधे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को भी रिपोर्ट करेंगे।

पूर्व चेतावनी समूह : रिपोर्ट में पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। एफएसडीसी उप-समिति के तहत वित्तीय बाजारों के लिए हाल ही में अंतर-विनियामकीय पूर्व चेतावनी समूह (ईडब्लूजी) का गठन किया गया है।

बीमा उद्योग का विनियमन - रिपोर्ट में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने स्पष्ट किया है कि बाजार की गतिविधियों और विवेकसम्मत विनियमन -दोनों के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। गैर-जीवन बीमा उद्योग के मामले में पूंजी की अपर्याप्तता से संबंधित मुद्दों को भी मोटर-थर्ड पार्टी सेगमेंट में प्रीमियम बढ़ाने के निदेश जारी करके सुलझा लिया गया है। प्रस्तावित बीमा कानून (संशोधन) बिल में प्रवर्तन की शक्तियों को मजबूत बनाया जा रहा है। इसके अलावा, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ऋण शोधन क्षमता के प्रति जोखिम-आधारित पद्धति को अपनाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों का भी परीक्षण कर रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र का आकलन

एससीबी के कोर वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक (एफएसआई)

VI.7 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) की पूंजी की स्थिति विनियामकीय अपेक्षा से अधिक बनी रही हालांकि सीआरएआर (13.8 प्रतिशत) और कोर सीआरएआर (13.3 प्रतिशत) पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम थे। मंद देशी वातावरण के कारण एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में 2012-13 में और अधिक गिरावट आई। मात्रा के संदर्भ में, एससीबी की अनर्जक आस्तियां (एनपीए) 2011-12 के 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 3.4 प्रतिशत हो गई। उच्च प्रावधानीकरण से निवल लाभ में कमी आ गई जो कि 2012-13 में 12.8 प्रतिशत बढ़ा जबकि एक वर्ष पूर्व इसमें 14.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तदनुसार, एससीबी के आरओई और आरओए में भी गिरावट आई। इस अवधि में एनआईएम भी 3.1 प्रतिशत से कम होकर

3.0 प्रतिशत रह गया। किंतु एससीबी ने अपनी लगभग एक तिहाई आस्तियां चलनिधि के रूप में रखीं जो कि मार्च 2013 के अंत में 28.9 प्रतिशत थीं।

VI.8 बैंकों के लाभ पर एनपीए के होने वाले व्यापक प्रभाव को देखते हुए इसके आकलन का प्रयास किया गया (बाक्स VI.2)।

संवेदनशीलता का विश्लेषण

VI.9 प्रणाली के साथ ही बैंक स्तर (60 बैंकों के नमूने जिनमें कुल बैंकिंग क्षेत्र का 99 प्रतिशत हिस्सा था) पर अनेक एकल कारक संवेदनशीलता तनाव जांच की गई ताकि विभिन्न स्थितियों में उनकी संवेदनशीलता और आघात सहनीयता का आकलन किया जा सके। अत्यधिक किंतु सहनीय आघातों के प्रयोग से संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से ऋण, ब्याज

सारणी VI.1: चुनिंदा वित्तीय संकेतक

मद	मार्च के अंत में	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	प्राथमिक व्यापारी	(प्रतिशत)	
						एनबीएफसी-डी	एनबीएफसी-एनडी-एसआई
1	2	3	4	5	6	7	8
सीआरएआर	2012	14.2	12.8	21.0	53.8	20.4	27.5
	2013	13.8	12.7	19.0	39.4	22.3	28.0
कोर सीआरएआर	2012	10.4	अनु.	अनु.	अनु.	16.8	24.6
	2013	10.3	अनु.	अनु.	अनु.	19.0	24.3
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	2012	2.9	5.2	0.4	अनु.	2.7	3.1
	2013	3.4	4.5	0.7	अनु.	2.5	3.5
निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए	2012	1.2	0.9	0.1	अनु.	0.8	1.8
	2013	1.5	0.8	0.2	अनु.	0.8	1.6
कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ	2012	1.1	1.0	1.0	0.8	2.8	1.8
	2013	1.0	0.9	1.0	1.5	2.7	2.1
इक्विटी पर प्रतिलाभ	2012	13.4	अनु.	9.2	4.4	16.7	7.0
	2013	12.8	अनु.	9.6	10.1	15.4	8.6
दक्षता (लागत/आय अनुपात)	2012	45.3	50.6	18.1	44.1	73.3	77.7
	2013	46.3	50.4	17.1	27.2	72.2	73.9
ब्याज अंतर (प्रतिशत)	2012	3.1	अनु.	2.1	अनु.	3.3	2.3
	2013	3.0	अनु.	2.1	अनु.	3.6	5.3
कुल आस्तियों की तुलना में चलनिधि आस्तियां	2012	28.9	अनु.	अनु.	अनु.	16.1	4.9
	2013	28.9	अनु.	अनु.	अनु.	9.1	4.8

अनु.: अनुपलब्ध

टिप्पणी: 1. 2013 के आंकड़े अलेखापरीक्षित और अनंतिम हैं।

- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में सीआरएआर को छोड़कर देशी परिचालन शामिल हैं।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीआरएआर में स्थानीय क्षेत्र के बैंक शामिल नहीं हैं और यह बासेल II मानदंडों से संबंधित हैं।
- नाबार्ड, सिडबी और निर्यात-आयात बैंक के लेखापरीक्षित आंकड़े 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए और राष्ट्रीय आवास बैंक के लेखापरीक्षित आंकड़े 30 जून 2012 के लिए हैं।
- सिडबी और निर्यात-आयात बैंक के लेखापरीक्षित आंकड़े 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए, नाबार्ड के अलेखापरीक्षित आंकड़े 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए और राष्ट्रीय आवास बैंक के अलेखापरीक्षित आंकड़े 30 जून 2013 के लिए हैं।
- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के आंकड़े माधवपुरा मर्कन्टाइल सहकारी बैंक लिमि. को छोड़कर हैं।
- चलनिधि आस्तियों में नकदी और बैंक शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं।
- एनडी-एसआई = गैर-जमा राशि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (अर्थात् रु.1 बिलियन और अधिक के आकार वाली एनबीएफसी)।

स्रोत:

- एससीबी: ऑफ-साइट पर्यवेक्षी विवरणियां।
- एआईएफआई: ऑसमॉस विवरणियां और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त आंकड़े।
- शहरी सहकारी बैंक: ऑफ-साइट पर्यवेक्षी विवरणियां।

दर और चलनिधि जोखिम के संबंध में वाणिज्य बैंकों की आघात सहनीयता का अध्ययन किया गया। मार्च 2013 के आंकड़ों

पर आधारित परिणाम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2013 में उपलब्ध हैं। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कुछ बैंक ऋण जोखिम

बाक्स VI.2

बैंकों की लाभप्रदता पर अनर्जक आस्तियों का प्रभाव

आस्तियों की गुणवत्ता बैंकों की वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक होती है। यह बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन और वसूली परिवेश की दक्षता को भी दर्शाती है। बैंकों द्वारा परोक्ष विवरणियों के जरिए उनके देशी परिचालन संबंधी प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया।

अध्ययन से पता चला है कि सकल अनर्जक आस्तियां, जो मार्च 2003 के अंत के 700 बिलियन रुपये से घटकर मार्च 2007 के अंत में 500 बिलियन रुपये रह गई थीं जो पिछले छह वर्ष के दौरान औसतन 24.7 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2013 के अंत में 1,839 बिलियन रुपये हो गईं। उसी प्रकार, निवल एनपीए में मार्च 2007 से औसतन 29.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मार्च 2013 के अंत में यह 883 बिलियन रुपये हो गया। सकल एनपीए और निवल एनपीए

का अनुपात वर्ष 2010-11 को छोड़कर मार्च 2008 से लगातार बढ़ कर रहा है और मार्च 2013 के अंत में यह क्रमशः 3.42 प्रतिशत और 1.46 प्रतिशत हो गया। अधिक एनपीए प्रावधानीकरण, वसूली और वाद-लागत के अतिरिक्त ब्याज आय में कमी करके बैंकों को प्रभावित करता है।

विश्लेषण से पता चलता है कि एनपीए के कारण बैंकों को हुआ नुकसान मार्च 2010 से उनके निवल लाभ के 60 प्रतिशत हिस्से से अधिक रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंकों की निवल आय का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा एनपीए का जोखिम प्रावधान करने और बट्टे में डालने हेतु प्रयोग किया गया। यदि एनपीए नहीं रहा होता तो बैंकों के अग्रिमों पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल में औसतन 124 आधार अंकों की वृद्धि हुई होती (मार्च 2009 से स्थिति पर विचार करते हुए)।

हेतु तनाव परिदृश्य में सीआरएआर बनाये रखने में सफल नहीं होते, प्रणाली स्तर पर, सीआरएआर 9.0 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा से अधिक होता है।

बोर्ड द्वारा वित्तीय पर्यवेक्षण हेतु किए गए प्रमुख निर्णय

VI.10 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी और विनियामकीय पहलों के पीछे की प्रमुख दिशानिर्देशक शक्ति बना हुआ है। बीएफएस में इस समय श्री वार्ड.एच.मालेगाम, सुश्री इला भट्ट, डॉ.राजीव गौड़ा और श्री किरण कर्णिक निदेशक-सदस्य हैं।

VI.11 जुलाई 2012 से जुलाई 2013 के दौरान बोर्ड की दस बैठकें हुईं। बीएसएफ में अन्य बातों के अलावा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का कार्य निष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति पर विचार किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 2011-12 के लिए सभी बैंकों/एलएबी/एआईएफआई के निरीक्षण चक्र को पूरा किया गया और संबंधित वार्षिक वित्तीय निरीक्षण का ज्ञापन बीएफएस को अप्रैल 2013 तक प्रस्तुत कर दिया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के फॉर्मेट में जोखिम पर अधिक ध्यान दिया गया है और बैंकों को निगरानीयोग्य कार्य योजना पूर्णता के लिए समय सीमा के साथ जारी की गई। इससे प्रमुख पर्यवेक्षी चिंताओं पर ध्यान दिया जा सका।

VI.12 2011-12 के निरीक्षण चक्र के दौरान उठाए गए मुद्दों के आधार पर बीएफएस ने अनेक विषयों पर दिशानिर्देश दिए। कुछ प्रमुख मुद्दे पेंशन देयताओं की सटीक गणना, लेखांकन/प्रकटीकरण की प्रतिबद्धताएं/एएसबीए के अंतर्गत देयताएं, केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के अनुपालन में कमी, भारतीय रुपए का विदेश में व्यापार, निजी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित अभिशासन के मुद्दे, धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि संबंधी चिंता, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों का गलत वर्गीकरण, ऋणों के मूल्यन में असमानता आदि से संबंधित हैं। बीएफएस के दिशानिर्देशों के आधार पर बैंकों में केवाईसी/एएमएल संबंधी वातावरण, स्थावर संपदा/आवास क्षेत्र के प्रति बैंकों का एक्सपोजर, एक सीमा से ऊपर की प्रमुख धोखाधड़ियां आदि के संबंध में समीक्षा की गई। बीएफएस के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निजी और विदेशी बैंकों के लिए संशोधित मुआवजे का ढांचा जारी किया गया।

VI.13 एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के संबंध में, बीएफएस ने पर्यवेक्षी रेटिंग संरचना, स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषणों की जमानत पर उधार, उचित प्रथा कोड आदि संबंधी कार्य किए। इसके अलावा, बीएफएस ने एनबीएफसी क्षेत्र संबंधी मुद्दों और चिंताओं के अध्ययन के कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया। ₹1 बिलियन के आस्ति आकार वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआई की निरीक्षण रिपोर्ट बीएफएस के सामने रखी गई।

VI.14 इस अवधि के दौरान बीएफएस ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) से संबंधित निरीक्षणों के 49 सारांशों, ए + और बी - के बीच के स्तर के अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों संबंधी वित्तीय प्रमुख बातों के 40 सारांशों और सी + और डी के बीच के स्तर के अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों संबंधी वित्तीय प्रमुख बातों के 11 सारांशों की समीक्षा की। शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के संबंध में बीएफएस ने संशोधित स्तर की पर्यवेक्षी कार्रवाई, निर्देशों के तहत के शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय पुनर्निर्धारण अनुमोदित किया और शहरी सहकारी बैंकों के रेटिंग मॉडल की जटिलता कम की। इसके अलावा, बीएफएस ने ग्रामीण ऋण संस्थाओं के विनियमन की समीक्षा की और गैर-लाइसेंसी डीसीसीबी को निर्देश जारी करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया।

वाणिज्य बैंक

विनियामक पहलें

बासेल III दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

VI.15 रिजर्व बैंक ने बासेल III पूंजी विनियमन लागू करने के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश 2 मई 2012 को जारी किए। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2013 से लागू किए गए हैं किंतु ओटीसी डेरिवेटिव के लिए ऋण मूल्यांकन समायोजन जोखिम पूंजी प्रभार 1 जनवरी 2014 से लागू होगा। यह कार्य केंद्रीय प्रतिपक्ष के माध्यम से अनिवार्य विदेशी मुद्रा फार्वर्ड गारंटीयुक्त निपटान के लंबित कार्यान्वयन को ध्यान में रखकर किया गया।

VI.16 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के 27 क्षेत्राधिकारों में से 25 ने अंतिम बासेल III आधारित पूंजी नियमावली जारी की। इसके अलावा बासेल III पूंजी नियमावली 11 सदस्य

क्षेत्राधिकारों में लागू हुई है जबकि अन्य ने अंतिम नियमावली जारी की है किंतु अब तक इसे लागू नहीं किया है। शेष दो सदस्यों ने मसौदा नियमावली जारी की है।

भारत में बासेल II उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन की स्थिति

VI.17 वर्तमान में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे बासेल II ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध सरल दृष्टिकोण का प्रयोग करके पूंजी की गणना करें। भारत में बैंकों के लिए ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत नाप पद्धति को लागू किया गया है। उन्नत दृष्टिकोण लागू करने संबंधी वर्तमान स्थिति का ब्योरा नीचे दिया गया है।

VI.18 ऋण जोखिम के संबंध में, विनियामकीय पूंजी गणना के लिए ऋण जोखिम के प्रति आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के दिशानिर्देश दिसंबर 2011 में जारी किए गए जिनके अनुसरण में बैंक अपनी तैयारी के आधार पर अप्रैल और जून 2012 के बीच या तो बुनियादी आंतरिक रेटिंग आधार या उन्नत आंतरिक रेटिंग आधार को अपना सकते हैं। आईआरबी के लिए आवेदन करने की इच्छा वाले पंद्रह बैंकों ने जून 2012 तक इच्छा पत्र प्रस्तुत किया और बाद में चौदह बैंकों ने बुनियादी आंतरिक रेटिंग आधार/उन्नत आंतरिक रेटिंग आधार के लिए उनकी तैयारी पर स्व-आकलन का सारांश सितंबर 2012 तक प्रस्तुत किया।

VI.19 प्राप्त आवेदनों और बाद में प्राप्त की गई सूचना के आधार पर बैंकों की तैयारी की स्थिति का प्रारंभिक अध्ययन किया गया। बेहतर तैयारी वाले बैंकों को आईआरबी संरचना के अंतर्गत परेलेल रन के लिए लिया जाएगा।

VI.20 बाजार जोखिम के संदर्भ में, भारत स्थित बैंक मार्च 2005 से मानकीकृत माप पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने विनियामकीय पूंजी गणना के लिए बाजार जोखिम आकलन के उन्नत आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण के लिए दिशानिर्देश अप्रैल 2010 में जारी किए। रिजर्व बैंक ने दो बैंकों के संबंध में बाजार जोखिम मॉडल के वैधीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इन बैंकों को सुझाव दिया गया है कि आईएमए में अंतरण

की अनुमति मिलने से पहले वे अपनी बाजार जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया को उन्नत कर लें। इसके अलावा, दो और बैंकों ने आईएमए में अंतरण के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की है और रिजर्व बैंक इन दो बैंकों के संबंध में विस्तृत मॉडल वैधीकरण की प्रक्रिया उचित समय में शुरू करेगा।

VI.21 परिचालन जोखिम के संदर्भ में, बासेल III ढांचा उन्नयन जोखिम संवेदनशीलता की निरंतरता अर्थात् आधार संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए), मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) और वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण (एएसए) और उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए) के साथ परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए तीन पद्धतियां प्रस्तुत करता है।

VI.22 परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण लागू करने के लिए मार्च 2010 में दिशानिर्देश जारी किए गए। परिचालन जोखिम की हानियों को कवर करने के लिए पूंजी आवश्यकता के निर्धारण के लिए बीआईए की तुलना में टीएसए अधिक उन्नत पद्धति है। तेरह बैंकों ने टीएसए में अंतरण के लिए आवेदन किए हैं/मंशा प्रकट की है। इस समय, जहां परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए बीआईए के साथ परेलेल रन आधार पर टीएसए में अंतरण के लिए दो बैंकों को अनुमति दी गई है, वहीं तीन बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना का विस्तार करें। अन्य आठ बैंकों के आवेदन आकलन के विभिन्न चरणों में हैं।

VI.23 एएमए लागू करने के दिशानिर्देश अप्रैल 2011 में जारी किए गए। एएमए के अंतर्गत, विनियामकीय पूंजी अपेक्षा मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंडों का प्रयोग करके बैंकों की आंतरिक परिचालन जोखिम माप प्रणाली से उत्पन्न जोखिम उपायों के समतुल्य होगी।

VI.24 अब तक, नौ बैंकों ने एएमए के लिए आवेदन करने की मंशा प्रकट की है जिनमें से चार ने एएमए में अंतरण के लिए अपनी तैयारी का प्रारंभिक स्व-आकलन भी प्रस्तुत किया है। रिजर्व बैंक बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणाली और उसकी मॉडलिंग प्रक्रिया के प्रारंभिक आकलन के बाद बैंकों को एएमए

में अंतरित होने के लिए औपचारिक आवेदन करने की अनुमति देगा बशर्ते प्रारंभिक आकलन संतोषजनक हो।

गतिशील प्रावधानीकरण

VI.25 ऋण हानियों संबंधी प्रावधानों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सामान्य और विशिष्ट। वर्तमान प्रावधानीकरण नीति, जिसमें सामान्य और विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं, की अनेक सीमाएं हैं। पहली, मानक आस्तियों के प्रावधानीकरण की दर किसी वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित नहीं होती। दूसरी, बैंक बिना किसी पूर्व-निर्धारित नियम के ही अस्थायी प्रावधान करते हैं। तीसरी, प्रावधानीकरण संरचना में निर्मित चक्र के समाधान की कोई व्यवस्था नहीं होती। अतः इस आवश्यकता को महसूस किया गया कि एक ऐसी समग्र प्रावधानीकरण संरचना को शुरू किया जाए जिसमें गतिशील और प्रतिचक्रीय व्यवस्था हो।

VI.26 इस संबंध में, रिजर्व बैंक द्वारा 30 मार्च 2012 को जनता की टिप्पणियों के लिए एक चर्चा पत्र जारी किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर यह प्रस्ताव किया गया कि भारत स्थित बैंकों के लिए ऋण की हानि के प्रावधानों के लिए गतिशील प्रावधानीकरण संरचना में दो घटक शामिल रहेंगे: क) रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित एक वर्ष के दौरान किए गए पूर्व प्रभावी विशिष्ट प्रावधान। ये प्रावधान लाभ-हानि खाते में नामे किए जाएंगे; और ख) डाउनटर्न लॉस गिवन डिफाल्ट (एलजीडी) के आधार पर एक वर्ष के लिए संविभाग की अपेक्षित हानि और वर्ष के दौरान किए गए वृद्धिशील विशिष्ट प्रावधानों के बीच के अंतर के समतुल्य गतिशील प्रावधान।¹ संक्षेप में, प्रस्तावित संरचना के अंतर्गत बैंक वर्ष के दौरान प्रावधानीकरण बफर का संचय करेंगे जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही हो और उनकी ऋण हानियां दीर्घकालिक औसत से कम हो। संचित बफर को मंद/नकारात्मक वृद्धि की स्थिति में प्रयोग में लाया जाएगा जब बैंकों की ऋण हानियों में वृद्धि होती है।

VI.27 आदर्श रूप से, अपेक्षित हानि का निर्धारण विभिन्न आस्ति श्रेणियों/रेटिंग श्रेणियों में चूक की चक्रीय संभावना के माध्यम से भावी सोच के आधार पर होना चाहिए। इसके अलावा, यह अलग-अलग बैंकों के ऋण इतिहास पर आधारित होना चाहिए और उसमें उनकी ऋण जोखिम प्रोफाइल प्रतिबिंबित होनी चाहिए। अपने स्वयं के मानदंड निर्धारित करने की क्षमता वाले बैंकों को रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से उनके अपने डाटा सेट के आधार पर गतिशील प्रावधानीकरण संरचना शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। अपने डाटा सेट के आधार पर गतिशील प्रावधानीकरण शुरू करने में जो बैंक समर्थ नहीं हैं वे रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकीकृत निर्धारण का प्रयोग कर सकते हैं। अपेक्षित हानि के अंतिम निर्धारण सहित अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी होने की संभावना है।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देश

VI.28 रिजर्व बैंक ने चलनिधि जोखिम प्रबंधन (एलआरएम) और चलनिधि मानक पर बासेल III ढांचे पर टिप्पणियों और प्रतिसूचना के लिए फरवरी 2012 में दिशानिर्देश जारी किए थे। स्ट्रेक धारकों से प्राप्त प्रतिसूचना को ध्यान में लेने के बाद चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देश नवंबर 2012 में जारी किए गए। इनमें चलनिधि जोखिम अभिशासन, उपाय, निगरानी और चलनिधि की स्थिति पर रिजर्व बैंक को सूचना देना शामिल था।

VI.29 रिजर्व बैंक ने चलनिधि जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों में दर्शाया है कि बासेल III चलनिधि मानकों पर दिशानिर्देश तब जारी किए जाएंगे जब बासेल समिति संबंधित संरचना को अंतिम रूप देगी। बासेल समिति ने चलनिधि कवरेज अनुपात और चलनिधि जोखिम निगरानी साधन पर जनवरी 2013 में बासेल III जारी किया और अब चलनिधि कवरेज अनुपात प्रकटीकरण अपेक्षा और निवल स्थायी निधीयन अनुपात को अंतिम रूप देने का कार्य कर रही है। चलनिधि कवरेज अनुपात

¹ इससे सामान्यतः यह सुनिश्चित होगा कि प्रति वर्ष विशिष्ट प्रावधानों के कारण लाभ और हानि के प्रभार और डीपी αC_t स्तर पर बनाए रखे जाते हैं।

α = डाउनटर्न लॉस गिवन डिफाल्ट के आधार पर अपेक्षित हानि की दर (एलजीडी)

= चूक की दीर्घकालिक औसत लाभप्रदता \times डाउनटर्न (एलजीडी)

C_t = सकल ऋण और अग्रिम

1 जनवरी 2015 से और निवल स्थायी निधीयन अनुपात 1 जनवरी 2018 से लागू किया जाएगा। बासेल समिति के संशोधनों के अनुसरण में रिजर्व बैंक बासेल III चलनिधि मानकों और चलनिधि जोखिम निगरानी साधनों पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों का पुनर्निर्धारण

VI.30 इस अवलोकन की पृष्ठभूमि में, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों के पुनर्निर्धारण पर मौजूदा विवेकसम्मत दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और आवश्यक संशोधनों संबंधी सुझाव देने के लिए कार्य दल का गठन किया गया (अध्यक्ष: श्री बी.महापात्रा)। इस कार्य दल की रिपोर्ट जुलाई 2012 में प्रस्तुत की गई जिसे स्टेक धारकों से टिप्पणियां मंगाने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया (बाक्स VI.3)।

VI.31 अग्रिमों के पुनर्निर्धारण पर मसौदा दिशानिर्देशों को 31 जनवरी 2013 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया जिसमें स्टेक धारकों से 28 फरवरी 2013 तक टिप्पणियां मंगाई गई थीं। रिजर्व बैंक ने इसी दिनांक को एक परिपत्र भी जारी किया जिसमें कार्य दल की सिफारिशों के अनुसरण में “पुनर्निर्धारित खातों” की प्रकटीकरण अपेक्षा को औचित्यपूर्ण

बनाया गया था। कार्य दल की सिफारिशों और पणधारकों की प्रतिसूचना को ध्यान में लेकर 30 मई 2013 को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए।

VI.32 इसके परिणामस्वरूप दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन हुए: (i) पुनर्निर्धारण पर आस्ति वर्गीकरण संबंधी विनियामकीय रियायत 1 अप्रैल 2015 से समाप्त की जाएगी; (ii) इस बीच मानक पुनर्निर्धारित खातों पर 5 प्रतिशत की अधिक प्रावधानीकरण की अपेक्षा लागू होगी - पुनर्निर्धारण के नए मामलों (प्रवाह) में तत्काल प्रभाव से 1 जून 2013 से और मई 2013 के मानक पुनर्निर्धारित खातों के स्टॉक के लिए तीन वर्षों के चरण में; (iii) किंतु इन्फ्रास्ट्रक्चर और इससे भिन्न परियोजनाओं के वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत की तिथि में परिवर्तन पर आस्ति वर्गीकरण लाभ 1 अप्रैल 2015 से आगे भी अगली समीक्षा तक लागू रहेगा; (iv) प्रवर्तकों को बैंक के त्याग के 20 प्रतिशत या पुनर्निर्धारित ऋण के 2 प्रतिशत का त्याग करना होगा जबकि पहले यह अपेक्षा बैंक के त्याग के 15 प्रतिशत की थी; (v) ऋण का अधिमानी शेयरों में रूपांतरण अंतिम सहारे के रूप में ही किया जाए और ऋण का इक्विटी/ अधिमानी शेयरों में ऐसा रूपांतरण किसी भी स्थिति में एक उच्चतम सीमा के भीतर होना चाहिए (जैसे कि पुनर्निर्धारित

बॉक्स VI.3

बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के अग्रिमों की पुनःसंरचना के संबंध में विवेकसम्मत दिशानिर्देशों की समीक्षा - कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें

वर्तमान में, पुनःसंरचना के आस्ति वर्गीकरण पर उपलब्ध वर्तमान विनियामक छूट को दो वर्ष के बाद वापस लिए जाने की जरूरत है।

इस अंतर्काल में, प्राप्त मानक पुनःसंरचित खाते, जिसे पुनःसंरचना करने पर आस्ति वर्गीकरण लाभ के प्रावधान को वर्तमान खातों (स्टॉक) के मामले में चरणबद्ध रूप से तथा नव संरचित खातों (प्रवाह) के मामले में तत्काल प्रभाव से 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए।

किंतु इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए पुनःसंरचना करने पर आस्ति वर्गीकरण लाभ को उन मामलों में अधिक समय के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है जहां पुनःसंरचना, इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने की तिथि में परिवर्तन होने के कारण की गई है।

पुनःसंरचित ऋण की राशि, जिसे अधिमानी/इक्विटी शेयर में परिवर्तित

किया जा सकता है, पर 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

रिजर्व बैंक सक्षमता मानदंडों के लिए सीडीआर कक्ष द्वारा उपयोग में लाए गए बेंचमार्क के आधार पर व्यापक बेंचमार्क निर्धारित करेगा और बैंक विशिष्ट क्षेत्रों के लिए उपयुक्त समायोजन, यदि कोई हो, के साथ इन्हें अपनाएंगे।

पुनःसंरचित खातों में प्रवर्तकों की अनिवार्य हिस्सेदारी को उच्चतर अर्पण एवं व्यक्तिगत गारंटी के जरिए बढ़ाया जाए।

क्षतिपूर्ति के अधिकार को सभी मामलों में अनिवार्य बनाया जाए।

प्रकटीकरण अपेक्षाओं को व्यापक बनाया जाए किंतु निरंतर संतोषजनक कार्यनिष्पादन वाले मानक पुनःसंरचित खातों को इसमें शामिल न किया जाए।

ऋण के 10 प्रतिशत तक); (vi) पुनर्निर्धारण के सभी मामलों में प्रवर्तक की निजी गारंटी प्राप्त करनी चाहिए और निजी गारंटी के ऐवज में कारपोरेट गारंटी स्वीकार नहीं करनी चाहिए; (vii) पुनर्निर्धारण के बाद एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाते अर्थात् स्तर कम किए गए पुनर्निर्धारित खाते का स्तर ऊपर उठाने के मानदंड कड़े किए गए हैं; और (viii) बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे पुनर्निर्धारण के सभी मामलों में “क्षतिपूर्ति का अधिकार” शामिल करें।

अंतर-समूह लेनदेनों और एक्सपोजरों का प्रबंधन

VI.33 पूंजी पर्याप्तता संरचना बैंकों के पूंजी संसाधनों से बड़े एक्सपोजरों के दृष्टि विवेकसम्मत जोखिम को पूर्णतः समाप्त करने की दृष्टि से सक्षम न होने से विवेकसम्मत एक्सपोजरों की विभिन्न सीमाएं तय की गईं ताकि किसी तीसरे पक्ष या ऐसे पक्षों के समूहों द्वारा चूक करने की स्थिति में बैंक को अधिक हानि न हो। किंतु किसी बैंक की स्थिरता और शोधन क्षमता बैंक से संबंधित पक्षों द्वारा भी ऑर्गेनिक लिंकों, जिन्हें सामान्यतः समूह संस्थाएं कहा जाता है, के माध्यम से भी प्रभावित हो सकती है। अंतर-समूह लेनदेन और एक्सपोजर से व्यापक हानि हो सकने और इससे किसी बैंकिंग समूह का ऑन-गोईंग कारोबारी परिचालन प्रभावित हो सकने की संभावना के कारण इस पर्यवेक्षी चिंता को प्रेरणा मिलती है कि समूह के भीतर के जोखिम संकेंद्रन की पहचान और निगरानी की जाए और उसे किसी पर्याप्त प्रबंधन रणनीति के अंतर्गत रखा जाए।

VI.34 रिजर्व बैंक ने समूहों के प्रति बैंकों के लेनदेनों और एक्सपोजरों को सीमित करने के लिए अगस्त 2012 में मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। मसौदा दिशानिर्देशों में वित्तीय आईटीई के लिए मात्रात्मक सीमाएं और गैर वित्तीय आईटीई के लिए विवेकसम्मत उपायों के प्रस्ताव दिए गए ताकि बैंक आईटीई में सुरक्षित और सुदृढ़ पद्धति से कार्य कर सकें।² इन उपायों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक समूह संस्थाओं के साथ लेनदेन करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखे, समूह जोखिम

प्रबंधन और समूहवार निगरानी के संबंध में न्यूनतम अपेक्षा का पालन करें और अंतर-समूह एक्सपोजर की विवेकसम्मत सीमा का पालन करें। मसौदा दिशानिर्देशों पर प्राप्त टिप्पणियों की जांच की जा रही है और अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक

VI.35 अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएसबी) द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) का महत्व वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वैश्विक मानक के रूप में बढ़ता जा रहा है। इस समय, यूरोपीय संघ, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित 100 से अधिक देशों में इनका पालन किया जा रहा है।

VI.36 कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जनवरी 2010 में एक रूपरेखा जारी की जिसमें कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2011 से चरणबद्ध रूपांतरण की योजना दी गई है। किंतु कराधान सहित अन्य विभिन्न मामलों में निर्णय न हो सकने के कारण कार्यान्वयन के दिनांक को स्थगित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2011 से जिन संस्थाओं को आईएफआरएस रूपांतरित भारतीय लेखांकन मानक (I एस) में अंतरित होना था, वे ऐसा नहीं कर पायीं।

VI.37 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में, आईएस 39 की जटिलता को कम करने और वित्तीय संकट से प्राप्त अनुभव का उपयोग करने की दृष्टि से वित्तीय लिखत के वर्तमान मानक अर्थात् आईएस 39 वित्तीय लिखत: पहचान और उपाय को एक नए मानक आईएफआरएस 9: वित्तीय लिखत से प्रतिस्थापित करने के लिए आईएसबी की परियोजना को ध्यान में रखकर एमसीए के रोडमैप में 1 अप्रैल 2013 की विलंबित रूपांतरण समयसूची दी गई। किंतु इस प्रक्रिया में काफी विलंब हो गया जिसका कारण आईएसबी और अमरीका के वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड (एफएसबी) के बीच कुछ मुद्दों पर और विशेष रूप से बाधा के मुद्दे पर समझौता न हो पाना था। आईएफआरएस 9

² गैर-वित्तीय आईटीई का अर्थ वे परिचालन हैं जो कि विधिक रूप से स्वतंत्र अनेक संस्थाओं में कार्रवाई की दिशा या किसी कारोबारी घटक पर नियंत्रण/प्रभावी जोखिम प्रबंधन को सुकर बनाने वाले "मैट्रिक्स" प्रबंधन से उभरते हैं। इसके उदाहरण बैंक-ऑफिस व्यवस्था, आईटी सहायता आदि हैं। वित्तीय आईटीई वे हैं जिनका उत्पादन वित्तीय प्रवाहों से संबद्ध हो सकता है जो कि आस्ति, देयता और /या राजस्व लेनदेन के रूप में दिखता है। इसके उदाहरण निधि आधारित और गैर-निधि आधारित लेनदेन हैं।

को अंतिम रूप देने संबंधी अनिश्चितता के कारण रूपांतरण के भारतीय प्रयास प्रभावित हुए हैं।

निजी क्षेत्र के नए बैंकों का लाइसेंसकरण

VI.38 माननीय वित्त मंत्री द्वारा 2010-11 के उनके बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंसकरण पर मसौदा दिशानिर्देश जनता की टिप्पणियों के लिए 29 अगस्त 2011 को अपनी वेबसाइट पर डाले। दिसंबर 2012 में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करने के परिणामस्वरूप अंतिम दिशानिर्देश तैयार करके 22 फरवरी 2013 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाले गए (बाक्स VI.4)। इसके बाद 1 जुलाई 2013 को कार्य समाप्त तक निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लिए 26 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

पर्यवेक्षी पहले

वाणिज्य बैंकों संबंधी पर्यवेक्षी नीतियों, क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति

VI.39 पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा की उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) (अध्यक्ष: डॉ.के.सी.चक्रवर्ती) की प्रमुख सिफारिशों में से एक सिफारिश अप्रैल 2013 से शुरू होने वाले पर्यवेक्षी चक्र से वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने से संबंधित थी। इस संबंध में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए 2012-13 से चरणबद्ध तरीके से जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) में अंतरित होने की सिफारिश की है। तदनुसार, आरबीएस (I चरण) के अंतर्गत कार्रवाई के लिए 30 बैंकों की सूची बनाई गई है। ये चयनित बैंक बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों के 52 प्रतिशत को कवर करते हैं।

VI.40 आरबीएस में सुगम अंतरण की चुनौती का सामना करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक पर्यवेक्षण की परिवर्तित प्रक्रिया पर बैंकों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। रिजर्व बैंक ने आरबीएस के अंतर्गत बैंकों के 50 वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों और 180 वरिष्ठ

अधिकारियों के लिए संवेदनशील कार्यक्रम आयोजित किए। रिजर्व बैंक ने आरबीएस संरचना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की सहायता के लिए अप्रैल 2013 से बैंकों से अतिरिक्त आंकड़े मंगाने की प्रणाली शुरू की है।

सीमापारीय पर्यवेक्षण और सहयोग के लिए विदेशी प्रतिपक्षियों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन

VI.41 “गृह” और “मेजबान” पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की पूर्ववर्ती अनौपचारिक प्रक्रिया को समझौता ज्ञापन प्रणाली के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जा रहा है। यह माध्यम काफी महत्वपूर्ण बन रहा है क्योंकि भारतीय बैंकों के सीमापारीय परिचालन तेजी से बढ़ रहे हैं। एफएसपी दल ने “गृह-मेजबान संबंध” पर बीसीपी 25 (संशोधित सिद्धांत 13) सहित 3 बीसीपी (कुल 29 बीसीपी में से) के संबंध में रिजर्व बैंक को “प्रमुख रूप से अननुपालक” के रूप में दर्शाया है।

VI.42 इस पृष्ठभूमि में रिजर्व बैंक ने सोलह विदेशी पर्यवेक्षकों, नामतः चीनी बैंकिंग विनियामक आयोग, दुबई वित्तीय सेवा विनियामक प्राधिकारी, दक्षिण अफ्रीका रिजर्व बैंक, कतर वित्तीय केंद्र विनियामक प्राधिकारी, कतर केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन, जर्सी वित्तीय सेवा आयोग, वित्तीय सेवा प्राधिकारी, यूके, फाइनेन्सटिलसिनेट (नार्वे का एफएसए), सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन, स्टेट बैंक ऑफ विएतनाम, बैंक ऑफ मॉरीशस, रिजर्व बैंक ऑफ फिजी, नैशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, बा-फीन और एसीपी और बैंक डी फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किए हैं। इसके अलावा, 28 अन्य विदेशी पर्यवेक्षकों के संबंध में प्रस्ताव समझौता ज्ञापन के पारस्परिक सहमति योग्य फार्मेट अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न स्तरों पर हैं। समझौता ज्ञापन पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान का फार्मेट उपलब्ध कराता है, हालांकि यह विधिक रूप से बंधनकारी नहीं होता।

वित्तीय संगुटों की निगरानी के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ समझौता ज्ञापन

VI.43 वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) को सौंपे गए दायित्वों में से एक दायित्व बड़े वित्तीय संगुटों

बॉक्स VI.4

निजी क्षेत्र के नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना

दिशानिर्देशों के अनुसार निवासियों के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली निजी क्षेत्र की संस्थाएं/समूह एवं सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं बैंक खोलने के लिए पात्र होंगे। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) भी बैंक खोलने के लिए पात्र होंगी।

दिशानिर्देश में प्रवर्तक/प्रवर्तक समूहों के लिए 'उचित और योग्य' मानदंड निर्धारित किया गया है। प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह को 10 साल के सफल कार्यानिष्ठादन के साथ वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ होना चाहिए और उसकी पिछली साख एवं सत्यनिष्ठता सुदृढ़ होनी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ रिजर्व बैंक अन्य विनियामकों और प्रवर्तन एवं जांच एजेंसियों से जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रवर्तक/प्रवर्तक समूहों के कारोबार मॉडल और कारोबार संस्कृति का बैंकिंग मॉडल के साथ बेमेल संबंध नहीं होना चाहिए और उनके कारोबार की सामूहिक गतिविधियां जोखिम की प्रकृति की या आस्ति के मूल्य में अधिक अस्थिरता लाने वाली नहीं होनी चाहिए जो बैंक एवं बैंकिंग प्रणाली को संभावित जोखिम में डाल सकती है।

निजी क्षेत्र के नए बैंकों की स्थापना पूर्णतः स्वाधिकृत गैर-परिचालनीय वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के जरिए की जाएगी। एनओएफएचसी प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह द्वारा पूर्णतः स्वाधिकृत होगी। एनओएफएचसी के अंतर्गत उन बैंकों के साथ-साथ अन्य सभी वित्तीय सेवा संस्थाएं आएंगी जिसमें प्रवर्तक/प्रवर्तक समूहों का काफी प्रभाव या नियंत्रण है। दिशानिर्देश के अनुसार केवल प्रवर्तक समूह की सामूहिक एवं अलग-अलग गैर-वित्तीय सेवा कंपनी/संस्था और गैर-परिचालनीय वित्तीय होल्डिंग कंपनी को ही एनओएफएचसी में शेयर धारण करने की अनुमति दी जाएगी। वे वित्तीय सेवा संस्थाएं एनओएफएचसी की शेयरधारक नहीं हो सकतीं जिनका शेयर एनओएफएचसी द्वारा धारण किया गया है। एनओएफएचसी का एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण किया जाएगा और वह रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कंपनी अभिशासन मानक एवं विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करेगी।

निजी क्षेत्र के नए बैंकों में एफडीआई, एनआरआई एवं एफआईआई के जरिए समग्र अनिवासी शेयरधारिता बैंक को लाइसेंस दिए जाने की तिथि से पहले

पांच वर्षों के लिए प्रदत्त मताधिकारी इक्विटी पूंजी के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और किसी भी अनिवासी शेयरधारक को बैंक का कारोबार शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंक की प्रदत्त मताधिकारी इक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत या इससे अधिक शेयर धारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले पांच वर्ष की अवधि पूरा होने के बाद अनिवासी शेयरधारिता वर्तमान एफडीआई नीति के अनुसार होगी।

एनओएफएचसी के अंतर्गत आने वाले बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह की संस्थाओं या प्रवर्तक समूह के साथ जुड़ी अलग-अलग संस्थाओं को अथवा एनओएफएचसी को ऋण नहीं दे सकतीं। गैर-वित्तीय कारोबार से सुजित आस्ति आय 40 प्रतिशत या इससे अधिक वाले समूहों द्वारा प्रवर्तित बैंकों को ₹5 बिलियन के प्रत्येक ब्लॉक के लिए ₹10 बिलियन से अधिक प्रदत्त मताधिकारी इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की जरूरत होगी।

कारोबार की योजना वास्तविक एवं व्यवहार्य होनी चाहिए और इसमें वित्तीय समावेशन को हासिल करने के संबंध में बैंकों की कार्यनीति का भी उल्लेख करना चाहिए। बैंकों को अपनी कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (नवीनतम जनगणना के अनुसार 9,999 तक की आबादी) में खोलनी होंगी। बैंकों को वर्तमान देशी बैंकों पर लागू प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों एवं उप-लक्ष्यों का अनुपालन करना होगा। बैंक को कोर बैंकिंग प्रणाली के आधार पर कार्य करना होगा और शिकायतों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय ग्राहक शिकायत कक्ष स्थापित करना होगा।

प्रस्तावित नए बैंकों के लिए पात्र पाए गए आवेदनों को रिजर्व बैंक द्वारा गठित की जाने वाली उच्च स्तरीय सलाहकार समिति को भेजा जाएगा जिसमें बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र एवं अन्य संगत क्षेत्रों के प्रसिद्ध अनुभवी व्यक्ति शामिल होंगे।

उच्च स्तरीय सलाहकार समिति आवेदनों की संवीक्षा हेतु अपनी निजी कार्यप्रणाली बनाएगी और अपनी सिफारिशों को रिजर्व बैंक के पास विचारार्थ भेजेगी। बैंक की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन जारी करने का निर्णय रिजर्व बैंक द्वारा लिया जाएगा, जो कि अंतिम होगा।

के समष्टि विवेकसम्मत पर्यवेक्षण का है। इस संदर्भ में, एफएसडीसी की उप-समिति के दिशानिर्देशों के संदर्भ में वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए एफएसडीसी की उप-समिति के तत्वावधान में "प्रमुख विनियामक" सिद्धांत के आस-पास का अंतर-विनियामकीय फोरम बनाया गया है। अंतर-विनियामकीय फोरम के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के उप गवर्नर (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी) होते हैं और इसमें क्षेत्रीय विनियामकों (रिजर्व

बैंक, सेबी, आईआरडीए और पीएफआरडीए) से वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं।

VI.44 संस्थागत प्रणाली बनाने के एक भाग के रूप में, आंकड़ों/सूचना के आदान-प्रदान को सुकर करने और समन्वित निरीक्षण, वसूली और संकल्प की योजना बनाने जैसी अन्य सहयोगी व्यवस्थाएं बनाने के लिए विनियामकों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 2011-12 के लिए वित्तीय संगुटों तथा वित्तीय संस्थाओं की पहचान करने के लिए

वित्तीय संगुट निगरानी के अंतर-विनियामकीय फोरम ने ऐसे 12 वित्तीय संगुटों की पहचान की है।

पर्यवेक्षी कॉलेज

VI.45 पर्यवेक्षी कॉलेजों का अर्थ संबंधित पर्यवेक्षकों के ऐसे बहुपक्षीय कार्य दल होता है जिनका गठन ऑनगोइंग आधार पर किसी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह का प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण बढ़ाने के प्रयोजन से किया जाता है। ये समन्वय के स्थायी किंतु लचीले स्वरूप के होते हैं जो कि किसी बैंकिंग समूह के पर्यवेक्षण से संबद्ध विनियामकीय प्राधिकारियों को एक साथ लाते हैं। व्यवहार में, ये कॉलेज ऐसी प्रणाली होते हैं जो कि गृह और मेजबान प्राधिकारियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान करते हैं, प्रमुख पर्यवेक्षी कार्यों की समन्वित तरीके से योजना बनाते हैं और उसका निष्पादन करते हैं और साथ ही आपात स्थिति के लिए तैयारी करते हैं और इसका सामना करते हैं। इस प्रकार, पर्यवेक्षी कॉलेज विनियामकीय सहयोग की एक प्रक्रिया है।

VI.46 भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने और गृह देश के पर्यवेक्षक की अपनी क्षमता में रिजर्व बैंक ने भारत में दो प्रमुख वित्तीय संस्थाओं - भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लि. के अनेक पर्यवेक्षी देशों में बढ़ रहे परिचालनों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए पर्यवेक्षी कॉलेज का गठन किया गया। पर्यवेक्षी कॉलेज की पहली बैठक दिसंबर 2012 में आयोजित की गई। इस बैठक में अनेक गृह देशों के पर्यवेक्षक/विनियामक आए।³

ग्राहक सेवा

प्राप्त और निपटायी गई शिकायतें

VI.47 रिजर्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 नामक लागत रहित, शीर्ष स्तरीय शिकायत निपटान प्रणाली शुरू की। 2012-13 के दौरान देश भर में स्थित बैंकिंग लोकपाल के पंद्रह कार्यालयों में ग्राहकों से बैंकिंग

सेवाओं में कमी से संबंधित 70,541 शिकायतें प्राप्त हुईं। वर्ष के प्रारंभ में 4,642 शिकायतें लंबित थीं। बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों ने वर्ष के दौरान 93 प्रतिशत की दर से 69,705 शिकायतों का निपटान किया। वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपालों द्वारा 312 अभिनिर्णय दिए गए।

VI.48 ग्राहक सेवा विभाग के प्रभारी उप गवर्नर, जो कि बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अभिनिर्णय या निर्णय के विरुद्ध अपील प्राप्त करते हैं। 2012-13 के दौरान अपीलीय प्राधिकारी को 359 अपील प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान 13 अपीलों लंबित थीं। प्राप्त अपीलों में से 307 व्यवहार्य नहीं थीं। शेष 65 व्यवहार्य अपीलों में से 29 का निपटान ग्राहकों के पक्ष में और 26 का निपटान बैंकों के पक्ष में हुआ। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार 10 व्यवहार्य अपीलों का निपटान नहीं हुआ था।

VI.49 बैंकिंग लोकपाल के अलावा, ग्राहक सेवा में कमी से संबंधित 6,226 शिकायतें रिजर्व बैंक में प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों का निपटान वर्ष के दौरान किया गया।

VI.50 रिजर्व बैंक में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के केंद्रीकृत लोक शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। वर्ष के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से 5,251 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं थीं जिनमें से 30 जून 2013 तक 4,980 शिकायतों का निपटान किया गया था।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और अपीलों की स्थिति

VI.51 बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों द्वारा कार्रवाई की गई शिकायतें और रिजर्व बैंक के अन्य कार्यों से संबंधित आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदन रिजर्व बैंक में प्राप्त होते हैं।

³ गृह देश के पर्यवेक्षकों/विनियामकों में बांग्लादेश बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन, दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकारी, बैंक ऑफ रशिया, वित्तीय सेवा प्राधिकारी (लंदन), फेडरल वित्तीय सेवा प्राधिकारी (बा-फीन), बैंक ऑफ मॉरीशस, नेपाल राष्ट्र बैंक और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकारी शामिल हैं।

2012-13 के दौरान रिजर्व बैंक ने 689 आरटीआई आवेदन हैंडल किए और उनका विधिवत निपटान किया। 2012-13 के दौरान आरटीआई के अंतर्गत 123 अपीलें प्राप्त हुईं जिनमें से 30 जून 2013 तक 110 का निपटान किया गया था।

दामोदरन समिति की रिपोर्ट

VI.52 बैंकों में ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की 232 सिफारिशों में से 155 को लागू किया गया है। लागू की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में अस्थायी दर वाले आवास ऋणों पर पूर्वसमाप्ति प्रभारों की समाप्ति, आधारभूत बचत बैंक जमा खातों की शुरुआत, नो-फ्रिल्स खाते खोलने के लिए केवाईसी के रूप में यूनिफ पहचान संख्या का प्रयोग, विभेदक व्यापारी छूट/डेबिट कार्डों के लिए शुल्क, कार्ड लेनदेन के लिए बहु-कारक प्रमाणन और एसएमएस के माध्यम से कार्ड ब्लॉक करना, इंटर-सोल प्रभारों में एकरूपता शामिल हैं।

बैंकिंग लोकपाल योजना के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना

VI.53 बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों में प्राप्त बहुत अधिक शिकायतों से इस योजना की लोकप्रियता का पता चलता है। इस शीर्ष स्तरीय शिकायत निपटान प्रणाली के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, से जनसंख्या के इस घटक की शक्ति बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। इस दिशा में, रिजर्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर केंद्रित आउटरिच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। बैंकिंग लोकपाल कार्यालय उनके अधिकार क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाते हैं। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक और बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों द्वारा इस संबंध में किए गए उपायों में से कुछ महत्वपूर्ण उपायों में डाक्यूमेंटरी फिल्म, स्थानीय समाचार पत्रों और रेडियो के माध्यम से प्रचार, विभिन्न मेलों में स्टॉल लगाना और दूरदर्शन पर प्रत्यक्ष चर्चा के कार्यक्रम शामिल हैं।

VI.54 बैंकिंग लोकपाल कार्यालय अपने क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के साथ मिलकर टीयर-II के शहरों में टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थी, बैंक ग्राहक, एनजीओ, ग्राहक संघ और पेंशनर संघ सहभागी होते हैं। ये कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में आयोजित किए जाते हैं ताकि इनमें अधिक लोग शामिल हो सकें। इन कार्यक्रमों के दौरान

बैंकिंग लोकपाल और संबंधित बैंकों के अधिकारी सहभागियों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं।

बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में संशोधन और उन्नयन के लिए कार्य दल

VI.55 बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में संशोधन और उन्नयन के लिए रिजर्व बैंक ने जुलाई 2012 में एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया था। इस कार्य दल को इस बात की जांच करने का दायित्व भी दिया गया था कि बैंकिंग लोकपाल योजना से संबंधित दामोदरन समिति की सिफारिशें लागू करने योग्य हैं या नहीं। कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी सिफारिशों को लागू करने की दृष्टि से जांचा जा रहा है।

भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड

VI.56 भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय है जो कि भारत में एकल व्यक्तियों और सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों संबंधी बैंकिंग सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। बैंक स्वयं को बीसीएसबीआई के साथ उसके सदस्यों के रूप में पंजीकृत कराते हैं और बीसीएसबीआई की प्रतिबद्धता संहिता का पालन करने की स्वैच्छिक अनुमति देते हैं। बीसीएसबीआई संहिता और मानकों के अनुपालन की निगरानी और आकलन करता है। इस समय 125 बैंक बीसीएसबीआई के सदस्य हैं।

VI.57 वर्ष के दौरान बीसीएसबीआई ने कार्यशालाओं, टाउन हॉल बैठकों और ग्राहक जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन से संहिता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे।

शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा

VI.58 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना लाभांश घोषित करने के संशोधित मानदंडों की सूचना दी गई थी। इन मानदंडों में निर्धारित सीआरएआर का अनुपालन, निवल एनपीए का निवल अग्रिमों के 5 प्रतिशत से कम होना, सीआरएआर/एसएलएआर में कोई चूक न होना और बैंक द्वारा आईआरएसी मानदंडों और सांविधिक प्रावधानों के अनुसार प्रावधान करना शामिल है। निवल एनपीए को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों का अनुपालन करने वाले और लाभांश की

घोषणा करने की इच्छा रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे लाभांश घोषणा की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यलयों से संपर्क करें बशर्ते उनकी निवल एनपीए 10 प्रतिशत से कम हो।

अंतर-बैंक जमा खातों की अंतरणीयता और शहरी सहकारी बैंकों को केवाईसी संबंधी सूचना

VI.59 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि बैंक की किसी एक शाखा में यदि संबंधित खाते के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तो उसी बैंक में खाते के अंतरण के समय उक्त केवाईसी को वैध माना जाए। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने वर्तमान सभी ग्राहकों के जोखिम के श्रेणीकरण और उनकी प्रोफाइल के संकलन/अद्यतन का कार्य समयबद्ध तरीके से किंतु हर हालत में 31 मार्च 2013 तक पूरा कर लें।

VI.60 17 अप्रैल 2012 को मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य 2012-13 में की गई घोषणा के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को वर्तमान ग्राहकों को यूसीआईसी आबंटित करने के लिए 31 मार्च 2014 तक का समय दिया गया है।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ एएमएल/सीएफटी/ सरलीकरण

VI.61 मौजूदा केवाईसी मानदंडों की समीक्षा करके उन्हें सरल बनाया गया। नए मानदंडों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

- क) *पहचान और पते का सबूत*: यदि पहचान के सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पर पता और ग्राहक द्वारा घोषित पता एक समान हो तो उसे पहचान और पते - दोनों के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाए।
- ख) *पहचानकर्ता*: पीएमएल अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत किसी से पहचान करवाना अनिवार्य नहीं है, अतः खाता खोलते समय बैंकों द्वारा इस संबंध में जोर नहीं दिया जाना चाहिए।
- ग) *केवाईसी के प्रयोजनार्थ आधार पत्र स्वीकार करना*: यदि खाता धारक द्वारा दिया गया पता आधार पत्र में दिए पत्र जैसा ही है तो उसे पहचान और पते - दोनों के सबूत के रूप में स्वीकारना चाहिए।

घ) *सामान्य खातों के लिए केवाईसी के रूप में नरेगा जॉब कार्ड को स्वीकारना*: बैंक “छोटे खातों” पर लागू सीमाओं के बिना बैंक खाता खोलने के लिए नरेगा जॉब कार्ड को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।

ङ) *छोटे खाते*: बैंकों को सूचित किया गया था कि वे “छोटा खाता” खोलने के इच्छुक सभी व्यक्तियों के छोटे खाते इस संबंध में लागू सीमाओं की शर्त पर खोलें।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व - लाभार्थी स्वामी की पहचान

VI.62 भारत सरकार ने लाभार्थी स्वामी के निर्धारण की क्रियाविधि बनाई थी जहां बैंक/वित्तीय संस्था का ग्राहक किसी एकल व्यक्ति या न्यास से अलग होता है। भारत सरकार द्वारा लाभार्थी स्वामी के निर्धारण की बातलाई गई क्रियाविधि से शहरी सहकारी बैंकों को अवगत कराया गया।

शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय पुनर्रचना

VI.63 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि अब से रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय पुनर्रचना के उन प्रस्तावों पर विचार करेगा जिनमें जमाराशि का रूपांतरण इक्विटी/आईपीडीआई में करना शामिल है, जबकि ऐसे रूपांतरण के बाद भी बैंक की निवल मालियत सकारात्मक न हो रही हो। ऐसे रूपांतरण के लिए जमाकर्ता की स्वैच्छिक रूप से सहमति आवश्यक है।

वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - आधारभूत बचत बैंक जमा खाता

VI.64 वित्तीय समावेशन पर पहले के अनुदेशों को अधिक्रमित करते हुए शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने ग्राहकों को बिना किसी प्रभार के “आधारभूत बचत बैंक जमा खाता” का प्रस्ताव दें बशर्ते बैंक खाता खोलने संबंधी केवाईसी/एएमएल पर रिजर्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन किया जाए। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे विद्यमान “नो फ्रिल” खातों को “आधारभूत बचत बैंक जमा खाता” में रूपांतरित करें।

बैंकों में “कोई एक या उत्तरजीवी” या “पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी” के नियम वाली सावधि जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती - स्पष्टीकरण

VI.65 यह दोहराया गया कि “कोई एक या उत्तरजीवी” या “पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी” के नियम वाली सावधि जमाराशि के मामले में शहरी सहकारी बैंकों संयुक्त जमाकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी द्वारा सावधि जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते संयुक्त जमाकर्ताओं ने इस आशय का आदेश दे रखा हो।

जमाराशि पर ब्याज दर

VI.66 यह देखा गया कि बैंकों द्वारा एक ही अवधिपूर्णता की ₹1.5 मिलियन और अधिक की एकल सावधि जमाराशियों पर और अन्य जमाराशियों पर (अर्थात् ₹1.5 मिलियन से कम) प्रस्तावित ब्याज दरों में काफी अंतर था। इसके अलावा, बैंक अवधिपूर्णता में बहुत कम अंतर वाली जमाराशियों पर काफी भिन्न ब्याज दर दे रहे थे जिससे चलनिधि प्रबंधन प्रणाली और मूल्यन पद्धति की अपर्याप्तता का पता चलता है। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे देयताओं के मूल्यन पर बोर्ड से अनुमोदित पारदर्शी नीति लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि एक ही अवधिपूर्णता की ₹1.5 मिलियन और अधिक की एकल सावधि जमाराशियों पर और अन्य जमाराशियों पर (अर्थात् ₹1.5 मिलियन से कम) प्रस्तावित ब्याज दरों में अंतर न्यूनतम रखे।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का गठन

VI.67 भारतीय प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का केंद्रीय पंजीयन कार्यालय (सीईआरएसएआई) से प्राप्त अनुरोध के अनुसरण में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे उनके द्वारा सीईआरएसएआई के साथ किए गए समतुल्य बंधक को स्वैच्छिक रूप से रेकार्ड करें।

सीटीएस 2010 मानकों में अंतरण - अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना

VI.68 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे सीटीएस-2010 मानक से भिन्न चेकों को 31 मार्च 2013 तक बढ़ाई गई सीमा के भीतर वापस लें। यह दिनांक अब 31 जुलाई 2013 तक बढ़ाई गई है।

धोखाधड़ी - श्रेणीकरण और रिपोर्टिंग

VI.69 प्रक्रिया और क्रियाविधि के औचित्यपूर्ण बनाने के एक भाग के रूप में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्रयास की गई उन धोखाधड़ियों की सूचना रिजर्व बैंक को देने की प्रथा बंद करें जहां संभाव्य हानि ₹2.5 मिलियन या अधिक हुई होती। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे तिमाही आधार पर धोखाधड़ियों की सूचना धोखाधड़ियों की तिमाहियों के बाद के माह में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखें। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा करें और अपने निदेशक मंडल के सामने एक नोट उनकी सूचना के लिए रखें।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग समाधान लागू करना

VI.70 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे बेहतर ग्राहक सेवा, प्रभावी विनियामकीय रिपोर्टिंग और एमआईएस रिपोर्टों निकालने के लिए 31 दिसंबर 2013 से पहले अपनी सभी शाखाओं में सीबीएस लागू करें।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए बेजमानती एक्सपोजर मानदंड

VI.71 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ शर्तें (जैसे कि बैंक का संपूर्ण ऋण संविभाग प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कवर हुआ हो, स्वीकृत सभी ऋण कम मूल्य वाले अर्थात् किसी एक खाते में ₹20,000 तक, उनका आकलित सीआरएआर 9 प्रतिशत होना चाहिए और उनके आकलित सकल एनपीए सकल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से कम होने चाहिए) पूरी करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से उनकी कुल आस्तियों के 25 प्रतिशत तक के बेजमानती ऋण (जमानत या इसके बिना) प्रदान कर सकते हैं।

केवाईसी/एएमएल/सीएफटी/धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व - स्व-सहायता समूहों संबंधी मानदंडों का सरलीकरण

VI.72 बचत बैंक खाता खोलते समय और अपने खातों को ऋण से लिंक करते समय केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करने में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए संबंधित मानदंडों को सरल बनाया गया और शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे (i) एसएचजी के बचत खाते खोलते समय सभी पदधारियों

का केवाईसी सत्यापन पर्याप्त होगा और (ii) बचत बैंक खाता खोलते समय केवाईसी सत्यापन पहले ही हो गया होगा और ऋण लिंकेज के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला खाता निरंतर परिचालन में रहेगा, अतः सदस्यों या पदधारियों का अलग से केवाईसी सत्यापन आवश्यक नहीं होगा।

स्वर्ण की खरीद के लिए बैंक वित्त

VI.73 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के यूनितों और स्वर्ण पारस्परिक निधि के यूनितों सहित किसी भी रूप में स्वर्ण के क्रय के लिए अग्रिम प्रदान न करें।

कंपनी ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा लेनदेन

VI.74 10 प्रतिशत या अधिक सीआरएआर, 5 प्रतिशत से कम सकल एनपीए, पिछले तीन वर्षों में निरंतर लाभ का रेकार्ड और मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं वाले तथा अपने निवेश संविभाग की अनिवार्य समवर्ती लेखापरीक्षा वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को कुछ शर्तों के अंतर्गत एससीबी/पीडी के साथ कंपनी ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं करने की अनुमति दी गई।

विलयन/अधिग्रहण के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों का सुदृढीकरण

VI.75 इस क्षेत्र को मजबूत बनाने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, फरवरी 2005 में पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देशों के माध्यम से सुदृढीकरण प्रक्रिया शुरू की गई। रिजर्व बैंक

सारणी VI.2: 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार विलयन/अधिग्रहण में वर्षवार प्रगति

वित्तीय वर्ष	रिजर्व बैंक में प्राप्त प्रस्ताव	रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र	प्रभावी हुए विलयन (आरसीएस द्वारा अधिसूचित)
1	2	3	4
2005-06	24	13	4
2006-07	32	17	16
2007-08	42	26	26
2008-09	16	26	22
2009-10	26	17	13
2010-11	17	15	13
2011-12	10	11	14
2012-13	10	5	3
कुल	177	130	111

ने ऋणात्मक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों के विलयन/अधिग्रहण के लिए जनवरी 2009 में दिशानिर्देशों का अन्य सेट जारी किया। शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं के वाणिज्य बैंकों को अंतरण पर दिशानिर्देश फरवरी 2010 में जारी किए गए। विलयन पर दिशानिर्देश जारी करने के अनुसरण में रिजर्व बैंक को मार्च 2013 तक 177 प्रस्ताव प्राप्त हुए और इसने 130 एनओसी/स्वीकृतियां जारी कीं जिनमें से 111 को संबंधित आरसीएस/सीआरसीएस द्वारा विलयन के लिए अधिसूचित किया गया (सारणी VI.2)।

VI.76 अधिकतर विलयन महाराष्ट्र में हुए जिसके बाद गुजरात और आंध्र प्रदेश का स्थान था (सारणी VI.3)।

सारणी VI.3: शहरी सहकारी बैंकों के विलयन/अधिग्रहण में राज्यवार प्रगति

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	2	12	14	16	6	7	8	1	66
गुजरात	2	2	6	2	2	2	4	1	21
आंध्र प्रदेश	-	1	3	1	3	2	1	-	11
कर्नाटक	-	-	2	1	-	-	-	-	03
पंजाब	-	1	-	-	-	-	-	-	01
उत्तराखंड	-	-	1	1	-	-	-	-	02
छत्तीसगढ़	-	-	-	1	-	1	-	-	02
राजस्थान	-	-	-	-	2	-	1	-	03
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	1	-	1	02
कुल	4	16	26	22	13	13	14	3	111

ग्रामीण सहकारी संस्थाएं ग्रामीण सहकारी बैंकों का लाइसेंसीकरण

राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का लाइसेंसीकरण - वर्तमान स्थिति

VI.77 वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति (अध्यक्ष: डॉ.रकेश मोहन) ने सिफारिश की थी कि बिना लाइसेंस वाले किसी भी सहकारी बैंक को 31 मार्च 2012 से आगे परिचालन करने की अनुमति न दी जाए। किंतु इस कार्य को गैर-बाधक रूप से करना होगा।

VI.78 लाइसेंस के बिना कार्य करने वाले सहकारी बैंकों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण (31 राज्य सहकारी बैंकों में से 17 और 371 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 296) रिजर्व बैंक ने लाइसेंसीकरण के मानदंडों को शिथिल किया। तदनुसार, लाइसेंसीकरण के लिए नाबार्ड के अद्यतन निरीक्षण के आधार पर मात्र दो मानदंड निर्धारित किए गए: (i) सीआरएआर - न्यूनतम 4 प्रतिशत और (ii) पिछले एक वर्ष में सीआरएआर/एसएलआर बनाए रखने में कोई चूक न हुई हो (एक/दो बार हुई चूक की अनदेखी की जा सकती है)।

VI.79 शिथिल किए गए लाइसेंसीकरण के मानदंडों से अनेक सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्राप्त हुए और 31 मार्च 2012 को मात्र 43 बैंक बिना लाइसेंस के थे (एक राज्य सहकारी बैंक और 42 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक)। इन बैंकों को निर्देश जारी करके नई जमाराशियां लेने से मना किया गया और सूचित किया गया कि वे लाइसेंसीकरण के मानदंड 30 सितंबर 2012 तक प्राप्त करने के लिए निगरानीयोग्य कार्य योजना बनाएं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा पूंजी की आपूर्ति करने के कारण 17 बैंक (एक राज्य सहकारी बैंक और 16 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) लाइसेंस के लिए पात्र हुए किंतु शेष 26 बैंक विस्तार के बाद भी लाइसेंसीकरण के मानदंड पूरे नहीं कर पाए।

VI.80 7 मार्च 2013 तक लाइसेंसीकरण के मानदंड पूरे न कर सकने वाले सभी 26 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को नोटिस जारी करके उन्हें कारण बतलाने की सूचना दी गई बैंकिंग कारोबार जारी रखने के लिए रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए उनके आवेदनों को अस्वीकार क्यों न किया जाए। महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा

निधि जारी करने के बाद दो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने लाइसेंसीकरण मानदंड पूरे किए और तीसरे ने अपने बल पर लाइसेंसीकरण मानदंड पूरे किए। इन तीन बैंकों को लाइसेंस जारी किए गए। इस प्रकार, अद्यतन स्थिति के अनुसार चार राज्यों में 23 बैंक बिना लाइसेंस वाले हैं (उत्तर प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 3, जम्मू कश्मीर में 3 और पश्चिम बंगाल में 1)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गतिविधियां

आरआरबी का समामेलन

VI.81 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का सुदृढीकरण 2005 में शुरू किया गया था। सितंबर 2005 और मार्च 2010 के बीच आरआरबी के समामेलन के प्रथम चरण में समान प्रायोजक बैंक वाले किसी राज्य के आरआरबी का समामेलन किया गया जिससे उनकी संख्या 196 से कम होकर 82 रह गई। 1 अक्टूबर 2012 को प्रारंभ हुए वर्तमान चरण में भारत सरकार की योजना है कि विभिन्न प्रायोजक बैंकों के अंतर्गत के किसी राज्य की भीतर के भौगोलिक रूप से आसपास के बैंकों का समामेलन किया जाए ताकि मध्यम आकार के राज्य में एक ही आरआरबी हो और बड़े आकार के राज्य में 2 या 3 ही आरआरबी हों। अद्यतन स्थिति के अनुसार, भारत सरकार ने 10 राज्यों में 36 आरआरबी का समामेलन करके 15 नए आरआरबी बनाए जिससे उनकी संख्या 61 रह गई। समामेलित नए आरआरबी के संबंध में अनुसूचीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।

आरआरबी का पुनर्पूँजीकरण

VI.82 केंद्र सरकार ने आरआरबी के सीआरएआर के वर्तमान स्तर के अध्ययन के लिए और इस 31 मार्च 2012 तक 9 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना का सुझाव देने के लिए सितंबर 2009 में एक समिति बनाई थी (अध्यक्ष: डॉ.के.सी.चक्रवर्ती)। इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल 2010 को प्रस्तुत की। समिति का आकलन था कि 40 आरआरबी के लिए ₹22 बिलियन की पूंजी की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। नाबार्ड ने सूचित किया है कि 36 आरआरबी का पूर्णतः पुनर्पूँजीकरण हो गया है जबकि 4 आरआरबी के पुनर्पूँजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुनर्पूँजीकरण की योजना को 2013-14 तक बढ़ा दिया गया है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

VI.83 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) रिजर्व बैंक की पूर्णतः स्वाधिकृत अनुषंगी संस्था है। 31 मार्च 2013 को पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,167 थी जिनमें 89 वाणिज्य बैंक, 67 आरआरबी, 4 स्थानीय क्षेत्र के बैंक और 2,007 सहकारी बैंक थे। भारत में निक्षेप बीमा की वर्तमान सीमा ₹0.1 मिलियन होने से, 1,393 मिलियन पूर्णतः संरक्षित खातों (31 मार्च 2013 को) की संख्या कुल खातों (1,482 मिलियन) के 94 प्रतिशत थी जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक 80 प्रतिशत का है। राशि-वार, ₹21,584 बिलियन की बीमाकृत जमाराशि ₹66,211 बिलियन की आकलनयोग्य जमाराशि के 32.6 प्रतिशत थी जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक 20-40 प्रतिशत का है।⁴ वर्तमान स्तर पर, 31 मार्च 2013 को बीमा कवर प्रति व्यक्ति आय का 1.45 गुना था।

VI.84 डीआईसीजीसी अपनी निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण अपने अधिशेषों, अर्थात् प्रति वर्ष व्यय की तुलना में कर घटाकर अतिरिक्त आय (जिसमें मुख्यतः बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेश से प्राप्त ब्याज आय और विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई नकदी शामिल होती है)। इस निधि का प्रयोग परिसमापन/पुनर्संरचना/समामेलन आदि में लिए गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए किया जाता है। 2012-13 के दौरान, डीआईसीजीसी ने 63 सहकारी बैंकों के ₹2.00 बिलियन के दावों का निपटान किया जबकि पिछले वर्ष दावों की यह राशि ₹2.87 बिलियन थी। 31 मार्च 2013 को डीआईएफ की मात्रा ₹361.20 बिलियन थी जो कि 1.7 प्रतिशत के आरक्षित अनुपात (डीआईएफ/बीमाकृत जमाराशि)।

VI.85 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने एफएसबी के अधिकार क्षेत्रों की वर्तमान व्यवस्था और इन व्यवस्थाओं में किसी योजनाबद्ध परिवर्तन के आकलन के लिए मानक के रूप में प्रमुख मानकों का प्रयोग करके समाधान व्यवस्था (रिजोल्यूशन रेजिम) की पीयर समीक्षा की। एफएसबी ने पीयर समीक्षा रिपोर्ट अप्रैल 2013 में जारी की। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि जहां अनेक क्षेत्रों में प्रमुख विधायी सुधार किए गए हैं, वहीं प्रमुख

मानकों को लागू करने का कार्य प्रारंभिक स्थिति में है। मजबूत समाधान व्यवस्था लागू करने के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि यह व्यवस्था एसआईएफआई सहित विफल हो रही संस्थाओं का समाधान करने में सक्षम है।

VI.86 वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अनिश्चितता से घबराहट फैल गई और बैंक विफल हो गए। इन स्थितियों में, निक्षेप बीमा घबराहट को रोकने वित्तीय सुरक्षा नेट के महत्वपूर्ण भाग के रूप में उभरा (बाक्स VI.5)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

एनबीएफसी की नई श्रेणी

VI.87 2012-13 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की नई श्रेणी अर्थात् एनबीएफसी - फैक्टर का निर्माण किया गया। नई एनबीएफसी श्रेणी संबंधी दिशानिर्देश बाक्स VI.6 में दिए गए हैं।

विविध अनुदेश

VI.88 एनबीएफसी के लिए प्रतिभूतिकरण पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए जिनमें अन्य बातों के अलावा यह विनिर्दिष्ट किया गया कि संविभाग का प्रतिभूतिकरण न्यूनतम धारण अवधि के बाद किया जा सकता है और प्रारंभकर्ता द्वारा प्रतिभूतिकृत संविभाग का एक भाग अपने पास रखना जरूरी है। दिशानिर्देशों में द्विपक्षीय असाइनमेंट पर भी ध्यान दिया गया है जिसके तहत प्रारंभकर्ता ऋण वृद्धि उपलब्ध नहीं करा सकता।

VI.89 स्वर्ण की जमानत पर उधार देने वाली सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे 60 प्रतिशत से अनधिक का मूल्य-ऋण अनुपात बनाए रखें और उनकी आस्तियों की तुलना में ऐसे ऋणों का प्रतिशत अपने तुलनपत्रों में दर्शाएं। यदि स्वर्ण ऋण में 50 प्रतिशत या अधिक वित्तीय आस्तियां शामिल हैं तो एनबीएफसी 1 अप्रैल 2014 से न्यूनतम 12 प्रतिशत की टीयर 1 पूंजी बनाए रखेगी। इसके अलावा, एनबीएफसी द्वारा बुलियन/प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण सिक्कों की जमानत पर या प्राथमिक स्वर्ण, स्वर्ण बुलियन, स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण सिक्कों, स्वर्ण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के यूनितों और स्वर्ण पारस्परिक निधि के यूनितों सहित

⁴ बासेल, स्विटजरलैंड में मई 2002 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय निक्षेप बीमांकक संघ के प्रथम वार्षिक सम्मेलन में सामान्य नियम के रूप में स्वीकार किया गया।

बाक्स VI.5

वित्तीय प्रणाली में निक्षेप बीमा - कुछ टिप्पणियां

निक्षेप (जमाराशि) बीमा का प्रावधान अनेक प्रयोजनों के लिए उपयोगी है। पहला, इससे बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ता है जिससे वित्तीय स्थिरता में सहायता मिलती है। दूसरा, निक्षेप बीमा से जमाकर्ताओं को और विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशि की सुरक्षा के माध्यम से लाभ मिलता है जिससे सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य पूरा होता है। तीसरा, बैंकिंग प्रणाली में विश्वास और सुरक्षित तथा वहनीय अल्प बचत खातों तक व्यापक पहुंच से वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलता है और लोगों को अनपेक्षित व्ययों और अधिक सुरक्षित वित्तीय भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायता मिलती है। विश्व में और विशेष रूप से अल्प विकसित देशों तथा उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रूप से अलगाव को देखते हुए निक्षेप बीमा वित्तीय समावेशन का प्रभावी साधन है।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने अपनी सदस्य संस्थाओं के बीच निक्षेप बीमा प्रणाली की समीक्षा की। रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है कि वैश्विक वित्तीय संकट ने जमाकर्ता मुआवजे की प्रभावी व्यवस्था के महत्व को प्रकट कर दिया। इस संकट के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों की प्रथाओं में समन्वय और ऐसी विशेषताओं वाली प्रणाली पर सहमति उभरी जिसमें अधिक कवरेज के स्तर, सह-बीमा की समाप्ति, चुकौती प्रक्रिया में सुधार, जमाकर्ताओं में अधिक जागरूकता, अधिक देशों द्वारा प्रत्याशित निर्धायन अपनाना और सूचना के आदान-प्रदान को मजबूत बनाना और अन्य सुरक्षा नेट सहभागियों के साथ समन्वय शामिल है।

वित्तीय प्रणाली में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए निक्षेप बीमाकर्ताओं द्वारा बीसीबीएस-आईएडीआई ‘‘प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली के कोर सिद्धांत’’ का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में ‘‘कोर सिद्धांत’’ से विभेद दिखता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। भारत सहित कुछ देशों में जमाराशि लेने वाली बैंकेतर संस्थाओं के पास निक्षेप बीमा कवरेज नहीं होता। दूसरे, कवरेज सीमाओं की आवधिक जांच आवश्यक है ताकि वित्तीय स्थिरता और बाजार अनुशासन के बीच संतुलन रखा जा सके। निधि की पर्याप्तता के निर्धारण के लिए निक्षेप बीमाकर्ताओं को जोखिम मूल्य (जमाराशि के) और विफलता को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, सूचना तक समय पर पहुंच की दृष्टि से चुकौती की पर्याप्तता, समयबद्धता और दक्षता निक्षेप बीमाकर्ता एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण है। निक्षेप बीमा प्रणाली में चुकौती प्रक्रिया की तैयारी और प्रभावशीलता की नियमित जांच होनी चाहिए। इस संबंध में, अमरीका और यूके में लागू ‘‘एकल ग्राहक दृष्टिकोण’’ जैसी आंकड़ा प्रणाली को भारत में लागू करने की आवश्यकता है।

वित्तीय संकट से अनेक प्रणालियों में दायित्व वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्थाओं के सामने निक्षेप बीमाकर्ता और सुरक्षा नेट के अन्य सहभागियों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने की चुनौती है जिससे दावों का उचित रिजोल्यूशन और निपटान सुनिश्चित होगा। निक्षेप बीमाकर्ता एजेंसियों के बीच सूचना की सीमापारीय व्यवस्था को मजबूत करना भी आवश्यक है।

किसी भी रूप में स्वर्ण के क्रय के लिए अग्रिम प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

VI.90 व्यष्टि वित्त और स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर उधार देने संबंधी परिचालनात्मक मामलों के संदर्भ में ऐसी एनबीएफसी को जारी उचित प्रथा संहिता को संशोधित किया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार एनबीएफसी को अपने बोर्ड के अनुमोदन से शिकायत निपटान अधिकारी नामक शिकायत निपटान प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जिसे अपनी सभी शाखाओं में अच्छी तरह दिखने योग्य तरीके से प्रदर्शित कराना चाहिए; उचित प्रथा कोड देशी भाषा में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित कराने चाहिए; अन्य के अलावा ऋण मूल्यन में पारदर्शिता होनी चाहिए। स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर उधार देने वाली एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन करें; स्वर्ण के स्वामित्व के लिए आंतरिक नीतियां बनाएं; स्वर्ण संपार्श्विक के लिए पर्याप्त सुरक्षा और बीमा की व्यवस्था करें और बोर्ड अनुमोदित कार्य योजना बनाएं। एनबीएफसी अपनी नीलामियों

में सहभागी नहीं हो सकतीं।

VI.91 सभी एनबीएफसी के लिए, उनके आकार पर ध्यान दिए बिना, मार्जिन कैप संशोधित की गई और इसे 31 मार्च 2014 तक के लिए 12 प्रतिशत रखा गया है। किंतु 1 अप्रैल 2014 से एमएफआई ऋणों (रु.100 करोड़ से अधिक ऋण संविभाग) के लिए मार्जिन कैप 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और अन्य के लिए यह 12 प्रतिशत होगी।

VI.92 कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के विशेष कारोबारी मॉडल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि बीमा कारोबार में उनके प्रवेश के संदर्भ में दिशानिर्देशों का अलग सेट जारी किया जाए। पात्रता मानदंड में अन्य बातों के अलावा रु.500 करोड़ की स्वाधिकृत निधि, निवल अग्रिमों के 1 प्रतिशत से अनधिक निवल एनपीए और निरंतर तीन वर्षों तक लाभ प्राप्ति शामिल है। सीआईसी को बीमा कंपनी की इक्विटी के 100 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

बाक्स VI.6 एनबीएफसी-फैक्टर्स

केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2012 में अधिसूचित फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 का उद्देश्य प्राप्य राशियों को फैक्टर्स के पक्ष में फैक्टर्स और समनुदेशन को विनियमित करना और प्राप्य राशियों के समनुदेशन के प्रति पक्षों के अधिकारों और दायित्वों की रूपरेखा बनाना है।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत, बैंक, सरकारी कंपनियों आदि से भिन्न फैक्टरिंग कंपनियां (इस अधिनियम की धारा 5 में दिए अनुसार) रिजर्व बैंक में एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत होंगी और रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत विनियमन के अंतर्गत होंगी। इसलिए, एनबीएफसी की एक नई श्रेणी, अर्थात् एनबीएफसी-फैक्टर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया और इस संबंध में अलग निर्देश जारी किए गए।

इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि फैक्टरिंग का कारोबार करने की इच्छा रखने वाली प्रत्येक कंपनी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दिए अनुसार एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीयन प्रमाणपत्र पाने के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करे। इन निर्देशों में दी गई सभी शर्तों को पूरा करने वाली मौजूदा एनबीएफसी को सूचित किया गया है कि वे उन्हें एनबीएफसी-फैक्टर की श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए इस अधिसूचना के दिनांक से छह माह के भीतर रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें जहां उनका पंजीयन हुआ हो और अपने साथ रिजर्व बैंक से उन्हें प्राप्त मूल पंजीयन प्रमाणपत्र भी रखें। उनके अनुरोध के समर्थन में उनके पास उनके सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें उनकी आस्तियों और आय का पैटर्न दिया हुआ हो। रिजर्व बैंक में पंजीकृत न होने वाली कोई संस्था फैक्टरिंग का कारोबार तभी कर सकती है जब वह यदि उक्त अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित संस्था हो, अर्थात् कोई बैंक या संसद या राज्य विधान के किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई निगम, या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अंतर्गत अधिसूचित कोई सरकारी कंपनी हो। रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में कार्य करने के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर रिजर्व बैंक से पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त होने के दिनांक से छह माह के भीतर कारोबार शुरू करेगी।

एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीयन प्रमाणपत्र चाहने वाली प्रत्येक कंपनी के लिए ₹5 करोड़ की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि निर्धारित की गई है। एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में कार्य करने के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र चाहने वाली किंतु ₹5 करोड़ की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि का मानदंड पूरा न करने वाली वर्तमान कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे इस अपेक्षा के

अनुपालन के लिए समय प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क करें।

एनबीएफसी-फैक्टर के लिए कारोबार का प्रमुख मानदंड

- एनबीएफसी-फैक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि फैक्टरिंग कारोबार में उसकी वित्तीय आस्तियां उसकी कुल आस्तियों के कम-से-कम 75 प्रतिशत होनी चाहिए और फैक्टरिंग कारोबार से प्राप्त उसकी आय उसकी कुल आय के 75 से कम नहीं होनी चाहिए।
- रिजर्व बैंक में पंजीकृत और फैक्टरिंग कारोबार करने वाली कोई विद्यमान एनबीएफसी जिसकी कुल आस्तियां/आय 75 प्रतिशत से कम है, को इस अधिसूचना के दिनांक से छह माह के भीतर रिजर्व बैंक को अपना इच्छा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह फैक्टर बनना चाहती है या इस कारोबार को पूर्णतः समाप्त करना चाहती है और साथ में इस प्रभाव की योजना भी प्रस्तुत करनी होगी। किंतु ऐसी एनबीएफसी को इस अधिसूचना के दिनांक से 2 वर्ष के भीतर उक्त 6 (i) में अपेक्षित आस्ति/आय का प्रतिशत बढ़ाना होगा या फैक्टरिंग कारोबार समाप्त करना होगा। अपेक्षित आस्ति/आय का प्रतिशत पूरा होने पर ही उन्हें एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीयन प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि न स्वीकारने वाली या होल्डिंग) कंपनी विवेकसम्मत मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 या गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकारने वाली या होल्डिंग) कंपनी विवेकसम्मत मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007, जैसा भी मामला हो और किसी ऋण कंपनी पर जैसा लागू हो, कर प्रावधान एनबीएफसी-फैक्टर पर लागू होंगे। रिजर्व बैंक को विवरणियों का प्रस्तुतीकरण पंजीकृत एनबीएफसी के लिए वर्तमान में लागू मामले जैसा ही होगा।

निर्यात/आयात फैक्टरिंग

रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा विभाग फेमा, 1999 के अंतर्गत फैक्टर्स को प्राधिकार देता है। अतः निर्यात/आयात फैक्टरिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा का कारोबार करने की इच्छा रखने वाले एनबीएफसी-फैक्टर को चाहिए कि वह विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए फेमा, 1999 के अंतर्गत आवश्यक प्राधिकार के लिए विदेशी मुद्रा विभाग में आवेदन करें और इस विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों और साथ ही फेमा या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, निर्देशों या आदेशों का पालन करें।

VI.93 सीआईसी के विदेशी निवेश के संबंध में उनके लिए निर्देशों का अलग सेट जारी किया गया। विदेश में वित्तीय क्षेत्र के संयुक्त उपक्रमों/अनुषंगी संस्थाओं/प्रतिनिधि कार्यालयों में निवेश करने वाली सभी सीआईसी को रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेना होगा। न्यूनतम पात्रता मानदंडों के अलावा, विदेश में वित्तीय क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा रखने वाली सीआईसी

के लिए रिजर्व बैंक से पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक होगा। वित्तीय क्षेत्र में न्यूनतम 200 प्रतिशत के साथ स्वाधिकृत निधि की 400 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है।

VI.94 मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही समीक्षा के आधार पर, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ दिए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर उधारों की

परिभाषा को भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2012 को अधिसूचित इंफ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्र की मास्टर सूची के साथ सुसंगत किया गया। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि एनबीएफसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उधारों की परिभाषा को बैंकों के अनुरूप किया जाए और इस प्रकार एनबीएफसी विवेकसम्मत मानदंड निर्देश, 2007 की इंफ्रास्ट्रक्चर उधारों की परिभाषा को संशोधित किया गया।

VI.95 वित्तीय क्षेत्र के बढ़ते आकार और जटिलता को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के उपाय किए कि इस क्षेत्र को अभिशासित करने वाले कानून आधुनिक वित्तीय प्रथाओं के अनुरूप हों। तदनुसार, बदलती स्थिति के अनुरूप बने रहने के लिए अनेक संबंधित कानूनों को संशोधित किया गया (बाक्स VI.7)।

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की सिफारिशें

VI.96 केंद्रीय बजट 2010-11 में की गई घोषणा के अनुरूप भारत सरकार ने 24 मार्च 2011 को वित्तीय क्षेत्र विधायी

सुधार आयोग (अध्यक्ष: जस्टिस श्री बी.एन.श्रीकृष्ण) का गठन किया। इस आयोग को व्यापक दायित्व दिए गए जिनमें भारत में वित्तीय क्षेत्र को अभिशासित करने वाले विद्यमान कानून की समीक्षा के अलावा वित्तीय क्षेत्र को अभिशासित करने वाली विधायी और विनियामकीय प्रणाली की संरचना की जांच करना शामिल है।

VI.97 रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 2012 में इस आयोग को टिप्पणियां, सुझाव और जानकारी प्रस्तुत की गई जिसमें वित्तीय स्थिरता के प्रयास के लिए रिजर्व बैंक को स्पष्ट और विशिष्ट दायित्व की आवश्यकता, लोक जमाराशि के विनियमन पर रिजर्व बैंक के एकाधिकार, बैंकिंग विधि का सुदृढीकरण, वैश्विक स्तरीय गोपनीयता कानून की आवश्यकता और ऋण प्रबंधन कार्य रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना शामिल हैं। आयोग ने अक्टूबर 2012 में एप्रोच पेपर जारी किया और पणधारियों से प्रतिसूचना मंगाई। आयोग ने अपने एप्रोच पेपर में वित्तीय क्षेत्र के दूरगामी सुधार सुझाए और इसे आयोग के विधायी सुधारों की रूपरेखा माना गया।

बाक्स VI.7

बैंकिंग क्षेत्र में विधिक गतिविधियां

बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012

बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 जनवरी 18, 2013 से लागू हुआ। इस अधिनियम से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और दायित्वों का अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और दायित्वों का अंतरण) अधिनियम, 1980 संशोधित हुआ और रिजर्व बैंक के विनियामक अधिकारों में वृद्धि हुई और राष्ट्रीयकृत बैंकों को बैंकिंग कारोबार बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए पूंजी बाजारों में पहुंच मिली। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

रिजर्व बैंक को कुल बारह माह की अवधि की शर्त पर बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण करने और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार मिला।

बैंकिंग कंपनियों रिजर्व बैंक के विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्त पर अधिमानी शेयर जारी कर सकती हैं।

किसी व्यक्ति द्वारा बैंकिंग कंपनी में 5 प्रतिशत या अधिक के शेयर या मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा और रिजर्व बैंक इस संबंध में उचित समझी गई ऐसी शर्त लागू कर सकता है।

इसमें अपरिचालित जमा खातों का प्रयोग करके जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि बनाने का प्रावधान है।

इस अधिनियम से रिजर्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों से संबद्ध उद्यमों से सूचना प्राप्त करने और उनका निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

इस अधिनियम से राष्ट्रीयकृत बैंकों को “बोनस” और “राइट” निर्गमों के माध्यम से पूंजी जुटाने का और रु.3000 करोड़ की अधिकतम सीमा से सीमित न होते हुए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने या घटाने का अधिकार मिला है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम के उल्लंघन संबंधी दंड में काफी वृद्धि की गई है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक ऋण समितियों को बैंकिंग कारोबार बंद करना होगा या बैंकिंग कारोबार जारी रखने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

इस अधिनियम से प्राप्त अधिकारों के अनुसार रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों की अतिरिक्त लेखापरीक्षा का आदेश दे सकता है।

(जारी...)

यह सरकारी प्रतिभूतियों और रिजर्व बैंक की अनुमोदित प्रतिभूतियों के प्रति “अनुमोदित प्रतिभूतियों” की गुंजाइश को प्रतिबंधित करता है।

यह अधिनियम रिजर्व बैंक को मतदान अधिकार पर प्रतिबंध को चरणबद्ध तरीके से दस से 26 प्रतिशत हटाने का अधिकार देता है।

प्रतिभूति हित और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 का प्रवर्तन

इस अधिनियम के प्रावधान (धारा 8 और 15 (ख) को छोड़कर) 15 जनवरी 2013 से लागू हुए। इस अधिनियम से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 संशोधित किए गए। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

यह अधिनियम “बहुराज्य सहकारी बैंकों” को और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की मौजूदा परिभाषा में शामिल करता है ताकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण के माध्यम से उपलब्ध वसूली के उपयोग का लाभ बहु राज्याय सहकारी बैंकों को भी मिलेगा।

इसमें ऋण के किसी भी भाग का उधारकर्ता कंपनी के शेयरों में रूपांतरण का प्रावधान है।

यह अधिनियम जमानती ऋणदाता को यह अनुमति देता है कि यदि प्रतिभूति के लिए कोई क्रेता न मिल रहा हो तो वह चूककर्ता उधारकर्ता के विरुद्ध दावे के पूरे या आंशिक निपटान के लिए अचल संपत्ति स्वीकार कर सकता है।

इस अधिनियम के अनुसार जमानती ऋणदाता या कोई व्यक्ति आपत्ति-सूचना फाइल कर सकता है ताकि स्टे प्रदान करने से पहले ऋण वसूली न्यायाधिकरण जमानती ऋणदाता या व्यक्ति की बात सुन सके।

इस अधिनियम से प्राप्त अधिकार के अनुसार केंद्र सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना के दिनांक को यह इससे पहले प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन या प्रतिभूति हित निर्माण करने संबंधी सभी लेनदेनों के पंजीयन को अधिसूचना के माध्यम से आवश्यक बना सकता है।

केंद्र सरकार को अनुमति दी गई है कि वह लोक हित में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की किसी श्रेणी या श्रेणियों को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

यह अधिनियम इस अधिनियम की शुरुआत से पहले या बाद के देय ऋणों के संबंध में बहुराज्य सहकारी बैंकों को अनुमति देता है कि वे या तो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 या ऋण वसूली न्यायाधिकरण के अंतर्गत क्रियाविधि की शुरुआत का विकल्प दे सकते हैं।

धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012

भारत में अंतरराष्ट्रीय मानक जैसा धन शोधन निवारण विधान लाने के लिए और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अधिनियम में अनुभव की गई कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य दल को कार्य योजना प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। संशोधित अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

इसने भारतीय विधि के प्रावधानों को विदेशी देशों की विधि से लिंक करने और विदेशी निर्धारित अपराध के आगम के भारत में किसी भी प्रकार से अंतरण के प्रावधान के लिए “तदनुसूची विधि” की धारणा शुरू की।

इसने “रिपोर्टिंग संस्था” की धारणा शुरू की ताकि उसमें बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्था, मध्यवर्ती संस्था या नामित कारोबार या व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को शामिल किया जा सके।

इस अधिनियम में धन शोधन अपराध की परिभाषा का विस्तार किया गया है ताकि इसमें छिपाव, अधिग्रहण, कब्जा और अपराध के आगम के प्रयोग को अपराधिक कार्य के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अनुसार अपराध के आगम की कुर्की और जब्ती की जा सकती है, भले ही यह सिद्ध होने संबंधी आरोप न हो कि धन शोधन का अपराध हुआ है और संदर्भाधीन संपत्ति धन शोधन से संबंधित है।

इस अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि धन शोधन से संबंधित क्रियाविधि में अन्यथा सिद्ध होने तक संबंधित धन को अपराध से संलग्न समझा जाएगा।

इसमें रिपोर्टिंग संस्था, बोर्ड के नामित निदेशकों और कर्मचारियों को रिपोर्टिंग दायित्वों के संबंध में भूल-चूक के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

VI.98 रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2012 में आयोग के एप्रोच पेपर के प्रमुख मुद्दों, जैसे कि वित्तीय स्थिरता की प्राप्त में रिजर्व बैंक की भूमिका, रिजर्व बैंक की स्वायत्तता और दायित्व, स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय, पूंजी नियंत्रण, एनबीएफसी का विनियमन, ऋण सूचना कंपनियों और प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को एकीकृत वित्तीय विनियामक एजेंसी को अंतरित करने की संभावना, पर आयोग को अपनी

प्रतिसूचना दी। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दो खंडों में मार्च 2013 में प्रस्तुत की। खंड I में आयोग की सिफारिशें और विश्लेषण दिया गया है और खंड II में भारतीय वित्तीय संहिता का ड्राफ्ट दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

VI.99 आयोग ने निम्नलिखित नौ घटकों को सुदृढ़ वित्तीय विधिक ढांचे के घटकों के रूप में मान्यता दी: (i) ग्राहक संरक्षण;

बाक्स VI.8

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की प्रमुख सिफारिशें

आयोग ने निम्नलिखित एजेन्सियों को शामिल करके वित्तीय विनियामक ढांचा बनाने का प्रस्ताव किया है:

- i) भारतीय रिजर्व बैंक - तीन कार्य : मौद्रिक नीति, बैंकिंग विनियामन एवं पर्यवेक्षण और भुगतान प्रणाली।
- ii) एकीकृत वित्तीय एजेन्सी - बैंकिंग और भुगतान प्रणाली को छोड़कर अन्य सभी वित्तीय फर्मों के लिए उपभोक्ता संरक्षण विधि और व्यष्टि-विवेकसम्मत विधि को लागू करना।
- iii) वित्तीय क्षेत्र अपीलीय न्यायाधिकरण - एक अपीलीय निकाय जो रिजर्व बैंक की विनियामक गतिविधियों के संबंध में एकीकृत एजेन्सी, वित्तीय निवारण एजेन्सी के निर्णयों और रिजोल्यूशन निगम के कार्य के कुछ घटकों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा।
- iv) रिजोल्यूशन निगम- जिसमें वर्तमान डीआईसीजीसी को शामिल किया जाएगा। यह संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में कार्य करेगा।
- v) वित्तीय समाधान एजेन्सी - एक सर्व-सेवा केन्द्र जहां उपभोक्ता सभी वित्तीय फर्मों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- vi) लोक ऋण प्रबंधन एजेन्सी - लोक ऋण के प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी।

vii) वित्तीय स्थिरता विकास परिषद - यह एक सांविधिक एजेन्सी होगी जिसमें प्रणालीगत जोखिम और विकास के क्षेत्र में संशोधित कार्य होंगे।

पूंजीगत नियंत्रण के संबंध में, आयोग ने एक ऐसी संस्था बनाने की कल्पना की है जहां केन्द्र सरकार आवक पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करेगी, रिजर्व बैंक जावक पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करेगा और सभी प्रकार के पूंजीगत नियंत्रण का कार्यान्वयन रिजर्व बैंक करेगा।

आयोग की अपेक्षा है कि विनियामक अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विनियामन बनाए। विनियामन बनाने की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसमें ड्राफ्ट विनियामन पर लोगों की टिप्पणियां आमंत्रित करना तथा उन पर विचार करना, विनियामन का लागत-लाभ विश्लेषण इत्यादि शामिल हैं। आपात स्थिति में विनियामन बनाना इस बात का अपवाद हो सकता है। विनियामक दिशा-निर्देश बनाकर विनियामनों पर स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं। दिशा-निर्देश बनाने की प्रक्रिया विनियामन बनाने की प्रक्रिया के समान है। भारतीय वित्तीय संहिता के अनुसार विनियामक द्वारा विनियामन और दिशा-निर्देश ही जारी किए जाएंगे किन्तु ये परिपत्र जैसे प्रत्यायोजित विधानों के रूप में जारी नहीं किए जाएंगे। आईएफसी के प्रावधानों के उल्लंघन को कानूनी कार्रवाई करने योग्य माना जाएगा और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

(ii) व्यष्टि विवेकसम्मत विनियामन; (iii) रिजोल्यूशन; (iv) पूंजी नियंत्रण; (v) प्रणालीगत जोखिम; (vi) विकास और पुनर्वितरण; (vii) मौद्रिक नीति; (viii) लोक ऋण प्रबंधन; और (ix) संविदाओं, व्यापार और बाजार का दुरुपयोग। आयोग की प्रमुख सिफारिशों को बाक्स VI.8 में दर्शाया गया है।

VI.100 एफएसएलआरसी रिपोर्ट ने ऐसे अनेक मुद्दों को सामने लाया है जिनकी वैश्विक प्रथाओं के संदर्भ में और इसे देखते हुए कि भारत में क्या उपयुक्त होगा और क्या नहीं, और साथ ही अंतिम रूप से उचित पाए गए परिवर्तनों के लिए सर्वोत्तम समय के संदर्भ में सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

VII

लोक ऋण प्रबंधन

कठोर चलनिधि स्थितियों के बावजूद रिजर्व बैंक ने 2012-13 के दौरान सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित किया। सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के भारित औसत प्रतिफल में कमी आई लेकिन भारित औसत परिपक्वता में बढ़ोतरी हुई। हाल के वर्षों में उच्च मुद्रास्फीति के बीच जोखिम से बचना चाहने वाले निवेशकों को बेहतर विकल्प प्रदान करके बचतों को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड जारी किये।

केन्द्र सरकार के ऋण का प्रबंधन

बाजार से ऋण

VII.1 वित्तीय वर्ष 2012-13 में मुद्रास्फीतिकारक दबाव और कठोर चलनिधि स्थिति लगातार बनी रही। सरकार के ऋण प्रबंधन के रूप में रिजर्व बैंक ने दो प्रमुख उद्देश्यों, अर्थात् लागत कम करने और रोलओवर जोखिम के अनुरूप परिपक्वता प्रोफाइल के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार के उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित किया। 5,580 बिलियन रुपये का बाजार उधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तथापि, प्राथमिक व्यापारियों पर पिछले वर्ष के 121 बिलियन रुपये की तुलना में 18 बिलियन रुपये की प्रतिभूतियाँ डिवाल्व हुईं। 2012-13 में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए उगाही गई सकल और निवल राशि पिछले वर्ष की राशि से क्रमशः लगभग 9 प्रतिशत और 7 प्रतिशत अधिक थी (सारणी VII.1)।

सारणी VII.1: केन्द्र सरकार की सकल और निवल बाजार उधारियां

(₹ बिलियन)			
मद	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4
निवल उधारियां	3,254 (3,450)	4,364 (3,430)	4,674 (4,790)
सकल उधारियां	4,370 (4,571)	5,100 (4,171)	5,580 (5,696)

दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निर्गम

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बजट अनुमान से लिए गए हैं।

VII.2 दिनांकित प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल मुख्यतः दीर्घावधि दिनांकित प्रतिभूतियों के प्रतिफल में कमी आने के कारण 2011-12 के 8.52 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 8.36 प्रतिशत रह गया। तथापि, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक पर भारित औसत कूपन दर 31 मार्च 2012 के 7.88 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 7.97 प्रतिशत हो गई (सारणी VII.2)।

सारणी VII.2: केन्द्र सरकार का बाजार ऋण - एक प्रोफाइल#

(प्रतिफल प्रतिशत में, परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक इश्यू पर वार्डटीएम का अनुक्रम			वर्ष के दौरान इश्यू			बकाया स्टॉक (मार्च के अंत में)	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	प्रतिभूतियों की अवधि	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	7.71-8.42	7.69-8.77	7.77-8.81	7.69	6-30	13.8	10.45	8.23
2009-10	6.09-7.25	6.07-7.77	6.85-8.43	7.23	5-15	11.16	9.82	7.89
2010-11	5.98-8.67	7.17-8.19	7.64-8.63	7.92	5-30	11.62	9.78	7.81
2011-12	8.21-8.49	7.80-10.01	8.25-9.28	8.52	7-30	12.66	9.60	7.88
2012-13	8.82-8.21	7.86-8.76	7.91-8.06	8.36	5-30	13.50	9.67	7.97

#: एमएसएस के तहत जारी निर्गम शामिल नहीं हैं; वार्डटीएम: परिपक्वता प्रतिफल

VII.3 वर्ष के दौरान दीर्घावधि वाली दिनांकित प्रतिभूतियाँ अधिक मात्रा में जारी की गईं जिसके चलते ऋण प्रतिभूतियों की औसत परिपक्वता पिछले वर्ष के 12.66 वर्ष से बढ़कर 2012-13 में 13.50 वर्ष हो गई।

VII.4 बकाया स्टॉक (अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर) की भारत औसत परिपक्वता 31 मार्च 2012 के 9.60 वर्ष से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 9.67 वर्ष हो गई (सारणी VII.2)। 2012-13 के दौरान लगभग 31 प्रतिशत बाजार ऋण 10-15 वर्ष की परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए लिया गया जबकि 2011-12 में यह 24 प्रतिशत था (सारणी VII.3)।

VII.5 केंद्रीय बजट 2013-14 के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए भारत सरकार की सकल बाजार उधारियाँ 500 बिलियन रुपये के बाईबैंक/स्विचेज को छोड़कर 5,790 बिलियन रुपये (निवल 4,840 बिलियन रुपये) रहने का अनुमान है। दिनांकित प्रतिभूतियों का 2013-14 की पहली छमाही का निर्गम-कैलेंडर भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करके 18 मार्च 2013 को जारी किया गया। वर्ष की पहली छमाही में 3,490 बिलियन रुपये की राशि उगाहने की योजना है जबकि पिछले वर्ष की इसी छमाही में उगाही गई ऐसी राशि 3,700 बिलियन रुपये थी। सकल रूप में 2,400 बिलियन रुपये का बाजार ऋण (और निवल रूप में 2,272 बिलियन रुपये) उगाहने का कार्य 5 अगस्त 2013 तक पूरा कर लिया गया। दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत परिपक्वता पिछले वर्ष की इसी अवधि के 13.62 वर्ष से बढ़कर 14.4 वर्ष हो

गई। प्राथमिक नीलामी के दौरान भारत औसत प्रतिफल पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 8.50 प्रतिशत से कम होकर 7.80 (आईआईबी को छोड़कर) प्रतिशत रह गई।

VII.6 खजाना बिलों की नीलामी के प्रतिफल में जून 2013 को समाप्त तिमाही के मध्य तक गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई किन्तु मई 2013 में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की प्रतिक्रिया के बाद इसमें बढ़ोतरी होना शुरू हुई। चलनिधि की उपलब्धता को सख्त बनाने संबंधी उपायों के बाद खजाना बिलों के प्रतिफल में काफी बढ़ोतरी (91-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिलों में क्रमशः 273 आधार अंक और 209 आधार अंकों की बढ़ोतरी) हुई।

VII.7 वर्ष 2013-14 के केंद्रीय बजट में ऐसे लिखत की शुरुआत करने का प्रस्ताव था जो बचतों, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गों की बचतों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचा सके। बजट घोषणा को ध्यान में रखते हुए 4 तथा 25 जून 2013 को नीलामी प्रक्रिया के जरिए मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड (आईआईबी) जारी किए। इनसे आशा है कि ये वास्तविक प्रतिफल के लिए बेंचमार्क प्रदान करेंगे। बाद में 2013-14 की दूसरी छमाही में सिर्फ खुदरा निवेशकों के लिए ही मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड जारी किए जाएंगे (बाक्स VII.1)।

नकदी प्रबंधन

VII.8 सरकार के पास वर्ष 2012-13 की शुरुआत में 742 बिलियन रुपये का नकद अधिशेष था, किन्तु अपनी व्यय संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकार को शीघ्र ही 12 अप्रैल

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम - परिपक्वता स्वरूप

(₹ बिलियन)

अवशिष्ट परिपक्वता	2010-11		2011-12		2012-13	
	उगाही गई राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	उगाही गई राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	उगाही गई राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	110	2.52	180	3.53	470	8.42
5-9.99 वर्ष	1,520	34.78	2,340	45.88	1,910	34.23
10-14.99 वर्ष	1,640	37.53	1,230	24.12	1,730	31.00
15-19.99 वर्ष	540	12.36	650	12.75	270	4.84
20 वर्ष और उससे अधिक	560	12.81	700	13.73	1,200	21.51
कुल	4,370	100.00	5,100	100.00	5,580	100.00

बाक्स VII.1

मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड का निर्गम

ऋण प्रबंधन रणनीति में किफायती और बाधा रहित तरीके से लोक ऋण का प्रबंधन करने के लिए अनेक लिखत होने चाहिए। मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सरकार के बाजार ऋण के लिए एक महत्वपूर्ण लिखत के रूप में सामने आया है (सारणी 1)।

यद्यपि ऋण प्रबंधन रणनीति के अंतर्गत बाजार ऋण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लिखत जारी किये जा रहे हैं, फिर भी ऐसी रणनीति मुख्यतः नियत दर वाले सांकेतिक बांडों पर निर्भर रही है। मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड का एक प्रकार, पांच वर्षीय पूंजी सूचकांकित बांड (सीआईबी) 29 दिसंबर 1997 को जारी किया गया जिसमें केवल मूलधन के भुगतान को चुकौती के समय मुद्रास्फीति के साथ सूचकांकित किया गया था। परंतु, यह निर्गम अधिक सफल नहीं हुआ क्योंकि यह ब्याज के भुगतान को मुद्रास्फीति के प्रभाव से रक्षित नहीं करता था।

यह सर्वविदित तथ्य है कि बैंकों के लिए एसएलआर रखने की जरूरत और बीमा कंपनियों तथा प्रॉविडेंट फंडों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में कुछ न्यूनतम निवेश की जरूरत के चलते सरकारी प्रतिभूतियों की एक निश्चित मांग है। बाजार ऋण की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए ऋण प्रबंधन रणनीति का

प्रयास लगातार निवेशक आधार बढ़ाना, विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की निश्चित मांग में कमी आने की संभावना से निपटना, होना चाहिए। इसके लिए पूर्व अनुभवों, बाजार के सहभागियों से प्राप्त फीडबैक और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से मिली सीख के आधार पर मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड का नया स्वरूप तैयार किया गया है जिसमें ब्याज के भुगतान और मूलधन की चुकौती की राशि को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के उपाय किए गए हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- मूलधन को मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा (सूचकांक अनुपात);
- कूपन का भुगतान सूचकांकित मूलधन पर किया जाएगा;
- चुकौती के समय समायोजित मूलधन अथवा अंकित मूल्य में से जो अधिक हो उस राशि का भुगतान किया जाएगा; और
- मूलधन को सूचकांकित करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाएगा।

रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति सूचकांकित सरकारी स्टॉक के नाम से इस उत्पाद की शुरुआत की और 4 जून 2013 को 10 बिलियन रुपये की पहली नीलामी आयोजित की। सरकारी बाजार उधार कार्यक्रमों की मदद करने के अलावा, इस उत्पाद के अनेक अन्य लाभ भी हैं। मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड की शुरुआत किए जाने से मूल्य स्थिरता के प्रति सार्वजनिक नीति की विश्वनीयता में सुधार हो सकता है। दीर्घावधि के वित्तीयन में हमेशा ही बहुत अधिक मुद्रास्फीति जोखिम रहता है जिसका निराकरण मुद्रास्फीति संबद्ध लिखत के जरिए ऋण लेकर किया जा सका। यह निजी क्षेत्रों और बैंकों को एक बेचमार्क प्रदान करेगा और इससे उन्हें मुद्रास्फीति-संबद्ध लिखत के जरिए दीर्घावधि ऋण लेने में आसानी होगी। इसलिए यह उत्पाद इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। यह मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को बेहतर ढंग से जानने में भी मदद करेगा जो मौद्रिक नीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचने के लिए लोगों द्वारा सोने में किया जाने वाले निवेश में कमी आ सकती है और यह देश के भुगतान-संतुलन में मदद कर सकता है।

इसकी खुदरा सहभागिता बढ़ाने देने के लिए गैर-प्रतिस्पर्धात्मक हिस्से को अधिसूचित राशि के 20 प्रतिशत तक निश्चित किया गया है। यदि बीमा कंपनियों, पेन्शन फंडों, प्रॉविडेंट फंडों जैसे संस्थागत निवेशकों के भुगतान मुद्रास्फीति से संबद्ध हों तो इनसे भी मुद्रास्फीति सूचकांकित बांडों की कुछ मांग हो सकती है। बैंक भी इस उत्पाद में अपनी परिपक्वता अवधि के आधार पर निवेश कर सकते हैं क्योंकि वे इसके जरिए दीर्घावधि जमा राशियाँ जुटा सकते हैं।

सारणी 1: विभिन्न देशों में केन्द्र सरकार द्वारा जारी देशी बांडों की संरचना (बकाया प्रतिशत के रूप में) (2011 के अंत में)


देश	अस्थिर दर	स्थिर दर	मुद्रास्फीति सूचकांकित	विनियम दर से संबद्ध	अन्य
1	2	3	4	5	6
अर्जेंटीना	14.8	0.8	49.2	34.6	0.7
ब्राजील	31.9	37.5	30.0	0.6	0.0
चिली	0.0	19.2	80.8	0.0	0.0
भारत	2.4	97.6	0.0	0.0	0.0
इंडोनेशिया	22.2	77.8	0.0	0.0	0.0
कनाडा	0.0	92.5	7.5	0.0	0.0
दक्षिण अफ्रीका	11.6	70.8	17.6	0.0	0.0
मेक्सिको	41.4	36.6	22.1	0.0	0.0
जर्मनी	10.9	85.8	2.9	0.4	0.0
यूके	0.0	77.6	22.4	0.0	0.0
यूएसए	0.0	91.2	8.8	0.0	0.0

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस)

2012 को अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लेना पड़ा (चार्ट VII.1)। उसके बाद भारत सरकार ने 12 बार अर्थोपाय अग्रिमों का सहारा लिया, लेकिन 15 सितंबर 2012 से 31 मार्च 2013 तक उनकी शोषराशि घनात्मक रही। वर्ष के दौरान भारत सरकार ने 40 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिमों का सहारा लिया और ओवरड्राफ्ट नहीं लिया जबकि पिछले वर्ष सरकार ने 263 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिम और 70 दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट लिया था।

VII.9 वित्तीय वर्ष 2012-13 की पहली छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा, पहली तिमाही के लिए 500 बिलियन रुपये और दूसरी तिमाही के लिए 450 बिलियन रुपये निर्धारित की गई थी। वर्ष की दूसरी छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 200 बिलियन रुपये निर्धारित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 की पहली छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 300 बिलियन रुपये निर्धारित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष (2013-14) के दौरान 5 अगस्त

चार्ट VII.1: केन्द्र सरकार का नकदी शेष



2013 तक भारत सरकार ने 27 दिन अर्थोपाय अग्रिम तथा 4 दिन ओवरड्राफ्ट लिया।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

बाजार से ऋण

VII.10 राज्य सरकारों के बाजार ऋण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2012-13 के लिए 1,881 बिलियन रुपये का निवल आबंटन किया गया था। 306 बिलियन रुपये की चुकौती को ध्यान रखते हुए जहाँ सकल आबंटन 2,187 बिलियन रुपये रहा, वहीं अनुच्छेद 293(3) के तहत सकल मंजूरीयाँ 1,861 बिलियन रुपये रहीं। 2012-13 में 28 राज्य सरकारों ने 1,773 बिलियन रुपये (निवल 1,467 बिलियन रुपये) की सकल राशि का ऋण लिया जबकि पिछले वर्ष 26 राज्यों ने 1,586 बिलियन रुपये (निवल 1,366 बिलियन रुपये) की सकल राशि का ऋण लिया था (सारणी VII.4)। ओडिशा सरकार ने 2012-13 में बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया जबकि 2011-12 में असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने इसमें भाग नहीं लिया था। 2012-13 में 11 राज्यों ने अपनी समस्त मंजूर राशि का ऋण नहीं लिया जबकि 2011-12 में 14 राज्यों ने ऐसा किया था। मार्च 2013 की समाप्ति पर एसडीएल और पावर बांड का बकाया स्टॉक 8,874 बिलियन रुपये रहा (सारणी VII.5)।

सारणी VII.4: राज्यों की बाजार उधारियाँ

(₹ बिलियन)

Item	2011-12	2012-13	2013-14 (5 अगस्त 2013 तक)
1	2	3	4
निवल आबंटन	1,459	1,881	-
अतिरिक्त आबंटन	157	0	0
वर्ष के दौरान परिपक्वताएं	220	306	291.84
सकल आबंटन	1,835	2,187	-
अनुच्छेद 293 (3) के तहत सकल मंजूरीयाँ	1,634	1,861	832.95
वर्ष के दौरान उगाही गई सकल रकम	1,586	1,773	481.31
वर्ष के दौरान उगाही गई निवल रकम	1,366	1,467	189.47
भारत सरकार की मंजूरीयों के आधार पर उगाहा जाने वाला शेष	48	89	351.64
कुल मंजूरीयों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान उगाही गई रकम	97.09	95.22	-
एसडीएल बकाया (अवधि की समाप्ति पर)	7,424	9,291	-

VII.11 भारत औसत प्रतिफल पिछले वर्ष (2011-12) के 8.79 प्रतिशत से बढ़कर 8.84 प्रतिशत (2012-13) हो गया क्योंकि एसडीएल निर्गम का भारत औसत अंतर तदनुसूची भारत सरकार की प्रतिभूति की तुलना में पिछले वर्ष के 44 आधार अंकों से बढ़कर 71 आधार अंक हो गया था।

सारणी VII.5: बकाया राज्य विकास ऋण और पावर बांड की अवशिष्ट परिपक्वता प्रोफाइल (मार्च 2013 की समाप्ति पर)

(₹ बिलियन)

परिपक्वता वर्ष	राज्य विकास ऋण	पावर बांड	कुल
1	2	3	4
2013-14	321	29	350
2014-15	334	29	363
2015-16	352	29	381
2016-17	315	14	329
2017-18	678	0	678
2018-19	1,181	0	1,181
2019-20	1,306	0	1,306
2020-21	1,045	0	1,045
2021-22	1,586	0	1,586
2022-23	1,654	0	1,654
कुल	8,772	101	8,873

**सारणी VII.6: डब्ल्यूएमए/ओडी का उपयोग और राज्य सरकार का निवेश@
(औसत मासिक बकाया)**

(₹ बिलियन)

माह	विशेष डब्ल्यूएमए			सामान्य डब्ल्यूएमए			ओवरड्राफ्ट			कुल		
	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अप्रैल	10.0	5.0	0.8	7.0	4.0	3.0	9.0	3.0	2.0	26.0	12.0	5.8
मई	6.0	1.0	0.6	1.0	0.3	1.3	0.4	0.0	0.2	7.4	1.4	2.1
जून	2.0	0.6	5.8	3.0	2.0	5.3	0.1	0.2	2.1	5.1	2.8	13.2
जुलाई	1.0	2.0	1.9	1.0	2.0	2.9	0.0	0.8	0.6	2.0	4.8	5.4
अगस्त	2.0	0.6	4.0	3.0	1.0	0.4	0.0	0.3	0.0	5.0	1.9	4.5
सितंबर	1.0	4.0		2.0	4.0		0.1	2.0		3.1	10.0	
अक्टूबर	1.0	5.0		2.0	4.0		0.1	1.0		3.1	10.0	
नवंबर	5.0	5.0		2.0	4.0		0.0	1.0		7.0	10.0	
दिसंबर	3.0	4.0		1.0	4.0		0.1	2.0		4.1	10.0	
जनवरी	3.0	0.6		1.0	1.0		0.0	0.1		4.0	1.7	
फरवरी	0.5	0.1		1.0	3.0		0.0	2.0		1.5	5.1	
मार्च	0.2	0.9		1.0	1.6		0.3	4.9		1.5	0.0	

@ : 5 अगस्त 2013 तक

नकदी प्रबंधन

VII.12 संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी सहित राज्यों के लिए समग्र सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 2012-13 के लिए 102 बिलियन रुपये निर्धारित की गयी जो पिछले वर्ष के समान है। सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की ब्याज दरें रिपो दर से संबद्ध बनी रहीं। 2012-13 में सभी राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का मासिक औसत उपयोग 2011-12 की तुलना में जुलाई, सितंबर-दिसंबर और फरवरी में अपेक्षाकृत अधिक किया

गया (सारणी VII.6)। 2013-14 (अब तक) के दौरान 5 राज्यों ने ओवरड्राफ्ट का उपयोग किया है (सारणी VII.7)।

VII.13 राज्य सरकारों की अधिशेष में स्थित नकद राशि स्वचालित तरीके से 14-दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में निवेश कर दी जाती है जिसके लिए वर्तमान में बट्टा दर 5 प्रतिशत निर्धारित है। 14-दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों (आईटीबी) में औसत निवेश 2011-12 के 722 बिलियन रुपये से बढ़कर 2012-13 में 849 बिलियन रुपये हो गया (सारणी VII.8)। मध्यवर्ती खजाना बिलों

सारणी VII.7: राज्यों द्वारा विशेष/सामान्य डब्ल्यूएमए/ओडी का उपयोग करने के दिनों की संख्या@

राज्य	विशेष डब्ल्यूएमए			सामान्य डब्ल्यूएमए			ओवरड्राफ्ट		
	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	23	13	2	22	12	1	6	5	0
नागालैंड	41	193	76	20	139	56	0	34	35
पंजाब	177	233	74	177	232	74	26	139	37
पश्चिम बंगाल	185	134	38	59	48	15	28	13	9
महाराष्ट्र	0	7	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	0	98	12	0	81	8	0	30	8
मिजोरम	15	7	64	1	3	31	0	0	5
उत्तराखंड	57	2	0	15	0	0	0	0	0
झारखंड	5	14	8	4	14	8	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	136	136	23	5	11	0
मेघालय	-	-	5	-	-	1	-	-	0
हिमाचल प्रदेश	-	-	0	-	-	12	-	-	0
उत्तर प्रदेश	-	-	1	-	-	-	-	-	0

@ : 5 अगस्त 2013 तक

सारणी VII.8: राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश@

(₹ बिलियन)

माह	एटीबी में निवेश			आईटीबी में निवेश			कुल		
	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	108.6	231.6	317.40	864.1	863.1	1002.31	972.7	1094.7	1319.71
मई	145.3	327.6	378.40	728.1	768.2	913.99	873.4	1095.8	1292.39
जून	249.8	415.9	549.03	677.9	681.6	729.45	927.7	1097.5	1278.48
जुलाई	326.4	440.6	672.28	613.9	654.9	609.91	940.3	1095.5	1282.19
अगस्त	329.6	450.3	721.82	645.2	756.3	646.58	974.8	1206.6	1368.40
सितंबर	327.6	505.5		615.4	707.9		943.0	1213.4	
अक्तूबर	297.2	521.9		613.7	748.8		910.9	1270.7	
नवंबर	267.9	496.1		667.1	844.0		935.0	1340.1	
दिसंबर	240.2	523.8		762.0	875.7		1002.2	1399.5	
जनवरी	326.3	546.6		717.1	912.2		1043.4	1458.8	
फरवरी	381.7	498.9		774.5	1088.8		1156.2	1587.7	
मार्च	329.5	337.2		986.5	1295.5		1316.0	1632.7	
औसत	276.5	441.0		722.1	848.9		998.6	1289.9	

@ : 5 अगस्त 2013 तक

में बकाया निवेश की राशि मार्च 2012 की समाप्ति के 966 बिलियन रुपये से बढ़कर मार्च 2013 की समाप्ति पर 1,181 बिलियन रुपये हो गयी। नीलामी खजाना बिलों में राज्य सरकारों का साप्ताहिक औसत निवेश पिछले वर्ष के 277 बिलियन रुपये से बढ़कर 441 बिलियन रुपये हो गया। मार्च 2013 की समाप्ति पर नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में बकाया निवेश मार्च 2012 की समाप्ति के 220 बिलियन रुपये की तुलना में अधिक अर्थात् 286 बिलियन रुपये रहा।

VII.14 रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की ओर से समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) का रखरखाव करता है जो बाजार से ली गई उधारियां/देयताओं के परिशोधन के लिए कुशन प्रदान करता है। साथ ही रिजर्व बैंक गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) का भी रखरखाव करता है जिसका उपयोग राज्य स्तरीय उद्यमों अथवा अन्य निकायों द्वारा उधार के संबंध में जारी गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं की चुकौती के लिए किया जाता है (31 मार्च

2013 तक 21 राज्य सरकारों ने सीएसएफ में तथा 11 राज्यों ने जीआरएफ में अभिदान दिया)। मार्च 2013 की समाप्ति पर सीएसएफ और जीआरएफ के तहत बकाया निवेश राशि क्रमशः 485 बिलियन रुपये और 44 बिलियन रुपये थी।

VII.15 बैंकों द्वारा नियत ब्याज दर वाले दीर्घावधि के अधिक ऋण उत्पाद शुरू करने की संभाव्यता का मूल्यांकन करने वाली समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: श्री के.के.वोहरा) 22 जनवरी 2013 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाली गई। समिति की प्रमुख सिफारिशों में ये शामिल हैं: बैंकों द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उनकी एकपोजर सीमा तक दीर्घावधि बांड (न्यूनतम परिपक्वता 5 वर्ष) का निर्गम, 5 वर्ष से अधिक अवधि वाली मीयादी जमा योजनाओं को लोकप्रिय बनाना क्योंकि ये कर रियायत के लिए पात्र होती हैं, और बैंकों द्वारा नियत दर वाले दीर्घावधि (उदाहरण के लिए 30 वर्ष तक के) ऋण जारी करना जो उधारकर्ता की ईएमआई को कम करने में मदद करेगा।

पिछले वर्षों के दौरान बैंक नोटों और सिक्कों की मांग में काफी वृद्धि हो गई है, भले ही हाल की अवधि में प्रौद्योगिकी के सहारे भुगतान के गैर-नकदी तरीकों का प्रयोग बढ़ा हो। रिजर्व बैंक ने अपनी स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में उच्च गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सतत प्रयास किए हैं। इसके अलावा, बैंक नोटों के टिकाऊपन को बढ़ाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने भारत के पांच नगरों में ₹10 के प्लैस्टिक बैंक नोटों की प्रायोगिक तौर पर शुरुआत करने की योजना बनाई है। जाली नोटों की चुनौती का सामना करने के लिए रिजर्व बैंक ने देश के कोने-कोने में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर जन चेतना जगाने की कोशिश की है। रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने संयुक्त रूप से बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और डिजाइन को सुदृढ़ बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं।

VIII.1 भारत का केंद्रीय बैंक होने के नाते मुद्रा प्रबंधन रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों की श्रेणी में आता है। यद्यपि, सभी मूल्यवर्ग के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, तथापि उन्हें रिजर्व बैंक ही संचलन में लाता है। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22 के अंतर्गत बैंक नोटों का निर्गम करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक को देशभर में बैंक नोटों को उपलब्ध कराने और बैंक नोटों की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि भुगतान से संबंधित प्रौद्योगिकी-साधित गैर-नकदी प्रणालियों का प्रयोग बढ़ रहा है, फिर भी बैंक नोटों और सिक्कों की मांग बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक, बैंक नोटों की मांग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में स्वच्छ बैंक नोटों की अविरत आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वह बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को सुदृढ़ बनाने और बैंक नोटों के संबंध में जनजागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इस कार्य हेतु उसने कई जनजागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

VIII.2 वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में बैंक नोटों और सिक्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बैंक नोटों की बेहतर गुणवत्ता व प्रामाणिकता को साकार करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 2012-13 में कई कदम उठाए। बैंक नोटों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 2012-13 में नोटों की मांग में वृद्धि की। गंदे व अनुपयुक्त बैंक नोटों को संचलन से निकालकर पर्यावरण-अनुकूल तरीके से, यथा- श्रेडिंग एवं बिक्रेटिंग प्रणाली के माध्यम से नष्ट किया गया। वित्तीय प्रणाली में जाली नोटों की पहचान को सर्वोच्च महत्त्व देने की दृष्टि से बैंकों को अपने यहां प्रयुक्त

प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने हेतु निदेश दिए गए। सरकार ने आगे की शृंखला के लिए नई विशेषताओं का चयन करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और रिजर्व बैंक इस कार्य में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। साथ ही, रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ परामर्श करके बैंक नोट के डिजाइन की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जाली नोटों की रिपोर्टिंग प्रणाली को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस कार्य से संबद्ध प्रशासनिक व कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक अपनी स्वच्छ नोट नीति के एक अंश के रूप में बैंक नोटों के टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए प्लैस्टिक नोट जैसे अन्य विकल्पों का पता लगा रहा है, जिसे भारत के चुनिंदा शहरों में प्रायोगिक तौर पर संचलन में लाया जाएगा (बॉक्स VIII.1)।

संचलन में बैंक नोट

VIII.3 2012-13 में बैंक नोटों के मूल्य में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मात्रा में हुई वृद्धि (6.0 प्रतिशत) की तुलना में अधिक है। वर्ष के दौरान संचलन में स्थित बैंक नोटों के कुल मूल्य में ₹ 500 और ₹1,000 का हिस्सा लगभग 83 प्रतिशत था (सारणी VIII.1)।

संचलन में सिक्के

VIII.4 वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में संचलन में स्थित सिक्कों की मात्रा व मूल्य में बढ़ोतरी हुई (सारणी VIII.2)। संचलन में स्थित सिक्कों के कुल मूल्य में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इनकी मात्रा में 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

बॉक्स VIII.1 प्लैस्टिक बैंक नोट

बैंक नोटों, विशेष रूप से छोटे मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की संचलन-अवधि को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक भारत सरकार के साथ परामर्श करने के पश्चात् विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिनके अंतर्गत प्लैस्टिक सबस्ट्रेट पर बैंक नोटों का मुद्रण भी शामिल है। तदनुसार, प्लैस्टिक सबस्ट्रेट पर ₹ 10 के एक बिलियन बैंक नोट जारी करके पांच नगरों, नामतः जयपुर, भुवनेश्वर, कोच्चि, शिमला और मैसूर में संचलन में लाने का निर्णय लिया गया है। इन नगरों का चयन उनकी भौगोलिक व जल-वायु की विविधतापूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

आस्ट्रेलिया 1988 में पॉलिमर नोटों की शुरुआत करने वाला पहला देश बना। उसके पश्चात् 30 से अधिक देशों ने पॉलिमर बैंक नोटों की शुरुआत कर दी है, जिनमें कई देश ऐसे हैं जो पूरी तरह कागज के स्थान पर पॉलिमर का प्रयोग कर रहे हैं। कनाडा हाल में इस सूची में शामिल हुआ है, जहां 20, 50 और 100 कैनेडियन डॉलर मूल्यवर्ग के नोट पहले से संचलन में हैं और 5 और 10 मूल्यवर्ग के नोट नवंबर 2013 में संचलन में लाए जाएंगे।

प्लैस्टिक के लाभ

कागज के स्थान पर प्लैस्टिक का प्रयोग किए जाने पर कई लाभ मिलते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : सतह मुलायम रहने की वजह से यह अपेक्षाकृत कम गंदा

होता है और स्वच्छ रहता है; टिकाऊ रहने की वजह से इस पर कम खर्च आता है; मुद्रण व संचालन के दौरान इनसे बहुत कम धूल निकलती है और रेशे नहीं निकलते हैं; तथा उन नोटों में उपलब्ध कुछ सुरक्षा विशेषताएं ऐसी हैं जिनकी नकल करना कठिन और खर्चीला होता है।

कार्बन फूटप्रिंट

रिजर्व बैंक ने प्लैस्टिक-आधारित सबस्ट्रेट की तुलना में रूई-आधारित बैंक नोट पेपर सबस्ट्रेट के कार्बन फूटप्रिंट का अध्ययन करने तथा उनके समूचे जीवन-चक्रों में पर्यावरण पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सिज इंस्टिट्यूट (टीईआरआई) की सेवाएं लीं। उक्त दोनों प्रकार के नोटों से संबंधित जीवन-चक्र मूल्यांकन के निष्कर्षों से यह पता चला है कि रूई-आधारित नोटों के स्थान पर प्लैस्टिक-आधारित नोटों का प्रयोग किए जाने से ऐसे कई लाभ प्राप्त होंगे, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। पॉलिमर/प्लैस्टिक बैंक नोटों (और इनके उत्पादनजन्य व्यर्थ पदार्थों) को दानेदार बनाया जा सकेगा तथा उन्हें कंपोस्ट बिनो, प्लंबिंग फिटिंगों एवं अन्य घरेलू व औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोगी प्लैस्टिक उत्पाद के रूप में पुनःचक्रित किया जा सकेगा। पॉलिमर की बुनियादी सामग्री एक अनवीकरणीय संसाधन होती है, जिसे बार-बार प्रयोग में लाया जा सकता है।

मुद्रा परिचालन

मुद्रा प्रबंधन का बुनियादी ढांचा

VIII.5 रिजर्व बैंक मुद्रा (कागजी मुद्रा और सिक्के दोनों) के निर्गम संबंधी कार्य और उनका प्रबंधन अपने 18 निर्गम कार्यालयों, लखनऊ

सारणी VIII.1: संचलन में बैंक नोट (मार्च के अंत में)

मूल्य वर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)			मूल्य (बिलियन ₹)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
₹2 तथा ₹5	11,116 (17.2)	11,540 (16.6)	11,624 (15.8)	43 (0.5)	45 (0.4)	46 (0.4)
₹10	21,288 (33.0)	23,002 (33.2)	25,168 (34.2)	213 (2.3)	230 (2.2)	252 (2.2)
₹20	3,020 (4.7)	3,510 (5.1)	3,825 (5.2)	60 (0.7)	70 (0.7)	77 (0.6)
₹50	3196 (5.0)	3,488 (5.0)	3,461 (4.7)	160 (1.7)	174 (1.6)	173 (1.5)
₹100	14024 (21.7)	14,119 (20.3)	14,421 (19.6)	1,402 (15.0)	1,412 (13.4)	1,442 (12.4)
₹500	8,906 (13.8)	10,256 (14.8)	10,719 (14.6)	4,453 (47.6)	5,128 (48.7)	5,359 (46.0)
₹1,000	3027 (4.7)	3,469 (5.0)	4,299 (5.9)	3,027 (32.4)	3,469 (33.0)	4,299 (36.9)
कुल	64,577	69,384	73,517	9,358	10,528	11,648

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्थित उप कार्यालय, कोच्चि स्थित करेंसी चेस्ट तथा देशभर में स्थित 4,211 करेंसी चेस्टों के नेटवर्क और 3,990 छोटा सिक्के डिपो के माध्यम से पूरा करता है। लगभग सभी करेंसी चेस्टों का प्रबंधन एजेंसी करारों के तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किया

सारणी VIII.2: संचलन में सिक्के (मार्च के अंत में)

मूल्य वर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)			मूल्य (बिलियन ₹)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
छोटा सिक्का*	54,797 (48.8)	14785 (18.9)	14788 (17.5)	15 (11.8)	7 (5.3)	7 (4.6)
₹ 1	32,675 (29.1)	34414 (44.1)	35884 (42.4)	33 (26.0)	34 (25.6)	36 (23.5)
₹ 2	15,342 (13.7)	18201 (23.3)	22113 (26.1)	31 (24.4)	36 (27.1)	44 (28.8)
₹ 5	9,070 (8.1)	9981 (12.8)	10675 (12.6)	45 (35.4)	50 (37.2)	53 (34.6)
₹ 10	300 (0.3)	648 (0.8)	1267 (1.5)	3 (2.4)	6 (4.8)	13 (8.5)
कुल	1,12,184	78,029	84,727	127	133	153

* 25 पैसे तथा उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्के 30 जून 2011 से वैध मुद्रा नहीं हैं।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

सारणी VIII.3: दिसंबर 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार करेंसी चेस्ट और छोटा सिक्का डिपो

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटा सिक्का डिपो की संख्या
1	2	3
खजाना	11	0
भारतीय स्टेट बैंक	2,165	2,093
भा.स्टे. बैंक के सहयोगी बैंक	773	770
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,136	1,004
निजी क्षेत्र के बैंक	117	114
सहकारी बैंक	1	1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3	3
विदेशी बैंक	5	5
कुल	4,211	3,990

जाता है। उप खजाना कार्यालय स्थित करेंसी चेस्टों को चरणबद्ध रूप से बंद किया जा रहा है और 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार उनकी संख्या 11 है। दिसंबर 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल करेंसी चेस्टों में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों का लगभग 70 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा रहा, जबकि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 27 प्रतिशत का हिस्सा था (सारणी VIII.3)।

VIII.6 अप्रैल 2012 में घोषित 2012-13 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि बैंक नोटों और सिक्कों का वितरण केवल करेंसी चेस्टों/ बैंक शाखाओं के माध्यम से किया जाएगा ताकि ग्राहकों को संबंधित सेवाएं उनके आस-पास ही मिल सकें। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वितरण प्रणालियों व प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें ताकि जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

स्वच्छ नोट नीति

बैंक नोटों एवं सिक्कों की मांग के आदेश और प्रेस एवं टकसालों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को की गई आपूर्ति

VIII.7 वर्ष 2012-13 में मात्रानुसार प्रेस द्वारा की गई नोटों की कुल आपूर्ति में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.4)। इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में सिक्कों की आपूर्ति में 12.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई (सारणी VIII.5)।

सारणी VIII.4: बैंक नोटों की मांग एवं प्रेस द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को की गई आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)							
	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	
₹5	0	674	0	2	0	0	0	
₹10	5,000	5,143	5,700	6,252	12,094	5,506	12,164	
₹20	1,500	1,104	600	1,045	1,060	1,154	1,203	
₹50	2,000	1,602	1,200	949	1,182	1,626	994	
₹100	4,300	3,420	6,100	5,079	5,704	6,675	5,187	
₹500	4,000	4,130	2,000	2,330	3,985	3,002	4,839	
₹1000	1,000	467	2,000	1,927	746	1,141	975	
कुल	17,800	16,540	17,600	17,584	24,770	19,103	25,362	

VIII.8 प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि सिक्कों की अनुपलब्धता या न्यून आपूर्ति को लेकर कई शिकायतें मिलती रही हैं। इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 19 दिसंबर 2011 के आदेश के अनुसरण में उप गवर्नर (डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 14 अगस्त 2012 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत सरकार ने 31 जुलाई 2013 को भेजे गए अपने प्रत्युत्तर में रिजर्व बैंक को सिक्कों के वितरण के संबंध में समुचित कार्रवाई करने को कहा है तथा यह सूचित किया कि टकसालों से संबंधित सिफारिशों की सिक्क्यूरीटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के साथ परामर्श करके अलग से जांच की जा रही है।

सारणी VIII.5: सिक्कों की मांग एवं टकसालों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को की गई आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)							
	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	
50 पैसे	70	59	70	107	50	6	50	
₹1	2,600	2,746	1,600	1,480	4,177	1,572	5,418	
₹2	1,700	1,811	2,900	3,343	2,741	3,742	3,546	
₹5	1,300	1,292	800	761	1,586	615	1,819	
₹10	1,000	232	1,000	403	1,000	943	1,200	
कुल	6,670	6,140	6,370	6,094	9,554	6,878	12,033	

सारणी VIII.6: गंदे बैंक नोटों का निपटान एवं रिजर्व बैंक द्वारा करेसी चेस्टों को की गई बैंक नोटों की आपूर्ति

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)					
	2010-11		2011-12		2012-13	
	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
₹ 1000	179	706	375	371	450	1536
₹ 500	1,864	4,347	1,994	5,560	2263	2725
₹ 100	5,227	4,085	5,577	1,091	5627	6348
₹ 50	2,095	1,114	1,578	1,522	1357	1257
₹ 20	664	1,296	562	4,237	609	904
₹ 10	3,657	5,580	3,584	3,379	3752	5991
₹ 5 तक	166	549	101	1,440	72	105
कुल	13,852	17,677	13,772	17,600	14130	18866

गंदे बैंक नोटों का निपटान

VIII.9 वर्ष 2012-13 के दौरान गंदे नोटों के लगभग 14.1 बिलियन नगों (संचलनरत बैंक नोटों का 20.4 प्रतिशत)¹ को प्रसंस्कृत कर संचलन से हटाया गया (सारणी VIII.6)। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष संचलन से हटाकर रिजर्व बैंक के कार्यालयों में निपटाए गए बैंक नोटों में 358 मिलियन नगों की बढ़ोतरी हुई। 2012-13 में 59 मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) के माध्यम से लगभग 8.97 बिलियन नगों का प्रसंस्करण किया गया और शेष नगों का निपटान अन्य तरीकों से किया गया।

संचलनरत बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय

VIII.10 मुद्रा वितरण प्रणाली एवं प्रक्रिया पर गठित उच्च स्तरीय समूह द्वारा की गई सिफारिश के अनुपालन में बैंकों को यह निदेश दिया गया कि वे काउंटरो पर या एटीएम के माध्यम से ₹100 और उससे अधिक मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करने से पहले नोट अधिप्रमाणन एवं उपयुक्तता छंटाई के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप उक्त मूल्यवर्गों के बैंक नोटों का प्रसंस्करण नोट सॉर्टिंग मशीनों से करें। बैंकों को यह भी निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक शाखा में इस सिफारिश का अनुपालन सुनिश्चित करें। 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार बैंकों ने 12,827 नोट सॉर्टिंग मशीनें संस्थापित कर ली हैं।

VIII.11 खंडित/ कटे-फटे बैंक नोटों के अधिनिर्णय तथा गंदे बैंक नोटों के बदले स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाले बैंक नोटों व सिक्कों के विनिमय की सुविधा सभी बैंक शाखाओं, जिनमें सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं भी शामिल हैं, में उपलब्ध कराई गई है।

जाली बैंक नोट

VIII.12 वर्ष 2012-13 में कुल पकड़े गए जाली बैंक नोटों में बैंक शाखाओं द्वारा पकड़े गए जाली बैंक नोटों का हिस्सा 94 प्रतिशत था, जिससे नोट सॉर्टिंग मशीनों के बढ़ते प्रयोग का पता चलता है (सारणी VIII.7)। 2012-13 में रिजर्व बैंक द्वारा शिनाख्त किए गए जाली नोटों में बैंकों द्वारा प्रेषित गंदे नोटों से पहचाने गए जाली

सारणी VIII 7: पता लगाए गए जाली नोट (अप्रैल-मार्च)

(नगों की संख्या)

वर्ष	पता लगाए गए		कुल
	रिजर्व बैंक में	अन्य बैंकों में	
1	2	3	4
2010-11	45,235 (10.4)	3,90,372 (89.6)	4,35,607
2011-12	37,690 (7.2)	4,83,465 (92.8)	5,21,155
2012-13	29,200 (5.9)	4,69,052 (94.1)	4,98,252

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में से प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

¹ मार्च 2013 के अंत में

नोटों का हिस्सा लगभग 79 प्रतिशत (23,093 नग) रहा, जबकि रिजर्व बैंक के काउंटर्स पर प्रस्तुत किए गए नोटों का हिस्सा लगभग 21 प्रतिशत (6,107 नग) रहा।

VIII.13 पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान पकड़े गए ₹1,000 मूल्यवर्ग के जाली नोटों में 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पकड़े गए ₹500 और ₹100 मूल्यवर्ग के जाली नोटों में क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 12.3 प्रतिशत की कमी आई (सारणी VIII.8)।

VIII.14 बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे काउंटर्स पर प्राप्त होने वाले नोटों को मशीनों के माध्यम से समुचित रूप से अधिप्रमाणित करने के बाद ही पुनः संचलन में शामिल करें। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे अपनी प्रणाली को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जाली नोट पकड़े जाने की दशा में अनजाने में उन्हें अपने पास रखने वाले आम आदमी को जिम्मेदार ठहराने के बजाए वे स्वयं उसके जोखिम का वहन करें। बैंकों को यह बताया गया कि जाली नोटों की पहचान होने के बाद उन्हें जब्त न करने और तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जाएगा कि वह जाली नोटों को संचलन में लाने का इच्छुक भागीदार है तथा इस हेतु उस बैंक के विरुद्ध दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।

VIII.15 रिजर्व बैंक ने इसके अलावा और भी कदम उठाए हैं, यथा- सुरक्षा विशेषताओं को सुदृढ़ बनाना, रिपोर्टिंग को युक्तियुक्त करना, बैंक ऑफिस/ करेंसी चेस्टों में जाली नोटों की शिनाख्त और उनकी रिपोर्टिंग किए जाने पर बैंकों को क्षतिपूर्ति करने की योजना की शुरुआत करना, बैंकों व अन्य संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा नोटों के यांत्रिक प्रसंस्करण में सुधार करना आदि। इन उपायों से जाली मुद्रा की समस्या को दूर करने में सहायता मिलेगी।

सिक्यूरिटी प्रिंटिंग और वितरण पर व्यय

VIII.16 वर्ष 2012-13 (जुलाई-जून) में सिक्यूरिटी प्रिंटिंग (नोट रूप में) पर ₹28.72 बिलियन का व्यय किया गया जबकि 2011-12 (जुलाई-जून) के दौरान इस पर ₹27.36 बिलियन का व्यय किया गया था। मुख्य रूप से 2012-13 में बैंक नोटों की आपूर्ति में हुई बढ़ोतरी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रभागों में ₹1.36 बिलियन (5.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज हुई। 2012-13 में खजाना प्रेषण पर ₹641 मिलियन का व्यय किया गया, जबकि 2011-12 (जुलाई-जून) के दौरान इस पर ₹528 मिलियन का व्यय किया गया था।

भावी कार्य-योजना

(i) रिटेल कार्य की समाप्ति

VIII.17 ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो केंद्रीय बैंक निगरानी संबंधित कारणों से रिटेल नकदी सेवा प्रदान करते रहे हैं। सामान्य प्रवृत्ति है कि यह कार्य वाणिज्यिक बैंकों को सौंप दिया जाए, क्योंकि उनके व्यापक नेटवर्क और उनकी मौजूदगी के कारण वे यह सेवा अपेक्षाकृत और प्रभावी रूप से तथा ग्राहकों के नजदीकी स्थान पर दे पाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि रिजर्व बैंक यह रिटेल कार्य बंद कर देगा तथा करेंसी चेस्टों व बैंक शाखाओं के माध्यम से बैंक नोटों व सिक्कों के वितरण का प्रबंधन कार्य जारी रखेगा। इस प्रकार रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में यथा-विनिर्दिष्ट प्रमुख कार्य करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक जनसाधारण की वास्तविक मांग की पूर्ति हेतु स्वच्छ नोटों व सिक्कों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध है।

सारणी VIII.8: बैंकिंग प्रणाली द्वारा पता लगाए गए जाली नोट - मूल्यवर्ग-वार (अप्रैल-मार्च)

(नगों की संख्या)

वर्ष	₹2	₹5	₹10	₹20	₹50	₹100	₹500	₹1000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010-11	-	-	139	126	10,962	1,24,219	2,46,049	54,112	4,35,607
2011-12	-	-	126	216	12,457	1,23,398	3,01,678	83,280	5,21,155
2012-13	1	1	321	221	9,759	1,08,225	2,81,265	98,459	4,98,252

(ii) सीवीपीएस और एसबीएस की क्षमता का बढ़ाया जाना

VIII.18 स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्यों को पूरा करने और बैंक नोटों के औसत जीवन-चक्र को बनाए रखने की दृष्टि से 2012-13 से 2014-15 की अवधि में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) के माध्यम से गंदे नोटों की प्रसंस्करण-क्षमता को बढ़ाने हेतु रूपरेखा तैयार की गई है। रिजर्व बैंक कार्यालयों में स्थित 59 सीवीपीएस में एक वर्ष में 7.5 बिलियन नगों का प्रसंस्करण करने की क्षमता है। इनमें से 39 सीवीपीएस की प्रसंस्करण-गति 30 नोट प्रति सेकंड है। अन्य 20 मशीनों की क्षमता को 20 नोट प्रति सेकंड से अपग्रेड करके 30 नोट प्रति सेकंड किया जा रहा है।

VIII.19 रिजर्व बैंक में 28 श्रेडिंग एवं ब्रिकेटिंग प्रणाली (एसबीएस) मशीनें भी हैं। इनमें से 5 मशीनों की क्षमता बढ़ा दी गई है और आगामी 12 से 15 महीने में अन्य 13 मशीनों को अपग्रेड/ओवरहॉल किया जाएगा।

(iii) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में करेंसी चेस्टों की स्थापना को बढ़ावा देना

VIII.20 रिजर्व बैंक के आउटरीच और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों ने ग्रामीण जनता के बीच स्वच्छ नोट नीति के प्रति जागरूकता पैदा की है तथा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में नोटों व सिक्कों की आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी है। यह प्रस्ताव किया गया है कि इन क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में करेंसी चेस्ट की स्थापना को और बढ़ावा दिया जाए।

(iv) बैंक नोटों एवं सिक्कों का वितरण - वैकल्पिक उपाय

VIII.21 बैंक नोटों एवं सिक्कों के वितरण के वैकल्पिक उपायों का पता लगाना जरूरी है। मई 2013 में घोषित मौद्रिक नीति

वक्तव्य 2013-14 में यह बताया गया कि बैंकों को कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान करने पर विचार करना चाहिए और कैश-इन-ट्रैन्सिट (सीआईटी) कंपनियों का उपयोग करना चाहिए। इससे अंतिम चरण की समस्या को दूर किया जा सकेगा।

(v) जिला स्तर पर मुद्रा वितरण पद्धति में सुधार लाना - अग्रणी बैंकों की पहचान

VIII.22 बैंक नोटों और सिक्कों के वितरण में बैंकों की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करने तथा महानगरीय व शहरी क्षेत्रों से इतर स्थानों में भी उनकी अनवरत आपूर्ति को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना के अनुरूप एक ऐसी योजना बनाई है जिसके अंतर्गत मुद्रा प्रबंधन के प्रयोजन हेतु प्रत्येक बैंक को प्रायोगिक तौर पर विभिन्न क्षेत्र (जिले/राज्य) आबंटित किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा प्रबंधन (बीसीएम) हेतु नोडल बैंक की पहचान करेगा, जो निर्धारित क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्टों एवं छोटे सिक्का डिपो के साथ उचित समन्वय स्थापित कर जनसाधारण की स्वच्छ नोटों और सिक्कों की वास्तविक मांग की समुचित रूप से पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा।

VIII.23 मुद्रा प्रबंधन रिजर्व बैंक के कार्यों में से एक ऐसा कार्य है जो उसे आम आदमी से रू-ब-रू होने का अवसर देता है। रिजर्व बैंक इस कार्य को कारगर ढंग से पूरा करने का प्रयास करता रहा है ताकि हमारे देश के कोने-कोने तक मुद्रा के विभिन्न मूल्यवर्गों की वास्तविक मांग की पूर्ति की जा सके, नोटों को समुचित रूप से स्वच्छ रखा जा सके तथा बैंक नोटों की जालसाजी को रोकने हेतु सुरक्षा विशेषताओं को बनाए रखा जा सके। इस दिशा में रिजर्व बैंक के प्रयास जारी रहेंगे।

रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित तथा दक्ष बनाने के अपने प्रयास जारी रखे। वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भुगतान प्रणाली को उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक वहन करने योग्य बनाने तथा उनकी सुलभता को वर्तमान स्तर से आगे ले जाने के लिए भी प्रयास किए गए। नगदी लेन-देन के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली आधारित लेन-देन प्रणाली को अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को नवीनतम प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना में सुधार करने के प्रयास भी जारी रखे।

IX.1 2012-13 के दौरान रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के साथ ही जनसंख्या के अब तक बैंक रहित वर्ग के लिए प्रौद्योगिकी के विकास को अपनाए जाने के माध्यम से सुलभता और वहन करने की क्षमता को बढ़ाने के प्रयास भी जारी

रखे। वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुए लेन-देन की मात्रा बढ़ने से किए गए प्रयासों का पता चलता है (सारणी IX.1)। इसके साथ ही साथ कागज-आधारित समाशोधन की मात्रा में कमी दिखाई देती है, जैसे कि 2012-15 के विज्ञान दस्तावेज में संभावना व्यक्त

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली के संकेतक - कुल वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआईपीएस) आरटीजीएस के माध्यम से	49.3	55.0	68.5	484872.3	539307.5	676841.0
वित्तीय बाजार का कुल समाशोधन (1+2+3)	1.7	1.9	2.26	383901.3	406071.2	501598.5
1. सीबीएलओ	0.15	0.14	0.16	122597.4	111554.3	120480.4
2. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	0.36	0.44	0.70	69702.4	72520.8	119948.0
3. विदेशी मुद्रा समाशोधन	1.20	1.30	1.40	191601.5	221996.1	261170.1
अन्य (4+5+6)	1387.4	1341.9	1313.7	101341.3	99012.1	100181.8
4. चेक ट्रैकेशन प्रणाली	160.4	180.0	275.1	14391.2	15103.7	21779.5
5. माइकर समाशोधन	994.6	934.9	823.3	68621.0	65093.2	57504.0
6. गैर-माइकर समाशोधन	232.3	227.0	215.3	18329.1	18815.1	20898.3
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (7+8+9)	406.3	512.3	692.8	11944.9	20574.9	31876.8
7. ईसीएस नामे	156.7	164.7	176.5	736.5	833.6	1083.1
8. ईसीएस जमा	117.3	121.5	122.2	1816.9	1837.8	1771.3
9. ईएफटी/एनईएफटी	132.3	226.1	394.1	9391.5	17903.5	29022.4
कुल कार्ड (10+11)	502.2	647.5	865.7	1142.1	1500.4	1972.9
10. क्रेडिट कार्ड	265.1	320.0	396.6	755.2	966.1	1229.5
11. डेबिट कार्ड	237.1	327.5	469.1	386.9	534.3	743.4
कुल अन्य (4 से 11)	2295.9	2501.7	2872.2	114428.2	121087.4	134031.4
कुल जोड़ (1 से 11)	2346.9	2558.6	2942.9	983201.8	1066466.1	1312470.9

- नोट** : 1. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा लेन-देन भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से किया जाता है।
 2. संख्याओं का पूर्णांकन किए जाने के कारण कॉलमों में दिए गए आंकड़ों का जोड़ कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है।
 3. अप्रैल 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार माइकर समाशोधन की सुविधा 64 केंद्रों (विद्युत वर्ष के दौरान 66 केंद्र) में उपलब्ध थी। चेक ट्रैकेशन प्रणाली (सीटीएस) दो केंद्रों, नामतः नई दिल्ली और चेन्नै में लागू कर दी गई है। प्रिड आधारित चेक ट्रैकेशन प्रणाली अप्रैल 2012 से चेन्नै में प्रारंभ हो गई है जिसमें 82 स्थानों से बैंक भाग लेते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल (कोलकाता) और पांडिचेरी तथा चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश आते हैं।
 4. कार्ड से संबंधित आंकड़े सिर्फ सेवा केंद्र टर्मिनल में किए गए लेन-देनों के हैं।
 5. ₹79 बिलियन मूल्य के लेन-देन (जो वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए कुल गैर-नगदी लेन-देन के 0.01 प्रतिशत को दर्शाता है) जारी किए गए पूर्वदत्त लिखतों का प्रयोग करते हुए किए गए।
 6. ₹4.3 बिलियन मूल्य के लेन-देन (जो वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए कुल गैर-नगदी लेन-देन के 0.0003 प्रतिशत को दर्शाता है) तत्काल मुद्रा भुगतान सेवाओं (आईएमपीएस) का प्रयोग करते हुए किए गए।

की गई है। वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई चेक ट्रैकेज प्रणाली का भी वर्ष के दौरान काफी विकास हुआ है इसलिए देश में कागज आधारित समाशोधन संरचना सुदृढ़ हुई है। भुगतान और निपटान प्रणाली में समग्र रूप से अच्छी वृद्धि हुई है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मात्रा और मूल्य के अनुसार पिछले वर्ष हुई क्रमशः 9.0 प्रतिशत और 23.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में इस वर्ष क्रमशः 15.0 प्रतिशत और 29.7 प्रतिशत वृद्धि हुई।

भुगतान प्रणालियों के रुझान

कागजी समाशोधन

IX.2 माइकर-रहित समाशोधन गृहों के लिए 2011 में प्रारंभ की गई 'त्वरित चेक समाशोधन प्रणाली (ईसीसीएस)ट नामक एप्लीकेशन पैकेज वर्तमान में 1,269 केंद्रों में उपलब्ध है जो त्वरित समाशोधन की सुविधा उपलब्ध कराता है। मार्च 2012 में चेन्नै में शुरू की गई ग्रिड-आधारित चेक ट्रैकेज प्रणाली का विस्तार करते हुए इमेज-आधारित समाशोधन कार्यप्रणाली को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ ही कोलकाता, लुधियाना, पांडिच्चेरी और चंडीगढ़ जैसे शहरों में लागू कर दिया गया है। चेन्नै ग्रिड में 88 स्थानों (24 माइकर वाले केंद्र और 64 माइकर-रहित केंद्र) से बैंक सहभागिता करते हैं। राष्ट्रीय योजना के भाग के रूप में चेक ट्रैकेज प्रणाली आधारित कार्य की शुरुआत मुंबई में 27 अप्रैल 2013 से की गई।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

IX.3 28 मार्च 2013 को तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) के अंतर्गत लगभग '8 ट्रिलियन का लेन-देन हुआ जो किसी एक कारोबारी दिवस में तत्काल सकल निपटान प्रणाली के माध्यम से किया गया सबसे बड़ा लेन-देन है। किसी भी परिस्थिति में कामकाज को बाधा-रहित बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सकल निपटान प्रणालियों के संबंध में आकस्मिक दुर्घटनाओं से निपटने का अभ्यास तिमाही आधार पर किया जाता है।

IX.4 2013 के मार्च महीने में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के तहत रिकार्ड 47 मिलियन लेन-देन हुए जिनका मूल्य लगभग '3,602 बिलियन था। वर्ष के दौरान 13,980 शाखाओं के जुड़ जाने से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण में सहभागिता करने वाली बैंक शाखाओं की संख्या बढ़कर 1,00,429 हो गई। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण में सहभागिता करने वाले लगभग 650 बैंक इसके सहयोगी सदस्य हैं।

IX.5 वर्ष के दौरान 18,257 शाखाओं के जुड़ जाने से जुलाई के अंत की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) का कवरेज 75,659 स्थानों तक बढ़ गया है। रिजर्व बैंक के विभिन्न केंद्रों में शुरू की गई क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (आरईसीएस) प्रणाली के अंतर्गत वर्ष के दौरान शाखाओं के कवरेज में विस्तार हुआ है।

IX.6 मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार, लगभग 23 मिलियन ग्राहक वाले 55 बैंक भारत में मोबाइल बैंकिंग सेवा प्रदान कर रहे हैं जबकि मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार 49 बैंक यह सेवा उपलब्ध करा रहे थे जिनके पास 13 मिलियन ग्राहक थे। 2012-13 के दौरान 53 मिलियन लेन-देन हुए जिनका मूल्य लगभग '60 बिलियन था। इस प्रकार से इनमें पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 108 प्रतिशत और 229 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मोबाइल बैंकिंग की लेन-देन सीमा को हटा देने और एंड-टू-एंड इन्क्रिप्शन के बिना भेजे जा सकने वाले लेन-देन की सीमा बढ़ा दिया जाना इस वृद्धि में सहायक रहा।

भुगतान प्रणाली के तहत प्राधिकार देना

IX.7 भारत में भुगतान प्रणाली की स्थापना करने और उसका संचालन करने की इच्छुक किसी भी संस्था को भुगतान और प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत रिजर्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मई 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार देश में 44 संस्थाएं विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियों का संचालन कर रही हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं - वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना से संबंधित संगठन भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), कार्ड से भुगतान करने के नेटवर्क (वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे इत्यादि), आटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) का नेटवर्क, मुद्रा अंतरण सेवाएं, जिनके माध्यम से विदेशों से पैसा देश में आता है और पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता।

वाइट लेबल एटीएम

IX.8 देश में आटोमेटेड टेलर मशीनों में वृद्धि और व्यापन को गति प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने जून 2012 में गैर-बैंक संस्थाओं को आटोमेटेड टेलर मशीन संचालन करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है जिन्हें वाइट लेबल एटीएम नाम दिया गया है। वाइट लेबल एटीएम स्थापित करने और उनका संचालन करने के संबंध में अब तक 19 संस्थाओं ने रिजर्व

बैंक से संपर्क किया है जिनमें से 12 संस्थाओं को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और एक संस्था को प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी किया गया है। पहला वाइट लेबल एटीएम महाराष्ट्र के चंद्रपाड़ा (टियर -V कस्बा) में 27 जून 2013 को चालू हुआ।

नीतिगत पहलें

विज्ञान दस्तावेज 2012-15

IX.9 रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली से संबंधित विज्ञान दस्तावेज प्रकाशित किया है जिसमें अगले तीन वर्षों अर्थात् 2012-15 में देश में भुगतान प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई है (बॉक्स IX.1)।

कागजी समाशोधन में पारदर्शिता और दक्षता

IX.10 बैंको द्वारा लगाए जाने वाले प्रभारों में पारदर्शिता लाने और चेक समाशोधन में दक्षता लाने के लिए, रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय किये हैं : i) स्थानीय चेकों के संग्रह में हुए विलंब के लिए देय क्षतिपूर्ति को शामिल करने हेतु बैंकों को उनकी चेक संग्रह नीतियों (सीसीपी) में बदलाव लाने को कहा गया है। चेक संग्रह नीति में

विलंब के लिए यदि किसी दर का उल्लेख नहीं किया गया हो तो विलंब की अवधि के लिए बचत बैंक की ब्याज दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना चाहिए, ii) कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) समर्थित बैंकों को यह सूचित किया गया था कि पात्र ग्राहकों को सिर्फ “सममूल्य पर देय”/डबहु-शहरीड चेक ट्रेकेशन प्रणाली 2010 के मानक चेक ही बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के उपलब्ध कराए जाएं। बैंकों में समुचित बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंध कार्यक्रम होना चाहिए, iii) बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने बचत बैंक खाता धारक ग्राहकों को पहली बार चेक ट्रेकेशन प्रणाली-2010 के मानक चेक जारी करने के लिए प्रभार न लगाएं। चेक ट्रेकेशन प्रणाली से भिन्न चेकों के बड़ी संख्या में प्रचलन में होने को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सूचित किया गया है कि चेक ट्रेकेशन प्रणाली-2010 से भिन्न चेकों के समाशोधन की वर्तमान व्यवस्थाएं 31 दिसंबर 2013 तक जारी रहेंगी। उसके बाद, इस तरह के लिखतों को चेक ट्रेकेशन प्रणाली की सुविधा वाले स्थानों पर अलग समाशोधन सत्रों के माध्यम से कम अंतरालों पर समाशोधित किया जाएगा।

बॉक्स IX.1

विज्ञान दस्तावेज 2012-15

विज्ञान दस्तावेज से रिजर्व बैंक द्वारा देश में सुरक्षित, दक्ष, सुलभ, समावेशी, आपस में संचालन योग्य और प्राधिकृत भुगतान तथा निपटान प्रणाली उपलब्ध कराने की नए सिरे से प्रतिबद्धता का पता चलता है जिसके अंतर्गत ग्राहकों को, विशेषरूप से इस प्रकार के भुगतान मोड से अब तक वंचित रहे लोगों को, वहन योग्य विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं : (i) भुगतान के प्रमुख माध्यम के रूप में नगद का निरंतर प्रयोग, (ii) प्रति-व्यक्ति गैर-नगदी लेन-देन का कम होना, (iii) आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों का टियर I टियर II केंद्रों में अधिक केंद्रित होना, (iv) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार किए जाने के लिए अधोसंरचना के व्यापन में कमी और (v) सरकारी प्राप्ति का मुख्य रूप से नगद/चेक इत्यादि के माध्यम से प्राप्त होना।

भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को प्रोत्साहित करने और नगदी के प्रयोग में कमी लाने के लिए विज्ञान दस्तावेज में निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है :

- 7-ए ढांचा - सुलभता (accessibility) बढ़ाना, उपलब्धता (availability), जानकारी (availability), स्वीकृति (acceptance), वहन योग्यता (afordability), भरोसा (assurance) और भुगतान प्रणालियों तथा उत्पादों का समुचित होना (appropriateness), के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना।
- इस प्रकार के नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना जो न्यायसंगत, समरूप और जोखिम-आधारित हों तथा साथ ही नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धा, अपेक्षित दस्तावेजों में सरलता, भुगतान प्रणाली में गैर-बैंकों की भूमिका बढ़ाने आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्पाद/माध्यम भी उपलब्ध कराना।

- मेसेज फार्मेट का मानकीकरण, एक समान राउटिंग कोड, एक समान खाता नंबर, भुगतान प्रणालियों का एक-दूसरे के माध्यम से संचालन, प्रणालियों और मानव संसाधनों की क्षमता में वृद्धि करना, गिरो भुगतानों को लागू करना इत्यादि के माध्यम भुगतान प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना।
- मानक तय करने वाली संस्था की स्थापना करना।
- भुगतान प्रणालियों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक लेन-देनों के जोखिमों से निपटना और जोखिम प्रबंध प्रणाली को मजबूत बनाना।
- इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग (ई-बात) के तहत भुगतान प्रणाली की जानकारी के लिए उठाए गए कदमों के माध्यम से प्रणाली की सुलभता और समावेशिता को प्रोत्साहित करना।
- सरकारी भुगतानों और प्राप्ति के वर्तमान चेक/नगदी माध्यम के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराना।
- नगदी के विकल्प के रूप में पूर्वदत्त भुगतान लिखतों के प्रयोग को सामान्य रूप से और वित्तीय समावेशन के लिए विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी), डीटीएस अंतरण और ई-कामर्स को प्रोत्साहित करना।
- भुगतान प्रणाली में मोबाइल बैंकिंग और नियर-फील्ड कम्प्यूनिकेशन (एनएफसी), बिज्जी के मोबाइल केंद्र इत्यादि को अपनाकर वित्तीय समावेशन करने के लिए नवोन्मेषों को प्रोत्साहित करना।
- केंद्रीय प्रतिपक्षों, सीएसडी, व्यापार गोदामों और प्रणालीगत महत्त्व की अन्य भुगतान प्रणालियों द्वारा नए अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

चेक जारी करने और उसके उपयोग को हतोत्साहित करना

IX.11 चेकों के प्रयोग में और कमी लाने के लिए ‘‘चेक जारी करने और उसके उपयोग को हतोत्साहित करनेड के विषय पर एक परिचर्चा पत्र तैयार किया गया गया और जनता से प्रतिक्रिया के लिए उसे वेबसाइट पर डाला गया।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण में दक्षता संवर्धन

IX.12 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली में दक्षता संवर्धन की दो विशेषताएं जोड़ी गईं। सुबह 8:00 बजे का एक अतिरिक्त बैच शुरू किया जिससे बैचों की कुल संख्या कार्य दिवसों में 12 और शनिवार को 6 हो गई। इसके अलावा, जमा सदशों को लगातार जारी किया जाना प्रारंभ किया गया जिससे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के तहत प्राप्त होने वाले लेन-देनों पर कार्रवाई करने के लिए लक्ष्य बैंकों को अधिक समय मिल पाता है और लेन-देन की बढ़ती हुई मात्रा के प्रबंध करने में अधिक दक्षता आती है। कम-मूल्य के लेन-देन के

लिए नगद अथवा चेक के स्थान पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ‘10,000 तक के लेन-देन के लिए ग्राहक-प्रभार को घटाकर ‘2.50 कर दिया गया।

एक समान राउटिंग कोड और एक समान खाता नंबर की संरचना को अपनाया जाना

IX.13 सभी प्रमुख बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को अपनाए जाने के साथ ही बैंकों की ओर से मांग की जा रही थी कि तत्काल सकल निपटान प्रणाली और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के तहत लेन-देनों में राउटिंग के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट (आईएफएससी) से शाखा पहचानकर्ता (ब्रांच आईडेंटिफायर) को समाप्त किया जाए। इसके अलावा, सभी बैंकों के लिए एक ही खाता नंबर का प्रयोग किए जाने की भी मांग की जा रही थी ताकि भुगतान प्रणाली के तहत गलत खातों में राशि जमा होने की आशंका को दूर किया जा सके। इस मामले का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया (बॉक्स IX.2)।

बॉक्स IX.2

एक समान राउटिंग कोड और खाता नंबर की संरचना की जांच के लिए तकनीकी समिति

बैंक/शाखा की पहचान करने और राउटिंग के लिए देश में विभिन्न भुगतान प्रणालियों अलग-अलग कोड का प्रयोग करती हैं। तत्काल सकल निपटान प्रणाली और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण में भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड का प्रयोग किया जाता है जबकि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली, चेक समाशोधन प्रणाली में माइकर कोड का प्रयोग किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए स्विफ्ट ब्रांच पहचानकर्ता कोड (बीआईसी) का प्रयोग होता है। लगभग सभी प्रमुख बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान को अपनाए जाने और उसके परिणामस्वरूप होने वाली बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग से तत्काल सकल निपटान प्रणाली और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड को समाप्त करने और सभी लेन-देन सिर्फ भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड के बैंक कोड के माध्यम से किए जाने के संबंध में राउटिंग कोडों की समीक्षा करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। एक अन्य सुझाव विभिन्न राउटिंग कोडों (माइकर, आईएफएससी, स्विफ्ट, बीआईसी) को संयुक्त करने के संबंध में था जिससे भुगतान प्रणालियों के बीच परस्पर संचालन संभव हो सके।

इसी प्रकार से उपभोक्ता के खाता नंबर में अलग-अलग बैंकों में लंबाई, स्वरूप, संरचना और चेक अंकों की उपस्थिति भिन्न-भिन्न है। इससे भुगतान के लिए लेन-देन को प्रारंभ करने के दौरान खाता संख्या के प्राथमिक सत्यापन करने में भी दिक्कत होती है।

इन मुद्दों का अध्ययन करने और इस संबंध में अनुशंसा करने के लिए रिजर्व बैंक ने अगस्त 2012 में एक तकनीकी समिति (अध्यक्ष : श्री विजय चुग) का गठन किया है जो निम्नलिखित की जांच करेगी :

- आईएफएससी में से ब्रांच पहचानकर्ता को समाप्त करने की व्यवहार्यता;
- सभी वित्तीय लेन-देनों के लिए विभिन्न प्रकार के पहचानकर्ताओं के स्थान पर आईबीएएन को लागू करने की वांछनीयता;
- वर्तमान सभी बैंक/ब्रांच कोडों का संगत बनाना।

समिति में बैंकों, आईबीए, आईडीआरबीटी और रिजर्व बैंक के विनियामकीय विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।

मामलों का विश्लेषण करते समय समिति का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली और प्रक्रियाओं में कम से कम परिवर्तनों की आवश्यकता और ग्राहकों को न्यूनतम असुविधा होना सुनिश्चित करते हुए मानकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। समिति ने दिसंबर 2012 में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति की मुख्य अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं :

- बहुत से बैंकों द्वारा सत्यापन करने की प्रक्रिया को आईएफएससी के ब्रांच पहचानकर्ता पर आधारित होने के मद्देनजर गलत खाते में राशि जमा होने से रोकने के लिए समिति ने इस प्रणाली को जारी रखने की अनुशंसा की है।
- समिति ने अनुशंसा की है कि वर्तमान परिदृश्य में भुगतान प्रणाली में राउटिंग के लिए आईएफएससी सबसे अच्छा है और इसलिए इसका प्रयोग जारी रखना चाहिए। इसके अलावा, वर्तमान स्तरों की संख्या को सीमित करने के लिए समिति ने अनुशंसा की है कि किसी भी नई भुगतान प्रणाली में राउटिंग के लिए आईएफएससी का ही प्रयोग करना चाहिए।
- समिति ने बैंकों में आईबीएएन को लागू करने की अनुशंसा की है क्योंकि इससे एकरूपता आएगी और भुगतान संबंधी लेन-देन के सफलतापूर्वक प्रक्रमण के लिए खाता नंबर को महत्त्वपूर्ण सूचना के रूप में स्वीकार करने वाली प्रणाली की दक्षता भी बढ़ेगी। समिति ने अल्फा बैंक-पहचान सहित 26-अक्षरों वाले आईबीएएन की अनुशंसा की है क्योंकि इसके अंतर्गत सभी बैंकों में न्यूनतम परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। हालांकि समिति ने यह नोट किया है कि आईबीएएन से बैंकों के बीच खातों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) नहीं आएगी।

समिति की अनुशंसाएं भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक विभागों के विचाराधीन हैं।

कार्ड से भुगतानों में सुरक्षा

IX.14 रिजर्व बैंक कार्ड से भुगतान किए जाने वाले लेन-देन, कार्ड सहित और कार्ड रहित -दोनों प्रकार के लेन-देन की सुरक्षा और मजबूती बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहा है। एसएमएस के माध्यम से सूचना देने के अलावा कार्ड रहित लेनेदेन के मामलों में सत्यापन के लिए अतिरिक्त घटकों का प्रयोग किया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने कार्ड सहित लेन-देन को सुरक्षित बनाने के लिए एक कार्य दल, जिसने अपनी रिपोर्ट मई 2011 में प्रस्तुत की, की गई सिफारिशों के आधार पर आवश्यक अनुदेश भी जारी किये हैं। कार्य दल ने अन्य बातों के अलावा कार्ड सहित लेन-देन हेतु सत्यापन के लिए अतिरिक्त कारक (एएफए) के रूप में आधार की उपयोगिता की जांच करने की सलाह भी दी है। तदनुसार नई दिल्ली में दिसंबर 2012 - जनवरी 2013 के बीच किए गए प्रयोग के परिणामों के आधार पर कार्ड सहित लेन-देन हेतु सत्यापन के लिए अतिरिक्त कारक (एएफए) के रूप में आधार की उपयोगिता और अन्य संबंधित मामलों की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है।

IX.15 भुगतान के वैकल्पिक माध्यमों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बैंकों पर यह अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है कि ऐसे माध्यमों से किए गए लेन-देन सुरक्षित हों और उनका आसानी से छलपूर्ण प्रयोग न किया जा सके। रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य साझेदारों को समयबद्ध ढंग से सुरक्षा उपाय करने को कहा है। इनमें से कुछ उपायों का संबंध निम्नलिखित से है : ऑनलाइन भुगतानों हेतु सत्यापन के लिए अतिरिक्त कारक शुरू करना और तत्काल सकल निपटान प्रणाली में ग्राहक-आधारित बड़े मूल्य के लेन-देनों के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों को अनिवार्य करना, आंकड़ों से संबद्ध जोखिम से बचने के लिए बिक्री केंद्रों (पीओएस) को सुरक्षित बनाने के साथ ही धोखाधड़ी रोकने के लिए नकनीकी व्यवस्था करना, इंटरनेट बैंकिंग खातों में लाभार्थियों को जोड़ना, ऑनलाइन मुद्रा अंतरणों की संख्या में पाबंदी लगाना, अंतरराष्ट्रीय कार्ड सिर्फ ग्राहकों द्वारा मांग किए जाने पर जारी करना और अंतरराष्ट्रीय लेन-देनों के लिए के लिए चुंबकीय पट्टी (मैगस्ट्राइप) वाले कार्ड के प्रयोग की सीमा-रेखा तय करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्डों का प्रयोग करने वाले लोगों को यूरोपे मास्टरकार्ड वीजा (ईएमवी) कार्ड जारी करना इत्यादि।

डेबिट कार्डों में मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का यौक्तिकीकरण

IX.16 सभी श्रेणियों और सभी प्रकार के व्यापारियों को कार्ड से भुगतान स्वीकार करने की आधारभूत संरचना स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और कम मूल्य के लेन-देन भी डेबिट कार्ड द्वारा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डेबिट कार्ड से किए जाने वाले लेन-देनों के लिए मर्चेट डिस्काउंट रेट की संरचना का यौक्तिकीकरण किया गया है। बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले प्रभार के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि '2000 तक की राशि के लिए प्रभार लेन-देन की राशि का 0.75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और '2000 से अधिक के लेन-देन के लिए प्रभार 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

पूर्वदत्त लिखतों को जारी करने के संबंध में यौक्तिकीकरण

IX.17 मई 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार, पूर्वदत्त लिखत जारी करने के लिए 41 बैंकों और 22 गैर-बैंकों को प्राधिकार दिया गया है। वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को बढ़ाने और नगद-आधारित लेन-देनों में कमी लाने की सुविधा उपलब्ध कराने में पूर्वदत्त लिखतों की निहित क्षमता को देखते हुए रिजर्व बैंक ने श्रेणियों तथा केवाईसी जरूरतों के संबंध में अर्द्ध-बंद पूर्वदत्त लिखत जारी करने के संबंध में दिशानिर्देशों का यौक्तिकीकरण किया है।

- ग्राहक के बारे में आवश्यक कम से कम विवरणों, किसी दिए गए समय पर बकाया राशि और माह में हुए रिलोड का मूल्य '10,000 से अधिक नहीं होने पर '10,000 तक के पूर्वदत्त भुगतान लिखत सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जा सकते हैं।
- धन-शोधन निवारण अधिनियम के नियम 2(डी) में परिभाषित किसी 'आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज को स्वीकार करते हुए नॉन-रिलोडेबल प्रकृति के '10,001 से लेकर '50,000 तक के पूर्वदत्त भुगतान लिखत सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जा सकते हैं।
- केवाईसी की सभी शर्तों के साथ '50,000 तक के पूर्वदत्त भुगतान लिखत रिलोडेबल हो सकते हैं।

IX.18 इसके अलावा, पूर्वदत्त भुगतान लिखत की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए एक ही संस्था और/अथवा बैंक खाते से जारी किए गए एक पूर्वदत्त भुगतान लिखत से दूसरे पूर्वदत्त भुगतान लिखत में निधि अंतरण की उपलब्ध सुविधा को सभी श्रेणियों के पूर्वदत्त भुगतान लिखत के लिए सक्षम बनाया गया।

गिरो (जीआईआरओ)-आधारित भुगतान

IX.19 पहले के समय में भुगतान करने के लिए चेक आदाता को भेजा जाता था और फिर वह (आदाता) उस चेक में उल्लिखित राशि को अपने खाते में जमा कराने के लिए उसे अपने बैंक को प्रस्तुत करता था। बाद में ऐसी सुविधा का विकास हुआ जिसके द्वारा आदाता के खाते में राशि जमा करने के लिए अदाकर्ता खुद चेक को अपने बैंक में प्रस्तुत कर सकता था। इन सुविधाओं को “अदाकर्ता” की ओर से किए जाने वाले भुगतान कहा जाता था जिन्हें गिरो के नाम से जाना जाता था।

IX.20 यद्यपि भारत में वर्तमान में भुगतान लिखतों और भुगतान माध्यमों की लंबी श्रृंखला विद्यमान है किंतु बिलों के भुगतान के लिए कोई विशेष प्रणाली नहीं है जहां पर अभी भी चेक और नगदी की भूमिका प्रमुख बनी हुई है। इस समस्या से निजात पाने और जनता की बिल भुगतान करने संबंधी सभी जरूरतों के लिए सामान्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने हेतु गिरो आधारित भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसको निम्नलिखित व्यापक विषयों पर विचार करना है - (क) देश के लिए गिरो उत्पादों (इलेक्ट्रॉनिक और चेक) की रूपरेखा का निर्धारण करना (ख) गिरो भुगतान प्रणाली के प्रचालनात्मक और प्रक्रियागत दिशानिर्देश तैयार करना (ग) भारत में गिरो को लागू करने की योजना बनाना और (घ) समय के साथ चेक के इलेक्ट्रॉनिक गिरो में परिवर्तित होने के लिए रूपरेखा तैयार करना। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है (बॉक्स IX.3)।

आटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम)

IX.21 ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार लाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि एटीएम से होने वाले लेन-देनों की तिमाही समीक्षा उनके निदेशक बोर्ड द्वारा की जाए जिसमें अन्य बातों के साथ एटीएम स्थलों में ग्राहकों को सेवा नहीं प्रदान किए जाने वाले मामलों, उनके कारणों और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि इस संबंध में गतिविधियों की जानकारी रिजर्व बैंक को दें।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

IX.22 वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को यह अनुमति प्रदान की गई कि संपर्क किए जाने पर वाइट लेबल एटीएम संचालकों को राष्ट्रीय वित्तीय स्विक के प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में स्वीकार करे। मोबाइल

से किए जाने वाले भुगतान के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को बढ़ाने और आईएमपीएस लेन-देनों (यथा, एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि) को प्रारंभ करने हेतु ग्राहकों के लिए उपलब्ध माध्यमों का विस्तार करने की भी अनुमति प्रदान की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एक ही समर्पित प्लेटफार्म के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और अधिक मोबाइल नेटवर्क संचालकों को एक साथ लाने के लिए भी कार्य कर रहा है।

IX.23 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) प्रणाली को चालू किया गया जिससे एकमुश्त भुगतान प्रणाली के प्रयोगकर्ताओं को भुगतान करने के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा। भारत की प्रथम देशी कार्ड योजना रुपये के प्रारंभ के बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को रुपये से संबंधित पूर्वदत्त कार्ड प्रारंभ करने की भी अनुमति प्रदान की गई। रुपये कार्ड की स्वीकृति और उपयोग को बढ़ाने के लिए बिक्री केंद्रों और ई-वाणिज्य लेन-देनों में इसके उपयोग की भी अनुमति प्रदान की गई।

भुगतान प्रणाली की निगरानी

IX.24 देश में भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली 44 प्राधिकृत संस्थाओं (बैंक और गैर बैंक -दोनों) की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित वैश्विक मानक तय करने वाली संस्था, भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निगरानी ढांचा स्थापित किया गया है।

IX.25 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा मौके पर जांच से पता चला है कि संस्थाओं का अभिशासन ढांचा मजबूत है और जोखिम प्रबंध प्रणालियां स्थापित की गई हैं। देश के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का महत्वपूर्ण वित्तीय संरचना होने के कारण किसी भी प्रकार के प्रणालीगत प्रभाव से बचे रहने के लिए उस पर सूक्ष्मता से निगरानी की जाती है। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए भुगतान प्रणाली में जमाव जोखिम का मूल्यांकन किया जा रहा है।

IX.26 प्राधिकृत संस्थाओं की अप्रत्यक्ष निगरानी ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए बैंकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से प्राप्त होने वाले आंकड़ों के आधार पर की जाती है। आगे की नीतिगत कार्रवाई के स्वरूप और रुझान की पहचान करने के लिए आंकड़ों का आवधिक विश्लेषण किया जाता है।

बॉक्स IX.3

भारत में गिरो-आधारित भुगतान प्रणाली को लागू करने की अनुशंसा करने के लिए समिति

भुगतान प्रणाली विज्ञान (2012-15) में तय किए गए उद्देश्यों के अनुरूप, भारत में गिरो भुगतान प्रणाली : इलेक्ट्रॉनिक और चेक आधारित -दोनों को लागू करने के तौर-तरीकों के निर्धारण हेतु एक समिति (अध्यक्ष : श्री जी. पद्मनाभन) की स्थापना की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2013 में जारी की।

उपयोगिता बिलों और स्कूल शुल्क, परीक्षा शुल्क, सरकारी भुगतान, पूर्वदत्त भुगतान लिखतों को टॉप-अप करना, मोबाइल फोन रिचार्ज/टॉप-अप करना, बीमा प्रीमियम, कर आदि जमा करने से संबंधित अन्य भुगतानों सहित बिल भुगतान से खुदरा भुगतान संबंधी लेन-देन का मुख्य हिस्सा निर्मित होता है। भुगतान लिखतों और माध्यमों के बहुत से उपायों की उपलब्धता के बाद भी बिल संग्रह की बहुत सी प्रचालनात्मक रूप से अक्षमता और अधिक लागत वाली प्रणालियां विद्यमान हैं। यह अनुमान किया गया है कि देश में प्रत्येक वर्ष 30,800 मिलियन से अधिक बिल मात्र 20 शहरों में जनरेट किए जाते हैं इनके लगभग 90 प्रतिशत का संग्रह नगद/चेक के माध्यम से किए जाने का अनुमान है जिसमें ईसीएस आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का हिस्सा बहुत कम है।

समिति ने वर्तमान बिल भुगतान की इको-प्रणाली में निम्नलिखित कमजोरियों को भी नोट किया है - (i) परस्पर संचालनीयता की कमी, (ii) नगदी संग्रह में लागत अधिक होना, (iii) अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुलभता कम होना एवं (iv) बिल तैयार करने वालों द्वारा देश-व्यापी परस्परसंचालनीय मानक प्रणाली के समन्वित प्रयासों की कमी।

देश के लिए परस्परसंचालनीय, समन्वित बिल भुगतान प्रणाली की अनुशंसा करते हुए समिति ने नोट किया है कि इससे निम्नलिखित बहुत से लाभ होंगे :

- किसी भी बैंक की शाखा, डाकघर, बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट, समूहक के खुदरा अभिकर्ताओं, एटीएम आदि को इसके क्षेत्रांतर्गत लाने के माध्यम से ग्राहकों के लिए बिल भुगतान करने के केंद्रों की उपलब्धता को बढ़ाना;
- उपभोक्ता नगद, चेक, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, पूर्वदत्त लिखतों के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे;
- इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और इंटरैक्टिव वाइस रिस्पॉंस सिस्टम के माध्यम से बिल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराना;
- एसएमएस अथवा अन्य माध्यम से किए गए भुगतान की तत्काल पुष्टि करना;
- बिल तैयार करने वालों को कम लागत में संग्रह और समायोजन सेवाएं उपलब्ध कराना।

समिति की मुख्य अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं :

- देश में “भारतीय बिल भुगतान प्रणाली” (आईबीपीएस) नामक गिरो आधारित भुगतान प्रणाली को तैयार कर लागू किया जाए।
- आईबीपीएस में बिल तैयार करने वाले, मध्यस्थ/समूहक, बैंक,

आईबीपीएस के स्वयं के टच-प्वाइंटों के अलावा आईबीपीएस के टच-प्वाइंट संचालित करने वाली संग्रहकर्ता ऐजेंसियां भी सहभागिता करेंगी। आईबीपीएस की आसानी से पहचान करने और स्वीकृति के लिए एक सेवा चिह्न/लोगो तैयार करना चाहिए और उसे बिलों के साथ ही आईबीपीएस टच-प्वाइंटों पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

- प्रारंभ में आईबीपीएस से सीधा संपर्क सिर्फ मध्यस्थों/समूहकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसे बाद में उचित सुलभता की शर्त पर बिल तैयार करने वालों को उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।
- ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान अखंडनीय होगा और भुगतानकर्ता को आईबीपीएस द्वारा रसीद प्रदान की जानी चाहिए जिसमें भुगतान की पावती दी जानी चाहिए। पावती में आईबीपीएस द्वारा जनरेट किया गई अद्वितीय संदर्भ संख्या और आईबीपीएस का सेवा निशान/लोगो होना चाहिए।

रिपोर्ट में दिए गए अन्य सुझाव निम्नलिखित हैं :

- बिल प्रस्तुत करना* : बिलों का मानकीकरण करने के लिए आईडीबीआरटी को बिल के आंकड़ों को समाहित करने के लिए उचित कलन विधि का विकास करना चाहिए। आईबीपीएस को बिल प्रस्तुत करने की विद्यमान कागज आधारित विधि को सहयोग प्रदान करना चाहिए किंतु इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- बिल की सूचना का प्रवाह* : समायोजन के मुद्दों और ग्राहकों की शिकायतों को न्यूनतम करने के लिए आईबीपीएस के तहत भुगतान से संबंधित सूचना ऑनलाइन उपलब्ध होनी चाहिए।
- भुगतान लिखत/माध्यम* : आईबीपीएस को आईवीआरएस, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भुगतान स्वीकृत करने और आईबीपीएस प्वाइंटों में नगद सहित सभी भुगतान माध्यमों से स्वीकार किए जाने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
- ग्राहक सहायता* : आईबीपीएस ग्राहकों से शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराएगा और प्रथम संपर्क जिस केंद्र (भुगतान स्वीकार करने वाली बैंक शाखाएं/ग्राहक सेवा केंद्र) से किया जाएगा वह ग्राहक सहायता उपलब्ध कराएगा। बिल भुगतान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई बिल तैयार करने वाले द्वारा की जाएगी जबकि आईबीपीएस/समूहक इस संबंध में बिल तैयार करने वाले को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे।

समिति ने अनुशंसा की है कि आईबीपीएस को पेशेवर ढंग से वाणिज्यिक दिशा में संचालित करने और उसका प्रबंध करने के अलग से एक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकृत किया जा सकता है।

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड

IX.27 रिजर्व बैंक नए भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस)-अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) 'वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों (पीएफएमआई)ट मानकों सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों और सबसे बढ़िया प्रथाओं को अपनाने और उनको लागू करने के बारे में प्रतिबद्ध है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का निगरानी ढांचा अब वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाएगा। इस उद्देश्य से भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का मौके पर निरीक्षण किया गया। आकलन के दौरान सभी 24 मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस निरीक्षण में वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों की मूल्यांकन कार्यप्रणाली का प्रयोग किया गया।

IX.28 वर्ष के दौरान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड ने अपने जोखिम प्रबंध ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपाय किये हैं जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों के खंड में मार्जिन प्रणाली की पूर्णतः पुनर्रचना करना, सदस्यों के एक्जिट ऑप्शन से संबंधित वायदा विदेशी मुद्रा विनियमों के परिवर्तनों को लागू करना, सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना, सदस्यों के लिए सीमित देयताएं और बकाया निधि की गणना करना आदि शामिल हैं। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड ने वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वेप (आईआरएस)/वायदा दर करार (एफआरए) में व्यापार को कम करने के दो दौर आयोजित किए जिनके परिणामस्वरूप व्यापार जल्दी समाप्त हो गया।

भुगतान और निपटान प्रणाली समिति

IX.29 भुगतान और निपटान प्रणाली समिति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन ने वित्तीय बाजार की आधारभूत संरचना के लिए नए मानक 'वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों का प्रकाशन किया जिससे वित्तीय बाजार अधोसंरचना' से संबंधित पिछले तीन अंतरराष्ट्रीय मानकों को एकीकृत और सुसंगत बनाया गया। इनके अलावा, भुगतान और निपटान प्रणाली समिति-अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन ने वित्तीय बाजार अधोसंरचनाओं द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण को निरंतर और समग्र रूप से किए जाने के लिए प्रकटीकरण ढांचा और आकलन पद्धति भी प्रकाशित की है जिससे वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों के अनुसार निगरानी और आकलन करने के लिए दिशानिर्देश प्राप्त होंगे।

वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों को लागू करने के संबंध में निगरानी

IX.30 भुगतान और निपटान प्रणाली समिति-अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले एफएसबी और/या भुगतान और निपटान प्रणाली समिति-अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन की संचालन समिति के सदस्यों के लिए वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों को लागू करने के संबंध में निगरानी करना प्रारंभ कर दिया है। वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के सिद्धांतों की समीक्षा भी इन्हीं के द्वारा की जाती है।

IX.31 भुगतान और निपटान प्रणाली समिति ने "खुदरा भुगतान में हुए नवोन्मेषों" के बारे में भी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट से भुगतान और निपटान प्रणाली समिति और बहुत से अन्य देशों की नवोन्मेषी खुदरा भुगतान गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण मिलता है और बहिर्जात और अन्तर्जात कारकों की पहचान होती है जो खुदरा भुगतान नवोन्मेषों को गति प्रदान कर सकते हैं अथवा उनके मार्ग में बाधा बन सकते हैं। इस रिपोर्ट में केंद्रीय बैंकों के लिए खुदरा भुगतानों में गैर-बैंकों की बढ़ती हुई भूमिका सहित बहुत से मुद्दों को भी चिह्नित किया गया है जिसके लिए अलग से भुगतान और निपटान प्रणाली समिति कार्यदल (अध्यक्ष : श्री जी. पद्मनाभन) गठित किया गया है।

सार्क देशों के लिए तकनीकी सहयोग

IX.32 सार्क प्रस्तावों के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक सार्क के सदस्य देशों को तकनीकी सहयोग देता रहा है। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर उनके अधिकारियों के लिए क्रमशः इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और इमेज आधारित चेक समाशोधन प्रणाली के बारे में विशेष रूप से तैयार किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये।

बैंकिंग प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकीय पहलें

आंकड़ों का स्वचालित प्रवाह

IX.33 रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बैंकों ने आंकड़ों के स्वचालित प्रवाह (एडीएफ) से संबंधित रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है। इसे लागू करने से बैंक अपने कोर बैंकिंग

¹ प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रणालियों (सीपीएसएस, 2001); प्रतिभूति निपटान प्रणालियों (सीपीएसएस-आईओएससीओ; 2001) तथा केंद्रीय प्रतिपक्षों (सीपीएसएस-आईओएससीओ, 2004) से संबंधित मूल सिद्धांत।

समाधान (सीबीएस) या अन्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से आंकड़ों को बिना किसी हस्त-व्यवधान के सीधे रिजर्व बैंक को भेज सकेंगे। उक्त संबंध में प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए बैंकों ने अलग-अलग कार्यनीतियां अपनायी हैं। मार्च 2013 तक अधिकांश बैंकों ने रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने के लिए रिपोर्टें तैयार करने के लिए उचित समाधान लागू कर दिया है। आंकड़ों के स्वचालित प्रवाह (एडीएफ) का प्रोजेक्ट आंकड़ों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और विनियामकीय रिपोर्टिंग में संगतता लाने की जरूरत के बारे में बैंकों को जागरूक करने में बहुत सफल रहा है। रिजर्व बैंक इस संबंध में वृद्धि की सूक्ष्मतापूर्वक निगरानी कर रहा है।

IX.34 प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की गति से बैंक बढ़ती हुई मात्रा और नए शामिल होने वाले प्रतियोगियों के रूप में बढ़ने वाली प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बन रहे हैं। किंतु इनके कारण सुविज्ञतापूर्वक होने वाले वित्तीय अपराधों से जुड़ी चुनौती भी उत्पन्न हुई है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि विनियामक के पास यथा समय नीतिगत निर्णय लेने और तत्परतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए डैशबोर्डों, स्कोर-कार्डों और रिपोर्टों के रूप में लगभग तत्काल-आधार पर पर्याप्त जानकारी हो। आंकड़ों के स्वचालित

प्रवाह (एडीएफ) की पहल इस दिशा में पहला कदम है। अगला लक्ष्य विश्लेषण के संबंध में होगा।

क्लाउड कंप्यूटिंग

IX.35 बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना का अधिक प्रयोग किए जाने के साथ ही दक्षता और सुरक्षा के अपेक्षित स्तर को बनाए रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के साझे संसाधनों की लागत को न्यूनतम करने के विषय की जांच करने की आवश्यकता है। सुरक्षा के मुद्दों, आंकड़ों की प्रतिबद्धता और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं साझे संसाधनों की व्यवहार्यता संभव हो, बैंकिंग क्षेत्र को उनकी खोज करने की आवश्यकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा ही रास्ता है। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत व्यापक समानांतर और बटी हुई कंप्यूटिंग प्रणाली है। यह परस्पर जुड़े हुए और आभाषीकृत कंप्यूटिंग संसाधनों का संग्रह होता है जिनका प्रबंध एक अथवा अधिक एकीकृत कंप्यूटिंग संसाधन के रूप में किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र को विभिन्न उपयोगकर्ताओं के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराता है और किसी भी प्रकार के इंटरनेट संपर्क के माध्यम से उपलब्धता प्रदान कर उपयोग को सरल बना देता है (बॉक्स IX.4)।

बॉक्स IX.4

क्लाउड कंप्यूटिंग - रुझान, मुद्दे और चिंताएं

राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसटी) ने क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता इस प्रकार बतायी है - 'यह कॉन्फिगर किए जाने योग्य कंप्यूटिंग संसाधनों (उदा. नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लिकेशन्स, सर्विसेज) की उपलब्धता, सुविधा, मांग किए जाने पर नेटवर्क में सुलभता को उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक उपयोग के लिए भुगतान करने का मॉडल है जिसमें प्रबंध के न्यूनतम प्रयासों अथवा सेवा प्रदाता से संपर्क किए बिना तेजी से तैयारी करके उपलब्ध कराया जा सकता हो'।

किसी क्लाउड की संरचना में व्यापक रूप से तीन हिस्से होते हैं : एप्लीकेशन, स्टोरेज और कनेक्टिविटी। इस क्लाउड मॉडल में तीन सेवा मॉडल, पांच अनिवार्य विशेषताएं और फैलाव के चार मॉडल होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग उपलब्ध कराने वाले इन तीनों विशेषताओं में विशिष्ट परिवर्तन करके अपनी सेवाएं तीन आधारभूत मॉडलों के अनुसार प्रदान करते हैं।

सेवा मॉडल

सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (एसएएस) : इस मॉडल के अंतर्गत उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर को क्लाउड क्लाउड से प्राप्त करते हैं और क्लाउड उपलब्ध कराने वाले को क्लाउड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टाल और ऑपरेट करना पड़ता है। क्लाउड की आधारभूत संरचना और जिस प्लेटफॉर्म में वह कार्य कर रहा हो, उसका प्रबंध करना क्लाउड के उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी नहीं होती है। इससे क्लाउड के उपयोगकर्ता के स्वयं के कंप्यूटर में एप्लीकेशन को इंस्टाल कर चलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसलिए रखरखाव और सहयोग प्रदान करना काफी आसान हो जाता है।

सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म (पीएएस) : सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म मॉडल में क्लाउड उपलब्ध कराने वाले कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्जीक्यूशन इनवायरनमेंट और वेब सर्वर शामिल होते हैं। एप्लीकेशन तैयार करने वाले अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को क्लाउड प्लेटफॉर्म में बिना लागत के और खरीदने तथा संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेयर्स का प्रबंध किए बिना तैयार कर चला सकते हैं।

सेवा के रूप में आधारभूत संरचना (आईएएस) : यह क्लाउड सर्विस का सबसे सरल मॉडल है। इसमें क्लाउड उपलब्ध कराने वाले वास्तविक अथवा आभासी रूप में कंप्यूटर उपलब्ध कराते हैं तथा स्टोरेज, फायरवाल्स, नेटवर्क और लोड बैलेंसर उपलब्ध कराते हैं। सेवा के रूप में आधारभूत संरचना प्रदान करने वाले इन संसाधनों को मांग किए जाने पर डाटा केंद्रों के रूप में स्थापित अपने बड़े पूलों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क अथवा वाइड एरिया नेटवर्क में किया जा सकता है जहां पर कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जा सके।

क्लाउड की अनिवार्य विशेषताएं

मांग किए जाने पर स्वयं-सेवा - उपभोक्ता सर्वर के समय और नेटवर्क स्टोरेज जैसी कंप्यूटिंग क्षमताओं को आवश्यकता के अनुसार अपनी ओर से प्रत्येक सेवा प्रदाता से मानवीय हस्तक्षेप के बिना व्यवस्था कर सकता है।

(जारी...)

ब्रॉड नेटवर्क की उपलब्धता - नेटवर्क में क्षमताएं उपलब्ध हैं जिन्हें उपयोग के लिए मानक प्रणाली के विभिन्न कमजोर अथवा शक्तिशाली क्लाउड प्लेटफॉर्मों (यथा, मोबाइल फोन, टेबलेट, लैपटॉप और वर्कस्टेशन) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

रिसोर्स पूरिंग - क्लाउड उपलब्ध कराने वाले के कंप्यूटिंग संसाधनों को मल्टी-टेनेंट मॉडल का प्रयोग करने वाले विभिन्न उपभोक्ताओं की सेवा के लिए साझा किया जाता है जिसके अंतर्गत भौतिक और आभासी संसाधनों को उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार वितरित और पुनर्वितरित किया जाता है। स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मेमोरी और नेटवर्क बैंडविड्थ संसाधनों के उदाहरण हैं।

तीव्र प्रत्यास्थता - क्षमताओं की व्यवस्था और उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य प्रत्यास्थता पूर्वक किया जा सकता है, कुछ मामलों में मांग के अनुरूप उपलब्ध कराई जा रही और प्राप्त हो रही क्षमताएं स्वयं व्यवस्थित हो जाती हैं।

नियंत्रित सेवाएं - क्लाउड प्रणालियां सेवा के प्रकार (उदाहरण के लिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग, बैंडविड्थ और सक्रिय उपयोगकर्ता खातों) के अनुसार पृथक्करण के किसी उचित स्तर पर मापन की क्षमता के माध्यम से स्वचालित ढंग से नियंत्रण करके संसाधनों के प्रयोग को बढ़ाता है।

मॉडलों का वितरण

निजी क्लाउड : क्लाउड की आधारभूत संरचना का प्रावधान विशेष प्रयोग के लिए किसी एक संगठन के लिए होता है जिसमें विभिन्न उपभोक्ता हो सकते हैं (यथा, कारोबारी इकाईयां)।

कम्यूनिटी क्लाउड : क्लाउड की आधारभूत संरचना का प्रावधान साझा उद्देश्यों (यथा, मिशन, सुरक्षा संबंधी जरूरतें, नीति और अनुपालन के महत्व) वाले संगठनों के उपभोक्ताओं के विशिष्ट समुदाय के लिए किया जाता है।

सार्वजनिक क्लाउड : क्लाउड की आधारभूत संरचना का प्रावधान सामान्य जनता के प्रयोग हेतु किया जाता है। इसका स्वामित्व, प्रबंध और प्रचालन कारोबारी, शैक्षणिक अथवा सरकारी संगठन अथवा उनके किसी समूह के द्वारा किया जा सकता है। इसका अस्तित्व क्लाउड उपलब्ध कराने वाले के परिसर में ही होता है।

हाइब्रिड क्लाउड : क्लाउड की आधारभूत संरचना दो अथवा अधिक भिन्न क्लाउड की आधारभूत संरचनाओं (निजी, कम्यूनिटी या सार्वजनिक) का मिलाजुला रूप होता है जिसमें विशिष्ट संस्थाएं यथावत रहती हैं किंतु उनको

मानकीकरण अथवा ट्रेडमार्क युक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक साथ रखा जाता है ताकि आंकड़ों और एप्लीकेशन की सुवाह्यता (यथा, क्लाउडों के बीच भार संतुलन के लिए क्लाउड बस्तिंग) बनी रहे।

क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं -

- लागत में कमी लाना - क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करने में सक्षम बनाती है और समग्र रूप से लागत में कमी आती है।
- सुलभता (एक्सेसिबिलिटी) - क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से सभी अपेक्षित सूचना कहीं से भी, कभी भी और किसी भी उपकरण के माध्यम से सुलभ होती है।
- कुशलता (एजिलिटी) - क्लाउड कंप्यूटिंग संगठनों को नए उत्पाद बनाने और तीव्र सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है।
- मापनीयता - क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा अपेक्षित उपकरणों के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती और क्लाउड में समायोजन की प्रक्रिया सरल होगी।
- बेहतर उपलब्धता - क्लाउड कंप्यूटिंग से सर्वर की बेहतर उपलब्धता होती है।

क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के संबंध में प्रमुख चिंताएं

- क्लाउड कंप्यूटिंग में प्राथमिक रूप से गोपनीयता की चिंताएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि सेवा प्रदाता को किसी भी समय क्लाउड में उपलब्ध आंकड़े सुलभ होते हैं। वे दुर्घटना के रूप में अथवा जानबूझकर किसी सूचना को बदल सकते हैं या समाप्त भी कर सकते हैं।
- विनियमों का अनुपालन करने के क्रम में उपयोगकर्ताओं को निजी क्लाउड मॉडलों को अपनाना होगा जो कि विशेषरूप से खर्चीले होते हैं।

संदर्भ

राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान, सितंबर 2011, 'द एनआईएसटी डेफिनिशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग' (<http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf>)

विलियम वूर्सलुयस, जैम्स ब्रॉबर, राजकुमार बुय्या (फरवरी 2011), "इन्ट्रोडक्शन टु क्लाउड कंप्यूटिंग"। न्यूयार्क, अमरीका : विले प्रेस।

तत्काल सकल निपटान प्रणाली एवं नई पीढ़ी की तत्काल सकल निपटान प्रणाली (एनजीआरटीजीएस)

IX.36 मार्च 2013 के दौरान तत्काल सकल निपटान प्रणाली के अंतर्गत लेन-देनों की संख्या 0.43 मिलियन को पार कर गई। लेन-देनों की बढ़ती हुई संख्या और अन्य कारोबारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक विद्यमान तत्काल सकल निपटान प्रणाली के स्थान पर नई पीढ़ी की तत्काल सकल निपटान प्रणाली को ला रहा है जिसमें और बढ़िया कार्य करने की सुविधा और विशेषताएं उपलब्ध हैं। चलनिधि प्रबंध की उन्नत सुविधा, आईएसओ 20022

का पालन करने वाली एक्सटेंसिबल मार्क अप लेंग्वेज आधारित मैसेजिंग प्रणाली और रियलटाइम सूचना तथा लेनदेन की निगरानी और नियंत्रण प्रणालियां नई पीढ़ी की तत्काल सकल निपटान प्रणाली के अंतर्गत लागू की जाने वाली कुछ विशेषताएं हैं। इस एप्लीकेशन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर पहले ही जुटा लिया गया है। तत्काल सकल निपटान प्रणाली के सभी सदस्यों और आंतरिक विभागों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नई पीढ़ी की तत्काल सकल निपटान प्रणाली के अगस्त 2013 से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

रिजर्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी

केंद्रीय बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति

IX.37 बढ़िया कंपनी अभिज्ञान के हिस्से के रूप में और सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान दस्तावेज 2011-17 में की गई अनुशंसा के अनुसार वर्ष के दौरान केंद्रीय बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति का गठन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति का कार्य रिजर्व बैंक को सूचना प्रौद्योगिकी की समग्र कार्यनीति, आधारभूत संरचना, एप्लीकेशनों, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की सुरक्षा की समीक्षा, उचित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को लागू करने के संबंध में अनुशंसा करना और सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न उठाए गए कदमों को लागू करने में हुई प्रगति पर निगरानी रखना है। इस समिति का अध्यक्ष केंद्रीय बोर्ड का कोई सदस्य होगा और केंद्रीय बोर्ड, शैक्षणिक समुदाय और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लोग भी इसके सदस्य होते हैं।

IX.38 अधिदेश में कहे अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति ने वर्ष के दौरान दो बार बैठक की है। विचार-विमर्श, अन्य बातों के साथ में सूचना सुरक्षा (आईएस) नीति, रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले डीआर डिल, सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना (नेटवर्क) को मजबूत करना, बैंकों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) और बैंक की नई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की भी जिम्मेदारियों को मूर्त रूप देने से संबंधित विषयों पर केंद्रित रहा।

रिजर्व बैंक के लिए सूचना सुरक्षा नीति

IX.39 चूंकि सूचना सुरक्षा नीति की आवधिक समीक्षा की जानी होती है, इसलिए रिजर्व बैंक के लिए वर्तमान सूचना सुरक्षा नीति तथा संबंधित सहायक नीतियों और प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों की वर्ष के दौरान समीक्षा की गई। इस हेतु सूचना आइएसएसीए से प्रमाणित अधिकारियों और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने वाले अधिकारियों तथा बैंकके अन्य सहयोगी कार्यो (फंक्शनों) से प्राप्त की गई। संशोधित नीति और उप-नीतियों को आईटीएससी द्वारा अनुमोदित किया गया है। नीति प्रबंध करने से संबंधित प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विदेशी मुद्रा कारोबार-इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (एफईटीईआरएस)

IX. 40 बैंक प्राधिकृत व्यापारी शाखाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा बिक्री/खरीदी के ब्यौरों की रिपोर्ट विदेशी मुद्रा कारोबार-इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत करते हैं जिनका उपयोग देश की भुगतान संतुलन से संबंधित सांख्यिकी को समेकित करने और प्रसार करने

के लिए सूचना के रूप में किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यदल (अध्यक्ष श्री दीपक मोहंती) की अनुशंसाओं के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल-छठवें अंक (पीबीएम6) के अनुरूप भारत के भुगतान संतुलन को प्रदर्शित करने के फॉर्मेट में 2011-12 के दौरान संशोधन किया गया जबकि विदेशी मुद्रा कारोबार-इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली में बिल्कुल नई मदों से संबंधित आंकड़ों को समाहित करने के लिए उद्देश्य कोडों और अन्य मानकों में उचित संशोधन किया गया। संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली को 1 अप्रैल 2012 से लागू किया गया। परिणामी परिवर्तन सुगमता से हो गया और भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल-छठवें अंक मानकों को लागू करने वाले अग्रणी देशों में से एक है।

इंटरप्राइज़ नॉलेज पोर्टल (इकेपी) को उन्नत करना

IX.41 रिजर्व बैंक ने बाहरी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में इकेपी को उन्नत करने का काम हाथ में लिया है। उन्नत विशेषताओं और सुविधाओं वाली नई पोर्टल का विकास किया जा रहा है। इकेपी को मजबूत आधार के साथ उन्नत किए जाने की संभावना है जिसमें शक्तिशाली सर्च इंजन, विषय सूची का बढ़िया प्रबंध, प्रभावी रूप से व्यक्तिगत बनाए जाने और सहयोग के लिए टूल्स, आसानी से नेवीगेट करना और समग्र रूप से उन्नत कार्यनिष्पादन जैसी उन्नत विशेषताएं होंगी। उन्नत इकेपी के सितंबर 2013 तक प्रारंभ होने की संभावना है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली को उन्नत करना

IX.42 वर्ष के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को उन्नत करने का कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें अन्य बातों के अलावा चुनिंदा स्थानों पर कार्यपालकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कमरों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षण कक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा, बेहतर गुणवत्ता के लिए हाई डेफिनिशन तकनीक, वीडियो स्ट्रीमिंग सुविधा, मांग किए जाने पर वीडियो सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इस परियोजना के सितंबर 2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।

पेरिमीटर सिक्यूरिटी सॉल्यूशन (पीएसएस)

IX.43 पेरिमीटर सिक्यूरिटी सॉल्यूशन रिजर्व बैंक की सूचना प्रणालियों को हानिकारक अवयवों के आने, एक्ज्यूकेटेबल्स और नेटवर्क के माध्यम से गोपनीय सूचना के लीक होने से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। पेरिमीटर सिक्यूरिटी सॉल्यूशन का

उद्देश्य नेटवर्क की परिधि में समुचित सुरक्षा व्यवस्था करना है ताकि नेटवर्क पैकेट स्निफर्स, आईपी स्फूलिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, पासवर्ड अटैक, एप्लीकेशन लेयर अटैक, बीओटी अटैक इत्यादि से खतरों को टाला जा सके। इसका अंतिम लक्ष्य संगठन को सभी बाहरी धमकियों और बाहरी साइबर दुनिया के हमलों से बचाना है।

IX.44 विद्यमान पेरिमीटर सिक्यूरिटी सॉल्यूशन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। परियोजना को दो चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण में स्विच और राउटर जैसे नेटवर्किक अवयवों को शामिल किया गया है और दूसरे चरण में फायरवाल्स, इन्ट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस) आदि को क्रियान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के दिसंबर 2013 तक क्रियान्वित होने की संभावना है।

इन्फर्मेंशन सिक्यूरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (आईएसओसी)

IX.45 सूचना प्रौद्योगिकी की उद्यम-वार सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक में इन्फर्मेंशन सिक्यूरिटी ऑपरेशन्स सेंटर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया जो रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों तथा वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का सक्रिय रूप से पता लगाएगा। इन्फर्मेंशन सिक्यूरिटी ऑपरेशन्स सेंटर का प्रमुख कार्य अन्य बातों के साथ-साथ, महत्त्व के आधार पर रिजर्व बैंक की सभी प्रणालियों को वर्गीकृत करना, घटनाओं का प्रबंध करना और मुख्य कारणों का विश्लेषण करना, रिजर्व बैंक की सुरक्षा प्रणाली की निगरानी करना तथा कमियों को दूर करना, सीईआरटी-आईएन जैसी बाहरी ऐजेंसियों के साथ इंटरनेट निगरानी की गतिविधियों का समन्वय करना और रिजर्व बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

एक्सबीआरएल का दूसरा चरण - बैंकों से आंकड़ा प्राप्ति को आधुनिक बनाने के लिए कदम

IX.46 सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान दस्तावेज की उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष : डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) की रिपोर्ट में नोट किया गया है कि एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) के रूप में डाटा रिपोर्टिंग के लिए मानक तय करने के बारे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग पर्यवेक्षण और

विदेशी मुद्रा लेन-देन की रिपोर्टिंग के क्षेत्र की विभिन्न विवरणियों के लिए एक्सबीआरएल टैक्सोनामी विकसित करने के लिए एक परियोजना तैयार की है। इस प्रक्रिया में कारोबारी नियमों के साथ विवरणियों में शामिल किए जाने वाले अवयवों के आंकड़े दिए जाते हैं और उनकी मौलिक सूची तैयार की जाती है। ये टैक्सोनामी बैंकों आवश्यक आंकड़े जनरेट करने में सहायता करेंगे और कारोबारी नियमों का प्रयोग करते हुए उन्हें तैयार करेंगे।

सूचना प्रबंध के लिए उठाए गए कदम

IX.47 डाटा प्रोसेसिंग और सूचना प्रसार के लिए बैंक का डाटा वेयरहाउस केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा है। बैंक के सूचना प्रबंध विज्ञान के अनुसार विभिन्न विवरणियों से एकत्र की गई और अलग-अलग विभागों की पृथक प्रणालियों में प्रोसेस की गई जानकारी को उत्तरोत्तर एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजा जाएगा।

IX.48 बैंक के मासिक बुलेटिन की पुनर्संरचना किए जाने के परिणामस्वरूप, रिजर्व बैंक ने एक परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य सूचना प्रवाह को स्वचालित करना, रिपोर्ट तैयार करना और साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक (डब्लूएसएस) से संबंधित सभी सारणियों और मासिक बुलेटिन की वर्तमान सांख्यिकी को सीधे डाटा वेयरहाउस से प्रसारित करना है। जनवरी 2013 से इन दो प्रकाशनों से संबंधित सभी आंकड़ों की सारणियां डाटा वेयरहाउस से ली जा रही हैं।

IX.49 रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए भुगतान प्रणाली से संबंधित कदमों से वित्तीय प्रणाली स्वयं को दक्षता, सुरक्षा और डिलीवरी की गति के मामले में परिवर्तित करने सक्षम हो गई है। इसके कारण गैर-नगद भुगतान माध्यमों की स्वीकृति और उनका प्रभाव काफी बढ़ गया है। रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा कि देश की भुगतान और निपटान प्रणाली सुरक्षित, दक्ष, परस्पर संचालन योग्य, प्राधिकृत, पहुंच योग्य, समावेशी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। रिजर्व बैंक वित्तीय प्रणाली में नगद-रहित लेन-देनों को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना जारी रखेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक जैसी बहु-आयामी संस्था के लिए संगठनात्मक प्रणाली और नियंत्रण-व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी प्रणाली भलीभाँति काम कर रही है। इस संबंध में, रिजर्व बैंक ने अभिशासन संबंधी मानकों में सुधार लाने तथा एक समर्पित कार्यबल तैयार करने की दिशा में अपने प्रयासों को सतत जारी रखने हेतु अपनी संप्रेषण नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान अनेक सम्मेलन, सेमिनार तथा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे कर्मचारियों तथा बाहरी विशेषज्ञों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान हुआ और सामयिक रुचि के विषयों के बारे में चर्चा तथा बहस सुकर हो पायी। इस मामले में रिजर्व बैंक के प्रयासों को ऐसे विभिन्न विभागों ने समर्थन दिया जो कांफॉरेट सामाजिक दायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता का सम्मान करते हुए संगठन की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अभिशासन में सुधार के उपाय

अभिशासन का ढाँचा

X.1 किसी केन्द्रीय बैंक की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि वह जनहित में काम करता है, ऐसी सेवाएँ प्रदान करता है जो लोकहित के स्वरूप की होती हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। तदनुसार, केन्द्रीय बैंक में अभिशासन विधिक आधारों, पद्धतियों, विचारों की स्वतंत्रता और दायित्वों से संबंधित होता है। इसका संबंध समाज के अधिक कमजोर वर्ग के प्रति उचित और स्वीकार्य बर्ताव से भी है।

X.2 रिजर्व बैंक के अभिशासन के ढाँचे में, केन्द्रीय निदेशक-मंडल शीर्ष संस्था है जो रिजर्व बैंक की गतिविधियों पर नजर रखता है और दिशानिर्देश देता है। इसके अलावा, देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं। भारत सरकार केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों की तथा चार स्थानीय बोर्डों में सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन करती है। केन्द्रीय बोर्ड की 3 समितियाँ (केन्द्रीय बोर्ड समिति, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड और भुगतान तथा निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड) तथा चार उप-समितियाँ (लेखा परीक्षा और जोखिम निगरानी उप-समिति, मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति, भवन उप-समिति और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति) हैं। केन्द्रीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता गवर्नर करते हैं। केन्द्रीय बोर्ड की एक वर्ष में सामान्यतः सात बैठकें होती हैं। रिजर्व बैंक के कार्यों के प्रबंधन में चार उप गवर्नर तथा नौ कार्यपालक निदेशक गवर्नर की सहायता करते हैं।

केन्द्रीय बोर्ड और इसकी समिति की बैठकें

X.3 वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठकें हुईं। इनमें से चार बैठकें महानगरीय केंद्रों (नई दिल्ली, चेन्नै, मुंबई और कोलकाता) पर तथा तीन बैठकें बारी-बारी से गैर-परांपरागत केंद्रों (पुदुचेरी, गुवाहाटी और श्रीनगर) पर आयोजित की गईं। इन बैठकों में हुई चर्चाएं अन्य बातों के साथ-साथ, रिजर्व बैंक के कार्यों के सामान्य पर्यवेक्षण और उनकी दिशा, वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों को समर्थन देने में रिजर्व बैंक की भूमिका से जुड़ी हुई थीं। परांपरागत रूप से बजट के बाद केन्द्रीय बोर्ड की बैठक को वित्त मंत्री संबोधित करते हैं। श्री पी. चिंदबरम, माननीय वित्त मंत्री ने बजट के बाद केन्द्रीय बोर्ड की बैठक को 8 मार्च 2013 को नई दिल्ली में संबोधित किया।

X.4 वर्ष के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की समिति की 45 साप्ताहिक बैठकें मुंबई में की गईं। समिति ने रिजर्व बैंक के चालू कारोबार पर विचार करने और निर्गम विभाग तथा बैंकिंग विभाग से संबंधित रिजर्व बैंक के साप्ताहिक लेखाओं को अनुमोदन प्रदान करने का काम किया।

X.5 गवर्नर ने, केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों के समय, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया। ऐसी चर्चाओं के दौरान सामान्यतः बैंक सुविधा-रहित / कम बैंकिंग सुविधावाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराए जाने, आईटी-चालित बैंकिंग सेवाओं /

इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, वित्तीय समावेशन के संवर्धन के उपायों, ऋण की उपलब्धता में वृद्धि, स्वयं-सहायता समूहों को विकसित करने, ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाए जाने तथा बैंक नोटों की गुणवत्ता और उपलब्धता इत्यादि में सुधार लाने के उपायों को शामिल किया गया।

केन्द्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्डों के निदेशक/सदस्य - परिवर्तन नामांकन

X.6 आर्थिक कार्य विभाग के सचिव डॉ. अरविंद मायाराम को, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 8(1)(डी) के अंतर्गत श्री आर.गोपालन के स्थान पर 7 अगस्त 2012 से केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक (सरकारी नामिती) नामित किया गया।

X.7 श्री वाई.सी. देवेश्वर को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1)(सी) के अंतर्गत, डॉ.अशोक एस. गांगुली के स्थान पर 3 सितंबर 2012 से केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक नामित किया गया।

X.8 प्रो.दामोदर आचार्य को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1)(सी) के अंतर्गत स्वर्गीया श्रीमती शशि राजगोपालन के स्थान पर 12 अक्टूबर 2012 से केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक नामित किया गया।

X.9 श्री राजीव टकरू, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत श्री डी.के. मित्तल के स्थान पर 4 फरवरी 2013 से केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक (सरकारी नामिती) नामित किया गया।

X.10 डॉ. नचिकेत मधुसूदन मोर को 16 मई 2013 से रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 9(1) के अंतर्गत स्थानीय बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) का सदस्य तथा रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1)(बी) के अंतर्गत, स्वर्गीय प्रो.सुरेश तेंडुलकर के स्थान पर केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया गया।

नियुक्तियां

X.11 डॉ.ऊर्जित आर.पटेल को 11 जनवरी 2013 से रिजर्व बैंक में उप गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया तथा उन्होंने 14 जनवरी 2013 को कार्यभार ग्रहण किया।

X.12 श्री आनंद सिन्हा बैंक में 1 मार्च 2013 से उप गवर्नर के पद पर काम करते रहे तथा उनका वर्तमान कार्यकाल, 19 जनवरी 2011 को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल का समय पूरा होने तक, 18 जनवरी 2014 तक रहेगा।

X.13 डॉ. रघुराम राजन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय को भारत सरकार के दिनांक 7 अगस्त 2013 की अधिसूचना द्वारा डॉ. डी. सुब्बाराव के कार्यकाल की समाप्ति पर उनके स्थान पर तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है। 5 सितंबर 2013 को गवर्नर के रूप में कार्यग्रहण करने के पूर्व तीन सप्ताह के लिए उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है ताकि वे भी वर्तमान गवर्नर के साथ काम कर सकें।

सेवानिवृत्तियां / पदत्याग

X.14 डॉ. सुबीर गोकर्ण ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद, 31 दिसंबर 2012 को रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के पद का त्याग कर दिया।

X.15 श्री नजीब जंग ने, दिल्ली के उप राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद, 9 जुलाई 2013 से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के पद का त्याग कर दिया।

X.16 श्री कुमार मंगलम बिड़ला ने 11 जुलाई 2013 से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया।

X.17 डॉ.एम.गोविंद राव ने, 14वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद 7 फरवरी 2013 से स्थानीय बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) के सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया।

कार्यपालकों की नियुक्ति / सेवानिवृत्ति

X.18 श्री वी.एस. दास, कार्यपालक निदेशक 31 जुलाई 2012 को कारोबार की समाप्ति के समय से सेवानिवृत्त हो गये।

X.19 श्री जसबीर सिंह को 1 अगस्त 2012 से कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। वह निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के प्रभारी हैं।

X.20 श्री वी.के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक 31 दिसंबर 2012 को कारोबार की समाप्ति से सेवानिवृत्त हो गये।

X.21 डॉ. (श्रीमती) दीपाली पंत जोशी को 1 जनवरी 2013 से कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।

X.22 श्रीमती ग्रेस कोशी, मुख्य महाप्रबंधक और सचिव 31 दिसंबर 2012 को कारोबार की समाप्ति के समय से रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त हो गयीं।

पुरस्कार / बधाई / सम्मान

X.23 सुश्री इला भट्ट, निदेशक को आधारभूत उद्यमिता के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उनकी आजीवन उपलब्धियों के लिए, भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने फरवरी 2013 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2011 का इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया।

विदेशी विशिष्ट अतिथियों का दौरा

X.24 वर्ष के दौरान अनेक विदेशी शिष्टमंडल रिजर्व बैंक में आए तथा उन्होंने वैश्विक आर्थिक स्थिति, सुदृढ़, धारणीय और संतुलित वैश्विक वृद्धि हेतु अपेक्षित ढांचे तथा वित्तीय / विनियामक सुधारों सहित व्यापक मुद्दों पर शीर्ष प्रबंध-तंत्र के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। इन चर्चाओं के दौरान आपसी व्यापार, निवेश तथा द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े पहलुओं के अलावा रिजर्व बैंक की मौद्रिक तथा विनियामक नीतियों के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया। वर्ष 2012-13 के दौरान रिजर्व बैंक में आए विशिष्ट अतिथियों की सूची अनुबंध I में दी गई है।

संप्रेषण संबंधी उपाय

X.25 पिछले कई वर्षों में, बेहतर संप्रेषण की दिशा में रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई रणनीति का एक प्रमुख तत्व, केंद्रीय बैंक और गवर्नर के कार्यालय के बारे में रहस्यों पर से पर्दा हटाना तथा लोगों की जानकारी बढ़ाना रहा है। इस संबंध में अनेक कदम उठाये गये हैं।

X.26 मौद्रिक नीति के संप्रेषण के संबंध में नई उभरती हुई प्रौद्योगिकी का सहारा लेने के अंतर्गत गवर्नर के मौद्रिक नीति वक्तव्य की लाइव वेबकास्टिंग के अलावा मोबाइल स्ट्रीमिंग

शामिल थी। वर्ष 2012-13 की मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा के समय से जनवरी 2013 में इसकी शुरुआत की गई। इससे रिजर्व बैंक के संप्रेषण के दायरे में भारी वृद्धि हुई है। वस्तुतः मोबाइलों के सहारे ऐक्सेस, जनवरी 2013 के 2975 डाउनलोड से बढ़कर मई 2013 में 3756 डाउनलोड हो गये और जुलाई 2013 में यह और बढ़कर 8096 डाउनलोड हो गए।

टाउन हॉल कार्यक्रम / आउटरीच कार्यक्रम

X.27 रिजर्व बैंक के बारे में रहस्यों पर से पर्दा हटाकर लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए वर्ष 2010 में टाउन हॉल कार्यक्रम शुरू किये गये ताकि रिजर्व बैंक जनता के और करीब पहुंच सके तथा यह बताया जा सके कि केन्द्रीय बैंक जनसाधारण के दैनिक जीवन को किस प्रकार स्पर्श करता है। इस प्रक्रिया में नीति-निर्माण के लिए रिजर्व बैंक को भी अनेक जानकारियां मिलती हैं। टाउन हॉल कार्यक्रम दूसरी श्रेणी के शहरों में वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में गवर्नर तथा उप गवर्नर छात्रों के उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहते हैं जो तरुण भारत की आकांक्षाओं के द्योतक होते हैं। संचार विभाग ने 3 अक्टूबर 2012 को पुदुचेरी में एक टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कॉलेज, पुदुचेरी विश्वविद्यालय, शारदा गंगाधरन कॉलेज और सेंट जोसेफ कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। एबीपी न्यूज ने इस कार्यक्रम को व्यापक श्रोता-वर्ग तक पहुँचाने का काम किया।

X.28 पश्चिम बंगाल में शारदा कंपनी से जुड़ी घटना के मामले में, जनता से जुड़ी नीतियों का निर्माण करने वाली संस्था के रूप में, रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन के मामले में तथा शिकायत निवारण हेतु उपलब्ध तंत्र के बारे में विभिन्न विनियामकों की भूमिका के संबंध में जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी ली। इस दिशा में रिजर्व बैंक ने 29 जून 2013 को चंडीगढ़ में टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किया। श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में जनता के सवालियों के जवाब दिये। सीएनबीसी टीवी 18 के साथ सहभागिता की मदद से इस टाउन हॉल कार्यक्रम को व्यापक श्रोतावर्ग तक पहुँचाया गया।

X.29. वित्तीय साक्षरता में वृद्धि करने और गरीबों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सुकर बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने कई

आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये। वर्ष के दौरान सामान्य जनता तथा छात्रों के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए “फोरेक्स फॉर यूथ” नामक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भुगतान प्रणाली के संबंध में जानकारी और उसका उपयोग/उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए ई-बात कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों से विभिन्न भुगतान उत्पादों के संबंध में जागरूकता लाने में मदद मिली तथा लोगों को इस बात की भी जानकारी हुई कि गैर-नकदी भुगतान उत्पादों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इन उत्पादों का प्रयोग कितनी आसानी से किया जा सकता है और समाज में कम नकदी के प्रयोग की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है।

आईआईएम कोजीकोड में इंडियन बिजनेस हिस्ट्री म्यूजियम में आरबीआई पैविलियन

X.30. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट, कोजीकोड के अनुरोध पर संचार विभाग ने उक्त संस्थान के इंडियन बिजनेस हिस्ट्री म्यूजियम में एक स्थायी पैविलियन स्थापित किया। इस पैविलियन में, बैंक नोटों के विकास से संबंधित संक्षिप्त कहानी के साथ, रिजर्व बैंक और वित्तीय प्रणाली का रोचक दृश्य इतिहास शामिल किया गया है। पैविलियन में गवर्नर्स गैलरी, बैंक नोटों के सत्यापन के लिए प्रयोग की जानेवाली एक अल्ट्रा-वॉयलेट मशीन और रिजर्व बैंक के कुछ प्रकाशन भी उपलब्ध हैं। इस पैविलियन का उद्घाटन डॉ. डी सुब्बाराव ने जुलाई 2012 में किया।

X.31. आईआईएम, कोजीकोड के अनुसार इस म्यूजियम में बड़ी संख्या में दर्शक पहुँचते हैं जिनमें शासनाध्यक्ष, राजदूत, बुद्धिजीवी और विचारक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विद्वान, शिक्षक, अलग-अलग आयु वर्ग के छात्र और साधारण जनता शामिल है।

शैक्षिक दौरे

X.32. रिजर्व बैंक, वित्तीय साक्षरता परियोजना के अंग के रूप में वर्ष 2006 से शैक्षिक दौरे आयोजित करता रहा है। समय बीतने के साथ-साथ ऐसे दौरे, लोगों के बीच की आपसी चर्चाओं के माध्यम से, लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। जुलाई 2011 से जून 2012 के वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय ने कई दौरे आयोजित किए तथा जुलाई 2012 से जून 2013 तक

89 दौरे आयोजित किए गए। रिजर्व बैंक हर महीने औसतन ऐसे चार-पाँच दौरे आयोजित करता है। इनमें भाग लेने वालों में स्कूल, कॉलेज, आइएएस और राज्यों की सिविल सेवाओं के अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन, वरिष्ठ नागरिकों के समूह तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल होते हैं। इनसे जुड़े सत्रों में तीन मॉड्यूल होते हैं - मौद्रिक संग्रहालय देखना, रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान और समाशोधन गृह देखना। अनुरोध किए जाने पर, रिजर्व बैंक के अधिकारी रिजर्व बैंक के कार्यों और उसकी भूमिका के बारे में तथा विशिष्ट विषयों पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों में व्याख्यान भी देते हैं।

सेमिनार

X.33. शोध छात्रों और विश्लेषकों के बीच रिजर्व बैंक के प्रकाशनों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा अनेक केंद्रों पर, संयुक्त रूप से आउटरीच सेमिनारों का संयुक्त रूप से आयोजन किया जाता है। वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद शोध विश्लेषकों के लिए मुंबई में एक आउटरीच सेमिनार तथा, दूसरी श्रेणी के शहरों सहित, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम, अगरतला विश्वविद्यालय, अगरतला और जयपुर कार्यालय में भी तीन सेमिनार आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों तथा वाणिज्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

X.34. रिजर्व बैंक के सांविधिक प्रकाशनों (वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति तथा मद्रा और वित्त की रिपोर्ट) के विश्लेषणात्मक शोध विषयों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय विषय पर, आउटरीच सेमिनारों का आयोजन भी किया गया।

अनसंधान और प्रतिभा योजनाएं

X.35. रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक की मासिक बुलेटिन और साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक के स्वरूप में संशोधन किया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक अपने स्टाफ को, शोधपत्र प्रकाशित करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। इस संदर्भ में, विभिन्न समष्टि-आर्थिक तथा नीतिगत विषयों पर आंतरिक तकनीकी तथा विश्लेषणात्मक शोध के प्रसार के लिए, रिजर्व बैंक

ऑकैज्जल पेपर्स और वेब-आधारित आरबीआई वर्किंग पेपर सिरीज जैसे स्टाफ के शोधपरक प्रकाशनों ने एक बड़े प्लैटफार्म का काम किया। मार्च 2011 में शुरू की गई आरबीआई वर्किंग पेपर सिरीज के अंतर्गत, विभिन्न विषयों पर, अप्रैल 2013 तक 45 पेपर अपलोड किये जा चुके हैं।

X.36. आंतरिक शोध कार्य के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(15बी) में शिक्षाजगत तथा शोध संस्थाओं में बाहरी शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इस प्रयोजन हेतु रिजर्व बैंक प्रतिभा योजना और विकास अनुसंधान समूह अध्ययनों के माध्यम से धन उपलब्ध कराता है। प्रतिभा योजना के अंतर्गत प्रदत्त बाह्य शोध सहायता के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/शोध संस्थाओं में आरबीआई चेयर्स की स्थापना, मध्यम अवधि की शोध परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराना, सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों के लिए सहायता प्रदान करना, जर्नल्स का प्रकाशन, संकाय सदस्यों के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं चलाना इत्यादि शामिल हैं। अब तक 39 विकास अनुसंधान समूह अध्ययन प्रकाशित किये जा चुके हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, शोध परियोजना निधीयन के अंग के रूप में, रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर “इंडिया, चाइना, बाइलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप” तथा “हाउ द पूअर मैनेज देयर फाइनेंस:- ए स्टडी ऑफ द पोर्टफोलियो चॉइसेस ऑफ पूअर हाउसहोल्ड्स इन एर्णाकुलम डिस्ट्रिक्ट्स, केरला” शीर्षक दो परियोजना शोध अध्ययन उपलब्ध कराये हैं।

X.37. आर्थिक शोध और नीति के क्षेत्र में प्रोफेसर के.एन. राज के योगदान की प्रशंसा के रूप में, रिजर्व बैंक ने वर्ष 2012-13 में प्रोफेसर के.एन.राज मेमोरियल नैशनल फेलोशिप स्कीम शुरू की। इस योजना के अंतर्गत भारत के या भारत से बाहर के सामान्य विज्ञान के किसी प्रतिष्ठित विद्वान को, भारत में किसी शैक्षिक/शोध संस्थान में थोड़े समय के लिए अनुसंधान कार्य हेतु फेलोशिप प्रदान की जाती है। ऐसी पहली फेलोशिप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रो. रवि कानबर को प्रदान की गई है। इस फेलोशिप के अंतर्गत प्रो. रवि कानबर, सेंटर फॉर डेवलपमेन्ट स्टडीज,

तिरुवनंतपुरम में “इनफॉर्मेलिटी: कॉज्जस, कॉन्सिक्वेन्सेस ऐन्ड पॉलिसी रिस्पॉन्सेस” विषय पर शोध करेंगे।

X.38. पिछले वर्ष से रिजर्व बैंक, बैंक के शोधकर्ताओं द्वारा अपने पेपर्स प्रस्तुत किये जाने को सुगम बनाने हेतु सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। बैंक ने दूसरी डीईपीआर रिसर्च कॉन्फरेन्स 30 मई 2013 को तथा रिजर्व बैंक चेयर प्रोफेसर्स रिसर्च कॉन्फरेन्स, 31 मई 2013 को आयोजित की। रिजर्व बैंक के शोधकर्ताओं और चेयर प्रोफेसर्स द्वारा विचारित शोध विषयक मुद्दों पर द्विपक्षीय फीडबैक प्राप्त करने के लिए संयुक्त सम्मेलन एक प्रभावी मंच सिद्ध हुआ।

वित्तीय शिक्षा विषय पर इंडिया-ओईसीडी-वर्ल्ड बैंक रीजनल कॉन्फरेन्स

X.39. वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को दी गई प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए रिजर्व बैंक ने, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा विश्व बैंक के सहयोग से, वित्तीय शिक्षा विषय पर नई दिल्ली में 4 से 6 मार्च 2013 तक एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

X.40. विभिन्न सत्रों में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति, वित्तीय साक्षरता की माप और कार्यक्रम मूल्यांकन की विधियों, युवकों और महिलाओं के लिए वित्तीय शिक्षा, तथा अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए नवोन्मेषी तरीकों जैसे व्यापक मुद्दों पर विचार-विमर्श किये गये। कुछ गिने-चुने बैंकों / गैर-सरकारी संगठनों को, सम्मेलन स्तर पर, वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये प्रयासों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित किया गया जिसपर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। यह सम्मेलन सीख का मूल्यवान अनुभव साबित हुआ तथा इससे अनुभवों के आदान-प्रदान और नये मुद्दों के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श का मंच प्राप्त हुआ।

X.41. व्यापारियों और उपभोक्ताओं जैसे भागीदारों के बीच इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद लोकप्रिय बनाने के लिए रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के सहयोग से ई-बात कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बना रहा है।

ज्ञान का प्रसार - अंतरराष्ट्रीय सेमिनार

X.42. रिजर्व बैंक ने 14 से 16 फरवरी 2013 के बीच “प्रिसिपल्स फॉर फाइनेंशियल मार्केट, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ऐन्ड इनोवेशन इन रिटेल पेमेन्ट्स” विषय पर नई दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में वित्त बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सिद्धांत और इसके प्रभाव, तथा विश्वभर में खुदरा भुगतान के क्षेत्र में हाल की गतिविधियां - इन दो विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। सेमिनार में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, विश्व बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बंडेस बैंक और हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी के विद्वान वक्ताओं ने 23 देशों के सहभागियों को संबोधित किया।

समग्र उद्यम (बैंकिंग क्षेत्र) में जोखिम प्रबंधन

X.43. समग्र बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम प्रबंधन हेतु रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे उपायों के अंग के रूप में 31 मई 2012 को जोखिम प्रबंध विभाग की स्थापना की गई। इस जोखिम प्रबंधन के ढाँचे के अंतर्गत “जोखिम अभिशासन ढाँचा” तथा त्रिस्तरीय “जोखिम प्रबंध ढाँचा” शामिल है जिसकी सहायता से रिजर्व बैंक संगठनात्मक स्तर पर अपने समक्ष उपस्थित जोखिमों का समग्र मूल्यांकन कर सकेगा और जोखिम संबंधी अपनी नीतियों तथा जोखिम सहायता सीमाओं के अनुरूप इन जोखिमों का प्रबंधन कर सकेगा।

X.44. “जोखिम अभिशासन ढाँचा” के अंतर्गत शीर्ष स्तर पर केन्द्रीय बोर्ड है जो रिजर्व बैंक के समग्र अभिशासन के लिए उत्तरदायी है। इस मामले में लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति बोर्ड की सहायता करनी है। इस उप समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होते हैं। उक्त उप समिति रिजर्व बैंक की जोखिम संबंधी व्यापक रणनीति के लिए उत्तरदायी है। कार्यपालक त्रिस्तरीय जोखिम निगरानी समिति रिजर्व बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों पर नजर रखने तथा रिजर्व बैंक की नीतियों के अनुसार जोखिमों का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह समिति लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

X.45. त्रिस्तरीय जोखिम प्रबंधन ढाँचे के अंतर्गत पहले स्तर पर, कारोबारी क्षेत्र शामिल होंगे तथा यही पहला स्तर जोखिमों के प्रबंधन के लिए मूलतः जिम्मेदार होगा। दूसरा स्तर - केंद्रीकृत जोखिम निगरानी विभाग - लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंध उप-समिति/जोखिम निगरानी समिति को सहायता करेगा और समग्र बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी नीतियों तथा तौर-तरीकों के निर्माण और समय-समय पर उनकी समीक्षा, सभी महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान, उनके समूहन तथा जोखिम निगरानी समिति/लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंध उप-समिति को उनकी रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों के साथ विचारों के आदान-प्रदान, “लॉस” और “नीयर लॉस” घटनाओं की सांस्थानिक स्मृति सृजित करने और संगठन में “जोखिम सजगता” संस्कृति को पोषित करने के लिए जिम्मेदार होगा। तीसरे स्तर के अंतर्गत निरीक्षण विभाग आता है जो आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से जोखिम निश्चयन की भूमिका निभाता है।

मानव संसाधन विकास गतिविधियां

प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति/उच्चतर अध्ययन/दूरस्थ शिक्षार्जन

X.46. संगठन में मानक पूंजी की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु रिजर्व बैंक ने अपने स्टाफ को, कौशल उन्नयन हेतु अवसर प्रदान करना जारी रखा। बैंक के छह प्रशिक्षण संस्थान, नामतः रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे और मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नै स्थित चार आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र बैंक की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय ग्रामीण/सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में बैंकिंग उद्योग के अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करता है (सारणी X.1.)।

X.47. रिजर्व बैंक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरे देश में नवयुवक छात्रों को प्रोत्साहित करके, वित्तीय समावेशन के लिए रिजर्व बैंक के समग्र-प्रयासों में वित्तीय शिक्षा और वित्तीय साक्षरता को एकीकृत किये जाने की संभावनाओं की तलाश के लिए, आरबीआईक्यू - एक अखिल भारत रिजर्व बैंक

सारणी X.1: रिजर्व बैंक प्रशिक्षण संस्थाएं - आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्था	2010-11 (जुलाई-जून)		2011-12 (जुलाई-जून)		2012-13 (जुलाई-जून)	
	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
रि.बैं.स्टा.म., चेन्नै	147	2904	125	2492	126	2676*
कृ.बैं.म., पुणे	162	4951	190	5647	164	5105®
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी I)	57	1140	116	2098	116	2526
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी III)	87	1310	35	639	64	1492
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी IV)	70	1422	65	1237	58	1184

* : 14 विदेशी सहभागियों सहित.
® : 52 विदेशी सहभागियों सहित.

अंतर विद्यालय क्विज कार्यक्रम - वर्ष 2012 में आरंभ किया गया (बॉक्स X.1)।

बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण

X.48. वर्ष 2012-13 में बाहरी प्रबंध/बैंकिंग संस्थाओं द्वारा भारत में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने 874 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अनेक कर्मचारियों को भी भारत स्थित बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। रिजर्व बैंक ने 54 से अधिक देशों में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भी 510 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया (सारणी X.2.)।

X.49. वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के छह अधिकारियों ने उच्चतर अध्ययन के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अध्ययन अवकाश लिया। इसके अलावा 350 कर्मचारियों ने वर्ष 2012-13 के दौरान रिजर्व बैंक की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चुनिंदा अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में अध्ययन किया।

X.50. हाल के वर्षों में देश की जनसंख्या के अब तक वंचित रह गये भाग के लिए वित्तीय सेवाओं की और अधिक उपलब्धता

बॉक्स X.1

आरबीआईक्यू

अखिल भारत रिजर्व बैंक अंतरविद्यालय क्विज प्रतियोगिता वर्ष 2012 में शुरू की गई। यह कदम इस बात पर बनती सहमति के अनुरूप है कि वित्तीय शिक्षा के आउटरीच के विस्तार की दिशा में कोई भी प्रयास विद्यालय स्तर पर आरंभ किये जाने की जरूरत है। विद्यालय स्तर पर क्विज प्रतियोगिता जैसे रोचक, प्रभावी और लोकप्रिय तरीके में आधारभूत वित्तीय शिक्षा में सुधार लाने में वित्तीय साक्षरता हेतु ठोस आधार निर्मित करने की संभावना है। यह महसूस किया गया है कि पूरे देश में, विशेष कर नवयुवकों के विशाल वर्ग के लिए, रिजर्व बैंक और बैंकिंग प्रणाली की भूमिका के बारे में आरबीआईक्यू सजगता पैदा करने वाली और सूचनाप्रद प्रमुख गतिविधि बन जायेगा।

आरबीआईक्यू आयोजित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- रिजर्व बैंक के इतिहास और उसकी भूमिका, बैंकिंग और वित्त, अन्य बैंकिंग संस्थाओं, अर्थशास्त्र, समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों और उन घटनाओं के बारे में जागरूकता और रुचि पैदा करना जिन्होंने समय बीतने के साथ-साथ भारत की वृद्धि और उन्नति में योगदान किया है।
- देश में रिजर्व बैंक और छात्र समुदाय के बीच एक सेतु निर्मित करना तथा वित्तीय साक्षरता की व्यापक जानकारी उपलब्ध कराना।
- एक राष्ट्रीय मंच पर मेधावी युवक छात्रों की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना।

एक सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद तथा रोचक क्विज कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया आरबीआईक्यू का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 32 स्थानों पर किया गया। आरबीआईक्यू 2012 समग्र देश के विद्यालयों के युवक छात्र समुदाय के साथ निकटतम संबंध बनाने और वित्तीय साक्षरता के प्रयासों के सुदृढीकरण में सहायक सिद्ध हुआ। वर्ष 2013 में 12 नये स्थानों पर आरबीआईक्यू आयोजित करने की योजना है अर्थात् देश के कुल 44 स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम किए जायेंगे। सभी बोर्डों के, कक्षा 9 से 12 तक के छात्र आरबीआईक्यू में भाग लेने के पात्र होंगे।

आरबीआईक्यू में रिजर्व बैंक और भारतीय बैंकिंग के इतिहास, बैंकिंग, लेखाकरण, वित्त, व्यापार और वाणिज्य, भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, कारोबार से जुड़े सामान्य शब्दों, समय बीतने के साथ भारत की उपलब्धियों, सामान्य ज्ञान और सामयिक क्रियाकलापों के विषय में प्रश्न शामिल होंगे।

पूरा कार्यक्रम नवोन्मेषी और अत्यंत रोचक तरीके से संचालित किया जाता है ताकि इसमें युवक सहभागियों तथा श्रोता वर्ग की रुचि पैदा हो और बढ़े, तथा वे संबंधित विषयों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक बनें।

सारणी X.2: भारत और विदेश में स्थित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में (बाहरी संस्थाओं में) प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	विदेश में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
1	2	3
2010-11	1,090	578
2011-12	1,072	511
2012-13	874	510

सुनिश्चित करने, तथा देश में वित्तीय शिक्षा और साक्षरता के मामले में जानकारी के अंतराल को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, रिजर्व बैंक के युवक सीधी भर्ती अधिकारियों को अधिक संवेदनशील बनाने और उन्हें इन प्रयासों में शामिल करने की संभावना तलाश कर, वित्तीय समावेशन संबंधी उपायों के मामले में नवोन्मेष की आवश्यकता महसूस की गई। इससे मानव संसाधनों का बेहतर एकीकरण हो सकेगा तथा वित्तीय समावेशन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किये जा रहे समग्र प्रयासों के मामले में नये और कार्यान्वयन-योग्य विचार भी आ सकेंगे।

X.51. इसके अनुसरण में रिजर्व बैंक ने स्वर्गीया शशि राजगोपालन के सम्मान में एक पुरस्कार योजना आरंभ करने का

निर्णय लिया। श्रीमती राजगोपालन ने 27 जून 2006 और 5 अगस्त 2011 के बीच केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में काम किया था और ग्रामीण विकास तथा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अनेक वर्षों तक काम किया था। प्रथम शशि राजगोपालन स्मारक पुरस्कार 26 जनवरी 2013 को मुंबई में प्रदान किए गए (बॉक्स X.2.)।

दक्षिण पूर्व एशियाई केन्द्रीय बैंक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की सदस्यता

X.52. रिजर्व बैंक को दक्षिण-पूर्व एशियाई केन्द्रीय बैंक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के 19वें सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2013 से शामिल कर लिया गया है। यह केंद्र केन्द्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण के लिए एशिया का क्षेत्रीय ज्ञानार्जन केंद्र है और यह अपने सदस्य केन्द्रीय बैंकों/मौद्रिक प्राधिकारियों के बीच नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके प्रशिक्षण और सुविधाओं की उच्च गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए रिजर्व बैंक इस केंद्र का सदस्य बनने से पहले से ही, इसके द्वारा क्षमता-निर्माण हेतु आयोजित किये जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा सेमिनारों में अपने अधिकारियों भेजता रहा है।

संयुक्त सेमिनार

X.53. संयुक्त हित के क्षेत्रों में संयुक्त सेमिनारों के रूप में रिजर्व बैंक तथा बैंक दे फ्रान्स के बीच के समझौतों के अंग के रूप

बॉक्स X.2

शशि राजगोपालन स्मारक पुरस्कार

ऐसे सभी सीधी भर्ती अधिकारी, जिन्होंने रिजर्व बैंक में कार्यभार ग्रहण कर लिया है या जो जनवरी 2012 से यहाँ कार्यभार ग्रहण करेंगे, इन पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे। यह ग्रामीण परिवेशमय अनुभव, ऊपर बताया गई तारीख से रिजर्व बैंक में आनेवाले सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए परिवीक्षा अवधि के प्रशिक्षण का अंग बनाया गया है।

इसके एक भाग के रूप में, रिजर्व बैंक में आनेवाले सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए, बैंक-रहित क्षेत्र और कम बैंकिंग सुविधावाले क्षेत्र (दोनों में) में सात-सात दिनों के लिए विलेज इमर्सन कार्यक्रमों में भाग लेना आवश्यक है। इस प्रयास को अधिक सार्थक तथा सहयोगपरक बनाने के लिए ये पुरस्कार “टीम एफॉर्ट” के रूप में स्थापित किये गये हैं तथा प्रत्येक टीम में 2 पात्र सीधी भर्ती अधिकारी शामिल होंगे।

कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक टीम के लिए, संबंधित क्षेत्र के निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने/उनके वित्तीय समावेशन के लिए आवश्यक समझे गये उपायों / नीतियों के बारे में उनके अनुभवों के विषय में परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। शशि राजगोपालन पुरस्कार में ऐसे आधारभूत, वास्तविक

अनुभवों का सुंदरतम प्रलेखन प्रस्तुत किया गया है। तीन सर्वोत्तम प्रयासों के लिए तीन पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं जिनमें दो सांत्वना पुरस्कार शामिल हैं।

कुल मिलाकर, आशा की जाती है कि ये रिपोर्टें आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष से जुड़े उन अवरोधों पर प्रकाश डालेंगी जो हमारी जनसंख्या के बड़े वर्ग के लिए बहुत कम मात्रा में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हो पाने के लिए जिम्मेदार हैं तथा विद्यमान परिस्थितियों के कारण होने वाली असुविधाओं का समाधान करने के लिए उठाये गये कदमों तथा सरकारी नीति की भूमिका और वित्तीय समावेशन के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबको समान अवसर उपलब्ध कराने के बारे में भी जानकारी देंगी।

कोई भी वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए आधारभूत बात यह होती है कि सर्वप्रथम वित्तीय सुविधाओं की परिधि से बाहर रह गये लोगों की परिस्थिति को समझा जाए ताकि कम-से-कम, उनके लिए बनायी गयी नीतियों और किये जा रहे उपायों के अंतर्गत उनकी आवश्यकताओं को शामिल किया जा सके।

आशा की जाती है कि आधारभूत स्तर पर लोगों के जीवन का अनुभव करने और उसे समझने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा युवक केन्द्रीय बैंकों को उपलब्ध कराया गया यह अवसर उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

में इस श्रृंखला का चौथा सेमिनार 22-23 मार्च 2013 को कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में आयोजित किया गया। इस सेमिनार का विषय ‘‘उपभोक्ता संरक्षण’’ था।

संयुक्त भारत - आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम - पुणे

X.54. रिजर्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एनआईबीएम, पुणे में संयुक्त भारत - आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त रूप से शुरू किया था। वर्ष 2012-13 के दौरान 9 कार्यक्रम आयोजित किये गये थे जिसमें रिजर्व बैंक के 55 अधिकारियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम मई 2013 से बंद कर दिया है।

अनुदान तथा प्रतिभा

X.55. वर्ष 2012-13 के दौरान रिजर्व बैंक ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्शी गतिविधियों के लिए इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई को 330 मिलियन रुपये; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और ज्ञानार्जन केंद्र (कैफरल), मुंबई को 70 मिलियन रुपये, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, पुणे को 14.9 मिलियन रुपये और भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी को 1.47 मिलियन रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

संगठन प्रबंध संबंधी उपाय

X.56. रिजर्व बैंक ने क्षमता-निर्माण संबंधी उपायों और ज्ञान प्रसार के साथ-साथ प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करने संबंधी अपने उपायों को जारी रखा।

औद्योगिक संबंध

X.57. रिजर्व बैंक सेवा शर्तों और कल्याणकारी उपायों से जुड़े मामलों में, अधिकारियों और कर्मचारियों / कामगारों के मान्यताप्राप्त संगठनों / संघों के साथ समय-समय पर बैठकें करता रहता है। इनके साथ वर्ष के दौरान किए गए बैंक के विचार-विमर्श उत्साहवर्धक रहे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

X.58. रिजर्व बैंक में सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यान्वित किये जाने के 8वें वर्ष में सूचना प्राप्ति के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों की संख्या बढ़कर 6276 हो गयी है जिसमें से 95 प्रतिशत सूचनाएं उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। वर्ष के दौरान 917 प्रथम

**सारणी X.3: श्रेणी-वार वास्तविक स्टाफ संख्या
(30 जून 2013 की स्थिति)**

श्रेणी	वास्तविक संख्या
1	2
श्रेणी I	8,148
1. ग्रेड एफ में वरिष्ठ अधिकारी	92
2. ग्रेड ई में वरिष्ठ अधिकारी	296
3. ग्रेड डी में वरिष्ठ अधिकारी	355
4. ग्रेड सी अधिकारी	1,038
5. ग्रेड बी अधिकारी	1,527
6. ग्रेड ए अधिकारी	4,790
7. कोषपाल	7
8. उप कोषपाल	4
9. सहायक कोषपाल	39
श्रेणी III	3,588
1. वरिष्ठ सहायक	1,036
2. सहायक	1,539
3. सचिवीय सहायक	56
4. शब्द संसाधक सहायक	270
5. विशेष सहायक (टेलर)	307
6. श्रेणी III (अन्य)	380
श्रेणी IV	5,713
1. रखरखाव स्टाफ	1,333
2. सर्विस स्टाफ	3,549
3. तकनीकी स्टाफ	162
4. अन्य स्टाफ	669
रिजर्व बैंक में कुल संख्या (क+ख+ग)	17,449

अपीलें प्राप्त हुईं। अपीलिय प्राधिकारी ने 936 अपीलों पर आदेश पारित कर दिये हैं तथा इनमें पिछले वर्ष प्राप्त हुई अपीलें भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग ने अपीलकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई 21 द्वितीय अपीलों की सुनवाई की।

X.59. सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से परिचित कराने तथा रिजर्व बैंक में इसके कार्यान्वयन के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम पर रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै में दो कार्यक्रम और आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नै में तीन कार्यक्रम आयोजित किये गये।

स्टाफ की संख्या

X.60. 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक में कुल स्टाफ संख्या 17,449 थी जो एक वर्ष पहले 18,132 थी। कुल स्टाफ में श्रेणी I का स्टाफ 46.7 प्रतिशत, श्रेणी III का स्टाफ 20.56 प्रतिशत और शेष स्टाफ श्रेणी IV का था। (सारणी X.3)।

X.61. मुंबई केंद्र पर (केंद्रीय कार्यालय के विभागों सहित) सबसे अधिक स्टाफ (5227 या 29.96 प्रतिशत) था। इसके बाद कोलकाता (1528 या 8.79 प्रतिशत), चेन्नै (1269 या 7.27 प्रतिशत) और फिर नई दिल्ली (1189 या 6.81 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी X.4)।

सारणी X.4: रिजर्व बैंक की कार्यालय-वार स्टाफ संख्या
(30 जून 2013 की स्थिति)

कार्यालय (उप-कार्यालयों सहित)	श्रेणी I	श्रेणी III	श्रेणी IV	कुल
1	2	3	4	5
अगरतला	7	2	0	9
अहमदाबाद	328	159	238	725
बंगलूरु	477	143	224	844
बेलापुर	138	60	182	380
भोपाल	163	74	74	311
भुवनेश्वर	170	80	186	436
चंडीगढ़	180	58	91	329
चेन्नै	519	333	417	1,269
देहरादून	20	6	2	28
गंगटोक	5	0	0	5
गुवाहाटी	236	125	196	557
हैदराबाद	321	126	259	706
जयपुर	283	126	191	600
जम्मू@	98	29	64	191
कानपुर	258	183	305	746
कोची	41	43	34	118
कोलकाता	589	410	529	1,528
लखनऊ	189	63	125	377
मुंबई	770	415	1040	2,225
नागपुर	267	216	239	722
नई दिल्ली	608	246	335	1,189
पणजी, गोवा	20	3	2	25
पटना	187	97	211	495
पुणे-कृबैम-सीआरडीसी-आईटीपी	67	20	79	166
रायपुर	13	3	0	16
रांची	14	4	0	18
शिलांग	7	2	0	9
शिमला	9	0	0	9
तिरुवनंतपुरम	208	89	117	414
कुल	6,192	3,115	5,140	14,447
केंद्रीय कार्यालय के विभाग #	1,956	473	573	3,002
कुल जोड़	8,148	3,588	5,713	17,449

कृबैम: कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
सीआरडीसी: केंद्रीय रिकॉर्ड्स और प्रलेखन केंद्र
आईटीपी: आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुणे
@ : श्रीनगर उप-कार्यालय सहित
#: डीआईसीजीसी सहित केंद्रीय कार्यालय के विभाग

X.62. वर्ष 2012 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिजर्व बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए, रिजर्व बैंक प्रबंधन और ऑल इंडिया रिजर्व बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बुद्धिस्ट फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच चार बार बैठकें आयोजित की गईं।

X.63. केंद्र सरकार की नीति के अनुसार रिजर्व बैंक ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 8 सितंबर 1993 से आरक्षण प्रदान किया। रिजर्व बैंक में (सितंबर 1993 के बाद) भर्ती किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की संख्या 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार 1233 थी। इनमें से 382 श्रेणी I में, 349 श्रेणी III में और 502 श्रेणी IV में थे।

X.64. रिजर्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार 930 थी जिनमें से 193 श्रेणी I में, 141 श्रेणी III में और 596 श्रेणी IV में थे। रिजर्व बैंक में विकलांग स्टाफ सदस्यों की कुल संख्या, 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार श्रेणी I में 219, श्रेणी III में 80 और श्रेणी IV में 104 थी।

सहायकों की भर्ती

X.65. रिजर्व बैंक में आगामी 5 वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होनेवाले स्टाफ की अनुमानित भारी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, सभी कार्यालयों में श्रेणी III में सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस प्रक्रिया के अंग के रूप में वर्ष 2012-13 के दौरान 1000 सहायकों की भर्ती की गई।

आचार संहिता और अभिशासन

X.66. रिजर्व बैंक को बहुत लंबे समय से एक ऐसी संस्था के रूप में जाना जाता रहा है जहाँ निष्पक्षता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी की भावना का पालन किया जाता है। अनेक लोगों की दृष्टि में, रिजर्व बैंक की प्रणाली और प्रक्रियाओं ने जिम्मेदारी और पारदर्शिता के मानक स्थापित किए हैं।

X.67. इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए, रिजर्व बैंक इस मामले में लंबे समय से बनी हुई अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने तथा उसे और सुदृढ़ बनाने व ईमानदारी और जिम्मेदारी का वातावरण सृजित करने के लिए अत्यंत तत्परतापूर्वक काम करते रहने के लिए कटिबद्ध है क्योंकि किसी केन्द्रीय बैंक के लिए यह अनिवार्य है (बाक्स X.3.)।

बाक्स X.3
आचार संहिता और अभिशासन

रिजर्व बैंक की 'सीनियर मैनेजमेन्ट रिट्रीट' एक ऐसा वार्षिक आयोजन है जिससे क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के विभागों के प्रमुखों को शीर्ष प्रबंध-तंत्र के साथ प्रत्यक्षतः विचारों के आदान-प्रदान का अवसर उपलब्ध होता है। नवंबर 2012 में आयोजित की गई रिट्रीट का विषय मुख्यतः "आचार और अभिशासन" था। इस रिट्रीट की कार्यवाही के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, केस स्टडी फॉर्मेट में, आचार संबंधी दुविधाओं के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान के सत्र रखे गये और अन्य केन्द्रीय बैंकों की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई।

रिट्रीट के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कई ऐसी कार्यशालाएं की गईं जिनमें विचारों का आदान-प्रदान किया गया। इन कार्यशालाओं में, सहभागियों को उनके प्रोफेशनल जीवन में आने वाले आचार विषयक मुद्दों और दुविधाओं के व्यापक परिदृश्य की जानकारी प्रदान की जाती है। इस दौरान चर्चाओं में इस बात पर भी विचार किया जाता है कि किसी संगठन के संदर्भ में नीतिगत पसंद तय करते समय तथा अच्छे और खराब के बीच अंतर स्थापित करने के मार्गदर्शक वृत्तान्तों के संबंध में किस प्रकार के सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण उपलब्ध हैं, आचार और अभिशासन के बीच क्या संबंध है, इस संबंध में घिसीपिटी लीक से हटकर काम करने की क्यो जरूरत है तथा उसके तरीके क्या हैं।

कारपोरेट आचार, विधि और अभिशासन की बेहतर समझ हासिल करने तथा इस बात की पहचान करने के कौन से तरीके हैं जिनके आधार पर रिजर्व बैंक में प्रत्येक व्यक्ति नैतिकतापूर्वक तथा सिद्धान्तों के आधार पर काम कर सकता है, इत्यादि के विषय में, ये कार्यशालाएं विचार-विमर्श का अवसर उपलब्ध कराती हैं तथा उनमें इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है कि अधिक कारगर लोकनीति कैसे सृजित की जाए, अधिक नैतिकतापूर्ण आत्मानुशासी कारपोरेट संस्कृति कैसे संवर्धित की जाए तथा अपनी संस्था में जनता का विश्वास कैसे बढ़े। चूंकि रिजर्व बैंक के कर्मचारी, लोकनीति के निर्माता के रूप में, विनियामक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में और अन्य अनेक सेवा प्रदाताओं के रूप में अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, इसलिए रिजर्व बैंक में आचार और अभिशासन को ज्ञान और कौशल के आधार का मुख तत्त्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि इससे, विधिसम्मत और प्रभावी कारपोरेट व्यवहार तथा परिचालन सुनिश्चित करने के लिए, अभिशासन के तौर-तरीकों को बेहतर तरीके से समझने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के मामले में कर्मचारियों का मदद मिलेगी। विचारों के इस आदान-प्रदान को और आगे ले जाते हुए रिजर्व बैंक ऐसी आचार संहिता पर काम कर रहा है, जो इसके कर्मचारियों को आचार और अभिशासन के प्रति और जागरूक बनाएगी तथा जिसकी सहायता से वे अपने पूरे कैरियर में आचार संबंधी मुद्दों और दृष्टियों की प्रभावशाली ढंग से पहचान कर सकेंगे और उनका हल भी निकाल सकेंगे।

राजभाषा

X.68. राजभाषा नीति की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए रिजर्व बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का प्रयास किया। सांविधिक प्रकाशनों के अलावा अन्य प्रकाशन भी द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किये गये। वर्ष के दौरान बैंकिंग अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया।

X.69. वर्ष के दौरान अनेक अंतर-बैंक तथा आंतरिक हिंदी प्रतियोगिताएं और अनेक हिंदी समारोह आयोजित किए गए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी तथा भावी योजनाएं तैयार करने के लिए राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया तथा राजभाषा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गयीं।

X.70. वर्ष की खास बातों के अंतर्गत टंककों से इतर (अधिकारियों सहित) स्टाफ सदस्यों के लिए गहन हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है जिसके अंतर्गत बैंक के 116 प्रशिक्षणार्थियों ने भारत सरकार द्वारा संचालित हिंदी टंकण

परीक्षा उत्तीर्ण की। पद्मभूषण से सम्मानित न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी ने अध्ययन मंच के तत्वावधान में "समावेशी वृद्धि में भाषाओं की भूमिका" विषय पर केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में 13 फरवरी 2013 को व्याख्यान दिया। इसके अलावा बैंकिंग विषयों पर "बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन" नामक तिमाही हिंदी पत्रिका प्रकाशित की गयी जिसमें मौलिक हिंदी रचनाएं शामिल होती हैं। "पूँजी पर्याप्तता मानदंड और बासेल III" विषय पर इस पत्रिका का विशेष अंक भी प्रकाशित किया गया। इसके अलावा "राजभाषा समाचार" नामक तिमाही समाचार पत्रिका भी प्रकाशित की गयी जिसमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों की चर्चा रहती है। रिजर्व बैंक ने "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - विविध आयाम" शीर्षक हिंदी पुस्तक भी प्रकाशित की।

रिजर्व बैंक के परिसरों का प्रबंधन

X.71. परिसर विभाग रिजर्व बैंक में इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, रखरखाव तथा उसके उन्नयन के लिए जिम्मेदार है। इस संबंध में पहले से चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के अलावा कुछ नई निर्माण परियोजनाएं आरंभ की गयी हैं। इससे

जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी नीचे दी गई है :-

परियोजनाओं का डिजाइन तैयार करें और निर्माण करें

X.72. आवासीय सुविधाएं और हॉस्टल की सुविधाएं प्रदान करने संबंधी परियोजना का कार्य एक प्रतिष्ठित बिल्डर को वर्ष 2011 में सौंपा गया था। तीन शहरों मुंबई, दिल्ली और चेन्नै में छह परियोजनाएं हैं जिनमें से तीन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हैदराबाद में आवास निर्माण परियोजना, जिसका काम वर्ष के दौरान एक दूसरी फर्म को सौंपा गया था, संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है।

योजनाधीन परियोजनाएं

X.73. प्रस्तावित उन्नत वित्तीय अनुसंधान और ज्ञानार्जन केंद्र (कैफरल) के लिए एक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित गई तथा एक आर्किटेक्चर फर्म की नियुक्ति की जा चुकी है। इस फर्म ने सांविधिक प्राधिकारियों को योजनाएं प्रस्तुत करने से जुड़ा काम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया है।

भूमि का अधिग्रहण

X.74. देहरादून में कार्यालय और आवासीय परिसर के लिए भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष के दौरान पूरी कर ली गई। रायपुर में कार्यालय परिसर के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में पट्टा विलेख करार किया जा चुका है। रिजर्व बैंक ने शिलांग और अगरतला में भी कार्यालय और आवासीय परिसर के लिए भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

फिजिकल सिक्यूरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार

X.75. इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सीसीटीवी प्रणाली संबंधी प्रायोगिक परियोजना अहमदाबाद के ला-गज्जर चैंबर्स में पूरी कर ली गई है तथा बैंक के अन्य कार्यालयों में इसका अनुकरण किया जायेगा। केन्द्रीय कार्यालय भवन, मुंबई के लिए समेकित सुरक्षा प्रणाली संबंधी कार्यवाही योजना, एक्सप्रेसन ऑफ इंटररेस्ट / रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु तैयार कर ली गई है।

ग्रीन इनिशियेटिव

X.76. मुंबई में रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय भवन तथा बेंगलूरु और जयपुर कार्यालयों के लिए कार्बन फुट प्रिंट मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों

का उत्सर्जन कम करना है। अन्य कार्यालयों के लिए इसी तरह की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई है।

X.77. मुंबई के बांद्रा-कुर्ला संकुल स्थित कार्यालय के लिए, बिजली पैदा करने हेतु सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए प्रायोगिक परियोजना का काम एक फर्म को सौंपा जा चुका है।

X.78. रिजर्व बैंक के पटना और नागपुर कार्यालयों के लिए कम बिजली के खर्च वाले सेंट्रल एयर कंडिशनिंग प्लान्ट स्थापित करने का काम एक फर्म को सौंपा जा चुका है।

X.79. रिजर्व बैंक ने कुछ कार्यालयों में कम बिजली के खर्च वाली केंद्रीकृत यूपीएस प्रणाली उपलब्ध करायी है। अन्य कार्यालयों के लिए भी इसी तरह की प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

X.80. बेंगलूरु की ऑसबॉर्न रोड स्टाफ कॉलनी से निकलने वाले नम कचरे को पर्यावरणानुकूल तरीके से कच्चे कंपोस्ट में रूपांतरित करने के लिए उस कॉलनी में एक ऑर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर लगाया गया है। ऑर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर फेंक दिये गये भोजन, जानवरों के उत्सर्जन तथा बाग-बगीचे से पैदा हुए कचरे को पंद्रह मिनट में “एक-समान गंध-रहित” कच्चे कंपोस्ट में रूपांतरित कर देता है। कंपोस्ट का प्रयोग किचेन, बागवानी, और अच्छे भूदृश्य निर्माण सहित अनेक प्रयोजनों हेतु किया जा सकता है। प्रत्येक चक्र में लगभग 25 किलो कचरे को संसाधित किया जा सकता है।

रिजर्व बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण

X.81. अपनी आंतरिक प्रणालियों तथा नियंत्रण व्यवस्थाओं का सुव्यवस्थित होना सुनिश्चित करने की अनवरत प्रक्रिया के अंग के रूप में, विभिन्न कार्यालयों और विभागों की तैयारी के बारे में शीर्ष प्रबंध-तंत्र और केन्द्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंध उप-समिति को तथ्यपरक फीडबैक प्रदान करते हेतु रिजर्व बैंक अपनी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रण व्यवस्थाओं की जाँच-पड़ताल करता है। इस संबंध में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 21 क्षेत्रीय कार्यालयों (उप-कार्यालयों सहित), 16 केन्द्रीय कार्यालय विभागों, 1 सहायक संस्था और 1 प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया गया / लेखापरीक्षा की गयी। इसके अलावा प्रबंध लेखापरीक्षा और प्रणाली निरीक्षण के अंतर्गत केन्द्रीय कार्यालय के एक विभाग का निरीक्षण किया गया।

X.82. रिजर्व बैंक आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंध लेखापरीक्षा एवं प्रणाली निरीक्षण के साथ-साथ सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा भी गयी। (i) इन्टिग्रेटेड कम्प्यूटराइज्ड करेंसी ऑपरेशन्स ऐन्ड मैनेजमेंट सिस्टम, (ii) इंटिग्रेटेड इस्टेब्लिशमेंट सिस्टम, (iii) मेल मेसेजिंग सिस्टम तथा व्यूलनरेबिलिटी एसेसमेंट-पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑफ एमएमएस, इन्टरप्राइज नॉलेज पोर्टल और भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस की टेक्नॉलॉजी ऑडिट का कम्प्लायन्स ऑडिट भी किया गया। दिल्ली, मुंबई, बेलापुर, कोलकाता और चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालयों में आईएस नियंत्रण संबंधी

कन्टीन्युअस एश्योरेन्स और (i) मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा (ii) कृषि बैंकिंग महाविद्यालय की पब्लिक वेबसाइट का वीए-पीटी भी वर्ष के दौरान किया गया।

X.83. लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंध उप-समिति निरीक्षण व लेखापरीक्षा प्रक्रिया, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, जोखिम प्रबंध ढाँचा, बीसीपी और आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा और निगरानी करके, केन्द्रीय बोर्ड के पर्यवेक्षण संबंधी कामों में उसकी मदद करती है।

¹ प्रबंध लेखापरीक्षा और प्रणाली निरीक्षण के अंतर्गत किये जानेवाले निरीक्षण अक्टूबर 2012 से बंद कर दिये गये हैं तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय विभागों / प्रशिक्षण संस्थानों की लेखापरीक्षा / निरीक्षण का काम अब रिजर्व बैंक आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है।

लेखा वर्ष 2012-13 की समाप्ति ₹618.04 बिलियन के अधिशेष के साथ हुई जिससे पिछले वर्ष के ₹430.40 बिलियन के समरूप राशि की तुलना में 43.6 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है। विदेशी आस्तियों में निवेश से अर्जित आय में मामूली वृद्धि हुई जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दर घटने का सूचक है किंतु देशी आस्तियों से होने वाली आय में काफी वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण भारत सरकारी की प्रतिभूतियों का बढ़ा हुआ पोर्टफोलियो था। आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि में अंतरण से पूर्व की और संबंधित खातों में सीधे समायोजित अप्राप्त लाभ और हानियों की राशि को छोड़कर कुल आय ₹743.58 बिलियन थी जो कि 2011-12 की तुलना में 39.8 प्रतिशत की वृद्धि थी। कुल व्यय ₹125.49 बिलियन था जो पिछले वर्ष के ₹101.37 बिलियन के व्यय की तुलना में 23.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। आरक्षित निधि में विनियोजन के पश्चात केंद्र सरकार को देय अधिशेष ₹330.10 बिलियन का रहा जो समग्र संदर्भ में अब तक का सबसे बड़ा अधिशेष अंतरण है।

XI.1 रिज़र्व बैंक लेखा वर्ष 2012-13 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का आकार ₹1,818 बिलियन अर्थात् 8.2 प्रतिशत बढ़कर ₹23,907 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में, रिज़र्व बैंक की देशी प्रतिभूतियों की धारिता, ऋणों और अग्रिमों के साथ ही विदेशी आस्तियों में भी वृद्धि हुई। देशी आस्तियों में हुई 14 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष के दौरान खुले बाजार के परिचालनों के माध्यम से ₹919.3 बिलियन मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के कारण हुई। विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई 5.2 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के संबंध में लेनदेन की इकाई माने जाने वाले अमरीकी डॉलर की तुलना में भारती रुपया के तीव्र अवमूल्यन होने के कारण पोर्टफोलियो के मूल्यांकन प्रभाव के कारण हुई। किंतु स्वर्ण के अंतरराष्ट्रीय मूल्य में कमी होने के कारण स्वर्ण भंडार के मूल्य में 11.3 प्रतिशत की कमी हुई। देयता पक्ष में, तुलन पत्र में हुई वृद्धि का कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा संचलनगत नोटों में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि होना था। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियों में देशी आस्तियों का हिस्सा 36.2 प्रतिशत और शेष 63.8 प्रतिशत हिस्सा विदेशी आस्तियों का था जबकि 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार इनका हिस्सा क्रमशः 34.4 प्रतिशत और 65.7 प्रतिशत था।

XI.2 रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अधीन जारी की गई विज्ञप्तियों और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 में निर्धारित किए गए प्रपत्र के अनुसार तैयार किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक दो तुलन पत्र तैयार करता है, एक तुलन पत्र निर्गम विभाग से संबंधित होता है जिसका संबंध मुद्रा प्रबंध के मूल कार्य से होता है और दूसरा बैंकिंग विभाग से संबंधित होता जोकि रिज़र्व बैंक के अन्य सभी कार्यों का प्रभाव दर्शाता है। रिज़र्व बैंक का तुलन पत्र मुख्य रूप से निर्गम क्रियाओं के साथ ही साथ मौद्रिक और आरक्षित निधि प्रबंध नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई उसकी क्रियाओं का प्रतिफलन होता है। तुलनीयता और पारदर्शिता की और अधिक जरूरत को स्वीकार करते हुए रिज़र्व बैंक अपने वित्तीय विवरणों में और अधिक प्रकटीकरण किए जाने की ओर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है (बॉक्स XI.1)। तदनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणामों के साथ में वार्षिक लेखा से संबंधित प्रबंध की टीका-टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लेखा और विवरण पर समर्थक टिप्पणियों को भी नीचे दिए जा रहे परिच्छेदों में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखा से संबंधित टिप्पणियों सहित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता क्रमशः अनुलग्नक I और II के रूप में दिए गए हैं।

बाक्स XI.1

तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता प्रस्तुतीकरण के स्वरूप की समीक्षा के लिए तकनीकी समिति

रिजर्व बैंक ने अपने तुलन पत्र और लाभ-हानि खाते के प्रस्तुतीकरण के स्वरूप की समीक्षा के लिए एक तकनीकी समिति (अध्यक्ष : श्री वाई.एच. मालेगाम) का गठन किया था ताकि उनकी पठनीयता और विषयवस्तु को बेहतर बनाया जा सके। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2013 में प्रस्तुत कर दी है और उस रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट (URL: <http://www.rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=702>) में डाल दिया गया है।

तकनीकी समिति ने रिजर्व बैंक के वित्तीय विवरणों के स्वरूप और प्रस्तुतीकरण के विभिन्न पहलुओं की जांच की जिसके अंतर्गत अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों के वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के अलावा वित्तीय विवरणों के स्वरूप और प्रस्तुतीकरण की पठनीयता, विषयवस्तु, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) से उनकी समानता पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रमुख सिफारिशों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

क) तुलन पत्र का स्वरूप

- निर्गम और बैंकिंग विभाग के तुलन पत्रों का विलय कर दिया जाना चाहिए ताकि रिजर्व बैंक के लिए एक ही तुलन पत्र तैयार करके कुल देयताओं और आस्तियों को एक ही स्थान पर दर्शाया जा सके।
- तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की मुख्य मदों को ही दर्शाया जाए तथा उनसे संबंधित अन्य ब्यौरे संलग्न अनुसूचियों में दर्शाए जाएं।
- अनुसूचियों में अलग से दर्शाए जाने वाली मदों के निर्धारण के लिए एक समान प्रकृति वाली मदों का समूहबद्ध किया जाए और उन्हें एक ही मद के अंतर्गत दर्शाया जाए तथा कम महत्व वाली अन्य मदों को समूहित करके 'अन्य' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाए।

ख) लाभ और हानि खाते की नामकरण तथा उसका स्वरूप

- "लाभ और हानि खाते" को अब से "आय विवरण" कहा जाना चाहिए।
- समग्र रूप से रिजर्व बैंक के लिए एक ही लाभ और हानि खाता (अथवा की गई सिफारिश के अनुसार "आय विवरण") तैयार किया जाना जारी रखा जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा आस्तियों को रूपांतरित किए जाने अथवा आस्तियों को बाजार के लिए चिह्नित किए जाने पर विभिन्न आस्तियों से संबंधित सभी अप्राप्त मूल्य निर्धारण से संबंधित समायोजनों (प्राप्तियां/हानियां) को आय विवरण में दर्शाया जाना चाहिए तथा इसके अनुरूप आकस्मिक आरक्षित निधि, आस्ति निर्माण आरक्षित निधि, मुद्रा तथा स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, निवेश पुनर्मूल्यन खाता और विनिमय समतुल्यता खाते में होने वाले निवल अंतरण को लाभ और हानि खाते (आय विवरण) में 'प्रावधान' शीर्षक के अंतर्गत एक ही मद के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

- चूंकि ब्याज से होने वाली आय रिजर्व बैंक की आय का प्रमुख श्रोत है, इसलिए उन सभी मदों को जिनसे ब्याज प्राप्त नहीं होता हो, को एक ही शीर्षक के अंतर्गत समूहबद्ध करके 'अन्य आय' के रूप में दर्शाया जाए।

ग) लेखांकन नीति

- रिजर्व बैंक को अपने वित्तीय विवरण सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएएस)/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के अनुसार तैयार करने चाहिए किंतु रिजर्व बैंक द्वारा इसमें समुचित परिवर्तन किया जा सकता है।
- स्वर्ण परिचालनात्मक आस्ति होने के कारण इसलिए प्रत्येक महीने के अंत में इसका पुनर्मूल्यांकन विद्यमान अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार से पुनर्मूल्यन किए जाने पर अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में अंतरित किया जाना जारी रखा जाना चाहिए।
- रुपया आस्तियों को उचित मूल्य पर स्वीकार करना चाहिए तथा पुनर्मूल्यन किए जाने पर होने वाले किसी भी प्रकार के अप्राप्त लाभ अथवा हानि को निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता (आईआरए) में अंतरित किया जाना चाहिए। यदि निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता शेष किसी भी समय नामे होता हो तो नामे शेष को लाभ और हानि खाते (आय विवरण) में नामे किया जाना चाहिए।
- तेल बांडों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाएगा और उन्हें लागत मूल्य पर तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा जबकि खजाना बिलों से भिन्न अन्य सभी देशी प्रतिभूतियों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' माना जाएगा और तदनुसार उनका लेखांकन किया जाएगा। सभी विदेशी प्रतिभूतियों को भी 'बिक्री के लिए उपलब्ध' माना जाएगा।
- रिपो और रिवर्स रिपो लेनदेनों को निधि उधार देना और उधार लेना माना जाए; इसे प्रतिभूतियों का विक्रय और क्रय किया जाना न माना जाए।
- सरकार की अतिरिक्त नगदी के प्रबंधन के हिस्से के रूप में सरकार को प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित लेनदेन की प्रकृति रिवर्स रिपो लेनदेन की होती है और इसलिए इन कार्यों से होने वाले लाभ या हानि को अलग अस्थायी खाते में रखा जाना चाहिए और लेनदेन के रिवर्स होने पर उसे रिवर्स किया जाए।
- वर्तमान में वायदा विनिमय संविदा के समग्र मूल्य पर बट्टा नहीं काटा जाता है। अब से ऐसी संविदाओं के समग्र मूल्य पर तुलन पत्र तैयार किए जाने की तिथि में लागू रिवर्स रिपो दर पर बट्टा काटा जाना चाहिए।

(जारी...)

घ) प्रकटीकरण

वर्तमान में रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के 'रिज़र्व बैंक का लेखा से संबंधित अध्याय के साथ ही वित्तीय विवरण के संलग्नक 'महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां' में भी प्रकटीकरण किया जाता है। सभी प्रासंगिक प्रकटीकरण सिर्फ 'महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां' में किए जाने चाहिए।

तुलन पत्र और आय विवरण के प्रारूप में परिवर्तन संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का अनुमोदन/भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अधीन लागू किए जाने वाले विनियमों में

संशोधन किये जाने की आवश्यकता होगी। उक्त अधिकांश सिफारिशों को आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लागू करने का प्रस्ताव है ताकि अगले वर्ष के वार्षिक लेखा में समिति द्वारा कल्पना किए गए परिवर्तन दिखाई दे सकें। इसी दौरान, इस अध्याय के अंतर्गत और अधिक प्रकटीकरण किए जाने का प्रयास किया गया है जिसके अंतर्गत विशेष रूप से आय और व्यय के घटकों और तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाते में उल्लेख की गई विशेष मदों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण, अतिरिक्त समर्थक सारणियों और अधिक विश्लेषणात्मक जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। अध्याय के पाठ में दर्शाई गई मदों का ब्यौरा उसी क्रम में दिया गया है जिस क्रम में उन्हें तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

तुलन पत्र

निर्गम विभाग की देयताएं और आस्तियां

निर्गम विभाग - देयताएं

XI.3 निर्गम विभाग की देयताएं संचलनगत नोटों की मात्रा को दर्शाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 1935 से जारी किए गए बैंक नोटों और रिज़र्व बैंक द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताएं माना जाता है। निर्गम विभाग की रु.12,016.24 बिलियन की देयताओं में संचलनगत नोट (रु.12,016.16 बिलियन) और बैंकिंग विभाग में थोड़ी मात्रा (रु.0.08 बिलियन) में रखे गए नोट शामिल हैं। 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार संचलनगत नोटों की तदनुरूपी राशि रु.11,034.65 बिलियन थी। संचलनगत करेंसी नोटों में 2011-12 में हुई 13.8 प्रतिशत और 2010-11 के दौरान हुई 15.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2012-13 के दौरान 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (मुद्रा परिचालन का ब्यौरा अध्याय VIII में दिया गया है)। इस प्रकार, संचलनगत मुद्राओं में समग्ररूप से वृद्धि हुई किंतु हाल के वर्षों में वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट का रुझान देखा गया है।

निर्गम विभाग - आस्तियां

XI.4 निर्गम विभाग की मुद्रा देयताओं की समर्थक पात्र आस्तियों में स्वर्ण (सिक्का और बुलियन), विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के, भारत सरकार की प्रतिभूतियां, आंतरिक विनिमय

बिल और अन्य वाणिज्यिक पत्र शामिल होते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 557.75 मेट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.26 मेट्रिक टन स्वर्ण निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है और शेष 265.49 मेट्रिक टन स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की अन्य आस्तियां माना जाता है। निर्गम विभाग की इन स्वर्ण धारिताओं का मूल्य 30 जून 2012 को रु.760.09 बिलियन था जो 11.3 प्रतिशत घट कर 30 जून 2013 को 674.3 बिलियन रह गया जोकि अंतरराष्ट्रीय बुलियन मूल्यों में कमी आने का पता चलता है (सारणी XI.1)। निर्गम विभाग की समग्र देयताओं में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में धारित आस्तियों में वृद्धि हुई जिनका वर्ष की समाप्ति पर मूल्य रु.11,329.10 बिलियन था जबकि 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार उनका मूल्य रु.10,261.97 था। निर्गम विभाग में रुपया सिक्कों का मूल्य 30 जून 2012 को

सारणी XI.1: सोने की धारिता

	30 जून 2012 की स्थिति		30 जून 2013 की स्थिति	
	मूल्य, ₹ बिलियन में	मात्रा, मेट्रिक टन में	मूल्य, ₹ बिलियन में	मात्रा, मेट्रिक टन में
1	2	3	4	5
निर्गम विभाग में रखा गया सोना	760.09	292.26	674.31	292.26
बैंकिंग विभाग में रखा गया सोना	690.46	265.49	612.54	265.49
(*अन्य आस्तियों के तहत)	1,450.55	557.75	1,286.85	557.75
कुल				

रु.2.21 बिलियन था जो बढ़कर 30 जून 2013 को रु.2.36 बिलियन हो गया जोकि 6.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाता है। भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों की धारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और रु.10.46 बिलियन की इनकी धारिता बनी रही।

बैंकिंग विभाग की देयताएं और आस्तियां

बैंकिंग विभाग - देयताएं

XI.5 बैंकिंग विभाग की देयताओं में पिछले वर्ष की तुलना में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका ब्यौरा निम्नलिखित परिच्छेदों में दिया गया है :

- i) **चुकता पूंजी:** रिजर्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी रु.0.05 बिलियन थी। इसे 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार को प्राप्त हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी रु.0.05 बिलियन बनी हुई है।
- ii) **आरक्षित निधि:** रु.0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46 के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की करेंसी देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले रु.64.95 बिलियन के लाभ को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर रु.65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है और स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाली मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में दर्ज किया जाता है जोकि तुलन पत्र में अन्य देयताओं की मद का एक हिस्सा है।
- iii) **राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि:** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के तहत जुलाई 1964 में रु.100 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ सृजित इस निधि में रिजर्व बैंक की ओर से पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वरूप प्रदान किए

गए वार्षिक सहयोग की राशि जमा की जाती है। 1992-93 से इस निधि में प्रत्येक वर्ष रु.10 मिलियन की सांकेतिक राशि जमा की जाती है। वर्ष 2012-13 में इस परिपाटी को जारी रखा गया है और इस प्रकार से 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार इस निधि का मूल्य रु.220 मिलियन था।

- iv) **राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि:** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय निभाव उपलब्ध कराने के लिए रु.500 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी के साथ जनवरी 1989 में स्थापित निधि को उसके बाद से रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वार्षिक सहयोग के माध्यम से बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से प्रतिवर्ष सिर्फ रु.10 मिलियन की सांकेतिक राशि ही इस निधि में जमा की जाती है। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार इस निधि में रु.1,960 मिलियन की राशि जमा है।
- v) **अन्य निधियों में अंशदान:** यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 46ए के अधीन दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जिनमें से प्रत्येक में प्रति वर्ष ₹10 मिलियन का सांकेतिक अंशदान जमा किया जाता है। चूंकि इन निधियों को अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत रखा गया है, अतः राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को प्रति वर्ष ₹20 मिलियन की राशि अंतरित की जाती है।
- vi) **जमाराशियां:** इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों, निर्यात-आयात बैंक और नाबार्ड जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधियों संबंधी विविध खातों के शेषों की रिजर्व बैंक में रखी जाने वाली नकदी होती है। 30 जून 2013 को रु.3,738.92 बिलियन की कुल जमाराशि थी जिसमें 30 जून 2012 की स्थिति की जमा कुल राशि रु.3,723.68 बिलियन की तुलना में 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी।

• जमाराशियां - सरकारी

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21(ए) के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमा राशि रखते हैं। वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए रखी गई जमा राशियों का शेष क्रमशः रु.1.00 बिलियन और रु.0.43 बिलियन था जिनका योग रु.1.43 बिलियन होता है जो पिछले वर्ष की समाप्ति के लगभग बराबर ही रहा।

• जमाराशियां - बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखे गए अपने चालू खाते में बैंक राशि नकदी आरक्षित अनुपात की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा भुगतान और निपटान के दायित्वों तथा आवश्यक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा रखते हैं। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा जमा कुल राशि रु.3,571.51 बिलियन थी जिसमें पिछले वर्ष की कुल जमाराशि रु.3,600.21 बिलियन की तुलना में 0.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई जोकि वर्ष के दौरान नगदी आरक्षित अनुपात अपेक्षाओं में आई कमी को दर्शाती है।

• जमाराशियां - अन्य

इनमें विदेशी केंद्रीय बैंकों, देशी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, म्यूचुअल फंडों की जमाराशि, संचित सेवानिवृत्ति

लाभ और भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, प्राथमिक व्यापारियों, कर्मचारी ऋण समितियों की जमाराशि जैसी विविध प्रकार की जमाराशियों और अन्य विविध जमाराशियों को शामिल होती हैं।

सारणी XI.2 में उपलब्ध कराए गए विस्तृत विवरण में देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान इन जमा राशियों में समग्र रूप से 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें संचित सेवानिवृत्ति लाभों का योगदान प्रमुख रहा।

vii) देय बिल: रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों तथा स्वयं के भुगतानों संबंधी आवश्यकता के लिए धन-प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस उद्देश्य से रिज़र्व बैंक के कार्यालयों द्वारा मांग ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) जारी किए जाते हैं। इस मद की शेष राशि धन-प्रेषण समाशोधन खाते में धारित तत्कालीन धन-प्रेषण सुविधा योजना, 1975 के तहत के भुनाए न गए मांग ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों और शेषों को दर्शाती है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2012 को रु.0.27 बिलियन थी जो बढ़कर 30 जून 2013 को रु.1.87 बिलियन हो गई। तुलन पत्र तैयार किए जाने की तारीख में हुई वृद्धि भारत सरकार को देय रु.1.64 बिलियन के मांग ड्राफ्ट जारी किए जाने के कारण थी जिसका भुगतान बाद में 5 जुलाई 2013 को किया गया।

viii) अन्य देयताएं: अन्य देयताओं में भारतीय रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधियां और प्रावधान प्रमुख घटक होते हैं। आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि

सारणी XI.2: जमाराशियां :अन्य

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2012	2013
1	2	3
I. विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं की रुपया जमाराशियां	11.18	15.33
II. भारतीय वित्तीय संस्थाओं की जमाराशियां	1.27	0.70
III. म्यूचुअल फंडों की जमाराशियां	0.01	0.01
IV. संचित सेवानिवृत्ति-अधिवर्षिता लाभ (i+ii)	105.39	141.02
(i) भविष्य निधि	33.55	36.10
(ii) ग्रेच्युइटी और सेवानिवृत्ति-निधि	71.84	104.92
V. विविध	4.20	8.89
कुल	122.05	165.95

रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधि होती है, जो बैंकों द्वारा सामान्य रूप से प्रदान की जाने वाली निधियों के रूप में प्रदान जाती है, किंतु उच्च देयताओं के शेष घटक जैसे कि मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए) इत्यादि की प्रकृति प्रावधानों की है क्योंकि वे अप्राप्त लाभ/हानि को दर्शाते हैं। 30 जून 2012 को अन्य देयताएं ₹.7,263.55 बिलियन थीं जो 11.3 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2013 को ₹.8,082.86 बिलियन हो गईं जिसका मुख्य कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में हुआ संचय था। यह उल्लेखनीय है कि उच्च देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई आकस्मिक निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधियां तुलन पत्र

की पृथक मद के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा धारित ₹.65 बिलियन की उच्च आरक्षित निधि के अतिरिक्त है (सारणी XI.3)।

क) आकस्मिकता आरक्षित निधि: यह निधि प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट और मौद्रिक/विनिमय दर नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न जोखिमों सहित अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग से रखी गई राशि को दर्शाती है। आकस्मिकता आरक्षित निधि 30 जून 2012 के ₹.1,954.05 बिलियन में ₹.262.47 बिलियन (13.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2013 को बढ़कर ₹.2,216.52 बिलियन हो गई।

सारणी XI.3: अन्य देयताओं के विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2012	2013
1	2	3
क. आकस्मिकता आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	1,707.28	1,954.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	246.77	262.47
वर्ष के अंत में शेष राशि	1,954.05	2,216.52
ख. आस्ति विकास आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	158.66	182.14
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपचय	23.48	25.47
वर्ष के अंत में शेष राशि	182.14	207.61
ग. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	1,822.86	4,731.72
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल निःशेष (-)	(+2,908.86)	(+) 469.41
वर्ष के अंत में शेष राशि	4,731.72	5,201.13
घ. निवेश पुनर्मूल्यन खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	42.69	122.22
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल उपयोग (-)	(+) 79.53	(-) 97.37
वर्ष के अंत में शेष राशि	122.22	24.85
ङ. विदेशी मुद्रा समकरण खाता		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	0.01	24.05
विनिमय खाते से अंतरण	24.05	16.99
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवल उपचय(+)/निवल उपयोग (-)	(-)0.01	(-) 24.05
वर्ष के अंत में शेष राशि	24.05	16.99
च. बकाया व्ययों के लिए प्रावधान	16.16	18.43
छ. भारत सरकार को अंतरण-योग्य अधिशेष	160.10	330.10
ज. विविध	73.11	67.23
कुल (क से ज)	7,263.55	8,082.86

ख) आस्ति विकास आरक्षित निधि: आंतरिक पूंजीगत व्ययों को पूरा करने तथा अनुषंगी संस्थाओं और सहायक संस्थानों में निवेश करने के लिए और अलग राशि उपलब्ध कराई गई है और आस्ति विकास आरक्षित निधि में जमा की गई है जिसकी स्थापना रिज़र्व बैंक की सकल आस्तियों के एक प्रतिशत के स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से 1997-98 में की गई थी। 2012-13 में रु.25.47 बिलियन की राशि का अंतरण आय में से आस्ति विकास आरक्षित निधि में किया गया जिससे 30 जून 2013 की स्थिति में इसका स्तर बढ़कर रु.206.61 बिलियन हो गया। आंतरिक अध्ययन दल (अध्यक्ष : श्री वी. सुब्रह्मण्यम) की सिफारिशों के आधार पर आकस्मिकता आरक्षित निधि का लक्ष्य कुल आस्तियों का 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया था किंतु 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास निधि - दोनों मिलकर रिज़र्व बैंक की कुल आस्तियों का 10.1 प्रतिशत होती हैं। पिछले पांच वर्षों के अंत के अनुसार स्थिति सारणी XI.4 में दर्शाई गई है।

ग) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता: विनिमय दरों और/अथवा स्वर्ण मूल्य में परिवर्तन होने के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) तथा स्वर्ण के पुनर्मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं लिया जाता बल्कि तुलन पत्र मदों के अंतर्गत मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में शामिल किया जाता है। आकस्मिकता आरक्षित निधि को प्राप्त लाभों के विभाजन के द्वारा सृजित किया जाता है किंतु मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता आरक्षित निधि खाता नहीं है क्योंकि यह

सारणी XI.4: आकस्मिक आरक्षित निधि (सीआर) और आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	सीआर में शेष	एडीआर में शेष	कुल	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत के रूप में सीआर और एडीआर
1	2	3	4=(2+3)	5
2009	1,533.92	140.82	1,674.74	11.9
2010	1,585.61	146.32	1,731.92	11.3
2011	1,707.28	158.66	1,865.94	10.3
2012	1,954.05	182.14	2,136.19	9.7
2013	2,216.52	207.61	2,424.13	10.1

खाता विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन के कारण होने वाले सकल अप्राप्त लाभ और हानि को दर्शाता है। मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता स्वर्ण और विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिबिंब होता है इसलिए इसका आकार आस्ति आधार के आकार और विनिमय दर तथा स्वर्ण मूल्य के परिवर्तनों के अनुसार बदलता है। 2012-13 के दौरान मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में रु.469.41 बिलियन की वृद्धि हुई। 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार इस खाते में जमा राशि रु.4,731.72 थी जो 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार बढ़कर रु.5,201.13 हो गई जिससे समग्ररूप से 9.9 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है। हाल की पिछली अवधि में, यद्यपि सकल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण की मात्रा में कमी हुई है किंतु अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में तीव्र गिरावट के कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से यह खाता विनिमय दरों/स्वर्ण मूल्यों में परिवर्तनों, जिनमें हाल के समय में बहुत उतार-चढ़ाव देखे गए हैं, की स्थिति में बचाव का कार्य करता है।

घ) निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए): रिज़र्व बैंक दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार करता है और इस प्रकार से हुई मूल्य में वृद्धि/कमी को निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाता है। इस प्रकार के आवधिक पुनर्मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाते में समायोजित किया जाता है। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार निवेश पुनर्मूल्यन खाते में शेष राशि रु.24.85 बिलियन थी जबकि 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार यह राशि रु.122.22 बिलियन थी। इस खाते में हुई काफी गिरावट का कारण मुख्य रूप से प्राप्तियों में होने वाली, विशेषरूप से अमरीकी सरकार की प्रतिभूतियों, वृद्धि से होने वाले बाजार मूल्य पर दर्शाया गया अप्राप्त घाटा था।

ङ) विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए): विदेशी मुद्रा समकरण खाते की शेष राशि मुख्यरूप से हस्तक्षेपी परिचालनों से उत्पन्न होने वाले वायदा प्रतिबद्धताओं से होने वाले बाजार मूल्य पर दर्शाए घाटे के लिए किए गए प्रावधान को दर्शाती है। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार मुद्रा समकरण खाते में शेष राशि रु.16.99 बिलियन थी

जबकि 30 जून 2012 के अंत के अनुसार इस खाते में शेष राशि रु.24.05 बिलियन थी। पिछले पांच वर्षों के लिए मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, विदेशी मुद्रा समकरण खाता और निवेश पुनर्मूल्यन खाता में शेष राशि की स्थिति सारणी XI.5 में दी गई है।

च) बकाया व्यय के लिए प्रावधान: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 में यह प्रावधान किया गया है कि उसमें परिभाषित आकस्मिकताओं और कॉर्पस फंडों और वे जो कि सामान्यतः बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, के लिए प्रावधान करने के बाद रिजर्व बैंक के शेष लाभ को केंद्र सरकार को अंतरित किया जाना होता है। तदनुसार वर्ष 2012-13 के लिए रु.18.43 बिलियन की राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए इस हेतु रु.16.16 बिलियन की राशि का प्रावधान किया गया था।

छ) भारत सरकार को अंतरण किए जाने योग्य अधिशेष: वर्ष 2012-13 के लिए सरकार को अंतरण किए जाने योग्य कुल अधिशेष राशि रु.330.10 बिलियन है। इसमें पिछले वर्षों के अनुरूप, स्व-मूल्यांकन के आधार पर माइकर चेक प्रोसेसिंग शुल्कों के कारण देय अनुमानित सेवा कर के लिए रु.0.10 बिलियन की राशि शामिल है। इसमें सरकार को देय ब्याज-अंतर के रूप में रु.13.22 बिलियन (पिछले वर्ष के समान) की राशि भी शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को विपणन योग्य प्रतिभूतियों में बदलने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले ब्याज व्यय के अंतर को दर्शाती है। इस राशि के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया जाता है और यह सरकार को अंतरण किए जाने वाले अधिशेष में शामिल होता है। सरकार को इस वर्ष अंतरित की जाने वाली राशि अब तक की सबसे बड़ी राशि थी। सकल आय

(व्यय को घटाने के बाद) के प्रतिशत के रूप में अंतरित आय 53.4 प्रतिशत थी जो 2010-11 और 2011-12 में रहे क्रमशः 52.8 प्रतिशत और 37.2 प्रतिशत से अधिक थी (सारणी XI.15)।

ज) विविध: यह अवशिष्ट मद है जिसमें छुट्टी का नकदीकरण किए जाने पर देय राशि, प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए आरक्षित निधि जिसे कर्मचारी निधियों के लिए अलग रखा गया हो, रिपो लेनदेनों के मार्जिन के रूप में धारित संपार्श्विकीकृत निधि का मूल्य, कर्मचारियों के लिए चिकित्सकीय प्रावधानों इत्यादि जैसे उप-खातों को शामिल किया जाता है। 30 जून 2013 को विविध देयताएं रु.67.23 बिलियन थीं जबकि 30 जून 2012 को यह राशि रु.73.11 बिलियन थी।

बैंकिंग विभाग - आस्तियां

XI.6 बैंकिंग विभाग की आस्तियों में नोट, रुपया सिक्के, छोटे सिक्के, खरीदे गए और भुनाए गए बिल, विदेशों में धारित राशि, निवेश, ऋण और अग्रिम तथा अन्य आस्तियां शामिल होती हैं। तुलन पत्र में उनको चलनिधि के घटते क्रम में दर्शाया जाता है।

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

यह रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों का स्टॉक होता है। इस स्टॉक के मूल्य में 11.1 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 30 जून 2012 के रु.0.09 बिलियन से कम होकर 30 जून 2013 को रु.0.08 बिलियन रह गया।

ii) खरीदे गए और भुनाए गए बिल

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किंतु ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक की लेखा पुस्तिकाओं में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iii) विदेशों में धारित राशि

रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) के निम्नलिखित घटक होते हैं - (क) बैंकिंग विभाग की आस्तियों के अधीन पृथक मद के रूप दर्शाई जाने वाली विदेशी मुद्रा में

सारणी XI.5: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा समकरण खाते (ईईए) और निवेश पुनर्मूल्यन खाते (आईआरए) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता	विदेशी मुद्रा समकरण खाता	निवेश पुनर्मूल्यन खाता
1	2	3	4
2009	1,988.42	0.27	-
2010	1,191.34	0.19	93.71
2011	1,822.86	0.01	42.69
2012	4,731.72	24.05	122.22
2013	5,201.13	16.99	24.85

सारणी XI.6: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2012	2013
1	2	3
I. निर्गम विभाग में रखी गयी	10,261.97	11,329.10
II. बैंकिंग विभाग में रखी गयी		
क) निवेशों में शामिल*	590.57	523.57
ख) विदेशों में रखी गयी शेष राशि	3,640.27	3,395.01
कुल	14,492.81	15,247.68

*बीआईएस और एसडब्ल्यूआईएफटी में विदेशी प्रतिभूतियां और शेयर शामिल हैं (सारणी XI.7 की मर्दाने ii+iii)

टिप्पणी : 1. 30 जून 2013 को अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के अंशतः चुकता शेयरों की मांगी न गई राशि ₹1.08 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी। पिछले वर्ष यह राशि ₹1.03 बिलियन (एसडीआर 12,041,250) थी।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक 8,740.82 मिलियन एसडीआर (₹784.80 बिलियन/13.15 बिलियन अमरीकी डालर) की अधिकतम राशि तक आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गया है। 30 जून 2013 को उधार के लिए नई व्यवस्था नोट क्रय करार के अंतर्गत जिसमें 10 बिलियन अमरीकी डालर (₹597.00 बिलियन की पूर्व प्रतिबद्धता शामिल है) के अंतर्गत 1,118.8 मिलियन एसडीआर (₹100.45 बिलियन/1.68 बिलियन अमरीकी डॉलर) की राशि निवेश की गई है।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फायनेंस कंपनी (यूके) द्वारा जारी बांडों में एक राशि, जिसका कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर (₹ 298.50 बिलियन) से अधिक नहीं होना चाहिए, निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2013 तक, रिज़र्व बैंक ने ऐसे बांडों में 950 मिलियन अमरीकी डालर (₹56.71 बिलियन) का निवेश किया गया है।

4. मुद्रा स्वैप व्यवस्था में अंतर्गत, रिज़र्व बैंक 2 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा तक, 100 मिलियन अमरीकी डालर से लगाकर 400 मिलियन अमरीकी डालर तक, अमरीकी डालर के रूप में या भारतीय रुपये के रूप में सार्क देशों को अल्पकालिक निधीयन सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हो गया है। 30 जून 2013 तक रॉयल मोनेटरी एथॉरिटी ऑफ़ भूटान ने इस व्यवस्था में अंतर्गत 100 मिलियन अमरीकी डालर तक के बराबर भारतीय रुपये का आरहण किया है।

विदेशों में धारित राशि, (ख) निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में धारित विदेशी प्रतिभूतियां और (ग) बैंकिंग विभाग में निवेशों के हिस्से के रूप में धारित विदेशी प्रतिभूतियां।

विदेशों में धारित राशि के निम्नलिखित घटक होते हैं - (क) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशि, (ख) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमा राशि, (ग) विदेशी वाणिज्य बैंकों में जमा राशि और (घ) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश।

पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XI.6 में दी गई है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर), जिसमें स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) के अलावा विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) प्रमुख घटक होता है, का इस अवधि का ब्यौरा लेखों से संबंधित संलग्न नोट (अनुलग्नक II) के परिच्छेद 9 में दिया गया है (अनुलग्नक II)।

2012-13 में विदेशी मुद्रा आस्तियों के स्तर में हुई वृद्धि मुख्य रूप से अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मूल्य वृद्धि को समायोजित करने के बाद अमरीकी डॉलर, जिसमें रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां धारित की जाती हैं, की तुलना में रुपया के मूल्य में हुई गिरावट के कारण हुई। मूल्यन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा आस्ति में गिरावट को प्रतिसंतुलित करने के लिए आवश्यक आस्तियों से अधिक का लाभ हुआ जिसका कारण प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा की बिक्री था।

iv) निवेश: बैंकिंग विभाग के निवेश (सारणी XI.7) के निम्नलिखित घटक हैं -

क) रिज़र्व बैंक की भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों की कुल धारिता ₹6,739.33 बिलियन थी जबकि पिछले वर्ष यह धारिता ₹5,702.12 बिलियन की थी। इस धारिता में सरकारी प्रतिभूतियों की रिज़र्व बैंक की ₹5,946.87 बिलियन की अपनी धारिता और रिपो करार के तहत प्राप्त हुए संपार्श्विकों को दर्शाने वाले ₹912.63 बिलियन की राशि शामिल है और इसमें से रिवर्स रिपो खरीद के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रदत्त ₹120.17 बिलियन की प्रतिभूतियों को घटा दिया गया है। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत खरीदी गई

सारणी XI.7: बैंकिंग विभाग का निवेश

(₹ बिलियन)

निवेश	2011-12	2012-13
1	2	3
i) भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	5,702.12	6,739.33
ii) विदेशी प्रतिभूतियां	588.03	520.90
iii) बीआईएस और एसडब्ल्यूआईएफटी में शेयर	2.54	2.67
iv) सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं	13.20	13.20
कुल	6,305.89	7,276.10

(रिपो) और बेची गई (रिवर्स रिपो) प्रतिभूतियों को उक्त धारिता में जोड़ा गया है और तदनु रूप जनिवेशट में से इन्हें घटा दिया गया है। वर्ष के अंत में मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत बकाया राशि शून्य थी जबकि 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार यह राशि रु.6 बिलियन थी।

- ख) विदेशी प्रतिभूतियां सोवरेन और सुप्रा-नैशनल संस्थानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य लिखतों अथवा संस्थानों के ऋणों को दर्शाती हैं। विदेशी प्रतिभूतियों का एक हिस्सा (रु.520.90 बिलियन) निर्गम विभाग की देयताओं में होने वाली दैनिक वृद्धि को कवर करने के लिए बैंकिंग विभाग में रखा गया है।
- ग) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक और विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसायटी (स्विफ्ट) में धारित शेयरों का कुल मूल्य रु.2.67 बिलियन है जबकि पिछले वर्ष यह राशि रु.2.54 बिलियन थी।
- घ) 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार अनुषंगी/सहयोगी संस्थाओं की धारिता का ब्यौरा सारणी XI.8 में दिया गया है।

v) ऋण और अग्रिम

- क) केंद्र और राज्य सरकारें - ये ऋण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अनुसार प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं जिसकी सीमाएं सरकारों से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार को प्रदान किए

गए ऋण और अग्रिमों का कुल मूल्य रु.146.61 बिलियन था। 30 जून 2012को यह राशि ज्शून्यट थी। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिमों का कुल मूल्य रु.21.45 बिलियन था जबकि 30 जून 2012 को यह राशि रु.7.31 बिलियन थी।

- ख) वाणिज्य और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम - ये ऋण बैंकों को उपलब्ध कराई गई पुनर्वित्त सुविधा को दर्शाते हैं। इन ऋणों का मूल्य रु.169.64 बिलियन से बढ़कर रु.188.82 बिलियन हो गया है जिसका मुख्य कारण निर्यात क्षेत्र को मुहैया कराए जाने वाले ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए 30 जून 2012 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से निर्यात ऋण पुनर्वित्त की सीमा को पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर देना था।
- ग) नाबार्ड को ऋण और अग्रिम - रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। वर्तमान की स्थिति के अनुसार इस प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया गया है।
- घ) अन्य को ऋण और अग्रिम - इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विशेष पुनर्वित्त योजना के तहत निर्यात-आयात बैंक को और प्राथमिक व्यापारियों को प्रदान किए जाने वाले संपार्श्वीकृत ऋण आते हैं। इस प्रकार के ऋणों की मात्रा में काफी गिरावट आई और ये 30 जून 2012 के रु.28.90 बिलियन से घटकर 30 जून 2013 को रु.8.24 बिलियन रह गये जिसका कारण राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान किए जाने के साथ ही इन ऋणों को पुनः न लेना और निर्यात-आयात बैंक के लिए उपलब्ध विशेष पुनर्वित्त योजना को अप्रैल 2013 में बंद करना था।

सारणी XI.8: सहायक/सहयोगी संस्थाओं में धारिताएं

(राशि ₹ मिलियन में)

	लागत	% धारिता
1	2	3
(क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	500.00	100
(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)*	200.00	1
(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	4,500.00	100
(घ) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	8,000.00	100
	13,200.00	

* भारत सरकार के निर्णय के अनुसार रिजर्व बैंक ने नाबार्ड में अपना स्टेक छोड़ दिया है। इस प्रकार, रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में धारित रु.20 बिलियन की नाबार्ड की कुल शेयर पूंजी के 72.5 प्रतिशत में से सममूल्य पर 71.5 प्रतिशत 13 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार को अंतरित कर दी गई थी। अब नाबार्ड में रिजर्व बैंक की शेयरधारिता 1 प्रतिशत रह गई है जोकि नाबार्ड अधिनियम 1981 के अंतर्गत अपेक्षित है।

vi) अन्य आस्तियां

बैंकिंग विभाग की उअन्य आस्तियों (सारणी XI.9) में मुख्यतः स्थायी आस्तियां (अवमूल्यन के बाद शेष राशि), विदेशों में धारित स्वर्ण (265.49 मेट्रिक टन), उपचित आय (मुख्यरूप से बैंकों के देशी और विदेशी निवेशों पर तुलन पत्र तैयार करने की तारीख को उपचित ब्याज आय) तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों के घटक मुख्य रूप से स्टॉफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए प्रस्तावित मार्जिन, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि और अंतर-कार्यालयीन लेनदेन का प्रतिनिधित्व करने वाली (भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य लेखा) मार्गस्थ मदें इत्यादि होते हैं। 30 जून 2013 की स्थिति के अनुसार उअन्य आस्तियों का मूल्य रु.902.60 बिलियन से घटकर रु.854.56 बिलियन रह गया जिसका मुख्य कारण धारिताओं के मूल्य में आई 11.3 प्रतिशत की गिरावट थी।

आय एवं व्यय का विश्लेषण

आय

XI.7 रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित स्रोतों से आय प्राप्त होती है- (i) ब्याज प्राप्तियां, (ii) डिस्काउंट, (iii) विनिमय, (iv) कमीशन तथा (v) अन्य आय जिनमें प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ अथवा हानि तथा जरूरत महसूस न किए

सारणी XI.9: अन्य आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2012	2013
1	2	3
I. अचल आस्तियां (संचित मूल्यहास को घटाकर)	4.37	4.50
II. स्वर्ण	690.46	612.54
III. उपचित आय (क+ख)	195.11	223.88
क. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	2.83	2.98
ख. अन्य मदों पर	192.28	220.90
IV. विविध	12.66	13.64
कुल	902.60	854.56

गए प्रावधान। इनमें से ब्याज से प्राप्त आय डिस्काउंट, विनिमय, कमीशन तथा अन्य से प्राप्त होने वाली आय का प्रमुख हिस्सा होता है। सकल आय तथा देशी तथा विदेशी स्रोतों से पिछले 5 वर्षों में हुए अर्जन का ब्यौरा सारणी XI.10 दिया गया है।

विदेशी स्रोतों से अर्जन

XI.8 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय में मुख्यतः विदेशी मुद्रा आस्तियों के नियोजन से प्राप्त होने वाली आय शामिल होती है। यह आय 2011-12 के रु.198.10 से रु.9.36 बिलियन (4.7 प्रतिशत) बढ़कर 2012-13 में रु.207.46 बिलियन हो गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2012-13 में भी कम अर्थात् 1.5 प्रतिशत रही जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्याज की दर कम रहने की वजह से है (सारणी XI.11)।

सारणी XI.10: सकल आय

(₹ बिलियन)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
क. विदेशी स्रोत					
ब्याज, बट्टा, विनिमय	507.96	251.02	211.50	198.10	207.46
ख. देशी स्रोत					
(i) ब्याज	90.56	66.47	150.32	323.39	523.06
(ii) अन्य अर्जन	8.80	11.35	8.88	10.27	13.05
कुल: (i) + (ii)	99.36	77.82	159.20	333.66	536.11
ग. सकल आय (क+ख)	607.32	328.84	370.70	531.76	743.58
घ. आकस्मिकता आरक्षित निधि में अंतरण	261.91	51.68	121.67	246.77	262.47
ड. आस्ति विकास आरक्षित निधि में अंतरण	13.10	5.50	12.35	23.48	25.47
ग. कुल आय (ग-घ-ड)	332.31	271.66	236.68	261.51	455.64

सारणी XI.11: विदेशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	को समाप्त वर्ष		घट-बढ़	
	30 जून 2012	30 जून 2013	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	14,492.81	15,247.69	754.88	5.2
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियां	13,477.55	14,281.58	804.03	6.0
विदेशी मुद्रा आस्तियों से अर्जन (ब्याज, बट्टा, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	198.10*	207.46	9.36	4.7
औसत विदेशी मुद्रा आस्तियों के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	1.5	1.5	-	-

* आंकड़े जिनमें विदेश में रखी गई स्वर्ण जमा राशियों पर 9.3 मिलियन रुपये की आय शामिल थी, वर्तमान वर्ष में शून्य हैं।

देशी स्रोतों से आय

XI.9 देशी स्रोतों से प्राप्त आय 2011-12 के ₹.333.66 बिलियन की तुलना में 2012-13 में 60.7 प्रतिशत बढ़कर ₹.536.11 बिलियन हो गई। देशी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की विभिन्न मदों का विस्तृत ब्यौरा सारणी XI.12 में दिया गया है। 2012-13 में देशी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय 2011-12 के ₹.304.24 बिलियन से 65.6 प्रतिशत बढ़कर ₹.503.67 बिलियन हो गई। यह निवल बढ़ोतरी निम्नलिखित कारणों के समग्र प्रभाव के चलते हुई :

- रुपया प्रतिभूतियों के बढ़े हुए पोर्टफोलियो पर कूपन आय में वृद्धि (2011-12 के ₹.276.73 बिलियन से 2012-13 में ₹.408.68 बिलियन)।
- चलनिधि समायोजन सुविधा व्यवस्था के अंतर्गत औसत दैनिक चलनिधि के अंतःक्षेपण का 2011-12 के ₹.928.18

सारणी XI.12: देशी स्रोतों से अर्जन

(₹ बिलियन)

मद	को समाप्त वर्ष		घट-बढ़	
	30 जून 2012	30 जून 2013	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
देशी आस्तियां	7,596.54	8,662.02	1,065.48	14.0
देशी आस्तियों की आय का साप्ताहिक औसत	6,140.50	7,724.84	1,584.34	25.8
	333.66	536.11	202.45	60.7
I. ब्याज तथा अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित आय				
i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	93.40	85.47	-7.93	-8.5
ii) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	77.66	64.79	-12.87	-16.6
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	0.40	0.11	-0.29	-72.5
iv) देशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	276.73	408.68	131.95	47.7
v) मूल्यहास	143.95	55.38	-88.57	-61.5
कुल (i+ii+iii+iv-v)	304.24	503.67	199.43	65.6
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार को (केन्द्र और राज्य)	13.00	1.26	-11.74	-90.3
ii) बैंक और वित्तीय संस्थानों को	5.68	17.65	11.97	210.7
iii) कर्मचारियों को	0.47	0.48	0.01	2.1
कुल (i+ii+iii)	19.15	19.39	0.24	1.3
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	-	0.28	0.28	-
ii) विनिमय	-	-	-	-
iii) कमीशन	9.52	11.13	1.61	16.8
iv) वसूल किया गया किराया, बैंक की संपत्तियों की बिक्री पर लाभ या हानि और प्रावधान जिनकी आगे जरूरत नहीं है	0.75	1.64	0.89	118.7
कुल (i+ii+iii+iv)	10.27	13.04	2.77	27.00

बिलियन से घटकर 2012-13 में रु.831.50 बिलियन हो जाना एवं रिपो दर में भी कटौती किया जाना जिनके चलते चलनिधि समायोजन सुविधा एवं सीमांत स्थायी सुविधा से ब्याज आय कम प्राप्त हुई (2011-12 के रु.77.66 बिलियन से 2012-13 में रु. 64.79 बिलियन)। 2012-13 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रतिफल में गिरावट आने के कारण रुपया प्रतिभूतियों में मूल्यहास की मद में कमी आना और उसका 2011-12 के रु.143.95 बिलियन से 2012-13 में घटकर रु.55.38 बिलियन हो जाना (28 जून 2013 को 10 वर्षीय जेनेरिक प्रतिफल 7.5 प्रतिशत था जबकि 29 जून 2012 को यह 8.2 प्रतिशत था)।

- औसत देशी आस्तियों से अर्जन की दर पिछले वर्ष के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 7.2 प्रतिशत हो गई।
- पिछले वर्ष के 263 दिनों के अर्थोपाय अग्रिमों तथा 74 दिनों के ओवरड्राफ्ट की तुलना में केंद्र सरकार द्वारा केवल 27 दिन अर्थोपाय अग्रिम लिये जाने और कोई ओवरड्राफ्ट न लिये जाने के कारण उनकी नकदी की अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति। केंद्र सरकार द्वारा 2012-13 में अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट का दैनिक औसत उपयोग रु.8.44 बिलियन था जबकि 2011-12 में यह रु.142.39 बिलियन था। इसके चलते केंद्र सरकार से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट से मिलने वाली ब्याज आय में कमी आई (2011-12 के रु.12.66 बिलियन से 2012-13 में रु. 0.67 बिलियन)।

- जहाँ तक राज्यों की बात है, अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट से प्राप्त ब्याज 2011-12 के रु.0.35 बिलियन की तुलना में उच्चतर अर्थात् रु.0.59 बिलियन था। यह वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों द्वारा 2011-12 के रु.4.07 बिलियन की तुलना में 2012-13 में अधिक अर्थात् रु.7.14 बिलियन के अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट का उपयोग किये जाने की वजह से थी।

व्यय

XI.10 रिज़र्व बैंक सांविधिक कार्य करते समय स्टाफ संबंधी अन्य व्ययों के अतिरिक्त एजेंसी प्रभागों/ कमीशन, सिक्कूरिटी प्रिंटिंग प्रभागों, खजानों के प्रेषण संबंधी व्यय करता है। रिज़र्व बैंक का कुल व्यय 2011-12 के रु.101.37 बिलियन से 23.8 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में रु.125.49 बिलियन हो गया। रिज़र्व बैंक के व्यय को निम्नलिखित उप-समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- ब्याज का भुगतान
- स्थापना व्यय
- स्थापना से इतर व्यय

व्यय के प्रमुख शीर्षों का विस्तृत ब्योरा सारणी XI.13 में दिया गया है।

सारणी XI.13: व्यय

(₹ बिलियन)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
I. ब्याज भुगतान	0.01	0.01	0.55	0.59	0.03
जिसमें से:					
अनुसूचित बैंक*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. स्थापना	24.48	19.87	23.01	29.93	58.59
III. गैर-स्थापना	57.68	64.15	62.99	70.85	66.87
जिसमें से:					
क) एजेंसी प्रभाग/कमीशन	29.99	28.55	30.12	33.51	28.07
ख) प्रतिभूति मुद्रण प्रभाग	20.63	27.54	23.76	27.04	28.72
जोड़ (I+II+III)	82.17	84.03	86.55	101.37	125.49

* भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 में किये गये संशोधन के अनुसरण, में पात्र नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) शेष पर देय ब्याज 31 मार्च 2007 के शुरुआती पखवाड़े से वापस ले लिया गया।

I. ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान 2011-12 के रु.0.59 बिलियन से घटकर 2012-13 में रु.0.03 बिलियन हो गया। यह मद मुख्यतः कतिपय कर्मचारी कल्याण निधि में बैंक द्वारा जमा की गई ब्याज की राशि को दर्शाती है।

II. स्थापना व्यय

स्थापना व्यय 2011-12 के रु.29.93 बिलियन से 95.8 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में रु.58.89 बिलियन हो गया। स्थापना व्यय में हुई वृद्धि मुख्यतः बीमांकिक परिकलन के आधार पर आंकी गई ग्रेच्युटी एवं अधिवर्षिता निधि की उपचित देयताओं में बढ़ोतरी के कारण है। वर्ष 2012-13 में इस निधि में रु.35.32 बिलियन की राशि का अंशदान किया गया जबकि पिछले वर्ष यह राशि रु.8.22 बिलियन थी। बैंक ने भविष्य निधि, ग्रेच्युटी एवं अधिवर्षिता निधि तथा छुट्टी नकदीकरण निधि में रखे शेष के समतुल्य राशि का निवेश इन निधियों के लिए निश्चित किया है। भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी तथा अधिवर्षिता निधि को बैंक की ज्जमाराशित के रूप में रखा जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की छुट्टी नकदीकरण निधि को अन्य देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

III. गैर-स्थापना व्यय

क) एजेंसी शुल्क: एजेंसी शुल्क के अंतर्गत चार प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है (सारणी XI.14)।

सारणी XI.14: एजेंसी प्रभार

	(रु मिलियन)	
	2011-12	2012-13
1	2	3
सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन	32,128.78	27,264.39
प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किया गया हामीदारी कमीशन	722.69	218.65
राहत/बचत बांडों के लिए बैंकों को दिया गया हैंडलिंग प्रभार	1.25	1.11
बाह्य आस्ति प्रबंधकों को भुगतान	656.07	582.38
कुल	33,508.79	28,066.53

i) सरकार का कारोबार करने के लिए एजेंसी बैंकों को प्रदत्त कमीशन (प्राप्तियां एवं भुगतान): रिजर्व बैंक एजेंसी बैंक की शाखाओं के बड़े नेटवर्क के जरिए सरकार के बैंकर के दायित्व का निर्वाह करता है। ये बैंक शाखाएं सरकारी अंतरणों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में काम करती हैं। रिजर्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन का भुगतान करता है जिसे 01 जुलाई 2012 को संशोधित किया गया। सरकार का कारोबार चलाने के लिए बैंकों को प्रदत्त एजेंसी कमीशन 2012-13 में रु.27.26 बिलियन रहा जबकि यह 2011-12 में रु.32.13 बिलियन था। वर्ष के दौरान प्रदत्त एजेंसी कमीशन में आई 15.2 प्रतिशत की गिरावट मुख्यतः एजेंसी कमीशन की दरों में संशोधन किए जाने के कारण है।

ii) केंद्र सरकार के उधार कार्यक्रम के लिए प्राथमिक डीलरों (पीडी) को हामीदारी कमीशन के रूप में प्रदत्त शुल्क: पीडी को देय हामीदारी कमीशन भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए उधार ली गई राशि एवं पीडी द्वारा कोट किए गए हामीदारी शुल्क पर निर्भर करता है। ये दोनों कारक राजकोषीय घाटा एवं भारत सरकार के अनुवर्ती उधार कार्यक्रम, बाजार में चलनिधि की स्थिति, ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के चलते प्रतिभूति के प्रतिफल में होने वाले परिवर्तन आदि अन्य संगत कारकों पर निर्भर करते हैं। हामीदारी कमीशन पर व्यय की गई राशि 2011-12 के रु.722.69 मिलियन से घटकर 2012-13 में रु.218.65 मिलियन रह गई।

iii) बाह्य आस्ति प्रबंधकों, जिन्हें रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के एक छोटे भाग के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था, को शुल्क के रूप में अदा की गई राशि रु.12.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ रु.0.58 बिलियन रही जबकि 2011-12 में यह राशि रु.0.66 बिलियन थी।

ख) प्रतिभूति मुद्रण: प्रतिभूति मुद्रण प्रभार (प्रमुख रूप से करेंसी नोटों के मुद्रण हेतु) पर किया गया व्यय 2011-12 के रु.27.04 बिलियन से 6.3 प्रतिशत बढ़कर 2012-13

में रु.28.72 बिलियन हो गया। इस वृद्धि के प्रमुख कारणों में बैंक नोटों की कुल आपूर्ति में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होना एवं भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. द्वारा कोट की गई दरों में मामूली वृद्धि होना है।

ग) अन्य: गैर-स्थापना संबंधी अन्य व्यय खजानों के प्रेषण, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, लेखा-परीक्षा शुल्क और अन्य व्यय, विविध व्यय आदि लेखाशीर्षों के अंतर्गत किए जाते हैं। लेखा-परीक्षा तथा अन्य व्यय के संबंध में रु.30.14

मिलियन खर्च किये गए जिसमें सांविधिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा विभिन्न प्रयोजनों से करायी गयी विशेष लेखा-परीक्षा के संबंध में प्रदत्त शुल्क और व्यय शामिल हैं। विविध व्यय में मुख्यतः विभिन्न शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थानों आदि को दिए गए अंशदान की राशि शामिल होती है।

XI.11 पिछले पांच वर्षों की आय, व्यय और निवल खर्च योग्य आय की प्रवृत्ति की जानकारी सारणी XI.15 में दी गई है।

सारणी XI.15: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां

(₹ बिलियन)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
क) सकल आय	607.32	328.84	370.70	531.76	743.58
ख) आरक्षित निधि में अंतरण (i+ii)	275.01	57.18	134.02	270.25	287.94
(i) आकस्मिकता आरक्षित निधि	261.91	51.68	121.67	246.77	262.47
(ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि	13.10	5.50	12.35	23.48	25.47
ग) निवल आय (क-ख)	332.31	271.66	236.68	261.51	455.63
घ) कुल व्यय	82.18	84.03	86.55	101.37	125.49
ङ) निवल प्रयोज्य आय (ग-घ)	250.13	187.63	150.13	160.14	330.14
च) निधियों में अंतरण*	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
छ) सरकार को अंतरित अधिशेष	250.09	187.59	150.09	160.10	330.10
सकल आय में कुल व्यय घटाकर प्रतिशत के रूप में सरकार को अधिशेष का अंतरण	47.6	76.6	52.8	37.2	53.4

*: पांच वर्ष में से प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन रुपये की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि को अंतरित की गयी।

वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्षों के आंकड़ों को फिर से वर्गीकृत/श्रेणीबद्ध किया गया है।

लेखा-परीक्षक

केंद्रीय सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक के 2012-13 के लेखों की लेखा-परीक्षा मै0 वी.शंकर ऐय्यर ऐंड कं., मुंबई तथा मै0 हरिभक्ति ऐंड कं., मुंबई ने की। बैंक की शाखाओं और अन्य कार्यालयों की लेखा-परीक्षा शाखा लेखा-परीक्षकों, यथा मै0 एस.के. मेहता ऐंड कं., नई दिल्ली, मै0 पी जी जोशी ऐंड कं., नागपुर, मै0 पी.के.एफ. श्रीधर ऐंड संतानम ऐंड कं., चेन्नै एवं मै0 लोधा ऐंड कं., कोलकाता ने की। लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2013 का तुलन-पत्र
निर्गम विभाग

(₹ हजार)

2011-12	देयताएं	2012-13	2011-12	आस्तियां	2012-13
89,169	बैंकिंग विभाग में रखे गये नोट	80,169	760,096,797	स्वर्ण सिक्के तथा सोना-चांदी:	674,316,432
11,034,645,327	परिचालन में नोट	12,016,157,427	-	(क) भारत में धारित	-
11,034,734,496	कुल जारी नोट	12,016,237,596	10,261,966,851	(ख) भारत के बाहर धारित	-
			11,022,063,648	विदेशी प्रतिभूतियां	11,329,100,584
			2,206,548	कुल	12,003,417,016
			10,464,300	रूपया सिक्के	2,356,280
			-	भारत सरकार की रूपया प्रतिभूतियां	10,464,300
			-	आंतरिक विनिमय पत्र एवं अन्य वाणिज्यिक पत्र	-
11,034,734,496	कुल देयताएं	12,016,237,596	11,034,734,496	कुल आस्तियां	12,016,237,596

बैंकिंग विभाग

(₹ हजार)

2011-12	देयताएं	2012-13	2011-12	आस्तियां	2012-13
50,000	प्रदत्त पूंजी	50,000	89,169	नोट	80,169
65,000,000	आरक्षित निधि	65,000,000	418	रूपया सिक्के	296
210,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	220,000	125	छोटे सिक्के	63
1,950,000	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1,960,000		खरीदे तथा भुनाये गये बिल:	
				- (क) आंतरिक	-
				- (ख) बाह्य	-
				- (ग) सरकारी खजाना बिल	-
	जमाराशि		3,640,273,093	विदेशों में रखी गयी राशि	3,395,014,738
	(क) सरकार			निवेश	7,276,101,007
1,004,903	(i) केंद्र सरकार	1,002,895		निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम :	
424,570	(ii) राज्य सरकारें	424,847		(i) केंद्र सरकार	146,610,000
3,419,535,741	(ख) बैंक	3,391,427,816	6,305,897,052	(ii) राज्य सरकार	21,449,487
33,242,701	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	32,038,844		निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम:	
53,643,644	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	55,210,206		(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	187,170,300
916,213	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	2,241,459	7,307,400	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-
92,870,015	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	90,595,353		(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	1,650,000
122,045,831	(v) अन्य बैंक	165,973,592	167,962,800	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-
	(ग) अन्य		390,000	(v) नाबार्ड	-
			1,290,000	(vi) अन्य	8,236,648
270,361	देय बिल	1,873,179		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश:	
				(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम:	
				- (i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-
				- (ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-
				- (iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	-
				- (iv) अन्य	-
				(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडो/डिबेंचरो में निवेश	
				- (i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-
				- (ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-
				- (iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	-
				- (iv) अन्य	-
				राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश :	
				- (क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और अग्रिम	-
				- (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडो/डिबेंचरो में निवेश	-
			902,599,552	अन्य आस्तियां	854,561,276
11,054,712,107	कुल देयताएं	11,890,873,984	11,054,712,107	कुल आस्तियां	11,890,873,984

रिज़र्व बैंक का 2012-13 का लेखा

30 जून 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

(₹. हजार)

2011-12	आय	2012-13
261,508,821	ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि ¹	455,635,749
261,508,821	जोड़	455,635,749
	व्यय	
587,780	ब्याज	25,725
29,934,972	स्थापना	58,595,877
29,802	निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और व्यय	30,613
528,245	खजाना प्रेषण	640,702
33,508,790	एजेंसी प्रभार	28,066,536
27,037,058	प्रतिभूति मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि)	28,724,406
257,177	मुद्रण और लेखन-सामग्री	228,203
804,859	डाक-टिकट और दूरसंचार प्रभार	818,627
1,022,927	किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	1,503,660
26,794	लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय	30,139
27,879	विधि प्रभार	36,316
2,424,716	बैंक संपत्ति का मूल्यहास और उसकी मरम्मत	2,390,152
5,177,822	विविध व्यय	4,404,794
101,368,821	जोड़	125,495,750
160,140,000	उपलब्ध शेष राशि	330,140,000
	घटायें: निम्नलिखित में अंशदान:	
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	10,000
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ²	10,000
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि ²	10,000
	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	10,000
40,000		40,000
160,100,000	केंद्रीय सरकार को देय अधिशेष	330,100,000

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार 287,940,115 हजार रुपये (2011-12 में 270,254,407 हजार रुपये) का सामान्य या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।
- ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

एस. गणेश कुमार
मुख्य महाप्रबंधक

ऊर्जित आर. पटेल
उप गवर्नर

एच.आर खान
उप गवर्नर

आनंद सिन्हा
उप गवर्नर

के.सी.चक्रवर्ती
उप गवर्नर

डी.सुब्बाराव
गवर्नर

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2013 की स्थिति का बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की जरूरत तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा लगातार पालन की गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और उन्हें तैयार करने के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इसके बारे में सच्ची और सही राय देते हैं और ये गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षण से संबंधित मानकों के अनुरूप लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की नैतिक अपेक्षाओं और आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरण संबंधी राशि और प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की जाँच करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा-परीक्षक करते हैं जिसमें गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के लिए वित्तीय विवरणों का सही प्रस्तुतीकरण और बैंक की तैयारी के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखा-परीक्षा से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

अन्य मामले

हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था और वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और वे संतोषजनक हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में बैंक के बीस लेखांकन इकाइयों के लेखा शामिल किये गये हैं जो सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं और हमने इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

कृते हरिभक्ति ऐंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.103523 डब्ल्यू

शैलेश हरिभक्ति
भागीदार
(सदस्यता क्र.30823)

कृते वी. शंकर अय्यर ऐंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन सं.109208डब्ल्यू

जी. शंकर
भागीदार
(सदस्यता क्र.46050)

दिनांक: 8 अगस्त 2011
स्थान: मुंबई

30 जून 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों का विवरण

1. सामान्य

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य “बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखा और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है। टट

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य :

- क) बैंक नोट का निर्गम
- ख) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन
- ग) बैंक और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण
- घ) अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना
- ङ) भुगतान और निपटान प्रणाली की विनियमन और पर्यवेक्षण
- च) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन करना
- छ) बैंक और सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करना
- ज) सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में करना
- झ) विदेशी विनिमय बाजार का विनियमन और विकास
- ञ) ग्रामीण ऋण और वित्तीय क्षेत्र सहित विकास कार्य

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि

- क) बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए तथा निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी।

ख) निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए।

ग) निर्गम विभाग की आस्तियां भारत सरकार की मुद्रा नोटों की राशि और उस समय संचालित बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

I. परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये जाते हैं और जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, पारंपरिक लागत पर आधारित हैं।

विवरणों में अपनायी गयी लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गयी लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

II. राजस्व निर्धारण

आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है जिसमें दंडात्मक ब्याज और लाभांश शामिल नहीं है क्योंकि लाभांश की गणना प्राप्ति-आधार पर और दंडात्मक ब्याज की गणना केवल उगाही गई राशि के आधार पर की जाती है। केवल उगाहे गए लाभ को माना जाता है।

देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखों में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावी और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और रिज़र्व बैंक की आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें रिज़र्व बैंक की आय में से वसूल किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को पूर्ववर्ती सप्ताह / पूर्ववर्ती माह / वर्षांत के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

III. स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेनों को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(क) स्वर्ण

स्वर्ण का मूल्य निर्धारण माह के अंत में उस माह के लिए औसत दैनिक लंदन मूल्य के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ / हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में समायोजित किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं सप्ताह के अंतिम कारोबार के दिन तथा माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में आस्तियां और देयताएं उन मामलों को छोड़कर जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित हैं, अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के ऐसे रूपांतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा के लाभ और हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में डाला जाता है और वहाँ पर समायोजन किया जाता है। वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्य छमाही आधार पर निकाला जाता है और निवल हानि, यदि कोई हो, का विनिमय समकरण खाते में प्रावधान किया जाता है।

खजाना बिलों से भिन्न विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, कुछ “परिपक्वता तक धारित टट प्रतिभूतियों, जिनका लागत पर मूल्य निकाला जाता है को छोड़कर, प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य पर किया जाता है। खजाना बिलों से भिन्न विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रति माह अंतिम कारोबारी दिन प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है। मूल्यवृद्धि या मूल्यहास, यदि कोई हो, निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाता है। निवेश पुनर्मूल्यन खाते का जमा शेष बाद

के वर्ष में लाया जाता है। वर्ष के अंत में निवेश पुनर्मूल्यन खाते का नाम शेष, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक दिन लाभ और हानि खाते में जमा में रिवर्स किया जाता है।

विदेशी खजाना बिल और वाणिज्यिक पत्र बट्टे के परिशोधन से समायोजित लागत पर रखे जाते हैं। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट दैनिक रूप से परिशोधित किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि की पहचान बही मूल्य के संबंध में की जाती है। किंतु विदेशी प्रतिभूतियों के मामले में इन्हें परिशोधित लागत के संदर्भ में पहचाना जाता है। इसके अलावा, विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री/चुकौती पर, निवेश पुनर्मूल्यन खाते में रखी विक्रय की गई प्रतिभूतियों का लाभ/हानि का लाभ-हानि खाते में अंतरित किया जाता है।

IV. रुपया प्रतिभूतियां

खजाना बिलों को छोड़कर, निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित आय-व्रक पर आधारित दर पर किया जाता है। जैसा कि भारतीय नियम आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्मडा) के द्वारा अधिसूचित है। मूल्य के मूल्यह्रास का समायोजन चालू ब्याज आय से किया जाता है।

खजाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

पुनर्खरीद करार (रिपो) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत संपर्शिवक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियों को अंकित मूल्य पर रिज़र्व बैंक की बहियों में रखा जाता है।

V. शेयर

शेयरों में किये गये निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

VI. अचल आस्तियां

अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यहास की दर
मोटर वाहन, फर्नीचर आदि	20 प्रतिशत
कम्प्यूटर, माइक्रोप्रोसेसर, सॉफ्टवेयर आदि	33.33 प्रतिशत

कम्प्यूटरों, माइक्रोप्रोसेसरों, सॉफ्टवेयरों (1,00,000/- रुपये और उससे अधिक की लागतवाले), मोटर वाहनों, फर्नीचर आदि पर मूल्यहास सीधी कटौती के आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

आस्ति श्रेणी	मूल्यहास की दर/ परिशोधन
पट्टाधारित भूमि और उस पर बना भवन	पट्टे की अवधि के अनुपात में किंतु 5 प्रतिशत से कम नहीं
फ्रीहोल्ड भूमि पर बना भवन	10 प्रतिशत

पट्टाधारित भूमि और भवनों पर मूल्यहास बट्टाकृत मूल्य आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाता है।

रु. 1,00,000/- से कम लागत वाली अचल आस्तियां आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को छोड़कर अधिग्रहण के वर्ष में लाभ / हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं। रु.10,000 से अधिक लागत वाले मूल्यवान लेकिन आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप आदि को पूंजीकृत किया गया है।

रु. 1,00,000 और अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैयक्तिक मदों को पूंजीकृत किया गया है और मूल्यहास की गणना लागू दरों पर की गयी है।

अचल आस्तियों की वर्ष के अंत में शेष राशि पर मूल्यहास लगाया गया है।

VII. कर्मचारी लाभ

‘अनुमानित इकाई ऋण प्रणाली के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के खाते पर देयता बीमांकित मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखे पर टिप्पणियां

1. पूंजी

पूंजी रु. 0.05 बिलियन की बैंक की पूंजी भारत सरकार के पास रखी है।

2. आरक्षित निधि

आरक्षित निधि रु. 65 बिलियन की है जिसमें भारत सरकार का रु. 0.05 बिलियन का प्रारंभिक अंशदान तथा इसके बाद अक्टूबर 1990 तक लाभ और हानि खाते से रु. 64.65 बिलियन का सकल

अंतरण शामिल है जो स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से न वसूल हुए लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। बाद की अवधियों में होने वाले ऐसे वसूल न हुए लाभों को सीजीआरए में अंतरित किया गया है।

3. राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि

यह निधि अधिनियम की धारा 46 सी के अंतर्गत जुलाई 1964 में बनायी गयी थी। जिसमें पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रु. 100 मिलियन की प्रारंभिक कार्पस से राशि रखी गई थी। इस निधि में वार्षिक अंतरण लाभ और हानि खाते से किये जाते हैं।

4. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि

यह निधि अधिनियम की धारा 46 की के अंतर्गत जनवरी 1989 में बनाई गई थी जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय समायोजन प्रदान करने के लिए रु. 500 मिलियन की एक प्रारंभिक कार्पस राशि रखी गई थी। इस निधि में वार्षिक अंतरण लाभ और हानि खाते से किए जाते हैं।

5. जमाराशियां-सरकार

अधिनियम की धारा 20 और 21 के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार के लिए बैंकर के रूप में और अधिनियम की धारा 21ए के अनुसार आपसी सहमति से राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है।

6. जमाराशियां-बैंक

ये वे शेष राशियां होती हैं जो बैंक द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अनुरक्षण के लिए और भुगतान तथा निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में बैंक के पास रखे गए उनके चालू खातों में रखी जाती हैं।

7. जमाराशियां - अन्य

इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं

क) वित्तीय संस्थाओं की जमाराशियां

ख) फुटकर जमाराशियां और

ग) (i) कर्मचारी भविष्य निधि और (ii) ग्रेच्युटी तथा अधिवर्षिता निधि में शेष राशियां। प्रति वर्ष निर्धारित ब्याज दर को इस निधि में जमा किया जाता है। इन सभी निधियों के लिए एक समान मूल्य का निवेश निश्चित किया गया है।

8. आंतरिक आरक्षित निधियां और प्रावधान

- 8.1 आकस्मिकता आरक्षित निधि में अप्रत्याशित और अदृश्य आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्रावधान की गई राशियों को शामिल किया जाता है, जिसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में हास, मौद्रिक/विनिमय दर नीति परिचालनों के कारण हुए जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और बैंकों को दी गई विशेष जिम्मेदारियों के कारण हुए अन्य जोखिम भी शामिल हैं।
- 8.2 आस्ति विकास आरक्षित निधि में पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए और सहायक कंपनियों तथा सहयोगी संस्थाओं में निवेश करने के लिए प्रत्येक वर्ष लाभ में से प्रावधान की गई राशि शामिल है।
- 8.3 मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता में विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के पुनर्मूल्यन के वसूले न गए लाभ/हानि दर्शाए जाते हैं जो इस खाते में अंतरित किए जाते हैं।
- 8.4 निवेश पुनर्मूल्यन खाते में बाजार मूल्य पर विदेशी प्रतिभूतियों पर पुनर्मूल्यन से वसूले न गए लाभ/हानि शामिल होते हैं जो इस खाते में अंतरित किए जाते हैं।
- 8.5 विनिमय समकरण खाते में, इस खाते में अंतरित की गई वायदा प्रतिबद्धताओं से वसूल न हुई विनिमय हानियों के लिए किए गए प्रावधान शामिल होते हैं।
- 8.6 वर्ष के दौरान आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि में उतार-चढ़ाव इस प्रकार है :

सारणी XI.16: आकस्मिकता और आस्ति विकास आरक्षित निधि

(राशि, बिलियन रुपये में)

	आकस्मिकता आरक्षित निधि	आस्ति विकास आरक्षित निधि
30 जून 2012 की स्थिति	1,954.05	182.14
वर्ष के दौरान अंतरण	262.47	25.47
कुल (30 जून 2013 की स्थिति)	2,216.52	207.61

9. विदेशी मुद्रा भंडार

भारतीय रुपये में और अमरीकी डालर में 30 जून 2012 और 30 जून 2013 को विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारी निधियों का पैमाना

है, इस प्रकार है:

सारणी XI.17(अ): विदेशी मुद्रा भंडार (रुपये में)

(₹ बिलियन)

	निम्नलिखित की स्थिति		घट-बढ़	
	30 जून 2012	30 जून 2013	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	14,492.81	15,247.69 [#]	754.88	5.2
सोना	1,450.56	1,286.86 [@]	(-)163.70	(-)11.3
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	246.59	259.20	12.61	5.1
आईएमएफ में रिजर्व पोजिशन की स्थिति*	162.99	130.67	(-)32.32	(-)19.8
कुल विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	16,352.95	16,924.42	571.47	3.5

: विदेशी मुद्रा आस्तियों की विस्तृत संरचना सारणी XI.6 में दी गई है।

@ : इसमें से, ₹674.31 बिलियन के मूल्य का सोना निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखा हुआ है और ₹612.54 बिलियन के मूल्य का सोना अन्य आस्ति के तहत बैंकिंग विभाग में रखा हुआ है।

* : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व पोजिशन की स्थिति, जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक एक जापन मद के रूप में दर्शाया गई थी, को 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से रिजर्व में शामिल किया गया है।

सारणी XI.17(आ): विदेशी मुद्रा भंडार (अमरीकी डॉलर में)

(बिलियन अमरीकी डालर)

	निम्नलिखित की स्थिति		घट-बढ़	
	30 जून 2012	30 जून 2013	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	256.70*	254.37**	(-)2.33	(-)0.9
सोना	25.76	21.55	(-)4.21	(-)16.3
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	4.38	4.34	(-)0.04	(-)0.9
आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति*	2.89	2.19	(-)0.7	(-)24.2
कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर)	289.73	282.45	(-)7.28	(-)2.5

* : आईआईएफसी (यूके) के बांडों में निवेश की लिए गए 673 मिलियन अमरीकी डॉलर शामिल नहीं हैं जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के भाग के रूप में हिसाब लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

** : आईआईएफसी (यूके) के बांडों में निवेश की लिए गए 950 मिलियन अमरीकी डॉलर और सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप समझौते के तहत भूटान से प्राप्त 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर की भूटान की मुद्रा (बीटीएन) शामिल नहीं है जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के भाग के रूप में हिसाब लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

सारणी XI.18 अधिवर्षिता देयताओं का बीमांकित मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए की गई पूर्वधारणा

पूर्वधारणाएं	ग्रॅच्युटी फंड		पेंशन फंड		एलई फंड	
	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2012	30/06/2013
1	2	3	4	5	6	7
डिस्काउंट फैक्टर	8.25%	7.65%	8.60%	7.85%	8.25%	7.65%
वेतन में वृद्धि	5%	5%	5%	5%	5%	5%
उपयोग की गई जीवन प्रत्याशा तालिका	एलआईसी (1994-96) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट	एलआईसी (1994-96) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट	एलआईसी (1994-96) अल्टिमेट	आईएएलएम (2006-08) अल्टिमेट

आईएमएफ में विशेष आहरण अधिकार और रिज़र्व स्थिति बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है, किन्तु उन्हें भारत सरकार के पास रखा जाता है और इसलिए इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में नहीं दर्शाया जाता है।

10. कर्मचारी लागत

भविष्य निधि, ग्रॅच्युटी और अधिवर्षिता निधि तथा छुट्टी नकदीकरण में शेष-राशि के बराबर बैंक का निवेश इन निधियों में किया गया है। भविष्य निधि, ग्रॅच्युटी और अधिवर्षिता निधि को बैंक में 'जमाराशियों' के रूप में रखा जाता है। छुट्टी नकदीकरण की देयता को 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत शामिल किया जाता है (सारणी XI.18)।

11. कराधान

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत आयकर, अतिकर अथवा इसकी आय, लाभ या अभिलाभ पर किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और बैंक को संपत्ति कर के भुगतान से भी रियायत मिली हुई है।

12. भारत सरकार को अंतरित अधिशेष

अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान, आस्तियों में मूल्यहास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि के लिए अंशदान तथा अन्य सभी मामलों के लिए जिन पर अधिनियम के अंतर्गत अथवा बैंक द्वारा सामान्यतः प्रावधान किया जाना है, का प्रावधान करने के पश्चात बैंक के शेष लाभ को केन्द्र सरकार को अंतरित किया जाएगा।

अनुबंध I

अप्रैल 2012 से जुलाई 2013 के दौरान गवर्नर और उप गवर्नरों द्वारा दिए गए व्याख्यानो की सूची

क्रम सं.	व्याख्यान का विषय	किसका व्याख्यान	तारीख
1	2	3	4
1.	प्रणालीगत जोखिम का आकलन - वित्तीय स्थिरता प्राप्ति की आधारशिला	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अप्रैल 03, 2012
2.	फेडाई, विदेशी मुद्रा बाजार और भारतीय रुपये के संबंध में चिंतन	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	अप्रैल 05, 2012
3.	उभरते उद्यमों की वृद्धि का सुदृढीकरण	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अप्रैल 12, 2012
4.	वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अप्रैल 22, 2012
5.	माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं में अभिशासन का सुदृढीकरण - कुछ आकस्मिक विचार	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	अप्रैल 23, 2012
6.	बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन - एक नये परिदृश्य की आवश्यकता	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 01, 2012
7.	उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय शिक्षा की चुनौतियों का पता लगाना	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 05, 2012
8.	वित्तीय समावेशन - अद्यतन स्थिति - प्रस्तुतीकरण	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 08, 2012
9.	बैंकों में आई टी और अभिशासन - कुछ विचार	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	जून 15, 2012
10.	भारत - समष्टि-आर्थिक स्थिति - आकलन एवं संभावनाएं - प्रस्तुतीकरण	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	जून 19, 2012
11.	आईसीटी आधारित वित्तीय समावेशन - नवोन्मेष द्वारा नई राह का निर्माण	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 28, 2012
12.	वित्तीय समावेशन के मुद्दे और चुनौतियां : नीतियां, साझेदारी, प्रक्रियाएं और उत्पाद	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	जून 30, 2012
13.	दिलों को छूना और मुस्कान बिखेरना	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	जुलाई 04, 2012
14.	ओटीसी डेरिवेटिव्स ट्रेड रिपोजिटरी का आरंभ किया जाना	डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर	जुलाई 09, 2012
15.	कृषि ऋण - उपलब्धियां और चुनौतियां	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	जुलाई 12, 2012
16.	छोटा अब भी सुन्दर और प्रतिस्पर्धी है - भारत में अति लघु, लघु और मझोले उद्यमों के विषय में अनुचितन	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	जुलाई 12, 2012
17.	डॉ. आई.जी.पटेल की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर दिया गया भाषण	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	जुलाई 16, 2012
18.	भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य में सांख्यिकी और सांख्यिकीय विश्लेषण	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	जुलाई 17, 2012
19.	भारतीय भुगतान और निपटान प्रणालियां- उत्तरदायित्वपूर्ण नवोन्मेष और विनियमन	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	अगस्त 03, 2012
20.	वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पदार्पण - एक अलग सोच	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अगस्त 07, 2012
21.	कारपोरेट ऋण पुनर्गठन - मुद्दे और भावी कदम	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अगस्त 11, 2012
22.	विश्व अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल : भारतीय परिदृश्य	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	अगस्त 18, 2012
23.	जोखिम और गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	अगस्त 23, 2012
24.	वैश्विक विश्व में भारत : कुछ नीतिगत समस्याएं - प्रस्तुतीकरण	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	अगस्त 28, 2012
25.	अंतरराष्ट्रीय और भारतीय परिप्रेक्ष्य में बासेल- III: दस प्रश्न जिनका उत्तर हमें जानना चाहिए	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	सितंबर 04, 2012
26.	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण दिए जाने संबंधी संशोधित दिशानिर्देश : औचित्य और तर्क	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	सितंबर 04, 2012
27.	भारत में मोबाइल बैंकिंग को ग्राहकोनुकूल बनाना : मुद्दे और चुनौतियां	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	सितंबर 05, 2012
28.	वित्तीय स्थिरता : 2007 से 2012 - पांच वर्ष	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	सितंबर 06, 2012
29.	भारतीय अर्थव्यवस्था : दूसरी पीढ़ी के सुधारों की अनिवार्यता	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	सितंबर 14, 2012
30.	ऋण बाजार के विकास में राज्य की भूमिका	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	सितंबर 18, 2012
31.	खाद्य मुद्रास्फीति और कृषि आपूर्ति शृंखला प्रबंधन	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	सितंबर 22, 2012

वार्षिक रिपोर्ट

क्रम सं.	व्याख्यान का विषय	किसका व्याख्यान	तारीख
1	2	3	4
32.	समावेशी वृद्धि हासिल करना : नए युग की चुनौती	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	सितंबर 27, 2012
33.	भारतीय अर्थव्यवस्था में आशा की किरण	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	अक्तूबर 06, 2012
34.	वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एसएमईज की क्षमताएं बढ़ाना	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अक्तूबर 08, 2012
35.	यूएस फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष श्री बेन बर्नान्के के भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में स्वागत के अवसर पर दिया गया भाषण	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	अक्तूबर 10, 2012
36.	कारपोरेट ऋण बाजार : विकास, मुद्दे और चुनौतियां	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	अक्तूबर 12, 2012
37.	सामाजिक बैंकिंग और वित्त - समावेशन में अवसर	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अक्तूबर 15, 2012
38.	उभरते बाजारों की क्षमता को मापना- क्या सुदृढ़ वित्तीय स्थिरता से वृद्धि हासिल की जा सकती है	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	अक्तूबर 15, 2012
39.	मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन - बैंकों तथा कारपोरेट के लिए नई चुनौतियां	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	अक्तूबर 16, 2012
40.	वित्तीय विनियमन संबंधी सुधार : आवश्यकता से कम या अधिक तो नहीं है?	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	अक्तूबर 25, 2012
41.	वित्तीय समावेशन - आकलन और विश्लेषण संबंधी मुद्दे	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	नवंबर 05, 2012
42.	सहकारिता के लाभ का उपयोग	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	नवंबर 16, 2012
43.	सहकारिता के विविध आयाम	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	नवंबर 17, 2012
44.	जी - 20 और भारत	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	नवंबर 20, 2012
45.	बहुत तेज संवृद्धि को बढ़ावा देना : बैंकिंग क्षेत्र और वस्तु क्षेत्र के बीच संबंध	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	नवंबर 21, 2012
46.	वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली : हाल की प्रवृत्तियां, वर्तमान चुनौतियां, तथा उभरते मुद्दे	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	नवंबर 25, 2012
47.	भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संक्रांति पथ : हाथी को बाघ में रूपांतरित करने के छः उपाय	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	दिसंबर 07, 2012
48.	बैंकिंग जगत के समसामयिक मुद्दे : एक बैंक अर्थशास्त्री के विचारों के संबंध में अनुचिंतन	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	दिसंबर 30, 2012
49.	पंद्रहवें सी.डी.देशमुख स्मारक व्याख्यान के अवसर पर दिया गया स्वागत भाषण	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	जनवरी 03, 2013
50.	छाया बैंकिंग का विनियमन - समस्याएं तथा चुनौतियां	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	जनवरी 07, 2013
51.	सरकारी बांडों में खुदरा निवेशकों की सहभागिता को प्रोत्साहन देना	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	जनवरी 09, 2013
52.	गणित का जादुई संसार - आकर्षण, चुनौतियां एवं रोजगार की संभावनाएं	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जनवरी 18, 2013
53.	प्रथम प्रो.तेंदुलकर स्मारक व्याख्यान के अवसर पर स्वागत भाषण	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	जनवरी 19, 2013
54.	प्रथम प्रो.तेंदुलकर स्मारक व्याख्यान के अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जनवरी 19, 2013
55.	भारत के शहरी गरीबों का वित्तीय समावेशन	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जनवरी 28, 2013
56.	वित्तीय क्षमता निर्माण विषय पर ओईसीडी -विश्व बैंक क्षेत्रीय प्रसार सम्मेलन के अवसर पर प्रारंभिक वक्तव्य	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जनवरी 30, 2013
57.	सरकारी प्रतिभूति तथा ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार का विनियमन : हाल की गतिविधियां एवं उभरते मुद्दे	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	फरवरी 02, 2013
58.	वित्तीय साक्षरता क्या है, क्यों चाहिए, किसके लिए और कैसे?	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	फरवरी 04, 2013
59.	समाज के एक मूलभूत अधिकार के रूप में बैंकिंग	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	फरवरी 09, 2013

अप्रैल 2012 से जुलाई 2013 के दौरान गवर्नर और उप गवर्नरों द्वारा दिए गए व्याख्यानो की सूची

क्रम सं.	व्याख्यान का विषय	किसका व्याख्यान	तारीख
1	2	3	4
60.	वित्तीय बाजार संरचना और खुदरा भुगतान प्रणाली में नवोन्मेष संबंधी मूल सिद्धांत : कुछ परिदृश्य	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	फरवरी 14, 2013
61.	भारतीय बैंकिंग क्षेत्र : सीमाओं से बाहर तक पहुँचना	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	फरवरी 14, 2013
62.	वित्तीय शिक्षा विषय पर भारत-ओईसीडी-विश्व बैंक क्षेत्रीय सम्मेलन	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	मार्च 04, 2013
63.	वित्तीय शिक्षा विषय पर भारत-ओईसीडी-विश्व बैंक क्षेत्रीय सम्मेलन	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	मार्च 04, 2013
64.	संकटोत्तर विश्व में विनियमन तथा पर्यवेक्षण के प्रति दृष्टिकोण	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	मार्च 06, 2013
65.	वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय समावेशन - भारतीय पद्धति	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	मार्च 06, 2013
66.	क्या मुद्रास्फीति के लिए कुछ नव-सामान्य है?	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	मार्च 08, 2013
67.	भारत की समष्टि-आर्थिक चुनौतियाँ - रिजर्व बैंक के कुछ परिप्रेक्ष्य	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	मार्च 13, 2013
68.	बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं में अभिशासन	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर	मार्च 19, 2013
69.	वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	मार्च 22, 2013
70.	छात्रजीवन से व्यावसायिक जीवन में संक्रमण : कुछ विचार	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	मार्च 24, 2013
71.	आईएमएफ की निगरानी का सुदृढ़ीकरण : चर्चा के मुद्दे	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	अप्रैल 16, 2013
72.	मैक्रो नीति II पर पुनर्विचार : पूंजी खाता प्रबंधन	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	अप्रैल 17, 2013
73.	पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता: प्रमुख मुद्दे तथा चिंताएं	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अप्रैल 23, 2013
74.	वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण के लिए विनियमन : वर्तमान स्थिति तथा भावी दिशा	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	अप्रैल 29, 2013
75.	भारतीय वित्तीय बाजार : भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देना	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	मई 04, 2013
76.	जोरिखम आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से बैंकिंग पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाना : नींव रखना	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	मई 13, 2013
77.	वैश्विक वित्तीय संकट और भारतीय वित्तीय क्षेत्र : हमने क्या सीखा और हमने किस प्रकार उसका सामना किया?	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	जून 5, 2013
78.	वित्तीय समावेशन के माध्यम से विकास की गति में तेजी से बढ़ोत्तरी करना	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जून 6, 2013
79.	केंद्रीय बैंक की चुनौतियाँ और चिंताएं : वाणिज्य बैंकों के लिए अवसर तथा उनकी भूमिका	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	जून 10, 2013
82.	क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनियाँ: नई सीमाएं तलाशना- उद्घाटन भाषण	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जुलाई 5, 2013
83.	रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नई की स्वर्ण जयंती - स्पष्ट कथन	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	जुलाई 8, 2013
84.	बैंकों में अनुपालन का कार्य : बुनियादी बातें - उद्घाटन भाषण	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जुलाई 12, 2013
85.	उभरती अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकिंग - उभरती चुनौतियाँ	डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर	जुलाई 17, 2013
86.	शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तीयन की रणनीति: प्रवृत्तियाँ तथा चुनौतियाँ - उद्घाटन भाषण	श्री हारुन आर.खान, उप गवर्नर	जुलाई 18, 2013
87.	बैंकिंग क्षेत्र में घोटाले : कारण, चिंताएं तथा उपाय	डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर	जुलाई 26, 2013

अनुबंध II

जुलाई 2012 से जून 2013 के दौरान विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारतीय रिज़र्व बैंक में आगमन

क्रम सं.	बैठक की तारीख	विदेशी प्रतिनिधि / प्रतिनिधि मंडल	भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक अधिकारी जो उनसे मिले
1	2	3	4
1.	29 अगस्त 2012	श्री अब्दुल्ला जिहाद, मिनिस्टर ऑफ़ फाइनेंस ऐंड ट्रेजरी, गवर्नमेंट ऑफ़ मालदीव	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर एवं श्री एच.आर.खान, उप गवर्नर
2.	4 सितंबर 2012	श्री ल्यूक ब्रोनिन, डेप्युटी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर टेरिस्ट्रि फाइनेंसिंग ऐंड फाइनेंसियल क्राइम्स, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेजरी	श्री के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर एवं श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर, श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
3.	27 सितंबर 2012	श्री धर्मन षण्मुखरत्नम, उप प्रधानमंत्री, सिंगापुर	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर
4.	10 अक्टूबर 2012	श्री बेन एस.बर्नार्के, फेडरल रिज़र्व सिस्टम के गवर्नर बोर्ड के अध्यक्ष एवं श्री टिमोथी एफ. गिथनर, सेक्रेटरी ऑफ़ दि ट्रेजरी, यूएस, डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रेजरी	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर सभी उप गवर्नर तथा कार्यपालक निदेशक
5.	10 अक्टूबर 2012	श्री अल्डरमैन डेविड वूटन, लॉर्ड मेयर ऑफ़ लंदन	श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर
6.	16 अक्टूबर 2012	सुश्री ऐनी ली लॉरियर, बैंक दि फ्रान्स की पहली उप गवर्नर	श्री के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, डॉ.एस.वी.गोकर्ण, उप गवर्नर एवं श्री एच.आर.खान, उप गवर्नर
7.	18 अक्टूबर 2012	चीन के प्रतिनिधि	डॉ.एस.वी.गोकर्ण, उप गवर्नर
8.	22 अक्टूबर 2012	श्री वेन वाउटर्स, क्लर्क ऑफ़ दि प्रिवी कौंसिल ऐंड सेक्रेटरी टु दि कैबिनेट ऑफ़ दि गवर्नमेंट ऑफ़ कनाडा	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर
9.	27 नवंबर 2012	श्री जेरोम पॉवेल, गवर्नर, फेडरल रिज़र्व सिस्टम	डॉ.एस.वी.गोकर्ण, उप गवर्नर, तथा श्री दीपक मोहंती, श्री आर.गांधी, श्री जी.पद्मनाभन एवं श्री जी गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक
10.	30 नवंबर 2012	सुश्री मेरियाने म्राकोविक, दि ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरीज चीफ़ ऐडवाइजर ऑन इंटरनेशनल इश्यूज़, रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया	श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
11.	3 जनवरी 2013	प्रो.जोसेफ़ स्ट्रिगलित्ज़, कोलंबिया यूनिवर्सिटी	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर
12.	16 जनवरी 2013	श्रीमती ऐनी इपाउलार्ड, जॉइंट सेक्रेटरी डाइरेक्टरेट जनरल फ्रेंच ट्रेजरी	श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
13.	24 जनवरी 2013	सुश्री क्लेयर टाइट-इरविन, ब्रिटिश उच्च आयोग, दिल्ली के अर्थशास्त्र एवं व्यापार नीति की प्रथम सचिव	श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
14.	11 फरवरी 2013	हिज़ एक्सेलेसी गवर्नर भीनिक, बैंक ऑफ़ मॉरिशस	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर
15.	13 फरवरी 2013	श्री ताकेशी यागी, अबेसडर, एम्बैसी ऑफ़ जापान, नई दिल्ली *	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर एवं श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
16.	15 फरवरी 2013	सुश्री तेरेसिता शैफर, अबेसडर, यूएस	श्री एच.आर.खान, उप गवर्नर
17.	21 फरवरी 2013	श्री ओनो रूल, कंट्री डाइरेक्टर, विश्व बैंक	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर
18.	21 फरवरी 2013	प्रोफेसर मारेक बेल्का, पोलैंड नेशनल बैंक के अध्यक्ष	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर एवं डॉ. ऊर्जित आर.पटेल, उप गवर्नर
19.	18 मार्च 2013	श्री माइकेल स्टीनर, फेडरल रिपब्लिक जर्मनी के भारत स्थित अबेसडर, नई दिल्ली में *	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर एवं श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
20.	3 अप्रैल 2013	श्री साइमन केनेडी, कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के डेप्युटी मिनिस्टर	डॉ. ऊर्जित आर.पटेल, उप गवर्नर एवं श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
21.	3 अप्रैल 2013	श्री जोआव क्रेविनो, यूरोपियन यूनियन अबेसडर टु इंडिया, नई दिल्ली *	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर एवं श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
22.	12 अप्रैल 2013	श्री इविंड एस.होम, अबेसडर ऑफ़ नॉर्वे टु इंडिया, नई दिल्ली *	डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर
23.	17 मई 2013	श्री माइलोस्लाव स्तासेक, अबेसडर ऑफ़ दि चेकोस्लोवाकिया रिपब्लिक टु इंडिया, नई दिल्ली *	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर, श्री जी.गोपालकृष्ण एवं श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक
24.	29 मई 2013	श्री रोस्तम घसेमी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ इरान के पेट्रोलियम मंत्री	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर, श्री एच.आर.खान, उप गवर्नर, श्री बी.महापात्र, कार्यपालक निदेशक
25.	13 जून 2013	श्री पैट्रिक सकलिंग, ऑस्ट्रेलियन हार्ड कमिश्नर	डॉ.डी.सुब्बाराव, गवर्नर एवं श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक

*भारत में स्थित अबेसडर एवं कॉन्सल

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टिआर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2000-01 से 2009-10 (10 वर्ष)	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था						
I.1 समग्र वास्तविक सकल देशी उत्पाद (प्रतिशत परिवर्तन)	7.3	8.7	8.6	9.3	6.2	5.0(PE)
क) कृषि (% परिवर्तन)	2.5	4.9	0.8	7.9	3.6	1.9
ख) उद्योग (% परिवर्तन)	7.3	8.8	10.2	8.7	2.7	1.2
जिसमें से: विनिर्माण (% परिवर्तन)	8.0	9.7	11.3	9.7	2.7	1.0
ग) सेवाएं (% परिवर्तन)	8.8	9.8	10.0	9.8	7.9	6.8
मांग पक्ष के समुच्चय						
घ) अंतिम उपभोग व्यय (% परिवर्तन)	6.3	7.2	8.4	8.1	8.1	3.9
जिसमें से: पीएफसीई (% परिवर्तन)	6.4	7.5	7.4	8.6	8.0	4.0
जीएफसीई (% परिवर्तन)	5.7	5.8	13.9	5.9	8.6	3.9
ङ) सकल अचल पूंजी निर्माण (% परिवर्तन)	10.5	16.2	7.7	14.0	4.4	1.7
I.2 सकल देशी उत्पाद में हिस्सा						
क) कृषि (%)	18.7	18.4	14.6	14.5	14.1	13.7
ख) उद्योग (%)	20.4	20.3	20.4	20.3	19.6	18.9
ग) सेवाएं (%)	60.9	61.3	64.9	65.2	66.3	67.4
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	210.5	213.6	218.1	244.5	259.3	255.4
जिसमें से: चावल	89.2	90.7	89.1	96.0	105.3	104.4
गेहूँ	73.4	72.9	80.8	86.9	94.9	92.5
दालें	13.5	14.1	14.7	18.2	17.1	18.5
I.4 वाणिज्यिक फसलें (मिलियन टन) \$	343.4	347.9	353.0	418.5	437.4	415.3
जिसमें से: तिलहन	23.8	26.3	24.9	32.5	29.8	31.0
गन्ना	291.4	291.2	292.3	342.4	361.0	339.0
I.5 खाद्य स्टॉक (मिलियन टन)						
क) खरीद	42.0	38.4	58.0	56.8	66.4	71.7
ख) उठाव	39.5	41.5	48.9	52.9	56.3	62.8
ग) स्टॉक, मार्च के अंत में	30.1	18.6	43.4	44.4	53.4	59.8
I.6 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (% परिवर्तन)	7.4	12.3	5.3	8.2	2.9	1.1
सेक्टरवार						
क) खनन	4.3	4.0	7.9	5.2	-2.0	-2.3
ख) विनिर्माण	8.0	14.6	4.8	8.9	3.0	1.3
ग) बिजली	4.8	6.3	6.1	5.5	8.2	4.0
उपयोग आधारित						
घ) आधारभूत वस्तुएं	5.6	8.0	4.7	6.0	5.5	2.5
ड.) पूंजीगत वस्तुएं	13.3	30.0	1.0	14.8	-4.0	-6.0
च) मध्यवर्ती वस्तुएं	6.2	8.5	6.0	7.4	-0.6	1.6
छ) उपभोक्ता वस्तुएं	8.2	14.8	7.7	8.5	4.4	2.4
I.7 मूल ढांचागत उद्योग (% परिवर्तन)	5.5	5.8	6.6	6.6	5.1	3.6
I.8 सकल देशी बचत दर (जीडीपी का %)	30.7	33.3	33.7	34.0	30.8	-
जिसमें से: परिवारिक	23.2	23.2	25.2	23.5	22.3	-
निजी कंपनी	6.3	7.2	8.4	7.9	7.2	-
सार्वजनिक	1.2	2.9	0.2	2.6	1.3	-
I.9 सकल देशी निवेश दर (जीडीपी का %)	31.2	33.6	36.5	36.8	35.0	-
II. मूल्य						
II.1 शोक मूल्य सूचकांक वार्षिक औसत (% परिवर्तन)						
सभी पण्य	5.4	5.5	3.8	9.6	8.9	7.4
सभी पण्य-पॉइंट-टू-पॉइंट (वर्ष के अंत में)	-	-	10.4	9.7	7.7	5.7
प्राथमिक वस्तुएं	6.4	6.0	12.7	17.7	9.8	9.8
जिसमें से:						
खाद्य वस्तुएं	5.8	5.2	15.3	15.6	7.3	9.9
खाद्येतर वस्तुएं	6.1	5.5	5.5	22.3	9.6	10.5
ईंधन तथा बिजली	8.9	7.3	-2.1	12.3	14.0	10.3
विनिर्मित उत्पाद	4.1	5.0	2.2	5.7	7.3	5.4
जिसमें से:						
खाद्य उत्पाद	4.7	4.8	13.5	3.7	7.1	8.1
खाद्येतर उत्पाद	4.0	5.0	0.2	6.1	7.3	4.9

परिशिष्ट सारणी 1 : समष्टिआर्थिक और वित्तीय संकेतक (जारी)

मद	औसत 2000-01 से 2009-10 (10 वर्ष)	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
II.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (औसत % परिवर्तन)						
क) सीपीआई औद्योगिक श्रमिक जिसमें से : सीपीआई -औद्योगिक श्रमिक खाद्यान्न	5.9 6.2	5.0 5.5	12.4 15.2	10.4 9.9	8.4 6.3	10.4 11.9
ख) सीपीआई-कृषि श्रमिक	5.4	5.1	13.9	10.0	8.2	10.0
II.3 नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (औसत % परिवर्तन)						
ग्रामीण						10.1
शहरी						10.4
संयुक्त						10.2
III. मुद्रा और ऋण						
III.1 आरक्षित मुद्रा (एम0) (% परिवर्तन)	15.4	20.4	17.0	19.1	3.6	6.2
समायोजित आरक्षित मुद्रा (% परिवर्तन)	-	-	13.0	18.2	9.5	9.5
क) संचलन में मुद्रा (% परिवर्तन)	15.1	15.9	15.7	18.8	12.4	11.6
ख) आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियां (% परिवर्तन)	17.9	33.1	21.0	20.2	-15.9	-10.0
III.2 संकीर्ण मुद्रा (एम1) (% परिवर्तन)	16.0	19.6	18.2	10.0	6.0	9.1
III.3 व्यापक मुद्रा (एम3) (% परिवर्तन)	17.5	18.6	16.9	16.1	13.2	13.8
क) जनता के पास मुद्रा (% परिवर्तन)	15.1	15.9	15.3	18.8	12.2	11.9
ख) वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (जीडीपी का %)	42.9	44.4	53.9	54.3	55.2	56.5
ग) सरकार को बैंक ऋण (जीडीपी का %)	23.1	21.5	25.8	25.4	26.4	27.0
घ) मुद्रा-जमा अनुपात (%)	17.8	17.8	15.9	16.3	16.1	15.8
ड) मुद्रा गुणक	4.6	4.6	4.8	4.7	5.2	5.5
III.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक						
क) कुल जमा राशियां (% परिवर्तन)	18.1	19.0	17.2	15.9	13.5	14.2
ख) सावधि जमा राशियां (% परिवर्तन)	18.5	18.5	16.2	18.7	15.7	15.2
ग) मांग जमा राशियां (% परिवर्तन)	16.4	21.9	23.4	-0.6	-2.6	5.9
घ) बैंक ऋण (% परिवर्तन)	21.8	25.5	16.9	21.5	17.0	14.1
ड) खाद्येतर ऋण (% परिवर्तन)	22.4	26.7	17.1	21.3	16.8	14.0
च) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (% परिवर्तन)	17.7	13.3	19.3	8.6	15.9	15.5
छ) ऋण-जमा अनुपात (%)	64.8	68.0	72.2	75.7	78.0	77.9
ज) ऋण-जीडीपी अनुपात (%)	37.7	39.5	50.1	50.6	51.4	52.5
IV. वित्तीय बाजार						
IV.1 ब्याज दर (%)						
क) मांग/सूचना मुद्रा दर	6.1	5.6	3.2	5.8	8.2	8.1
ख) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.5	7.0	7.2	7.9	8.4	8.2
ग) 91 दिवसीय खजाना बिल पर प्रतिफल	6.1	5.8	3.6	6.2	8.4	8.2
घ) केन्द्र सरकार की उधारियों पर भारत औसत ब्याज दर	7.8	7.2	7.2	7.9	8.5	8.4
ड.) वाणिज्यिक पत्र	8.2	7.7	5.1	8.6	9.8	9.2
IV.2 चलनिधि (₹ बिलियन)						
क) बकाया एलएफ ^	-	-	9.9	-1060.1	-1691.6	-1236.4
ख) बकाया एमएसएस ~	-	-	27.4	0.0	0.0	0.0
ग) औसत दैनिक मांग मुद्रा बाजार कारोबार	-	184.9	159.2	177.3	267.0	323.6
घ) सरकारी प्रतिभूति बाजार में औसत दैनिक कारोबार ^^	-	77.1	139.4	142.4	171.3	325.1
V. सरकारी वित्त						
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %) #						
क) कुल राजस्व प्राप्तियां	9.4	9.8	8.8	10.1	8.4	8.7
i) कर राजस्व	7.1	7.6	7.0	7.3	7.0	7.4
ii) करेतर राजस्व	2.3	2.3	1.8	2.8	1.4	1.3
ख) कुल व्यय	15.2	14.7	15.8	15.4	14.5	14.3
i) राजस्व व्यय	12.8	12.1	14.1	13.4	12.8	12.6
जिसमें से : ब्याज भुगतान	3.9	3.8	3.3	3.0	3.0	3.2
ii) पूंजीगत व्यय	2.4	2.6	1.7	2.0	1.8	1.7
ग) राजस्व घाटा	3.3	2.3	5.2	3.2	4.4	3.9
घ) राजकोषीय घाटा	4.8	3.6	6.5	4.8	5.7	5.2
ड.) प्राथमिक घाटा	0.8	-0.2	3.2	1.8	2.7	2.0
च) देशी ऋण	56.1	57.8	52.4	48.5	48.3	48.6
V.2 राज्य वित्त #						
क) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)*	1.0	0.4	0.5	0.0	-0.3	-0.2
ख) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)*	3.1	2.7	2.9	2.1	1.9	2.3
ग) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)*	0.7	0.3	1.2	0.5	0.3	0.8
घ) बकाया देयताएं (जीडीपी का %)*	28.9	29.9	25.5	23.5	22.3	22.0

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1 : समष्टिआर्थिक और वित्तीय संकेतक (समाप्त)

मद	औसत 2000-01 से 2009-10 (10 वर्ष)	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
VI. बाह्य क्षेत्र						
VI.1 भुगतान संतुलन						
क) वणिक माल का निर्यात (% परिवर्तन) Δ	17.7	25.3	-3.5	40.4	20.9	-1.0
तेल निर्यात (% परिवर्तन)Δ	505.4	62.6	2.3	47.1	35.1	7.6
तेल से इतर निर्यात (% परिवर्तन) Δ	15.6	21.9	-4.6	39.3	19.2	-3.9
ख) वणिक माल आयात (% परिवर्तन) Δ	19.5	32.3	-2.6	27.6	30.3	0.5
तेल आयात (% परिवर्तन) Δ	22.9	35.7	-7.0	21.6	46.2	9.3
तेल से इतर आयात (% परिवर्तन) Δ	19.4	31.6	-4.2	31.1	26.7	-3.6
ग) व्यापार शेष/ जीडीपी (%)	-5.2	-5.4	-8.7	-7.4	-10.1	-10.6
घ) अदृश्य शेष/ जीडीपी (%)	4.7	5.1	5.9	4.6	6.0	5.8
ङ) चालू खाता शेष/ जीडीपी (%)	-0.5	-0.3	-2.8	-2.8	-4.2	-4.8
च) निवल पूंजी प्रवाह/ जीडीपी (%)	3.3	4.6	3.8	3.7	3.6	4.8
छ) चालू खाता शेष (बिलियन अमरीकी डॉलर)	-8.3	-4.7	-38.4	-48.1	-78.2	-88.2
निवल अदृश्य मद	44.2	45.8	80.0	79.3	111.6	107.5
जिसमें से : सेवाएं	21.6	23.4	36.2	44.1	64.1	64.9
निजी अंतरण	27.9	27.6	51.8	53.1	63.5	64.3
निवेश आय	-5.0	-4.9	-7.2	-17.1	-16.5	-22.4
ज) निवल पूंजी प्रवाह (बिलियन अमरीकी डॉलर)	31.0	44.4	51.6	63.7	67.8	89.3
जिसमें से : भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	16.7	15.3	33.1	29.0	33.0	27.0
एफआईआई	7.1	10.6	29.0	29.4	16.8	27.6
अनिवासी भारतीय जमाराशियां	2.5	2.0	2.9	3.2	11.9	14.8
इ) रिजर्व में परिवर्तन (भुगतान संतुलन आधार पर) (बिलियन अमरीकी डॉलर) [वृद्धि(-) /कमी (+)]	-22.9	-40.3	-13.4	-13.1	12.8	-3.8
VI.2 बाह्य ऋण संकेतक						
क) विदेशी ऋण स्टॉक (बिलियन अमरीकी डॉलर)**	157.3	156.5	260.9	305.9	345.5	390.0
ख) ऋण-जीडीपी अनुपात (%)	19.1	17.7	18.2	17.5	19.7	21.2
ग) रिजर्व द्वारा आयात कवर (महीनों में) **	12.5	14.0	11.1	9.5	7.1	7.0
घ) कुल ऋण में अल्पवधि ऋण (%)	11.8	13.6	20.1	21.2	22.6	24.8
ङ) ऋण चुकोती अनुपात (%)	9.8	8.3	5.8	4.4	6.0	5.9
च) ऋण को तुलना में रिजर्व (%) **	95.7	113.7	106.9	99.7	85.2	74.9
VI.3 खुलेपन के संकेतक (%)						
क) वस्तुओं का निर्यात + आयात/सकल देशी उत्पाद	29.2	34.2	35.4	37.4	43.2	43.9
ख) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात + आयात/जीडीपी	38.8	45.3	46.8	49.4	55.0	56.2
ग) चालू प्राप्तियां + चालू भुगतान/जीडीपी	44.7	46.4	53.5	55.0	60.7	62.4
घ) सकल पूंजी अंतर्वाह + बहिर्वाह/जीडीपी	33.4	36.7	46.9	55.2	47.5	46.4
ङ) चालू प्राप्तियां और भुगतान + पूंजी प्राप्तियां और भुगतान/ जीडीपी	78.1	83.1	100.3	110.2	108.2	108.8
VI.4 विनिमय दर संकेतक						
क) विनिमय दर (रुपया/अमरीकी डॉलर)						
अवधि की समाप्ति	45.4	43.1	45.1	44.6	51.2	54.4
औसत	45.6	44.1	47.4	45.6	47.9	54.4
ख) 36- मुद्रा रीर (प्रतिशत परिवर्तन)	0.4	1.0	-2.5	8.6	-2.5	-6.7
ग) 36- मुद्रा नीर (प्रतिशत परिवर्तन)	-0.3	0.5	-2.6	2.9	-6.6	-10.4
घ) 6-मुद्रा रीर (प्रतिशत परिवर्तन)	1.5	2.5	-0.3	12.7	-3.0	-5.8
ङ) 6-मुद्रा नीर (प्रतिशत परिवर्तन)	-1.4	0.4	-3.7	5.5	-8.1	-10.4

अ.अ. : अनंतिम अनुमान सं.अ. : संशोधित अनुमान

\$: इसमें तिलहन, गन्ना, कपास(लिट) और कच्चा जूट और मेस्ता शामिल है।

- : उपलब्ध नहीं / लागू नहीं

^ : 31 मार्च को निवल एलएएफ बकाया (ऋणात्मक अंतर्वेशन) को दर्शाता है।

^^ : केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में दैनिक एकमुश्त कारोबार की मात्रा का औसत (कलैण्डर दिनों के आधार पर)।

: 2012-13 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।

* : 2011-12 और 2012-13 के आंकड़े 27 राज्यों के हैं।

Δ : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों पर आधारित।

** : मार्च के अंत में

~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार को बकाया।

टिप्पणी: 1. पीएफसीई: निजी अंतिम उपभोग व्यय; जीएफसीई: सरकारी अंतिम उपभोग व्यय; रीर : वास्तविक प्रभावी विनिमय दर।

2. 2012-13 के कृषि उत्पादन के आंकड़े तीसरे अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं।

3. मद क्रमांक I.6 और I.7 के चौथे स्तंभ की औसत वृद्धि दर की गणना नए आधार वर्ष (2004-05) के आधार पर की गई है। तीन वर्ष अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08 की औसत वृद्धि दर इस स्तंभ में दर्शाई गई है।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रवार संरचना
(2004-05 की मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर						वास्तविक जीडीपी में हिस्सा				
	औसत 2008-09 से 2012-13	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13#	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	2.9	0.1	0.8	7.9	3.6	1.9	15.8	14.6	14.5	14.1	13.7
जिसमें से :											
कृषि	2.9	-0.3	0.4	8.8	3.9	1.7	13.4	12.4	12.3	12.0	11.6
2. उद्योग	5.4	4.1	10.2	8.7	2.7	1.2	20.1	20.4	20.3	19.6	18.9
जिसमें से :											
क) खनन और उत्खनन	2.3	2.1	5.9	4.9	-0.6	-0.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0
ख) विनिर्माण	5.8	4.3	11.3	9.7	2.7	1.0	15.8	16.2	16.2	15.7	15.1
ग) बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति	5.3	4.6	6.2	5.2	6.5	4.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9
3. सेवाएं	8.8	9.4	10.0	9.8	7.9	6.8	64.1	64.9	65.2	66.3	67.4
जिसमें से :											
क) विनिर्माण	6.4	5.3	6.7	10.2	5.6	4.3	8.0	7.8	7.9	7.9	7.8
ख) व्यापार, होटल और रेस्तराँ	8.1	5.7	7.9	11.5	6.2	9.1	16.6	16.5	16.9	16.9	17.5
ग) परिवहन, भंडारण और संचार	9.9	10.8	14.8	13.8	8.4	1.9	9.4	10.0	10.4	10.6	10.3
घ) वित्तीय सहायता, बीमा और स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	10.4	12.0	9.7	10.1	11.7	8.6	16.9	17.1	17.2	18.1	18.7
ड) सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	8.2	12.5	11.7	4.3	6.0	6.6	13.1	13.5	12.8	12.8	13.0
4. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	7.2	6.7	8.6	9.3	6.2	5.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

ज्ञापन :

(बिलियन ₹)

क्षेत्र	(चालू बाजार मूल्यों पर)				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	9,432.0	10,835.1	13,069.4	14,657.5	16,448.3
2. उद्योग	10,492.2	11,953.4	14,078.5	15,479.8	16,691.1
3. सेवाएं	33,111.4	38,300.5	45,521.8	53,397.6	61,470.6
4. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	53,035.7	61,089.0	72,669.7	83,534.9	94,610.1
क्षेत्र	(स्थिर मूल्यों पर)				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	6,556.9	6,609.9	7,134.8	7,394.9	7,536.1
2. उद्योग	8,374.1	9,224.8	10,031.9	10,300.9	10,421.9
3. सेवाएं	26,655.8	29,326.0	32,203.4	34,740.0	37,096.4
4. कारक लागत पर सकल देशी उत्पाद	41,586.8	45,160.7	49,370.1	52,435.8	55,054.4

* : पहला संशोधित अनुमान # : अंतिम अनुमान

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट सारणी 3: सकल देशी बचत और निवेश

मद	चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी का प्रतिशत				राशि ₹ बिलियन में		
	औसत 2003-04 से 2007-08	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11 एसआरई	2011-12*
1	2	3	4	5	6	7	8
1. पारिवारिक बचत (निवल) (क+ख)	23.2	25.2	23.5	22.3	16,308	18,329	20,037
क) वित्तीय आस्तियां	11.2	12.0	10.4	8.0	7,748	8,083	7,195
ख) भौतिक आस्तियां	12.0	13.2	13.1	14.3	8,560	10,246	12,842
2. निजी कंपनी क्षेत्र	7.2	8.4	7.9	7.2	5,409	6,194	6,445
3. सरकारी क्षेत्र	2.9	0.2	2.6	1.3	106	1997	1,171
4. सकल देशी बचत	33.3	33.7	34.0	30.8	21,823	26,519	27,653
5. निवल पूंजी प्रवाह	2.1	2.8	2.8	4.2	1,808	2,197	3,762
6. सकल देशी पूंजी निर्माण (7+8)	33.6	36.5	36.8	35.0	23,631	28,716	31,415
7. भूल-चूक	0.3	0.2	-0.1	-0.4	119	-108	-400
8. सकल पूंजी निर्माण	33.4	36.3	37.0	35.4	23,513	28,824	31,814
जिसमें से :							
क) सरकारी क्षेत्र	7.8	9.2	8.4	7.9	5,928	6,540	7,052
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	12.5	12.1	13.4	10.6	7,861	10,410	9,491
ग) पारिवारिक क्षेत्र	12.0	13.2	13.1	14.3	8,560	10,246	12,842
ड) मूल्यवान वस्तुएं #	1.1	1.8	2.1	2.7	1,163	1,628	2,430
ज्ञापन :							
कुल उपभोग व्यय (क+ख)	69.8	69.1	67.2	68.0	44,788	52,409	60,989
क) निजी अंतिम उपभोग व्यय	59.0	57.2	55.8	56.3	37,076	43,499	50,562
ख) सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	10.8	11.9	11.4	11.6	7,712	8,910	10,427
बचत-निवेश का शेष (4-6)	-0.3	-2.8	-2.8	-4.2	-1,808	-2,197	-3,762
सरकारी क्षेत्र का शेष #	-4.9	-9.0	-5.8	-6.6	-5,822	-4,543	-5,881
निजी क्षेत्र का शेष #	5.9	8.3	4.9	4.6	5,296	3,867	4,149
क) निजी कंपनी क्षेत्र	-5.3	-3.7	-5.5	-3.4	-2,452	-4,216	-3,046
ख) पारिवारिक क्षेत्र	11.2	12.0	10.4	8.0	7,748	8,083	7,195
बाजार मूल्यों पर जीडीपी (चालू मूल्यों पर)	100	100	100	100	64,778	77,953	89,749

एसआरई: दूसरा संशोधित अनुमान

* : पहला संशोधित अनुमान

: मूल्यवान वस्तुओं में कला की वस्तुओं और पुरातात्विक वस्तुओं को छोड़कर, ऐसी मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय शामिल है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट सारणी 4: पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचत (सकल)

मद	सकल वित्तीय बचत के प्रतिशत के रूप में			₹ बिलियन		
	2010-11 सं	2011-12 सं	2012-13 प्रा.	2010-11 सं	2011-12 सं	2012-13 प्रा.
1	2	3	4	5	6	7
अ. वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन (सकल वित्तीय बचत)	100.0	100.0	100.0	10,799	9,565	10,969
क) मुद्रा	12.7	11.4	10.2	1,371	1,089	1,121
ख) जमाराशियां	51.2	57.4	56.2	5,534	5,490	6,170
i) वाणिज्यिक बैंकों के पास	47.9	52.1	51.3	5,172	4,985	5,632
ii) गैर-बैंकिंग कंपनियों के पास	0.5	2.2	1.9	51	209	204
iii) सहकारी बैंक और समितियों के पास	2.9	3.1	3.0	311	297	333
iv) व्यापार ऋण (निवल)	0.6	0.5	0.3	68	45	32
ग) शेयर तथा डिबेंचर	0.2	-0.5	3.1	17	-45	344
जिसमें से :						
i) निजी कंपनी कारोबार	0.6	0.4	0.4	68	41	39
ii) बैंकिंग	0.1	0	0	8	1	0
iii) सरकारी उपक्रमों के बांड	0.1	0.1	0.1	8	11	15
iv) म्यूचुअल फंड (यूटीआई सहित)	-1.1	-1.1	2.5	-116	-106	274
घ) सरकार पर दावे	2.7	-2.8	-0.8	295	-272	-90
i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0	-0.2	0	3	-18	5
ii) अल्प बचत आदि में निवेश	3.3	-2.3	-0.9	361	-218	-94
ड) जीवन बीमा निधि	19.5	19.8	16.4	2,101	1,893	1,795
जिसमें से :						
i) भारतीय जीवन बीमा निगम तथा अन्य निजी बीमा कंपनियों की जीवन निधियां	19.4	19.9	16.4	2,095	1,905	1,799
च) भविष्य निधि और पेंशन निधि	13.1	14.3	14.6	1,411	1,364	1,596
आ. वित्तीय देयताओं में परिवर्तन				2,780	2,818	3,228
इ. पारिवारिक क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत				8,019	6,746	7,741

सं. : संशोधित

प्रा : प्रारंभिक अनुमान

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड़ में कुल से अंतर हो सकता है।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 6: खाद्यान्न की खरीद, उठाव और स्टॉक

(मिलियन टन)

वर्ष	खरीद			उठाव			स्टॉक *		
	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	कुल #
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1995-96	9.93	12.33	22.16	11.63	12.72	24.35	13.06	7.76	20.82
1996-97	11.88	8.16	20.04	12.31	13.32	25.63	13.17	3.24	16.41
1997-98	14.54	9.30	23.84	11.20	7.76	18.96	13.05	5.08	18.12
1998-99	11.55	12.65	24.20	11.83	8.90	20.73	12.16	9.66	21.82
1999-00	16.62	14.14	30.76	12.42	10.63	23.05	15.72	13.19	28.91
2000-01	18.93	16.36	35.29	10.42	7.79	18.21	23.19	21.50	44.98
2001-02	21.12	20.63	41.75	15.32	15.99	31.30	24.91	26.04	51.02
2002-03	19.00	19.03	38.03	24.85	24.99	49.84	17.16	15.65	32.81
2003-04	20.78	15.80	36.58	25.04	24.29	49.33	13.07	6.93	20.65
2004-05	24.04	16.80	40.83	23.20	18.27	41.47	13.34	4.07	17.97
2005-06	26.69	14.79	41.48	25.08	17.17	42.25	13.68	2.01	16.62
2006-07	26.31	9.23	35.53	25.06	11.71	36.77	13.17	4.70	17.93
2007-08	26.29	11.13	37.42	25.22	12.20	37.43	13.84	5.80	19.75
2008-09	32.84	22.69	55.53	24.62	14.88	39.50	21.60	13.43	35.58
2009-10	32.59	25.38	57.98	26.89	21.97	48.86	26.71	16.13	43.36
2010-11	31.13	25.92	56.79	29.80	23.07	52.87	28.82	15.36	44.35
2011-12	37.91	28.33	66.35	32.12	24.16	56.28	33.35	19.95	53.44
2012-13	33.53	38.15	71.67	32.63	30.14	62.78	35.47	24.21	59.79
2013-14	7.85	25.08	32.93	2.24	1.42	3.66	29.24	40.38	69.65

* : मार्च के अंत में स्टॉक ।

: मोटे अनाज और चीनी सहित ।

टिप्पणी : 2013-14 के खरीद के आंकड़े 15 जुलाई 2013 के हैं; 2013-14 के उठाव के आंकड़े अप्रैल 2013 के हैं; 2013-14 के स्टॉक के आंकड़े 31 जुलाई 2013 के हैं।

स्रोत : खाद्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार ।

परिशिष्ट सारणी 7 : औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का रुझान
(आधार : 2004-05=100)

क्षेत्र	खनन और उत्खनन		विनिर्माण		बिजली		साधारण	
भार	14.2		75.5		10.3		100.0	
अवधि	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	115.4	2.6 (11.5)	153.8	2.5 (78.9)	123.3	2.7 (9.6)	145.2	2.5 (100.0)
2009-10	124.5	7.9 (16.8)	161.3	4.8 (73.1)	130.8	6.1 (10.1)	152.9	5.3 (100.0)
2010-11	131.0	5.2 (7.3)	175.7	8.9 (86.7)	138.0	5.5 (5.9)	165.5	8.2 (100.0)
2011-12	128.5	-2.0 (-7.6)	181.0	3.0 (83.2)	149.3	8.2 (24.3)	170.3	2.9 (100.0)
2012-13 अ	125.5	-2.3 (-21.9)	183.3	1.3 (91.2)	155.2	4.0 (31.7)	172.2	1.1 (100.0)
2011-12								
अप्रैल-जून	127.6	0.7	178.2	7.7	147.9	8.3	167.9	7.0
जुलाई-सितंबर	116.0	-4.1	175.5	3.4	148.5	10.5	164.3	3.2
अक्टूबर- दिसंबर	129.4	-4.2	178.8	1.1	149.2	9.6	168.7	1.2
जनवरी-मार्च	140.9	-0.4	191.4	0.3	151.6	4.5	180.1	0.6
अप्रैल-सितंबर	121.8	-1.6	176.9	5.5	148.2	9.4	166.1	5.1
अक्टूबर-मार्च	135.1	-2.3	185.1	0.7	150.4	7.0	174.4	0.9
2012-13 अ								
अप्रैल-जून	125.6	-1.6	176.7	-0.8	157.3	6.4	167.5	-0.2
जुलाई-सितंबर	115.2	-0.7	175.9	0.2	152.7	2.8	165.0	0.4
अक्टूबर- दिसंबर	125.5	-3.0	183.3	2.5	155.7	4.4	172.2	2.1
जनवरी-मार्च	135.5	-3.8	197.2	3.1	155.1	2.3	184.1	2.2
अप्रैल-सितंबर	120.4	-1.1	176.3	-0.3	155.0	4.6	166.2	0.1
अक्टूबर-मार्च	130.5	-3.4	190.3	2.8	155.4	3.4	178.2	2.2

अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े अनुपातिक योगदान के हैं जिनका परिकलन संबंधित उद्योग समूह के भार के लिए समायोजित समग्र सूचकांक में हुए परिवर्तन की तुलना में संबंधित उद्योग समूह के सूचकांक में हुए परिवर्तन के अनुपात (प्रतिशत में) के रूप में किया गया है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट सारणी 9 : आरक्षित मुद्रा में घट-बढ़

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	31 मार्च 2013 को बकाया	घट-बढ़							
		वित्तीय वर्ष				वर्ष-दर-वर्ष			
		2011-12		2012-13		10 अगस्त 2012 तक		9 अगस्त 2013 तक	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आरक्षित मुद्रा (घ.1+घ.2+घ.3 = स्रो.1+ स्रो.2+ स्रो.3+ स्रो.4+ स्रो.5- स्रो.6)	15,148.9	495.2	3.6	885.4	6.2	913.9	6.7	1,040.7	7.1
घटक									
घ.1. संचलन में मुद्रा	11,909.8	1,175.7	12.4	1,237.5	11.6	1,252.0	12.7	1,020.1	9.2
घ.2. भा.रि.बैंक के पास बैंकों की जमाराशि <i>जिसमें से :</i>	3,206.7	-672.2	-15.9	-356.2	-10.0	-352.8	-9.3	-17.9	-0.5
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,018.9	-653.0	-16.2	-354.7	-10.5	-334.7	-9.4	-21.1	-0.7
घ.3. भा.रि.बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	32.4	-8.3	-22.7	4.2	14.8	14.7	135.6	38.4	150.0
स्रोत									
स्रो.1. सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	5,905.8	1,391.8	-	548.4	-	1,799.2	-	1,049.0	-
क) केंद्र सरकार को निवल भा.रि.बैंक ऋण (i-ii)	5,905.0	1,403.8	-	560.9	-	1,799.5	-	1,040.0	-
i) केंद्र सरकार पर दावे	6,580.2	1,587.0	-	1,051.8	-	1,799.5	-	1,039.1	-
ii) केंद्र सरकार की जमाराशियां	675.2	183.2	-	491.0	-	0.0	-	-0.9	-
ख) राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैंक ऋण (i-ii)	0.8	-12.0	-	-12.5	-	-0.3	-	9.0	-
i) राज्य सरकारों पर दावे	1.2	-15.5	-	-12.5	-	-0.3	-	9.0	-
ii) राज्य सरकारों की जमाराशियां	0.4	-3.6	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
स्रो.2. भा.रि.बैंक के वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर दावे	403.5	-3.1	-	355.1	-	66.9	-	303.8	-
<i>जिसमें से:</i>									
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	403.4	-2.7	-	355.0	-	65.6	-	303.5	-
स्रो.3. भा.रि.बैंक का वाणिज्यिक क्षेत्रों को ऋण	30.6	18.0	-	-9.0	-	33.1	-	-14.1	-
स्रो.4. भा.रि.बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	15,580.6	1,436.3	10.8	858.6	5.8	1,695.9	12.1	995.7	6.3
स्रो.5. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	153.4	7.2	5.7	19.0	14.1	16.9	13.7	16.7	11.9
स्रो.6. भा.रि.बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	6,925.0	2,354.9	63.9	886.6	14.7	2,698.0	64.7	1,310.4	19.1
स्रो.7. भा.रि.बैंक की निवल देशी आस्तियां (स्रो.1+ स्रो.2+ स्रो.3+ स्रो.5- स्रो.6)	-431.7	-941.0	-	26.8	-	-782.0	-	44.9	-

आंकड़े अनंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणी 10: मुद्रा स्टॉक में घट-बढ़

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	31 मार्च 2013 को बकाया	घट-बढ़							
		वित्तीय वर्ष				वर्ष-दर-वर्ष			
		2011-12		2012-13		27 जुलाई 2012 तक		26 जुलाई 2013 तक	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संकीर्ण मुद्रा (एम₁) [(घ.1+घ.2(क)+घ.3)]	18,949.4	981.0	6.0	1,584.9	9.1	1,581.4	10.0	1,738.0	10.0
व्यापक मुद्रा (एम₃)	83,820.2	8,607.2	13.2	10,171.9	13.8	9,516.3	14.0	9,723.5	12.5
(घ.1+घ.2+घ.3 = स्रो.1+ स्रो.2+ स्रो.3+ स्रो.4- स्रो.5)									
घटक									
घ.1. जनता के पास मुद्रा	11,447.4	1,108.1	12.2	1,220.9	11.9	1,234.6	13.2	998.1	9.4
घ.2. बैंकों की कुल जमाराशि (क+ख)	72,340.4	7,507.4	13.4	8,946.8	14.1	8,269.7	14.1	8,689.2	13.0
क) मांग जमाराशि	7,469.6	-118.8	-1.6	359.8	5.1	334.8	5.2	703.7	10.4
ख) सावधि जमाराशि	64,870.9	7,626.2	15.7	8,587.0	15.3	7,934.9	15.2	7,985.5	13.2
घ.3. भा.रि.बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	32.4	-8.3	-22.7	4.2	14.8	12.0	86.9	36.2	140.6
स्रोत									
स्रो.1. सरकार को निवल बैंक ऋण (अ+आ)	27,072.1	3,878.0	19.5	3,355.1	14.1	4,245.1	19.8	3,960.3	15.4
अ. सरकार को निवल भा.रि.बैंक ऋण (क+ख)	5,905.8	1,391.8	-	548.4	-	1,750.1	-	1,229.5	-
क. केंद्र सरकार को निवल भा.रि.बैंक ऋण	5,905.0	1,403.8	-	560.9	-	1,742.4	-	1,233.6	-
ख. राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैंक ऋण	0.8	-12.0	-	-12.5	-	7.8	-	-4.1	-
आ. सरकार को 'अन्य बैंक' से ऋण	21,166.3	2,486.1	15.7	2,806.7	15.3	2,495.0	14.1	2,730.8	13.5
स्रो.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (अ + आ)	56,646.6	7,217.7	17.0	7,062.2	14.2	7,576.6	17.5	7,269.5	14.3
अ. वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	30.6	18.0	83.0	-9.0	-22.8	29.7	164.9	-12.6	-26.4
आ. वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण	56,616.1	7,199.7	17.0	7,071.2	14.3	7,546.9	17.5	7,282.1	14.3
स्रो.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (अ+आ)	16,366.6	1,504.4	10.8	928.8	6.0	2,028.6	14.3	773.0	4.8
अ. भा.रि.बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	15,580.6	1,436.3	10.8	858.6	5.8	1,933.6	14.0	496.3	3.2
आ. 'अन्य बैंक' की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	786.0	68.1	10.5	70.1	9.8	95.0	22.9	276.8	54.4
स्रो.4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	153.4	7.2	5.7	19.0	14.1	16.9	13.7	16.7	11.9
स्रो.5. बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं (अ+आ)	16,418.5	4,000.0	35.6	1,193.2	7.8	4,351.0	40.0	2,296.1	15.1
अ. भा.रि.बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	6,925.0	2,354.9	63.9	886.6	14.7	2,917.0	71.3	980.8	14.0
आ. अन्य बैंकों की निवल मुदेतर देयताएं (अवशिष्ट)	9,493.4	1,645.1	21.8	306.6	3.3	1,433.9	21.1	1,315.3	16.0

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं ।

परिशिष्ट सारणी 11: सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

(राशि ₹ बिलियन में)

क्षेत्र	निम्नलिखित को बकाया			निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़			
	25 मार्च 2011	23 मार्च 2012	22 मार्च 2013	2011-12		2012-13	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
I सकल बैंक ऋण (II + III)	37,494.7	43,793.0	49,641.8	6,298.3	16.8	5,848.7	13.4
II खाद्यान्न ऋण	623.8	819.4	946.1	195.6	31.4	126.7	15.5
III खाद्येतर ऋण (1 से 4)	36,870.9	42,973.6	48,695.6	6,102.7	16.6	5,722.0	13.3
1 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	4,834.7	5,477.3	5,899.1	642.7	13.3	421.8	7.7
2 उद्योग (सूक्ष्म तथा छोटे, मध्यम और बड़े)	16,131.8	19,407.9	22,301.8	3,276.1	20.3	2,893.9	14.9
3 सेवाएं	8,907.8	10,188.5	11,485.8	1,280.7	14.4	1,297.4	12.7
जिसमें से :							
3.1 परिवहन परिचालक	700.3	763.9	796.3	63.7	9.1	32.4	4.2
3.2 व्यावसायिक सेवाएं	452.3	479.8	564.2	27.5	6.1	84.5	17.6
3.3 व्यापार	1,861.1	2,254.3	2,759.5	393.3	21.1	505.2	22.4
3.4 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	974.6	1,127.0	1,260.7	152.4	15.6	133.7	11.9
3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	1,841.6	2,281.2	2,569.5	439.5	23.9	288.4	12.6
4 व्यक्तिगत ऋण	6,996.6	7,899.9	9,008.9	903.3	12.9	1,109.0	14.0
जिसमें से :							
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	62.9	71.3	83.8	8.4	13.4	12.5	17.5
4.2 आवास (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवास सहित)	3,590.7	4,033.8	4,599.7	443.1	12.3	565.9	14.0
4.3 सावधि जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम (एफसीएनआर (बी), एनआरएनआर जमाराशियों आदि सहित)	495.1	570.4	610.9	75.4	15.2	40.4	7.1
4.4 क्रेडिट कार्ड का बकाया	181.0	204.4	249.1	23.4	12.9	44.8	21.9
4.5 शिक्षा	430.1	500.6	549.7	70.5	16.4	49.1	9.8
ज्ञापन:							
5 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	12,693.5	14,227.4	15,398.0	1,533.9	12.1	1,170.5	8.2
जिसमें से :							
5.1 आवास	2,408.2	2,665.2	2,672.0	257.0	10.7	6.8	0.3

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं और उन चुनिंदा बैंकों के हैं जिन्होंने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए कुल खाद्येतर ऋण का 95 प्रतिशत ऋण प्रदान किया है।
2. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में रिजर्व बैंक, एक्जिम बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं और अंतर बैंक सहभागिताओं के साथ पुनः भुनाए गए बिल शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी 12: पूंजी बाजार - प्राथमिक और द्वितीयक बाजार

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2011-12		2012-13	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाजार				
अ. विवरणिका तथा राइट निर्गम *	71	484.7	68	308.7
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	63	156.8	54	161.0
क) वित्तीय	24	113.2	12	44.5
ख) गैर-वित्तीय	39	43.6	42	116.5
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख+ग)	8	327.9	14	147.6
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1	1.3	3	1.9
ख) सरकारी कंपनियां	1	100	0	0.0
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	6	226.6	11	145.7
3. कुल (1+2, i+ii, क+ख)	71	484.7	68	308.7
<i>लिखत का स्वरूप</i>				
(i) इक्विटी	51	128.6	48	138.8
(ii) ऋण	20	356.1	20	169.8
<i>निर्गम का स्वरूप</i>				
(क) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	34	59.0	32	49.4
(ख) सूचीबद्ध	37	425.6	36	259.3
आ. यूरो निर्गम (एडीआर और जीडीआर)	22	27.1	5	10.4
इ. निजी स्थानन				
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	592	629.4	732*	1380.0*
क) वित्तीय	530	389.4	603	843.1
ख) गैर-वित्तीय	62	240.0	129	536.9
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख)	266	1,553.1	302	1,873.6
क) वित्तीय	231	1,235.1	246	1372.0
ख) गैर-वित्तीय	35	318.0	56	501.6
3. कुल (क+ख) (1+2, i+ii)	858	2,182.5	1034	3253.6
(i) इक्विटी	6	51.6	23	66.8
(ii) ऋण	852	2,130.9	1011	3186.9
ई. म्यूचुअल फंड द्वारा जुटाई गई राशि (निवल) #		-220.2		765.4
1. निजी क्षेत्र		-154.5		637.9
2. सार्वजनिक क्षेत्र		-65.8		127.5
II. द्वितीयक बाजार				
बीएसई सेन्सेक्स : अवधि के अंत में		17,404.2		18,835.8
अवधि औसत		17,422.9		18,202.1
अवधि-अर्जन अनुपात@		17.8		16.9
जीडीपी की तुलना में बाजार पूंजीकरण अनुपात (प्रतिशत)		69.2		63.7
टर्नओवर				
नकदी खंड		6,670.2		5,486.3
डेरिवेटिव खंड		8,084.8		71,635.8
एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी : अवधि के अंत में		5,295.6		5,682.6
अवधि औसत		5,242.7		5,520.3
अवधि-अर्जन अनुपात@		18.7		17.6
जीडीपी की तुलना में बाजार पूंजीकरण अनुपात (%)		67.9		62.3
टर्नओवर				
नकदी खंड		28,108.9		27,082.8
डेरिवेटिव खंड		3,13,497.3		3,15,330

* : बिक्री प्रस्ताव को छोड़कर - : शून्य/ नगण्य @ : अवधि के अंत में # : चुकौती को घटाकर

& : 2012-13 के आकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय शेयर बाजार, मुंबई शेयर बाजार और विभिन्न मर्चेन्ट बैंकर्स।

परिशिष्ट सारणी 13: भारत के डेरिवेटिव बाजार में टर्नओवर

(₹ बिलियन में)

वर्ष / माह	इक्विटी डेरिवेटिव				करेसी डेरिवेटिव			ब्याज दर डेरिवेटिव
	इंडेक्स फ्यूचर्स	इंडेक्स ऑप्शन्स	स्टॉक फ्यूचर्स	स्टॉक ऑप्शन्स	वायदा	स्वैप	एक्सचेंज में ट्रेड किये जाने वाले करेसी ऑप्शन्स और फ्यूचर्स	ब्याज दर स्वैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010-11	43,569	172,694	54,958	10,303	28,902	41,125	84,153	47,464
2011-12	37,564	233,384	40,849	9,786	24,134	46,876	98,964	51,238
2012-13	26,496	298,091	42,273	20,107	53,185	50,616	87,105	41,953
2011-12								
अप्रैल	2,823	16,460	3,532	700	2,060	3,671	7,223	3,754
मई	3,057	18,929	3,367	701	2,172	4,749	10,005	4,789
जून	2,652	17,846	3,227	658	2,400	4,956	10,390	5,368
जुलाई	2,657	18,677	3,499	817	2,470	3,936	12,433	4,375
अगस्त	3,472	22,095	3,338	733	2,588	4,062	13,655	6,488
सितंबर	3,473	20,859	3,265	764	2,309	3,741	9,779	4,534
अक्टूबर	2,687	16,217	2,813	666	1,542	3,119	5,778	3,545
नवंबर	3,314	20,294	3,066	722	1,762	3,575	6,362	2,833
दिसंबर	3,447	21,157	2,821	730	1,584	3,458	6,084	2,993
जनवरी	2,974	15,631	3,528	1,074	1,476	3,940	6,113	4,999
फरवरी	3,252	21,758	4,536	1,216	1,333	3,720	5,179	3,531
मार्च	3,756	23,461	3,856	1,005	2,438	3,948	5,963	4,027
2012-13								
अप्रैल	2,606	19,120	3,039	1,006	4,386	3,599	4,590	3,129
मई	2,869	26,414	3,030	1,129	5,033	4,249	7,928	3,612
जून	2,851	26,752	3,048	1,081	4,544	4,169	6,663	5,437
जुलाई	2,421	27,177	3,358	1,356	4,467	4,598	7,667	4,989
अगस्त	2,084	26,385	3,157	1,439	4,204	3,722	5,401	3,402
सितंबर	2,115	21,712	3,499	1,647	4,675	4,275	6,521	3,219
अक्टूबर	2,196	23,146	3,881	2,027	4,423	4,331	8,021	2,644
नवंबर	1,720	23,252	3,494	1,797	3,931	3,705	7,333	1,177
दिसंबर	1,789	27,911	3,924	1,779	4,145	3,986	7,093	1,955
जनवरी	1,938	28,851	4,960	2,995	4,695	4,996	9,461	5,458
फरवरी	1,832	20,629	3,619	1,967	3,906	4,170	8,117	2,861
मार्च	2,075	26,743	3,263	1,884	4,776	4,817	8,310	4,071
2013-14								
अप्रैल	2,159	24,926	3,715	2,442	3,243	3,678	7,428	4,131
मई	2,528	32,336	4,166	2,270	1,515	3,492	9,850	4,726
जून	2,529	31,002	3,473	1,637	1,533	3,281	12,808	5,686
जुलाई	2,637	36,733	4,354	2,475	-	-	-	-

स्रोत: भा.रि.बैंक, बीएसई, एनएसई, सीसीआईएल, यूएसई और सेबी।

परिशिष्ट सारणी 14: भारतीय रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर)

वर्ष / माह	36-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक		6- मुद्रा व्यापार आधारित भारांक	
	(आधार 2004-05=100)		(आधार 2004-05=100)	
	रीर	नीर	रीर	नीर
1	2	3	4	5
2004-05	100.0	100.0	100.0	100.0
2005-06	103.1	102.2	105.2	103.0
2006-07	101.2	97.6	104.3	98.1
2007-08	108.5	104.8	112.8	104.6
2008-09	98.1	93.3	102.3	90.4
2009-10	95.7	90.9	102.0	87.1
2010-11	103.9	93.5	114.9	91.8
2011-12(अ)	101.4	87.4	111.5	84.4
2012-13 (अ)	94.6	78.3	105.0	75.6
2011-12 (अ)				
अप्रैल	106.6	92.8	117.3	90.1
मई	105.2	91.8	116.3	89.0
जून	105.4	91.8	115.9	89.0
जुलाई	106.6	92.4	117.4	90.0
अगस्त	104.8	90.5	115.3	87.7
सितंबर	101.9	87.6	112.1	84.6
अक्तूबर	99.2	85.2	108.5	81.9
नवंबर	96.7	82.8	105.9	79.6
दिसंबर	93.9	80.6	103.3	77.6
जनवरी	97.0	83.0	106.4	79.9
फरवरी	100.9	86.1	110.6	82.8
मार्च	98.5	84.0	109.3	81.2
2012-13 (अ)				
अप्रैल	97.0	81.3	107.1	78.7
मई	93.4	78.2	103.6	75.5
जून	92.0	76.8	101.6	74.0
जुलाई	93.5	77.6	103.7	75.2
अगस्त	93.5	77.2	104.1	74.8
सितंबर	94.8	77.9	105.2	75.0
अक्तूबर	96.9	80.0	107.2	76.9
नवंबर	94.3	77.7	104.6	74.7
दिसंबर	93.8	77.5	104.3	74.6
जनवरी	95.0	78.0	105.2	75.0
फरवरी	96.0	79.0	106.5	76.0
मार्च	95.1	78.7	106.5	76.0
2013-14 (अ)				
अप्रैल	95.2	78.6	106.7	76.0
मई	94.5	78.1	105.6	75.2
जून	89.3	73.8	98.8	70.5

अ : अर्न्तम

टिप्पणी : सूचकांक के संकलन की विस्तृत पद्धति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के दिसंबर 2005 अंक में प्रकाशित लेख “ सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) सूचकांक में संशोधन” देखें।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 15: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं @	बकाया देयताएं \$
1	2	3	4	5	6
केंद्र					
1990-91	3.9	3.2	7.6	53.7	59.6
1995-96	0.8	2.4	4.9	49.4	57.3
2000-01	0.9	3.9	5.5	53.9	59.6
2007-08	-0.9	1.1	2.5	56.9	58.9
2008-09	2.6	4.5	6.0	56.1	58.6
2009-10	3.2	5.2	6.5	54.5	56.3
2010-11	1.8	3.2	4.8	50.5	52.1
2011-12	2.7	4.4	5.7	50.2	51.9
2012-13 संअ	2.0	3.9	5.2	50.3	51.9
2013-14 बअ	(1.8)	(3.6)	(4.9)		
2013-14 बअ	1.5	3.3	4.8	49.7	51.1
राज्य *					
1990-91	1.7	0.9	3.2	21.9	21.9
1995-96	0.7	0.7	2.5	20.3	20.3
2000-01	1.7	2.6	4.1	27.4	27.4
2007-08	-0.5	-0.9	1.5	26.6	26.6
2008-09	0.6	-0.2	2.4	26.1	26.1
2009-10	1.2	0.5	2.9	25.5	25.5
2010-11	0.5	0.0	2.1	23.5	23.5
2011-12	0.3	-0.3	1.9	22.3	22.3
2012-13 संअ	0.8	-0.2	2.3	22.0	22.0
2013-14 बअ	0.6	-0.4	2.2	21.7	21.7
संयुक्त *					
1990-91	4.9	4.1	9.1	62.9	68.9
1995-96	1.5	3.1	6.3	59.4	67.3
2000-01	3.5	6.4	9.2	68.2	74.0
2007-08	-1.2	0.2	4.0	69.5	71.4
2008-09	3.3	4.3	8.3	69.7	72.2
2009-10	4.5	5.7	9.3	68.8	70.6
2010-11	2.4	3.2	6.9	64.0	65.5
2011-12	3.2	4.1	7.6	63.8	65.5
2012-13 संअ	2.9	3.7	7.5	64.3	65.8
2013-14 बअ	2.2	2.9	6.9	64.8	66.2

.. : उपलब्ध नहीं संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान

* : 2011-12 से आगे के आंकड़े अंतिम हैं और वे 27 राज्य सरकारों के बजटों के हैं।

@ : इसमें केंद्र की बाह्य देयताएं शामिल हैं जिनकी गणना ऐतिहासिक विनिमय दर पर की गई है।

\$: इसमें केंद्र की बाह्य देयताएं शामिल हैं जिनकी गणना चालू विनिमय दर पर की गई है।

टिप्पणी : (1) संयुक्त घाटा/ देयताएं संकेतक आंकड़े केंद्र और राज्य सरकार के बीच के अंतर सरकारी लेनदेनों को घटाकर है जैसे (क) राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश (ख) केंद्रों द्वारा राज्यों को ऋण अग्रिम (ग) केंद्र के खजाना बिलों में राज्य सरकार के निवेश। 2013-14 की संयुक्त देयताएं 31 जुलाई 2013 की स्थिति के अनुसार केंद्र के खजाना बिलों में राज्यों के निवेश में समायोजित की गई है।

(2) संयुक्त तथा केंद्र की देयताओं में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत प्रतिभूतियां/खजाना बिल शामिल है।

(3) घाटा संकेतकों में ऋणात्मक चिह्न (-) अधिशेष दर्शाता है।

(4) कोष्ठकों के आंकड़े अंतिम लेखा के हैं।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 16: राज्य सरकारों के बजटीय परिचालन

अ : राज्य सरकारों के घाटे का मापन

(₹ बिलियन)

वर्ष	राजकोषीय घाटा		प्राथमिक घाटा		भा.रि.बैं का निवल ऋण #	राजस्व घाटा
	सकल	निवल	सकल	निवल		
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	187.9	145.3	101.3	82.8	4.2	53.1
1995-96	308.7	268.5	90.3	107.9	0.2	86.2
2000-01	879.2	855.8	369.4	455.5	-10.9	553.2
2007-08	754.6	689.6	-243.8	-182.3	11.4	-429.4
2008-09	1,345.9	1,296.9	316.3	430.9	-16.1	-126.7
2009-10	1,888.2	1,794.2	760.1	819.1	1.9	310.2
2010-11	1,602.2	1,464.0	355.8	373.9	25.2	-50.9
2011-12	2,073.8	1,884.9	680.4	693.7	-15.3	-65.9
2012-13 (संअ)						
2013-14 (बअ)	2,152.5	1,944.0	693.7	583.4	...	-425.9
चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के स्तर में						
1990-91	3.3	2.6	1.8	1.5	0.1	0.9
1995-96	2.6	2.3	0.8	0.9	0.0	0.7
2000-01	4.2	4.1	1.8	2.2	-0.1	2.6
2007-08	1.5	1.4	-0.5	-0.4	0.0	-0.9
2008-09	2.4	2.3	0.6	0.8	0.0	-0.2
2009-10	2.9	2.8	1.2	1.3	0.0	0.5
2010-11	2.1	1.9	0.5	0.5	0.0	-0.1
2011-12	2.3	2.1	0.8	0.8	0.0	-0.1
2012-13 (संअ)						
2013-14 (बअ)	2.1	1.9	0.6	0.6	...	-0.4

आ : राज्य सरकारों के चुनिंदा बजटीय चर

(प्रतिशत)

मद	1990-2000 (औसत)	2011-12	2012-13 (संअ)	2012-13 (बअ)
1	2	3	4	5
1. राजस्व घाटा / जीएफडी	36.2	-13.9	-8.1	-19.0
2. पूंजी परिव्यय / जीएफडी	49.2	101.3	98.9	110.1
3. विकासेतर राजस्व व्यय / राजस्व प्राप्तियां	39.8	35.7	33.6	33.7
4. ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां	16.6	12.5	11.5	11.4
5. राज्यों के अपने राजस्व / जीडीपी	6.7	7.3	7.8	7.8
क) राज्यों के अपने कर राजस्व / जीडीपी	5.0	6.2	6.6	6.7
ख) राज्यों के अपने करेतर राजस्व / जीडीपी	1.7	1.1	1.2	1.1
6. चालू अंतरण/जीडीपी	4.3	4.9	5.5	5.5
क) केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा/जीडीपी	2.4	2.8	2.9	3.0
ख) केन्द्र से प्राप्त अनुदान/जीडीपी	1.9	2.0	2.6	2.5
7. विकासात्मक व्यय / जीडीपी	9.7	9.5	10.7	10.4
जिसमें से :				
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय / जीडीपी	5.5	5.8	6.7	6.6
8. विकासेतर व्यय / जीडीपी	4.4	4.4	4.7	4.2
9. प्रतिबद्ध व्यय / जीडीपी	3.6	3.9	4.0	4.0
10. पूंजीगत परिव्यय/जीडीपी	1.4	1.9	2.3	2.4

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा ... : उपलब्ध नहीं

: आंकड़े उन राज्य सरकारों के हैं जिनके खाते भारतीय रिजर्व बैंक के पास हैं।

- टिप्पणी :**
- घाटा संकेतकों में ऋणात्मक चिह्न (-) अधिशेष सूचित करता है।
 - प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, पेंशन तथा प्रशासनिक सेवाओं पर किये गये व्यय शामिल हैं।
 - चालू अंतरण में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा तथा केन्द्र से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।
 - भा.रि.बैंक का राज्य सरकारों को निवल ऋण से तात्पर्य रिजर्व बैंक द्वारा उनको दिए गए ऋण तथा अग्रिम, रिजर्व बैंक के पास स्थित उनकी वृद्धिशील जमाराशि को घटाकर हुए परिवर्तन से है।

स्रोत : 27 राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज और रिजर्व बैंक के रिकार्ड।

परिशिष्ट सारणी 17: भारत के निर्यात तथा आयात

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

प्रमुख पण्यों के निर्यात					
पण्य /समूह	अप्रैल-मार्च				
	2008-09	2009-10	2010-11सं	2011-12 सं	2012-13 अ
1	2	3	4	5	6
I. प्राथमिक उत्पाद	25,335.4	26,396.5	32,844.2	45,923.6	46,200.0
अ. कृषि और संबद्ध उत्पाद	17,534.9	17,734.1	24,207.6	37,473.3	40,641.5
आ. अयस्क और खनिज	7,800.5	8,662.5	8,636.6	8,450.3	5,558.5
II. विनिर्मित वस्तुएं	123,148.9	115,180.7	157,994.3	185,422.6	183,718.8
क.. चमड़ा एवं विनिर्मित वस्तुएं	3,556.0	3,361.1	3,910.6	4,793.6	4,870.2
ख. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	22,708.1	22,908.8	28,871.0	37,104.6	39,929.7
ग. इंजीनियरिंग वस्तुएं	47,285.6	38,271.3	58,137.9	67,832.2	65,288.6
घ. वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	20,016.4	19,853.0	24,225.0	28,026.6	27,343.0
ड. रत्न एवं आभूषण	27,955.2	28,996.3	40,476.1	44,840.5	43,457.4
च. हस्तशिल्प	301.0	224.8	256.9	277.9	200.2
III. पेट्रोलियम उत्पाद	27,547.0	28,192.0	41,480.0	56,038.5	60,290.7
IV. अन्य	9,263.7	8,982.2	18,817.7	18,579.2	10,361.1
कुल निर्यात (I+II+III+IV)	185,295.0	178,751.4	251,136.2	305,963.9	300,570.6
प्रमुख पण्यों के आयात					
I. थोक आयात	136,430.0	125,314.3	151,167.1	214,933.0	229,572.6
अ. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और संबद्ध सामग्री	91,310.6	87,135.1	105,964.4	154,967.5	169,319.3
आ. थोक उपभोक्ता वस्तुएं	4,975.3	9,012.7	8,854.8	11,654.7	14,219.7
इ. अन्य थोक मर्दे	40,144.0	29,166.5	36,347.9	48,310.7	46,033.5
II. थोक से इतर आयात	167,266.3	163,058.6	218,602.0	274,386.5	261,914.6
अ. पूंजीगत वस्तुएं	71,833.1	65,865.0	78,546.1	99,223.3	91,449.7
आ. मुख्यतः निर्यात संबंधी मर्दे	31,930.8	31,270.0	53,608.3	51,904.1	46,863.7
इ. अन्य	63,502.4	65,923.6	86,447.6	123,259.1	123,601.3
कुल आयात (I+II)	303,696.3	288,372.9	369,769.1	489,319.5	491,487.2

अ: अनंतिम सं. : संशोधित

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय।

परिशिष्ट सारणी 18: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

मद	₹ बिलियन			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	2010-11 आं.सं.	2011-12 आं.सं.	2012-13 अ.	2010-11 आं.सं.	2011-12 आं.सं.	2012-13 अ.
1	3	4	5	7	8	9
अ. चालू खाता						
1 निर्यात, एफ.ओ.बी.	11,657	14,825	16,677	256,159	309,774	306,581
2 आयात, सी.आई.एफ.	17,461	23,946	27,321	383,481	499,533	502,237
3 व्यापार शेष	-5,805	-9,121	-10,645	-127,322	-189,759	-195,656
4 अदृश्य मुद्दे, निवल	3,608	5,362	5,848	79,269	111,604	107,493
क) 'गैर-कारक' सेवाएं	2,006	3,078	3,532	44,081	64,098	64,915
जिसमें से :						
सॉफ्टवेयर सेवाएं	2,417	2,992	3,583	53,100	62,212	65,867
ख) आय	-818	-768	-1,168	-17,952	-15,988	-21,455
ग) निजी अंतरण	2,420	3,050	3,501	53,125	63,469	64,342
घ) आधिकारिक अंतरण	1	2	-17	16	25	-309
5 चालू खाता शेष	-2,197	-3,760	-4,796	-48,053	-78,155	-88,163
आ. पूंजी खाता						
1 विदेशी निवेश, निवल (क+ख)	1,935	1,887	2,547	42,127	39,231	46,711
क) प्रत्यक्ष निवेश	541	1,032	1,082	11,834	22,061	19,819
जिसमें से :						
i) भारत में	1,324	1,550	1,470	29,029	32,952	26,953
इक्विटी	718	1,068	875	15,737	22,833	16,032
पुनर्निवेशित आय	597	393	537	13,102	8,205	9,880
अन्य पूंजी	9	89	57	191	1,914	1,041
ii) विदेशों में	-783	-518	-388	-17,195	-10,892	-7,134
इक्विटी	-367	-183	-87	-8,048	-3,874	-1,614
पुनर्निवेशित आय	-71	-58	-65	-1,569	-1,208	-1,189
अन्य पूंजी	-345	-277	-236	-7,578	-5,809	-4,331
ख) संविभाग निवेश	1394	856	1,465	30,293	17,170	26,891
भारत में	1447	867	1,513	31,471	17,409	27,770
विदेशों में	-53	-12	-48	-1,179	-239	-878
2 बाह्य सहायता, निवल	225	113	53	4,941	2,296	982
संवितरण	359	274	257	7,882	5,646	4,735
ऋण परिशोधन	134	161	204	2,941	3,350	3,752
3 वाणिज्यिक उधारियां, निवल	554	479	461	12,160	10,344	8,485
संवितरण	1098	1,562	1,502	24,123	32,590	27,617
ऋण परिशोधन	544	1,083	1,041	11,963	22,247	19,132
4 अल्पावधि कर्ज, निवल	549	306	1,177	12,034	6,668	21,657
5 बैंकिंग पूंजी	220	710	903	4,962	16,226	16,570
जिसमें से :						
अनिवासी जमाराशियां, निवल	148	582	807	3,238	11,918	14,842
6 रुपया ऋण चुकौती	-3	-4	-3	-68	-79	-58
7 अन्य पूंजी, निवल @	-567	-301	-279	-12,416	-6,929	-5,047
8 कुल पूंजी खाता	2,912	3,190	4,857	63,740	67,755	89,300
इ. भूल-चूक	-121	-116	146	-2,636	-2,432	2,689
ई. समग्र शेष (अ(5)+आ(8)+इ)	595	-685	207	13,050	-12,831	3,826
उ. मौद्रिक गतिविधियां (ऊ+ए)	-595	685	-207	-13,050	12,831	-3,826
ऊ. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	-	-	-	-	-	-
ए. भंडार और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि -, कमी +)	-595	685	-207	-13,050	12,831	-3,826
जिसमें से : एसडीआर आबंटन	-	-	-	-	-	-

अ. : अनंतिम आं.सं. : आंशिक रूप में संशोधित सं. : संशोधित

@ : इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियां और प्राप्त ऐसा अग्रिम जिसके संबंध में एफडीआई के अंतर्गत शेयर जारी किये जाने हैं।

टिप्पणी : 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोना तथा चांदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्तियों में की गई है।

2. आयात और निर्यातों के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जिसका कारण व्यापित, मूल्यांकन और समय में अंतर होना है।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 19: भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह : देश-वार तथा उद्योग-वार

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्रोत / उद्योग	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 अ.	2012-13 अ.
1	2	3	4	5	6
कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	22,697	22,461	14,939	23,473	18,286
देश-वार अंतर्वाह					
मॉरीशस	10,165	9,801	5,616	8,142	8,059
सिंगापुर	3,360	2,218	1,540	3,306	1,605
अमरीका	1,236	2,212	1,071	994	478
साइप्रस	1,211	1,623	571	1568	415
जापान	266	971	1,256	2,089	1,340
नीदरलैंड	682	804	1,417	1,289	1,700
यूनाइटेड किंगडम	690	643	538	2760	1,022
जर्मनी	611	602	163	368	467
संयुक्त अरब अमीरात	234	373	188	346	173
फ्रांस	437	283	486	589	547
स्विट्ज़रलैंड	135	96	133	211	268
हांगकांग एसएआर	155	137	209	262	66
स्पेन	363	125	183	251	348
दक्षिण कोरिया	95	159	136	226	224
लक्ज़मबर्ग	23	40	248	89	34
अन्य	3,034	2,374	1,184	983	1,540
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
उत्पादन	4,777	5,143	4,793	9,337	6528
निर्माण	2,237	3,516	1,599	2,634	1319
वित्तीय सेवाएँ	4,430	2,206	1,353	2,603	2760
स्थावर संपदा कार्यकलाप	1,886	2,191	444	340	197
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण और पारेषण	669	1,877	1,338	1,395	1653
संचार सेवाएँ	2,067	1,852	1,228	1,458	92
व्यापार सेवाएँ	643	1,554	569	1590	643
विविध सेवाएँ	1,458	888	509	801	552
कंप्यूटर सेवाएँ	1,647	866	843	736	247
रेस्तराँ और होटल	343	671	218	870	3129
खुदरा और थोक व्यापार	294	536	391	567	551
खनन	105	268	592	204	69
परिवहन	401	220	344	410	213
व्यापार	400	198	156	6	140
शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास	243	91	56	103	150
अन्य	1,097	384	506	419	43

अ.: अनंतिम

टिप्पणी : इसमें केवल एसआईए/एफआईपीबी और भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग से प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ही शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणी 20: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

माह के अंत में	विदेशी मुद्रा भंडार (₹ बिलियन में)					विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर)					कुल विदेशी मुद्रा भंडार (एसडीआर मिलियन में)	विदेशी मुद्रा भंडार में घट-बढ़ (एसडीआर मिलियन में)*
	विशेष आहरण अधिकार	स्वर्ण #	विदेशी मुद्रा आस्तियां	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिज़र्व अंश स्थिति	कुल (2+3+4+5)	विशेष आहरण अधिकार	स्वर्ण #	विदेशी मुद्रा आस्तियां	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिज़र्व अंश स्थिति	कुल (7+8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मार्च -94	3.39	128	473	9	614	108	4,078	15,068	299	19,553	13,841	6,595
मार्च -95	0.23	138	660	11	808	7	4,370	20,809	331	25,517	16,352	2,511
मार्च -96	2.80	157	584	11	754	82	4,561	17,044	310	21,997	15,054	-1,298
मार्च -97	0.07	146	804	10	960	2	4,054	22,367	291	26,714	19,272	4,218
मार्च -98	0.04	134	1025	11	1170	1	3,391	25,975	283	29,650	22,200	2,929
मार्च -99	0.34	126	1254	28	1408	8	2,960	29,522	663	33,153	24,413	2,213
मार्च -00	0.16	130	1529	29	1688	4	2,974	35,058	658	38,694	28,728	4,315
मार्च -01	0.11	127	1845	29	2001	2	2,725	39,554	616	42,897	34,034	5,306
मार्च -02	0.50	149	2491	30	2670	10	3,047	51,049	610	54,716	43,876	9,842
मार्च -03	0.19	168	3415	32	3615	4	3,534	71,890	672	76,100	55,394	11,518
मार्च -04	0.10	182	4662	57	4901	2	4,198	107,448	1,311	112,959	76,298	20,904
मार्च -05	0.20	197	5931	63	6191	5	4,500	135,571	1,438	141,514	93,666	17,368
मार्च -06	0.12	257	6473	34	6764	3	5,755	145,108	756	151,622	105,231	11,565
मार्च -07	0.08	296	8366	20	8682	2	6,784	191,924	469	199,179	131,890	26,659
जून -07	0.06	277	8399	19	8694	1	6,787	206,114	460	213,362	140,780	8,890
सितंबर-07	0.08	293	9536	17	9846	2	7,367	239,955	438	247,762	159,164	27,274
दिसंबर -07	0.13	328	10505	17	10850	3	8,328	266,553	432	275,316	174,223	42,333
मार्च -08	0.74	401	11960	17	12380	18	10,039	299,230	436	309,723	188,339	56,449
जून -08	0.48	395	12986	23	13404	11	9,208	302,340	528	312,087	191,040	2,701
सितंबर-08	0.17	402	13016	22	13441	4	8,565	277,300	467	286,336	183,876	-4,463
दिसंबर -08	0.13	411	11948	42	12402	3	8,485	246,603	877	255,968	166,184	-22,155
मार्च -09	0.06	488	12301	50	12839	1	9,577	241,426	981	251,985	168,544	-19,795
जून -09	0.02	469	12163	60	12692	1	9,800	254,093	1,248	265,142	170,814	2,270
सितंबर-09	251	496	12700	66	13513	5,224	10,316	264,373	1,365	281,278	177,533	8,989
दिसंबर -09	241	854	12071	67	13232	5,169	18,292	258,583	1,426	283,470	180,820	12,276
मार्च -10	226	812	11497	62	12597	5,006	17,986	254,685	1,380	279,057	183,803	15,259
जून -10	227	927	11633	61	12848	4,875	19,894	249,628	1,313	275,710	186,429	2,626
सितंबर-10	230	922	11914	90	13156	5,130	20,516	265,231	1,993	292,870	188,197	4,394
दिसंबर -10	228	1007	12001	88	13324	5,078	22,470	267,814	1,972	297,334	193,070	9,267
मार्च -11	204	1026	12249	132	13610	4,569	22,972	274,330	2,947	304,818	192,254	8,451
जून-11	206	1103	12676	133	14119	4,614	24,668	283,458	2,975	315,715	197,266	5,012
सितंबर-11	220	1403	13490	128	15241	4,504	28,667	275,699	2,612	311,482	199,461	7,207
दिसंबर-11	236	1418	14006	144	15805	4,429	26,620	262,933	2,706	296,688	193,248	994
मार्च -12	229	1383	13305	145	15061	4,469	27,023	260,069	2,836	294,397	190,045	-2,209
जून -12	247	1451	14455	163	16315	4,379	25,760	256,703	2,895	289,736	190,924	879
सितंबर -12	235	1483	13699	120	15536	4,451	28,133	259,958	2,270	294,812	191,165	1,120
दिसंबर -12	243	1491	14333	127	16194	4,436	27,220	261,656	2,326	295,638	192,357	2,312
मार्च -13	235	1397	14126	125	15884	4,328	25,692	259,726	2,301	292,046	194,801	4,756

- : नगण्य

: स्वर्ण के मूल्य का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार के मूल्यों के आसपास किया गया है।

* : पिछले मार्च की तुलना में परिवर्तन।

टिप्पणी: 1. धारित स्वर्ण में 1991-92 के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त किया गया 191 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1992-93 के दौरान 29.4 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1993-94 के दौरान 139.3 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1994-95 के दौरान 315.0 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का, 1995-96 के दौरान 17.9 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का स्वर्ण शामिल है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अपनी स्वर्ण बांड योजना के अंतर्गत राशि की चुकौती के लिए 13 नवंबर 1997 को 435.5 मिलियन (11.97 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 1.27 टन स्वर्ण, 1 अप्रैल 1998 को 14.85 बिलियन (376.0 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 38.9 टन स्वर्ण और 5 अक्टूबर 1998 को 21.3 मिलियन (0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 0.06 टन स्वर्ण की खरीद की।
 2. विदेशी मुद्रा आस्तियों का अमरीकी डॉलर में परिवर्तन मार्च 1999 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त विनिमय दरों पर किया जाता था। 1 अप्रैल 1999 से यह परिवर्तन न्यूयार्क के बंद विनिमय दरों पर किया जाता है।
 3. विदेशी मुद्रा आस्तियों में आईआईएफसी यूके द्वारा 20 मार्च 2009 से जारी 250.00 मिलियन अमरीकी डॉलर (उसके समतुल्य भारतीय रुपये सहित) का 16 सितंबर 2011 से जारी 380.00 मिलियन अमरीकी डॉलर का, 27 फरवरी 2012 को जारी 550.00 मिलियन अमरीकी डॉलर का तथा 30 मार्च 2012 को जारी 673.00 मिलियन अमरीकी डॉलर का 5 जुलाई 2012 से जारी 790 मिलि. अम. डॉलर का तथा 8 मार्च 2013 से जारी 950 मिलि. अम. डॉलर का विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित निवेश शामिल नहीं है।

परिशिष्ट सारणी 21 : भारत का बाह्य ऋण
(मार्च के अंत में)

मद	₹ बिलियन			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	2011 सं.	2012 आं.सं.	2013 सं.	2011 सं.	2012 आं.सं.	2013 सं.
1	2	3	4	5	6	7
I. बहुपक्षीय	2,166.7	2,570.9	2,796.0	48,475	50,453	51,642
अ. सरकारी उधारियां	1,903.3	2,225.8	2,357.0	42,579	43,686	43,539
i) रियायती	1,206.5	1,386.9	1,431.2	26,992	27,221	26,442
ii) गैर-रियायती	696.7	838.9	925.3	15,587	16,465	17,096
आ. गैर-सरकारी उधारियां	263.5	345.1	439.0	5,896	6,767	8,103
i) रियायती	-	-	0.0	-	-	0
ii) गैर-रियायती	263.5	345.1	439.0	5,896	6,767	8,103
II. द्विपक्षीय	1,149.1	1,371.1	1,358.0	25,712	26,888	25,065
अ. सरकारी उधारियां	804.1	916.4	880.0	17,988	17,986	16,259
i) रियायती	804.1	916.4	880.0	17,988	17,986	16,259
ii) गैर-रियायती	-	-	0.0	-	-	0
आ. गैर-सरकारी उधारियां	345.0	454.7	478.0	7,724	8,902	8,807
i) रियायती	41.0	76.5	81.0	918	1,501	1,497
ii) गैर-रियायती	304.0	378.2	397.0	6,806	7,401	7,310
III. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	281.6	315.3	324.4	6,308	6,163	5,964
IV. व्यापार ऋण	831.1	975.2	963.0	18,614	19,067	17,705
i) क्रेता का क्रेडिट	732.7	863.1	845.0	16,412	16,870	15,531
ii) आपूर्तिकर्ता का क्रेडिट	28.5	32.4	41.3	638	633	760
iii) द्विपक्षीय क्रेडिट का निर्यात क्रेडिट घटक	69.9	79.7	76.5	1,564	1,564	1,414
iv) रक्षा हेतु निर्यात क्रेडिट	-	-	0.0	-	-	0
V. वाणिज्यिक उधारियां	3,950.1	5,360.9	6,575.0	88,479	104,786	120,893
i) वाणिज्यिक बैंक उधारियां	2,616.8	3,747.4	4,493.0	58,613	73,248	82,613
ii) प्रतिभूतिकृत उधारियां (एफसीसीबी सहित) \$	1,300.7	1,587.7	2,065.0	29,134	31,033	37,960
iii) ऋण / प्रतिभूतिकृत उधारियां आदि	32.7	25.9	17.5	732	505	321
iv) स्वतः चुकौती वाला ऋण	-	-	0.0	-	-	0
VI. एनआरआई और एफसी (बीएण्डओ) जमाराशियां	2,308.1	2,998.4	3,852.0	51,682	58,608	70,823
i) एफसीएनआर (बी)	696.6	765.8	826.0	15,597	14,968	15,188
ii) एनआर(ई)आरए	1,178.0	1,606.8	2,498.0	26,378	31,408	45,924
iii) एनआरओ	433.5	625.8	528.0	9,707	12,232	9,710
VII. रुपया ऋण *	71.5	69.2	68.4	1,601	1,354	1,258
i) रक्षा	64.2	62.2	61.6	1,437	1,216	1,133
ii) नागरिक +	7.3	7.0	6.8	164	138	125
VIII. कुल दीर्घवधि ऋण (I से VII)	10,758.2	13,661	15,937.0	240,871	267,319	293,351
IX. अल्पवधि ऋण	2,901.5	3,999.6	5,259.0	64,990	78,179	96,697
i) व्यापार संबंधी कर्ज	2,610.1	3,332.0	4,720.0	58,463	65,130	86,787
ii) सरकारी खजाना बिल और अन्य लिखतों में एफआईआई का निवेश	242.1	480.7	297.0	5,424	9,395	5,455
iii) विदेशी केंद्रीय बैंक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं अदि द्वारा खजाना बिलों में निवेश	2.3	3.3	4.5	50	64	82
iv) केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों की बाह्य ऋण देयताएं	47.0	183.7	238.0	1,053	3,590	4,373
X. समग्र जोड़	13,659.7	17,660.6	21,196.0	305,861	345,498	390,048
रियायती ऋण	2,123.0	2,449.0	2,461.0	47,499	48,062	45,456
कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में	15.5	13.9	11.6	15.5	13.9	11.7
अल्पवधि ऋण	2,901.0	3,999.6	5,259.0	64,990	78,179	96,697
कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में	21.2	22.6	24.8	21.2	22.6	24.8
ज्ञापन मर्दे :						
ऋण संकेतक :						
1. ऋण स्टॉक - जीडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	17.5	19.7	21.2	17.5	19.7	21.2
2. ऋण चुकौती अनुपात (प्रतिशत में) (राजकोषीय वर्ष के लिए) (नागरिकों से इतर को दिए गए ऋण की चुकौती सहित)	4.4	6.0	5.9	4.4	6.0	5.9

सं. : संशोधित आं.सं. : आंशिक रूप में संशोधित अ. : अनंतिम

\$: इसमें 100 प्रतिशत एफआईआई डेट फंड द्वारा किए गए निवल निवेश शामिल हैं।

* : रूस को देय ऋण रुपयों में मूल्यवर्धित है और इसका परिवर्तन चालू विनिमय दरों पर किया जाता है। इसका भुगतान निर्यात से किया जाना है।

+ : इसमें मार्च 1990 के अंत से रुपयों में दिया गया आपूर्तिकर्ता क्रेडिट शामिल है।

टिप्पणी : बहुपक्षीय उधारियों में आईबीआरडी की पूल्ड उधारियां और 1971 से पूर्व के ऋण के संबंध में आईडीए ऋणों के विनिमय दर समायोजन को शामिल नहीं किया गया है।